सत्यमेव जयते

वार्षिक रिपोर्ट 2003-04

प्रारम्भिक शिक्षा और साक्षरता विभाग
माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
भारत सरकार

माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के लिए
एजूकेशनल कंसल्टेंट्स इण्डिया लिमिटेड, एडसिल हाउस, 18ए, सैक्टर 16ए, नौएडा 201301 (इण्डिया) द्वारा प्रकाशित।
डिजाइन व मुद्रण साइबरआर्ट इन्फारमेशंस प्रा. लि., cyberart@vsnl.com





वार्षिक रिपोर्ट 2003-04

संलग्नक 1

विवरण संख्या 1: भारत में शैक्षिक संस्थाओं की कुल संख्या (2002–2003) (अनन्तिम)

विवरण संख्या 2: कक्षा–वार नामांकन 2002–2003 (अनन्तिम) 30.09.2002 को स्थिति के अनुसार

विवरण संख्या 3: 30 सितम्बर 2002 को स्थिति के अनुसार सामान्य शिक्षा के लिए स्कूलों की कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 में सकल नामांकन अनुपात (सभी विद्यार्थी) 2002–2003 (अनन्तिम)

विवरण संख्या 4: 30 सितम्बर 2002 को स्थिति के अनुसार कक्षावार नामाकंन (अनुसूचित जाति) 2002–2003 (अनन्तिम)

विवरण संख्या 5: 30 सितम्बर 2002 को स्थिति के अनुसार (अनुसूचित जाति के छात्रो का) सकल नामांकन अनुपात आयुवर्ग (6–11) और (11–14) 2002–2003 (अनन्तिम)

विवरण संख्या 6: 30 सितम्बर 2002 को स्थिति के अनुसार कक्षावार नामांकन (अनुसूचित जनजाति) 2002–2003 (अनन्तिम)

विवरण संख्या 7: 30 सितम्बर 2002 को स्थिति के अनुसार आयुवर्ग (6–11) और (11–14) में सकल नामांकन अनुपात (अनुसूचित जनजाति छात्र) 2002–2003 (अनन्तिम)

विवरण संख्या 8: 30 सितम्बर 2002 को स्थिति के अनुसार वर्ष 2002–2003 में कक्षा 1 से 5 तक स्कूल बीच में छोड़कर जाने वाले की दरें (अनन्तिम)

विवरण संख्या 9: 30 सितम्बर 2002 को स्थिति के अनुसार वर्ष 2002–2003 में कक्षा 1 से 8 तक स्कूल बीच में छोड़कर जाने वाले की दरें (अनन्तिम)

विवरण संख्या 10: 30 सितम्बर 2002 को स्थिति के अनुसार वर्ष 2002–2003 में कक्षा 1 से 10 तक स्कूल बीच में छोड़कर जाने वालों की दरें (अनन्तिम)

विवरण संख्या 11: 30 सितम्बर 2002 की स्थिति के अनुसार आयुवर्ग (6–11) और (11–14) में सकल नामांकन अनुपात (अनुसूचित जाति छात्र) 2002–2003 (अनन्तिम)

संलग्नक 2 सर्व शिक्षा अभियान के अनुश्रवण के लिए विभिन्न राज्यों में चुने गये संस्थान

संलग्नक 3 डीपीईपी के अधीन राज्य और जिले

संलग्नक 4 गैर सरकारी संगठनों की सूची जिनको वर्ष 2002–2003 के दौरान संस्वीकृत की गई एक लाख रूपये तथा उससे अधिक की राशि

संलग्नक 5 स्वैच्छिक संगठनों को वर्ष 2002–2003 के दौरान संस्वीकृत की गई एक लाख रूपये तथा उससे अधिक की राशि का सहायता–अनुदान दर्शाने वाला विवरण

संलग्नक 6 गैर सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक संगठनों को पिछले तीन वर्षों ने मंजूर किए गये सहायता अनुदान की बावत उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुन न किए जाने संबंधी स्थिति दर्शाने वाला विवरण 1999–2000, 2000–2001 एवं 2001–2002

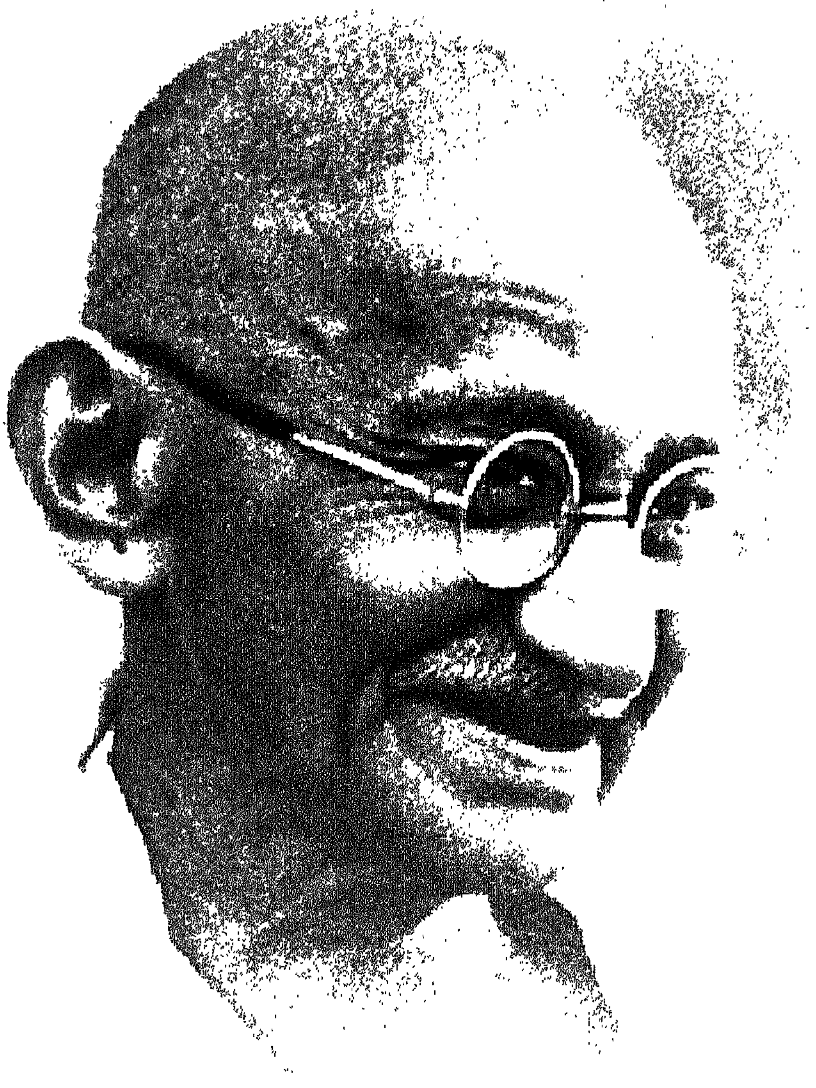
संलग्नक 7 उपयोग प्रमाण पत्र न प्राप्त होने का विवरण

संलग्नक 8 स्कूलों में योगा संवर्धन नामक केन्द्रिय प्रायोजित योजना के अंतर्गत गैर सरकारी संगठनों को संस्वीकृत की गई एक लाख रूपये से अधिक राशी का सहायता अनुदान दर्शाने वाला विवरण

संलग्नक 9 स्कूलों में विज्ञान शिक्षा में सुधार नामक केन्द्रिय प्रायोजित योजना के अंतर्गत स्वैच्छिक संस्थाओं को वर्ष 2002–2003 के दौरान संस्वीकृत की गई एक लाख रूपये तथा उससे अधिक राशी का सहायता अनुदान दर्शाने वाला विवरण

संलग्नक 10 स्कूली शिक्षा के प्रति पर्यावरणात्मक अनुस्थापन नामक केन्द्रिय प्रायोजित योजना के अंतरगत स्वैच्छिक संस्थाओं को वर्ष 2002–2003 के दौरान संस्वीकृत की गई एक लाख रूपये तथा उससे अधिक राशी का सहायता अनुदान दर्शाने वाला विवरण

संलग्नक 11 माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग तथा प्रारम्भिक शिक्षा और साक्षरता विभाग के अधीन स्वायत्त संगठनों/अधीनस्त कार्यालयों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की सूची



असली कठिनाई यह है कि लोगों को यह पता नहीं है कि सच्चे अर्थों में शिक्षा क्या है। शिक्षा के मूल्य को हम उसी ढंग से मापते हैं जैसे कि जमीन या शेयर बाजार में शेयरों के मूल्य को। हम केवल ऐसी शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं जो कि छात्र को अधिक कमाने के योग्य बना सके। हम शिक्षित बच्चे के चरित्र में सुधार के बारे में तो शायद कुछ सोचते ही नहीं। लड़कियों के सम्बन्ध में हमारा मानना है कि उन्हें कमाई नहीं करनी होती, इसलिए उन्हें क्यों पढ़ाया जाए? जब तक इस तरह के विचार बने रहेंगे तब तक हम शिक्षा का सच्चा महत्व जानने की आशा कभी नहीं कर सकते।

महात्मा गांधी (सच्ची शिक्षा पर)

1

सिंहावलोकन



राष्ट्र सभी के लिए शिक्षा प्रदान करने के लिए पक्की तौर पर प्रतिबद्ध है, निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, विशेष जरूरतों वाले बच्चों के समावेशन, निरक्षरता के उन्मूलन, व्यावसायीकरण, महिलाओं की समानता के लिए शिक्षा तथा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों एवं अल्पसंख्यकों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

आयोजना

1992 में यथासंशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में ऐसा सोचा गया है कि शिक्षा का सभी क्षेत्रों में सुधार और विस्तार किया जाए, सुलभता में विषमताएं समाप्त की जाएं और तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा सहित, शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षा की गुणवत्ता और प्रासंगिकता में सुकर पर अधिक बल दिया जाए। इसमें इस बात पर भी बल दिया गया है कि शिक्षा की समस्याओं, क्षेत्रीय विषमता को दुरुस्त करने, महिलाओं को सामर्थ्यवान बनाने और सुविधाविहीन लोगों तथा अल्पसंख्यकों को उचित स्थान दिलाने के निमित्त एक सकारात्मक और हस्तक्षेपणीय भूमिका अवश्य निभानी चाहिए।

राष्ट्र सभी के लिए शिक्षा प्रदान करने के लिए पक्की तौर पर प्रतिबद्ध है, निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा विशेष जरूरतों वाले बच्चों के समावेशन, निरक्षरता के उन्मूलन, व्यावसायीकरण, महिलाओं की समानता के लिए शिक्षा तथा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों एवं अल्पसंख्यकों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित परियोजनाओं/कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए भारत से तथा विदेशों से छोटी-छोटी राशियों समेत दान को सुकर बनाने के लिए सरकार ने व्यक्तियों तथा निगमित कार्यालयों, केन्द्रीय और राज्य सरकारों, अनिवासी भारतीयों तथा भारतीय मूल के व्यक्तियों से शिक्षा के सभी क्षेत्रों से संबंधित विभिन्न क्रियाकलापों के निमित्त दान/योगदान/धर्मादा प्राप्त करने के लिए भारत कोष की स्थापना की है।

राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना और प्रशासन संस्थान (नीपा) माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग के अधीन एक स्वायत्त निकाय है जो कि शिक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षण और परामर्शी सेवाएं सुलभ करने के उद्देश्य से शैक्षिक आयोजना और प्रशासन में अनुसंधान करता है, उसे बढ़ावा देता है और उसका समन्वय करता है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रकाशित की जाने वाली राष्ट्रीय वार्षिक सांख्यिकी, प्राथमिक-पूर्व से लेकर उच्च स्तर तक की संस्थाओं से एकत्र की जाती है जिनकी संख्या दस लाख से अधिक है, जिन्हें राज्य के शिक्षा विभागों के माध्यम से डाक से प्रश्नावलियाँ भेजी जाती हैं। राज्य स्तर/क्षेत्रीय स्तर पर भी शैक्षिक सांख्यिकी तंत्र के सुदृढ़ीकरण की एक योजना है।

सरकार की नीति के अनुसरण में दोनों विभाग शिक्षा के विकास के लिए विभिन्न स्कीमों के अधीन पूर्वोत्तर क्षेत्र में निधियों के प्रवाह को बनाए रखे रहे। माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग पिछले चार वित्तीय वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए अपने बजट व्यय का निर्धारित स्तर अर्थात् 10 प्रतिशत या इसके आसपास बनाए रखने में सफल रहा है जबकि प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग का व्यय वित्तीय वर्ष 2002-03 के दौरान सं.अ. का 6.93 प्रतिशत रहा है। पूर्वोत्तर राज्यों में शैक्षिक आधारिक तंत्र के लिए संसाधनों की असमाप्य केन्द्रीय निधि (एनएलसीपीआर) की अतिरिक्त निधियाँ भी प्रदान की गई हैं।

मंत्रालय की स्कीमें एकीकृत ढंग से तैयार और कार्यान्वित की जाती हैं जिससे कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों सहित जनसंख्या के सभी वर्गों को शामिल किया जा सके। निधियों का प्रयोग भी इसी प्रकार एकीकृत ढंग से किया जाता है। हालांकि इस मंत्रालय में नितान्तः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए अलग से कोई स्कीमें नहीं, फिर भी मंत्रालय की विभिन्न स्कीमों के अधीन अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को वरीयताएं/रियायतें प्रदान की जाती हैं।

प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग के प्रमुख कार्यक्रम अर्थात् सर्वशिक्षा अभियान (एसएसए), जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डीपीईपी), महिला समाख्या, शिक्षा कर्मी, शिक्षा गारंटी योजना और वैकल्पिक तथा नवाचारी शिक्षा (ईजीएस तथा एआईई) और प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषणिक सहायता कार्यक्रम (एनपीएनएसपीई), कस्तूरबा गांधी स्वतंत्र विद्यालय स्कीम आदि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की बहुलता वाले क्षेत्रों की सेवाएं करते हैं। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और बालिकाओं के उद्धार के लिए कुछ अन्य स्कीमें भी कार्यान्वित की जा रही हैं।

भारत संयुक्त राष्ट्र के एक घटक निकाय यूनेस्को का एक संस्थापक सदस्य है और वह यूनेस्को के आदर्शों और लक्ष्यों से आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। जुलाई में भारत ने "सभ्यताओं के बीच संवाद" पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की जिसमें 85 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। यह स्पष्ट था कि विश्व नृजातीयता, धर्म आदि पर आधारित हिंसा के मुद्दे के जवाबों की तलाश में था। यह संवाद भारत में आयोजित किया गया जो कि भारत की सर्व धर्म समभाव की प्राचीन भारतीय परंपरा के लिए एक उपहार है। भारत ने शताब्दियों से बहुविध आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं का पोषण किया है। यह इसी कारण संभव हुआ है



कि संवाद को प्रोत्साहित करते हुए विचार और विश्वास की स्वतंत्रता को संरक्षण प्रदान किया गया है।

श्री अरविन्दों की शिष्या 'माँ' द्वारा 1968 में स्थापित औरविल्ले एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक बस्ती है जो कि एकीकृत जीवन स्तरों से संयुक्त विभिन्न संस्कृतियों के मूल्यों को एक स्थान पर लाने के लिए तैयार की गई है जो मनुष्य की भौतिक और आध्यात्मिक आवश्यकताओं के अनुरूप है।

विभिन्न देशों के साथ स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक विनिमय कार्यक्रम (ईईपी) तैयार करने का काम अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सेल को सौंपा गया है। जहां चीन, इज्रायल, गायना, मंगोलिया, आरमेनिया और आस्ट्रेलिया के साथ ईईपी पर हस्ताक्षर हो चुके हैं, अन्य कई देशों के साथ ईईपी तैयार किए जा रहे है।

नियमित तथा प्रभावी समीक्षा, विभिन्न केन्द्रीय तथा केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के मॉनीटरन तथा समन्वय के लिए एक उपाय के तौर पर विभाग में 1999 में एक क्षेत्र अधिकारी स्कीम लागू की गई थी। अपने मौजूदा रूप में निदेशक या उससे उच्चतर स्तर के अधिकारी को एक विशेष राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का दायित्व सौंप दिया गया है।

प्रारंभिक शिक्षा

6-14 आयु वर्ग के सभी वच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा सुलभ करना, भारत सरकार का स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से ही घोषित लक्ष्य रहा है। हालांकि प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण (यूईई) का लक्ष्य अभी तक पूरा नहीं हो सका है, फिर भी सरकार ने विभिन्न उपायों के माध्यम से इस लक्ष्य के प्रति अपनी प्रतिवद्धता दोहराई है। दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि (2002-07) में इस क्षेत्र के लिए बजट आबंटन 28750 करोड़ रुपए है जो कि नौवीं योजना के आबंटन से 75 प्रतिशत उच्चतर है।

सकल नामांकन अनुपात में जो कि 6-14 आयु वर्ग के बच्चों की जनसंख्या के अनुपात के रूप में प्रारंभिक स्कूलों में वस्तुतः लाभित हुए छात्रों की संख्या दर्शाता है, 1950-51 से क्रमिक रूप से वृद्धि होती रही है। 1950-51 में इस आशय का अनुपात 32.1 था जो कि 2001-02 में बढ़कर 82.4 तक पहुंच गया है। समान रूप से महत्वपूर्ण बात यह है कि लड़कियों के लिए इस अनुपात में वृद्धि की दर लड़कों की तुलना में उच्चतर रही है जिसके फलस्वरूप नामांकन में लैंगिक विषमता दर रही है। (देखें तालिका 1.1)।

सर्वसुलभीकरण की ओर जाने वाले मार्ग में 86वाँ संवैधानिक संशोधन का पारित होना एक उल्लेखनीय घटना रहा है। इस आयु-वर्ग में सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा संविधान के अनुच्छेद 21ए के अधीन अब एक वादयोग्य मूल अधिकार है। इस अधिकार को लागू करने वाला समर्थनकारी कानून सम्प्रति आम जनता में विचाराधीन है और आशा है वह शीघ्र ही संसद में ला दिया जाएगा। एक दफा कानून बनने के बाद वह प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के लिए समर्थनकारी सांविधिक तंत्र उपलब्ध कराएगा।

सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध करने का प्रमुख साधन फिलहाल सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) नामक एक व्यापक कार्यक्रम है जो कि केन्द्रीय और राज्य सरकारों के बीच भागीदारी के साथ 2001-02 में शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उत्तम शिक्षा प्रदान करने पर विशेष बल देते हुए सामुदायिक स्वामित्व के दृष्टिकोण के माध्यम से स्कूली प्रणाली के निष्पादन में सुधार लाना है। एसएसए एक समयबद्ध मिशन है जिसका उद्देश्य 2010 तक प्रारंभिक शिक्षा का सर्वसुलभीकरण सुनिश्चित करना तथा लैंगिक और सामाजिक विषमताएं समाप्त करना है। राज्यों ने अपने-अपने मुख्यमंत्री/शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में यूईई के लिए कार्यान्वयन सोसायटियों की स्थापना की है।

तालिका 1.1 : तीन वर्षों के दौरान सकल नामांकन अनुपात (जीईआर)

वर्ष	प्राथमिक (I-V)			उच्च प्राथमिक (VI-VIII)			प्रारंभिक (I-VIII)		
	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
1950-51	60.6	24.8	42.6	20.6	4.6	12.7	46.4	17.7	32.1
2001-02*	**105.3**	**86.9**	**96.3**	**67.8**	**52.1**	**60.2**	**90.7**	**73.6**	**82.4**

स्रोतः चुनिन्दा शैक्षिक आँकड़े 2001-02, मानव संसाधन विकास मंत्रालय **अनंतिम*

2003-04 के (1 जनवरी, 2004 तक) दौरान 330 करोड़ रुपए के परिव्यय सहित यह राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) में 596 जिलों की वार्षिक जिला प्रारंभिक शिक्षा योजनाएं मंजूर की जा चुकी हैं। 67,000 से अधिक नए स्कूल, 42,000 स्कूल भवन, 72,000 अतिरिक्त क्लासरूम, 51,000 टायलेट, 41,000 पेयजल सुविधाएं और लगभग 400,000 नए अध्यापक मंजूर किए जा चुके हैं। स्कूलों से बाहर रहने वाले बच्चों की संख्या जो 2001 में 3.5 करोड़ थी, 2003 में घटकर एक करोड़ रह गई।

एसएसए ने इससे पूर्व कार्यान्वित और प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रमों के अनुभवों का लाभ उठाया है जिनमें जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डीपीईपी), शिक्षा कर्मी परियोजना (एसकेपी) तथा लोक जुम्बिश परियोजना (एलकेपी) शामिल हैं। डीपीईपी 1994 में एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम के रूप में सात राज्यों में 42 जिलों में शुरू किया गया थाः प्राथमिक शिक्षा सभी बच्चों को सुलभ कराना, प्राथमिक स्तर पर स्कूली शिक्षा बीच में छोड़ने वालों का अनुपात घटाकर 10 प्रतिशत से भी कम पर लाना, प्राथमिक स्कूली छात्रों की अधिगम उपलब्धि में कम से कम 25 प्रतिशत का सुधार लाना है तथा लैंगिक और सामाजिक विषमताएं घटाकर 5 प्रतिशत से कम पर लाना। अपने उत्कर्ष के समय यह कार्यक्रम 18 राज्यों के 272 जिलों में लागू किया जा रहा था। आज की स्थिति में यह कार्यक्रम नौ राज्यों में 129 जिलों में चल रहा है। इस कार्यक्रम का वित्तपोषण विश्व बैंक (5137 करोड़ रुपए), यूरोपीय आयोग (ईसी) (623 करोड़ रुपए), अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग (डीएफआईडी) (36 करोड़ रुपए) नीदरलैंड्स सरकार (215 करोड़ रुपए) तथा यूनिसेफ (927 करोड़ रुपए) द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है।

एसएसए में कई ऐसे विशेष घटक हैं जो कि बच्चों के विशिष्ट वर्गों के प्रति लक्षित हैं। इनमें से एक है प्रारंभिक स्तर पर लड़कियों की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीईजीईएल) जो कि सितम्बर, 2003 में शुरू किया गया था और जिसमें शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ऐसे लगभग 2600 ब्लॉकों में, जहां ग्रामीण महिला साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से न्यून है और लैंगिक विषमता राष्ट्रीय औसत से उच्चतर है लड़कियों की शिक्षा के लिए अतिरिक्त घटक उपलब्ध कराए गए हैं। दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस कार्यक्रम के लिए 1064.80 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई है।

एसएसए का एक अन्य महत्वपूर्ण कदम है शिक्षा गारंटी स्कीम और वैकल्पिक तथा नवाचारी शिक्षा (ईजीएस तथा एनआईई) जो कि स्कूल-विहिन बस्तियों तथा शिक्षा बीच में छोड़ने वाले बच्चों को सुलभता प्रदान कराने के लिए विशेष रूप से तैयार की गई है। कार्यक्रम के अंतर्गत सेतु पाठ्यक्रमों, रिहायशी शिविरों, अल्पकालीन आवास केन्द्र, ग्रीष्म शिविरों, औपचारिक स्कूल शिक्षा के लिए सुधारात्मक कोचिंग आदि के जरिए स्कूली शिक्षा बीच में छोड़ देने वाले बच्चों के वास्ते नम्य कार्यनीतियों का भी समर्थन किया जाता है। 2003-04 के दौरान इस घटक के माध्यम से 61,04,654 बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा दिलाने में सहायता प्राप्त हुई।

अध्यापक शिक्षा

अध्यापक शिक्षा की केन्द्र प्रायोजित स्कीम 1987-88 में एक संस्थानागत आधारिक तंत्र निर्मित करने के लिए शुरू की गई थी ताकि स्कूली अध्यापकों की सतत शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए शैक्षणिक और तकनीकी संसाधन सहायता उपलब्ध कराई जा सके। इस योजना के अधीन 1 जनवरी, 2004 तक 498 जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान (डायट), 86 अध्यापक शिक्षा कालेज (सीटीई) तथा 38 शिक्षा में उन्नत अध्ययन संस्थान (आईएएसई) मंजूर किए जा चुके हैं। जबकि डायट औपचारिक तथा अनौपचारिक प्रारंभिक स्कूल अध्यापकों को शैक्षणिक और संसाधन सहयोग प्रदान करेंगे, सीटीई और आईएएसई पर माध्यमिक स्कूल अध्यापकों के सेवा पूर्व तथा सेवाकालीन प्रशिक्षण आयोजित करने का दायित्व सौंपा गया

है। आईएएसई से प्रारंभिक स्कूल अध्यापक प्रशिक्षण तैयार करने के लिए कार्यक्रम आयोजित करने की अपेक्षा की जाती है।

दसवीं योजना के लिए प्रारंभिक और प्रौढ़ शिक्षा संबंधी कार्यकारी दल की सिफारिशों पर इस स्कीम को दसवीं योजना अवधि के दौरान जारी रखा जा रहा है।

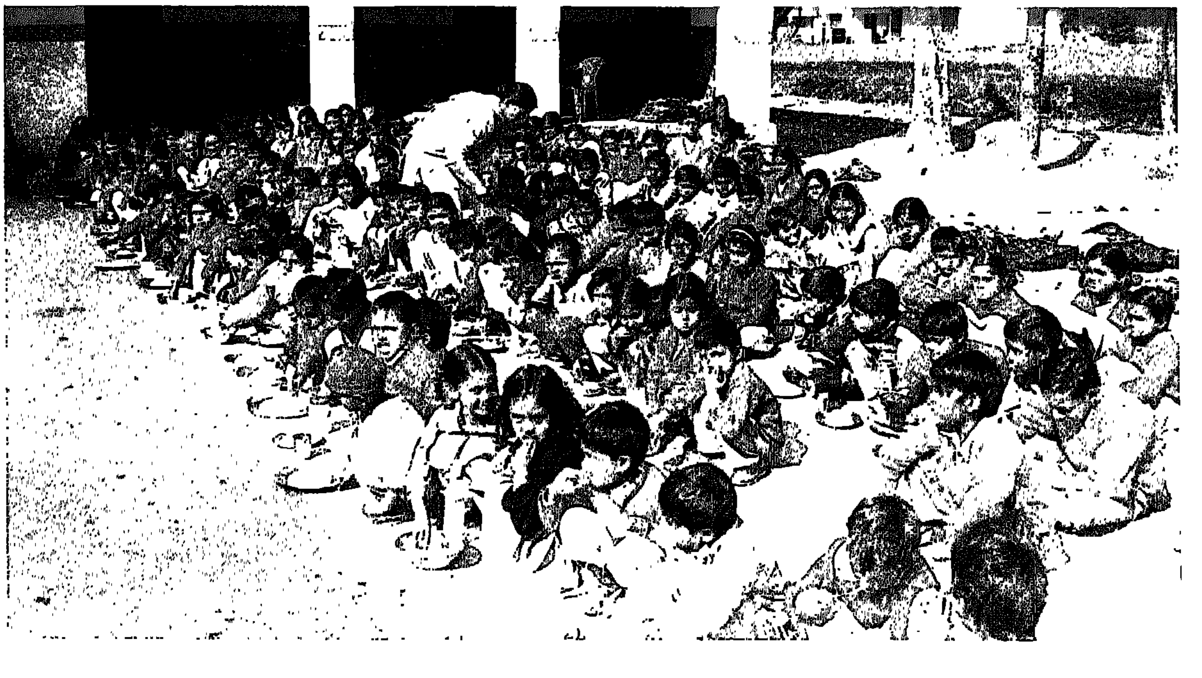
मध्याह्न भोजन

प्राथमिक शिक्षा को पौषणिक सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपी-एनएसपीई) जिसे आमतौर पर मध्याह्न भोजन योजना (एमडीएम) कहते हैं। प्राथमिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण को बढ़ावा देने और उसके साथ-साथ सरकारी स्थानीय निकाय और सरकारी सहायताप्राप्त स्कूलों की प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ रहे छात्रों के पोषणिक स्तर को प्रभावित करने के उद्देश्य से अगस्त, 1995 में शुरू किया गया था। अक्तूबर, 2002 में इस कार्यक्रम का विस्तार ईजीएस तथा अन्य वैकल्पिक आध्यात्मिक केन्द्रों में पढ़ने वाले बच्चों तक कर दिया गया। इस कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय सहायता भारतीय खाद्य निगम द्वारा इस रूप में उपलब्ध हैः प्रति स्कूल दिवस प्रति बच्चा 100 ग्राम खाद्यान्न (गेहूं या चावल) जहां पकाया हुआ/प्रसंस्कृत भोजन मुहैय्या कराया जाता है और प्रति माह प्रति छात्र 3 किलोग्राम खाद्यान्न (बशर्ते कि न्यूनतम उपस्थिति 80 प्रतिशत हो) जहां खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। पके-पकाए खाने के उपलब्ध कराए जाने के संबंध में 2001 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के वाद राज्यों में पके-पकाए/प्रसंस्कृत खाने की सेवा में सुधार हुआ है। संप्रति 29 राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के भीतर अंशतः अथवा पूर्णतः पका-पकाया/प्रसंस्कृत भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। जबकि 14 राज्य 5 संघ शासित क्षेत्र सभी पात्र बच्चों को पका-पकाया भोजन उपलब्ध करा रहे हैं, यह कार्यक्रम बिहार (2579 स्कूल), मेघालय (12 जिले), उडीसा (157 आदिवासी ब्लॉक), पंजाब (17 ब्लॉक), पश्चिम बंगाल (1900 स्कूल) तथा दिल्ली (1924) में आंशिक रूप से लागू किया जा रहा है। 2003-04 में इस कार्यक्रम के अधीन कुल मिलाकर 10.56 करोड़ बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं जिनमें से लगभग 5.74 करोड़ बच्चे पका-पकाया भोजन तथा शेष खाद्यान्न प्राप्त कर रहे हैं।

वर्ष 2004-05 से योजना आयोग की प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (पीएमजीवाई) के अधीन 15 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता ग्रामीण स्कूलों में मध्याह्न भोजन के पकाने की लागत के लिए निर्धारित की गई है। इससे राज्य सरकारों को ग्रामीण प्राथमिक स्कूलों में पका-पकाया भोजन उपलब्ध कराने में और अधिक सहायता मिलेगी।

प्रौढ़ शिक्षा

एक सामाजिक रूप से जागरूक और साक्षर समाज की लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। निरक्षरता का उन्मूलन स्वतंत्रता के बाद से भारत सरकार की एक प्रमुख राष्ट्रीय



चिंता रही है। राष्ट्र-निर्माण के लिए साक्षर समाज की आवश्यकता को एक महत्वपूर्ण इन्पुट माना गया था। प्रौढ़ो के बीच निरक्षरता के उन्मूलन के लिए स्तंत्रता के बाद शुरू किए गए अनेक महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के वावजूद यह पहला मौका है जबकि 2001 की जनगणना में साक्षरों की वास्तविक संख्या निरक्षरों की संख्या से बढ़ गई है। साक्षरता के क्षेत्र में लैंगिक विषमता और क्षेत्रीय विषमता अभी भी बनी हुई है।

साक्षरता में वृद्धि

2001 में साक्षरता की दर 65.38 प्रतिशत दर्ज की गई है जबकि 1991 में इस आशय की प्रतिशत 52.21 थी। साक्षरता दर में इस दौरान हुई 13.17 प्रतिशत बिंदुओं की वृद्धि किसी भी दशक में हुई अधिकतम वृद्धि है। निरक्षरों की वास्तविक संख्या जो 1991 में 328.88 मिलियन थी वह 2001 में घटकर 296 मिलियन रह गई। इसके साथ-साथ लैंगिक विषमता का अनुपात जो कि 1991 में 24.84 प्रतिशत था वह 2001 में घटकर 21.70 प्रतिशत रह गया क्योंकि महिला साक्षरता दर में 14.8 प्रतिशत बिंदुओं की वृद्धि हुई थी। महिला साक्षरता दर



39.3 प्रतिशत से बढ़कर 54.16 प्रतिशत हो गई थी जबकि पुरुष साक्षरता दर में मात्र 11.72 प्रतिशत बिन्दुओं की वृद्धि हुई थी अर्थात् वह 64.1 प्रतिशत से बढ़कर 75 प्रतिशित हो गई थी। इसके अलावा, शहरी-ग्रामीण साक्षरता दर के बीच के अंतर में भी इस अवधि के दौरान गिरावट आई।

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन (एनएलएम) की स्थापना मई, 1998 में इस उद्देश्य से की गई थी कि पिछले कार्यक्रमों की शक्तियों और दुर्बलताओं का एक तटस्थ जायजा लिया जाए ताकि नियत लक्ष्यों, सुस्पष्ट समय-सीमा और आयु-विशिष्ट लक्षित समूहों सहित इन कार्यकमों को तात्कालिकता, गंभीरता और बल के रूप में नया अर्थ् प्रदान किया जाए। बल केवल छात्रों के दाखिले पर नहीं बल्कि साक्षरता, संख्यात्मक ज्ञान, कार्यकरण तथा जागरूकता के कतिपय पूर्वनिर्धारित मानदंडों और प्राचलों की पूर्ति और साथ ही साक्षरतोत्तर और बड़े पैमाने पर अविच्छिन्न शिक्षा के संस्थायन पर दिया गया।

एलएलएम का लक्ष्य यह है कि 15-35 वर्ष के आयु वर्ग, जो कि उत्पादनशील और प्रजनन आयु वर्ग है तथा कार्यबल का एक बड़ा हिस्सा है, के निरक्षरों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करने 2007 तक पूर्ण साक्षरता अर्थात् 75 प्रतिशत का एक संधारणीय स्तर प्राप्त कर लिया जाएगा। इस आयु वर्ग के अलावा, जो लोग इस आयु-सीमा से बाहर हैं, उन्हें भी विशेष रूप से 9-14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को, जो शिक्षा में छोड़ने वाले भी हैं इस कार्यक्रम से बाहर नहीं रखा गया है। कार्यसाधक साक्षरता में पठन, लेखन और बोध सहित संख्यात्मक ज्ञान के अलावा, राष्ट्रीय एकता, पर्यावरण के संरक्षण, महिलाओं की समानता, छोटे परिवार के मानदंडों का अनुपालन आदि जैसे मूल्यों की स्थापना करना भी शामिल है। एलएलएम में यथावर्णित साक्षरता अपने आप में एक साध्य नहीं है, बल्कि इन सामाजिक लक्ष्यों की पूर्ति और एक अधिगमशील समाज का निर्माण सुनिश्चित करते हुए बदलाव लाने का एक सक्रिय और सक्षम साधन भी है। कार्यात्मक साक्षरता की उपलब्धि के फलस्वरूप अधिकारिता तथा जीवन स्तर मेमं एक निश्चित सुधार देखने को मिलता है।

एनएमएल के अधीन संशोधित प्राचल और योजनाओं की आर्थिक सहायता के संवर्धित मानदंडों के कार्यान्वयन का विस्तार भी दसवीं योजना के दौरान किया गया है। संशोधित योजनाओं की प्रमुख विशेषताओं में साक्षरता और साक्षरतोत्तर चरणों की सभी विशेषताओं को शामिल करते हुए साक्षरता के प्रति एक एकीकृत दृष्टिकोण शामिल है। जिला साक्षरता समितियों

(जिला साक्षरता सोसायटियों) को साक्षरता कार्यक्रमों पर निगाह रखने और स्थानीय युवा क्लबों, महिला मंडलों, स्वैच्छिक एजेंसियों, पंचायती राज संस्थानों, लघु उद्योगों, सहकारी समितियों आदि साथ मिलकर ऐसे कार्यक्रम चलाने की छूट रहेगी। अविच्छिन्न शिक्षा की योजना को जिसमें अवशिष्ट निरक्षरता का उन्मूलन व्यक्तिगत रुचि कार्यक्रम, कौशल विकास, ग्रामीण पुस्तकालय आदि शामिल हैं, समुचित प्राथमिकता दी गई है। राज्य संसाधन केन्द्र और जन शिक्षण संस्थान अपने-अपने कार्य क्षेत्र में अविच्छिन्न शिक्षा की योजना को शैक्षणिक और तकनीकी संसाधन सहायता प्रदान करेंगे। क्योंकि राज्य संसाधन केन्द्रों और एलजीओ ने एलएलएम के लक्ष्यों को बढ़ावा देने के निमित्त अपने क्रियाकलापों की भूमिका विस्तारित कर दी है, अतः उनका सुदृढ़ीकरण किया जाता रहा है। इसी प्रकार क्योंकि जेएसएस ने ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच कर और जिले में व्यावसायिक/कौशल विकास के भंडारों के रूप में काम करके अपने क्रियाकलापों का विस्तार किया है, इसलिए उनके सुदृढ़ीकरण का काम भी जारी रखा गया है। राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरणों को वित्तीय और प्रशासनिक अधिकारों का प्रत्यायोजन कर दिया गया है। इन सुधारों के बाद मिशन पिछले वर्षों की उपलब्धियों का समेकन कर सकेगा और साक्षरता आंदोलन की गति में तेजी ला सकेगा।

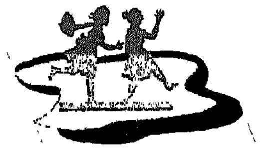
समग्र साक्षरता अभियान निरक्षरता के उन्मूलन के लिए एनएलएम की प्रमुख कार्यनीति है। टीएलसी की कुछ ऐसी सकारात्मक विशेषताएं हैं जो उन्हें अनूठा तथा अन्य सरकारी कार्यक्रमों से अलग पहचान दिलाती है। ये अभियान क्षेत्र-विशिष्ट समयबद्ध सहभागितापूर्ण, लागत-प्रभावी और परिणामोन्मुखी हैं। ये कार्यक्रम जिला साक्षरता समितियों, जिला स्तरीय साक्षरता समितियों द्वारा जो कि स्वतंत्र और स्वायत्त निकाय होती हैं और जिनमें समाज के सभी वर्गों का समुचित प्रतिनिधित्व होता है कार्यान्वित किए जाते हैं। साक्षरता के प्रति अभियान दृष्टिकोण की विशेषता, बहुमुखी संचार कार्यनीति के माध्यम से बड़े पैमाने पर अभिप्रेरण के रूप में होती है। ग्रासरूट स्तर पर किया गया सर्वेक्षण भी आयोजना, अभिप्रेरण और वातावरण निर्माण के एक साधन का काम करता है। अभियान में प्रबंध सूचना प्रणाली सहभागिता और संशोधनों के दोहरे सिद्धांतों पर आधारित होती है। टीएलसी कार्यसाधक साक्षरता प्रदान करने के साथ-साथ बच्चों का स्कूलों में दाखिला और उन्हें शिक्षा में बनाए रखना, प्रतिरक्षण, छोटे परिवार के मानदंडों का प्रसार, महिलाओं की समानता और उन्हें सामर्थ्यवान बनाना, शांति और सामुदायिक सौहार्द्र जैसे सामाजिक दृष्टि से प्रासंगिक संदेशों की एक 'टोकरी', का भी प्रसार करता है। इन साक्षरता अभियानों ने प्राथमिक शिक्षा के लिए एक मांग पैदा की जो कि स्कूलों में तेजी से बढ़ रहे नामांकन अनुपात में परिलक्षित होती है। फलतः 15-35 आयु वर्ग में प्रवेश करने वाले निरक्षरों की संख्या घटती जा रही है। अतः इस स्थिति में यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि नवसाक्षर पुनः निरक्षरों की श्रेणी में शामिल न हो जाएं और वे व्यावसायिक कौशल अर्जित करें।

लाखों व्यक्तियों द्वारा प्राप्त सर्वोत्तम बुनियादी साक्षरता कौशल अपने सर्वोत्तम रूप में दुर्वल होते हैं। जब तक नवसाक्षरों के साक्षरता स्तरों के समेकन, संधारण और संभवतः सवंर्धन की दिशा में विशेष प्रयास जारी नहीं रखे जाते तो उनके पुनः आंशिक अथवा पूर्ण निरक्षरता की स्थिति में पहुंचने की काफी संभावना रहती है। बुनियादी साक्षरता प्रदान करने के पहले चरण और समेकन, उपचार तथा कौशलोन्नयन के दूसरे चरण को अब तक एकीकृत परियोजना के रूप में समझा जा रहा है ताकि सांतत्य, प्रभाविता और अभिसरण प्राप्त करने के निमित्त एक अवस्था से दूसरी अवस्था में सुचारु अंतरण सुनिश्चित हो सके। एनएलएम का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि टीएलसी और साक्षरतोत्तर कार्यक्रम सफलतापूर्वक अविच्छिन्न शिक्षा का रूप धारण कर लें जोकि जीवनपर्यन्त शिक्षा प्रदान करता है।

2001 की जनगणना के अनुसार जिलों 45 जिलों में महिला साक्षरता दर 30 प्रतिशत से कम है वे बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश तथा उड़ीसा में संकेन्द्रित हैं। इन क्षेत्रों में महिला साक्षरता के उन्नयन के लिए विशेष नवाचारी परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं।

क्योंकि यह समस्या बिहार और उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गंभीर है इसलिए उत्तर प्रदेश के न्यून महिला साक्षरता वाले आठ जिलों को त्वरित महिला साक्षरता कार्यक्रम जिसे लगभग 96 एनजीओ के नेटवर्क के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है, के अधीन लाया जा रहा है। इसी प्रकार की परियोजनाएं अन्य राज्यों में भी चलाई जा रही हैं।

पिछले दशकों के दौरान साक्षरता दरों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई हैं। साक्षरता दर 1951 में मात्र 18.33 प्रतिशत जो कि 1991 में बढ़कर 52.21 प्रतिशत तक तथा 2001 में और अधिक बढ़कर 65.30 प्रतिशत तक पहुंच गई। भारत की 2001 की जनगणना के अनुरूप साक्षरता दर पुरुषों के मामले में 75.85 प्रतिशत तक और महिलाओं के मामले में 54.16 प्रतिशत तक पहुंच गई है। यह पहला मौका है जबकि जनसंख्या में वृद्धि के बावजूद निरक्षरों की संख्या में वस्तुतः 31.9 मिलियन की गिरावट आई है। दूसरी तरफ साक्षरों की संख्या में पिछले दशक



महिला सामाख्या

महिला सामाख्या कार्यक्रम इस प्रकार तैयार किया गया था कि अधिगम के लिए वातावरण तैयार करके हाशिए पर पड़ी ग्रामीण महिलाओं को शिक्षा के लिए प्रेरित और संगठित किया जाए। यह कार्यक्रम 1989 में शत-प्रतिशत डच सहायताप्राप्त परियोजना के रूप में शुरू किया गया था और बाद में जिला प्राथमिक कार्यक्रम के अधीन वित्तपोषण सहित इसका विस्तार कुछ राज्यों में कर दिया गया। वर्ष 2003-2004 से महिला सामाख्या का वित्तपोषण भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है और आज की स्थिति में इसका विस्तार 9 राज्यों - आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, केरल, उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल के 56 जिलों में 11,000 गाँवों तक है।

में महिला साक्षरता दर में उच्चतर वृद्धि हुई है अर्थात् पुरुषों की 11.72 की तुलना में 14.87 प्रतिशत बिंदुओं की वृद्धि हुई है और इस प्रकार साक्षरता दरों में जहां पुरुष-महिला विभेदक 1991 में 24.84 था वह 2001 में घटकर 21.7 रह गया। सभी राज्यों ने साक्षरता दरों में वृद्धि दर्ज की है और 60 प्रतिशत साक्षरता तो निरपवाद रूप से प्राप्त कर ली गई है। तो भी राज्य के बीच और राज्यों के बीच विषमताएं बनी हुई हैं, हालांकि पिछले वर्षों के दौरान शैक्षिक दृष्टि से उन्नत और पिछड़े राज्यों के बीच का अंतर कम होता जा रहा है।

यद्यपि समग्र साक्षरता अभियान ने एक जन आंदोलन का रूप ले लिया और सारे देश में उसका विस्तार हो गया फिर भी अनेक मामलों में प्राकृतिक आपदाओं को राजनैतिक इच्छाशक्ति की कमी आदि के कारण कई अभियान अवरुद्ध हो गए। साक्षरता के चरण की सफलता के बावजूद अभी भी अवशिष्ट और न्यून महिला साक्षरता वाली बस्तियाँ बनी हुई हैं। अतः ऐसे जिलों को शामिल करने को प्राथमिकता दी जाती रहेगी जो अभी तक शामिल नहीं किए गए, जिनमें गत्यावरोध की स्थिति बनी हुई है और जिनमें महिला साक्षरता दर 30% से कम है।

अवशिष्ट निरक्षरता वाली बस्तियों सहित क्षेत्रीय विषमताओं और उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, छत्तीसगढ़ के अलावा पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम जैसे न्यून साक्षरता जिलों की ओर अधिक ध्यान दिया जाता रहा है।

अविच्छिन्न शिक्षा योजना देश में समग्र साक्षरता और साक्षरतोत्तर कार्यक्रमों के प्रयासों को एक अधिगम सांतत्य प्रदान करती है। मुख्य बल इस बात पर रहता है कि अविच्छिन्न शिक्षा केन्द्रों (सीईसी) की स्थापना करके, जोकि बुनियादी साक्षरता के लिए क्षेत्र-विशिष्ट आवश्यकता-आधारित अवसर, साक्षरता कौशलों का उन्नयन, वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रमों और व्यावसायिक कौशलों की प्रगति उपलब्ध कराते हैं और साथ ही सामाजिक तथा व्यावसायिक उन्नति को बढ़ावा देते हैं। नवसाक्षरों को और अधिक अधिगम अवसर सुलभ कराए जाएं। यह योजना और भी कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम हाथ में लेती है जैसे कि मौजूदा औपचारिक, सामान्य अथवा व्यावसायिक शिक्षा के समकक्ष एक वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम के रूप में तैयार किया गया। समकक्षता कार्यक्रम, आयसृजक कार्यक्रम जिनके जरिए सहभागियों के लिए कौशल अर्जित करना अथवा अपने कौशलों का उन्नयन करना तथा आयसृजक क्रियाकलापों में प्रवृत्त होना सुकर हो जाता है, जीवन स्तर सुधार कार्यक्रम, जिनके माध्यम से छात्रों और समाज को अनिवार्य ज्ञान, प्रवृत्ति, मूल्य और अपने जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए कौशलोन्नयन से सुसज्जित किया जाता है तथा व्यक्तिगत रुचि संवर्धन कार्यक्रम जो कि छात्रों को उनके द्वारा व्यक्तिगत रूप से चुनी गई सामाजिक, स्वास्थ्य, भौतिक, सांस्कृतिक और कलात्मक रुचियों में भाग लेने और उनकी बाबत सीखने का अवसर सुलभ कराते हैं।

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन (एनएलएम) अपने लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में एनजीओ की विशाल क्षमता को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं और उसने एनजीओ के साथ अपनी भागीदारी सुदृढ़ करने के लिए उपाय किए हैं और उसने उन्हें साक्षरता आंदोलन में एक सक्रिय प्रोन्नयन भूमिका सौंपी है। एनजीओ, साक्षरता प्रदान करने के अलावा, प्रायोगिक और नवाचारी कार्यक्रमों के जरिए शैक्षणिक और तकनीकी संसाधन सहयोग प्रदान करते हैं, मूल्यांकन और प्रभाव अध्ययन करते हैं और कार्यशालाओं, संगोष्ठियों आदि का आयोजन करते हैं।

एनजीओ द्वारा प्रबंधित राज्य संसाधन केन्द्र (एसआरसी) प्रशिक्षण सामग्री निर्माण, विस्तार कार्यकलापों, नवाचारी परियोजनाओं, अनुसंधान अध्ययनों तथा मूल्यांकन आदि के रूप में शैक्षणिक

और तकनीकी संसाधन सहयोग प्रदान करते हैं। संप्रति, 26 एसआरसी हैं।

जन शिक्षण संसाधन का उद्देश्य शहरी/ग्रामीण जनसंख्या के सामाजिक दृष्टि से पिछड़े और शैक्षिक दृष्टि से सुविधावंचित वर्गों, विशेष रूप से नवसाक्षरों, अर्द्ध-साक्षरों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लोगों, महिलाओं और लड़कियों, मलिन बस्तियों में रहने वाले, प्रवासी श्रमिकों आदि का शैक्षिक, व्यावसायिक और वृत्तिपरक विकास करना है। संप्रति देश में 140 जेएसएस हैं और भविष्य में इस संख्या में और वृद्धि होगी। जेएसएस विभिन्न अवधियों के तरह-तरह के कौशलों के अनेक व्यावसायिक कार्यक्रम चलाते हैं। संप्रति, इन संस्थानों द्वारा 250 से अधिक कोटियों के पाठ्यक्रमों और क्रियाकलापों की पेशकश की जाती है। प्रतिवर्ष लगभग 2 लाख व्यक्तियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जिनमें से 75 प्रतिशत से अधिक महिलाएं होती हैं।

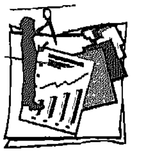
केन्द्रीय प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय जो कि एक अधीनस्थ कार्यालय है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को शैक्षणिक और तकनीकी सहयोग प्रदान करता है। यह निदेशालय संसाधन सहयोग विशेष रूप से आदर्श शिक्षण/अधिगम सामग्री/मीडिया साफ्टवेयर के लक्ष्यों को बढ़ावा देने के लिए सभी प्रकार के मीडिया का लाभ उठाने के एक नेटवर्क के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। साक्षरता कार्यक्रमों तथा एसआरसी और जेएसएस द्वारा संचालित कार्यक्रमों का अनुश्रवण भी डीएई का एक महत्वपूर्ण कार्य है।

किसी भी प्रणाली की क्षमताओं और दुर्बलता का पता लगाने के लिए अनुश्रवण और मूल्यांकन अनिवार्य प्रबंध साधन होते हैं। एनएलएम ने इसका महत्व स्वीकार किया है और उन्हें कार्यरूप दिया है। क्रियाविधियाँ इस तरह तैयार की गई हैं कि प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों के लक्ष्य परिचालनात्मक दृष्टि से अधिक यथार्थपूर्ण बनाए जाएं। अनुश्रवण केवल यही नहीं कि आर्थिक अथवा कार्यक्रम की लेखा-परीक्षा के लिए अनिवार्य जानकारी प्रदान करते हैं बल्कि वे पारदर्शिता भी प्रदान करते हैं जिससे कि सामाजिक लेखा-परीक्षा की व्यापक प्रक्रिया के जरिए जनमानस के प्रति जवाबदेही प्राप्त की जा सके। इस तरह की जानकारी क्षेत्रीय कार्मिकों के लिए और नीति निर्माण में निर्णय लेने वालों के लिए उपयोग फीडबैक होती है।

सामाजिक प्रभाव

साक्षरता अभियानों से अभिप्रेरित नाटकीय सामाजिक अभिप्रेरण का विशेष रूप से महिलाओं की अधिकारिता, स्वास्थ्य और

एनएलएम की उपलब्धियाँ



- 2001 में साक्षरता दर 65.38 प्रतिशत दर्ज की गई है जबकि 1991 में इस आशय का प्रतिशत 52.21 था। साक्षरता दर में 13.17 प्रतिशत बिंदु वृद्धि किसी एक दशक में हुई उच्चतम वृद्धि है।
- 31 मार्च, 2003 की स्थिति के अनुसार 108.42 मिलियन व्यक्ति साक्षर वनाए गए।
- वृद्धि की दर शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में उच्चतर है।
- पुरुष-महिला साक्षरता दर का अंतर जो 1991 में 24.84 प्रतिशत था वह 2001 में घटकर 21.70 रह गया है।
- पिछले दशक के दौरान महिला साक्षरता दर में 14.87 प्रतिशत की वृद्धि हुई है अर्थात् वह 39.29 प्रतिशत से बढ़ कर 54.16 प्रतिशत हो गई है जबकि पुरुष साक्षरता दर में 11.72 प्रतिशत की वृद्धि हुई है अर्थात् वह 64.13 से बढ़ कर 75.85 प्रतिशत हो गई है।
- लैंगिक समानता और महिलाओं की अधिकारिता भी इस प्रकार साफ दिखाई देती है कि 60 प्रतिशत सहभागी और लाभग्राही महिलाएं हैं।
- 1991-2001 के दौरान 7+ आयु वर्ग की जनसंख्या में 171.6 मिलियन की वृद्धि हुई जबकि 203.6 मिलियन अतिरिक्त व्यक्ति साक्षर बन गए।
- बिना अपवाद के सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों ने 1991-2001 के दौरान साक्षरता दरों में वृद्धि का परिचय दिया है।
- सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में पुरुष साक्षरता दर अब 60 प्रतिशत से ऊंची है। केरल में अभी भी 90.92 प्रतिशत की उच्चतम साक्षरता दर और बिहार में 47.53 प्रतिशत की निम्नतम साक्षरता दर बनी हुई है।
- निरक्षरों की वास्तविक संख्या जो कि 1991 में 328.88 मिलियन थी वह 2001 में घटकर 296 मिलियन रह गई है।

एनएलएम द्वारा साक्षरता कार्यक्रम के अधीन देश के कुल 660 जिलों में से 596 जिले शामिल किए गए हैं।



जनसंख्या स्थिरीकरण के साथ पर्यावरणात्मक जागरूकता जैसे अन्य सामाजिक क्षेत्रों पर भी बहुत प्रभाव पड़ा। पंचायती राज संस्थानों द्वारा एक प्रभावी सामाजिक कार्रवाई का ढांचा उपलब्ध कराया गया है। समाज में विशेष रूप से सुविधावंचित समूह में जागरूकता प्रोत्साहित करने से प्रजातांत्रिक भागीदारी समृद्ध हुई है। इन अभियानों से समाज में समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने और एक वैज्ञानिक स्वभाव तथा भारत की महान मिश्रित संस्कृति के प्रति अपनेपन की भावना और अनेकता में एकता के एहसास को बढ़ावा देने में मदद मिली है।

मौजूदा स्थिति

देश के 600 जिलों में से 596 जिलों पहले ही प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों के अधीन किए जा चुके हैं : 159 समग्र साक्षरता अभियानों के अधीन 198 साक्षरतोत्तर कार्यक्रम के अधीन और 239 अविच्छिन्न शिक्षा कार्यक्रम के अधीन। मौजूदा स्थिति के अनुसार विभिन्न राज्यों में कार्यरत 26 राज्य संसाधन केन्द्र है। संप्रति, देश में 140 जन शिक्षण संस्थान हैं और इस संख्या में भविष्य में वृद्धि हानी है। 31 मार्च, 2003 को लगभग 108.42 मिलियन व्यक्तियों को साक्षर बनाया जा चुका है। लगभग 60 प्रतिशत लाभग्राही महिलाएं हैं जबकि 22 प्रतिशत और 12 प्रतिशत क्रमशः अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लोग हैं।

माध्यमिक शिक्षा

आलोच्य वर्ष में माध्यमिक शिक्षा क्षेत्र में विभिन्न स्कीमें तथा संस्थानगत कार्यक्रम स्कूली शिक्षा पाठ्यचर्या रूपरेखा-2000 के प्रकाश में कार्यान्वित किए जाते रहे हैं। सर्वशिक्षा अभियान, व्यावसायिक शिक्षा, सुविधाविहिन वर्गों की शिक्षा, पाठ्यपुस्तकों का निर्माण और परीक्षा सुधार एनसीईआरटी के प्राथमिक क्षेत्र बने रहे।

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के शैक्षणिक क्रियाकलापों की मात्रा और कोटि में पर्याप्त वृद्धि हुई है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहार वाजपेयी ने 29 जुलाई, 2003 को विज्ञान भवन में सीबीएसई के 75वें-वर्ष समारोह का उद्घाटन किया। इस अवसर पर सीबीएसई के शिक्षा सदन नामक नए भवन, बोर्ड के शैक्षणिक स्कंध और साथ ही सीबीएसई के शिक्षा नेट नामक इन्फोहाइवे नेटवर्क का उद्घाटन भी हुआ। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निदेशों के अनुसार सीबीएसई ने 27 अप्रैल, 2003 को 16वीं अखिल भारतीय प्री-मेडिकल/प्री-डेंटल परीक्षा 2001 आयोजित की। साथ ही सीबीएसई ने 1.5.2003 को दूसरी अखिल भारतीय इंजीनियरी/वास्तुकला/फार्मेसी प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया।

राष्ट्रीय मुक्त स्कूल संस्थान (एनआईओएस) नामक स्वायत्त संगठन में इस समय 3.40 लाख छात्र दाखिल हैं और इस प्रकार यह संस्थान विश्व का विशालतम मुक्त स्कूल तंत्र बन गया है। एनआईओएस ने चुनिन्दा केन्द्रों में इच्छानुसार परीक्षा प्रणाली (ओंडीईएस) शुरू कर दी है। इस स्कीम के अधीन कोई भी छात्र किसी भी दिन एनआईओएस के किसी भी एक अभिज्ञात परीक्षा केन्द्र में जा सकता है और किसी भी विषय में परीक्षा में बैठ सकता है। वर्ष के दौरान एनआईओएस का पुनर्विन्यास किया गया जिससे कि वह छात्रों के प्रति अधिक प्रभावी और जवाबदेह बन सके। छात्रों की संचयी संख्या बारह लाख का आँकड़ा पार कर चुकी है।

केन्द्रीय विद्यालयों (केवीसी) का उद्देश्य केन्द्र सरकार के कर्मचारियों और रक्षा कर्मचारियों - जिनका अक्सर स्थानांतरण होता रहता है उनके बच्चों को अविच्छिन्न शिक्षा प्रदान करना (31 मार्च, 2003 की स्थिति के अनुरूप) 902 केन्द्रीय विद्यालयों में 7.26 लाख छात्र दाखिल हैं। केन्द्रीय विद्यालयों में बोर्ड की परीक्षाओं में क्रमिक सुधार का परिचय दिया है, जिसकी जानकारी इस बात से मिलती है कि 1999-2003 की अवधि के दौरान पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत 10वीं कक्षा में 77.9 प्रतिशत से बढ़कर 84.69 प्रतिशत और 12वीं कक्षा में 83.1 प्रतिशत से बढ़कर 82.67 प्रतिशत हो गया है।

जवाहर नवोदय विद्यालयों (जेएनवी) का उद्देश्य गावों के प्रतिभावान बच्चों को उनके परिवार की समाजार्थिक स्थिति की ओर ध्यान दिए बिना सांस्कृतिक मूल्य, पर्यावरणीय जागरूकता और शारीरिक शिक्षा सहित उत्तर स्तर की आधुनिक शिक्षा प्रदान करना है।

जेएनवी स्कीम के अधीन विभिन्न राज्यों संघ शासित क्षेत्रों में 503 स्कूल खुले हुए हैं।

1974 में शुरू की गई आईईडीसी की स्कीम में राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों और एनजीओ के लिए शतप्रतिशत वित्तपोषण का प्रावधान है। यह स्कीम शीघ्र ही संशोधित की जाने वाली है। समानता सहित सुलभता की स्कीम के अधीन (एनजीओ द्वारा प्रबंधित लड़कियों के छात्रावासों की मौजूदा स्कीम तथा माध्यमिक स्कूल खोलने के लिए विख्यात एनजीओ, न्यासों, सोसायटियों तथा राज्य सरकारों आदि को एकबारगी सहायता प्रदान) दिए जाने का प्रस्ताव है। स्कूलों में कंप्यूटर ज्ञान और अध्ययन (क्लास) तथा शैक्षिक प्रौद्योगिकी इन दो स्कीमों का विलयन कर दिया गया है जिससे कि इन स्कीमों के अधीन आने वाले क्रियाकलापों की प्रभाविता में वृद्धि की जा सके। इस स्कीम को अंतिम मंजूरी मिलने वाली है। दसवीं योजना के लिए पांच स्कीमें (स्कूली शिक्षा का पर्यावरणात्मक दिशा अनुकूलन, स्कूलों में विज्ञान शिक्षा में सुधार, राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना, स्कूलों में योग को बढ़ावा, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान ओलमप्याड) को स्कूलों में गुणवत्तात्मक सुधार नामक एक संयुक्त स्कीम में मिला दिया गया है जिसके लिए 110 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा

आलोच्य वर्ष के दौरान, उच्चतर शिक्षा में क्रियाकलापों का मुख्य बल इन क्षेत्रों पर रहा:

- उच्चतर शिक्षा प्रणाली की उन्नति।
- विश्वविद्यालयों और कालेजों का सामान्य विकास।
- सुलभता और समानता का संवर्धन।
- गुणवत्ता और उत्कृष्टता के संवर्धन के लिए कार्यक्रम।
- विभिन्न प्रकार की विकलांगताओं के व्यक्तियों के लिए कार्यक्रम।
- अनुसंधान का सुदृढ़ीकरण।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), जिसकी स्थापना 1953 में उच्चतर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए क्रियाकलापों का समन्वय करने के उद्देश्य से की गई थी, उसने ऊपर बताए गए उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अनेक योजनाएं कार्यान्वित की। इन योजनाओं में विश्वविद्यालयों और कालेजों का प्रत्यायन, उत्कृष्टता के विश्वविद्यालयों की प्रोन्नति, क्षेत्रीय अध्ययन केन्द्रों की प्रोन्नति, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के विशेष सैलों की स्थापना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आधारिक तंत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए सहायता, अंतःविश्वविद्यालयी केन्द्रों की स्थापना, देश में और विदेशों में आयोजित संगोष्ठियों और सम्मेलनों में भाग लेना तथा विश्वविद्यालयों में कंप्यूटर केन्द्रों की स्थापना। यूजीसी ने 16 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अनुरक्षण और विकास अनुदान भी आबंटित किए हैं।



राष्ट्रीय मुक्त स्कूल सस्थान (एनआईओएस) नामक स्वायत्त संगठन में इस समय 3.40 लाख छात्र दाखिल हैं और इस प्रकार यह संस्थान विश्व का विशालतम मुक्त स्कूल तंत्र बन गया है । एनआईओएस ने चुनिन्दा केन्द्रों में इच्छानुसार परीक्षा प्रणाली (ओंडीईएस) शुरू कर दी है। इस स्कीम के अधीन कोई भी छात्र किसी भी दिन एनआईओएस के किसी भी एक अभिज्ञात परीक्षा केन्द्र में जा सकता है और किसी भी विषय में परीक्षा में बैठ सकता है ।

1985 में स्थापित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय (इग्नू) ने देश में मुक्त विश्वविद्यालय और दूरस्थ शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा दिया। इसने जनसंख्या के विशाल वर्गों को अवसर उपलब्ध कराके उच्चतर शिक्षा की सुलभता का विस्तार किया। इग्नू ने एकीकृत मल्टीमीडिया अनुदेशन कार्यनीति अपनाई। ज्ञानदर्शन नामक एक शैक्षिक टी.वी. चैनल और ज्ञानवाणी नामक एक एफ.एम. रेडियो चैनल के कारण इग्नू के विस्तार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इग्नू ने ऐसे कार्यक्रम विकसित और आयोजित करने के लिए, जो सामाजिक दृष्टि से प्रासंगिक हों और रोजगारोन्मुखी हों, एक महिला शिक्षा यूनिट की स्थापना की है।

मौजूदा वर्ष में चिकित्सीय शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, और प्रबंध जैसे बहुविध क्षेत्रों से संबंधित 8 संस्थानों को सम विश्वविद्यालयों का दर्जा प्रदान किया गया है।



भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएसएसआर) भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद (आईसीएचआर), भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान (आईआईएएस), भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद (एनसीआरआई) जैसी अनुसंधान परिषदों ने उल्लेखनीय योगदान दिया है। विश्वविद्यालय प्रणाली से बाहर रहकर काम करने वाली इन अनुसंधान परिषदों ने सामाजिक विज्ञान, इतिहास, दर्शनशास्त्र और अंतःविषयक्षेत्रीय क्षेत्रों में अनुसंधान और सृजनात्मकता को बढ़ावा दिया।

यूनाइटेड स्टेट्स एजूकेशनल फाउंडेशन इन इंडिया (यूएसईएफआई), शास्त्री इंडो-कनेडिया इंस्टीट्यूट (एसआईसीआई) तथा अमरीकन इंस्टीट्यूट आफ इंडियन स्टडीज जैसे संस्थानों ने विभिन्न विषयों पर अनुसंधान के लिए अध्येतावृत्तियों की पेशकश करके द्विपक्षीय शैक्षिक संबंधों को बढ़ावा दिया।

तकनीकी शिक्षा

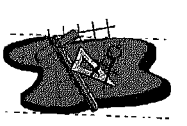
देश में तकनीकी शिक्षा प्रणाली के अधीन इंजीनियरी, प्रौद्योगिकी, प्रबंध, वास्तुकला, नगर आयोजना, फार्मेसी, अनुप्रयुक्त कलाएं और शिल्प में पाठ्यक्रम और कार्यक्रम शामिल रहते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय स्नातक पूर्व, स्नातकोत्तर और शोध स्तरों पर कार्यक्रमों की देखभाल करता है।

केन्द्रीय स्तर पर तकनीकी शिक्षा प्रणाली में ये शामिल हैं : अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) जो कि तकनीकी शिक्षा प्रणाली की समुचित आयोजना और समन्वित विकास के लिए एक सांविधिक निकाय है, सात भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) जो कि राष्ट्रीय महत्व के संस्थान हैं, छः भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम), पांच सम-विश्वविद्यालय अर्थात् भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) बंगलौर, भारतीय खान स्कूल (आईएसएम), धनबाद, आयोजना और वास्तुला स्कूल (एसपीए) नई दिल्ली, आईआईआईटीएम, ग्वालियर तथा आईआईआईटी, इलाहाबाद, 17 राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान (एनआईटी) तथा केन्द्रीय क्षेत्र में अन्य तकनीकी संस्थान, जैसेकि राष्ट्रीय फाउंडरी तथा फोर्ज टेक्नोलॉजी संस्थान (एनआईएफएफटी) रांची, राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी संस्थान (एनआईटीआईई), मुम्बई, संत लोंगोवाल इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी संस्थान (एसएलआईईटी), लोंगोवाल पूर्वोत्तर विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्रीय संस्थान (एनईआरआईएसटी), ईटानगर, चार तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान (टीटीटीआई) तथा

चार प्रशिक्षु प्रशिक्षण बोर्ड (बीओएटी)। केन्द्रीय स्तर पर अन्य स्कीमों में ये शामिल हैं: प्रशिक्षु प्रशिक्षण कार्यक्रम (छात्रवृत्तियाँ और स्टाइपेंड) तकनीकी शिक्षा के लिए विश्वविद्यालयों को सहायता; सामुदायिक पोलटेक्निक; पोलटेक्निक शिक्षा के सुधार के लिए विश्व बैंक परियोजना; भारत सरकार का तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम (टीईक्यूआईपी); विकलांग व्यक्तियों के लिए पोलिटेक्निक; व्यावसायिक और विशेष सेवाओं के लिए भुगतान; केन्द्रीय संस्थाओं तथा एनआईटी को प्रत्यक्ष केन्द्रीय सहायता, इंजीनियरी प्रयोगशालाओं और कार्यशालाओं तथा तकनीकी शिक्षा के ध्यातव्य क्षेत्रों का अनुसंधान और विकास, आधुनिकीकरण तथा अप्रचलन की समाप्ति; सूचना प्रौद्योगिकी में मानव संसाधन विकास; दूरस्थ और वेब आधारित शिक्षा को सहयोग; भूकम्प इंजीनियरी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एलपीईईई); विज्ञान और प्रौद्योगिक कंसोरटियम के लिए भारतीय नेशनल डिजिटल पुस्तकालय (आईएनडीएलएसटी); एशियाई प्रौद्योगिकी संस्थान, बैंकांक; विदेशी शिष्टमंडलों और विदेशी विशेषज्ञों पर खर्च; प्रौद्योगिकी विकास मिशन। तकनीकी शिक्षा प्रणाली में एक सरकारी क्षेत्र का उद्यम, अर्थात् एजूकेशनल कंस्लटेंटस इंडिया लि0 (एडसिल) मौजूद है।

आलोच्य वर्ष में सारे देश में मुख्यतः निजी पहल जुटाकर एआईसीटीई के अनुमोदन से बहुत बड़ी संख्या में इंजीनियरी कालेज तथा अन्य तकनीकी संस्थान खोले गए। पूर्व की भाति ही, आईआईटी, आईआईएम, आईआईएस जैसे राष्ट्रीय महत्व - उत्कृष्टता के संस्थानों और आईएसएम, एसपीए, आईआईआई-टीएम, आईआईटी, एनआईएफएफटी, एनआईटीआईई, टीटीटीआई, एनईआरआईएसटी, एसएलआईईटी, आदि जैसे अन्य केन्द्रीय संस्थानों ने तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में उच्च स्तरीय प्रशिक्षित जनशक्ति उपलब्ध कराने के लिए अनुदेशात्मक प्रशिक्षण प्रदान किया। रुड़की में आईआईटी तथा कोजीकोडे और इंदौर में स्थित नए आईआईएम पूरी तरह प्रचालनात्मक हो गए हैं।

सामुदायिक पॉलटेक्निकों की योजना ने तकनीकी शिक्षा में प्रौद्योगिकीय उन्नतियों और उपयुक्त प्रौद्योगिकियों को ग्रामीण समाज को अंतरित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। विकलांगों के लिए पॉलिटेक्निकों की स्थापना आलोच्य वर्ष में एक ऐतिहासिक घटना रही है। तकनीकी शिक्षा के ध्यातव्य क्षेत्रों के आधुनिकीकरण और अप्रचलन की समाप्ति तथा अनुसंधान और विकास की योजनाओं के अधीन बहुत सारे केन्द्रीय तकनीकी संस्थान प्रयोगशालाओं सहित और अपने आर एंड डी आधार का



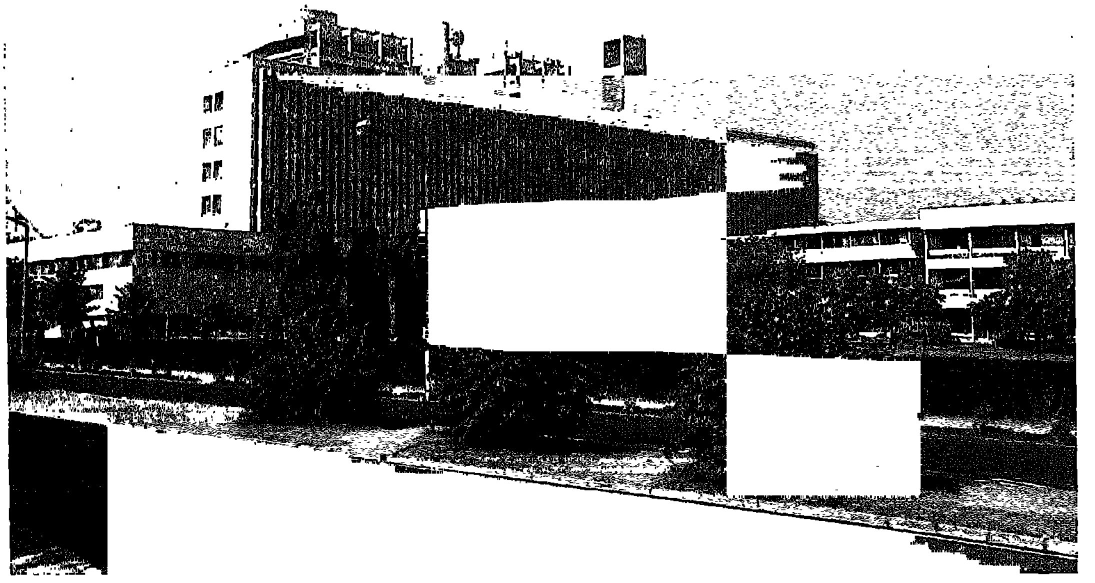
तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम (टीईक्यूआईपी) का उद्देश्य तकनीकी शिक्षा के स्तर में सुधार लाने की दिशा में भारत सरकार के पहले से चले आ रहे प्रयासों की प्रेरणात्मक वृद्धि और उन्हें सहयोग प्रदान करना है । यह कार्यक्रम केन्द्रीय समन्वित बहुराज्य दीर्घकालीन कार्यक्रम के रूप में मार्च, 2003 से लागू किया गया है ।

विकास करके अपनी आधारिक सुविधाओं के स्तरोन्नयन से लाभान्वित हुए। इंजीनियरों, तकनीशियनों तथा 10+2 व्यावसायिक धारा पास करने वालों के लिए प्रशिक्षु प्रशिक्षण योजना ने रोजगार के इच्छुक व्यक्तियों को बेहतर रोजगार अवसर प्राप्त कराने में सहायता प्रदान की। आईआईटी, आईआईएम, आईआईएससी, एनआईटी जैसे राष्ट्रीय गौरव - उत्कृष्टता के संस्थानों में उपलब्ध आधारिक सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण और समेकन पर और अधिक बल दिया गया।

देश के प्रमुख भागों में भूकम्प की उच्च संभावनाओं और भूकम्प - प्रवण ढाँचों पर कम बल दिए जाने के कारण देश में भूकम्प इंजीनियरी शिक्षा पर अधिक बल दिए जाने के निमित्त भूकम्प इंजीनियरी शिक्षा (एनपीईईई) का एक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया है।

यूजीसी ने 6 अक्तूबर 2003 से विश्वविद्यालयों का ईजरनल सहायता संघ शुरू किया। उच्च विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षा में अनुसंधान उत्पादनशीलता बढ़ाने और इन संस्थानों में शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के लिए सभी केन्द्रीय तकनीकी संस्थानों में इलेक्ट्रानिक पत्रिकाओं और डाटा बेसों की सुलभता उपलब्ध कराई जा रही है। अन्य संस्थान भी इस कंसोटोरियम से जुड़कर न्यून सीमांत लागतों को लाभ उठा सकते हैं।

नई सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों (आईसीटी) का लाभ उठाने, अधिगम प्रभाविता का संवर्धन करने तथा उच्च स्तरीय शिक्षा की सुलभता का विस्तार करने के उद्देश्य से प्रौद्योगिकी



संवर्धित अधिगम का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपी-टीईएल) शुरू किया जा रहा है। इससे प्रौद्योगिकी चैनल को डिजिटल वीडियो आधारित पाठ्यक्रमों/संवर्धन कार्यक्रमों के रूप में सतत् आधार पर अंतर्वस्तु सहयोग प्राप्त होगा। इसके अलावा, इससे समूची तकनीकी शिक्षा प्रणाली में अधिगम प्रभाविता को बढ़ाने के लिए वेब आधारित पाठ्यक्रम/कार्यक्रम निर्मित करने में भी मदद मिलेगी।

इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर शिक्षा और अनुसंधान की प्रोन्नति के लिए नीतिगत रूपरेखा प्रस्तुत की गई जिससे कि स्नातकोत्तर शिक्षा पर और इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी पर बल दिया जा सके। यूजीसी, एआईसीटीई जैसे शीर्षस्थ निकायों तथा शैक्षिक संस्थानों ने नीतिगत रूपरेखा में दी गई कार्यनीतियों के कार्यान्वयन की दिशा में उपाय किए हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के अनुसरण में तथा आईआईटी की तर्ज पर देश के सभी तकनीकी शिक्षा संस्थानों में स्नातक-पूर्व तथा स्नातकोत्तर कार्यक्रमों-दोनों में क्रेडिट आधारित समेस्टर प्रणाली शुरू की जा रही है।

आईटी और सम्बद्ध क्षेत्रों में उच्च स्तरीय जनशक्ति की उभरती मांग को पूरा करने के लिए आवश्यक उपाय किए गए हैं। इस दिशा में एक राष्ट्रीय कार्यबल की सिफारिशों के आधार पर आईटी में मानव संसाधन विकास का एक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया है। राज्य सरकारों और उद्योग की ओर से भी इसी प्रकार की पहलें की गई हैं।

व्यावसायिक संस्थान में दाखिला लेने में अनेक प्रवेश परीक्षाओं में बैठने के कारण छात्रों और उनके अभिभावकों को होने वाले मानसिक आघात को कम करने के उद्देश्य से यूजीसी ने 6 अक्तूभर 2003 से विश्वविद्योलयों का ईजरनल सहायतासंघ् शुरू किया

मंत्रालय ने विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में दाखिलों को सुचारु रूप देने के लिए अनुदेश जारी किए। तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम (टीईक्यूआईपी) का उद्देश्य तकनीकी शिक्षा के स्तर में सुधार लाने की दिशा में भारत सरकार के पहले से चले आ रहे प्रयासों की परिणात्मक वृद्धि और उन्हें सहयोग प्रदान करना है। यह कार्यक्रम केन्द्रीय समन्वित बहुराज्य दीर्घकालीन कार्यक्रम के रूप में मार्च, 2003 से लागू किया गया है। उत्तम निष्पादन करने वाले संस्थानों के चयन के दो से तीन चक्रों में परस्परव्यापी चरण होंगे। पहले चक्र के चरण के लिए हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश - इन छः राज्यों को कार्यक्रम में शामिल होने के लिए चुना गया है। पहले चरण के दौरान 18 शीर्ष संस्थाओं सहित 70 से 80 इंजीनियरी संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

कनाडा - भारत संस्थान उद्योग सम्बद्ध परियोजना कनाडा और भारत की सरकारों द्वारा समर्थित (सीआईआईआईएलपी) नामक एक द्विपक्षीय तकनीकी शिक्षा परियोजना प्रचालन में है। यह परियोजना 5 राज्यों, अर्थात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, छत्तीसगढ़ में अभिज्ञात पोलीटेक्निकों और इंजीनियरी कालेजों में संधारणीय और अनुकरणीय उद्योग - संस्थान संबंध मॉडल विकसित और प्रभावी रूप से अनुकूलित करने पर बल देती है। ऐसी परिकल्पना की गई है कि यह परियोजना प्रणाली की प्रभाविता और कारगरता को बढ़ाकर तकनीकी शिक्षा प्रणाली को समाजार्थिक वातावरण के प्रति अधिक जवाबदेह बनाने में भारत सरकार के प्रयासों में सहायता करेगी।

पुस्तक प्रोन्नति

राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अनुसरण करते हुए मंत्रालय के अधीन पुस्तक प्रोन्नति प्रभाग निम्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रयासरत

रहता है। जनसंख्या के सभी वर्गों के लिए पुस्तकों को सुलभ बनाना, पाठ्यपुस्तकों और कार्यपुस्तकों सहित बच्चों के लिए पुस्तकों के स्तर में सुधार लाना, स्वदेशी पुस्तक प्रकाशन उद्योग का विकास तथा देश में पुस्तकों में रुचि बढ़ाना।

इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति निम्न माध्यमों से की जा रही है:

- सरकार द्वारा स्थापित एक स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय पुस्तक न्यास।
- पुस्तक प्रोन्नति क्रियाकलापों और स्वैच्छिक एजेंसियों की स्कीम।
- दसवीं योजना के दौरान शैक्षिक पुस्तकालयों को वित्तीय सहायता की एक नई स्कीम शुरू की जाने वाली थी ताकि समाज के एक पुस्तकप्रेमी समाज के रूप में बदलने की दिशा में पहले से किए जा रहे क्रियाकलापों में तेजी लाई जा सके। तथापि अब इस स्कीम को स्कूल प्रभाग की गुणवत्ता सुलभता स्कीम के साथ मिलाने का निर्णय लिया गया है।

पुस्तक प्रोन्नति क्रियाकलापों और स्वैच्छिक एजेंसियों की स्कीम

इस स्कीम के अधीन मंत्रालय, स्वैच्छिक संगठनों और प्रकाशकों तथा लेखकों के संघों को पुस्तक प्रोन्नति क्रियाकलापों से संबंधित संगोष्ठियों, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, कार्यशालाएं और वार्षिक सम्मेलन आयोजित करने के लिए सहायता-अनुदान प्रदान करता है। साथ ही दिल्ली पुस्तक मेला और राष्ट्रीय पुस्तक मेले आदि आयोजित करने के लिए विख्यात स्वैच्छिक एजेंसियों को अनुदान भी दिया जाता है। सहायता-अनुदान समिति द्वारा अनुमोदित कुल व्यय के अधिक से अधिक 75% तक के लिए अनुदान दिया जाता है।

बजट आबंटन 2003-04 पर स्कीम के लिए बजट आबंटन 1.00 करोड़ रुपए है।

कापीराइट और सम्बद्ध अधिकार

सरकार ने देश के भीतर आईपीआर को बढ़ावा देने तथा कापीराइट अधिनियम के प्रवर्तन के सुदृढ़ीकरण की दिशा में प्रभावी उपाय करना जारी रखा। कापीराइट अधिनियम का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए कापीराइट प्रवर्तन सलाहकार परिषद की बैठकें और नोडल अधिकारी सम्मेलन नियमित रूप से आयोजित किया जाता है। 2002-03 के दौरान कापीराइट कार्यालय ने 5820 मदें पंजीकृत की। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने जिनेवा में सितम्बर-अक्तूबर, 2003 में आयोजित विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यूआईपीओ) की सभाओं की 39वीं श्रृंखला में भाग लिया। भारत ने नवम्बर, 2003 में परंपरागत ज्ञान पर एक कार्यशाला की मेजबानी की, जिसमें डब्ल्यूआईपीओ और सार्क देशों के विशेषज्ञों ने मूल्यवान और महत्वपूर्ण योगदान दिया। आईपीआर के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए सरकार क्रमिक रूप से योजना कार्यान्वित कर रही है।

आईपीआर विषय के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करने, क्षेत्र में प्रशिक्षण और शिक्षा के लिए एनजीओ सहित 50 विश्वविद्यालयों, कालेजों तथा अन्य संस्थानों को 187 लाख

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत एकमात्र ऐसा शीर्षस्थ संगठन है जो कि अंग्रेजी, हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में बच्चों के लिए तथा नवसाक्षरों के लिए साक्षरतोत्तर सामग्री सहित उपन्यास और विभिन्न विषयों पर उपन्यासेतर पुस्तकें उचित मूल्यों पर प्रकाशित करके समाज के पढ़ने वाले सभी वर्गों की जरूरतें पूरी करता है ।

न्यास के क्रियाकलाप पांच स्थूल शीर्षों के अधीन बांटे जा सकते हैं :

- प्रकाशन;
- पुस्तकों और पढ़ने को बढ़ावा;
- विदेशों में भारतीय पुस्तकों को बढ़ावा;
- लेखकों और प्रकाशकों की सहायता; और
- बाल साहित्य को प्रोत्साहन ।

एनबीटी (योजनागत और योजनेतर) के लिए ब.अ. 2003-04 पर कुल बजट 15.70 करोड़ रुपए है। 2003-04 के दौरान दिल्ली को विश्व पुस्तक राजधानी घोषित किए जाने संबंधी क्रियाकलापों का समन्वय करने के लिए एनबीटी को एक नोडल एजेंसी भी बनाया गया है ।

रुपए की राशि प्रदान की गई। क्रियाकलापों में 5 प्रशिक्षण कार्यक्रम, एक अध्ययन, तीन डिपोजिटर्स तथा 50 संगोष्ठियों/कार्यशालाएं शामिल हैं।

पांच आईपीआर पीठ के अलावा, वर्ष 2002-03 के दौरान कोचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में एक नई आईपीआर पीठ स्थापित की गई। इन पीठों के निष्पादन का इस प्रयोजन के लिए गठित एक समिति द्वारा समय-समय पर अनुश्रवण किया जाता है।

कापीराइट कार्यालय

कापीराइट अधिनियम 1957 में निहित प्रावधान के अनुसार 1958 में स्थापित कापीराइट कार्यालय माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है। यह कार्यालय एक पंजीयक की अध्यक्षता में काम करता है जिसे कापीराइट संबंधी मामलों पर कार्रवाई करने के लिए सिविल न्यायालयों के कतिपय अधिकार प्राप्त होते हैं। कापीराइट कार्यालय द्वारा रखे जा रहा कापीराइट का रजिस्टर आम जनता को कापीराइट कृतियों संबंधी जानकारी सुलभ कराता है। पंजीकरण के अलावा, कापीराइट कार्यालय में रजिस्टर का निरीक्षण करने और उनके उद्धरण प्राप्त करने की सुविधाएं भी उपलब्ध होती हैं।

कापीराइटों के पंजीकरण संबंधी मामलों एसाइनमेंट, लाइसेंसिंग संबंधी विवादों से निपटने के लिए भारत सरकार ने कापीराइट बोर्ड नामक एक अर्द्ध-न्यायिक निकाय की स्थापना भी की है। कापीराइट कार्यालय बोर्ड को सचिवालयी सहायता प्रदान करता है। बोर्ड के अध्यक्ष को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का दर्जा प्राप्त है। बोर्ड देश के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी बैठकें आयोजित करता है ताकि बौद्धिक संपदा के लेखकों/रचनाकारों और स्वामियों को उनके निवास स्थान के निकट न्याय की सुविधा मिल सके। मौजूदा बोर्ड 22 फरवरी, 2001 से पांच वर्ष की अवधि के लिए गठित किया गया है।

भाषा

इस वित्तीय वर्ष में चालू रखे गए कुछ महत्वपूर्ण कार्यालय निम्नानुसार हैं : विभिन्न संस्कृत संस्थानों के माध्यम से संस्कृत भाषा, अहिन्दीभाषी राज्यों में हिन्दी की उन्नति और वहां के हिन्दी अध्यापकों का हिन्दी में प्रशिक्षण; सूचना प्रौद्योगिकी के व्यापक प्रयोग द्वारा 8वी अनुसूची में शामिल सभी भारतीय भाषाओं की उन्नति; भारतीय भाषाओं के अध्यापकों की नियुक्ति; शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए क्षेत्र-गहन और मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम; प्रतिभाशाली बच्चों के लिए छात्रवृत्ति स्कीम तथा साथ ही हिन्दी पढ़ने के लिए अहिन्दीभाषी राज्यों के छात्रों के लिए छात्रवृत्तियाँ; बौद्धिक संपदा अधिकारों पर पुस्तक तथा कार्यशालाएं; शैक्षिक संस्थनों तथा अन्य संस्थानों के माध्यम से कापीराइट अधिनियम का प्रबंध; विख्यात संगठनों की सहायता से स्कूलों और गैर-औपचारिक शैक्षिक केन्द्रों में शिक्षा में सांस्कृतिक और मानवीय मूल्यों का सुदृढ़ीकरण आदि।

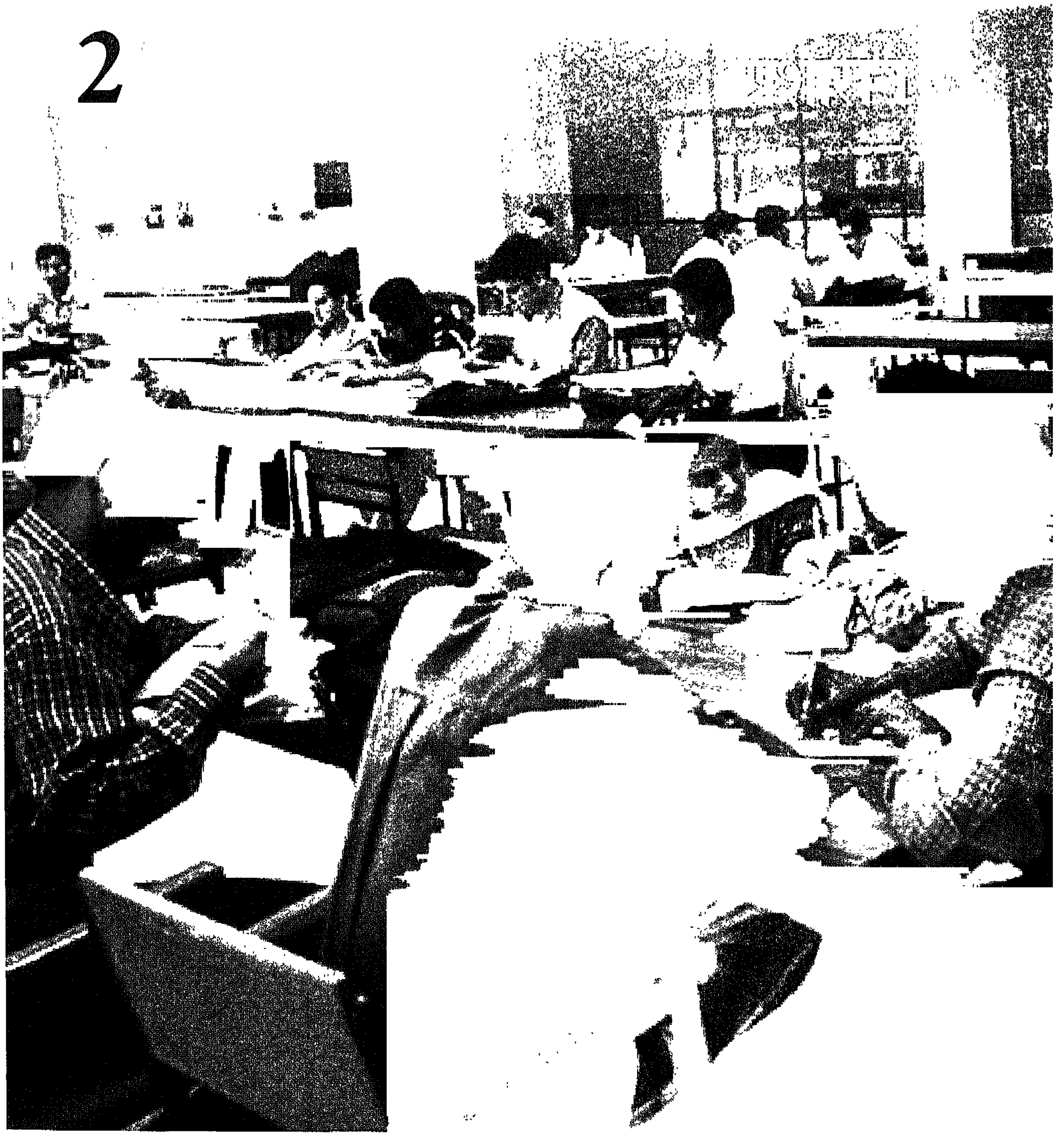
ये सभी स्कीमें अगले वित्तीय वर्ष में जारी रखी जाएंगी। संस्कति और मानवीय मूल्यों में शिक्षा की स्कीम का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है जिससे कि दूसरी व्या रजिस्टर किया जाए तथा प्रतिभाशाली बच्चों के लिए छात्रवृत्ति स्कीम संशोधित की जा रही है। इसी प्रकार संस्कृत भाषा के विकास की स्कीम भी संशोधित तथा और आगे सुदृढ़ की जा रही है।

छात्रवृत्तियाँ

राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना तथा ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभावान छात्रों के लिए माध्यमिक स्तर पर छात्रवृत्ति की योजना को राष्ट्रीय योग्यता छात्रवृत्ति योजना नामक एक नई स्कीम में विलयित करने का विचार है ताकि इसे संशोधित प्रावधानों के साथ दसवीं पंचवर्षीय योजना में कार्यान्वित किया जा सके। ये योजनाएं तथा गैर-हिन्दीभाषी राज्यों के छात्रों के लिए हिन्दी में मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की योजना राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है।

सांस्कृतिक विनियम कार्यक्रम के अधीन, विदेशों द्वारा विभिन्न विषयों में उच्चतर अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति/अध्येतावृत्तियां भी प्रस्तुत की जा रही हैं। शैक्षणिक वर्ष 2002-03 के दौरान 105 शोधकर्ताओं को चीन, जापान, जर्मनी, मेक्सिको, इजरायल, इटली, आयरलैंड, बेल्जियम, नार्वे, मंगोलिया, यू.के., कनाडा भेजा गया।

2



विदेशों में स्थित शिक्षा स्कंध संबंधित देश में भारतीय छात्र समुदाय के कल्याण की दिशा में काफी उपयोगी काम कर रहे हैं। ये मिशन शैक्षणिक जगत के साथ जुड़े रहते हैं और विज्ञान तथा शिक्षा के क्षेत्र में ताजा घटनाओं की जानकारी रखते हैं ताकि मंत्रालय को फीडबैक प्रदान कर सकें।

संगठनात्मक तंत्र

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन दो विभाग हैं अर्थात् प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग और माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग। मानव संसाधन विकास मंत्री की सहायता के लिए एक राज्यमंत्री है। प्रत्येक विभाग भारत सरकार के सचिव की अध्यक्षता में काम करता है। सचिव, माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा की सहायता के लिए एक अपर सचिव है। विभाग ब्यूरो, प्रभाग, शाखाओं, डेस्कों, अनुभागों और यूनिटों में बंटे हुए हैं। प्रत्येक ब्यूरो एक संयुक्त सचिव के प्रभार में काम करता है जिनकी सहायता के लिए उपसचिव/निदेशक स्तर पर प्रभागाध्यक्ष होते हैं।

दोनों शिक्षा विभागों के सचिवालय विशेष से संबंधित स्थापना मामलों के अलावा, विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों के शिक्षा स्कंधों के स्थापना संबंधी मामलों पर माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग के प्रशासन विभाग में कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा, विभाग विशेष के अधीन सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम के अधीन नियुक्त और सवंर्ग - बाह्य पदों, जैसे कि सलाहकार सवंर्ग, सांख्यिकीय सवंर्ग आदि के अधिकारियों से संबंधित स्थापना मामले भी इस प्रभाग द्वारा अभिशासित होते हैं।

मानव संसाधन विकास मंत्री विवेकाधीन निधि नामक एक योजना पर भी माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग के प्रशासन स्कंध में कार्रवाई की जाती है।

विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों में शिक्षा स्कंध

मित्र देशों के साथ विज्ञान, शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में अच्छे संवंध स्थापित करने के प्रयोजन से विदेशों में शिक्षा स्कंध स्थापित किए गए हैं। संप्रति, विदेशों में स्थित निम्न भारतीय आयोगों/ दूतावासों में शिक्षा स्कंध काम कर रहे हैं:

- भारतीय महावाणिज्य दूतावास, न्यूयार्क।
- भारतीय दूतावास, वाशिंगटन।
- भारतीय दूतावास, मास्को।
- भारतीय दूतावास, वर्लिन।

ये शिक्षा स्कंध संवंधित देश में भारतीय छात्र समुदाय के कल्याण की दिशा में काफी उपयोगी काम कर रह हैं। ये मिशन शैक्षणिक जगत के साथ जुड़े रहते हैं और विज्ञान तथा शिक्षा के क्षेत्र में ताजा घटनाओं की जानकारी रखते हैं ताकि मंत्रालय को फीडबैक प्रदान कर सकें। इसके अलावा, विदेशों में स्थित शिक्षा स्कंध भारत तथा जिन देशों में ये स्थान स्थित हैं, उन देशों में स्थित शैक्षणिक संस्थानों के बीच संपर्क कार्यालयों की भूमिका भी निभाते हैं। इसके अतिरिक्त, यह स्कंध सरकार को, विशेष रूप से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ऐसे शैक्षणिक विषय - क्षेत्र के बाबत सलाह देते हैं, जिसमें संबंधित देश से भारतीय छात्रों के लिए छात्रवृत्तियाँ प्राप्त की जा सकती हैं।

यूनेस्को, पेरिस में भारत का स्थायी प्रतिनिधि मंडल

भारत, यूनेस्को का संस्थापक सदस्य है। राजदूत के स्तर का एक अधिकारी है जिसे भारत के स्थायी प्रतिनिधि, यूनेस्को के रूप में पदनामित किया गया है और जो भारतीय दूतावास, पेरिस में शिक्षा स्कंधों के कार्य की देखभाल करता है।

प्रशिक्षण सैल

प्रशिक्षण सैल दोनों विभागों, अर्थात् माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग तथा प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग के अधिकारियों और स्टाफ सदस्यों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं का जायजा लेता है। यह सैल विभाग के स्टाफ और अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए डीओपीटी, वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग), आईआईपीए, एनआईसी, आईएसटीएम, नई दिल्ली तथा एनआईएफएम, फरीदाबाद जैसे संगठनों के साथ संपर्क करता है ताकि उन्हें प्रबंधन और प्रशासन, सतर्कता, रोकड़ तथा लेखों, कार्मिक मामला और गृह व्यवस्था कार्यों पर इन एजेंसियों द्वारा आयोजित विभिन्न पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए भेजा जा सके।

प्रशिक्षण सैल डीओपीटी तथा वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग द्वारा क्रमशः कोलम्बो योजना, द्वि-पक्षीय तकनीकी सहायता कार्यक्रम के अधीन विदेशों में अल्पकालीन और दीर्घकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए जारी किए गए परिपत्रों के संदर्भ में पात्र और उपयुक्त अधिकारियों का नामांकन भी करता है।

मानव संसाधन विकास मंत्री का विवेकाधीन अनुदान

मानव संसाधन विकास मंत्री के विवेकाधीन अनुदान का प्रयोजन

प्रतिभाशाली छात्रों के अलावा, ऐसे संस्थानों, संगठनों, व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है जो कि शिक्षा, संस्कृति, खेलकूद, मीडिया के क्षेत्र में उपयोगी काम कर रहे हैं। इस निधि का प्रयोजन जरूरतमंद और निर्धन पत्रकारों, फिल्म उद्योग के कामगारों तथा कलाकारों के परिवारों को उस समय राहत प्रदान करना भी है जबकि ऐसे परिवारों को उनके कमाई करने वाले एकमात्र सदस्य की मृत्यु हो जाने पर आर्थिक सहायता की जरूरत होती है। इस योजना के अधीन निधियों का भुगतान निर्धारित नियमों के अनुसार किया जाता है।

सतर्कता क्रियाकलाप

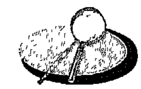
विभाग का सतर्कता तंत्र सचिव के समग्र सर्वेक्षण में कार्य करता है जिनकी सहायता के लिए संयुक्त सचिव स्तर के अंशकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी के अलावा, अवर सचिव तथा अधीनस्थ स्टाफ उपलब्ध है। माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग तथा प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग- दोनों विभागों में श्री सी. बालकृष्णन, संयुक्त सचिव मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में काम करते है।

आलोच्य वर्ष के दौरान प्रशासन को चुस्त बनाने और मुख्यालय तथा अधीनस्थ कार्यालयों - दोनों स्तरों पर स्टाफ में अनुशासन बनाए रखने की दिशा में सतत प्रयास किए गए। आलोच्य वर्ष के दौरान दो नए अनुशासनिक मामले दर्ज किए गए जबकि कार्मिकों के लिए चार मामलों में अनुशासनिक कार्रवाई को अंतिम रूप दिया गया और समुचित आदेश जारी किए गए। चार मामलों में जांच रिपार्टों को अनुशासनिक अधिकारी/संघ लोक सेवा आयोग के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के लिए उनकी जांच की जा रही है। तीन कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है।

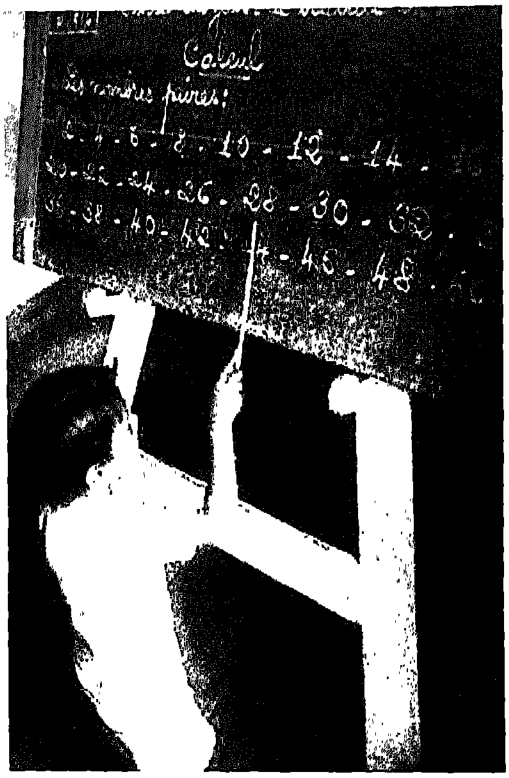
3 नवम्बर से 8 नवम्बर, 2004 की अवधि के दौरान सतर्कता जागरूकता सप्ताह आयोजित किया गया। कार्यालय की सभी मंजिलों पर दोनों विभागों के पोस्टर लगाए गए थे तथा इस मौके पर दोनों विभागों के सचिवों ने विभाग के कार्मिकों को सर्वोच्च स्तर की सत्यनिष्ठा बनाए रखने की शपथ दिलाई। अधीनस्थ कायालयों और स्वायत्त निकायों में भी सतर्कता जागरूकता सप्ताह आयोजित किया गया।

विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में विभिन्न स्वायत्त संगठनों में, जिनमें मुख्य सतर्कता अधिकारी का पद रिक्त हो गया था, केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के पूर्व अनुमोदन से मुख्य सतर्कता अधिकारियों (सीवीसी) की नियुक्ति की गई। आलोच्य वर्ष में सीवीसी ने अनेक अनुदेश जारी किए हैं, जैसेकि सतर्कता यूनिटों में कर्मचारियों की तैनाती, सीबीआई द्वारा अन्वेषित मामलों में संबंधित अनुशासनिक अधिकारी द्वारा प्रस्तुति अधिकारियों की नियुक्ति, विभागीय जांच करने के लिए सेवानिवृत्त अधिकारियों सहित वाहरी व्यक्तियों की सेवाओं को प्रयोग करना, सरकारी प्रापण में वेबसाइट का प्रयोग तथा आयोग की सलाह में देरी। सीवीसी द्वारा जारी किए गए सभी अनुदेश अनुपालन के लिए सभी अधिकारियों और कार्यालयों की जानकारी में ला दिए गए हैं। विभाग में संवेदनशील स्थलों/पदों की पहचान करने के लिए विभिन्न ब्यूरो के परामर्श से पहचान करने की दिशा में भी कार्रवाई की गई।

मुख्य सतर्कता अधिकारी के अधीन, जो कि विभाग में निदेशक, शिकायत के रूप में काम करते हैं, एक विशिष्ट शिकायत निवारण तंत्र काम करता है। निदेशक, शिकायत स्टाफ और जनसाधारण की समस्याओं को सुनने के लिए प्रत्येक बुधवार को उनके साथ मुलाकात करने के लिए सुलभ रहते हैं। लोक शिकायतों को उनके समग्र रूप में निवारण करने के संबंध में सरकार की नीति का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग तथा प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग के अधीन स्वायत्त संगठनों ने भी अधिकारियों को निदेशक, शिकायत के रूप में नामित कर दिया है। संबंधित ब्यूरो/संगठनों के साथ आलोच्य वर्ष के दौरान नियमित समीक्षात्मक बैठकें आयोजित की गई जिससे कि विशिष्ट शिकायतों का



3 नवम्बर से 8 नवम्बर 2004 की अवधि के दौरान सतर्कता जागरूकता सप्ताह आयोजित किया गया । कार्यालय की सभी मंजिलों पर दोनों विभागों के पोस्टर लगाए गए थे तथा इस मौके पर दोनों विभागों के सचिवों ने विभाग के कार्मिकों को सर्वोच्च स्तर की सत्यनिष्ठा बनाए रखने की शपथ दिलाई । अधीनस्थ कायालयों और स्वायत्त निकायों में भी सतर्कता जागरूकता सप्ताह आयोजित किया गया ।



समाधान किया जाए और उनमें तेजी लाई जाए। इसके फलस्वरूप, लम्बे समय से विचाराधीन पड़ी कुछेक शिकायतों का समाधान हो गया। लोक शिकायत निदेशालय द्वारा भेजी गई शिकायतों की समस्या करने के लिए लोक शिकायत निदेशालय (डीपीजी), मंत्रिमंडल सचिवालय के साथ नियतकालिक बैठकें भी आयोजित की गई। एनआईसी द्वारा निर्मित पीजीआरएएमएस का प्रयोग करते हुए शिकायतों को कंप्यूटर में डाल दिया जाता है।

माध्यमिक शिक्षा तथा उच्चतर शिक्षा विभाग और प्रारंभिक तथा साक्षरता विभाग में एक वरिष्ठ अधिकारी के प्रभार में एक कदाचार विरोधी सैल स्थापित किया गया है जिसका उद्देश्य भोले-भाले छात्रों को लूटने के प्रयोजन से शैक्षिक संस्थानों द्वारा प्रकाशित भ्रामक विज्ञापनों द्वारा किए जा रहे कदाचार पर अंकुश लगाना, शिक्षा के क्षेत्र में एक स्वस्थ सार्वजनिक सूचना प्रणाली को वढ़ावा देना है। शिक्षा के विभिन्न उप-क्षेत्रों में मानकों के समन्वय और उन्हें वनाए रखने के लिए जिम्मेदार राष्ट्रीय स्तर के शीर्षस्थ निकायों को भी इसी प्रकार के सैल स्थापित करने के लिए कहा गया है। इन सैलों का काम विभिन्न समाचार-पत्रों और पत्र-पत्रिकाओं में छपने वाले भ्रामक/गैर-कानूनी विज्ञापनों और साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में गैर-सरकारी/निजी संगठनों/संस्थानों के क्रियाकलापों पर निगाह रखना है।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के संबंध में विभाग में तैनात कर्मचारियों की शिकायतें सुनने/स्वीकार करने से तथा उनकी शिकायतों के समय पर निवारण के लिए विभाग में निदेशक पद के अधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति स्थापित कर दी गई है और वह काम कर रही है। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के संबंध में उच्चतम न्यायालय के निर्णय से संबंधित मुद्दे और शैक्षिक संस्थानों/संगठनों में उनके कार्यान्वयन के बारे में माध्यमिक शिक्षा और उच्चतर शिक्षा विभाग तथा प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा एक पुस्तिका तैयार की गई है और सभी संबंधितों को भेज दी गई है।

मंत्रालय के दोनों विभागों में अनुशासन और समय की पाबंदी पर बल बराबर बनाए रख गया।

राजभाषा विभाग

मंत्रालय के दोनों विभाग राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) द्वारा जारी किए गए वार्षिक कार्यक्रम की सभी मदों की तरफ समुचित ध्यान दे रहे हैं। राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं। तिमाही प्रगति रिपोर्ट नियमित रूप से राजभाषा विभाग को भेजी जा रही है। 30.9.2003 को समाप्त अवधि की तिमाही प्रगति रिपोर्ट में हिन्दी पत्राचार की स्थिति नीचे दिए अनुसार है :

- क क्षेत्र 44%
- ख क्षेत्र 28%
- ग क्षेत्र 15%

राजभाषा विभाग के निदेशानुसार जांच बिंदु स्थापित किए गए हैं। वर्ष 2003 के दौरान मंत्रालय ने 15 अधीनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण किया। संसदीय राजभाषा समिति ने 8 अधीनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण किया। 14 अधीनस्थ कार्यलयों की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। अधीनस्थ कार्यालयों में अनेक कार्यशालाएं आयोजित की गई। वर्ष 2003 में मंत्रालय सहित चंडीगढ़, भोपाल, पुणे, लखनऊ, इंदौर, जालंधर, चेन्नई, बंगलौर और दिल्ली में स्थित कार्यालयों में 17 कार्यशालाएं आयोजित की

वर्ष 2003 के दौरान गुवाहटी, असम में एक अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन आयोजित किया गया। वर्ष के दौरान बड़े पैमाने पर हिन्दी माह का भी आयोजन किया गया जिसमें दिल्ली में स्थित अधीन कार्यालयों और मंत्रालय के लगभग 500 कर्मचारियों ने भाग लिया।

गई जिनमें लगभग 400 अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। मंत्रालय राजभाषा विभाग के मानदंडों के अनुसार प्रशिक्षण के लिए हर सत्र में कर्मचारियों/अधिकारियों का नामांकन करता है। जनवरी, 2004 सत्र के लिए 25 कर्मचारी नामित किए गए हैं। वर्ष 2003 के दौरान गुवाहटी, असम में एक अखिल भारतीय राजभाशा सम्मेलन आयोजित किया गया। वर्ष के दौरान बड़े पैमाने पर हिन्दी माह का भी आयोजन किया गया जिसमें दिल्ली में स्थित अधीनस्थ कार्यालयों और मंत्रालय के लगभग 500 कर्मचारियों ने भाग लिया।

कंप्यूटरीकृत प्रबंध सूचना प्रणाली (सीएमआईएस)

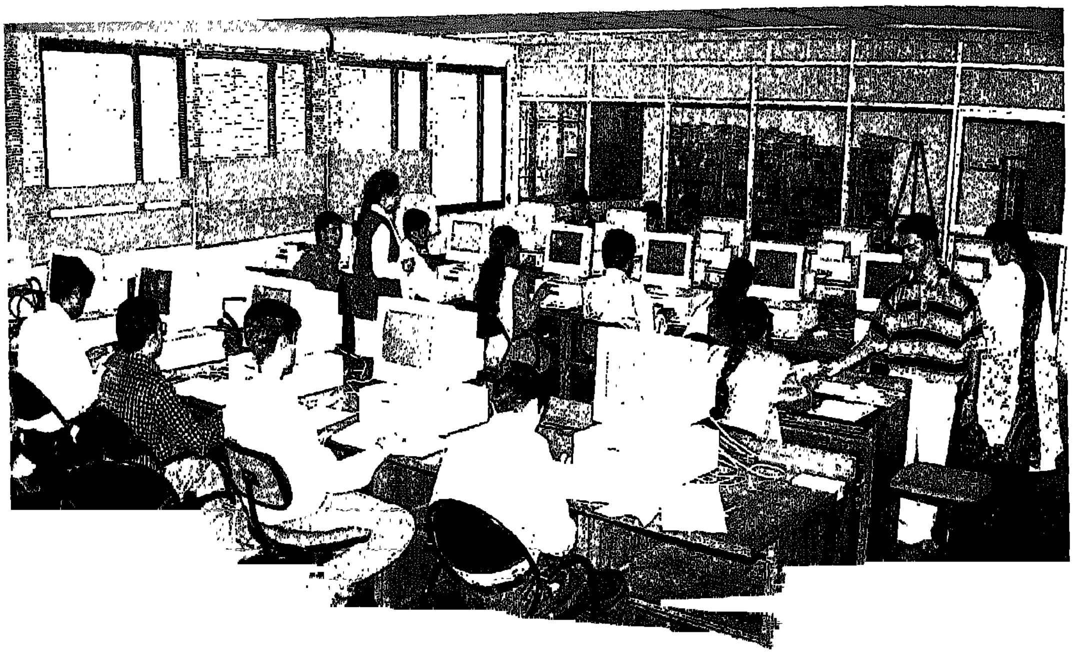
दोनों शिक्षा विभागों के कंप्यूटरीकरण के लिए कंप्यूटरीकृत प्रबंध सूचना प्रणाली (सीएमआईएल) यूनिट नोडल यूनिट है। इस यूनिट के मुख्य प्रयोजन इस प्रकार हैं: निर्णय संबंधी सहायता के लिए विभिन्न आनलाइन सूचना प्रणालियां विकसित, कार्यान्वित करना और उनका अनुरक्षण करना। एक संसाधन यूनिट के रूप में काम करना और सूचना की रोजमर्रा की प्रोसेसिंग के संबंध में ज्ञान विकसित करने में विभाग के कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान करना तथा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) तथा सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) से संबंधित अन्य एजेंसियों के साथ काम करना।

ई-अभिशासन की न्यूनता कार्यसूची के अनुसार विभाग में ई-अभिशासन की अवधारणा को प्रोन्नत और कार्यान्वित करने के उद्देश्य से अनुभाग अधिकारी स्तर तक के सभी अधिकारियों को कार्यालय स्वचलन साफ्टवेयर सहित अधुनातम कंप्यूटर उपलब्ध कराए गए। फाइल का आदान-प्रदान, फाइल मानीटरन, डायरी आदि जैसी प्रशासनिक सहयोग सूचना प्रणालियाँ कंप्यूटरों में स्थापित कर दी गई हैं ताकि सेवाओं की आपूर्ति में सुधार लाया जा सके। ई-मेल का प्रयोग एक अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धि है। विभाग द्वारा ई-मेल सुविधा का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया गया है। प्रश्नों के उत्तर, बैठकों की सूचना और तत्संबंधी सामग्री ऐसे सभी स्थलों पर जहां ई-मेल पते उपलब्ध हैं, ई-मेल से भेजी जाती है। स्थानीय नेटवर्क के माध्यम से अनुभगों के बीच फाइलों, संसद प्रश्नों के उत्तर आदि का आदान-प्रदान किया जाता है। इलेक्ट्रोनिक मीडिया में इतने बड़े पैमाने पर अंतरण सभी अनुभागों में कंप्यूटर और इंटरनेट संयोजन उपलब्ध कराके संभव हो सका है। संसद प्रश्न और उनके उत्तरों के पाठ इलेक्ट्रोनिक माध्यम से उसी दिन लोकसभा और राज्यसभा सचिवालयों को भेज दिए गए ताकि उन्हें वेबसाइट में शामिल किया जा सके। संसद प्रश्नों से संबंधित एक डाटाबेस भी लैन पर उपलब्ध करा दिया गया है ताकि दोनों विभागों के सभी अनुभागों के लिए संबंधित विषयों पर उनके द्वारा पूर्व में जिन प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं, वे तत्काल सुलभ हो सकें।

वेतन चिट्ठा लेखांकन जैसे विभिन्न डाटाबेस अनुप्रयोग तथा बजटाधीन व्यय आदि जैसे अन्य गृह व्यवस्था साफ्टवेयर तैयार कर लिए गए हैं और दिन-प्रतिदिन के कामकाज के लिए शुरू किए गए है। मासिक वेतन बिल, वेतन पर्चियाँ, प्रतिनियुक्ति पर सेवारत अधिकारियों की विभिन्न वसूली अनुसूचियाँ, वार्षिक जीपीएफ विवरण तथा विभाग की टेलीफोन डायरेक्टरी समय-समय पर तैयार की जाती है और अद्यतन बनाई जाती है। दोनों विभागों के बजटाधीन व्यय का अनुश्रवण भी किया जाता है और डाटा प्रोसेसिंग के माध्यम से विभिन्न प्राचलों पर आउटपुट तैयार किए जाते हैं। स्लाइड शो प्रस्तुति संचार का प्रभावी साधन बन गई है। इस यूनिट ने विभागों द्वारा आयोजित विभिन्न बैठकों के लिए स्लाइड शो प्रस्तुतियों की व्यवस्था की।

विभागों की नई घोषणाएं इलेक्ट्रानिक रूप में बदल दी जाती हैं और मार्गदर्शी सिद्धांतों आदि की भांति रुचि की अन्य सामग्री सहित विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाती हैं। वेबसाइट की अन्तर्वस्तु को नियमित रूप से अद्यतन बनाया जाता है। विभाग के विभिन्न ब्यूरो के आवेदन-पत्र तथा अन्य संगत सामग्री भी आनलाइन प्रस्तुति के लिए सुलभ कराई जाती है। इंटरनेट के प्रयोक्ताओं द्वारा इन फार्मों के प्रिंटआउट तैयार करने की व्यवस्था भी कर दी गई है।

यह यूनिट विभाग के स्टाफ के बीच कंप्यूटर संबंधी जागरूकता पैदा करने और कंप्यूटर का प्रयोग बढ़ाने की दिशा में प्रयासशील है। वैयक्तिक और समूह - दोनों स्तरों पर नियमित प्रशिक्षण



प्रदान किया जाता है। इस यूनिट द्वारा कार्यालय स्वचलन साफ्टवेयर, फाइलों और प्रिंटरों की भागीदारी, इंटरनेट ब्राउसिंग, ई-मेल भेजना/प्राप्त करना, दूरस्थ लाग-इन, कंप्यूटर वायरस की रोकथाम और उन्मूलन आदि जैसे अनुप्रयोग साफ्टवेयर में इस यूनिट द्वारा नियमित रूप से अलग-अलग तथा सामूहिक स्तर पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इसके अलावा, विभाग में लगे हुए कंप्यूटरों के अनुरक्षण का दायित्व भी इसी यूनिट परहै। यह यूनिट दोनों विभागों में स्थापित लगभग 350 कंप्यूटरों, प्रिंटरों और यूपीएस आदि की देखभाल करता है। इस यूनिट ने पीसी, लैपटॉप कंप्यूटरों, प्रिंटरों, यूपीएस, स्कैनरों आदि के अनुरक्षण का मानीटरन किया।

सूचना और सुविधा केन्द्र

एक प्रभावी, जवाबदेह और नागरिकों के अनुकूल प्रशासन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार ने जून, 1997 में एक निकनेट-आधारित सूचना और सुविधा केन्द्र स्थापित किया था। यह केन्द्र मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित विभिन्न स्कीमों तथा प्रदत्त सेवाओं का लाभ उठाने की क्रियाविधि के बारे में आम जनता को जानकारी उपलब्ध कराता है। केन्द्र संगठनों के संबंध में सुझाव/शिकायतें भी प्राप्त करता है। विभागों की विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों से संबंधित दिशा-निर्देश और आवेदन-पत्र भी नेट पर उपलब्ध रहते हैं। आँकड़े/सूचना को इंटरनेट सुविधा सहित कंप्यूटरों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग, महिला तथा बाल विकास विभाग के पते क्रमशः इस प्रकार हैं:

http://www.education.nic.in तथा http://www.wcd.nic.in

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) ने उपर्युक्त विभागों के लिए शास्त्री भवन में एक कंप्यूटर केन्द्र स्थापित किया है और लगभग 300 नोड की लैन और साथ ही प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय के लिए जामनगर हाऊस में तथा कापीराइट प्रभाग और पुस्तक प्रोन्नति के लिए कर्जन रोड बैरेकों में लगभग 100 नोड की लैन तथा वैन संयोज्यता उपलब्ध कराई है। छात्रवृत्ति, अधिप्रमाणन, आईएसबीएन और जनशाला को अभी उपयुक्त वैन संयोज्यता में रखा जाना है। संप्रति ये प्रभाग वैयक्तिक आधार पर डायलअपन संयोज्यता का प्रयोग कर रहे हैं, उपर्युक्त के अलावा, इन विभागों के अधीन स्वायत्त संगठनों की जैसे कि एनसीईआरटी, सीबीएसई, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, एनसीपीयूएल, केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय तथा अन्य द्वारा विभिन्न आईटी समाधानों की मांग किए जाने पर तकनीकी रूप से सहायता दी गई है।

उपर्युक्त विभागों द्वारा किए गए प्रमुख क्रियाकलाप इस प्रकार हैं :

- सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार आईटी योजना तैयार करना और वह डीआईटी को भेजी जा चुकी है।
- विभागों के सभी कर्मचारियों को कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।
- मिश्रित वेतन चिट्ठा पैकेज और कार्यालय क्रियाविधि स्वचलन के क्रियान्वयन का प्रस्ताव विभाग में विचाराधीन है।
- लोक शिकायत निवारण अनुश्रवण प्रणाली पैकेज कार्यान्वित किया जा चुका है।
- कर्मचारियों का अन्योन्याक्रियापूर्ण प्रशिक्षण आवश्यकता के अनुसार कर दिया गया है।
- इंटरनेट और लैन संयोज्यताओं संबंधी शिकायतों की ओर ध्यान दिया गया है।
- आवश्यकता के अनुसार सभी वरिष्ठ अधिकारियों के घरों पर टेली-कम्प्यूटिंग के अधीन ई-मेल संयोजन लगा दिए गए हैं/यदि कोई समस्याएं थी, तो वे हल कर दी गई हैं।
- कर्जन रोड बैरेकों में साफ्टवेयर पैकेजों के प्रयोग के संबंध में अधिप्रमाणन से जो समस्याएं पेश आ रही थी, उनका समाधान कर दिया गया है।
- विभागों तथा उनके संगठनों की आवश्यकतानुसार समय-समय पर तकनीकी सलाह दी गई है।
- केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय से संबंधित संस्थानों में हिन्दी में कंप्यूटर प्रशिक्षण के लिए योजनाएं तैयार करने में निदेशालय की सहायता की गई है।
- विदेशी छात्रवृत्ति कार्रवाई प्रणाली।
- संसदीय आश्वासन के लिए एमआईएस।
- फाइल अनुश्रवण प्रणाली।
- कापीराइट कार्यालय के लिए कापीराइट पंजीकरण प्रणाली।
- एचआरएम कार्यालय के लिए वीआईपी संदर्भ/डायरी प्रणाली।

विभाग और उसके सम्बद्ध संगठनों के लिए हाथ में ली गई परियोजनाएं

सीबीएसई द्वारा आयोजित 10वीं तथा 12वीं के परिणामों का प्रकाशन

सीबीएसई द्वरा एनआईसी से प्रतिवर्ष आयोजित की जाने वाली 10वीं और 12वीं परिक्षाओं के परिणाम प्रकाशित करने का अनुरोध किया गया है। इसके अलावा, कंपार्टमेंट परीक्षा के परिणाम भी प्रकाशित किए गए हैं।

एआईईईई 2003 परीक्षा का आयोजन

सीबीएसई ने एनआईसी से आईईईई 203 आयोजित करने का अनुरोध किया है। निम्न क्षेत्रों में इसे सहायता प्रदान की गई है:

निम्न संबंधी जानकारी उलपब्ध कराने के लिए http://aieee.nic.in अथवा http://ccb.nic.in सहित एआईईईई 2003 वेबसाइट तैयार करना:

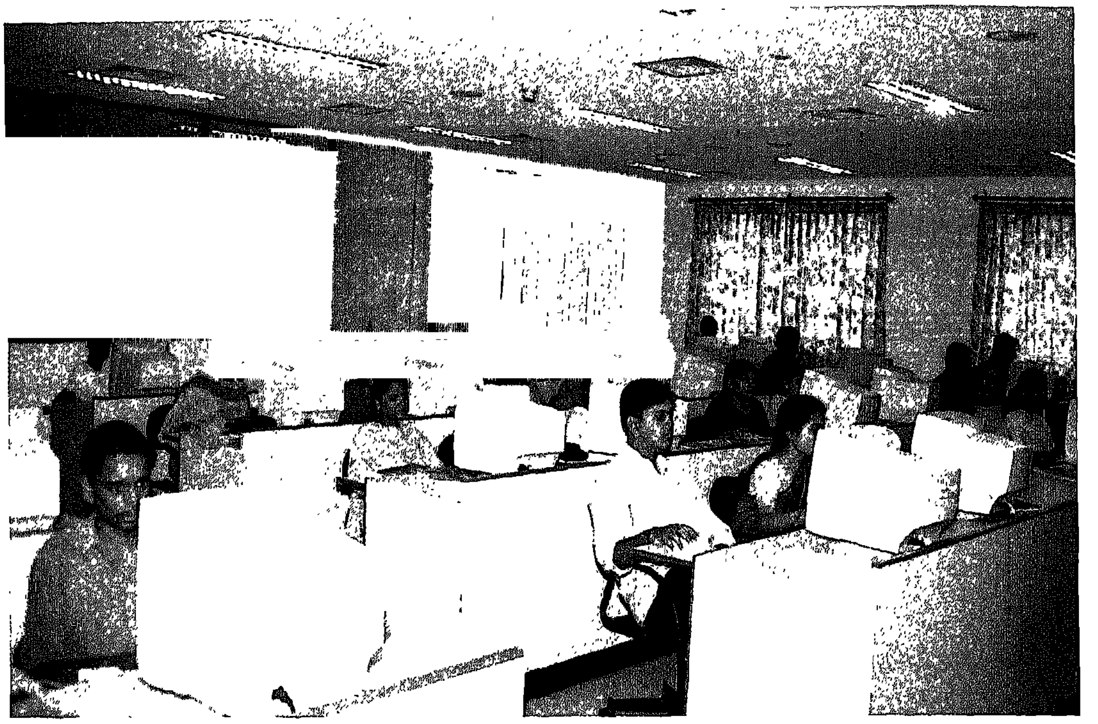
- परीक्षा केन्द्र
- पाठ्यक्रम



एडूमेल मानीटरन प्रणाली

एडूमेल सेवा मानव संसाधन विकास मंत्रालय और एनआईसी द्वारा विशेष रूप से भारतीय छात्रों, अध्यापकों, शोधकर्ताओं, शैक्षिक संस्थानों और शैक्षिक प्रशासकों (शैक्षिक समुदायों) की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए एक संयुक्त सेवा के रूप में शुरू की गई है।

प्रशासन की इस बात में सहायता करने के लिए कि प्रयोक्ता सृजन के लिए कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए, उनमें से अभी तक कितने प्रयोक्ताओं का सृजन किया गया, श्रेणीवार प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या के संबंध में एक वेब-समर्थित मानीटरन प्रणाली तैयार की गई है। यह प्रणाली दीर्घकालीन सेवाओं के लिए बहुत उपयोगी है क्योंकि प्राप्त होने वाले आवेदन-पत्रों की संख्या में दिन-प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। अभी तक 3000 से अधिक प्रयोक्ताओं का सृजन किया जा चुका है। मंत्रालय के अनुसार नए ई-मेल लेखों का सृजन बंद कर दिया गया है और सभी मौजूदा लेखों के लिए ई-मेल सहयोगी सेवाएं जारी रखी जा रही हैं।



- आवेदन-पत्र भरने के ब्यौरे
- विभिन्न विकल्पों सहित फार्म भरने के लिए आनलाइन सहायता
- अपेक्षित वैधीकरणों के बाद फार्म तथा उसकी स्वीकृति का आनलाइन प्रदर्शन
- अनूठी आवेदन-पत्र संख्या का सृजन
- आवेदन-पत्र के सार का आनलाइन मुद्रण तथा आवेदन-पत्र को ड्राफ्ट सहित सीबीएसई में जमा कराना
- प्रवेश कार्ड सूचना का आनलाइन प्रकाशन
- पूर्व परिभाषित फोरमेट में प्रवेश कार्ड संख्या के आधार पर व्यक्तिगत योगयताक्रम सहित इंजीनियरी, वास्तुकला तथा फार्मेसी के लिए अलग-अलग परिणामों का आनलाइन प्रकाशन

अखिल भारतीय प्री-मेडिकल/डेंटल कालेज प्रवेश परीक्षा

अखिल भारतीय प्री-मेडिकल/डेंटल कालेज प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए सीबीएसई से निम्न क्षेत्रों में सहायता प्रदान की गई है :

- आवेदन-पत्र संख्या के अनुसार अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदन-पत्रों की स्थिति
- प्रवेश कार्ड सूचना
- प्रवेश कार्ड संख्या के आधार पर योग्यताक्रम सहित परिणामों का आनलाइन प्रकाशन

सीबीएसई के वेबसाइट को अद्यतन बनाना

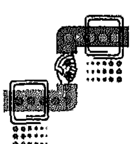
- सीबीएसई के अनुसार http://www.cbse.nic.in सहित सीबीएसई ने वेबसाइट शुरू की गई है और उसे अद्यतन बनाया गया है।

अखिल भारतीय इंजीनियरी/फार्मेसी/वास्तुकला प्रवेश परीक्षा (एआईईईई) 2003 में सफल छात्रों के लिए आनलाइन परामर्श के निमित्त तकनीकी सहायता

एनआईसी ने अभ्यर्थी के पाठ्यक्रमवार अखिल भारतीय योग्यताक्रम तथा उसकी रुचि के विकल्प के आधार पर 13 परमार्श केन्द्रों के माध्यम से 35 से अधिक सहभागी सस्थानों में केन्द्रीकृत सीट आबंटन के लिए आवेदन-पत्र साफ्टवेयर सफलतापूर्वक तैयार, विकसित और कार्यान्वित किया है। उपलब्ध कराई गई संभार तंत्रीय सहायता में निम्न शामिल हैं:

- गतिशील सीट सूचना
- प्रस्तावित पाठ्यक्रमों की सूची
- सहभागी संस्थानों/कालेजों की सूची
- संस्थानागत प्रोफाइल और सीट उपलब्धता

- राज्यवार सीट उपलब्धता
- पाठ्यक्रमवार संस्थान
- संक्षिप्त सीट सूचना
- परामर्शी विवरणिकाओं से वेब फार्मेट में बदलकर अपलोड किया जाता है
- 13 परामर्शी केन्द्रों में से प्रत्येक केन्द्र में साफ्टवेयर पैकेजों के प्रयोग तथा प्रविधियों में प्रशिक्षण की व्यवस्था
- 35 सहभागी संस्थानों द्वारा प्रस्तुत 8000 सीटों के लिए परामर्श में 55,000 छात्रों ने भाग लिया
- सीटों का आबंटन करते समय छात्रों द्वारा आनलाइन प्रस्तुत किए गए कुल 30 लाख विकल्पों पर विचार किया गया है
- परिसर से बाहर 15 दिन तक आनलाइन परामर्श आयोजित किया गया है
- समूची परिसर-बाह्य परामर्श प्रक्रिया में संस्थान/शाखा में अनंतिम उपलब्धता दर्शाने वाले अनंतिम सीट मेट्रिक्स का पांच बार सृजन किया गया है
- परिसर में आनलाइन परामर्श प्रक्रिया का समूचा पहला चरण 10दिन के भीतर पूरा कर लिया गया जिसके बाद दो दिन का विस्तारित परामर्श और संस्थागत परामर्श आयोजित किया गया
- परामर्श स्थिति की वेबसाइट में वेबसाइट के विभिन्न दर्शकों से 6,000 से अधिक ई-मेल प्राप्त हुए हैं, जिन्होंने प्रवेश प्रक्रिया को आनलाइन बनाकर पिछली प्रवेश प्रक्रिया से जुड़ी समस्याओं और मानसिक तनाव दूर करने में एमएचआरडी, सीबीएसई और केन्द्रीय परामर्शी बोर्ड की पहल और उनके प्रयासों की सराहना की है



परामर्श स्थिति की वेबसाइट में वेबसाइट के विभिन्न दर्शकों से 6,000 से अधिक ई-मेल प्राप्त हुए हैं, जिन्होंने प्रवेश प्रक्रिया को आनलाइन बनाकर पिछली प्रवेश प्रक्रिया से जुड़ी समस्याओं और मानसिक तनाव दूर करने में एमएचआरडी, सीबीएसई और केन्द्रीय परामर्शी बोर्ड की पहल और उनके प्रयासों की सराहना की है

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के लिए मिश्रित पेरोल पैकेज का कार्यान्वयन

यूजीसी के कहने पर यूजीसी के सभी कर्मचारियों की वेतन पर्ची तथा अन्य अनुसूचियॉ तैयार करने के लिए निमित्त मिश्रित पेरोल पैकेज लागू कर दिया गया है।

वेब आधारित वोर्डिंग तथा छात्रावास सुविधा स्कीम

माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक स्कूलों की छात्राओं के लिए वोर्डिंग तथा छात्रावास सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए स्वैच्छिक एजेंसियों को अनुदान मंजूर करने की मौजूदा क्रियाविधि पूरी तरह हाथों से की जाती है। स्वैच्छिक एजेंसियों को अनुदान प्रदान किए जाने की समूची प्रक्रिया और अनुश्रवण के लिए एनआईसी ने अधुनातम प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए विंडो-आधारित वातावरण में वेब-आधारित आवेदनप फार्म साफ्टवेयर विकसित और कार्यान्वित किया है। प्रणाली की विशेषताएं निम्नानुसार हैः

आनलाइन प्रस्तुति के लिए वेब-आधारित आवेदन पत्र

- प्रणाली स्वतः एक डायरी संख्या का सृजन करती है जो कि भविष्य में उसकी पुनःप्राप्ति की कुंजी है।
- प्रणाली आवेदन-पत्र की प्रस्तुत की बाबत संबंधित शिक्षा सचिव को स्वतः ई-मेल भेजती है।
- कार्यसूची और केस शीट का स्वचलीकरण।
- स्वैच्छिक एजेंसी से अनुदान पर कार्रवाई।
- आनलाइन प्रश्न और अनुश्रवण।

नेट पर प्रकाशित अन्य परिणाम

शिक्षा विभाग को विभिन्न विश्वविद्यालयों और बोर्डों से नेट पर परिणाम प्रकाशित कराए जाने के अनुरोध प्राप्त हुआ करते थे। हमें निम्न विश्वविद्यालयों/बोर्डों के परिणाम नेट पर प्रकाशित किए जाने के अनुरोध प्राप्त हुए हैं :

- कक्षा 6 में दाखिले के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा के परिणाम।
- कक्षा 10 तथा 12 की बोर्ड परीक्षाओं में निजी/पत्राचार स्कूल से कक्षा कक्षा 10 और 12 के लिए सीबीएसई बोर्ड में बैठने वाले उम्मीदवारों के ब्यौरे।
- मीवीएसई वोर्ड के कक्षा 10 और 12 के पिछले पांच वर्षो के परिणाम नेट पर प्रस्तुत करना।

[illegible]

एनआईसी ने शिक्षा के लिए एनआईसी सर्वर http://www.education.nic.in पर एक वेबसाइट प्रस्तुत की है। वेवसाइट की अंतर्वस्तु को प्रतिदिन अद्यतन किया जाताहै। विभाग के अधीन स्वायत्त निकायों के लिए भी एक नई वेवसाइट शुरू की गई है। सीवीएसई के कक्षा 10वीं, 12वीं, पीएमटी, एआईईईई के परिणाम और साथ ही सीट आवंटन इस वेवसाइट के माध्यम से घोपित किए जाते हैं और संवंध स्थापित किया जाता है।

[illegible]

केवीएस के कहने पर एनआईसी सर्वर पर वेवसाइट उपलब्ध कराई गई है। अध्यापकों की भर्ती के परिणाम वेबसाइट पर प्रस्तुत किए जाते हैं। केवीएस के परामर्श से वेव सुलभता साफ्टवेयर पैकज तैयार करने के बाद स्थानांतरण की सूचियों के प्रारूप और आंतरिक सूचियाँ वेवसाइट पर प्रस्तुत की जाती हैं।

[illegible]

एनआईसी ने निम्न स्थानों पर एलएएन/डब्ल्यूएएन की स्थापना का काम पूरा कर लिया हैः

- कापीराअट प्रभागः एनआईसी ने कापीराइट कार्यालय में 16 नोड वाली एनएन/डब्ल्यूएएन संयोज्यता स्थापित की है। कापीराइट पंजीकरण के लिए साफ्टवेयर तैयार और कार्यान्वित कर दिया गया है।
- प्रौढ़ शिक्षा निदेशालयः प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय में एक साठ नोड वाला लैन स्थापित किया गया, जिसे आईएसडीएन लाइन के माध्यम से डब्ल्यूएएन संयोज्यता प्रदान की गई।
- एनसीईआरटीः एनआईसी ने एनसीईआरटी में एक 50 नोड वाली लैन/डब्ल्यूएएन संयोज्यता प्रदान की है। एनसीईआरटी को वेवसाइट के लिए दूरस्थ प्रकाश उपलब्ध कराया गया है। सातवें अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण के लिए एनसीईआरटी को सभी तकनीकी सहायता प्रदान की जा रही है।

■■■

3 नीति आयोजना और अनुश्रवण



हमारे राष्ट्र में मौजूद अत्यधिक विविधता को देखते हुए बेहतर होगा कि यदि प्रत्येक राज्य और संघ शासित क्षेत्र अपने हालात की आवश्यकताओं के हिसाब से और साथ ही कार्य योजना 1992 के अनुरूप एक राज्य कार्ययोजना तैयार करे ।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति और कार्य योजना, 1992

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 (एनपीई) और इसकी कार्य योजना (पीओए), जो विचार-विमर्श, परामर्श और मतैक्य का परिणाम थी, उसकी 1992 में समीक्षा की गई और उसे अद्यतन बनाया गया। कार्य योजना के प्रस्तावना भाग में कहा गया है कि हमारे राष्ट्र में मौजूद अत्यधिक विविधता को देखते हुए बेहतर होगा कि यदि प्रत्येक राज्य और संघ शासित क्षेत्र अपने हालात की आवश्यकताओं के हिसाब से और साथ ही कार्य योजना 1992 के अनुरूप एक राज्य कार्ययोजना तैयार करे।

1992 में अद्यतन बनाई गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनपीई) 1986 में तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा सहित सभी क्षेत्रों में शिक्षा में सुधार और उसके विस्तार, शैक्षिक सुविधाओं की सुलभता से जुड़ी विषमताओं के उन्मूलन और प्राथमिक से लेकर उच्चतर शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षा की गुणवत्ता और प्रासंगिकता में सुधार लाने पर बल दिया गया है। साथ ही इसमें इस बात पर भी बल दिया गया है कि शिक्षा को सामाजिक और क्षेत्रीय असंतुलनों को सही करने, महिलाओं को सामर्थ्यवान बनाने और भाषायी समूहों तथा अल्पसंख्यकों को न्यायोचित स्थान दिलाने में एक उपयोगी तथा हस्तक्षेपणीय भूमिका अवश्य निभानी होगी।

राष्ट्र 'सभी के लिए शिक्षा' (ईएफए) प्रदान करने के निमित्त पूरी तरह प्रतिवद्ध है और प्राथमिकता क्षेत्र इस प्रकार हैं: निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों का समावेशन, निरक्षरता का उन्मूलन, व्यावसायीकरण, महिलाओं की समानता के लिए शिक्षा और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अल्पसंख्यकों की शिक्षा पर विशेष बल देना। राष्ट्रीय शिक्षानीति और कार्य योजना को कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी राज्य और संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों पर है और उसके कार्यान्वयन का अनुश्रवण केन्द्रीय सरकार करती है। तदनुसार, कार्य योजना 1992 को सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में 1993 में परिचालित कर दिया गया था, जिसमें उनसे यह कहा गया था कि वे स्वयं अपनी राज्य कार्य -योजना (एसपीओए) तैयार कर लें। अभी तक केवल 9 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों ने स्वयं अपनी राज्य कार्ययोजनाएं तैयार कर ली हैं जबकि दो ने राज्य कार्य योजनाओं के मसौदा और चार ने आंशिक राज्य कार्ययोजनाएं तैयार की हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसरण में कार्यक्रम और परियोजना तैयार, कार्यान्वित करने तथा उनका अनुश्रवण करने के लिए राज्य सरकारों सहित सभी पणधारियों के साथ परामर्श और तालमेल बिठाने के निमित्त एक प्रभावी तंत्र तैयार करने का मुद्दा सरकार में कुछ समय से विचाराधीन था। फलतः जनवरी, 2003 में श्री जे. सी. पंत* की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। पंत समिति अपनी रिपोर्ट का प्रारूप तैयार कर रही थी कि इसका कार्यकाल पूरा हो गया। यह निर्णय लिया गया कि समिति का कार्यकाल बढ़ाने जाने की कोई जरूरत नहीं है और केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का तत्काल गठन किया जाए। तदनुसार, केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन किया जा चुका है और उसकी बैठक शीघ्र ही होने वाली है। भारत सरकार के भूतपूर्व सचिव की अध्यक्षता में इन मुद्दों की जांच करने और अन्य बातों के साथ-साथ निम्न को ध्यान में रखते हुए सिफारिशें करने के लिए एक समिति का गठन किया गयाः मौजूदा ढांचे और तंत्र; संघीय सरकार तंत्रों वाले अन्य देशों में मौजूद स्थितियों तथा संभावित अनुकूलन और अपनाए जाने के लिए सर्वोत्तम परिपाटियों की पहचान और भविष्य में परामर्श के लिए प्रभावी संस्थानगत व्यवस्था। समिति के अधीन तीन उपसमितियों का गठन और किया गया ताकि सभी पणधारियों के साथ परामर्श करने के लिए मौजूदा तंत्रों का अध्ययन करने के निमित्त एक समुचित रूप से संरचित तंत्र उपलब्ध हो सके। उपसमितियों में चर्चा के बाद उभरने वाले मुद्दों पर राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना तथा प्रशासन संस्थान (नीपा) नई दिल्ली में 3 और 4 मार्च, 2004 को हुई संगोष्ठी में और आगे चर्चा की गई और तत्संबंधी रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

देश के भीतर विभिन्न संगठनों/छात्र समुदायों/संघों/मंचों आदि को समय-समय पर प्राप्त हुए अभ्यावेदनों को ध्यान में रखते हुए जिनमें शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए विभिन्न मुद्दे उठाए गए थे और जो काफी समय से सरकार के विचाराधीन थे, शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए भूतपूर्व सचिव (शिक्षा) श्री आनन्द

*पंत समिति उस समय अपनी रिपोर्ट के मसौदे पर विचार कर रही थी जबकि उसका कार्यकाल पूरा हुआ। यह निर्णय लिया गया कि समिति का कार्यकाल और आगे बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है तथा केन्द्रीय शैक्षिक सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन किया जाए। तदनुसार, केन्द्रीय शैक्षिक सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन किया जा चुका है और उसकी बैठक शीघ्र होने वाली है।

**अध्यक्ष ने नई सरकार में मानव संसाधन विकास मंत्री को अपना त्याग-पत्र दे दिया गया जो स्वीकार कर लिया गया । यह भी निर्णय लिया गया कि समिति समाप्त कर दी जाए और यह कि इन मुद्दो पर केन्द्रीय शैक्षिक सलाहकार बोर्ड तथा राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम में प्रवृत्त अन्य तंत्रों में विचार किया जाए।

स्वरूप** की अध्यक्षता में फरवरी, 2003 में एक कार्यबली का गठन किया गया। श्री आनन्द स्वरूप की अध्यक्षता वाली समिति ने मुद्दों के विभिन्न समूहों पर विचार करने के लिए कार्यकारी दलों का गठन किया था और देश के कुछ भागों का दौरा भी किया था। अध्यक्ष ने नई सरकार में मानव संसाधन विकास मंत्री को अपना त्याग-पत्र दे दिया जिसे स्वीकार कर लिया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि समिति निरस्त कर दी जाए तथा यह कि इन मुद्दों पर केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड में तथा राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम में परिकल्पित अन्य तंत्रों पर विचार किया जाए: छात्र समुदाय से जुड़े मुद्दे जैसेकि शिक्षा का बाजारीकरण और उसकी रोकथाम; छात्रवृत्ति पाने वालों पर महंगाई का प्रभाव तथा इसे मूल्य सूचकांक के साथ जोड़ना; शिक्षा के लिए प्रदत्त सभी दान को आयकर से छूट प्रदान करना; समाज सेवा और सैन्य प्रशिक्षण को शिक्षा का अनिवार्य अंग बनाकर नैतिक और शारीरिक बल पैदा करना तथा अनुशासन लागू करना; शिक्षा की पाठ्यचर्या को राष्ट्रीय संस्कृति, आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के अनुरूप बनाना; प्रत्येक जिले में महिला विश्वविद्यालय और महिला छात्रावासों की स्थापना करना; अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए छात्रावासों की स्थिति में सुधार; तथा व्यावसायिक शिक्षा का प्रसार। कार्यबल द्वारा अभिज्ञात मुद्दों के विभिन्न समूहों पर विचार करने के लिए कार्यबल ने छः कार्यकारी दलों की स्थापना की है।

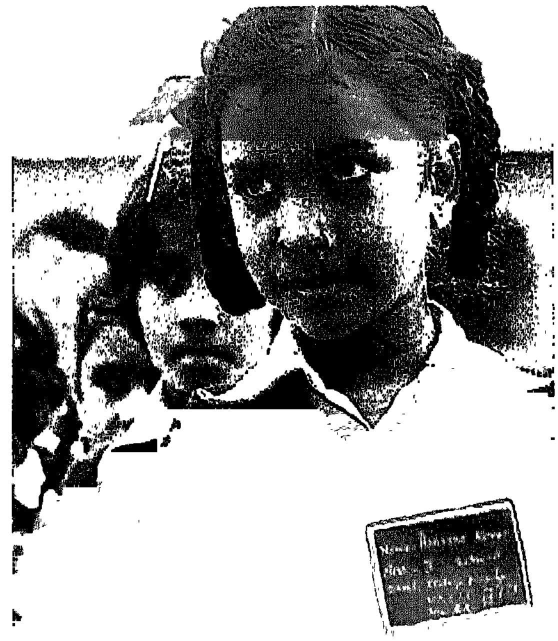
सांख्यिकीय एकक

शिक्षा विभाग का सांख्यिकीय एकक, देश में शैक्षिक आँकड़ों के संग्रह, समाकलन, संसाधित करने और उनका प्रसार करने के लिए नोडल एजेंसी है। मानव संसाध विकास मंत्रालय द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय वार्षिक शैक्षिक आँकड़े, राज्य शिक्षा विभागों के सहयोग से पूर्व-प्राथमिक स्तर से लेकर उच्चतर स्तरों के दस लाख से अधिक संस्थानों को डाक से भेजी गई प्रश्नावलियों के माध्यम से इकट्ठे किए जाते हैं। राज्यों से इकट्ठा किए गए आँकड़ों के आधार पर सांख्यिकीय एकक नौ वार्षिक तथ कुछ सामजिक प्रकाशन निकालता है। शैक्षिक आंकड़ों की गुणवत्ता में सुधार लाने और शैक्षिक आंकड़े तैयार करने में लगने वाली देरी को कम करने की दिशा में प्रयास किए गए हैं। तो भी प्रणाली में अंतर्निहित बाधाएं अभी भी बनी हुई हैं। प्रणाली में सुधार लाने के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग की सिफारिशों से मंत्रालय में कार्यरूप दिया जा रहा है।



शिक्षा प्रबंध सूचना प्रणाली (ईएफआईएस) जिसे 273 डीपीईपी जिलों में प्राथमिक स्तर तक कार्यान्वित किया गया था अव उसका विस्तार सर्वशिक्षा अभियान (एसएसए) के अधीन प्रारंभिक स्तर तक की शिक्षा को करने वाले सभी जिलों में कर दिया गया है। स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों को शामिल करने के निमित्त ईएफआईएस को और आगे सुदृढ़ करने के लिए 'राज्यों में साख्यिकीय तंत्र के सुदृढ़ीकरण' नामक एक योजना तैयार की जा रही है।

भारत आर्थिक सहकारिता और विकास संगठन (ओईसीडी)/संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) द्वारा आयोजित संयुक्त मार्गदर्शी परियोजना के माध्यम से विश्व शिक्षा संकेतक कार्यक्रम में भाग लेता रहा। यूनेस्को आईईसीडी जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों को राष्ट्रीय आंकड़ों की आपूर्ति के रूप में आवश्यक सहयोग प्रदान किया गया।



आयोजना और अनुश्रवण एकक

वार्षिक योजनाएं और पंचवर्षीय योजनाएं

इस एकक के प्रमुख कार्यकलाप इस प्रकार हैं: वार्षिक योजना और पंचवर्षीय योजना तैयार करना; बजट अनुदानों में परिव्ययों के संदर्भ में योजनागत खर्च का समय पर अनुश्रवण तथा निर्धारित लक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुए वाणिज्यिक व्यय का विश्लेषण। प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग के लिए अनुमोदित वार्षिक योजना परिव्यय (2003-04) 4900 करोड़ रुपए था जबकि माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग के लिए 2125 करोड़ रुपए था।

विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से बजट कागजात प्राप्त हुए थे और 2001-02 तथा 2002-03 के लिए शिक्षा संबंधी बजटाधीन व्यय के विश्लेषण में आंकड़ों का संकलन, विश्लेषण तथा प्रकाशन किया गया। आलोच्य अवधि के दौरान शिक्षा के क्षेत्र के लिए वार्षिक वित्तीय आंकड़े भी प्रदर्शित किए गए। योजना व्यय की तिमाही समीक्षा के दौरान एकक ने योजना आयोग के साथ संपर्क बनाए रखा। साथ ही इस यूनिट ने प्लान स्कीमों से संबंधित विभिन्न मामलों पर मंत्रालय के विभिन्न प्रभागों, योजना आयोग, वित्त मंत्रालय आदि से संपर्क वनाए रखा।

क्षेत्र अधिकारी स्कीम

विभाग में क्षेत्र अधिकारी स्कीम केन्द्रीय क्षेत्रक तथा विभिन्न केन्द्र प्रायोजित स्कीमों की नियमित और प्रभावी समीक्षा, अनुश्रवण तथा समन्वय के उद्देश्य से 1999 में शुरू की गई था। मूल स्कीम के अनुसार उपसचिव तथा उससे उच्चतर स्तर का अधिकारी राज्य/संघ शासित क्षेत्र का प्रभारी बना दिया जाता है। क्षेत्र अधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह दो महीने में एक बार अपने आबंटित राज्य/संघ शासित प्रशासन के साथ सतत संपर्क बनाए रखेगा, क्षेत्र अधिकारी शिक्षा विभाग में राज्य का प्रतिनिधि तथा राज्य में विभाग का राजदूत होता है। संप्रति, निदेशक तथा उच्चतर स्तर के अधिकारियों को अनुश्रवण के प्रयोजन से विभिन्न राज्य/संघ शासित क्षेत्र आबंटित किए गए हैं।

यह देखने में आया है कि विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों ने भी इस स्कीम को उपयोगी पाया है।

भारत शिक्षा कोष

शिक्षा क्षेत्र संबंधी परियोजनाओं/कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए भारतवर्ष तथा विदेशों से छोटी राशियों सहित दान को सुकर बनाने के लिए सरकार ने सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन पंजीकृत एक सोसायटी के रूप में भारत शिक्षा कोष की स्थापना की है। यह कोष औपचारिक

रूप से प्रवासी भारतीय दिवस समारोह के दौरान 9.1.2003 से शुरू किया गया था। यह कोष व्यक्तियों तथा निगमित कार्यालयों, केन्द्रीय और राज्य सरकारों, अनिवासी भारतीयों तथा भारतीय मूल के व्यक्तियों से शिक्षा के सभी क्षेत्रों से जुड़े विभिन्न क्रियाकलापों के लिए दान/ योगदान/स्थायी निधि प्राप्त करेगा।

राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना और प्रशासन संस्थान (नीपा)

राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना और प्रशासन संस्थान (नीपा) मानव संसाधन विकास मंत्रालय के माध्यमिक शिक्षा और उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा स्थापित और पूर्णतया वित्तपोषित एक स्वायत्त संगठन है। इस संस्थान के उद्देश्य इस प्रकार हैं: शैक्षिक आयोजना और प्रशासन में अनुसंधान को बढ़ावा देना, इस क्षेत्र में प्रशिक्षण और परामर्शी सेवाएं प्रदान करना, केन्द्र और राज्य के प्रमुख स्तर के कार्मिकों और वरिष्ठ प्रशासकों को प्रशिक्षित तथा अनुस्थापित करना और अन्य एजेंसियों, संस्थानों और संगठनों के साथ सहयोग करना, विशेष रूप से एशियाई क्षेत्र के दूसरे देशों को शैक्षिक आयोजना और प्रशासन में प्रशिक्षण और अनुसंधान की सुविधाएं सुलभ कराना। दूसरे देशों के साथ शैक्षिक आयोजना और प्रशासन के क्षेत्र में अनुभव और विशेषज्ञता का आदान-प्रदान करने के लिए लेख, पत्रिकाएं तथा पुस्तकें मुद्रित और प्रकाशित करना तथा इन उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए तुलनात्मक अध्ययन करना।

वर्ष 2003-04 के दौरान मार्च, 2004 तक 52 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं।

संकाय ने राष्ट्रीय राज्य संस्थानागत स्तर के निकायों को और मानव संसाधन विकास मंत्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राज्य शिक्षा विभाग, राज्य उच्च शिक्षा परिषद, एससीईआरटी, एसआईईएमटी और साथ ही यूनेस्को, यूनिसेफ, विश्व बैंक और सीडा जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को परामर्शी तथा व्यावसायिक सहयोग प्रदान किया।

संस्थान में शैक्षिक आयोजना और प्रशासन तथ अंतःविषयक्षेत्रीय विषयों में एक सुसज्जित पुस्तकालय/प्रलेखन केन्द्र मौजूद हैं। यह पुस्तकालय एशियाई क्षेत्र में शैक्षिक आयोजना तथा प्रबंध के क्षेत्र में एक सर्वाधिक समृद्ध पुस्तकालय होने का दावा कर सकता है। यह पुस्तकालय अन्तःपुस्तकालय उधार पद्धति के माध्यम से संकाय, शोध छात्रों तथा विभिन्न कार्यक्रमों के सहभागियों और साथ ही अन्य संगठनों को सेवाएं उपलब्ध कराता है। पुस्तकालय में वाचनालय सुविधाएं सभी के लिए सुलभ हैं। पुस्तकालय में 55,691 से अधिक पुस्तकें हैं, 390 पत्र-पत्रिकाएं मंगाई जाती हैं तथा पुस्तकों और लेखों का एक कंप्यूटरीकृत सूची-पत्र भी है।

शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के लिए अध्ययनों, संगोष्ठियों, मूल्यांकन आदि की सहायता योजना

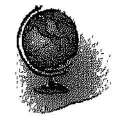
शिक्षा के कार्यान्वयन के लिए अध्ययनों, संगोष्ठियों और मूल्यांकन आदि की योजना का उद्देश्य यह है कि पात्र संस्थानों और संगठनों को प्रत्येक प्रस्ताव के गुण-दोष के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाए ताकि राष्ट्रीय नीति के प्रबंध और कार्यान्वयन को सीधे प्रभावित करने वाले बहुविध क्रियाकलापों का वित्तपोषण किया जा सके। इस प्रकार के क्रियाकलापों में पद्धति को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से संगोष्ठियों और कार्यशालाओं का प्रायोजन, प्रभाव और मूल्यांकन अध्ययनों तथा परामर्शी कार्यों का आयोजन शामिल है जिससे कि सरकार को सर्वोत्तम विकल्पों और मॉडलों के बारे में परामर्श दिया जा सके।

योजना के मार्गदर्शी सिद्धांत वर्ष 1999-2000 में संशोधित कर दिए गए हैं। संशोधित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार इस योजना के अधीन वित्तीय सहायता में ये बातें शामिल होंगी: परियोजना स्टाफ को पारिश्रमिक तथा यात्रा भत्ते/दैनिक भत्तों का भुगतान, लेखन सामग्री और मुद्रण, आवास/स्थान का किराया तथा अन्य आकस्मिक खर्च, जैसेकि डाक खर्च आदि। सामान्यतः प्रत्येक परियोजना के लिए अध्ययनों/मूल्यांकनों के निमित्त सहायता की अधिकतम सीमा 5.00 लाख रुपए होगी। राष्ट्रीय सम्मेलन/संगोष्ठी पर खर्च की अधिकतम सीमा 3.00 लाख रुपए और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों (अथवा व्यापक अंतर्राष्ट्रीय सहभागिता सहित) के मामले में यह सीमा 5.00 लाख रुपए होगी।

2003-04 के दौरान मार्च, 2004 तक 28 संगोष्ठियाँ/सम्मेलन/ अध्ययनों/मूल्यांकन आदि के प्रयोजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा चुकी है। वर्ष 2004-05 के लिए 50 संगोष्ठियों/ सम्मेलनों/ कार्यशालाओं/मूल्यांकन आदि आयोजित करने के लिए आर्थिक सहायता देने का लक्ष्य रखा गया है।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सेल

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सेल शिक्षा क्षेत्र में द्विपक्षीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संबंधी कार्य का समन्वय करता है और विभिन्न देशों के साथ शैक्षिक विनिमय कार्यक्रम तैयार, कार्यान्वित और अनुश्रवण करता है।



अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सेल शिक्षा क्षेत्र में द्विपक्षीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संबंधी कार्य का समन्वय करता है और विभिन्न देशों के साथ शैक्षिक विनिमय कार्यक्रम तैयार, कार्यान्वित और अनुश्रवण करता है ।

इस प्रकार विभिन्न देशों के साथ द्विपक्षीय शैक्षिक विनिमय के प्रस्ताव सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों के जो कि संस्कृति विभाग द्वारा तैयार और कार्यान्वित किए जाते थे, अभिन्न अंग बन गए हैं। अब यह निर्णय लिया गया है कि विभिन्न देशों के साथ स्वतंत्र शैक्षिक विनिमय कार्यक्रम (ईईपी) तैयार किए जाएं ताकि इस प्रकार के चीन, इस्राइल, गायना, मंगोलिया, अमानिया, हंगरी, म्यांमार, तंजानियां, सीरिया और आस्ट्रेलिया के साथ ईईपी पर हस्ताक्षर हो चुके हैं, अन्य देशों के साथ ईईपी तैयार किए जा रहे हैं। रूस, अमरीका, मलेशिया, यमन, लिबिया, थाइलैंड, दक्षिण अफ्रीका, वियतनाम, ब्राजील तथा कजाकिस्तान के साथ ईईपी विचाराधीन हैं। इसके अलावा डिग्रियां, डिप्लोमा तथा अन्य शैक्षिक योग्यताओं की परस्पर मान्यता तथा समकक्षता के बारे में अर्मेनिया, यूक्रेन, रूस, चेकोस्लोवाकिया जैसे अनेक देशों के साथ समझौता ज्ञापन विचाराधीन है। साथ ही आईसी सेल सार्क, राष्ट्रमंडल, एशियन मेकांग गंगा सहकारी परियोजना आदि के सहयोग के शिक्षा घटक के कार्यान्वयन का और साथ ही शिक्षा क्षेत्र में अन्य द्विपक्षीय/बहुपक्षीय सहयोग कार्यक्रमों का समन्वय भी करता है।

विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में सहभागिता का काम भी आईसी सेल देखता है।

विदेशी शिष्टमंडलों के दौरे

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्रकोष्ठ मंत्रिमंडलीय स्तर पर भारत के विदेशी शिष्टमंडलों के दौरों का समन्वय करता है जिसका एक उद्देश्य भारत और अन्य देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाना भी है। उजबेकिस्तान, ऐरीट्रिया, दक्षिण अफ्रीका, इटली और आस्ट्रेलिया के मंत्रिमंडल स्तरीय शिष्टमंडल पहले ही भारत का दौरा कर चुके हैं और उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में और अधिक सहयोग के लिए सार्थक विचार-विमर्श किया। चीन, रूस, फिनलैंड, कंबोडिया, कुवैत, नामिबिया और तमूर लेस्टे के महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने सचिव (माध्यमिक और उच्च शिक्षा) के साथ जबकि दक्षिण अफ्रीका के महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने अपर सचिव (शिक्षा) के साथ मुलाकात की।

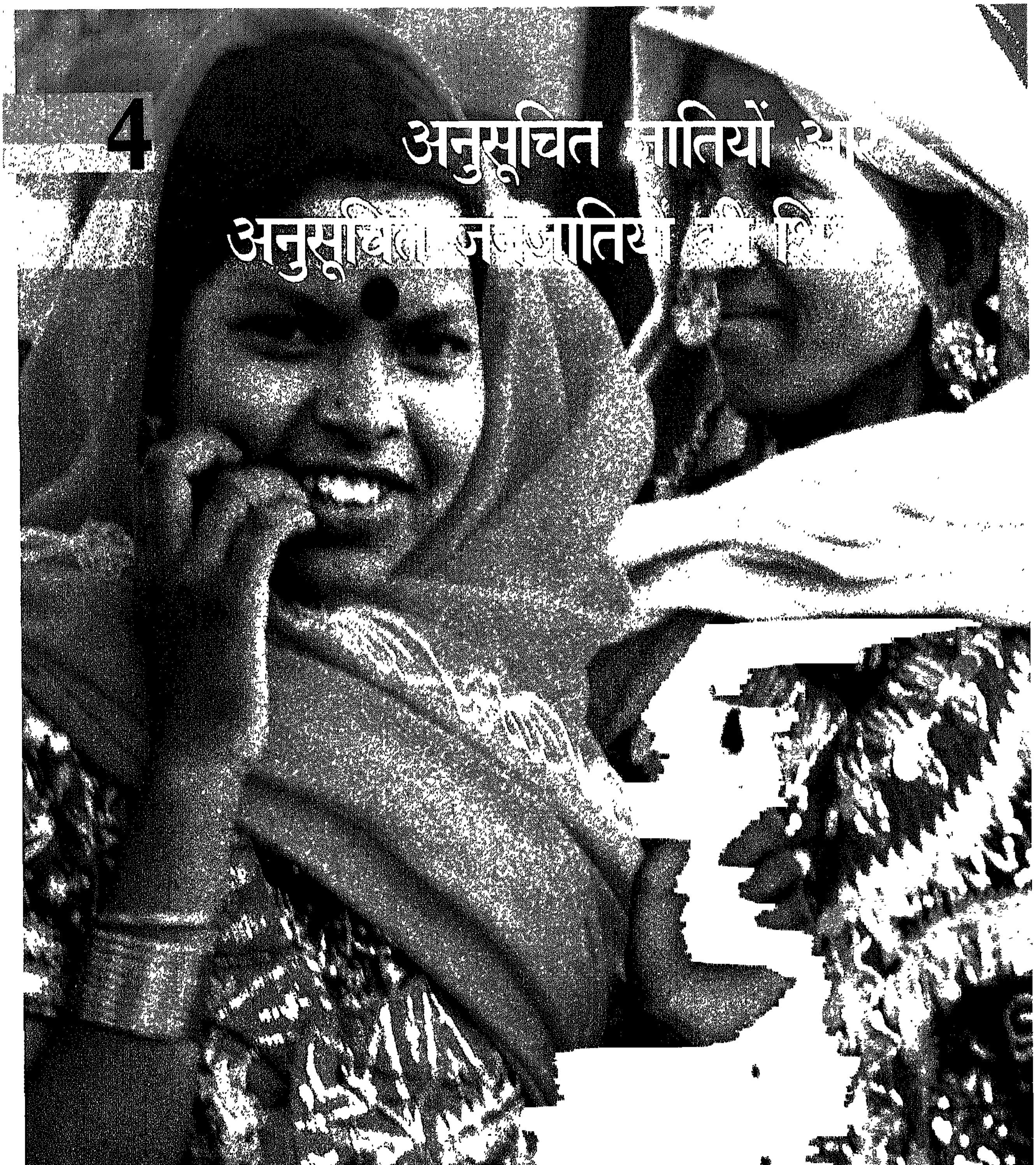
आईसी सेल भारत से दूसरे देश को जाने वाले मंत्रिमंडलीय शिष्टमंडलों का समन्वय भी करता है। वर्ष के दौरान माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड में आयोजित राष्ट्रमंडल शिक्षा मंत्रियों के 15वें सम्मेलन में भाग लिया और संयुक्त सचिव (उच्चतर शिक्षा) ने कोलम्बो, श्रीलंका में एचआरडी संबंधी पहली सार्क तकनीकी समिति में भाग लिया।

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश

आईसी सेल, शिक्षा के क्षेत्र के संबंध में विदेशी निवेश प्रोन्नति बोर्ड (एफआईपीबी)और परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) से प्राप्त एफआईपीबी प्रस्तावों की जांच का समन्वय भी करता है।

■■■

4 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा



स्वतंत्रता के बाद से सरकार ने ऐसे अनेक उपाय किए हैं जिनसे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक स्तरों को ऊंचा उठाने में काफी योगदान मिला है। तथापि, शैक्षिक विकास के क्षेत्र में ये समुदाय अभी तक अन्य समुदायों के बराबर नहीं पहुंच सके हैं।



संविधान के अनुच्छेद 46 में यह कहा गया है कि 'राज्य दुर्बल वर्गों विशेषरूप से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों की शिक्षा और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने की ओर विशेष ध्यान देना तथा सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के सामाजिक शोषण से उनकी रक्षा करेगा।' हमारे समाज ममें इन दुर्बल वर्गों के लाभ के लिए इन प्रावधानों का पूरा प्रयोग किए जाने की जरूरत है। अनुच्छेद 330, 332, 335, 338 से 342 तथा संविधान की पूरी पांचवी और छठी अनुसूचियों अनुच्छेद 46 में निर्दिष्ट लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए विशेष प्रावधान से संबंधित हैं।

स्वतंत्रता के बाद से सरकार ने ऐसे अनेक उपाय किए हैं जिनसे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक स्तरों को ऊंचा उठाने में काफी योगदान मिला है। तथापि, शैक्षिक विकास के क्षेत्र में ये समुदाय अभी तक अन्य समुदायों के बराबर नहीं पहुंच सके हैं ।

1992 में अद्यतन बनाई गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनपीई) 1986 में तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा सहित सभी क्षेत्रों में सुधार और उसके विस्तार, शैक्षिक सुविधाओं की सुलभता से जुड़ी विषमताओं के उन्मूलन और प्राथमिक से लेकर उच्चतर शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षा की गुणवत्ता और प्रासंगिकता में सुधार लाने पर बल दिया गया है। साथ ही इसमें इस बात पर भी बल दिया गया है कि शिक्षा को सामाजिक और क्षेत्रीय असंतुलनों को सही करने, महिलाओं को सामर्थ्यवान बनाने और सुविधाविहीनों को न्यायोचित स्थान दिलाने में एक उपयोगी तथा हस्तक्षेपणीय भूमिका अवश्य निभानी होगी।

शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और स्कूली शिक्षा मूलतः राज्य सरकारों का दायित्व है। केन्द्रीय सरकार अपनी तरफ से राज्य सरकारों की विभिन्न पहलों का समर्थन करती है। 3 दिसम्बर, 2002 को अधिसूचित संवैधानिक (86वां संशोधन) अधिनियम में अनुसूचित जातियों/जनजातियों. के बच्चों के सभी समुदायों के साथ सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक एकीकरण के अलावा, 6-14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा को एक मूल अधिकार बना दिया गया है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के निमित्त विशेष प्रावधान की दिशा में सरकार द्वारा की गई कुछ पहले निम्नानुसार हैं:

- कम से कम उच्चतर प्राथमिक स्तर तक सभी राज्यों में, सरकारी विद्यालयों में ट्यूशन फीस समाप्त करना। (अधिकांश राज्यों ने वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए ट्यूशन फीस को समाप्त कर दिया है।)
- इन छात्रों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें, यूनिफार्म, स्टेशनरी, बस्ते, आदि जैसे प्रोत्साहन प्रदान करना।
- जिला प्राथमिक शिक्षा योजना (डीपीईपी): लोक जुम्बिश (एलजे); सर्वशिक्षा अभियान (एसएसए); शिक्षाकर्मी योजना; शिक्षा गारंटी योजना (ईजीएस) और वैकल्पिक एवं नवोन्मेषी शिक्षा (एआईई); तथा राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा पोषण अनुसमर्थन कार्यक्रम (एनपीएनएसपीई) आदि शिक्षा विभाग के प्रमुख कार्यक्रम अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की बहुलता वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता प्रदान करते हैं।
- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम) क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेजों, (आरईसी) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, केन्द्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों सहित उच्चतर शिक्षा की केन्द्र सरकार की संस्थाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचितय

जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण। विश्वविद्यालयों, कालेजों, तकनीकी संस्थाओं में इस आरक्षण के अलावा, प्रवेश में न्यूनतम योग्यता प्रतिशत के मामले में भी छूट दी गई है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने केन्द्रीय विश्वविद्यालयों सहित 113 विश्वविद्यालयों में आरक्षण नीति के समुचित क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए अनुसूचित जाति/जनजाति प्रकोष्ठ स्थापित किए हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने आरक्षण नीति के क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए एक स्थायी समिति भी गठित की है ।

- विभिन्न विषयों में शैक्षणिक दक्षताओं और भाषा संबंधी निपुणता में सुधार लाने और उनकी बोधगम्यता के स्तर को बढ़ाने के लिए अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को उपचारी और विशेष कोचिंग दी जाती है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटीज) की एक योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति के जो छात्र बहुत ही कम अंकों से प्रवेश परीक्षा में फेल हो जाते हैं, उन्हें एक वर्ष का प्रारंभिक पाठ्यक्रम प्रदान किया जाता है और जो इस सहायता के साथ पास हो जाते हैं, उन्हें बी.टेक पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश दिया जाता है।
- कनिष्ठ शोध फैलोशिप (जेआरएफ) के लिए अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को न्यूनतम अंकों के मामले में 10 प्रतिशत की छूट दी जाती है और इस फैलोशिप के लिए उत्तीर्ण होने वाले अनुसूचित जाति/जनजाति के सभी छात्रों को फैलोशिप्स दी जाती हैं।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के जो उम्मीदवार राष्ट्रीय योग्यता परीक्षा (नेट) में बैठते हैं और लेक्चरर के पद के लिए अर्हता प्राप्त कर लेते हैं उन्हें सामाजिक विज्ञानों सहित विज्ञान और मानविकी के क्षेत्रों में प्रतिवर्ष 50 कनिष्ठ अध्येतावृत्तियाँ प्रदान की जाती हैं।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अनुसूचित जाति/जनजाति के उम्मीदवारों के लिए व्याख्याताओं के रूप में नियुक्ति के लिए स्नातकोत्तर स्तर पर अंकों के मामले में 5 प्रतिशत की छूट देता है (यानि 55 प्रतिशत की जगह 50 प्रतिशत)। आयोग ने राष्ट्रीय योग्यता परीक्षा (एनईटी) परीक्षा देने के लिए स्नातकोत्तर स्तर पर आवश्यक अंकों को अनुसूचित जाति/जनजाति के मामले में घटा कर 50 प्रतिशत किया है ।
- यूजीसी में विभिन्न विषयों में शैक्षणिक दक्षताओं और भाषा संबंधी निपुणता में सुधार लाने और उनकी बोधगम्यता के स्तर को बढ़ाने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए उपचारी और विशेष कोचिंग का प्रावधान है। विश्वविद्यालयों को विस्तार क्रियाकलापों के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। इस स्कीम के अधीन अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों सहित समाज के सभी वर्ग शामिल किए जाते हैं।
- माध्यमिक चरण में ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली छात्रों के लिए कुल 43,000 छात्रवृत्तियों में से, 13,000 छात्रवृत्तियाँ ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आबंटित की जाती है। एनसीईआरटी द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतिभा शोध योजना के अंतर्गत केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को 225 छात्रवृत्तियाँ आवंटित की जाती हैं।
- केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर के पास अनुसंधान, विकासशील जनशक्ति और जनजातीय भाषाओं सहित भारतीय भाषाओं में सामग्री उत्पादन के माध्यम से भारतीय भाषाओं के विकास की एक स्कीम है। संस्थान ने 90 से अधिक जनजातीय और सीमांत भाषाओं पर काम किया है।
- माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में छात्राओं के लिए बोर्डिंग और छात्रावास सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण की योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों और समाज के दुर्बल वर्गों की किशोर लड़कियों के नामांकन में सुधार के लिए स्वैच्छिक संगठनों को शत-प्रतिशत आर्थिक सहायता दी जाती है। शैक्षिक दृष्टि से पिछले जिलों और अनुसूचित जातियों/जनजातियों तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े अन्य अल्पसंख्यकों की बहुलता वाले जिलों से प्राथमिकता दी जाती है।
- कस्तुरबा गांधी स्वतंत्र विद्यालय स्कीम का उद्देश्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों से संबंधित महिलाओं के बीच साक्षरता को बढ़ाना है। जिन जिलों में महिलाओं की साक्षरता दर 10 प्रतिशत से कम है, उनमें 500 आवासीय स्कूल खोलने का विचार है। शुरू में ये स्कूल पांचवीं कक्षा तक होंगे तथा बाद में उनका उन्नयन किया जाएगा।
- न्यून महिला साक्षरता दर वाले जिलों के रूप में 146 जिलों की पहचान की गई है जहां ऐसे कार्यक्रम/स्कीमों को कार्यान्वित करने के लिए केन्द्र और साथ ही राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा केन्द्रित ध्यान दिया जाएगा।
- समग्र साक्षरता अभियान के अधीन कुल मिलाकर जितने छात्रों का सर्वेक्षण किया गया है, उनमें से 24 प्रतिशत अनुसूचित जातियों के तथा 12 प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों के हैं ।
- सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के अधीन जो कि प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के लक्ष्य की पूर्ति के लिए एक प्रमुख स्कीम है, 2010 तक 6-14 वर्ष तक के सभी बच्चों

आम जनता की तुलना में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की साक्षरता दरों में वृद्धि

वर्ष	आम जनसंख्या			अनुसूचित जातियाँ			अनुसूचित जनजातियाँ		
	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
1991	64.13	39.29	52.21	49.91	23.76	37.41	40.65	18.19	29.60
2001	75.85	54.16	65.38	66.38	41.44	54.34	59.00	34.42	46.84
% वृद्धि	11.72	14.87	13.17	16.47	17.68	16.93	18.35	16.33	17.24

को उपयोगी और प्रासंगिक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान किए जाने का प्रावधान है। साथ ही स्कूलों के प्रबंध में समुदाय की सक्रिय सहभागिता से सामाजिक, क्षेत्रीय और लैंगिक विषमताएं समाप्त करने के लिए भी एक लक्ष्य रखा गया है। इन समुदायों के लिए एसएसए के अधीन निम्न प्रमुख हस्तक्षेपनीय उपाय किए गए हैं:

- नए स्कूल और शिक्षा गारंटी केन्द्र खोलना ताकि जिन बस्तियों में एक भी प्राथमिक स्कूल नहीं है उनमें 200-300 आबादी वाली बस्ती में स्कूली सुविधाएं सुनिश्चित हो सकें।
- प्राथमिक स्कूलों की शिक्षा पूरी करने वालों की संख्या पर निर्भर रहते हुए 1:2 के अनुपात में नए उच्च प्राथमिक स्कूल खोलना ।
- अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के बच्चों को उच्च प्राथमिक स्तर तक निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें।
- सामुदायिक नेताओं का प्रशिक्षण ताकि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों को अपने बच्चों का नामांकन करने के लिए प्रेरित किया जा सके।
- अनुसूचित जातियों/अनुसूचितस जनजातियों के बच्चों के लिए नवचारी हस्तक्षेपणीय उपायों तथा शैक्षिक विकास के निमित्त प्रत्यके जिले से प्रतिवर्ष 15.00 लाख रुपए तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता का प्रावधान।



माध्यमिक चरण में ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली छात्रों के लिए कुल 43,000 छात्रवृत्तियों में से, 13,000 छात्रवृत्तियाँ ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आभंटित की जाती है ।

- जो बच्चे अपनी पढ़ाई औसत छात्र के बराबर नहीं कर पाते उनके लिए सेतु पाठ्यक्रम तथा उपचारी शिक्षण।
- अधिकांशतः अनुसूचित जातियों/जनजातियों के बच्चों के लाभ के लिए स्कूल में दाखिल न हो सकने वाले बच्चों को नियमित स्कूलों की मुख्यधारा में शामिल करने पर बल देते हुए वापिस स्कूल शिविरों का प्रावधान।
- विशिष्ट परिवारों के बच्चों की स्कूली आवश्यकताओं पर बल देते हुए अनुसूचितय जातियों/ जनजातियों से सामुदायिक आयोजकों की नियुक्ति।
- स्कूल प्रबंध में अनुसूचित जातियों/जनजाति समुदायों, विशेष रूप से अभिभावकों के समुचित प्रतिनिधित्व द्वारा स्कूल के स्वामित्व का एहसास सुनिश्चित करना।
- दुर्बल वर्गों के बच्चों की हाजरी पर निगाह रखना तथा उन्हें शिक्षा में बनाए रखना सुनिश्चित करना।

प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता तथा माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभागों के आवंटित बजटों में से 15.00 प्रतिशत तथा 7.50 प्रतिशत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए क्रमशः विशेश घटक योजना तथा जनजातीय उपयोजना के अधीन आबंटित किया जाता है। माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग ने अपनी वार्षिक योजना 2003-04 के लिए अपने 2,125,00 करोड़ रुपए के योजना परिव्यय में से एससीपी और टीएसपी के लिए सैद्धांतिक रूप से क्रमशः 318.75 और 159.38 करोड़ रुपए आबंटित किए हैं। प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग ने अपनी वार्षिक योजना 2003-04 के लिए अपने 4900.00 करोड़ रुपए के वार्षिक योजना परिव्यय में से एससीपी और टीएसपी के लिए क्रमशः 73500 करोड़ रुपए और 367.50 करोड़ रुपए आबंटित किए हैं।

जैसाकि तालिका से स्पष्ट होगा, 1991-2001 के दशक के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दरों में सामान्य जनता की तुलना में उच्चतर वृद्धि हुई है।

5 पूर्वोत्तर क्षेत्र में शैक्षिक उन्नति



प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग पूर्वोत्तर क्षेत्र में अपना व्यय बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। वर्ष 2002-03 के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग का व्यय सं.अ. का 6.93 प्रतिशत तथा जो कि पिछले वर्षों की तुलना में उल्लेखनीय सुधार का परिचायक है।

अक्तूबर, 1996 में गुवाहटी में तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा पूर्वोत्तर (एनई) राज्यों के संबंध में घोषित की गई नई पहलों के अनुसरण में श्री एसपी शुक्ला, सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय आयोग का गठन किया गया जिसे सात पूर्वोत्तर राज्यों में बुनियादी न्यूनतम सेवाओं (बीएमएस) में पिछड़ेपन और पूर्वोत्तर क्षेत्र में शिक्षा सहित आधार-तंत्रीय विकास के मुख्य क्षेत्रों में कमियों की गहराई से जांच करनी है।

शुक्ला आयोग की सिफारिशों को कार्यरूप देने के प्रयोजन से वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण (1998-99) में पूर्वोत्तर राज्यों तथा सिक्किम में विशिष्ट कार्यक्रमों के वित्तपोषण के लिए संसाधनों के असमाप्य केन्द्रीय पूल का निर्माण किए जाने की घोषणा की थी। यह निर्णय लिया गया था कि सभी केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों को इस क्षेत्र में विशिष्ट कार्यक्रमों के विकास के लिए अपने बजट का 10 प्रतिशत हिस्सा आबंटित करना चाहिए। इस मानदंड के अनुसार किसी मंत्रालय/विभाग (उन्हें छोड़कर जिन्हें विशेष रूप से छूट दी गई है) द्वारा प्रावधान के प्रयोग में जितनी मात्रा में कमी रह जाएगी, उतनी राशि पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए केन्द्रीय संसाधन पूल नामक लोक लेखे में नई आरक्षित निधि में अंतरित कर दी जाएगी। पूर्वोत्तर विकास विभाग के सचिव की अध्यक्षता में एक अंतःमंत्रालयी समिति संसाधनों के समाप्य केन्द्रीय पूल (एनएलसीपीआर) की देखभाल कर रही है।

केन्द्रीय संसाधनों का असमाप्य केन्द्रीय पूल (एनएल-सीपीआर)

विभाग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर एनएलसीपीआर की देखभाल करने वाली अधिकारप्राप्त समिति ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में शैक्षिक आधारित तंत्र के विकास के लिए अभी तक 444.90 करोड़ रुपए की लागत के प्रस्तावों को मंजूरी दी है और इसमें से 355.13 करोड़ रुपए की राशि पहले ही प्रदान की जा चुकी है।

कन्द्रीय क्षेत्रक में से प्रस्ताव मुख्यतः केन्द्रीय संसाधनों के आधार तंत्र के विकास से संबंधित हैं, जैसेकि पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान (एनईआरआईएसटी), ईटानगर, पूर्वोत्तर में चार केन्द्रीय विश्वविद्यालय और जेएनयू तथा इग्नू तथा इसमें स्टाफ क्वार्टरों, शैक्षणिक भवनों, पुस्तकालय भवनों, प्रशासनिक भवनों का निर्माण और प्रयोगशाला उपस्करों आदि की खरीद शामिल है। परियोजनाएं कार्यान्वियन के विभिन्न चरणों में हैं।

एनएलसीपीआर को शासित करने वाले संशोधित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजना केवल पहले वर्ष एनएलसीपीआर द्वारा वित्तपोषित की जाएंगी, जिसके बाद संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से अपने बजटीय संसाधनों में से इन परियोजनाओं को पूरा करना है। विभिन्न विकल्पों पर विचार करने के बाद माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग ने 2003-04 के दौरान निम्न केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के लिए अपने बजट में से योजनागत व्यय मंजूर किया हैः

तेजपुर विश्वविद्यालय	11.03 करोड़ रुपए
उत्तर-पूर्व पर्वतीय विश्वविद्यालय (नेहू)	16.44 करोड़ रुपए
असम विश्वविद्यालय	10.00 करोड़ रुपए
नागालैंड विश्वविद्यालय	35.00 करोड़ रुपए
नागालैंड विश्वविद्यालय का कोहिमा परिसर	10.00 करोड़ रुपए
एनआरई छात्रावास, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू)	2.95 करोड़ रुपए

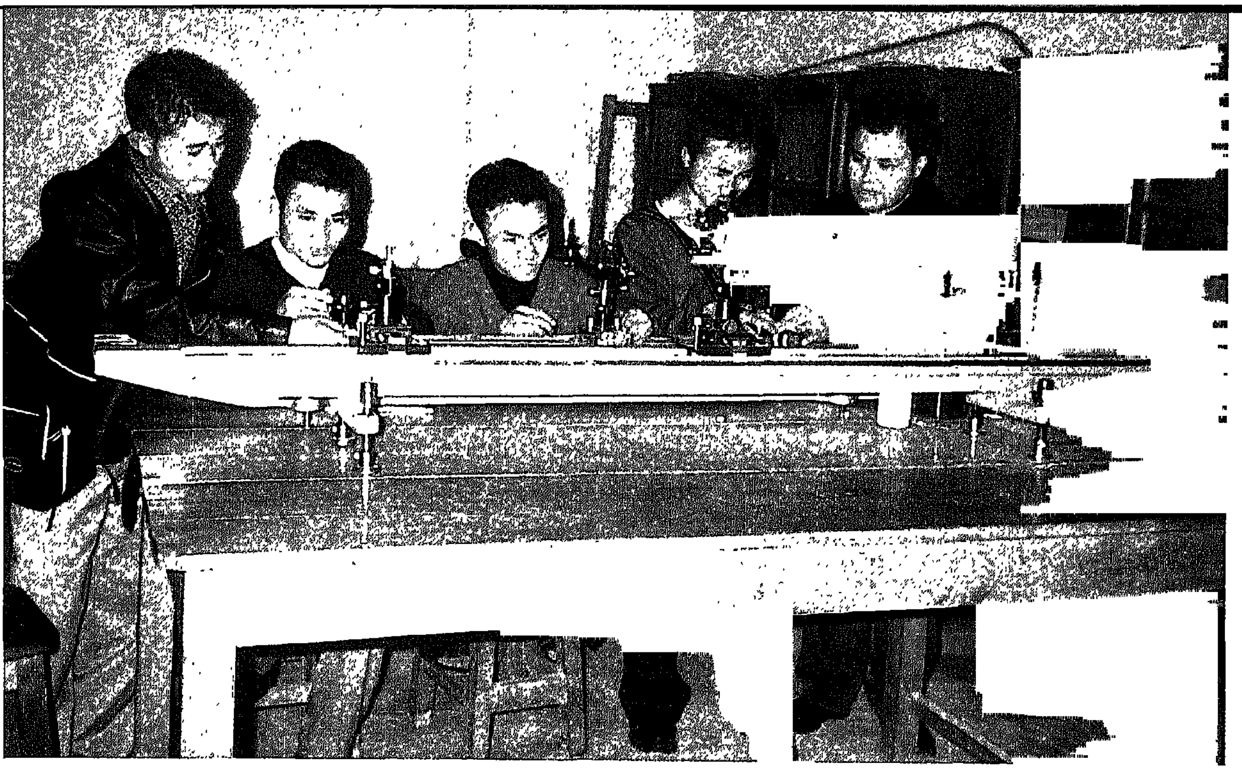
विभागों की स्कीमों के अधीन पूर्वोत्तर क्षेत्र की निधियों के प्रवाह का अनुश्रवण

सरकार की नीति के अनुसरण में माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग पिछले चार वित्तीय वर्षों के दौरान अपनी विभिन्न स्कीमों के अधीन तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित अपने संस्थानों के माध्यम से पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए अपने बजट के 10 प्रतिशत अथवा इसके आसपास के निर्धारित स्तर तक खर्च कर सका है।

प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग भी पूर्वोत्तर क्षेत्र में अपना व्यय बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। वर्ष 2002-03 के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रारंभिक शिक्षा तथा साक्षरता विभाग का व्यय सं.अ. का 6.93 प्रतिशत बैठता है जोकि पूर्ववर्ती वर्षों की तुलना में उल्लेखनीय सुधार का परिचायक है ।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में समाजार्थिक विकास के लिए प्रधानमंत्री की कार्यसूची

पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम के मुख्यमंत्री तथा राज्यपाल के साथ 21-22 जनवरी, 2000 को हुए सम्मेलन के बाद माननीय प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के समाजार्थिक विकास के लिए अपनी कार्यसूची की घोषणा की। पूर्वोत्तर क्षेत्र के समाजार्थिक



विकास के लिए प्रधानमंत्री की कार्यसूची में शामिल एक पहल का संबंध मिजोरम में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने और उसके विकास के लिए 25 करोड़ रुपए की राशि आबंटित किए जाने के साथ था। मिजोरम विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000, 2 जुलाई, 2001 से लागू हुआ। प्रोफेसर ए.के. शर्मा ने मिजोरम विश्वविद्यालय के पहले उप-कुलपति के रूप में 2 जुलाई, 2001 को पदभार संभाला। विश्वविद्यालय के पहले कुल सचिव और वित्त अधिकारी की नियुक्ति भी की जा चुकी है। विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालय परिसर के आधारिक तंत्र के विकास के लिए लगभग 25 करोड़ रुपए के प्रस्ताव तैयार किए गए हैं।पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास विभाग ने शुरू में संसाधनों के असमाप्य केन्द्रीय पूल (एनएलसीपीआर) में से इस परियोजना को मंजूरी देने में अपनी असमर्थता व्यक्त की। तथापि पीएमओ द्वारा ली गई एक बैठक के फलस्वरूप विभाग एनसीएलपीआर के अधीन इस परियोजना का वित्तपोषण करने को राजी हो गया है और उसने 23 करोड़ रुपए का अनुदान पहले ही मंजूर कर दिया है। इस तरीके से राज्य सरकार को मिजोरम विश्वविद्यालय से दिए जाने के लिए 4.55 करोड़ रुपए की पहली किश्त भी मंजूर की जा चुकी है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में इग्नू की पहलें

एक सहयोगात्मक पहल के रूप में इग्नू के संचय और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र में निर्मित 400 से अधिक सामुदायिक सूचना केन्द्रों (सीआईसी) का प्रयोग करने के लिए उस मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि पूर्वोत्तर क्षेत्र में इग्नू के छात्रों को कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया जा सके।

इग्नू ने भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्रालय का इस आशय का अनुरोध स्वीकार कर लिया है कि मिजोरम राज्य के उद्यमकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए सीएफटीआरआई मैसूर के सहयोग से एक खाद्य प्रसंस्करण में एक मास्टर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाए। एक बैच की प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है और शेष प्रशिक्षण पर कार्रवाई चल रही है।

इग्नू ने पूर्वोत्तर राज्यों की सरकारों के साथ दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से एक अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के अप्रशिक्षित अध्यापकों को बड़े पैमाने पर प्रशिक्षित करने के लिए आईटी मंत्रालय द्वारा स्थापित सीआईसी का प्रयोग करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में एनसीटीई की पहलें

मानव संसाधन विकास मंत्रलय, एनसीटीई तथा इग्नू के संयुक्त प्रयासों के अधीन पूर्वोत्तर राज्यों के अप्रशिक्षित अध्यापकों को दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्रशिक्षित करने के लिए इग्नू द्वारा 'प्राथमिक शिक्षा में प्रमाण-पत्र' का छः महीने का एक कार्यक्रम तैयार किया गया है जिसे एनसीटीई ने मान्यता प्रदान कर दी है। अनेक राज्य इस कार्यक्रम का लाभ पहले ही उठा चुके हैं।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में भाषा विकास के लिए पहलें

विभाग के अधीन भाषा संस्थानों द्वारा किए गए क्रियाकलाप इस प्रकार हैं:

केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय (सीएचडी)

शिलांग और गुवाहटी में अपने क्षेत्रीय केन्द्रों सहित केन्द्रीय

हिन्दी निदेशालय हिन्दी की प्रोन्नति और विकास के लिए अनेक स्कीमें कार्यान्वित कर रहा है।

व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रमों सहित पत्राचार पाठ्यक्रमों के माध्यम से अहिन्दीभाषी भारतीयों तथा विदेशियों को दूसरी भाषा के रूप में हिन्दी पढ़ाना।

अहिन्दीभाषी राज्यों के लिए हिन्दी लेखन पुरस्कार स्कीम के अधीन वर्ष 2002-03 के दौरान मणिपुर के एक लेखक को 50,000 रुपए का एक पुरस्कार प्रदान किया गया है।

हिन्दी की पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए निदेशालय द्वारा अहिन्दीभाषी राज्यों में स्थित स्कूलों, कालेजों और सार्वजनिक पुस्तकालयों को हिन्दी की पुस्तकें तथा पत्रिकाएं मुफ्त उपहार के रूप में दे दी जाती है। वर्ष 2002-03 के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में 113 पुस्तकालयों से 6,700 पुस्तकें भेंट की गई।

वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग (सीएसटीटी)

मणिपुरी के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किए जाने के बाद सीएसटीटी ने मणिपुरी पर काम शुरू कर दिया है और अभी तक लगभग 17 विषयों में 13,000 से अधिक तकनीकी शब्दों का निर्माण किया जा चुका है। असमिया भाषा में स्तरीय पाठ्यपुस्तकें तैयार करने के लिए गुवाहटी विश्वविद्यालय और डिब्रुगढ़ में दो सेल स्थापित किए गए। अपनी स्थापना के बाद से इन सेलों द्वारा 412 और 337 पुस्तकें तैयार कर ली गई हैं। चालू वित्तीय वर्ष में पाठ्यपुस्तकों का निर्माण करने के लिए गुवाहटी विश्वविद्यालय से 8 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जा चुकी है।

केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा (केहिसंआगरा)

केन्द्रीय हिन्दी संस्थान के गुवाहटी और शिलांग में स्थित क्षेत्रीय केन्द्र पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विभिन्न कार्यक्रम/कार्यशालाएं आयोजित करते रहे हैं। 2002-03 की उपलब्धियों में ये शामिल हैं : नागालैंड और मेघालय के लिए पाठ्यपुस्तकों का निर्माण, हिन्दी-मणिपुरी द्विभाषी शब्दकोष, असम और नागालैंड के अध्यापकों के लिए पुनश्चर्या/दिशा अनुकूल पाठ्यक्रम।

केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर

सीआईआईएल का पूर्वोत्तर क्षेत्रीय भाषा केन्द्र 37 अध्यापक प्रशिक्षाणार्थियों से त्रिभाषा सूत्र कार्यक्रम के अधीन प्रशिक्षित कर रहा है। इसके अलावा, संस्थान ने निम्न का आयोजन किया है:



- नेपाली में दिशा अनुकूल पाठ्यक्रम चरण 1 तथा 2,
- इदु मिश्मी पाठ में प्रशिक्षण,
- गुवाहटी में माहासिंग में दिशा अनुकूल पाठ्यक्रम,
- प्राथमिक स्कूल अध्यापकों का माहासिंग में दिशा अनुकूल पाठ्यक्रम,
- भावी पर गहन पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए कार्यशाला।

राष्ट्रीय उर्दू भाषा प्रोन्नति परिषद्

परिषद ने पूर्वोत्तर में आठ कंप्यूटरीकृत सुलेखन प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए हैं जो एक वर्ष का 'कंप्यूटर अनुप्रयोग तथा बहुभाषी डीटीपी में डिप्लोमा' पाठ्यक्रम चला रहे हैं जिसमें युवकों को डीटीपी आपरेटरों, डाटा एंट्री आपरेटरों, विजुअल डिजाइनरों आदि के रूप में रोजगार के अवसर मिल सकेंगे। वर्ष 2002-03 के दौरान परिषद ने इन केन्द्रों पर 29.46 लाख रुपए का खर्च किया है। उर्दू, अरबी और फारसी को बढ़ावा देने के लिए परिषद ने संबंधित राज्य सरकारों के माध्यम से अंशकालिक अध्यापक नियुक्त करने के लिए स्वैच्छिक एजेंसियों/एनजीओ को सहायता अनुदान मंजूर किया है। 2002-03 के दौरान इस प्रयोजन के लिए 11.40 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई।

तीसरी तकनीशियन शिक्षा परियोजना

विभाग 6 पूर्वोत्तर राज्यों सहित 8 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में राष्ट्रीय परियोजना कार्यान्वयन एकक (एनपीआईयू) के माध्यम से यह परियोजना चला रहे हैं। परियोजना का उद्देश्य इन अल्प विकसित और दूरस्थ राज्यों में तकनीशियन शिक्षा प्रणालियों का सुदृढ़ीकरण करना है। इस परियोजना का उद्देश्य तकनीशियन शिक्षा की सुलभता की पेशकश करके समाज के सुविधाविहीन वर्गों (महिलाएं, अनुसूचित जनजातियां, अल्पसंख्यक तथा ग्रामीण युवा) को लाभ पहुंचाना भी है।

परियोजना पांच वर्षों की अवधि के लिए बाह्य वित्तपोषित रही है और जनवरी, 2000 से शुरू हुई है। 6 पूर्वोत्तर राज्यों में परियोजना के ढाई वर्ष पूरा होने के बाद कुल परियोजना लागत संशोधित करके 234.84 करोड़ रुपए कर दी गई है (अरुणाचल प्रदेश 26.71 करोड़ रुपए, मेघालय 45.75 करोड़ रुपए, मिजोरम 36.15 करोड़ रुपए, नागालैंड 45.00 करोड़ रुपए, सिक्किम 56.00 करोड़ रुपए तथा त्रिपुरा 25.23 करोड़ रुपए)।

इस परियोजना का उद्देश्य तकनीशियन शिक्षा की सुलभता की पेशकश करके समाज के सुविधाविहीन वर्गों (महिलाएं, अनुसूचित जनजातियां, अल्पसंख्यक तथा ग्रामीण युवा) को लाभ पहुंचाना भी है ।

मार्च, 2004 की स्थिति के अनुसार परियोजना की उपलब्धियाँ निम्नानुसार हैं:

- 7 नए पोलीटेक्निक (अरुणाचल प्रदेश में 1, मेघालय में 2, नागालैंड में 1, सिक्किम में 2 तथा त्रिपुरा में 1) खोले गए हैं जिनमें प्रतिवर्ष 875 छात्रों के दाखिले की क्षमता है।
- 6 मौजूदा पोलीटेक्निकों (मेघालय में 1, मिजोरम में 2, नागालैंड में 2 तथा त्रिपुरा में 1) का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। इन पोलीटेक्निकों के व प्रौद्योगिकी के 12 नए उभरते पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं। इस प्रकार प्रतिवर्ष 420 छात्र अतिरिक्त रूप से दाखिल किए जा सकेंगे।
- नए और मौजूदा पोलीटेक्निकों में 433 छात्रों के लिए छात्रावास सुविधाएं सुलभ करने की तरफ विशेष ध्यान दिया गया है।
- पोलिटेक्निकों में 565 संकाय और स्टाफ को अंतर्वस्तु स्तरोन्नयन, शिक्षाशास्त्रीय, उच्च तकनीकी उपस्कर अनुरक्षण और प्रयोग प्रशिक्षण मिल चुका है ताकि उनकी प्रभाविता बढ़ाई जा सके।
- परियोजना के अधीन सभी पोलीटेक्निक स्थानीय उद्योग और समुदाय, विशेष रूप से सुविधाविहीन समूहों के लाभ के लिए सतत शिक्षा और सामुदायिक विकास कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। अभी तक 1198 व्यक्ति लाभान्वित हो चुके हैं।
- मौजूदा तथा नए पोलीटेक्निकों में प्रयोगशालाओं और कार्यशालाओं का आधुनिकतम प्रौद्योगिकी उपकरणों से आधुनिकीकरण किया जा रहा है तथा पुस्तकालयों ताजा पुस्तकें और पत्रिकाएं उपलब्ध कराई गई हैं और उन्हें उच्च स्तरीय अधिगम संसाधनों से सुसज्जित किया जा रहा है।

- सभी परियोजना पोलीटेक्निकों का मुख्य भूमि में बढ़िया निष्पादन करने वाले संस्थानों के साथ नेटवर्क निर्माण कर दिया गया है तथा नेटवर्क के सांझीदारों के बीच गहन वैचारिक आदान-प्रदान के लिए सुविधाएं निर्मित की जा रही हैं जैसेकि कंप्यूटर नेटवर्क निर्माण, वीडियो कोंफ्रेंसिंग आदि/नेटवर्क निर्माण व्यवस्था के बल पर संकाय और छात्र देश में अन्यत्र उद्योग और प्रौद्योगिकी में आधुनिकतम प्रवृत्तियों के निकट संपर्क में रहते हैं।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में एनसीईआरटी की पहलें

एनसीआईआरटी ने वर्ष 2003-04 में पूर्वोत्तर राज्यों में छात्रों, अध्यापकों, संसाधन व्यक्तियों आदि क लिए अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशालाएं और संगोष्ठियाँ आयोजित की। इनके अधीन शामिल क्षेत्र इस प्रकार थे; पर्यावरणात्मक अध्ययन, शैक्षिक मूल्यांकन, हिन्दी की प्रोन्नति, अध्यापक प्रशिक्षणों को आईटी साधनों तथा आईटी आधारित अधिगम संस्थानों से अवगत कराना।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाएं

2003 की स्थिति के अनुसार केवीएस पूर्वोत्तर क्षेत्र में 87 केन्द्रीय विद्यालय खोले हैं, राज्यवार ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

1.	अरुणाचल प्रदेश	11
2.	असम	49
3.	मणिपुर	5
4.	मेघालय	7
5.	मिजोरम	2
6.	नागालैंड	6
7.	सिक्किम	2
8.	त्रिपुरा	5

केवीएस के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार प्राथमिकता श्रेणियों के अनुरूप स्थानीय लोग भी केन्द्रीय विद्यालयों में दाखिले के लिए पात्र है ।

जम्मू तथा कश्मीर में शैक्षिक उन्नति

विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा जम्मू और कश्मीर के लिए विभिन्न विकासात्मक पैकेजों/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को प्रभावी रूप में समन्वित करने और उसमें तेजी लाने के प्रयोजन से गृह मंत्रालय (एमएचए) के जम्मू तथा कश्मीर मामला प्रभाग ने



सूचना पत्र



माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग 'पूर्वोत्तर शिक्षा टाइम्स' के नाम से सूचना-पत्र प्रकाशित कर रहा है । इस सूचना पत्र का उद्देश्य यह है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में शिक्षा क्षेत्र में किए जा रहे क्रियाकलापों/कार्यक्रमों से प्रकाश में लाया जाए और पूर्वोत्तर के लिए भारत सरकार द्वारा किए जा रहे विशेष प्रयासों से अवगत कराया जाए । इस सूचना पत्र से पूर्वोत्तर क्षेत्र में मत निर्माताओं की विस्तृत श्रेणी के बीच परिचालित किया जाता है।

मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में जम्मू व कश्मीर पर एक स्थायी समिति और विशेष सचिव, जम्मू तथा कश्मीर की अध्यक्षता में एक-एक कार्यकारी समूह का गठन किया है। प्रारंभिक शिक्षाच और साक्षरता विभाग तथा माध्यमिक शिक्षा और उच्चतर शिक्षा विभाग इस समिति/कार्यकारी समूह के सदस्य हैं। जम्मू व कश्मीर में केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन का मानीटरन करने के लिए विशेष सचिव (जम्मू व कश्मीर) की अध्यक्षता में चार उप-दलों का गठन किया गया। अर्थात् प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग तथा माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग दोनों विभाग उप-दल-।।। के अधीन आते हैं। अभी तक स्थायी समिति की तीन बैठकें कार्यकारी दल की पांच बैठकें और उपदल-।। की पांच बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। जम्मू तथा कश्मीर में केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है।

कार्यनीति नीति समूह (एसपीजी) के एक निर्णय और मंत्रियों के समूह की सिफारिश पर जम्मू व कश्मीर में केन्द्रीय-प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्ट जम्मू व कश्मीर मामला विभाग, गृह मंत्रालय को नियमित रूप से भेजी जाती है ताकि गृह मंत्री उनकी समीक्षा कर सकें।

श्रीनगर में अप्रैल, 2003 में और जम्मू में अगस्त, 2003 में अपनी यात्रा के दौरान माननीय प्रधानमंत्री ने जम्मू और कश्मीर समाजार्थिक विकास के लिए कुछ उपायों की घोषणा की थी। इन घोषणाओं के अनुसरण में निम्न कार्रवाई की गई है :

- जम्मू तथा कश्मीर राज्य में शैक्षिक संस्थानों के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए सचिव (माध्यमिक और उच्च शिक्षा) की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इस बैठक की पहली बैठक 28.7.2003 को आयोजित की गई। इस बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार इन क्षेत्रों में तीन उपसमितियों का गठन किया गया (1) उच्च शिक्षा, (2) तकनीकी शिक्षा तथा (3) स्कूली शिक्षा। तीन उपसमितियों की रिपोर्टों पर 11.5.2004 को हुई मुख्य समिति की बैठक में चर्चा की गई।
- की गई सिफारिशें कार्यान्वयन के लिए परिचालित की जा चुकी हैं। जम्मू व कश्मीर में अगले दो वर्षों के भीतर एक लाख रोजगार और स्वरोजगार के अवसर पैदा करने के लिए गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा एक कार्यबल का गठन किया गया। कार्यबल की प्रधानमंत्री द्वारा यथा अनुमोदित रिपोर्ट कार्यान्वयन के लिए परिचालित कर दी गई हैं। शिक्षा के क्षेत्र में 18000 नियमित वेतन वाले पदों का लक्ष्य रखा गया है जिनमं से 8900 पद जम्मू मं, 8400 पद का कश्मीर में तथा 700 पद लद्दाख में होंगे। कार्यबल की यह सिफारिश है कि सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के अधीन तीसरे अध्यापक का पद मंजूर किया जाए जिससे लगभग 15,000 शिक्षित युवकों को रोजगार मिल जाएगा। जम्मू व कश्मीर सरकार ने एसएसए के अधीन तीसरे अध्यापक के 10,179 पद, शारीरिक शिक्षा अध्यापकों के 3000 पद तथा उच्च माध्यमिक स्कूल अध्यापकों (लेक्चरर) के 1821 पद अभिज्ञात किए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा एसएसए के अधीन अभिज्ञात किए गए तीसरे अध्यापक के 10,179 पदों में 2003-04 के दौरान अध्यापकों के 740 पद मंजूर किए जा चुके हैं। शेष पदों के संबंध में राज्य सरकार से सलाह ली गई है कि इन भर्तियों के निमित्त अतिरिक्त अथवा विशेष अनुदान के लिए योजना आयोग के साथ संपर्क करें।

जम्मू में 29.8.2003 को अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने निम्न घोषणा की थी:

(1) जम्मू विश्वविद्यालयों तथा इसके सम्बद्ध कालेजों के विकास के लिए 30 करोड़ रुपए का एक बारगी विशेष अनुदान। इस घोषणा के अनुसरण में 30 करोड़ रुपए का एक विशेष अनुदान मंजूर कर दिया गया है जिसे चरणबद्ध रूप में जम्मू विश्वविद्यालय से प्रदान किया जाएगा। कुल मिलाकर 20.00 करोड़ रुपए की दो किश्ते 2003-04 के दौरान प्रदान भी कर दी गई है।

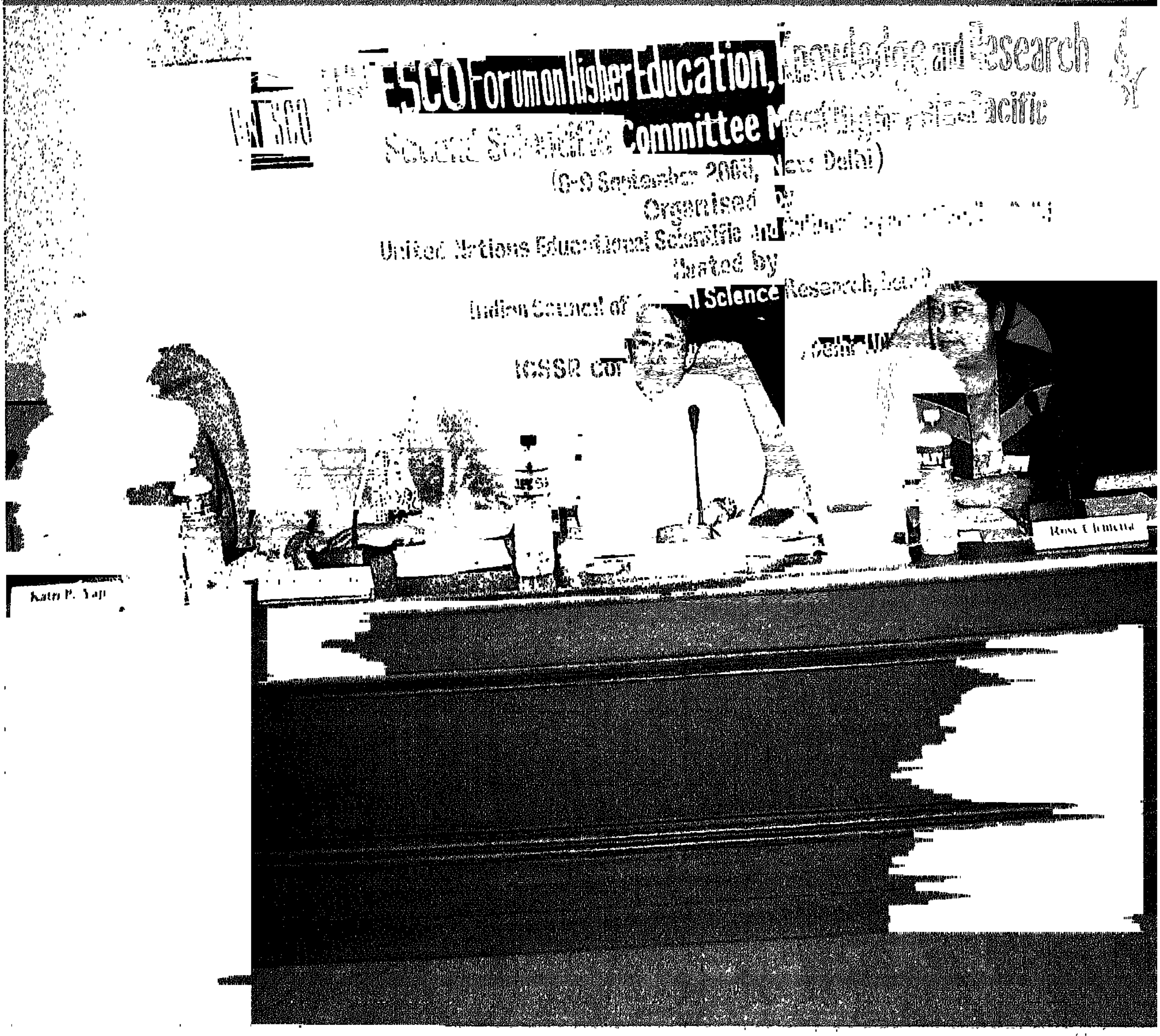
(2) तीन वर्षों की अवधि के भीतर इस केन्द्रीय विद्यालय भवनों के निर्माण के लिए 45 करोड़ रुपए का एक बारगी अनुदान/राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) से भूमि का अंतरण किए जाने के बाद निर्माण कार्य शुरू हो सकेगा ।

मानव अधिकार शिक्षा

संयुक्त राष्ट्र महासभा के दिनांक 23 दिसम्बर, 1994 के संकल्प के अनुसरण में, 1995-2004 की अवधि को मानव अधिकार शिक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र दशक के रूप में घोषित किया गया था और कार्य योजना को अक्तूबर, 1995 में अंतिम रूप दिया गया था। कार्य योजना तैयार करने के लिए गृह मंत्रालय ने एक प्रारूपण समिति का गठन किया। शिक्षा विभाग इस समिति का एक सदस्य था। समिति ने जिस कार्य योजना को अंतिम रूप दिया, उसे गृहमंत्री ने अपनाए जाने के लिए मंजूरी दे दी। इसमें संरक्षित शैक्षिक प्रणाली के सभी घटकों के बीच मानव अधिकार शिक्षा का प्रसार करने के विभिन्न कार्यक्रम तथा शिक्षा की औपचारिक प्रणाली से बाहर की आबादी के बीच मानव अधिकार जागरूकता उत्पन्न करने के लिए कार्यनीतियाँ शामिल हैं। ये कार्यबिंदु कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं और कार्यान्वयन एजेसियों के साथ नियमित समीक्षा बैठकों के जरिए उनका मानीटरन किया जा रहा है।

■■■

6 अंतर्राष्ट्रीय सहयोग



भारत सरकार ने शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक मामलों में रुचि रखने वाले अपने प्रमुख निकायों को यूनेस्को के कार्य के साथ जोड़ने के प्रयोजन से 1949 में यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग (आईएनसीसीयू) की स्थापना की थी।

यूनेस्को

भारत में यूनेस्को के साथ देश के संबंधों का समन्वय करता है तथा साथ ही यह प्रभाग विदेशी शैक्षणिक संबंधों, आरोविल्ले प्रतिष्ठान अधिनियम, 1988 के अधीन स्थापित आरोविल्ले प्रतिष्ठान नामक एक स्वायत्त संगठन से संबंधित कामकाज का भी समन्वय करता है।

भारत यूनेस्को का एक संस्थापक सदस्य है। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र की एक घटक इकाई है जिसकी स्थापना 1946 में की गई थी। यूनेस्को का मुख्य लक्ष्य लोगों के मन में शांति की रक्षा संबंधी अवधारणा का सृजन करना है और इस लक्ष्य की प्राप्ति मुख्य रूप से शिक्षा के माध्यम से हो सकती है। यूनेस्को के आदर्शों और लक्ष्यों को बढ़ावा देने में भारत एक सक्रिय भूमिका निभाता रहा है और उसका पेरिस में यूनेस्को द्वारा प्राधिकृत एक स्थायी प्रतिनिधि मंडल मौजूद है।

यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग

शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक मामलों में रुचि रखने वाले अपने प्रमुख निकायों को यूनेस्को के कार्य के साथ जोड़ने के उद्देश्य से भारत सरकार ने 1949 में यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग (आईएनसीसीयू) की स्थापना की थी। इस आयोग में इन क्षेत्रों से संबंधित पांच उप-आयोग शामिल हैं : शिक्षा, संस्कृति, संचार, सामाजिक विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान। मानव संसाधन विकास मंत्री आयोग के अध्यक्ष हैं ओर सचिव (माध्यमिक तथा उच्चतर शिक्षा) आयोग के पदेन महासचिव हैं। यूनेस्को प्रभाग के प्रभारी संयुक्त सचिव आयोग के पदेन महा उप-सचिव हैं। निदेशक, यूनेस्को प्रभाग आयोग के सचिव के रूप में काम करते हैं। आयोग के सदस्यों की कुल संख्या 100 है जिनमें से 50 व्यक्तिगत और 50 संस्थागत सदस्य हैं जिन्हें पांच उप-आयोगों में समान संख्या में विभाजित कर दिया जाता है। सदस्यता का कार्यकाल चार वर्ष है। आयोग का मुख्य काम यूनेस्को से संबधित सभी मामलों पर सरकार को सलाह देना है।

यह आयोग यूनेस्को के कामों, विशेष रूप से यूनेस्को सचिवालय और साथ ही एशिया और प्रशांत महासागर क्षेत्र के राष्ट्रीय आयोगों के सहयोग से अपने कार्यक्रमों के निर्माण और निष्पादन में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता रहा है। पिछले सदस्यों के कार्यकाल की समाप्ति के बाद यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग (आईएनसी) का पुनर्गठन किया जा रहा है।

आयोग के कार्यक्रम

यूनेस्को का सहभागिता कार्यक्रम

अपने सहभागिता कार्यक्रम के अंतर्गत यूनेस्को सदस्य देशों की विभिन्न संस्थाओं को ऐसी नवोन्मेषी परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है जो परियोजनाएं राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्क्षेत्रीय स्तरों पर यूनेस्को के लक्ष्यों के क्रियान्वयन में योगदान करें। द्वि-वार्षिकी 2002-03 के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग ने भारत की ओर से 18 प्रस्ताव भेजे हैं जिनमें से 1,18000 अमरीकी डालर के लागत वाले केवल छः प्रस्तावों की अब तक यूनेस्को से मंजूरी मिल चुकी थी।

यूनेस्को कूपन कार्यक्रम

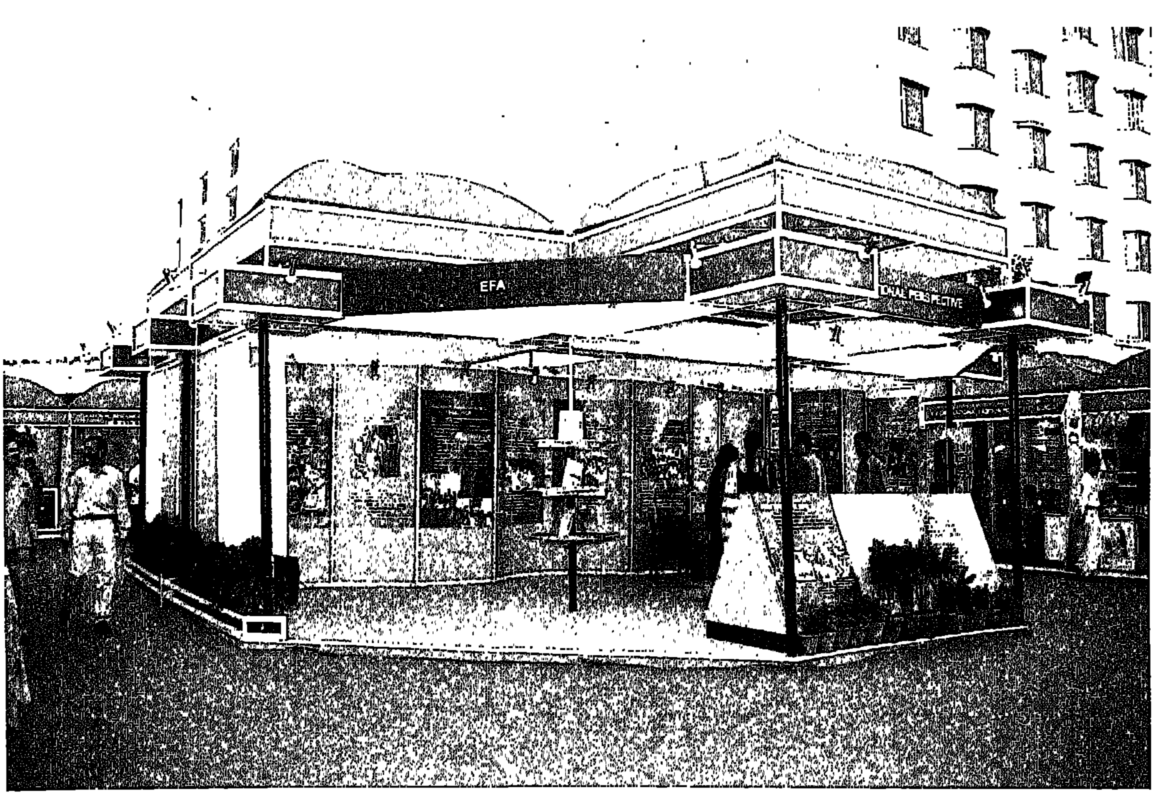
शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और संचार के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों और संस्थाओं का विदेशी मुद्रा और आयात नियंत्रण संबंधी औपचारिकताएं पूरी किए बिना शैक्षिक प्रकाशनों, वैज्ञानिक उपकरणों, शैक्षिक फिल्मों आदि से संबंधित अपनी जायज आवश्यकताओं के लिए विदेशों से आयात के लिए तैयार की गई अंतर्राष्ट्रीय कूपन योजना को भारतीय राष्ट्रीय आयोग ने संचालित करना जारी रखा। जनवरी, 2003 से मार्च, 2004 तक की अवधि के दौरान भारतीय राष्ट्रीय आयोग द्वारा यूनेस्को कूपनों की बिक्री से 34200.30 अमरीकी डालर प्राप्त हुए।

एशिया तथा प्रशांत क्षेत्र में एसीसीयू फोटो प्रतियोगिताएं और नेशनल फेडरेशन आफ यूनेस्को एसोसिएशन, जापान

यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग, यूनेस्को के लिए एशिया/प्रशांत महासागर सांस्कृतिक केन्द्र, टोक्यो (एसीसीयू) द्वारा आयोजित फोटो प्रतियोगिताओं में भारतीय फोटोग्राफरों की सहभागिता का समन्वय करता रहा है।

यूनेस्को कूरियर का प्रकाशन

यूनेस्को कूरियर यूनेस्को द्वारा प्रकाशित एक शैक्षिक और सांस्कृतिक पत्रिका है। आईएनसी, 2002 के दौरान यूनेस्को के 18,420 अमरीकी डालर के आंशिक संस्करणों के प्रकाशन में सहयोग देता रहा है। 15 अक्तूबर, 2001 से 3 नवम्बर, 2001 तक पेरिस में आयोजित महासभा के 31वें सत्र ने दिसम्बर, 2001 तक पेरिस में आयोजित महासभा के 31वें सत्र ने



दिसम्बर, 2001 के अंक के बाद एक मासिक पत्रिका के रूप में कूरियर के प्रकाशन को बंद करने का निर्णय लिया है। अवशिष्ट खर्चे की पूर्ति के लिए चालू वित्तीय वर्ष के लिए 15 लाख का प्रावधान था जिसे संशोधित करके 33.16 करोड़ रुपए कर दिया गया है ।

स्वैच्छिक संस्थाओं, यूनेस्को क्लबों और सम्बद्ध विद्यालयों को वित्तीय सहायता की योजना

यूनेस्को अपने लक्ष्यों को प्रोन्नत करने के लिए विभिन्न स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठनों से संपर्क बनाए रखता है। भारतीय राष्ट्रीय आयोग यूनेस्को के लक्ष्यों के अनुरूप कार्यकलाप चलाने के लिए स्वैच्छिक संस्थाओं, यूनेस्को क्लबों और सम्बद्ध स्कूलों को वित्तीय सहायता की एक योजना संचालित करता है। चालू वित्तीय वर्ष के लिए 5.00 लाख रुपए का प्रावधान था जिसे संशोधित करके 3.00 लाख रुपए कर दिया गया। क्योंकि एनजीओ से प्राप्त होने वाले पात्र आवेदन पत्रों की संख्या कम थी। इसलिए वर्ष 2003-04 में 97,500/- रुपए राशि खर्च की गई है।

पिछले 3 वर्षों के दौरान मंजूर किए गए सहायता-अनुदान के बारे में कोई उपयोगिता प्रमाण-पत्र (यूसी) आना बाकी नहीं है।

"सभ्यताओं के बीच संवाद - नए परिप्रेक्ष्यों की तलाश" विषय पर अंतर्राष्ट्रीय मंत्रालयी सम्मेलन

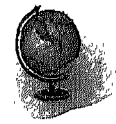
यूनेस्को के साथ सहयोग के भारतीय राष्ट्रीय आयोग (आईएनसीसीयू) ने यूनेस्को के सहयोग से नई दिल्ली, भारत में 9 और 10 जुलाई, 2003 के दौरान 'सभ्यताओं के बीच संवाद - नए परिप्रेक्ष्यों की तलाश' विषय पर एक अंतराष्ट्रीय मंत्रालयी सम्मेलन का आयोजन किया।

सम्मेलन में 85 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्रथम पूर्ण सत्र के बाद मंत्रियों, उपमंत्रियों, राजदूतों तथा यूनेस्को के प्रतिनिधियों के 9 जुलाई, 2003 से पूर्ण सत्रों से संवोधित किया।

10 जुलाई, 2003 को तीन समानान्तर सत्रों में तीन विषय गत चर्चाएं आयोजित की गई। उसके बाद एक पूर्ण सत्र आयोजित किया गया जिसमें विषय-समूहों की रिपोर्टें प्राप्त हुई। तदनन्तर सम्मेलन ने अंतिम पूर्ण सत्र में नई दिल्ली घोषण सर्वसम्मति से स्वीकार कर ली।

यूनेस्को और उसके क्षेत्रीय कार्यकलापों द्वारा प्रायोजित संगोष्ठियों, कार्यदल बैठकों में सहभागिता

आईएनसीसीयू ने जनवरी, 2003 से मार्च, 2004 के दौरान तक यूनेस्को और उसके क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा प्रायोजित अंतर्राष्ट्रीय कार्यशालाओं/प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों/संगोष्ठियों/कार्यदल बैठकों में भाग लेने के लिए माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग तथा प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय से 9 अधिकारियों और अन्य संस्थाओं/राज्य सरकारों/गैर-सरकारी संस्थाओं से 12 विशेषज्ञों को नामांकित किया है।



सभ्यताओं के बीच संवाद - नए परिप्रेक्ष्यों की तलाश विषय पर नई दिल्ली में 9-10 जुलाई, 2003 से अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 85 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए शिक्षा

यूनेस्को, एसोसिएटेड स्कूल प्रोजेक्ट (एएसपी नेट) नामक एक परियोजना चला रहा है। एसोसिएटिड स्कूल्स ऐसे शैक्षणिक संस्थान होते हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना, सहयोग और शांति के लिए शिक्षा संबंधी क्रियाकलाप चलाने के निमित्त एसोसिएटेड स्कूल परियोजना में भाग लेने के लिए सीधे ही यूनेस्को सचिवालय के साथ जुड़े होते हैं। आईएनसीसीयू की सिफारिश पर भारत के 44 स्कूल ओर अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान इस परियोजना के अधीन यूनेस्को के साथ जुड़ चुके हैं। आईएनसीसीयू में लगभग 252 यूनेस्को क्लब और 264 एसोसिएटिड स्कूल पंजीकृत हैं जिनके लिए आईएनसीसीयू राष्ट्रीय समन्वयकर्ता एजेंसी है।

यूनेस्को के उद्देश्यों और लक्ष्यों को बढ़ावा देने के लिए समितियों की बैठकें/सम्मेलन आयोजित करना और प्रदर्शनियों के आयोजन की योजना

इस योजना का उद्देश्य आईएनसीसीयू की उप-समितियों और इसके पूर्ण निकाय की बैठक में भाग लेने, प्रदर्शनियों के आयोजन, आईएनसीसीयू भाषण श्रृंखला तथा यूनेस्को के उदेश्यों और लक्ष्यों को वढ़ावा देने के लिए अन्य बैठकों में भाग लेने वाले गैर-सरकारी सदस्यों के लिए टीए/डीए संबंधी व्यय की पूर्ति करना है। चालू वित्तीय वर्ष में इस स्कीम के लिए 44 लाख रुपए का बजट जिसे संशोधित करके 25 लाख रुपए कर दिया गया। इस शीर्ष के अधीन पांच उप-आयोगों की बैठकों और द्वि-वार्षिक 2004-05 के लिए यूनेस्को के कार्यक्रम और बजट के प्रारूप पर चर्चा के लिए यूनेस्को के सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग की साधारण सभा की बैठक के आयोजन तथा सभ्यताओं के बीच संवाद - नए परिप्रेक्ष्यों की तलाश विषय पर नई दिल्ली में 9-10 जुलाई, 2003 से अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के आयोजन पर 19.70 लाख रुपए की राशि खर्च की गई। सम्मेलन में 85 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

यूनेस्को के अधिशासी बोर्ड की बैठक में सहभागिता

भारत को यूनेस्को की 1946 में हुई स्थापना के समय से ही इसके कार्यकारी बोर्ड के सदस्य के रूप में सदैव निर्वाचित होने का एक अनूठा गौरव प्राप्त है। इस 58 सदस्यीय बोर्ड की एक वर्ष में दो बैठकें आयोजित की जाती हैं और प्रत्येक बैठक दो सप्ताह चलती है। ये बैठकें पैरिस, फ्रांस में आयोजित की जाती हैं। भारत एक ऐसा देश है जिसका प्रतिनिधित्व कार्यकारी बोर्ड में होता है। सरकार ने बोर्ड के 163वें तथा 165वें सत्रों का प्रतिनिधित्व किया।

यूनेस्को के बजट में अंशदान

यूनेस्को का प्रत्येक सदस्य देश प्रत्येक द्वि-वार्षिकी के लिए यूनेस्को के नियमित बजट में अपना अंशदान देता है। यह अंशदान महासम्मेलन द्वारा समय -समय पर निर्धारित एक नियत प्रतिशत के रूप में होता है। कैलेंडर वर्ष 2003 के लिए भारत के अंशदान का हिस्सा यूनेस्को के कुल बजट का 0.448 प्रतिशत था, जो लगभग 5.51 करोड़ रुपए बैठता है। चालू वर्ष के लिए इस प्रयोजन के लिए बजट प्रावधान योजनेत्तर के लिए 603.00 लाख रुपए है। शेष राशि कैलेंडर वर्ष 2004 के लिए समायोजित कर दी गई है। 2004-05 के लिए बजट अनुमान 613 लाख रुपए प्रस्तावित है।

यूनेस्को, नई दिल्ली के कार्यालय के लिए भवन का निर्माण

भारत, नई दिल्ली में यूनेस्को के लिए मुफ्त स्थान उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार है। संप्रति, यह कार्यालय कराए के एक भवन में काम कर रहा है, जिसके लिए भारत सरकार 4 लाख रुपए प्रतिमाह का भुगतान कर रही हैं। हमने चाणक्यपुरी, नई दिल्ली में यूनेस्को कार्यालय के लिए एक भवन का निर्माण करने का निर्णय लिया है। भवन के डिजाइन का दायित्व मैसर्स डिजाइन प्लस को सौंपा गया है। वास्तुकारों द्वारा दिए गए डिजाइन मंत्रालय ने हाल ही में मंजूर किए हैं। उन्हें भवन निर्माण की दिशा में शुरूआती कार्रवाई करने को कहा गया है।

इस भवन के लिए दसवीं पंचवर्षीय योजना में 3 करोड़ रुपए

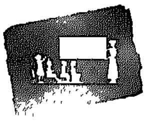
की राशि का प्रावधान किया गया है। दसवीं योजना लिए इतनी ही राशि दी गई है, जिसमें से चालू वर्ष के लिए बजट प्रावधान 85 लाख रुपए (योजागत) है, जिसे शहरी विकास मंत्रालय के बजट में परिलक्षित किया गया है।

ओलविल्ले प्रतिष्ठान

श्री अरबिन्द की एक शिष्या 'माँ' द्वारा 1968 में स्थापित आरोविल्ले तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले में पांडिचेरी के बाहरी छोर पर स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक नगर है जिसमें भारत सहित 35 विभिन्न देशों के 1330 लोग एक समुदाय के रूप में मिलकर रहते हैं और अपने आपको सांस्कृतिक, शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा मानवीय एकता के प्रति लक्षित अन्य क्रियाकलापों में व्यस्त रखते हैं।

यूनेस्को ने 1968 में पारित एक संकल्प द्वारा अपने सदस्य देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को आरोविल्ले को एक अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक नगर के रूप में विकसित करने में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया था। अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक नगर इस ढंग से तैयार किया गया है कि मानव की भौतिक और आध्यात्मिक आवश्यकताओं के अनुरूप समाकलित जीवन स्तरों सहित विभिन्न संस्कृतियों के मूल्यों को इकट्ठा रखा जाए।





यूनेस्को, एसोसिएटेड स्कूल प्रोजेक्ट (एएसपी नेट) नामक एक परियोजना चला रहा है। एसोसिएटिड स्कूल्स ऐसे शैक्षणिक संस्थान होते हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना, सहयोग और शांति के लिए शिक्षा संबंधी क्रियाकलाप चलाने के निमित्त एसोसिएटेड स्कूल परियोजना में भाग लेने के लिए सीधे ही यूनेस्को सचिवालय के साथ जुड़े होते हैं।

यह नगर 1980 से मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है और इसे भारत की संसद द्वारा पारित आरोविल्ले प्रतिष्ठान अधिनियम, 1988 के अनुसार अधिशासित किया जाता है।

आरोविल्ले न्यास अधिनियम, 1988 की धारा 10(3) के अनुसार प्रतिष्ठान में (क) एक अधिशासीस बोर्ड; (ख) निवासियों की एक सभा; तथा (ग) आरोविल्ले अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् (आईएसी) शामिल हैं। 9 सदस्यों वाले अधिशासी बोर्ड को 10 मार्च, 2003 को पुनर्गठित किया गया। आरोविल्ले की पिछली अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् का कार्यकाल 16 दिसम्बर, 2001 को समाप्त हुआ। इसे पुनर्गठित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। हाल ही में एक नए सचिव ने प्रतिष्ठान में कार्यभार संभाला है।

आरोविल्ले प्रतिष्ठान अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आरोविल्ले स्थापना अनुरक्षण और योजनागत योजनेत्तर अनुदानों के अधीन आरोविल्ले के विकास संबंधी खर्च वहन करने के लिए प्रतिष्ठान को भारत सरकार द्वारा अनुदान प्रदान किया जाता है।

प्रतिष्ठान चालू वित्त वर्ष के लिए 70 लाख रुपए तथा 155 लाख रुपए के प्रावधान में से मार्च, 2004 तक योजनेत्तर के अधीन 70 लाख रुपए तथा योजनागत के अधीन 155 लाख रुपए प्रदान किए गए हैं। दसवीं योजना अवधि के लिए आरोविल्ले के विकास के लिए 15 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं। इसमें श्री अरबिन्दो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट आफ एजुकेशनल रिसर्च (एसएआईआईईआर) के सहयोग के लिए



इसमें एक नया घटक शामिल है जिसके लिए 15 करोड़ रुपए की राशि में से 12 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं। 3 करोड़ रुपए की राशि पहले से चले आ रहे विकासात्मक क्रियाकलापों के लिए है ।

पिछले तीन वर्षों के उपयोगिता प्रमाण-पत्र बकाया

आरोविल्ले प्रतिष्ठान को पिछले तीन वर्षों में मंजूर किए गए अनुदान के संबंध मे कोई उपयोगिता प्रमाणपत्र (यूसी) प्राप्त नहीं हुए हैं ।

■■■

7 प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता



सर्वशिक्षा अभियान में समूचे देश को शामिल किया गया है और 11 लाख बस्तियों में 192 मिलियन बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा गया है। इस योजना के अधीन लगभग 8.5 लाख मौजूदा प्राथमिक और अपर प्राथमिक स्कूल तथा 33 लाख मौजूदा अध्यापक शामिल होंगे।

सर्व शिक्षा अभियान

सर्व शिक्षा अभियान(एसएसए) की योजना प्रारम्भिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के निमित्त मिशन पद्धति अपनाए जाने के सम्वन्ध में अक्तूबर 1998 में आयोजित राज्य शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की सिफारिशों का परिणाम है। एएसए अभियान की योजना को मंत्रिमण्डल द्वारा 16 नवम्बर 2000 को हुई उसकी वैठक मे अनुमोदन कर दिया गया।

सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता नौवीं योजना के दौरान केन्द्र और राज्य सरकार के बीच 85.15 की भागीदारी के आधार पर थी, दसवीं योजना के दौरान 75.25 और इसके वाद 50.50 के आधार पर थी।

कार्यक्रम में समूचा देश शामिल किया गया है और 11 लाख वस्तियों में 192 मिलियन बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा गया है। इस योजना के अधीन लगभग 8.5 लाख मौजूदा प्राथमिक और अपर प्राथमिक स्कूल तथा 33 लाख मौजूदा अध्यापक शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में ऐसी बस्तियों में नए स्कूल स्थापित करना, जहां कोई स्कूली सुविधाएं मौजूद नहीं है तथा अतिरिक्त क्लासरूमों, शौचालयों, पेय जल, अनुरक्षण अनुदान तथा सामाजिक सुधार अनुदान के प्रावधान के माध्यम से स्कूल के मौजूदा आधारिक तंत्र को सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया जाएगा। एसएसए में लड़कियों और कमजोर वर्गो के बच्चों पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस कार्यक्रम के अधीन इन बच्चों को लक्षित करने के लिए निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों के प्रावधान सहित अनेक पहलें की गई है। साथ ही, एसएसए कम्प्यूटर से युक्त और कम्प्यूटरविहीन लोगों के बीच अंतराल को पाटने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने का प्रयास भी करता है। यह प्रणाली सामूदायिक स्वामित्व वाली एक प्रणाली है।

पंचायती राज्य संस्थानों के परामर्श से तैयार की गई ग्राम शिक्षा योजनाएं, जिला प्रारम्भिक शिक्षा योजनाओं का आधार बनेंगी। एसएसए में लड़कियों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, कठिन परिस्थितियों में रह रहे बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं पर विशेष बल देते हुए सारा देश कवर किया गया है।

इस मंत्रालय ने भी दिनांक 2 जनवरी 2001 के संकल्प के जरिए प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय साक्षरता मिशन (एनएलएम)की स्थापना की है।

परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) ने एसएसए के अधीन दसवीं योजना के दौरान वार्षिक योजनाओं का अनुमोदन कर लिया है जिसमें चुनींदा जिलों में प्राथमिक विद्यालयों को लक्ष्य बनाते हुए जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डीपीईपी) भी शामिल है जो एसएसए का एक घटक है, और इन्हें अगले पृष्ठ की सारणी में दिया गया है।

दसवीं योजना के दौरान एसएसए के लिये 1700, करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। वर्ष 2003-2004 के लिये बजट अनुमान 1951.25 करोड़ रुपऐ है, संशोधित अनुमान 2732.32 करोड़ रुपए और फाइनल अनुदान 2732.32 करोड़ रुपऐ का है। वर्ष 2003-04 के लिये एसएसए के अंतर्गत कुल व्यय 3650 करोड़ रुपऐ है।

एसएसए के अधीन मानिटरिंग

एसएसए. के अधीन तीन स्तरों पर मानिटरिंग की जानी है - स्थानीय सामुदायिक स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर मानिटरिंग। समुदाय को, ग्रामीण शिक्षा समितियों जैसी इसकी प्रतिनिधि संस्थाओं के माध्यम से प्राथमिक स्तर की यह जिम्मेंदारी

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य

- 2003 तक 6-14 वर्ष आयु के सभी बच्चे स्कूलों/सेतु पाठ्यक्रम में होगे;
- 6-14 आयु के सभी बच्चे 2007 तक पांच वर्षों की प्रारम्भिक शिक्षा पूरी कर लेंगे;
- 6-14 आयु के वच्चे 2010 तक आठ वर्षों की प्रारम्भिक शिक्षा पूरी कर लेंगे;
- जीवन के लिए शिक्षा पर बल देते हुए संतोषजनक स्तर की प्रारम्भिक शिक्षा की ओर ध्यान केन्द्रित करना;
- प्राथमिक स्तर पर 2007 तक तथा प्रारम्भिक स्तर पर 2010 तक लड़के और लड़कियों के बीच अंतराल और सामाजिक श्रेणीगत विषेताएं समाप्त करना; तथा
- 2010 तक यह सुनिश्चित करना कि सभी बच्चे शिक्षा में बने रहे।

तालिका 7.1 : वर्ष 2002-2003 और 2003-04 के दौरान एस.एस.ए. के अधीन अनुमोदित वार्षिक योजनायें

	2002-2003	2003-2004
जिलो की संख्या	592	596
एस.एस.ए.के अधीन अनुमोदित धनराशि (करोड़ रु में)	3411 करोड़	8547 करोड़
डी.बी.ई.बी. के अधीन अनुमेदित धनराशि (करोड़ों रु में)	2291 करोड़	1253 करोड़
कुल अनुमोदित धनराशि (करोड़ रु में)	5702 करोड़	9800 करोड़

तालिका 7.2 : वर्ष 2002-03 और 2003-04 में अनुमोदित भौतिक मदें

	2002-2003			2003-2004		
	एस.एस.ए.	डी.पी.ई.पी.	कुल	एस.एस.ए.	डी.पी.ई.पी.	कुल
अनुमोदित विद्यालयों की संख्या	18,059	1,640	19,699	67,190	57	67,247
स्वीकृत अध्यापकों की संख्या	25,782	17,108	42,890	3,98,189	5,201	4,03,390
विद्यालय भवनों की संख्या	8,095	8,849	16,944	40,960	1,586	42,546
अतिरिक्त कमरे	32,028	7,495	39,523	68,779	3,950	72,729
शौचालय	39,699	11,130	50,829	46,272	5,488	51,760
पेय जल	26,805	6,590	33,395	33,161	8,053	41,214
अध्यापक अनुदान (अध्यापक संख्या)	21,61,514	8,52,445	30,13,959	29,67,053	3,70,798	33,37,851
विद्यालय अनुदान (विद्यालय संख्या)	5,61,558	3,07,414	8,68,972	6,83,303	1,46,143	8,29,446
मरम्मत अनुदान (विद्यालय संख्या)	5,15,700	0	5,15,700	7,33,000	42,133	7,75,133
निःशुल्क पाठ्यक्रम (बच्चों की संख्या)	31139754	14086909	45226663	4.60 करोड़	1.21 करोड़	5.81 करोड़

सौंपी गई है कि वह यह सुनिश्चित करे कि विद्यालय प्रभावशाली रूप से कार्य करें। स्थानीय हिस्सेदार होने के नाते वह विद्यालयों मे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने की सर्वोत्तम स्थिति में है।

मानिटरिंग के कार्य में प्रबंधन के विभिन्न स्तरों को सहायक प्रदान करने के लिये दो प्रकार की सूचना प्रणालियां विकसित की गई है। एक प्रणाली शिक्षा प्रबंधन सूचना प्रणाली (ईएमआईएस) है, जो जिला शिक्षा सूचना प्रणाली (डीआई एसई) के नाम से भी ज्ञात है, जिसके अंतर्गत 30 सितम्बर की निर्धारित तारीख तक प्रतिवर्ष विद्यालय स्तरीय आंकड़े एकत्र किये जाते हैं। प्राथमिक अनुभाग में से विद्यालय स्तरीय सूचना प्राप्त करने के लिये 1995 में डीपीईपा में इसे सबसे पहले विकसित किया गया। 42 जिलों से शुरू करते हुए डीपीईपी कार्यक्रम के अंतिम चरण में यह जिले बढ़कर 273 की संख्या पर आ गये थे। एसएसए के आगमन से इस प्रणाली का विस्तार उच्चतर प्राथमिक सेक्शनों और देश के सभी जिलों तक किया गया। 30 सितम्बर,2002 की स्थिति के अनुसार यह आंकड़े 18 डीपीईपी राज्यों के 459 जिलों से प्राप्त किये गये थे। यह आशा की जाती है। कि 30 सितम्बर,2003 को यह आंकड़े देश में सभी 600 जिलों के संबंध में उपलब्ध हो जायेंगे।

दूसरी विकासित की गई प्रणाली, परियोजना प्रबंधन सूचना प्रणाली (सीएसआईएस) है, जिसमें वार्षिक योजनाओं के कार्यान्वयन एवं शिक्षा प्रक्रिया की गुणवत्ता प्राप्त करने की दिशा में जोर दिया गया है। यह प्रणाली नीपा और एनसीइ आरटा की सहायता से विकसित की गई है और प्रबंधन के

प्रत्येक स्तर के लिए एक संपूर्ण मानिटरिंग संरचना है। इन स्तरों पर कार्यक्रम के कार्यन्वयन की मानिटरिंग में सहायता के लिए विभिन्न स्तरों पर विभिन्न फार्मेट निर्धारित किये गये हैं। इस प्रणाली के अंतर्गत केवल राष्ट्रीय स्तर पर लाभकारी स्थिति को ही राष्ट्रीय रूप से स्वीकार किया जाता है। मानिटरिंग के वृहद कार्य को देखते हुए आई.आई.एम. विश्वविद्यालयों के शिक्षा विभागों और आई.सी.एस.एस.आर. जैसी व्यावसायिक संस्थाओं की सहायता ली गई है। राज्य के आकार और आवश्यक मानिटरिंग मात्रा के आधार पर इन राज्यों को आवंटित संस्थाओं की संख्या प्रत्येक राज्य को आंबटित की गई है। ऐसी संस्थाओं की एक सूची संलग्न है। यह पर्यवेक्षण और मानिटरिंग की ही कार्य नहीं करती बल्कि राज्य के कार्य चयन में राज्यों के भागीदार के रूप में भी कार्य करती है। यह चुनिंदा संस्थायें फील्ड दौरे करती हैं और प्रत्येक मौसम में अपनी रिपोर्ट भी भेजती है। चुनींदा जिलों में उनके त्रैमासिक दौरो से आधारभूत स्तर की वास्तविकताओं का आकलन करने में मदद मिलती है।

उपर्युक्त के अलावा वित्तीय प्रबंध पहलू से कार्यक्रम की मानिटरिंग हेतु एक स्वतंत्र एजेन्सी भी इस कार्य में लगाई गई है। यह चुनी गई एजेन्सी भारतीय लोक लेखा परीक्षक संस्था (आई.पी.ए.आई) है जिसका पैट्रन (सरंक्षक) सी.ए.जी. है और जिसमें लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग में पहले कार्य कर चुके कर्मचारी शामिल है। निधी प्राप्तियों, निधि के उपयोगों और प्राप्ति की उपयुक्तता एवं मर्यादा आदि जैसे कार्यक्रमों के वित्तीय पहलुओं की मानिटरिंग के लिए वह प्रतिवर्ष 6 राज्यों को चुनते है। यह मानिटरिंग कानून के अनुसार राज्य समितियों की सांविधिक लेखा परीक्षा और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा के अतिरिक्त है।

एसएसए का प्रभाव

दसवीं योजना के पहले दो वर्षो में एसएसए का कार्य चयन क्षेत्रक में महत्वपूर्ण गतिविधियों में रहा है। इन दो वर्षा में इस वात को सुनिश्चित करने पर विशेष जोर रहा है कि विद्यालय न जाने वाले सभी वच्चों को बहु पक्षीय कार्ययोजनाओं के द्वारा विद्यालयों में लाया जाय। इन दोनों बातों पर जोर दिया गया है कि नियमित विद्यालयों की विद्यमान आधार सुविधाओं को सुधारा जाय और अनेक कारणों से विद्यालय से बाहर रह गये वच्चों को मुख्य धारा में लाने के लिये वैकलिक कार्ययोजनाओ के द्वारा कार्य किया जाय।

आधार सुविधायें सुधारने के लक्ष्य की दिशा में पिछले दो वर्षों में 80,000 से अधिक नये विद्यालय खोलने और लगभग 4.5 लाख अध्यापकों की नियुक्ति की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा 1 लाख से अधिक अतिरिक्त अध्ययन कक्षों लगभग 60000 विद्यालय भवनों, 1 लाख शौचालयों और 75,000 पेयजल सुविधाओं के प्रावधान के द्वारा भौतिक आधार सुविधाओं में सुधार लाया गया। शिक्षण और कक्षाओं की गुणवत्ता सुधारने के उद्देश्य से शिक्षण-पठन सामग्रियां तैयार करने हेतु सभी अध्यापकों को अनुदान दिये जाने की आशा की जाती है और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सभी बच्चों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें देने का भी प्रावधान है। इसके अलावा सभी विद्यालयों को सिविल मरम्मत कार्य के लिये अनुरक्षण अनुदान और उपस्कर बदलने के लिये विद्यालय अनुदान दिया जाता है।

ऐसे वच्चों के लिये जिन्हें विद्यालय में लाना मुश्किल होता है। एसएसए इन वच्चों को विद्यालय में लाने के लिये शिक्षा गारंटी स्कीम और वैकल्पिक एवं नई शिक्षा पर निर्भर है। पिछले दो वर्षो में 1.42 करोड़ बच्चों को विद्यालयों में भर्ती कराने का अनुमादेन किया गया है।

इन सभी हस्तक्षेपों के परिणामस्वरूप विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या वर्ष 2001 में 3.5 करोड़ रुपए से घटकर वर्ष 2003-04 के प्रारंभ में 2.3 करोड़ हो गई है। राज्यवार स्थिति अनुबंध में दी गई है ।

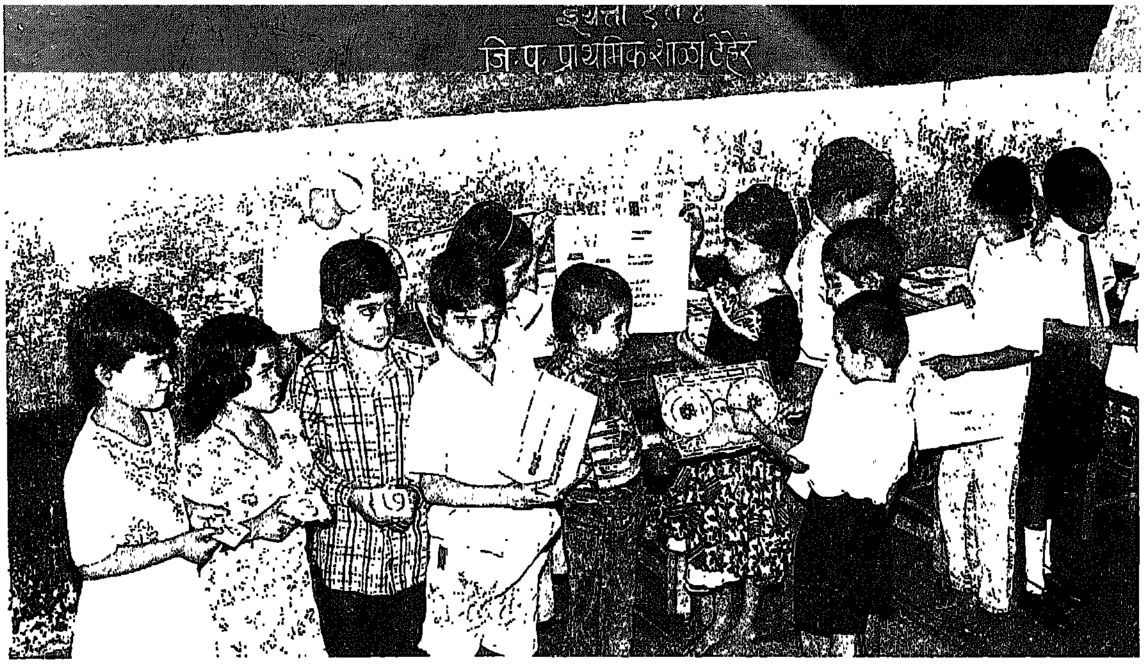
शिक्षा गारंटी स्कीम और वैकल्पिक एवं नवाचारी शिक्षा

शिक्षा गारंटी स्कीम (ई.बी.एस.) और सर्वशिक्षा अभियान (एसएसए) की घटक वैकल्पिक एवं नवाचारी शिक्षा (ए.आई.ई.) प्रचालनात्मक रूप से सक्रिय है और 6-14 वर्ष के आयु-वर्ग के बच्चों को अवसर प्रदान करती है। इस घटक को उन बच्चों को लाभान्वित करने हेतु अभिकल्पित किया गया था जो दूर-दराज के दुर्गम स्थानों में रहते है, कभी विद्यालय नहीं गये हैं, विद्यालय छोड़ गये हैं या अनेकानेक कारणों से अपनी प्राथमिक शिक्षा जारी। पूरी नहीं कर पाये हैं।

अतः शिक्षा गारंटी स्कीम एवं वैकल्पिक तथा नवाचारी शिक्षा प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण (यू.ई.ई.) की प्राप्ती के लिए सर्व शिक्षा अभियान(एस.एस. ए.) का एक महत्वपूर्ण घटक है।

इसकी निम्नलिखित व्यापक कार्य योजनायें हैं:

- स्कूल-विहीन बस्तियों में ई.जी.एस. स्कूल खोलना



- ब्रिज-पाठ्यक्रमों (आवासीय एवं गैर आवासीय) स्कूल वापस चलो शिविर आदि के द्वारा 'स्कूल बाह्य बच्चों' को मुख्यधारा का अंग बनाने के लिये हस्तक्षेप।
- ऐसे बच्चों के विशिष्ट समूहों के लिये कार्ययोजनाएं जिन्हें प्राथमिक शिक्षा की अपनी आवश्यकतायें पूरी करने के लिये लचीले एवं नवाचारी हस्तक्षेपों की जरूरत है।

ई.जी.एस. और ए.आई.ई. कार्यक्रम में आवारा और मलिन वस्तियों के वच्चों के लिये केन्द्रों, औपचारिक स्कूलों में नामजद वच्चों के लिये सुधारात्मक कोचिंग, अल्पकालिक ग्रीष्म-शिविर आदि निहित हैं।

इस घटक में केन्द्र और राज्यों के बीच व्यय की हिस्सेदारी का अनुपात क्रमशः 75: 25 है। स्वैच्छिक एजेंसियों को सहायता के मामले में केन्द्र सरकार 100 प्रतिशत लागत (समग्र लागत अधितमक सीमा के अंदर) वहन करती है। ई.जी.एस. और ए. आई.ई. एसएसए का हिस्सा होने के कारण इसके लिये अलग से बजट प्रावधान नहीं है और स्कीम के व्यय को एसएसए के समग्र वजट प्रावधान से पूरा किया जाता है।

स्कीम का अधिकांश कार्यान्वयन एवं अनुवीक्षण राज्य/संघ राज्य सरकारों एसएसए के लिये स्थापित राज्य स्तरीय समितियों द्वारा किया जाता है जिनके पास राज्य एजेंसियों या स्वैच्छिक क्षेत्रक के माध्यम से चलाये जा रहे प्रस्तावों के मूल्याकंन और अनुमोदन की शक्तियां होती है।

प्राथमिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने एन.जी.ओ. की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिये ई.जी.एस./ए.आई.ई. की हैण्डबुक और एसएसए की संरचना के अनुसार राज्य स्तरीय जी.आई.ए.सी. के गठन के लिये राज्य सरकारों को राजी किया। 22 राज्यों में जी.आई.ए.सी. का पहले ही गठन हो चुका है। बिहार, उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश राज्यों ने एन.जी.ओ. क्रमशः 289,272 और 425 प्रस्तावों को चलाया है।

एसएसए में ई.जी.एस./ए.आई.ई. स्कीम के कार्यान्वयन के लिये राज्य क्षमताएं बढ़ाने हेतु राज्य और जिला स्तर पर कार्यान्वयनकर्ताओं की क्षमता सुदृढ़ करने के प्रयोजन से एक राष्ट्रीय और पुणे, इलाहाबाद और कोलकाता में तीन क्षेत्रीय कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।

प्राथमिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग राज्य एसएसए कार्यक्रमों के वैकल्पिक स्कूलिंग को आर्डिनेटर्स की नियमित रूप से त्रैमासिक वैठकें आयोजित करके राज्यों में ई.जी.एस./ए.आई.ई. घटक के कार्यान्वयन की नियमित मानिटरिंग करता है जिसमें

स्कीम के अंतगर्त 110 लाख बच्चों को लाने के लिये वित्तीय वर्ष 2003-2004 में अनुमोदन प्रदान किया गया। इसकी तुलना में राज्य 66 लाख बच्चों को ही शामिल कर पाये।

तालिका 7.3: ई.जी.एस./ए.आई.ई. 2003-04 के अधीन स्वीकृतियां, प्रचालन एवं विचार

राज्य	पीएबी अनुमोदन के अनुसार कवर किए गए बच्चों की संख्या	मार्च 2004 को बच्चों की संख्या
आंध्र प्रदेश	4,62,463	2,10,000
असम	16,60,293	8,19,818
बिहार	10,30,219	6,50,000
छत्तीगढ़	1,70,000	1,13,786
गुजरात	3,78,353	22,000
हरियाणा	44,525	0
हिमाचल प्रदेश	14,676	2,392
झारखंड	11,73,445	5,96,087
कनार्टक	2,78,111	1,49,315
केरल	19,585	12,000
मध्य प्रदेश	2,54,675	2,04,000
महाराष्ट	6,30,461	4,98,000
उड़ीसा	9,12,121	6,00,000
राजस्थान	10,51,136	12,46,853
तामिलनाडु	4,75,044	34,900
उत्तर प्रदेश	6,62,715	4,50,000
उत्तरांचल	30,512	32,548
पश्चिम बंगाल	5,50,000	7,35,000
अरूणाचल प्रदेश	17,620	7,600
दिल्ली	4,15,000	80,000
गोवा	0	0
जम्मू एवं कश्मीर	2,78,799	54,019
मणिपुर	0	0
मेघालय	1,55,000	0
मिजोरम	13,632	600
नागालैंड	10,500	0
पांडिचेरी	2,553	NA
पंजाब	3,30,005	63,000
सिक्किम	2,715	NA
त्रिपुरा	98,475	53,475
जोड़	**1,11,22,633**	**66,35,392**

राज्यवार प्रगति की पुनरिक्षा की जाती है, अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों एवं अच्छी पद्धतियों की साझेदारी की जाती है तथा कार्यक्रम से संबंधित मुद्दों पर बेहतर निष्पादन के लिये विचार विमर्श किया जाता है।

वर्ष 2003-2004 में ई.जी.एस./ए.आई/ई. के विभिन्न हस्तक्षेपों के अधीन बच्चों की राज्यवार संख्या सारणी में दी गई है।

110 लाख बच्चों को स्कीम के अंतगर्त लाने के लिये वित्तीय वर्ष 2003-2004 में अनुमोदन प्रदान किया गया। इसकी तुलना में राज्य 66 लाख बच्चों को शामिल कर पाये। पश्चिम बंगाल और राजस्थान अपने लक्ष्य से आगे थे। असम, बिहार, और झारखण्ड ने 2003-2004 में ई.जी.एस/ए.आई.ई की विभिन्न कार्ययोजनाओं के अंतर्गत क्रमशः 16.60,10.30 और 11.73 लाख बच्चों को शामिल करने का प्रस्ताव किया जबकि वह ई.जी.एस/ए.आई.ई. हस्तक्षेपों के अंतर्गत क्रमशः 8.19,6.50 और 5.96 लाख बच्चों को ही ला पाये।

प्राथमिक शिक्षा (यू.ई.ई.) के सर्वसुलभीकरण के लिये राष्ट्रीय शिक्षा नीति में घोषित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु परीक्षण और नवाचार को बढ़ावा देने की दृष्टि से प्राथमिक स्तर पर नवाचार एवं परीक्षाणात्मक शिक्षा कार्यक्रमों की एक सहायता स्कीम भी चलाई जाती है। इस स्कीम के अंतर्गत स्वैच्छिक ऐजेंसियों से प्रस्ताव प्राप्त किये जाते है और वित्तीय सहायता के लिये उन पर विचार किया जाता है। ऐसे प्रस्तावों पर विचार करने के लिये सचिव (प्राथमिक शिक्षा एवं साक्षरता) की अध्यक्षता में एक राष्ट्र-स्तरीय अनुदान सहायता समिति गठित की गई है। वर्ष 2003-2004 के दौरान वित्तीय सहायता हेतु अनुदान सहायता समिति द्वारा स्वैच्छिक एजेंसियों से प्राप्त 21 प्रयासों का अनुमोदन किया गया है।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डीपीईपी)

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डीपीईपी) कक्षा 1 से कक्षा 5 को शामिल करते हुए प्राथमिक शिक्षा के संपूर्ण विकास के लिये एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम है। डीपीईपी के तीन मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:

(1)स्कूल छोड़ने वालों की दर घटाकर 10% से कम करना (2)भर्ती, शिक्षण, उपलब्धि, आदि के क्षेत्रों में लड़कियों एवं सामाजिक समूहों के बीच असमानता घटाकर 5% से कम करना और (3) आधार लाइन सर्वेक्षणों की तुलना में शिक्षण उपलब्धि का स्तर सुधारना।

कार्यक्रम संघटकों में शिक्षण कक्षों एवं नये विद्यालयों का निर्माण, वैकल्पिक स्कूलिंग केन्द्रों को खोलना, नये अध्यापकों की नियुक्ति, प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा केन्द्रों की स्थापना, शैक्षणिक अनुसंधान ओर प्रशिक्षण राज्य, परिषदों/जिला शैक्षणिक प्रशिक्षण संस्थानों (डी.आई.ई.टी.) का सुदृढ़ीकरण, ब्लाक संसाधन केन्द्रों/समूहन संसाधन केन्द्रों की स्थापना, अध्यापक प्रशिक्षण, शिक्षण-पठन सामग्रियों को तैयार करना, बालिकाओं, अनुजाति/अनु. जनजातियों, कामगार बच्चों आदि की शिक्षा के लिये विशेष हस्तक्षेप शामिल हैं। विकलांग बच्चों को एकीकृत शिक्षा प्रदान करने और अध्यापक प्रशिक्षण हेतु दूरस्थ शिक्षा प्रदान करने के लिये डीपीईपी स्कीम में पहलें शामिल की गई है।

डीपीईपी का अतिरिक्तता कारक

डीपीईपी अतिरिक्तता के सिद्धांत पर आधारित है और प्राथमिक शिक्षा के लिये केन्द्रीय और राज्य क्षेत्र की स्कीमों के अधीन किये गये प्रावधान से अधिक निवेश प्रदान करके विद्यमान अंतरालों की पूर्ति करने हेतु इसकी सरंचना की गई है।

जिला चयन मानदण्ड

(क) शैक्षणिक रूप से पिछड़े जिले जिनकी महिला साक्षरता राष्ट्रीय औसत से नीचे हो, और

(ख) ऐसे जिले जहां संपूर्ण साक्षरता अभियान (टी.एल.सी.)सफल रहा है जिससे प्राथमिक शिक्षा हेतु मांग बढ़ी है।

परियोजना का वित्त पोषण

डीपीईपी एक बाह्य सहायता परियोजना है। परियोजना लागत का 85% भारत सरकार द्वारा पूरा किया जाता है और शेष 15% संबंधित राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। भारत सरकार के हिस्सों, का वित्तपोषण विदेशी सहायता के जरिये किया जाता है। आज की स्थिति में डी.पी.ई.को लगभग 6938 करोड़ रुपए अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ से ऋण के रूप में हैं और 1801 करोड़ यूरोपीय समुदाय (ईसी)/डी.एफ.आई.डी./यूनीसेफ/नीदरलैण्ड से अनुदान के रूप में हैं।

डीपीईपी का कवरेज

इस समय डीपीईपी, 129 जिलों को शामिल करते हुए, 9 राज्यों में प्रचालन में है जैसा कि अनुबंध-III में दिखाया गया है। डीपीईपी अपने सर्वाधिक प्रचालन में 18 राज्यों में 273 जिलों में सक्रिय था परन्तु कार्यक्रम के विभिन्न चरणों के उत्तरोत्तर बंद किये जाने से अब यह केवल 129 जिलों में अस्तित्व में है।

डी.पी.ई.पी की मानिटरिंग और मूल्याकंन

संयुक्त पुनरीक्षा मिशनों, परियोजना प्रबंध सूचना प्रणली (पी.एम.आई.एस.) शैक्षणिक प्रबंध सूचना प्रणाली (ई.एस.आई.एस.) कार्यक्रम प्रभाव अध्ययन आदि कार्य प्रणालियों के द्वारा कार्यक्रम की समय समय पर पुनरीक्षा की जाती है। संयुक्त पुनरीक्षण मिशनों द्वारा 1997-98,1999-2000 और 2003-04 में डीपीईपी चरण - I, II और III राज्यों की गहन मध्यावधिक पुनरीक्षा भी की गई है। कार्यक्रम की पुनरीक्षाओं और विभिन्न मूल्यांकन अध्ययनों से प्रदर्शित हुआ है कि कार्यक्रम के परिणाम स्वरूप बढ़ी हुई सामुदायिक भागीदारी, शिक्षण कक्ष प्रक्रियाओं में सुधार आदि के चलते नामाकंन में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, शिक्षण उपलब्धि में सुधार हुआ है, एक ही कक्षा में दुबारा पढ़ने वालों/ बीच में स्कूल छोड़ने वालों की दर में कमी आई है।

डीपीईपी के अधीन निधियों का आबंटन

पिछले तीन वर्षो में बजट अनुमानों, संशाधित अनुमानों और वास्तविक व्यय की स्थिति नीचे दी गई हैः

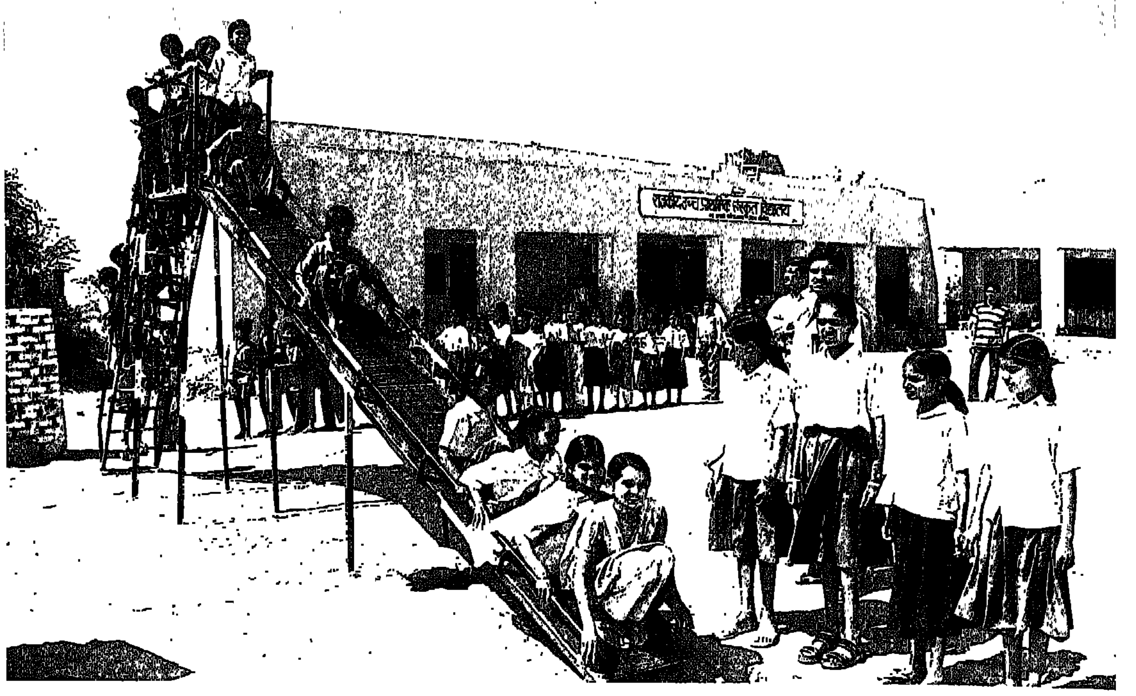
वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय
2000-01	969.00	820.00	855.39
2001-02	1098.00	1198.00	1198.00
2002-03	1380.00	1380.00	1285.03
2003-04	1200.00	800.00	791.19

डीपीईपी पर व्यय

फरवरी 2004 तक डीपीईपी पर संचित व्यय 6076.75 करोड़ रुपए और संचित प्रतिपूर्ति 4807.51 करोड़ रुपए है। वित्तीय वर्ष 2003-04 के दौरान किया गया व्यय 847.68 करोड़ रुपए और प्रतिपूर्ति 609.57 करोड़ रुपए है।

वितरण

कुल 1370.07 मिलि0 अमरीकी डालर (एस.डी.आर. 9.33.774 मिलि.) और 151.41 मिलि. पौण्ड, जो 6064.55 करोड़ रुपए के बराबर है, के सशर्त ऋण और अनुदानों की तुलना में



31.03.2004 तक कुल वितरण 965.759 मिलि0 अमरीकी डालर और 64.098 मिलि0 पौण्ड, जो 4807.50 करोड़ रुपए के बराबर है, किया गया। वर्ष 2003-2004 के दौरान सभी ऋणों एवं अनुदानों के अधीन वितरण 169.94 मिलि0 अमरीकी डालर ओर 14.977 मिलि0 पौण्ड, 896 करोड़ रुपए के बराबर है।

जनशाला (भारत सरकार - संयुक्त राष्ट्र)कार्यक्रम

जनशाला कार्यक्रम(भारत सरकार- संयुक्त राष्ट्र)भारत सरकार और संयुक्त् राष्ट्र की पांच एजेंसियों अर्थात यूएनडीपी, यूनिसेफ, आईएलओ ओर यूएनएफपीए का एक संयुक्त प्रयास है जिसका उद्देश्य प्रारम्भिक शिक्षा के संर्वसुलभीकरण (यूईई) के लक्ष्य की पूर्ति की दिशा में पहले से किए जा रहे प्रयासों को कार्यक्रम सहयोग प्रदान करना है। जनशाला नामक एक समुदाय-आधारित प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि विशेष रूप से सुविधाहीन समुदायों,सीमांत समूहों, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अल्पसंख्यों की लड़कियों और बच्चों, कामकाजी बच्चों और विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा अधिक सुलभ और प्रभावकारी बनायी जाए। जनशाला की एक अनूठी विशेषता यह है कि यह एक व्यापक ब्लाक-आधारित कार्यक्रम है जिसमें समुदाय की सहभागिता और विकेन्द्रीकरण पर वल दिया जाता है। ब्लाकों का चयन विभिन्न संकेतकों के आधार पर किया गया है, जैसेकि न्यून महिला साक्षरता, वाल श्रमिकों की संख्या और अनुसूचित जाति तथा अनूसूचित जनजाति की जनसंख्या। इस कार्यक्रम के लिए यूएनडीपी, यूनिसेफ, यूएनएफपीए ने 20 मिलियन अमरीकी डालर के योगदान का वचन दिया है जबकि यूनेस्को और आईएलओ ने तकनीकी जानकारी देने की पेशकश की है। विश्व में यह पहला कार्यक्रम है जिसमें शिक्षा में पहल को सहयोग देने के लिए संयुक्त राष्ट्र की पांच एजेसियां एकजुट हो गयी है और उन्होंने संसाधन इकट्ठे किए हैं।

विस्तार, परियोजना लागत और अवधि

आज की स्थिति में, इस कार्यक्रम में 9 राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश, छत्तीगढ़, झारखण्ड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 30 जिलों में 139 ब्लाकों तथा 10 शहरों में कार्यान्वित किया जा रहा है और इस परियोजना का कुल अनुमोदित परिव्यय 103.13 करोड़ रुपए है। यह कार्यक्रम प्रारम्भ में, 1998 से दिसम्वर 2002 तक की पांच वर्ष की अवधि के लिए था। अब इस कार्यक्रम की अवधि दो वर्ष और बढ़ाकर 3 दिसम्वर 2004 तक कर दी गई है।

उपलब्धियां

सभी राज्यों में सूक्ष्म आयोजना सहित, जिसमें बीईसी,एमटीए तथा पीटीए की स्थापना और क्षमता निर्माण शामिल हैं, कार्यक्रम क्षेत्रकों को शामिल कर लिया गया है। राज्यों ने वीईसी सदस्यों के लिए दिशा-अनुकुलन और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भी आयोजन किया है ताकि स्कूलों में इनका सतत सहयोजन सुनिश्चित हो सके। इस कार्याकलाप के अधीन अभी तक लगभग 20,000 बस्तियां/स्कूल शामिल किए गए हैं। कार्यक्रम के अधीन खोले गए वैकल्पिक स्कूलों में समुदाय की सहभागिता विशेष रूप से उच्चस्तर की रही है। इस कार्यक्रम ने ग्रामीण क्षेत्रों की असेवित बस्तियों में और शहरी क्षेत्रों की मलीन बस्तियों में 3000 वैकल्पिक स्कूल खोले है जिनमें लगभग 1,20,000 बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे है इसके अलावा, शिक्षा

बीच में छोड़ने वाले विभिन्न वर्गों के बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा की मुख्यधारा में शामिल करने के परियोजन से सेतु पाठ्यक्रमों का आयोजन किया गया है। इस उपयोग की सबसे बड़ी लाभग्राही ऐसी लड़कियां थी, जो स्कूल से बाहर जाती थीं। आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम द्वारा प्रौढ़ लड़कियों के लिए पूर्णरूप से कुछ आवासीय सेतु पाठ्यक्रम शिविर चलाये जाते हैं। राज्यों में प्राथमिक शिक्षा से सम्बन्धित मुद्दों को समझने और स्कूलों की बेहत्तर प्रबंध व्यवस्था में पीआरआई सदस्यों की क्षमता के संवर्द्धन पर बल दिया जा रहा है।

उपलब्धि के अन्य प्रमुख क्षेत्र हैः अध्यापक, प्रशिक्षण, बहुग्रेड शिक्षण, विकलांगों की शिक्षा के लिए हस्तक्षेप, ब्लाक और समूहन संसाधन केन्द्रों की स्थापना, स्कूल का सुदृढ़ीकरण, ई.सी.सी.ई. और आई.सी.डी.एस. केन्द्र, राज्य, जिला और ब्लौक स्तर पर क्षमताओं को सशक्त बनाना। इस कार्यक्रम से प्राथमिक विद्यालयों के लगभग 3 मिलियन बच्चों को लाभ पहुंचाने की आशा है। लगभग 58,000 अध्यापकों को विभिन्न शैक्षणिक पहलुओं पर कम से कम एक या दो बार प्रशिक्षण दिया जा चुका है और उन्नत शिक्षण-पठन सामग्रियां (टी.एल.एम.) तैयार करने के लिए उन्हें संसाधन प्रदान किये गये है। कार्यक्रम क्षेत्रों के अन्तर्गत लगभग 18,000 विद्यालयों को आधार सुविधाओं से सुधार के लिए संसाधन प्रदान किये गये है।

सभी जनशाला राज्यों ने उन्नत शिक्षण कक्षों, पद्धतियों और टी.एल.एम. के साथ बहु-ग्रेड शिक्षण कक्षों के लिए कार्ययोजनायें तैयार कर ली है। राजस्थान ने हाल ही में कक्षा III, IV और V के लिये पाठ्य-पुस्तक-आधारित मल्टीग्रेड शिक्षण सामग्री तैयार कर ली है। झारखण्ड भी ऋषि-वैली की सहायता से 40 औपचारिक विद्यालय और 40 वैकल्पिक विद्यालयों में नई मल्टीग्रेड शिक्षण सामग्री का परीक्षण कर रहा है। मल्टीग्रेड के क्षेत्र में छत्तीगढ़, महाराष्ट्र और उड़ीसा द्वारा इसी प्रकार के प्रयत्न किये गये है। शैक्षिणिक प्रशासकों और कार्यक्रम कर्मियों के लाभ के लिए जनशाला द्वारा मल्टीग्रेड शिक्षण पर दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई जिसमें सभी एसएसए राज्यों ने भाग लिया। जनशाला ने भी यूनीसेफ और यूएनएफपीए की मदद से जीवन कौशल पर कार्यशालाओं का आयोजन किया। क्षमता निर्माण के अंग के रूप में 'सीमेन्ट' इलाहाबाद में 104 ब्लाक शिक्षा अधिकारियों के लिए शैक्षिणिक और प्रशासनीय मामलों पर पांच दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किये गये। इन कार्यों के परिणामस्वरूप विद्यालयों में बच्चो के नामांकन और वहां बने रहने के मामलों में समग्र सुधार की सूचना मिली है।

आंध्र प्रदेश

वर्ष 2003-04 के दौरान आंध्र प्रदेश में गुणवत्ता सुधार पर जोर दिया गया। मदरसा, उड़िया बच्चों के लिए सामुदायिक स्कूल, आवासी सेतु पाठ्यक्रम सीवर और एकीकृत स्कूलों के माध्यम से लक्षित वर्ग के लिए शैक्षिणिक कार्य एवं बहु-ग्रेड तथा बहुस्तरीय शिक्षण जैसे क्रियाकलाप चलाये गये। सामुदायिक मानिटरिंग आंध्र प्रदेश में कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण पहलू है। पहियों पर विद्यालय, अर्थात् गाड़ी में स्कूल माडल ने समुदाय का ध्यान आकर्षित किया है और इसने सदस्यों के बीच शिक्षा की जागृति उत्पन्न करने में मदद की है। आंध्र प्रदेश द्वारा शुरू किया गया। विकास परीक्षणों पर क्रियाकलाप बैंक कम लागत का परीक्षण है जिसे सभी राज्यों ने पसन्द किया है। जनशाला के 17 हस्तक्षेपों को राज्य सभा द्वारा सर्वोत्तम पद्धतियों के रूप में चुना गया है जिनका एसएसए के अंतर्गत अन्य जिलों में प्रसार हेतु प्रलेखनीकरण किया जा रहा है।

छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ में कार्यक्रम की एक विशेषता यह है कि शहरी और जनजातीय, दोनों क्षेत्रों में सरकारी स्कूलों और ए.एस. केन्द्रों में लड़कियों की संख्या लड़कों से ज्यादा रही है। दाई दीदी समिति, दीदी बैंक, आदि जैसे महिला संगठनों की भागीदारी से शिक्षा के प्रति लड़कियों का दृष्टिकोण बदला है। सरकारी स्कूलों और ए.एस. केन्द्रों में बहु-ग्रेड शिक्षण शुरू किया गया है। सामुदायिक जुटाव एक दूसरा क्षेत्र रहा है। जहाँ कार्यक्रम ने तुलानात्मक रूप से अच्छा कार्य किया है।

झारखण्ड

कार्यक्रम द्वारा चलाये गये बड़े क्रियाकलापों में सूक्ष्म योजना, अध्यापक प्रशिक्षण, वीईसी सदस्यों का प्रशिक्षण, सीआरसी कोआर्डिनेटस का प्रशिक्षण, शिक्षा विभाग के कर्मचारियों का पुनश्चर्या शिक्षण, पुस्तकालयों के लिये पुस्तकों की आपूर्ति, बहुग्रेड शिक्षण में कार्यशाला, जानकारी संबंधी सामग्री तैयार लिये शिविर लगाना शामिल हैं। इस शैक्षिणिक वर्ष के प्रारंभ में स्कूल से बाहर के बच्चों की संख्या 6500 से अधिक थी जिसे 31-3-2004 तक कम करके 10,000 से नीचे चलाया गया है। स्कूल प्रबंध के लिए सामुदायिक अधिकारिता हेतु एक साधन के रूप में कारगर एवं गुणवत्तापूर्ण सूक्ष्म-योजना इस कार्यक्रम की एक बड़ी शक्ति रही है। सीबीएस में नामांकन - विशेषकर लड़कियों का - कार्यक्रम क्षेत्रों के अधीन उत्साहजनक है। और ऋषि वैली संस्थान की सहयता से सभी अध्यापकों को बहु-ग्रेड पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जीवन कौशल दूसरा क्षेत्र है जहाँ कार्यक्रम ने सफलतापूर्वक विभिन्न हस्तक्षेप और परीक्षण किये

डीपीईपी की मुखय उपलब्धियां

- डीपीईपी ने अभी तक लगभग 1,60,000 नए स्कूल खोले है जिनमें लगभग 84,000 वैकल्पिक स्कूली (एएस) केन्द्र शामिल हैं। एएस केन्द्रों में लगभग 3.5 मिलियन बच्चे दाखिल हैं, जबकि 2 मिलि. बच्चे विभिन्न प्रकार के सेतु पाठ्यक्रमों में शामिल हैं।
- डीपीईपी-1 जिलों में नामांकन, जो 1997-98 में 79.33 लाख था, वह 2001-02 में बढ़कर 90.26 लाख हो गया है। डीपीईपी के बाद वाले चरणों में शामिल जिलों में, जिनके संबंध में आंकड़े उपलब्ध हैं, समग्र नामकंन जो 1997-98 में 185.31 लाख था, वह 2003-04 में बढ़कर 600.00 लाख हो गया है।
- डीपीईपी के अधीन निर्मित स्कूल आधारिक तंत्र भी बढ़ा है। पूरे किए गए अथवा चल रहे निर्माण कार्यों में ये शामिल है: 502.30 स्कूल भवन, 55438 अतिरिक्त क्लासरूम, 60411 शौचालय तथा 20728 पेय जल सुविधाएं 9 राज्यों के 129 जिलों में जहां परियोजना जारी है, अन्य 3710 स्कूल भवन, 4853 अतिरिक्त शिक्षण कक्ष, 1285 संसाधन केन्द्र, 4373 शौचालय, 2349 पेयजल सुविधायें और 2337 मरम्मत कार्य प्रगति पर हैं।
- डीपीईपी में नामज़द विकलांग बच्चों की कुल संख्या 385947 है जो 9 डी.पी.ई.पी. राज्यों में पता लगाये गय 544323 विकलांग बच्चों का लगभग 71% है। विभिन्न अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के द्वारा डी.पी.ई.पी. में आई.ई.डी. के 6 लाख अध्यापकों को प्रशिक्षित किया गया है। विभिन्न स्कीमों के माध्यम से विकलांग बच्चों को सहायता एवं उपकरण भी प्रदान किये गये हैं। नये स्कूल भवनों में बाधा राहित सुविधायें शामिल करने के प्रयत्न चल रहे हैं।
- वर्ष 2000 -2001 तथा 2001-2002 के सम्बन्ध में नामाकंन और एक ही कक्षा में दोबारा से पढ़ने वाले बच्चों से सम्बन्धित ईएमआईएस आंकड़ों से शिक्षा बीच में छोड़ने वाले बच्चों की दर का अनुमान लगाने के सम्बन्ध में पुनर्रचित और प्रत्यक्ष कोहार्ट पद्धतियों का प्रयोग करते हुए अध्ययन किया गया। प्राथमिक स्कूल की कक्षा 1 ओर अन्तिम कक्षा के दौरान शिक्षा बीच में छोड़ने वाले बच्चों का प्रतिशत 120 में से 20 जिलों में 10 प्रतिशत के कम और एक-तिहाई जिलों में 20 प्रतिशत से कम पाया गया। 62 प्रतिशत जिलों में लैंगिक अंतराल घटकर 5 प्रतिशत से भी कम रह गया लेकिन बहुत सारे जिलों में शिक्षा बीच में छोड़ने वाले बच्चों की उच्च दर अभी भी चिन्ता का एक कारण बनी हुई है।
- शिक्षा बीच में छोड़ने वाले बच्चों की उच्च दरों के कारण पता लगाने के लिए 6 राज्यों में एक अध्ययन किया गया। अध्ययन की रिपोर्ट चार राज्यों से प्राप्त हो गई है। इन अध्ययनों ने बच्चों के स्कूल छोड़ने के लिये उत्तरदायी घेरलू पृष्ठभूमि और स्कूल संबधी दोनों कारकों पर प्रकाश डाला। स्कूल छोड़ने वालों के माँ-बाप सामान्यतः गरीब और अशिक्षित थे जो अध्ययन में बच्चों की थोड़ी भी सहायता नहीं कर सके। स्कूल संबंधी मुख्य कारणों में अध्यापकों की कमी, सुधारात्मक शिक्षा देने में उनकी असमर्थता स्कूलों में सुविधाओं एवं अनुकूल वातावरण की कमी थी जो बच्चों को स्कूल में आकर्षित नहीं कर सके।
- लड़कियों के नामंकन में उल्लेखनीय सुधार का परियच मिला है। डीपीईपी-1 राज्यों में कुल नामाकंन के प्रति लड़कियों के नामाकंन का अनुपात 48 से बढ़कर 49 प्रतिशत है जबकि डीपीईपी के उत्तरवर्ती चरणों के जिलों में वृद्धि 46 से 47 प्रतिशत की रही है।
- लगभग सभी परियोजना गांवों/बस्तियों/स्कूलों में ग्राम शिक्षा समितियां/स्कूल प्रबन्ध समितियां स्थापित कर दी गई हैं।
- अर्द्ध-अध्यापकों/शिक्षाकर्मियों सहित लगभग 1,77,000 अध्यापकों की भर्ती की गई है।
- शैक्षणिक समर्थन और अध्यापक प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ब्लाक स्तर पर लगभग 3380 संसाधन केन्द्र ओर संकुल स्तर पर 29,735 केन्द्र स्थापित किए गए है।
- 2001 में 49 चरण 1 के जिलों में और 2003 में 83 चरण-2 के जिलों में, 95% से अधिक जिलों में किये गये टर्मीनल मूल्याकंन सर्वेक्षण के अनुसार भाषा और अंकगणित दोनों में कक्षा 1 में औसत अंक 60% से अधिक थे जबकि कक्षा III/IV में जिलों का प्रतिशत, जिनमें औसत अंक 100 में 60 से अधिक थे, भाषा में 43.2% और अंकगणित में 28.8% था।
- डी.पी.ई.पी. के अंतर्गत गुणवत्ता सुधार पहलों में प्राप्त कुछ महत्वपूर्ण कीर्तिमानों में बारम्बार आवश्यकता आधारित विकेन्द्रीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन, अध्यापकों की सक्रिय भागरीदारी से बच्चों के अनुकूल पाठ्यपुस्तकें तैयार करना, अध्यापकों को स्थल पर ही शैक्षिणिक सहायता का विस्तार, संसाधन केन्द्रों की स्थापना और टी.एल.एस. तैयार करने के लिये अध्यापक अनुदान का प्रावधान शामिल है।

हैं। सी.आर.सी./बी.आर.सी.के माध्यम से शुरू की गई सामुदायिक गतिशीलता, अध्यापक प्रशिक्षण पैकेज और मानिटरिंग प्रक्रियाओं के माड्यूल जनशाला, झारखंड से एसएसए द्वारा अपनाई कुछ सर्वोत्तम पद्धतियों में से है।

कर्नाटक

जनशाला, कर्नाटक द्वारा चलाये गये बड़े क्रियाकलापों में सूक्ष्म योजना, सामुदायिक गतिशीलता, अध्यापक प्रशिक्षण, बहुग्रेड स्थिति में प्रयुक्त होने वाली टीएलएम सामग्री को तैयार करना, वी.पी.आई.सी.। बी.आर.सी. आदि का प्रशिक्षण शामिल है। आई.ई.डी. पर लगभग 500 अध्यापकों के लिये 45 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण आयोजित किया गया और विद्यालयों के सभी अध्यापकों के लिये 5 दिवसीय सामान्य प्रशिक्षण भी आयोजित किया गया। छात्रों के लेखन कौशल को सुधारने के लिये कार्यक्रम ने कक्षा I से IV तक के सभी बच्चों हेतु चाइल्ड पोर्टफोलियो शुरू किया। सूक्ष्म योजना प्रक्रियायें, एस.डी.एम.सी. क्षमता निमार्ण हेतु माड्यूल और ग्रामीण शिक्षा योजना कुछ ऐसी सर्वोत्तम पद्धतियां हैं जिन्हें एसएसए, कर्नाटक द्वारा जनशाला से आयोजित किया गया है। विभिन्न रूप से सक्षम कुल 6,574 बच्चों में से 795 को छोड़कर सभी को विद्यालयों में लाया गया है। और 403 बच्चों को घर पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

कर्नाटक द्वारा चलायी गयी दूसरी बड़ी पहल बहु ग्रेड और बहुस्तरीय स्थिति के संचालन हेतु कक्षा में पठन-पाठन की नल-कली पद्धति है। शिक्षण की इस पद्धति ने बच्चों के अनुकूल और मौज मस्ती के तरीके से सीखने के लिये बच्चे को सही माहौल प्रदान किया है। कार्यक्रम क्षेत्र के अधीन सभी विद्यालयों की कक्षा I, II और III में इसका अभ्यास किया जा रहा है और यह आशा की जाती है कि 2004 के अंत तक इसका विस्तार कक्षा IV में भी कर लिया जायेगा। अध्यापकों और समुदाय द्वारा इस पद्धति को अच्छी तरह अपनाया गया है और कुछ प्राइवेट विद्यालयों ने भी कर्नाटक में इस शिक्षण माडल को अपना लिया है।

यूनीसेफ के सहयोग से परियोजना द्वारा चलाई गई पेयजल एवं सफाई परियोजना (स्वास्थ्य) अत्यधिक सफल रही है और देश के अन्य भागों में अनुकरणीय है। विभिन्न सामाजिक क्षेत्रक विभागों के मेलजोल से इसे कार्यान्वित किया गया है। स्वास्थ्य एवं सफाई के घटकों को शामिल करते हुए संपूर्ण रूप में एक पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। विद्यालय के चारों ओर अहाते की दीवार, पेयजल सुविधा, लड़कों और लड़कियों के लिये जल सुविधा सहित अलग-अलग शौचालय, विद्यालय परिसर में बागवानी, स्वास्थ्य, सफाई आदि इस हस्तक्षेप के कुछ अंग है।

मध्य-प्रदेश

चलाये गये बड़े क्रियाकलापों में सामुदायिक जुटाव और समुदाय आधारित संगठनों का महाशक्तिकरण, पहुंच में सुधार, अध्यापकों की योग्यता बढ़ाना, अध्यापकों और संसाधन कर्मियों को





कम्प्यूटर-आधारित अंतरसक्रिय प्रशिक्षण प्रदान करना, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आदि जैसे कमजोर वर्गों पर विशेष ध्यान देना शामिल है। कम्प्यूटर आधारित शिक्षा के लिये प्रारंभिक प्रशिक्षण, समूहों का कम्प्यूटरीकरण,180 क्रियाकलाप-केन्द्रों का विकास,,बी.आर.सी./बी.ए.सी./ जनशिक्षकों आदक का प्रशिक्षण अप्रैल दिसम्बर, 2003 के दौरान की अन्य कुछ उपलब्धियां हैं। एसएसए के अधीन जारी रखी जाने वाली जनशाला की कुछ अच्छी पद्धतियां हैः विद्यालय सुधार योजना, जीवन कौशल शिक्षा और क्रियाकलाप केन्द्रों का विकास।

महाराष्ट्र

वर्ष 2003-04 के दौरान जनशाला ने 181 अतिरिक्त ए.एस.केन्द्रों और 166 मौसमी सेतु पाठ्यक्रम खोले। परियोजना बच्चों को स्कूल के लिये तैयार करने हेतु 404 बालवाड़ियां भी चला रही है। वर्ष 2003-04 के दौरान कक्षा I से IV के सभी अध्यापकों को बहु-ग्रेड शिक्षण दिया गया और कक्षा III और IV में बहु-ग्रेड शिक्षण का विस्तार किया गया। नासिक और थाणे में एनजीओ की मदद से आयोजित जीवन कौशल कार्यशालायों की सहायता से गणित में सुधार का विशेष कार्यक्रम तैयार किया गया।

उड़ीसा

वर्ष 2003-04 के दौरान कार्यक्रम के अंतर्गत क्षमता निर्माण, गुणवत्ता सुधार और बालिका-शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया। कार्यक्रम ने सभी अध्यापकों के 7-दिवसीय प्रशिक्षण के तीन दौर पूरे किये। कुछ चलाये गये महत्वपूर्ण क्रियाकलापों में बहु-ग्रेड शिक्षण, शुरू करना, टीएलएम तैयार करना और बहु-ग्रेड तथा बहुस्तरीय दिशाओं में इसका उपयोग, समुदाय को अधिकारिता प्रदान करना आदि शामिल हैं। जनशाला ने बहु-ग्रेड शिक्षण के विशेष संदर्भ में 100 विद्यालयों को गुणवत्ता सुधार के लिये अपनाया है। किशोरियों के लिये शिविर, सेतु पाठ्यक्रम याड्यूल और अध्यापक प्रशिक्षण पैकेज जैसी कुछ सर्वोत्तम पद्धतियों को एसएसए योजनाओं में शामिल किया गया है।

राजस्थान

- राजस्थान के केवल शहरी क्षेत्रों में इस कार्यक्रम का कार्यान्वियन किया जा रहा है। 30 सितम्बर 2003 की स्थिति के अनुसार 1,56,062 बच्चों को सरकारी स्कूलों ए.एस.केन्द्रों और सेतु पाठ्यक्रमों में दाखिल किया है। कार्यक्रम की शुरूआत में स्कूल से बाहर के बच्चों की कुल संख्या 90,030 थी जो 31 दिसम्बर,2004 को कम होकर 5,070 रह गई है। यह वह आवारा बच्चे हैं जिनका कभी नाम नहीं लिखाया गया। राजस्थान में जनशाला के अधीन लगभग 200 ए.एस.केन्द्र और 300 सेतु पाठ्यक्रम कार्य कर रहे थे और 7174 बच्चों को मुख्यधारा में लाने के बाद सेतु पाठ्यक्रमों की संख्या कम होकर 68 हो गई है। सरकारी स्कूलों में कक्षा I और II में और ए.एस. केन्द्रों में कक्षा I से V तक बहुग्रेड शिक्षण शुरू कर दिया गया है। नियमित अध्यापक प्रशिक्षण और हेड मास्टर्स प्रशिक्षण के अलावा एमजीटा आईईडी पर प्रशिक्षण, जीवन कौशल शिक्षा, विद्यालय स्वास्थ्य और सफाई, ए.एस. अनुदेशकों और विद्यालयों के अध्यापकों के लिये पक्षिक और मासिक कार्यशालाओं भी नियमित आधार पर चलाई जा रही है।

उत्तर प्रदेश

जनशाला ने विशेषकर बालिकाओं की शिक्षा की दिशा की दिशा में मां-बाप के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण



यूनीसेफ के सहयोग में चलाई गई पेयजल एवं सफाई परियोजना अत्यधिक सफल रही है और देश के अन्य हिस्सों में अनुकरणीय है। इसे विभिन्न सामाजिक क्षेत्रक विभागों से मिलजुल कर कार्यान्वित किय गया है।

भूमिका अदा की है। बच्चों के दाखिलों और स्कूल न छोड़ने के मामले में भी निरंतर सुधार दिखाई दिया है और इस प्रकार स्कूल छोड़ने की दर भी काफी कम हो गई है। 9646 बच्चे (4296 लड़के और 5350 लड़कियां) अभी भी स्कूलों से बाहर हैं तथा इन आवारा बच्चों को स्कूल में लाने के प्रयत्न किये जा रहे है।

किये गये प्रमुख क्रियालापों में मल्टीग्रेड शिक्षण पर विभिन्न कार्यशालाओं का आयोजन, सभी गांवों में सूक्ष्म योजना और स्कूल मानचित्रण, वी.ई.सी. प्रशिक्षण, प्रधानाध्यापकों का प्रशिक्षण, विकलांग बच्चे के लिये सहायता एवं उपकरणो की आपूर्ति, आंगनवाड़ी कर्मचारियों का प्रशिक्षण, कम्प्यूटर आधारित शिक्षा के लिये अध्यापकों का 10 दिवसीय जानकारी प्रशिक्षण, एन.जी.ओ. की सहायता से 273 ए.एस.केन्द्रों को खोलना, किशोर बालिकाओं के लिये एक आवासीय और 24 (6 शहरी और 16 ग्रामीण) गैर-आवासीय शिविरों, 15 दिन के 40 ग्रीष्म कालीन शिविर, सुधारात्मक शिक्षण, पठन ओर लेखन कौशल विकास आदि शामिल हैं। जनशाला ने कार्यक्रम क्षेत्र के अधीन अनेक ई.सी.सी.ई केन्द्र भी खोले हैं। उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम की सफलता अन्य क्षेत्र बालिका शिक्षा के क्षेत्र में अन्य विभागों के साथ संपर्क है। कार्यक्रम के सभी ब्लाकों में किशोरी बालिकाओं के लाभ के लिये 'खुशी' कैम्प नामक पांच दिवसीय आवासीय कैम्प आयोजित किये जा रहे हैं।

जनशाला ने केअर-इंडिया के सहयोग में लखनऊ में मोहनलाल गंज के संपूर्ण ब्लाक के सरकारी स्कूलों में अध्ययन कर रहे कक्षा IV ओर V के बच्चों के लिये एक सामाजिक अध्ययन पैकेज तैयार किया है। इस अध्ययन पैकेज में व्यापक सामाजिक जानकारी, जीवन कौशल विकास, प्रशिक्षओं के अपने जीवनों के संदर्भ में विवेचनात्मक एवं ज्ञानपूर्ण सोच का विकास आदि शामिल होगा। पैकेज में विवाह, स्वास्थ्य, असमानता और बैंकिंग के संदर्भ में सफाई एवं अन्तरनिर्भरता जैसे अनेक विषय शामिल हैं। रोल प्ले, खेलों, कहानियों, परियोजनाओं आदि के द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इस हस्तक्षेप के निष्पादन के आधार पर इसका अनय ब्लाकों में भी विस्तार किया जाएगा।

अनुसंधान और प्रलेखीकरण

- शहरी गरीब बच्चों की शैक्षिणिक आवश्यकताओं पर राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान (एन.आई.यू.ए.) द्वारा किये गये अध्ययन पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की।
- जनशाला के सहयोग में यूनेस्कों द्वारा मल्टीग्रेड के राष्ट्रीय-अन्तराष्ट्रीय अनुभव पर डा. ललित किशोर को सौंपे गये अध्ययन की रिपोर्ट तैयार है। मल्टीग्रेड के क्षेत्र में पहलों के प्रलेखीकरण के अलावा यह अध्ययन कई सिफारिशें भी प्रस्तुत करता है जो शायद इस क्षेत्र में कार्य करने वालों के लिये लाभदायक होगी।
- जनशाला ने परवर्ती पुनरीक्षा मिशनों द्वारा तैयार की गई राज्यकर पुनरीक्षण रिपोर्टो का संकलन भी प्रकाशित किया।
- कार्यक्रम पर एक विषय संबंधी दस्तावेज भी प्रकाशित किया गया है।

अध्यापक शिक्षा

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनपीई) तथा कार्रवाई योजना (पीओए) 1986 के अनुसरण में अध्यापक शिक्षा की पुनर्रचना और पुनर्गठन के लिए एक केन्द्र प्रायोजित योजना 1887 में शुरू की गई थी जिससे कि देश के भीतर प्राथमिक स्कूल अध्यापकों का एक व्यवहार्य आधारिक तंत्र निर्मित किया जाए, उनके अनुस्थापन, प्रशिक्षण तथा उनके ज्ञान, क्षमता और शिक्षा-शास्त्रीय कौशलों के स्तरोन्नयन के निमित्त् एक व्यवहार्य संस्थागत आधारिक तंत्र, शैक्षिक और तकनीकी संसाधन आधार निर्मित किया जाए।

यह योजना प्रारम्भिक अध्यापक शिक्षकों तथा अनौपचारिक और प्रौढ़ शिक्षा अनुदेशकों को शैक्षिक और संसाधन समर्थन प्रदान करने के उद्देश्य से प्रत्येक जिले में एक जिला प्रशिक्षण संस्थान (डीआईईटी) स्थापित करने का प्रयास करती है। साथ

तालिका 7.4 : 31-3-2004 तक स्वीकृत डी.आई.ई.टी., सी.टी.ई. और आई.ए.एस.ई.

राज्य/संघ राज्य का नाम	जिलों की संख्या	स्वीकृत डी.आई.ई की संख्या			स्वीकृत सी.टी.ई/ आई.एस.ई. की संख्या			क्या स्वीकृत एस.सी.ई. आर.टी.को सुदृढ़ कर रहे है
		स्तरोन्नत	नये	कुल	सी.टी.ई	आई.ए.एस.ई.	कुल	
आंध्र प्रदेश	23	23	-	23	4	10	14	हां
अरूणाचल प्रदेश	13	1	10	11	0	0	0	-
असम	23	12	7	19	10	0	10	हां
बिहार	37	24	-	24	4	-	4	-
छत्तीसगढ़	16	7	-	7	1	1	1	-
गोवा	2	1	-	1	0	0	0	-
गुजरात	25	16	7	23	7	4	11	-
हरियाणा	19	12	5	17	0	1	1	हां
हिमाचल प्रदेश	12	2	10	12	1	0	1	हां
जम्मू और कश्मीर	14	10	4	14	2	0	2	हां
झारखंड	18	10	-	10	1	-	1	हां
कर्नाटक	27	16	4	20	10	1	11	हां
केरल	14	13	1	14	3	1	4	हां
मध्य प्रदेश	45	33	5	38	6	2	9	हां
महाराष्ट्र	35	25	5	30	4	1	5	हां
मणीपुर	9	2	6	8	1	0	1	हां
मेघालय	7	3	4	7	2	0	2	हां
मिजोरम	8	8	-	8	1	0	1	हां
नागालैंड	8	2	4	6	1	0	1	हां
उड़ीसा	30	13	4	17	6	3	9	हां
पंजाब	17	10	7	17	2	1	3	-
राजस्थान	32	22	8	30	7	4	11	हां
सिक्किम	4	1	2	3	0	0	0	-
तामिलनाडू	30	14	15	29	5	2	7	हां
त्रिपुरा	4	2	2	4	1	0	1	हां
उत्तर प्रदेश	70	54	16	70	3	3	6	हां
उत्तरांचल	13	8	2	10	-	-	-	-
वैस्ट बंगाल	18	13	3	16	4	2	6	हां
अंडेमान एवं निकोबार	2	1	-	1	0	0	0	हां
दिल्ली	9	1	6	7	0	2	2	हां
पांडिचेरी	4	-	1	1	0	0	0	-
लक्षद्वीप	1	-	1	1	0	0	0	-
दमन और दीयू	2	-	-	-	-	-	-	-
दादर और नागर हवेली	1	-	-	-	-	-	-	-
चडीगढ़	1	-	-	-	-	-	-	-
जोड़	**599**	**359**	**139**	**498**	**86**	**38**	**124**	

ही, यह योजना माध्यमिक अध्यापकों के लिए सेवा-पूर्व और सेवाकालीन प्रशिक्षण आयोजित करने तथा माध्यमिक स्कूलों के विस्तार और संसाधन समर्थन सेवाएं प्रदान करने के निमित्त अध्यापक शिक्षा कालेज (सीटीई)/उच्च शिक्षा संस्थानों से इन कामों की अपेक्षा की जाती है: प्रारम्भिक तथा माध्यमिक अध्यापक प्रशिक्षक तैयार करने के लिए कार्यक्रम आयोजित करना; प्रारम्भिक और माध्यमिक अध्यापक प्रशिक्षकों और माध्यमिक स्कूलों के प्राचार्यों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण आयोजित करना; विशेष रूप से अन्तःविषयक्षेत्रीय स्वरूप वाले उच्चस्तरीय आधारित और अपुप्रयुक्त अनुसंधान में प्रवृत्त होना तथा जिला शिक्षा तथा प्रशिक्षण संस्थान को शैक्षणिक मार्गदर्शन और अध्यापक शिक्षा कालेज को सहयोगी सेवाएं उपलब्ध कराना। इस स्कीम में राज्यों में एस.सी.ई.आर.टी का सुदृढ़ीकरण, केन्द्रीय सरकार, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों, अध्यापक शिक्षा कालेजों, उच्च शिक्षा अध्ययन संस्थानों को गठित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान, विद्यमान प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा संस्थानों (ईटीईआई) का स्तरोन्नयन करके या नई संस्थानों के रूप में स्थापित किए जाते है। इस कार्य के लिए राज्य सरकारों द्वारा भूमि निःशुल्क रूप से प्रदान की जाती है। उच्च शिक्षा अध्ययन संस्थान (आईएएसई) और अध्यापक शिक्षा कालेज, मौजूदा माध्यमिक अध्यापक शिक्षा संस्थानों (एसटीईआई) विश्वविद्यालय शिक्षा विभागों सहित का स्तरोन्नयन करके स्थापित किए जाते हैं। 31-3-2004 तक इस योजना के अधीन कुल मिलाकर 49% डीआईईटी, 86 सीटीई तथा 38 आइएएसई संस्वीकृत किए जा चुके हैं। राज्य/संघ राज्य वार आकड़े सारणी (7.5) में दिये गये है।

दसवीं योजना के लिये प्राथमिक शिक्षा एवं प्रौढ़ शिक्षा संवंधी कार्यदल की सिफारिश पर अध्यापक शिक्षा गुणवत्ता में सुधार हेतु पर्याप्त संशोधन किये गये हैं और दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में अध्यापक शिक्षा स्कीम के कार्यावर्षीय योजना अवधि में अध्यापक शिक्षा स्कीम के कायान्वयन हेतु संशोधित मार्ग निर्देश राज्यों/संघ राज्यों को जनवरी, 2004 में परिमित कर दिये गये हैं। 10वीं योजना अवधि के लिये संशोधित अध्यापक शिक्षा स्कीम के निम्नलिखित उद्देश्य है :

(i) स्वीकृत, परन्तु 9वीं योजना अवधि के अंत तक पूरी न की गई डी.आई.ई.टी./सी.टी.ई./आई.ए.एस.ई./एस.सी.ई.आर.टी. परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करना ।

(ii) IX वीं योजना अवधि तक स्वीकृत डी.आई.ई.टी., सी.टी.ई., आई.ए.एस.ई. को ईप्टतम रूप में कार्यात्मक और प्रचालनात्मक बनाना।

(iii) नई डी.आई.ई.टी./सी.टी.ई/आई.ए.एस.ई/एस.सी.ई.आर.टी. परियोजनाओं की यथा आवश्यक सीमा तक स्वीकृति एवं कार्यान्वयन।

(iv) डी.आई.ई.टी.आदि द्वारा चलाये जाने वाले कार्यक्रमों, विशेषकर सेवापूण एवं सेवाकालीन प्रशिक्षण संबंधी, की गुणवत्ता में सुधार ताकि वह अपने संबंधित क्षेत्राधिकार में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने की अपनी नोडल भूमिका प्रभावशाली रूप में निभा सकें।

स्कीम का वास्तविक प्रचालन दो स्तरों पर निहित किया गया है। पहला हिस्सा राज्य सरकारों द्वारा चलाया जाना है और दूसरे हिस्से का समन्वय राष्ट्रीय स्तर पर इन शार्षस्थ निकायों की सहायता से किया जाना है, जैसे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एन.सी.टी.ई.), राष्ट्रीय शैक्षणिक योजना एवं प्रशासन (एन आई.ई.पी.ए.), राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण (एन.सी.ई.आर.टी.), विश्वविद्यालय, आदि। राज्यों को दो चरणों में अपनी वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार दसवीं योजना अवधि के लिये भावी योजनायें तैयार करनी होंगी। पहले चरण में मार्च 2005 तक की योजनायें तैयार की जायेंगी और दूसरे चरण में दसवीं योजना के शेष दो वर्षो के लिये विस्तृत योजनायें तैयार की जायेंगी। अध्यापक प्रशिक्षा के लिये केन्द्रीय वित्त पोषण इन दो योजनाओं पर आधारित होगा जिसे अध्यापक प्रशिक्षण अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाएगा कि वह आवश्यक सुधार करेंगे जैसे अध्यापक शिक्षकों की भर्ती एवं तैनाती की नीति। राष्ट्रीय स्तर पर अध्यापक प्रशिक्षा स्कीम के अधीन राज्यों के प्रस्तावों के अनुमोदन के लिये सचिव (प्राथमिक शिक्षा एवं साक्षरता) की अध्यक्षता में एक अध्यापक प्रशिक्षण अनुमोदन बोर्ड प्राधिकारी होगा। एक अध्यापक प्रशिक्षा संसाधन समूह (टी.ई.आर.जी.) की स्थापना का भी प्रावधान है जो स्कीम के कार्यान्वयन की पुनरीक्षा और इसकी भावी दिशा पर सलाह देने के लिये एक सलाहकार बोर्ड के रूप में कार्य करेगा। इसकी महत्वपूर्ण विशेषता अध्यापक प्रशिक्षा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आई.सी.टी.) के उपयोग से संबंधित घटक की है जिसका समन्वय एस.सी.टी.ई. द्वारा राष्ट्रीय आसूचना केन्द्र (एन.आई.सी.) और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के परामर्श से किया जाएगा। अध्यापक प्रशिक्षकों के लिये विशेष अनुसंधान और पाठ्यक्रम तैयार करने में सहायता के उद्देश्य से एक संसाधन सहायता कार्यक्रम (आर.एस.पी.) का प्रावधान भी किया गया है।



अध्यापक प्रशिक्षा को समृद्ध बनाने के लिये सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आई.सी.टी.) के ईष्टतम उपयोग हेतु एन.सी.टी.ई. के अध्यक्ष की अध्यक्षता में, जिसमें आई.सी.टी.ई. और अध्यापक प्रशिक्षण दोनों से विशेषज्ञ शामिल हैं, एक विशेष समूह की स्थापना की गई थी जो निम्नलिखित पर अपनी सिफरिशें देगाः-

- अध्यापक प्रशिक्षकों के लिये निम्नलिखित श्रेणी के कार्यक्रमों में समावेशन के लिये आई.सी.टी.पर समुचित माड्यूल्स का विकासः

(I) प्राथमिक अध्यापक प्रशिक्षकों के लिये - सेवापूर्व मास्टर आफ एजूकेशन (एम.एड.), प्राथमिक शिक्षा और सेवा कालीन कार्यक्रम ।

(II) माध्यमिक अध्यापक प्रशिक्षकों के लिये - सेवापूर्व (एस.एड.) और सेवा कालीन शिक्षा कार्यक्रम, प्रधानाचार्यों और डी.आई.ई.टी. के संकाय सदस्यों की सेवाकालीन शिक्षा के लिये आई.सी.टी. माड्यूल्स के विकास को प्राथमिकता दी जानी है।

- अध्यापक शिक्षण के निम्नलिखित श्रेणियों के कार्यक्रमों में शामिल करने हेतु आई.सी.टी.पर समुचित माड्यूल्स का विकासः

(I) प्राथमिक अध्यापक प्रशिक्षकों के लिये - सेवापूर्व मास्टर आफ एजूकेशन (एम.एड.) और सेवा कालीन शिक्षा कार्यक्रम। प्रधानाचार्यों और डी.आई.ई.टी. के संकाय सदस्यों की सेवाकालीन शिक्षा के लिये आई.सी.टी. माड्यूल्स के विकास को प्राथमिकता दी जानी है।

- निम्नलिखित के लिये कार्ययोजना तैयार करना -

(क) विद्यमान सामग्री का पता लगाना जो उपर्युक्त माड्यूल्स में उपयोग हेतु उचित हों।

(ख) जितना आवश्यक हो उपर्युक्त माड्यूल्स के लिये नई सामग्री का विकास।

- विभिन्न माड्यूल्स में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिये संभार-तंत्र तैयार करना ताकिः

(क) उपर्युक्त के अनुसार विकासित आई.सी.टी. माड्यूल्स में कम से कम संभावित समय में सभी अध्यापक प्रशिक्षक (विशेषकर प्राथमिक अध्यापक प्रशिक्षक) सेवाकालीन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें, और

(ख) देश में प्राथमिक और माध्यमिक अध्यापक भी यथा शीघ्र आई.सी.टी. माड्यूल्स में चरणबद्ध तरीके से सेवाकालीन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें।

- कार्य योजना के क्रियान्वयन के लिये हार्डवेयर, नेट-वर्किग और वित्तीय आवश्यकतायें।
- इलैक्ट्रानिक्स एक्रेडिटेशन्स कम्प्यूटर कोर्सेज विभाग (डी.ओ. ई.ए.सी.सी.) द्वारा आई.सी.टी. में अध्यापक-विशिष्ट पाठ्यक्रम तैयार करना जिसे करने के लिये अध्यापकों को, इसे सफलतापूर्वक पूरा करने पर अतिरिक्त वेतनवृद्धि जैसे प्रोत्साहनों के द्वारा प्रोत्साहित किया जाये। समूह ने अपनी रिपोर्ट दे दी है जिस पर आगे कार्रवाई की जा रही है।

वित्तीय वर्ष 2003-04 के लिये बजट अनुमान और संशोधित अनुमान क्रमशः 207 करोड़ रुपए और 150 करोड़ रुपए थे। संशोधित अनुमान के अधीन आबंटित निधियों का पूरा उपयोग कर लिया गया है।

माध्यिमक शिक्षा के लिये पोषाहार सहायता - राष्ट्रीय कार्यक्रम

प्राथमिक शिक्षा के लिये पोषाहार सहायता के राष्ट्रीय कार्यक्रम को, जो अधिकांशतः मध्याह्न भोजन (एम.डी. एम.) स्कीम के नाम से जाना जाता है, औपचारिक रूप से 15 अगस्त,1995 से शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नामांकन, उपस्थिति एवं ठहराव को बढ़ाकर प्राथमिक शिक्षा के सर्वभौमीकरण में तेजी लाना और साथ ही साथ सरकारी, स्थानीय निकायों और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययन कर रहे प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों के पोषणिक स्तर में सुधार लाना है। अक्तूबर 2002 से शिक्षा गारंटी स्कीम और अन्य वैकल्पिक शिक्षण केन्द्रों में पढ़ रहे बच्चों के लिये भी इस कार्यक्रम का विस्तार किया गया है।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्थानीय कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से बच्चों को पका हुआ भोजन प्रदान करना है। जहाँ पका भोजन बांटा जाता है वहां प्रति स्कूल दिवस प्रति बच्चा 100 ग्राम की दर से केन्द्र सरकार द्वारा मुफ्त खाद्यान्न (गेंहू और चावल) और जहां खाद्यान्न बांटा जा रहा है वहां प्रति छात्र 3 कि.ग्रा. खाद्यान्न दिया जाता है।

सबसे समीप के एफ.सी. आई. गोदाम से स्कूल तक खाद्यान्न पहुंचाने के लिये जिला प्राधिकारियों/ राज्य ऐजेंसियों को ढुलाई

तालिका 7.6 : स्कीम के अंतर्गत 2003-04 के दौरान जारी की गई राज्यवार-धनराशी

राज्य/संघ राज्य का नाम	धनराशि करोड़ रूपयो में
आंध्र प्रदेश	19.33
अरूणाचल प्रदेश	0.91
असम	5.93
बिहार	00
छत्तीसगढ़	9.51
गोवा	0.54
गुजरात	4.94
हरियाणा	3.26
हिमाचल प्रदेश	6.32
जम्मू एवं कश्मीर	0.2
झारखंड	00
कनार्टक	10.22
केरल	3.74
मध्य प्रदेश	10.64
महाराष्ट्र	10.49
मणीपुर	1.21
मेघालय	0.20
मिजोरम	3.90
नागालैंड	2.96
उड़ीसा	2.40
पंजाब	5.89
राजस्थान	9.94
सिक्किम	0.63
तामिलनाड	5.48
त्रिपुरा	1.44
उत्तर प्रदेश	16.61
उत्तरांचल	7.88
वैस्ट बंगाल	0.62
ए एवं एन	00
दिल्ली	3.71
पांडिचेरी	0.53
लक्षद्वीप	0.20
एनसीईआरटी	0.05
नीपा	0.02
टीए और आफिस सामग्री (एस एस)	0.30
जोड़	**150.00**

की लागत की प्रतिपूर्ति भी की जाती है जिसकी अधिकतम सीमा प्रति क्विंटल 50 रुपए है।

- शामिल किये गये बच्चों की वर्षवार संख्या, आबंटित खाद्यान्न की मात्रा और उठाई गई मात्रा और कार्यक्रम के अधीन किये गये व्यय को सारणी 7.7 में दिखाया गया है।

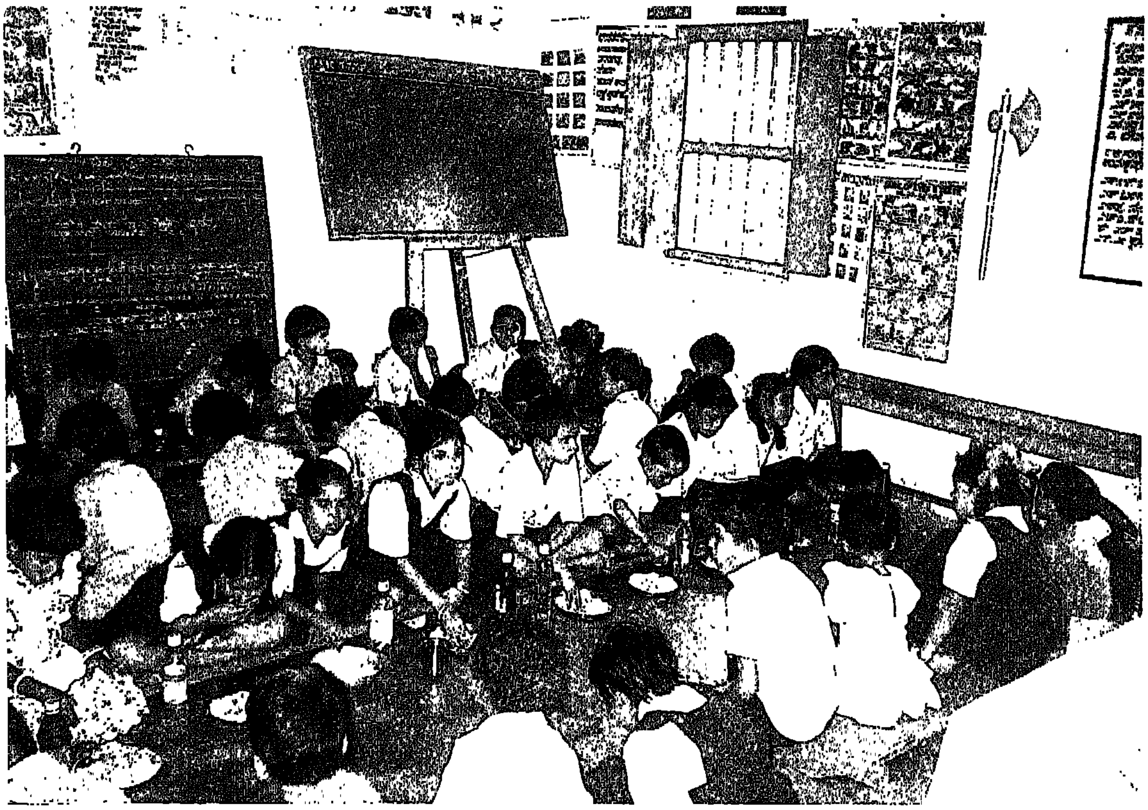
चूंकि दसवीं योजना अवधि के लिये संशोधित अध्यापक प्रशिक्षा स्कीम के मार्ग निर्देश जनवरी, 2004 में जारी किये जा सके अतः वेतनों और विद्यमान डी.आई.टी./सी.टी.आई/ आई.ए.एस.ई. के कार्यक्रमों हेतु आंशिक अनुदान राज्यों/ संघ राज्यों को वित्तीय वर्ष 2003-04 के दौरान स्कीम के अधीन जारी राज्यवार धनराशि सारणी (7.6) में दी गई है।

इस समय 29 राज्य/संघ राज्य लगभग 5.79 करोड़ बच्चों को पका भोजन प्रदान कर रहे हैं जो 10.56 करोड़ बच्चों के कुल लक्ष्य वर्ग का 54.8 प्रतिशत है। उपलब्ध सूचना के अनुसार 13 राज्य और 6 संघ राज्य अर्थात् आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मिजोरम, नागालैण्ड, राजस्थान, सिक्किम, तामिलनाड, त्रिपुरा, उत्तरांचल, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव, पांडिचेरी, लक्षद्वीप एवं चण्डीगढ़ अपने अपने संबंधित संपूर्ण राज्य/संघ राज्य में पका भोजन प्रदान कर रहे हैं जबकि बिहार (2579 स्कूल), हरियाणा(17 ब्लाक), हिमाचल प्रदेश (3 जनजातीय जिले),गोवा (3 ब्लाक), झारखंड (200 स्कूल), मध्यप्रदेश (जनजातीय ब्लाक), मेघालय (12 जिले), उड़ीसा और मध्यप्रदेश (जनजातीय क्षेत्र), पंजाब (17 ब्लाक), पश्चिम बंगाल (6000 स्कूल)और दिल्ली (1924 स्कूल) आंशिक रूप में इसे प्रदान कर रहे हैं। कार्यक्रम कार्यान्वयन के राज्यवार-विवरण अनुबंध (III) में दिये गये हैं।

कर्नाटक में इस्कान सहित 20 एन.जी.ओ. राज्य सरकार के संपूर्ण पर्यवेक्षण में 670 स्कूलों में पढ़ रहे लगभग 1.16 लाख बच्चों को पका भोजन प्रदान कर रहे है। इसके अलावा इस्कान ने भी बंगलौर ग्रामीण जिले के नर्सरी, उच्चतर प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के 26,000 छात्रों को इसमें शामिल किया गया है। हाल ही में हैदराबाद में सरकारी निजी भागीदारी का एक माडल तैयार किया गया है जहां नन्दी फाउंडेशन हैदराबाद में लगभग 2 लाख बच्चों को पका भोजन देने के लिये एक केन्द्रीय रसोईघर (सेंट्रल किचंन) की व्यवस्था करता है।

तालिका 7.7 : शामिल किये गये बच्चों की वर्षवार संख्या, आंबटित और उठाये गये खाद्यान्न की मात्रा और किया गया व्यय

वर्ष	शामिल किये गये बच्चों की संख्या (करोड़ रु में)	खाद्यान्न की मात्रा (मी.ट. में)		किया गया व्यय (करोड़ रु में)
		आबंटित	उठाया गया	
1995-96	3.34	713223	536016	441.21
1996-97	5.57	1585388	1112489	800.00
1997-98	9.10	2567372	1810164	1070.38
1998-99	9.79	2706274	1147917	1600.15
1999-2000	9.90	2767251	1401765	1500.00
2000-01	10.54	2480692	1517816	1299.00
2001-02	10.35	2862475	2076764	1030.27
2002-03	10.36	2837467	2176830	1099.03
2003-04	10.56	2684067	2096904	1375.00



ग्रामीण स्कूलों में संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस.वी.आर.वाई.) के अधीन उपलब्ध निधियों और शहरी स्कूलों में राष्ट्रीय मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम (एन.एस.डी.पी.) और शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम (यू. डब्ल्यू.ई.पी.) जो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एस.ज.एस.आर.वाई.) का घटक है, से उपलब्ध निधियों से किचन शेड निर्माण करने की राज्यों को अनुमति दी गई है।

राज्यों को जहां तक संभव हो पकाने के प्रयोजन के लिये स्व-सहायता समूहों की सेवा में लेने की सलाह दी गई है।

यह भी निर्णय लिया गया है कि वित्तीय वर्ष 2004-05 को मध्याह्न भोजन पकाने के लिये प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अधीन राज्यों को आवंटित अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (ए.सी.ए.) का कम से कम 15 प्रतिशत निर्धारित किया जाये ताकि उन्हें पकाने की लागत का एक हिस्सा पूरा करने में मदद मिल सके।

शिक्षाकर्मी परियोजना

शिक्षाकर्मी परियोजना (एसकेपी) का उद्देश्य यह है कि राजस्थान के दूर दराज के सूखे, सामाजिक-आर्थिक दृष्टि से पिछड़े गांवों में लड़कियों की ओर प्रमुख ध्यान देते हुए प्राथमिक शिक्षा का सर्वसुलभीकरण (यूईई) किया जाए तथा उसमें गुणात्मक सुधार लाया जाय। यह परियोजना प्रारम्भिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण (यूईई) के लक्ष्य की पूर्ति में अध्यापकों की अनुपस्थिति को एक मुख्य बाधा के रूप में मानती है। यह मससूस किया गया कि दूरस्थ गांव में जिस प्राथमिक स्कूल में अध्यापक गांव में नहीं रहता है, वहां पर प्रायः निष्क्रिय हो जाता है और माता-पिता तथा बच्चे भी ऐसे संस्थान से नहीं जुड़ पाते जिसके फलस्वरूप शिक्षा बीच में छोड़ने वाले बच्चों का अनुपात अत्यन्त उच्च हो जाता है। शिक्षाकर्मी परियोजना के अधीन नियमित अध्यापकों की जगह ऐसे स्थानीय अध्यापक रखे जाते हैं जो कम अर्हताप्राप्त किन्तु विशेष रूप से प्रशिक्षित होते हैं। शिक्षाकर्मी (एसके) एक स्थानीय व्यक्ति होता है। पुरूष शिक्षाकर्मी के लिए शैक्षिक अर्हता कक्षा 8वीं उत्तीर्ण है।

शिक्षाकर्मी परियोजना के पहले चरण (1987-1994) के दौरान परियोजना पर 21.12 करोड़ रूपए खर्च आया जो स्वीडिश अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी (सीडा) तथा राजस्थान सरकार द्वारा 90.10 के अनुपात में वहन किया गया। परियोजना के दूसरे चरण (जुलाई 1994 से जून 1998) के दौरान परियोजना पर कुल मिलाकर 72.21 करोड़ रूपए का खर्च आया जो सीडा तथा राजस्थान सरकार द्वारा 50.50 के अनुपात में वहन किया गया है। परियोजना के गहन मूल्यांकन के बाद यूके अन्तर्राष्ट्रीय विकास विभाग (डीएफआईडी) परियोजना के चरण तीन की लागत को जुलाई 1999 से राजस्थान सरकार के साथ 50.50 के आधार पर वहन करने को राजी हो गया है। परियोजना का चरण तीन जून 2003 तक चलेगा और प्रस्तावित करार की शर्तों और उपबन्धों के अनुसार इस चरण के दौरान परियोजना पर 240 करोड़ रूपए खर्च किए गए।

शिखाकर्मी एक स्थानीय व्यक्ति होता है। पुरूष शिक्षाकर्मी के लिए शैक्षिक अर्हता कक्षा 8वीं उत्तीर्ण है। शिक्षाकर्मी परियोजना मानव संसाधन विकास के एक अनूठे साधन के रूप में उभरी है जिसने अन्तर्निहित प्रतिभा और क्षमता से युक्त ग्रामीण युवकों को इस योग्य बनाया है कि वे आत्मसम्मान और गौरव के साथ आत्मविश्वासपूर्ण अर्द्ध-व्यावसायिकों के रूप में उभर सके।

एस.के.पी. के चरण III के आगे की दो वर्ष की अवधि, अर्थात् 1-7-2003 से 30-6-2005 तक विस्तार का प्रस्ताव डी.एफ.आई.डी. और राजस्थान सरकार के बीच 75:25 के संशोधित वित्त पोषण मानदण्डों के साथ सक्रिय रूप में विचाराधीन है।

गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) और समुदाय, शिक्षाकर्मी परियोजना के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ग्राम शिक्षा समितियों (वीईसी) ने शिक्षाकर्मी स्कूलों में स्कूल-मैपिंग तथा सूक्ष्म-आयोजन के जरिए स्कूली वातावरण में सुधार करने, मूलभूत सुविधाओं मे वृद्धि करने तथा स्कूलों में अधिक नामांकन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगादान किया है। राजस्थान में प्रारम्भिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के लक्ष्य को हासिल करने के मार्ग में स्कूलों में बनाए रखना हमारे सामने एक प्रमुख चुनौती है। शिक्षाकर्मी परियोजना समुदाय को सहयोजित करते हुए विकेन्द्रीकृत पहलों के माध्यम से इन चुनौतियों का सामना करने में सफल रहा है। इस परियोजना के लक्ष्यों की पूर्ति के उद्देश्य से ग्रासरूट स्तर पर पंचायत समितियों, शिक्षाकर्मी सहयोगी, गैर-सरकारी संगठनों के विषय-विशेषज्ञ, शिक्षाकर्मी तथा ग्रामीण समुदाय एक दूसरे के साथ सतत् रूप से तालमेल रखते हैं।

शिक्षाकर्मी परियोजना मानव संसाधन विकास के एक अनूठे साधन के रूप में उभरी है जिसने अन्तर्निहित प्रतिभा और क्षमता से युक्त ग्रामीण युवकों को इस योग्य बनाया है कि वे आत्मसम्मान ओर गौरव के साथ आत्मविश्वासपूर्ण अर्द्ध-व्यावसायिकों के रूप में उभर सकें। परियोजना द्वारा हाथ में लिए गए स्कूलों के नामांकन में सात गुना वृद्धि हुई है। शिक्षाकर्मी स्कूलों द्वारा सेवित बच्चों में अनुसूचित जातियों/जनजातियों के बच्चों की संख्या काफी बढ़ी है। शिक्षाकर्मी परियोजना के अनुभव से यह पता चला है कि आवर्ती तथा प्रभावी प्रशिक्षण, संवेदनशील पोषण, सामुदायिक सहयोग, नियमित सहभागितापूर्ण पुनरीक्षा और समस्या समाधान के बल पर कठिन स्थितियों में कार्यरत शिक्षाकर्मियों के अभिप्रेरण को और लम्बे समय तक बनाए रखा जा सकता है। शिक्षाकर्मी परियोजना की सफलता ने इसे राष्ट्रीय और अन्तराष्ट्रीय मान्यता प्रदान की है।

शिक्षाकर्मी परियोजना के अधीन प्रहर पाठशाला (पीपी) (सुविधापूर्ण समय का स्कूल) ऐसे स्कूल - बाह्य बच्चों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम प्रदान करता है जो घरेलू कामकाज में फसें होने के कारण नियमित दिवा स्कूलों में उपस्थित नहीं हो सके। इन प्रहर पाठशालाओं में संक्षिप्त और औपचारिक स्कूल पाठ्यचर्या और अधिगम सामग्री का पालन किया जाता है। चरण III के दौरान, 27,835 लड़कियां इस सुविधा से लाभान्वित हुई। नवाचारी और प्रायोगिक क्रियाकलापों के अधीन प्राथमिक स्कूलों में लड़कियों को आकर्षित करने की दृष्टि से आंगन पाठशालाएं प्रभावी सिद्ध हुई हैं। दूरस्थ क्षेत्रों में लड़कियों को स्कूलों/प्रहर पाठशालाओं में जाने के निमित्त प्ररित करने में महिला सहयोगिनियों ने अपनी उपयोगिता प्रमाणित कर दी है। आंशिक दृष्टि से विकलांग बच्चों को स्कूलों और प्रहर पाठशालाओं में समाकलित करने का प्रयास पायलट आधार पर किया गया है।

ग्राम, ब्लाक, मुख्यालय तथा राज्य स्तरों पर एक अन्तःनिर्मित मॉनीटरन प्रक्रिया होती है। सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसी, भारत सरकार तथा राजस्थान सरकार द्वारा संयुक्त छमाही पुनरीक्षा तथा राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों से युक्त दलों द्वारा स्वतंत्र मूल्यांकन की व्यवस्था है। सभी कार्मिकों और लाभग्राहियों के साथ वैचारिक आदान-प्रदान के माध्यम से मध्यावधि पुनरीक्षा/मूल्यांकन किए जाने की परिपाटी रही है। 31-3-2004 को राजस्थान में एस.के.पी. 31 जिलों, 150 ब्लाकों और 3650 गांवों में कार्य कर रहा था। यहां 3477 दिवा-स्कूल और 1885 प्रहर पाठशालायें हैं जिनमें 2.74 लाख बच्चों को नामांकित किया गया है।

वर्ष 2003-04 के दौरान विभाग ने डी.एम.आई. डी. में 10.00 करोड़ रुपए जारी किये हैं जो 1-4-2003 को एस.के.पी. में उपलब्ध 17.77 करोड़ रुपए (लेखा परीक्षित) की व्यय न की गई राशि के अलावा हैं। एस.के.पी. ने मार्च 2004 तक डी.एफ.आई.डी. में 28.80 करोड़ रुपए (अनन्तिम) के व्यय की सूचना दी है।

क्रमशः 75:25 के संशोधित वित्त पोषण मानदण्ड पर डी.एफ.आई.डी,यू.के. और राजस्थान सरकार द्वारा अंशदान किए जाने वालों 96.35 करोड़ रुपए के परिव्यय वाली एस.के.पी. के चरण् ।।। को आगले दो वर्षो तक अर्थात 1-7-2003 से 30-6-2005 तक बढ़ाने का एक प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन है।

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एन.सी.टी.ई.) की स्थापना सारे देश में अध्यापक शिक्षा प्रणाली का नियोजित और समन्वित विकास करने, अध्यापक शिक्षा के मानकों ओर मानदण्डों का विनियमन और समुचित निर्वाह करने तथा सम्बद्ध मामलों के लिये राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अभिनयम, 1993 (1993 का 73 वां) के प्रावधानों के अधीन एक सांविधिक निकाय के रूप में अगस्त 1995 में की गई थी। एन.सी.टी.ई के कुछ प्रमुख कार्य हैंः अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए मानदण्ड निर्धारित करना, अध्यापक शिक्षा संस्थाओं को मान्यता देना, अध्यापकों की नियुक्ती के लिये न्यूनतम अर्हता के संबध में मार्ग-निर्देश जारी करना, सर्वेक्षण ओर अध्ययन, अनुसंधान और नवाचार, अध्यापक शिक्षा के वाणिज्यकरण को रोकना आदि। यह परिषद सारणी में दी गई चार क्षेत्रीय कार्यसमितियों (आर.सी.) के माध्यम से कार्य करती है।

अध्यापक शिक्षा संस्थाओं को मान्यता

एन.सी.टी.ई. के कार्यक्रम की पुनरीक्षा के लिये भारत सरकार द्वारा गठित समिति की सिफारिशों पर अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम चलाने के लिये मान्यता प्राप्त करने वाली किसी संस्था द्वारा प्रस्तुत किये जा रहा है। एन.सी.टी.ई. ने अक्तूबर 2003 में विभिन्न अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम चलाने के लिये मान्यता चाहने वाले संस्थाओं द्वारा आवदेन पत्र के साथ देय प्रक्रिया-शुल्क की धनराशि संशोधित करके 500 रुपए से 40,000 रुपए कर दी है। परन्तु सरकारी संस्थाओं को प्रक्रिया शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है। प्रक्रिया शुल्क बढ़ाने के परिणाम स्वरूप 2003-04 के दौरान 10.5 करोड़ रुपए के राजस्व की प्राप्ति हुई। जयपुर, भोपाल, भुवनेश्वर और बंगलौर स्थित चार क्षेत्रीय समितियां अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं को मान्यता देने की शक्तियां पद्रान की गई हैं। 31-03-2004 की स्थिति के अनुसार एन.सी.टी.ई. द्वारा 3,329 पाठ्यक्रम प्रदान करने वाली 2995 अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं को मान्यता प्रदान की गई

तालिका 7.8 : क्षेत्रीय समितियां

क्षेत्रीय समितियों के नाम	क्षेत्रीय समिति के क्षेत्राधिकार में अपने वाले राज्य
उत्तर क्षेत्रीय समिति(एन.आर.सी.), जयपुर	हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, चण्डीगढ़ और दिल्ली।
दक्षिण क्षेत्रीय समिति (एस.आर.सी.), बंगलौर	आंध्र प्रदेश, कर्नाटक , केरल, तामिलनाड, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और पांडिचेरी।
पश्चिम क्षेत्रीय समिति (डब्लयू.आर.सी.), भोपाल	छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दादर और नगर हवेली तथा दमण और दीव
पूर्व क्षेत्रीय समिति (ई.आर.सी.), भुवनेश्वर	अरूणाचल प्रदेश, असम, बिहार, झारखंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, सिक्किम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल



है जिनकी अनुमोदित दाखिले की संख्या 2,56,477 अध्यापक प्रशिक्षणियों की है।

निस्पादन मूल्यांकन

एन.सी.टी.ई.ने एन.सी.टी.ई.अधिनियम की धारा 12 (ट) के संदर्भ में एक निस्पादन मूल्यांकन प्रणाली शुरू की है। निस्पादन मूल्याकंन रिपोर्ट (पी.ए.आर.) का फार्मेट एन.सी. टी.ई. द्वारा ऐसे कुछ पैरामीटरों के आधार पर तैयार किया गया है जो पाठ्यक्रम संचालन और एन.सी.टी.ई. विनियमों का संस्थानों द्वारा अनुपालन की गुणवत्ता प्रदर्शित करते हैं। इस प्रयोजन के लिये तैयार किये गये निस्पादन मूल्यांकान रिपोर्ट (पी.ए.आर.) का फार्मेट " डिजीटलाइज" किया गया है और पी.ए.आर. आंकड़ों के आधार पर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तैयार करने के लिये एक कार्यक्रम भी तैयार किया गया है।

एन.सी.टी.आई. अधिनियम की धारा 13 के अधीन निरीक्षण

एन.सी.टी.टी.ई. अधिनियम, 244 की धारा 13 के अधीन वर्ष 2002-03 और 2003-03 (मार्च 2004 तक) 244 अध्यापक शिक्षा संस्थाओं का निरीक्षण किया गया।

अप्रशिक्षित अध्यापकों का प्रशिक्षण

पूर्वोत्तर राज्यों, बिहार, उड़ीसा, मध्यप्रदेश, राजस्थान में अप्रशिक्षित अध्यापकों की बड़ी संख्या एन.सी.टी.ई. के लिये चिन्ता का क्षेत्र रहा है। इस समस्या को दूर करने के लिये एन.सी.टी.ई. राज्य सरकारों को अप्रशिक्षित सेवारत अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिये विशेक्ष प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करने के हेतु प्रोत्साहित करती जा रही है। इसके परिणामस्वरूम, राजस्थान, उड़ीसा, गुजरात ने दूरस्थ प्रणाली में विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार कर लिया है और एन.सी.टी.ई. का अनुमोदन प्राप्त कर लिया है। पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम के अप्रशिक्षित सेवारत प्राथमिक अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिये 'प्राथमिक शिक्षा में प्रमाण पत्र' नामक छः महीने की अवधि का एक कार्यक्रम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) द्वारा तैयार किया गया है और उसे एन.सी.टी.ई. द्वारा अनुमोदित कर लिया गया है। वर्ष 2003-04 के दौरान सिक्किम के 2000 प्राथमिक/उच्चतर प्राथमिक अध्यापकों, असम के ऐसे ही 500 अध्यापकों तथा त्रिपुरा के 500 अध्यापकों को इस कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है। एम.सी.टी.ई. द्वारा इस संबंध में प्रयत्न जारी रखे जायेंगे।

प्राथमिक अध्यापक प्रशिक्षण सुविधा का विस्तार

एनन.सी.टी.ई. ने सर्व शिक्षा अभियान के अधीन आवश्यकता पूरी करने के लिये प्रशिक्षित अध्यापकों की उपलब्धता से संबंधित मामले का पुनरीक्षण किया। परिषद ने इस संबंध में जून, 2003 में कुछ बड़े नीतिगत निर्णय लिये हैं जैसे - डी.आई.ई.टी. में प्रवेश क्षमता बढ़ाकर 200 सीटों की करना, प्राथमिक अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने के लिये विद्यमान बी.एड. संस्थाओं को अपना इनटेक पूरा करने तक अनापत्ति प्रमाणपत्र करना, प्राथमिक अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने के लिये इस क्षेत्र में विश्वसनीय अनुभव वाले गैर-सरकारी क्षेत्रक के अन्य संगठनों एवं संस्थाओं को प्रोत्साहित करना, ऐसे बी.एड. प्रशिक्षण के लिये 3 से 6 माह के राज्य विशिष्ट कार्यक्रम के साथ आगे आने हेतु अतिरिक्त बी.एड. उम्मीदवारों वाली राज्य सरकारों को प्रोत्साहित करना, प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षण के लिये उम्मीदवारों का विषय-जानकारी प्रशिक्षण। उत्तर प्रदेश और गुजरात सरकारों ने अतिरिक्त बी.एड. उम्मीदवारों के लिये छः महीने की अवधि का एक कार्यक्रम तैयार किया है ताकि उन्हें प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाने के योग्य बनाया जा सके।

एस.सी.टी.ई. द्वारा लिये गये विभिन्न निर्णयों के कार्यान्वयन के लिये कार्य-प्रद्धति पर चर्चा करने की दृष्टि से एन.सी.टी.ई. मुख्यालय में 17 सितम्बर, 2003 को एस.सी.ई.आर.टी. के निदेशकों की एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में राज्य के प्रतिनिधियों ने मांग पूरी करने के लिये अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं की उलब्धता के परिपेक्ष्य में प्रशिक्षित अध्यापकों की आवश्यकता और प्राथमिक अध्यापक शिक्षा के लिये सुविधा विस्तार हेतु उनकी सरकारों द्वारा की जा रही कार्रवाई को प्रस्तुत किया।

'सर्व शिक्षा अभियान' (एसएसए) के अधीन प्राथमिक स्तर की शिक्षा के सर्वसुलभीकरण का लक्ष्य प्राप्त करने के लिये 10वीं योजना अवधि के दौरान प्राथमिक स्तर पर अतिरिक्त प्रशिक्षित अध्यापकों की मांग पूरी करने के लिये, परिषद ने अन्य बातों के साथ साथ विद्यमान विनियमों की पुनरीक्षण करने और एस.सी.टी.ई. द्वारा सेवा प्रदायक की भूमिका निभाने के रास्ते में आने वाले उपबंधों के संशोधन का निर्णय लिया। इस प्रयोजन के लिये गठित समिति ने विभिन्न अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों और प्राथमिक अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के लिये मानदण्डों सहित अन्य आवश्यकताओं के लिये विद्यमान मानदण्डों एवं मानकों में कतिपय संशोधनों की सिफारिश की है। समिति द्वारा सुझाये गये महत्वपूर्ण संशोधन संस्थाओं द्वारा भूमि की जोत, आवेदन के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले अनिवार्य दस्तावेज, डिप्लोमा/प्रमाणपत्र स्तर के अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिये दाम निधि की धनराशि, प्राथमिक अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम में अनिवार्य प्रशिक्षुता को शामिल करना तथा प्राथमिक अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम में अध्यापक छात्र अनुपात से संबंधित हैं। समिति की सिफारिशों का परिषद द्वारा अनुमोदन कर लिया गया है और उन्हें अधिसूचित किया जा रहा है। इसके अलावा बी.एड. पाठ्यक्रम चलाने, प्राथमिक अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम शुरू करने के लिये एन.सी.टी.ई. द्वारा पहले ही मान्यता प्राप्त संस्थाओं और पाठ्यक्रम शुरू करने या स्कूल पूर्व अध्यापक शिक्षण या नर्सरी अध्यापक शिक्षण शुरू करने की इच्छुक अन्य संस्थाओं के संबंध में राज्य/संघ राज्य सरकारों से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन.ओ.सी.) की आवश्यकता तीन वर्षों के लिये समाप्त कर दी गई है।

तालिका 7.9 : वर्ष 2002-03 और 2003-04 के दौरान किये गये संस्थाओं के निरीक्षण

क्षेत्रीय समिति का नाम	निरीक्षित संस्थाओं की संख्या	
	(2002-2003)	(2003-04)
दक्षिण क्षेत्रीय समिति	38	35
पश्चिम क्षेत्रीय समिति	26	45
उत्तरी क्षेत्रीय समिति	25	45
पूर्वी क्षेत्रीय समिति	30	0
जोड़	**119**	**125**



पाठ्यक्रम का नवीकरण

निरंतर आधार पर विद्यालय परीक्षा की मांग के प्रति अध्यापक शिक्षण प्रणाली की संगतता एवं उत्तरदायित्वता को सुनिश्चित करने के लिये नियमित अंतराल पर अध्यापक शिक्षण पाठ्यक्रमों की पुनरीक्षा एवं उनको अद्यतन बनाना अनिवार्य है। परिषद ने इन पर दो दृष्टिकोण पत्र तैयार किये हैं, अर्थात् (1) प्राथमिक अध्यापक शिक्षण पाठ्यक्रम नवीकरण और (2) माध्यमिक अध्यापक शिक्षण पाठ्यक्रम नवीकरण। प्राथमिक अध्यापक शिक्षण पाठ्यक्रम नवीकरण के दृष्टिकोण पत्र में 'इंटर्नशिप' (प्रशिक्षुता) के लिये प्रावधान किया गया है। क्षेत्रीय संगोष्ठियों में इन पर विचार विमर्श किया जाएगा। ऐसी संगोष्ठियों से प्राप्त सूचना एवं निष्कर्षों के आधार पर पाठ्यक्रम संरचना का मसौदा तैयार किया जाएगा और एक या दो राष्ट्र-स्तरीय संगोष्ठियों में चर्चा के लिये इसे प्रस्तुत किया जाएगा। इन संगोष्ठियों के बाद एक कार्य बल इस रूप रेखा का अंतिम रूप से तय करेगा। अभी तक 27-28 अक्तूबर, 2003 और 30-31 अक्तूबर, 2003 को भुवनेश्वर और पांडिचेरी में दो क्षेत्रीय संगोष्ठियों का आयोजन किया गया है। उत्तरी तथा पश्चिमी क्षेत्रों में दो और क्षेत्रीय संगोष्ठियां की निकट भविष्य में योजना की जा रही है।

अध्यापक शिक्षण पाठ्यक्रमों संबंधी विनियम और उनकी पुनरीक्षा

अधिनियम के अधीन दिये गये अधिदेश के अनुसरण में एन.सी.टी.ई ने अभी तक निम्नलिखित बारह अध्यापक शिक्षण कार्यक्रमों के लिए मानदंडों एवं मानक निर्धारित करते हुए विनियमों का निर्धारण किया है:

- स्कूल पूर्व अध्यापक शिक्षण कार्यक्रम
- नर्सरी अध्यापक शिक्षण कार्यक्रम
- प्राथमिक अध्यापक शिक्षण कार्यक्रम
- प्राथमिक शिक्षा स्नातक कार्यक्रम (बी.एल.एड.)
- माध्यमिक अध्यापक शिक्षण कार्यक्रम
- बी.एड. (मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षण प्रणाली)
- मास्टर आफ एजूकेशन (एम.एड.) कार्यक्रम
- मास्टर आफ एजूकेशन (एम.एड.) कार्यक्रम (अंशकालिक)
- एम.एड. (मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षण प्रणाली)
- बैचलर आफ फिजिकल एजूकेशन (बी.पी.एड.) कार्यक्रम
- मास्टर आफ फिजिकल एजूकेशन (एम.पी.एड.) कार्यक्रम।

अध्यापक शिक्षण के क्षेत्र में घटित क्रियाकलापों और राज्य सरकारों तथा शिक्षा संस्थाओं द्वारा अनुभूत कठिनाइयों को देखते हुए उपर्युक्त विनियमों की समय समय पर पुनरीक्षकी जा रही है। परिषद ने बी.एल.एड. कार्यक्रम को और अधिक ग्राह्य बनाने के लिये इसके विद्यमान मानदंडों एवं मानकों की पुनरीक्षा हेतु विशेषा समिति का गठन किया। समिति ने अपनी सिफारिशें दे दी हैं जिन्हें आगे की कार्रवाई के लिये परिषद के सामने रखा जाएगा ।

समिति ने कला शिक्षा में अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए मानदंडों एवं मानक तैयार करने का कार्य भी हाथ में लिया है। इस प्रयोजन के लिये गठित समिति ने इन दो पाठ्यक्रमों - 'डिप्लोमा इन आर्ट एजूकेशन' और 'बेचलर आफ फाइन आर्ट्स' (बी.एफ.ए.) के लिये मानदंडों के मसौदे को अंतिम रूप दे दिया है। इन्हें विचार एवं अनुमोदन के लिए परिषद के सामने रखा जाएगा। इसके अलावा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के निर्देशों पर एन.सी.टी.ई. ने प्रारंभिक शैशव देखभाल और शिक्षा पर एक विशेषज्ञ समिति गठित की है जो अध्यापक/अनुदेशक तैयार करने और उसके पाठ्यक्रमों की रूपरेखा का सुझाव देगी। समिति ने दृष्टिकोण पत्र का मसौदा तैयार कर लिया है जिसे अंतिम रूप दिया जा रहा है ।

एन.सी.टी.ई. और एन.ए.ए.सी. के बीच समझौता ज्ञापन

मान्यता प्राप्त अध्यापक शिक्षण संस्थाओं पर जबावदेही लागू करने हेतु उचित निष्पादन प्रणालियां, मानदंड और कार्यप्रणाली तैयार करने के लिये एन.सी.टी.ई. अधिनियम की धारा 12 (ट) के प्रावधान को पूरा करते हुए राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यापन परिषद (एन.ए.ए.सी.) और एन.सी.टी.ई. ने उसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाली सभी अध्यापक शिक्षण संस्थाओं के मूल्यांकन और प्रत्यापन की प्रक्रिया के निष्पादन के लिये एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं ।

अध्यापक शिक्षण संस्थाओं के मूल्यांकन एवं प्रत्यापन की स्कीम के कार्यान्वयन से प्रत्येक संस्था अपनी गुणवत्ता में निरंतर सुधार कर सकेगी और उत्कृष्टता का अनुसरण अध्यापक शिक्षण व्यवसाय में संस्था की व्यवस्था बन जाएगा। एन.सी.टी.ई. ने नए पाठ्यक्रम खोलने या भर्ती संख्या बढ़ाने के प्रयोजन के लिए एन.ए.ए.सी. द्वारा निर्मित नौ प्वाइंट पैमाने पर ग्रेड बी+ के साथ एन.ए.ए.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं का प्रत्यापन अनिवार्य बनाते हुए पहले ही विनियमन निर्धारित कर दिए हैं। परंतु एन.ए.ए.सी. द्वारा प्रत्यायन की यह आवश्यकता प्राथमिक अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर लागू नहीं होगी। 31.03.2004 तक 64 संस्थाओं ने एन.सी.टी.ई.-एन.ए.ए.सी. द्वारा अपना प्रत्यापन कराया है ।

अध्यापक साथी

अध्यापक साथी नामक एक परियोजना एन.सी.टी.ई. द्वारा शुरू की गई थी जिसका उद्देश्य अध्यापकों और अध्यापक प्रशिक्षकों को व्यावसायिक सहायता प्रदान करना था तथा प्रभावकारी कक्षा पद्धतियों के प्रति छात्र-अध्यपकों को जानकारी देना था। अध्यापक साथी का प्रवेशांक 17 अगस्त, 2001 को प्रकाशित किया गया था। दो और अंक भी प्रकाशित किए गए हैं ।

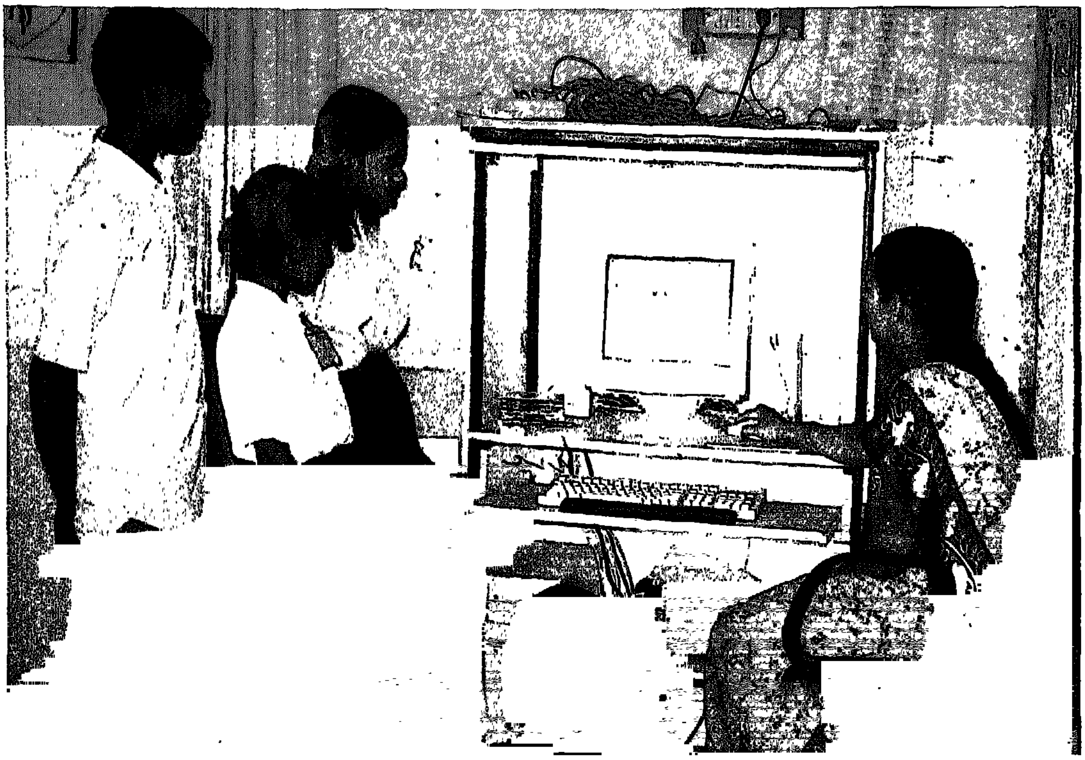
लिंग, जाति, धर्म और असमर्थता के आधार पर भेदभाव - शैक्षणिक हस्तक्षेपों के द्वारा इन्हें दूर करना

लिंग, जाति, धर्म और असमर्थता के आधार पर भेदभाव न करने की भावना भरने के बारे में एक पुस्तिका तैयार करने हेतु एन.सी.टी.ई. ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एन.एच.आर.सी.) के सहयोग से एक परियोजना चलाई। इस परियोजना के अंतर्गत 'लिंग, जाति, धर्म और असमर्थता के आधार पर भेदभाव - शैक्षणिक हस्तक्षेपों से इन्हें दूर करना' नामक एक पुस्तिका इन मुद्दों पर अध्यापकों और अध्यापक प्रशिक्षकों को जागरूक बनाने के लिए तैयार की गई है। इस पुस्तिका का वितरण मान्यता प्राप्त अध्यापक शिक्षण संस्थाओं में किया जा रहा है ।

सेवा-पूर्व प्राथमिक अध्यापक शिक्षण के प्रासंगिक दृष्टिकोण परिवर्तन पर मार्गदर्शी परियोजना

सेवापूर्व प्राथमिक अध्यापक शिक्षण के प्रासांगिक दृष्टिकोण परिवर्तन पर 2002-2003 के दौरान एक मार्गदर्शी परियोजना चलाई गई है जो निम्नलिखित उद्देश्यों को पूरा करेगाः





- ग्रामीण,पर्वतीय और जनजातीय क्षेत्रों में एनजीओ द्वारा चलाई गई कुछ संस्थाओं के अध्यापक तैयार करने संबंधी कार्यक्रम का अध्ययन ।
- इस बात का पता लगाने के लिए कि उनके कार्यक्रम एवं क्रियाकलाप संबंधित क्षेत्रों की आवश्यकताओं से कितना संबंध रखते हैं, ग्रामीण, पर्वतीय और जनजातीय क्षेत्रों में डी.आई.ई.टी. के कार्यकरण में अपनाये गये विद्यमान अध्यापक शिक्षण पाठ्यक्रम का अध्ययन करना,
- इन क्षेत्रों की शैक्षणिक आवश्यकताओं का पता लगाना। जिनकी पूर्ति स्कूल द्वारा की जानी चाहिए, और
- ग्रामीण, पर्वतीय और जनजातीय क्षेत्रों के लिये उचित प्राथमिक अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम का माडल तैयार करना ।

मार्गदर्शी परियोजना की रिपोर्ट मुद्रित हो चुकी है और व्यापक प्रचार के लिए अध्यापकों और प्रशिक्षण संस्थाओं के बीच बांटा जा रहा है ।

अध्यापक शिक्षण कार्यक्रमों के क्रियाकलापों का कलैण्डर

माध्यमिक अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम (बी.एड.) और प्राथमिक अध्यापक शिक्षा के क्रियाकलापों के कलैण्डर-क्रिया प्रबंध का एक ब्ल्यूप्रिंट प्रकाशित किया गया है और मान्यताप्राप्त अध्यापक शिक्षा संस्थाओं में बांटा गया है। इस कलैण्डर से अपने क्रियाकलापों की योजना बनाने में संस्थाओं के प्रमुखों को मदद मिलेगी जिससे योग्यता, बचनवद्धता और निष्पादन के तीन स्तंभों पर आधारित एक प्रभावकारी अध्यापक शिक्षा प्रणाली निर्मित करने में सहायता प्राप्त होगी ।

माध्यमिक अध्यापक शिक्षा के लिए वैचारिक सामग्रियां

'माध्यमिक अध्यापक शिक्षा के लिए वैचारिक सामग्री' नामक परियोजना के अधीन 'शिक्षण क्या है', 'कैसे पढ़ायें', 'पाठ्यक्रम के आयाम' 'कितना सीखा है यह जानना' और 'कैसे सीखा जाता है' नामक पांच माड्यूल तैयार किए गए हैं। इस प्रयत्न का केंद्र विंदू अनेक माड्यूल्स के माध्यम से विचारों को स्पष्ट करते हुए अध्यापक शिक्षण एवं इसकी पद्धधातियों की प्रगति के लिए सैद्धांतिक और वैचारिक सामग्रियों को जोड़ना है। माड्यूल्स में शिक्षण की प्रकृति, शिक्षण प्रक्रिया, पाठ्यक्रम एवं अनुदेशात्मक प्रक्रिया, विद्यालय एवं अध्ययन पर्यावरण का संगठनात्मक संदर्भ, अध्यापक एवं समुदाय, व्यवसाय के संदर्भ में अध्यापक आदि, जैसे विषय शामिल हैं। इन माड्यूल्स का व्यापक प्रसार करने का प्रस्ताव है ।

भावी योजना 2003-07

एन.सी.टी.ई. ने अपनी भावी योजना 2003-07 तैयार कर ली है जो एक रोड मैप है और यह देश में अध्यापक शिक्षा के सुनियोजित एवं समन्वित विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस दिशा में बढ़ते रहने हेतु इसके कार्यक्रमों तथा क्रियाकलापों के मार्गदर्शनार्थ निर्देश एवं संकेत देता है। यह दस्तावेज एन.सी.टी.ई. अधिनियम में निहित उद्देश्यों और कार्यों के परिपेक्ष्य में उन परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों पर प्रकाश डालता है जिन्हें एन.सी.टी.ई. 10वीं योजना अवधि के दौरान चलाना चाहता है। जिन बड़े कार्यों को चलाने की योजना है, वह पाठ्यक्रम नवीकरण, संसाधन सामग्रियों का विकास, अध्यापक प्रशिक्षकों का शिक्षण आदि है ।

लोक जुम्बिश परियोजना

लोगों की एकजुटता एवं भागीदारी के द्वारा सभी को शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से राजस्थान में 1992 में लोक जुम्बिश परियोजना शुरू की गई थी। जैसा कि यह नाम स्वयं प्रदर्शित करता है लोक का अर्थ व्यक्तियों से है और जुम्बिश का अर्थ आंदोलन या गतिशील क्रियाकलाप है। अतः कार्यक्रम की भावना में गहन सामुदायिक जुटाव, सामुदायिक सहायता और समुदाय आधारित संरचनायें निहित हैं ।

इसका पहला चरण जुलाई, 1992 से शुरू किया गया जो 2 वर्ष तक चला, जिसमें लोक जुम्बिश क्रियाकलाप राजस्थान के 25 विकास खंडों में चलाये गये। दूसरा चरण जुलाई, 1995 से जून, 1999 तक का था जिसमें 75 विकास खंडों में परियोजना क्रियाकलाप चलाये गये। एस.आई.डी.ए. भारत सरकार और राजस्थान सरकार ने इन दो चरणों का वित्त पोषण किया। जुलाई, 1999 से जून, 2004 के तीसरे परियोजना चरण का वित्त पोषण अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग (डी.एफ.आई.डी.), भारत सरकार और राजस्थान सरकार द्वारा क्रमशः 3:2:1 के अनुपात में किया जा रहा है। इस समय परियोजना के अंतर्गत 13 जिले और इनके 102 ब्लाक शामिल हैं। लोक जुम्बिश परिषद एक स्वायत्तशासी निकाय है जो राजस्थान समिति अधिनियम, 1958 के अधीन पंजीकृत है ।

कार्यक्रम के मुख्य घटक

कार्यक्रम के निम्नलिखित मुख्य घटक हैं:

प्राथमिक शिक्षा

अतिरिक्त शैक्षणिक सुविधाओं का सृजनः स्कीम के पहले और दूसरे चरण में 40 विकास खंडों में 439 नये प्राथमिक विद्यालय खोले गये हैं। विद्यालय मानचित्रण और ग्राम शिक्षा योजनाओं के आधार पर यह विद्यालय खोले गये हैं। 221 प्राथमिक विद्यालयों को उच्चतर प्राथमिक विद्यालयों में उन्नत किया गया है और नामंकनों के आधार पर 781 अतिरिक्त अध्यापकों के पद सृजित किये गये हैं ।

अल्पसंख्याकों की शिक्षा हेतु सहायताः अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को अतिरिक्त विषय के रूप में उर्दू भाषा सिखाने के कदम उठाये गये हैं। बालकों ओर बालिकाओं को मुख्यधारा में लाने के लिए स्थानीय प्रतिनिधियों की सहायता की जा रही है। बाढ़मेर जिले के 47 विद्यालयों में उर्दू कक्षायें शुरू कर दी गई हैं। चालू वर्ष के दौरान इस कार्यक्रम का विस्तार दो और जिलों के 96 विद्यालयों में किया जा रहा है ।

कम लागत के अल्पकालिक होस्टलः अनुसूचित जन जाति परिवारों के अधिकांश छात्र प्राथमिक विद्यालयों में भर्ती नहीं हो पाते क्योंकि वह दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं। इसके अलावा उनमें से अधिकांश घुमक्कड़ परिवारों के होते हैं। अतः ऐसे बच्चों के लिए कम लागत की अल्पकालिक होस्टल सुविधायें प्रदान की गई हैं। प्रतापगढ़ विकास खंड (चित्तौड़गढ़) में ऐसे 4 कम लागत के होस्टल कार्य कर रहे हैं। 175 बच्चे इस सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। शैक्षणिक सत्र 2002-03 के दौरान 52 अल्पकालिक होस्टल बच्चों के लिए खोल गए हैं विशेषकर अकाल पीड़ित परिवारों के बच्चों के लिए। वर्ष 2003-04 के दौरान 30 अस्थायी होस्टल शुरू किये गए हैं ।

वैकल्पिक शिक्षा प्रणाली

सहज शिक्षा केंद्र (एस.एस.सी): यह केंद्र विद्यालयविहीन छोटी बस्तियों के बच्चों, घरेलू काम में लगी बालिकाओं और स्कूल छोड़ गये बच्चों जो 9 वर्ष की आयु वर्ग या उससे ऊपर के हों के लिये स्थापित किये गये हैं ।

मार्च, 2004 तक 6142 एस.एस.सी. को परियोजना क्षेत्र में कार्यशील बनाया गया। इन केंद्रों में 146924 बच्चों का नामांकन है जिसमें से 100413 लड़कियां हैं ।

शिक्षा मित्र केंद्रः शिक्षा मित्र केंद्रों की स्थापना तब की जाती है जब 6-14 आयु वर्ग के 10 या अधिक बालक बालिकायें शिक्षा के लिये उपलब्ध हों। 10 से कम छात्र होने की स्थिति में विशेष दशाओं में छूट प्रदान की जा सकती है। यह केंद्र प्रतिदिन न्यूनतम 4 घंटों के लिए चलाये जाते हैं ।

मार्च, 2004 तक परियोजना क्षेत्र में 1515 शिक्षा मित्र केंद्र



कार्य कर रहे हैं जहां इन केंद्रों में 39198 बालक-बालिकायें अध्ययन कर रहे हैं।

बालिका शिक्षा शिविरः यह शिविर उन किशोर बालिकाओं के लिये खोले गये हैं जो स्कूल जाने के मौके पारिवारिक बाध्यताओं, जल्दी शादी या स्कूल सुविधाओं की कमी के कारण चूक गई हैं। यह आवासीय शिविर अल्पकालिक पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं। यह परियोजना शिविर चलाने के लिये 7/4 महिला अध्यापिकाओं के साथ 100/50 बालिकाओं हेतु 210 दिवसीय शिविर आयोजित करती है।

तीसरे चरण के दौरान इस क्रियाकलाप का विस्तार हुआ है और वर्ष 2002-03 के दौरान 141 ऐसे शिविर आयोजित किये गये। इस सुविधा से 12160 बालिकाओं को लाभ पहुंचाया गया। इनमें से अधिकांश ग्रामीण समाज के कमजोर वर्गों की बालिकायें थीं। इन शिविरों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओ.बी.सी. का अनुपात क्रमशः 45:15:36 था। भाग लेने वाली 70% बालिकाओं ने 5वी कक्षा तक शिक्षा प्राप्त की है जबकि 13.65% तीसरी कक्षा की हैं। वर्ष 2003-04 के दौरान 110 नये शिविरों का आयोजन किया गया है। जिसमें से कुछ विकलांग बच्चों के लिये होंगें। इनमें से 112 शिविर मार्च, 2004 तक पहले ही शुरू किये गये हैं ओर 9018 बालिकायें इन शिविरों से लाभ प्राप्त कर रही हैं।

मुक्तांगनः यह एक खुला विद्यालय स्थान है जहां 5 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चे अपनी सुविधानुसार जा सकते हैं और अपने हिसाब से सीख सकते हैं। इस समय 112 मुक्तांगन चल रहे हैं जिनमें 5766 बच्चों का नामांकन है।

शिक्षा मे गुणात्मक सुधार

अध्यापक प्रशिक्षणः अध्यापकों में सकारात्मक विचारात्मक परिवर्तन लाने, छात्रों के प्रति उनमें संवेदनशीलता विकासित करने, उनकी सृजनात्मक और नवाचारी क्षमतायें बढ़ाने, समुदाय के साथ प्रभावशाली संपर्क बनाने और विद्यालय क्रियाकलापों को शैक्षणिक सहायता प्रदान करने के लक्ष्य से यह प्रशिक्षण आयोजित किये जाते हैं। यह परियोजना निम्नलिखित प्रकार के अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करती है।

जानकारी प्रशिक्षणः यह प्रयत्न शिक्षण की सर्वोत्तम पद्धतियों में अध्यापकों को जानकारी देने का है क्योंकि यह मुख्यतः उनके लिये आयोजित किया जाता है जिनके पास पहले कोई पढ़ाने का अनुभव नहीं होता। यह प्रशिक्षण डी.आई.ई.टी. के माध्यम से 128 शिविरों में आयोजित किया गया है जहां वर्ष 2003-04 में 4338 अध्यापकों को प्रशिक्षित किया गया है।

विषय आधारित प्रशिक्षणः यह कार्यक्रम विषय शिक्षण में अध्यापकों के ज्ञान को अद्यतन बनाने पर संकेंद्रित है। मई-जून, 2002 में 57 ब्लाकों ने यह कार्यक्रम आयोजित किये हैं जिसमें 23028 अध्यापक प्रशिक्षणार्थियों ने भाग लिया। जिन अध्यापकों ने पहले विषय-प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है उन्हें शामिल करने के प्रयत्न किये गये हैं। डी.आई.ई.टी. की सहायता से 12644 अध्यापकों को 332 शिविरों में विभिन्न विषयों में प्रशिक्षित किया गया है।

पैरा-टीचर्स का प्रशिक्षणः राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशालाओं के 5379 पैरा-टीचर्स को शिक्षाकर्मी परियोजना की सहायता से परियोजना द्वारा 2002-03 में ग्रीष्म अवकाश के दौरान 30 दिन का प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

शैक्षणिक सहायता: प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अलावा अध्यापकों को ब्लाक संसाधन केंद्र और समूहन संसाधन केंद्रों के माध्यम से शैक्षणिक सहायता प्रदान की जाती है ।

उच्चतर प्राथमिक स्तर पर गुणात्मक सुधार कार्यक्रम: पाठ्य पुस्तक और पाठ्यकक्रम विकास कार्यक्रम को प्रयोगात्मक आधार पर उच्चतर प्राथमिक कक्षाओं के लिये 1998 में अजमेर जिले के पिसांगन ब्लाक में शुरू किया गया था। अंग्रेजी भाषा की पुस्तकों को छोड़कर कक्षा 6, 7 और 8 के लिये सभी अन्य विषयों की पाठ्यपुस्तकें तैयार की गई हैं और ब्लाक में सभी उच्चतर प्राथमिक विद्यालयों को मुफ्त में उपलब्ध कराया गया है। इन पाठ्यपुस्तकों को तैयार करने में गैर-सरकारी संगठनों ने संसाधन संगठन के रूप में कार्य किया ।

जन जुटाव क्रियाकलाप

परियोजना के प्रत्येक ब्लाक को समूहों में बांटा गया है। प्रत्येक ब्लाक में 5 से 7 समूह हैं और प्रत्येक समूह में 25 से 30 गांव हैं। समूह परियोजना के सभी क्रियाकलापों का नाभिकेंद्र होता है। पर्यावरण निर्माण ग्राम सभाओं और घर घर संपर्क के द्वारा लोक जुम्बिश के कार्यकर्त्ताओं द्वारा किया जाता है। वह विभिन्न समूह वर्गों का आयोजन करते हैं जैसे महिला समूह, प्रेरक दाइयां, ग्राम शिक्षा समिति और भवन निर्माण समिति आदि। तीसरे चरण के दौरान जन-जुटाव क्रियाकलाप सारणी 7.10 में दिए गए हैं ।

वार्षिक कार्य योजना के अनुसार 2003-04 में 14000 ग्राम शिक्षा समितियों का गठन किया जाना था। यह उपलब्धि 2003 के पिछले चार महीनों में 12239 ग्राम शिक्षा समितियों के गठन की रही है। समितियों के सदस्यों को 3 दिन का प्रशिक्षण दिया गया है ।

लिंग समानता

इस क्रियाकलाप का उद्देश्य महिला शिक्षा के बारे में मां-बाप के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना है। ऐसा महसूस किया गया है कि गांवों में केवल महिला वर्ग ही यह कार्य कर सकता है। इसलिए गांवों में बैठकें आयोजित की जाती हैं और अपनी लड़कियों को पाठशाला भेजने के लिये मां-बाप को राजी किया जाता है। मोरे और झालावाड़ में महिला शिक्षण विहार कार्य कर रहे हैं जिनमें क्रमशः 87 और 77 शिक्षार्थी हैं। पहले ही 11963 महिला समूहों का गठन किया जा चुका है। स्व-सहायता समूहों को जानकारी शिक्षण दिया जा चुका है और इस प्रयोजन के लिये जनवरी, 2004 तक 4066 शिविर आयोजित किये जा चुके हैं। लोक जुम्बिश के सभी क्रियाकलाप लिंग समानता की अवधारणा को एक मूर्त रूप प्रदान करते हैं। समूह, ब्लाक, जिला और मुख्यालय स्तर पर स्थित कार्यालयों में महिला कर्मचारियों ओर कामगारों को पर्याप्त अनुपात है ।

प्रारंभिक शैशव देखरेख शिक्षा (ई.सी.सी.ई.)

इस स्कीम के अंतर्गत तीन कार्यक्रम शुरू किये गये हैं - (1) बालवाड़ी (2) स्कूल तत्परता कार्यक्रम (3) आई.सी.डी.एस. की भागीदारी। 15 एन.जी.ओ. को क्रियाकलाप के साथ सहयोजित किया गया है और मार्च, 2004 तक उन्होंने 850 बालवाड़ियां खोल दी हैं ।

भवन विकास कार्यक्रम

लोक जुम्बिश अपने भवन निर्माण कार्यक्रम में पारदर्शी भागीदारी पूर्ण और समुदाय आधारित नीति को अपनाता है। स्थानीय समुदाय को निर्माण और मरम्मत कार्यों में शामिल किया जाता है और स्कूल भवन का अनुरक्षण 'भवन निर्माण समिति' के माध्यम से किया जाता है ।

तालिका 7.10 : तीसरे चरण के दौरान जन-जुटाव क्रियाकलाप

क्रियाकलाप	तीसरे चरण के लिय लक्ष्य (जून 04 तक)	उपब्लधियां (गांवो की संख्या) मार्च 2004 तक
पर्यावरण निर्माण	10000	15494
कोर टीम	9600	11706
ग्रामीण शिक्षा समिति	9600	2 1 960
महिला समूह	6750	1 1 963
विद्यालय मानचित्रण	10000	1 8739



वर्ष 2001-2002 और 2002-2003 के भवन विकास कार्यक्रम का तालमेल अकाल राहत कार्य के साथ किया गया। पिछले कुछ वर्षों में नये स्कूल भवनों के निर्माण को प्राथमिकता दी गई है। शेष अवधि में मरम्मत और अतिरिक्त शिक्षण कक्ष भवनों पर ध्यान दिया जाएगा। वर्ष 2003 की योजना 6595 निर्माण कार्यों का प्रावधान करती है जिसमें से 6392 निर्माण कार्यों का (अर्थात् 96%) के लिये स्वीकृति जारी की गई है। मार्च, 2004 तक समग्र रूप से 14642 निर्माण कार्यों की स्वीकृति दी गई और 12402 निर्माण कार्य पूरे किये गये ।

विकलांग बच्चों की शिक्षा एवं विकास

सबसे पहले इस प्रयोजन के लिये ब्लाकवार विकलांग बच्चों का पता लगाया गया है। प्रमाण-पत्र देने के प्रयत्न किये गये हैं और कुछ मामलों में कुछ उपस्कर भी एनजीओ की सहायता एवं सहयोग से बांटे गये हैं। अभिभावकों और अध्यापकों के लिये संवेदनशीलता प्रशिक्षण शिविर समय समय पर आयोजित किये जा रहे हैं ।

शहरी क्षेत्रों में परियोजना क्रियाकलाप

शहरी क्षेत्रों की परियोजना क्षेत्राधिकार में आते हैं। शहरी कमजोर बच्चों के लिये मोबाइल स्कूल चलाये गये हैं। रोडवेज के बसों में स्कूल सुविधायें हैं। यह बसें 3-4 विभिन्न केंद्रों में जाती हैं और विभिन्न समयों पर शिक्षण सुविधाओं प्रदान करती हैं। सभी 13 लोक जुम्बिश जिलों में मोबाइल स्कूल खोले गये हैं। 13 मोबाइल स्कूलों में 1452 लड़के और लड़कियां इसका लाभ उठा रहे हैं ।

शिक्षा के लिये जिला सूचना प्रणाली

लोक जुम्बिश के 13 जिलों को 2002-03 से डी.आई.एस.ई. के अधीन शामिल किया गया है ।

2003-04 के दौरान अनुदान और व्यय

डी.एफ.आई.डी. और भारत सरकार के हिस्से के लिये 2003-04 के दौरान अनुदान सहायता के रूप में 125.00 करोड़ रुपये की धनराशि रिलीज की गई। इसके अलावा राज्य सरकार ने भी 22.33 करोड़ रुपए का अपना हिस्सा रिलीज किया है। यू.पी. ने मार्च, 2004 तक 143.94 करोड़ रुपये (अलेखा परीक्षित) के कुल व्यय की सूचना दी है ।

5वें संयुक्त पुनरीक्षा मिशन (जे.आर.एम.) का दौरा

5वें जे.आर.एम. ने यू.पी. की पुनरीक्षा करने के लिए 5 से 9 जनवरी तक राजस्थान का दौरा किया और परियोजना की प्रगति की सराहना की । परियोजना का तीसरा चरण 30 जून, 2004 को समाप्त होना है। इसक बाद इसका एकीकरण एसएसए में किया जाएगा। जे.आर.एम. ने यह सुनिश्चित करने की सिफारिश की है कि परियोजना के एसएसए में एकीकरण के बाद अच्छी प्रक्रियाओं और पद्धतियों को मुख्यधारा में लाया जाय। बजट अनुमान 2004-05 में अप्रैल-जून, 2004 के लिये 29.41 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान है।

राष्ट्रीय बाल भवन

राष्ट्रीय बाल भवन (पूर्व बाल भवन सोसायटी, इंडिया) नई दिल्ली की स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू की पहल पर

सरकार द्वारा 1956 में की गई थी। यह प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा पूर्णतः विपोषित एक स्वायत्त संस्था है जो समाज के विशेषतः कमजोर वर्गों के 5-16 वर्षों के आयु-वर्ग के बच्चों के मध्य सृजनात्मकता बढ़ाने के लिए कार्य करता है। बच्चे अपनी रुचि के अनुसार आनंदपूर्ण ढंग से क्रियाकलाप कर सकते हैं जैसे - शारीरिक शिक्षा, सृजनात्मक कलाएं, विज्ञान शिक्षा, साहित्यिक क्रियाकलाप, निष्पादन कलाएं, पर्यावरण, गृह प्रबंधन, प्रकाशन, म्यूजियम तकनीक, फोटोग्राफी, समाकलित क्रियाकलाप, शारीरिक कार्यकलाप, विज्ञान संबंधी क्रियाकलाप आदि। ये कार्यक्रम इस ढंग से तैयार किए जाते हैं जिससे कि बच्चों की आंतरिक प्रतिभा को उभारा जाए और उन्हें विभिन्न माध्यमों से अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया जाए। इस प्रकार बाल भवन का उद्देश्य एक मुक्त और सुखद वातावरण में बच्चों का सर्वांगीण विकास करना तथा बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने में सहायता प्रदान करना है ।

दिल्ली के स्कूलों और 52 बाल भवन केंद्रों के बच्चे बाल भवन क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। बाल भवन, बच्चों को अधिगम अवसर उपलब्ध कराने के लिए पूरे वर्ष स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक कार्यक्रम आयोजित करता है। गर्मियों के मौसम में बड़े पैमाने पर अनेक क्रियाकलाप किए जाते हैं और हजारों बच्चे अपनी रुचि के कार्यक्रमों में प्रवृत्त होते हैं। वर्ष के दौरान बहुविध विषयों पर अनेक कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं। अध्यापक प्रशिक्षणार्थियों के लिए एकीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम एक अनूठा कार्यक्रम है। अध्यापकों को बाल भवन के राष्ट्रीय प्रशिक्षण संसाधन केंद्र (एनटीआरसी) में मुख्यतः बच्चों के बहुमुखी विकास के निमित्त प्रशिक्षित किया जाता है। देश के सृजनात्मक बच्चों, को चाहे वे किसी भी समाजार्थिक पृष्ठभूमि से आए हों, सम्मानित और पल्लवित करने के राष्ट्रीय बाल भवन में एक बालश्री सम्मान योजना मौजूद है। देश में राष्ट्रीय बाल भवन से संबद्ध 73 राज्य बाल भवन काम कर रहे हैं ।

ग्रीष्मकालीन क्रियाकलाप और कार्यशालायें

बालभवन द्वारा संचालित नियमित क्रियाकलापों के अतिरिक्त माइम, स्क्रीन प्रिंटिंग, बेहतर जीवन के लिये रसायन, हम अपनी सभ्यता जानें, विज्ञान के द्वारा चमत्कार, पिटारा क्विज, नये बोर्ड खेल आदि जैसी अनेक कार्यशालायें/कार्यक्रम ग्रीष्मावकाश के दौरान आयोजित किये गये ताकि बच्चों की सृजनशीलता बढ़ाई जा सके ।



राष्ट्रीय बाल भवन (पूर्व बाल भवन सोसायटी, इंडिया) नई दिल्ली की स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू की पहल पर सरकार द्वारा 1956 में की गई थी। यह प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा पूर्णतः विपोषित एक स्वायत्त संस्था है जो समाज के विशेषतः कमजोर वर्गों के 5-16 वर्षों के आयु-वर्ग के बच्चों के मध्य सृजनात्मकता बढ़ाने के लिए कार्य करता है।

अंतर्राष्ट्रीय बाल सम्मेलन एवं एकीकरण शिविर

नवम्बर, 2004 में अंतर्राष्ट्रीय बाल सम्मेलन और एकीकरण शिविर आयोजित किया गया जिसमें संबद्ध राज्य बाल भवनों और बाल भवन केंद्रों के बच्चों तथा रूस, इटली, नार्वे एवं मारिशस जैसे अन्य देशों के बच्चों ने भाग लिया। सम्मेलन का विषय था 'अर्थ फैस्टिवल' ।

राष्ट्रीय बालश्री सम्मान पुरस्कार

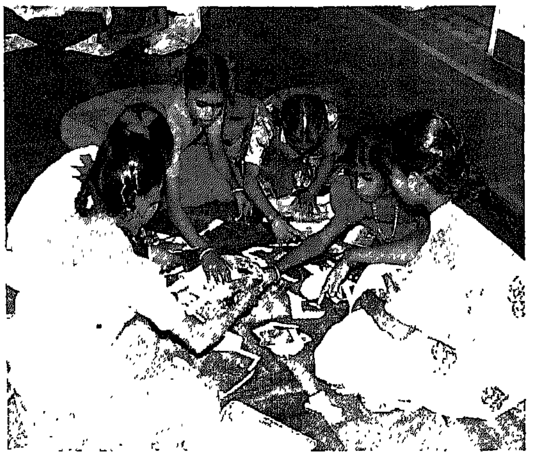
सृजनात्मक कला, सृजनात्मक निष्पादन, सृजनात्मक वैज्ञानिक नवाचार, मौलिक लेखन के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिये चुने गये 42 बच्चों को भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में 2002 और 2003 के बालश्री सम्मान पुरस्कार प्रदान किये गये ।

युवा पर्यावरणशास्त्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन

युवा पर्यावरणशास्त्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन दिसम्बर, 2003 में आयोजित किया गया और अध्ययन विषय था 'बैट लैण्ड एनिमल्स' और यह उड़ीसा में चिल्का झील और उसके आस पास आयोजित किया गया ।

सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम

सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम के अधीन एन.बी.बी. द्वारा चुनी गई बच्चों की तीन विभिन्न टीमों और एसकार्ट्स ने उत्सवों/सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लिया जिसका आयोजन वर्ष 2003-04 में नार्वे, रूस और मारिशस में किया गया ।



उपर्युक्त के अलावा वर्ष 203-04 के दौरान अखिल भारतीय बाल भवन निदेशक सम्मेलन, राष्ट्रीय साक्षरता बैठक और थियेटर निष्पादन भी आयोजित किये गये ।

बाल भवन कार्यक्रमों में भाग लेने वाले/लाभान्वित बच्चों की संख्या

वर्ष 2002-03 में एन.बी.बी., वाल भवन केंद्रों ओर जे.बी.बी. मंडी द्वारा वर्ष भर आयोजित विशेष कार्यक्रमों/कार्यशालाओं में 24981 बच्चों ने भाग लिया। इसके लिये लगभग 87.68 लाख रुपए का व्यय किया गया। इसके अलावा इन बी.बी., बाल भवन केंद्रों ओर जे.बी.वी. मंडी के 33619 वच्चे अपने संबंधित केंद्रों में नियमित क्रियाकलापों से लाभान्वित हुए जिस पर 38.33 लाख रुपए का व्यय किया गया ।

वर्ष 2003-04 में एन.बी.बी., बाल भवन केंद्र और जे.बी.बी. मंडी द्वारा वर्ष भर आयोजित विशेष कार्यक्रमों/कार्यशालाओं में 46314 बच्चों ने भाग लिया। इसके लिये लगभग 1.32 करोड़ रुपये का व्यय किया गया। इसके अलावा एन.बी.वी., बाल भवन केंद्रों और जे.वी.बी. मंडी के 32047 वच्चे अपने संबंधित केंद्रों में नियमित क्रियाकलापों से लाभान्वित हुए जिन पर 27.75 लाख रुपए का व्यय किया गया ।

महिला समाख्या

महिला समाख्या कार्यक्रम समानता प्राप्त करने के निमित महिलाओं को सामर्थ्यवान बनाने में शिक्षा की केंद्रीय भूमिका को स्वीकार करता है। महिला समाख्या ने एक ऐसी नवाचारी पद्धति अपनाई है जो कि मात्र लक्ष्यों की पूर्ति की बजाए प्रक्रिया पर अधिक बल देती है। यह ऐसा प्रयास करती हे कि महिलाएं स्वयं अपने बारे में जो सोचती हैं और महिलाओं की परंपरागत भूमिकाओं के बारे में समाज जैसा सोचता है, उसमें बदलाव लाया जाए ।

इस कार्यक्रम के अधीन शिक्षा को प्रश्न करने, मुद्दों और समस्याओं का बारीकी से विश्लेषण करने और समाधान तलाशना सीखने की एक प्रक्रिया के रूप में समझा जाता है। महिला संघ एक ऐसा माहौल निर्मित करने का प्रयास करते हैं जिसमें महिलाएं स्वयं अपनी गति से सीख सकती हैं, अपनी प्राथमिकताएं निर्धारित करने का प्रयास करते हैं जिसमें महिलाएं स्वयं अपनी गति से सीख सकती हैं, अपनी प्राथमिकताएं निर्धारित कर सकती हैं और विवेकपूर्ण निर्णय लेने के लिए ज्ञान और जानकारी प्राप्त कर सकती हैं। इस प्रयोजन के लिए महिलाओं को (विशेष रूप से सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से सुविधाविहीन और सीमांत समूहों की महिलाएं) इस योग्य बनाया जाता है कि वे अकेलेपन, आत्मविश्वास की कमी, कठोर सामाजिक रिवाजों और जीने के लिए संघर्ष जैसी समस्याओं की ओर ध्यान दे सकें और उनसे निबट सकें क्योंकि ये सभी समस्याएं उनकी पढ़ाई को बाधित करती हैं। इस प्रक्रिया में महिलाएं अधिकार-संपन्न बनती हैं। तथापि वर्ष 2003-04 से नीदरलैंड की सहायता के अलावा इस कार्यक्रम को भारत सरकार द्वारा भी आंतरिक संसाधनों से निधिकृत किया जा रहा है ।

ग्राम स्तर पर महिला संघ अथवा महिला दल महिला समक्ष की नोडल बिन्दु है और सभी क्रियाकलाप संघ के गिर्द ही नियोजित किए जाते हैं। संघ महिलाओं को बैठक के लिए स्थान उपलब्ध कराता है जहां महिलाओं द्वारा प्रश्न पूछने, अपने विचारों को निर्भीक होकर व्यक्त करने, चिंतन, विश्लेषण तथा अपनी आवश्यकताओं को स्पष्ट करने और सुधारात्मक कार्यों द्वारा समाधान तलाश करने की प्रक्रिया आरंभ होती है। कार्यक्रम द्वारा जब संघों के बीच सम्प्रभुत्व प्रदान किया जा रहा है ताकि उन्हें स्वतंत्र रूप से कार्य करने में सहायता उपलब्ध कराई जा सके। पुराने क्षेत्रों में संघों का फेडरेशन गठित किया जा रहा है ।

सहयोगिनी अर्थात नेता 10 गांवों के लिए मुख्य संपर्क बिन्दु के साथ-साथ उत्प्रेरक, सहायक तथा मागदर्शक का कार्य करती है। वह महिलाओं को संघों में एकत्रित एवं संगठित करती है और 10 गांवों एवं जिला स्तर पर शैक्षणिक सहयोग व्यवस्था और संस्थानों के बीच संपर्क का कार्य करती है। वह जिला इकाई के साथ क्रियाकलापों का समन्वय भी करती है। एम एस कार्यक्रम द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए साक्षरता

एवं शिक्षा की मांग सृजित की गई है। इस प्रकार इसने ग्राम-स्तरीय शिक्षण प्रक्रियाओं में महिलाओं की प्रभावपूर्ण भागीदारी की योग्यता को सुदृढ़ किया है। एम एस कार्यक्रम द्वारा व्यावसायिक एवं दक्षता विकास के साथ-सा सामान्य रूप से बालिकाओं तथ विशेष रूप से किशोरियों की शैक्षणिक आवश्यकताओं के लिए विशष्ठ जानकारियां उपलब्ध कराई गई हैं। इस कार्यक्रम द्वारा लौंगिक रूप से संवेदनशील शैक्षणिक एवं शिक्षण सामग्री विकसित करने का प्रयास किया गया है।

विभाग द्वारा कार्यक्रम को परामर्श एवं मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रीय संसाधन दल (एन आर जी) का गठन किया गया है। एन आर जी कार्यक्रम को स्वैच्छिक क्षेत्र, महिलाओं की गतिविधि के साथ-साथ संसाधनों एवं प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा महत्वपूर्ण अन्तरापृष्ठ उपलब्ध कराता है। इस निकाय द्वारा विभिन्न संकल्पनात्मक मुद्दों एवं समस्याओं पर परिचर्चा की जाती है, कार्यक्रम के मूल्यांकन पर परामर्श दी जाती है और सरकार को महिलाओं की शिक्षा से संबंधित नीतिगत मामलों पर भी सलाह दी जाती है। केंद्र में राष्ट्रीय परियोजना कार्यालय का प्रमुख राष्ट्रीय परियोजना निदेशक होता है जिसकी सहायता के लिए अन्य कार्मिक होते हैं। राज्य स्तर पर कार्यक्रम का कार्यान्वयन एक स्वायत्त रूप से पंजीकृत एम एस सोसाइटी के माध्यम से किया जाता है। राज्य का शिक्षा सचिव सोसाइटी की कार्यकारी समिति (ई सी) का अध्यक्ष होता है। ई सी एक अधिकार प्राप्त निकाय है जिसके द्वारा विशिष्ट अंतःक्षेपों की गहन जाँच सहित प्रशासनिक एवं वित्तीय निर्णयों का ध्यान रखा जाता है। एक पूर्णकालिक राज्य परियोजना निदेशक (एस पी डी) ई सी का सदस्य सचिव होता है जो वित्तीय प्रबंधन, प्रशासनिक मामलों, कार्यक्रमों के नियोजन एवं कार्यान्वयन के लिए जिम्मेवार होता है। जिला स्तर पर परियोजना का प्रबंधन जिला कार्यान्वयन इकाई (डी आई यू) द्वारा किया जाता है। जिसमें जिला कार्यक्रम समन्वयक (डी पी सी) स्त्रोत व्यक्ति तथा सहयोगी कर्मचारी होते हैं। एम एस के सबल होने की स्थित में ब्लाक स्तरीय इकाइयों की भी स्थापना की जाती है।

पिछले वर्ष के दौरान ग्राम स्तरीय कलेक्टर्ज के समेकन की प्रक्रिया में ब्लाक स्तर पर फेडरेशनों (जिन्हें कुछ राज्यों में महासंघ भी कहा जाता है) के आविर्भाव से तेजी आई है।





सहयोगिनी अर्थात नेता 10 गांवों के लिए मुख्य संपर्क बिन्दु के साथ-साथ उत्प्रेरक, सहायक तथा मागदर्शक का कार्य करती है। वह महिलाओं को संघों में एकत्रित एवं संगठित करती है और 10 गांवों एवं जिला स्तर पर शैक्षणिक सहयोग व्यवस्था और संस्थानों के बीच संपर्क का कार्य करती है।

कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात और बिहार राज्यों में जिन 124 ब्लाकों में महिलासमख्या द्वारा कार्य किया जा रहा है में से 77 में सशक्त फेडेरेशन गठित किए गए हैं। इस प्रक्रिया में महिलाएं संघों के संस्थानीकरण में शामिल प्रणालियां एवं प्रक्रियाएं सीख रही हैं। फेडरेशनों द्वारा अपने ब्लाक से बाहर के विषयों की भी देख-भाल शुरू की गई है ।

वर्ष के दौरान किशोरियां की आवश्यकताओं और महिलाओं के विरूद्ध हिंसा के विरुद्ध सामूहिक कार्रवाई पर प्रमुख रूप से बल दिया गया है। एक प्रमुख क्षेत्र जिसमें संघों एवं फेडरेशनों द्वारा अपना ध्यान केंद्रित किया गया है, महिलाओं द्वारा आरंभ की गई महिला अदालतों को सभी एम एस परियोजना वाले सभी राज्यों में अपनाया गया है। ये नारी अदालतें एक विश्वसनीय निपटान फोरम के रूप में उभर रही हैं जो न केवल संघ की महिलाओं बल्कि पूरे समुदाय को आसानी से सुलभ हैं।

वयस्क महिलाओं के साथ कार्य करने से किशोर युवतियों के साथ कार्य करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है। सभी राज्यों में एम एस द्वारा किशोर बालिकाओं की शिक्षा और अधिकारिता पर कार्य करने के लिए कार्यनीतियां तैयार की गई हैं। महिला शिक्षा केंद्रों द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे आवासीय शिक्षण के अवसरों के अलावा सभी राज्यों में किशोरियों के लिए किशोरी संघ गठित किए जा रहे हैं। किशोरी संघों की नियमित वैठक के माध्यम से स्वास्थ्य प्राकृतिक संसाधन, जैसे विषयों पर सूचना एवं जानकारी के स्तरों द्वारा सुशासन का सृजन किया जा रहा है, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और नेतृत्व संबंधी गुणों का संपोषण किया जा रहा है। एक प्रकार से किशोरी संघों द्वारा दूसरी पीढ़ी को अपने समुदायों में एक सशक्त तथ अग्रसक्रिय भूमिका अदा करने के लिए तैयार किया जा रहा है। उदाहरण के लिए बिहार और झारखंड में महिला शिक्षण केंद्रों के स्नातक बच्चों की शिक्षा के लिए समाज के एकत्रित करने में लगे हैं और बालिकाओं की शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए रोल मॉडल के रूप में कार्य कर रहे हैं।

इस स्कीम के लिए 10वीं योजना में 98.48 करोड़ रुपए का परिव्यय किया गया है। नीदरलैंड दूतावास द्वारा इस वर्ष 31.03.2005 तक उपयोग करने के लिए करने के लिए 49.84 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए हैं। इस योजना में 10वीं याजना अवधि (2002 से 2007) में विस्तार किए जाने का विचार है ।

वर्तमान में महिला समक्ष कार्यक्रम 59 जिलों में चलाया जा रहा है जो 9 राज्यों में कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश, केरल, बिहार, असम, झारखंड, उत्तरप्रदेश और उत्तरांचल के 12,000 से अधिक गांवों को कवर करता है। महिला समख्य कार्यनीति की प्रभाविता का परिणाम इसे अन्य बुनियाद शिक्ष परियोजनाओं द्वारा अपनाए जाने के रूप में प्रकट हुआ है। कार्यक्रम के अस्तित्व में अपने के बाद से अतव तक के अनुभ्व ने एम एस दृष्टिकोण को महिलाओं को एकत्रित तथा संगठित करने और उन्हें अपने जीवन का भार वहन करने के प्रभावी साधन के रूप में मान्यता प्रदान की है। कई मूल्यांकन अध्ययनों द्वारा यह प्रदर्शित किया गया है कि एम एस कार्यक्रम अभिकल्पन एवं कार्यान्वयन में अत्यनत सफल रहा है ।

इस कार्यक्रम द्वारा:

- साक्षरता की मांग का सृजन करने में सहायता प्रदान की गई है;
- परिवार और समुदाय दोनों में महिलाओं की मान्यता एवं दृश्यमानता में वृद्धि लाई गई है;
- सरकारी वितरण प्रणालियों में महिलाओं को जिम्मेदारी की मांग की शक्ति और क्षमता प्रदान की गई है;
- पंचायती राज निकायों में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि लाई गई है; और
- लिंगगत, समानता युक्त समाज के लिए संघर्ष की आवश्यकता के प्रति जागरूकता का सृजन किया गया है।

इन संघों द्वारा स्वास्थ्य, अधिकारों एवं शासन के क्षेत्र में कई प्रकार की सूचनाएं और जानकारियां प्रदान की जा रही हैं ।



कार्रवाई करते हुए संघ अथवा महासंघ

उत्तर प्रदेश संघों ने शैक्षिक सर्वेक्षण किए हैं जिसके फलस्वरूप संघों ने बच्चों, विशेष रूप से लड़कियों के दाखिलों के लिए अभियान शुरू किए हैं।

आन्ध्र प्रदेश में महबूबनगर जिले में मक्थल संघ ने मण्डल स्तर पर मनिला शिक्षण केन्द्र स्कूल शिक्षा बीच में छोड़ने वाली लड़कियों के लिए एक एक-वर्षीय आवासी केन्द्र में एक अधिक प्रत्यक्ष भूमिका हाथ में लकर एक नई प्रवृत्ति की शुरूआत की है। संघ ने केन्द्र से संभालने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। हर महीने संघ के दो सदस्य बारी-बारी से केन्द्र में खाना बनाने, वार्डन की जिम्मेदारी लेने और स्वयं अपने साक्षरता कौशलों का उन्नयन करने के लिए आएंगे। महिला समाख्या की जिम्मेदारी सभी प्रशिक्षण सामग्री और साथ ही प्रशिक्षित अध्यापक उपलब्ध कराने की है। कर्नाटक, यूपी और एपी के संघ ऐसे सूचना केन्द्रों के रूप में उभर रहे हैं जिनमें महिलाएं महिलाओं के लिए सरकारी स्कीमों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकती हैं। यह एक ऐसा मंच भी है जहां विभिन्न सरकारी विभागों के ब्लाक स्तरीय अधिकारियों के साथ विचारों का प्रत्यक्ष आदान-प्रदान भी हो रहा है।

संघ और बड़ी सामाजिक चिन्ताओं जैसेकि बाल विवाह, दहेज तथा जोगीनी प्रणाली की ओर भी ध्यान दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के महासंघ ने एक सार्वजनिक सामूहिक प्रतिज्ञा की कि वह अपने समूचे ब्लाक में बाल विवाह जैसी प्रथाओं का विरोध करेगा।

आरंभिक बाल्यावस्था में देख-भाल एवं शिक्षा (ई सी सी ई)

बच्चों की सही देख-भाल सन् 1951 से ही भारतीय विकासात्मक योजनाओं का एक अभिन्न अंग है। उत्तरजीविता, संरक्षण, समान अवसर और भागीदारी मौलिक से साकल्यवादी बाल विकास है। शैशवावस्था में देखभाल और शिक्षण (ई सी सी ई) में बच्चों का भौतिक, मोटर, ज्ञानात्मक, भाषाई, भावनात्मक, सामाजिक तथा नैतिक रूप से समग्र विकास शामिल है। ई सी सी ई को एक महत्वपूर्ण इनपुट के रूप में माना जाता है जिसके द्वारा बच्चों को अभिप्रेरणात्मक माहौल उपलब्ध करा कर घर में उन्हें अपनी आरंभिक अवस्था में जिस माहौल से वंचित रहना पड़ा था उसकी प्रतिपूर्ति की जा सकती है ।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में शैश्वावस्था में देखभाल तथा शिक्षण (ई सी सी ई) को काफी महत्व दिया गया है। इसके द्वारा ई सी सी ई को मानव संसाधन विकास की कार्यनीति में एक महत्वपूर्ण इनपुट, प्राथमिक शिक्षा के लिए एक फीडर तथा सहयोग कार्यक्रम तथा समाज के लाभान्वित वर्गों की कामकाजी महिलाओं के लिए एक सहयोगी सेवके रूप में देखा जाता है ।

जोमटीन में मार्च, 1990 में हुए सबके लिए शिक्षा पर विश्व सम्मेलन तथा डाकघर मं अप्रैल, 2000 में आयोजित विश्व शिक्षा मंच में अपनाए गए घोषणा पत्र के एक हस्ताक्षरकर्ता के रूप में भारत ने शैश्वावस्था देखरेख तथा शिक्षा, विशेषकर सर्वाधिक पिछड़े एवं लाभवंचित वर्गों के लिए, को व्यापक रूप से विस्तृत एवं स्तरान्नत करने की अपनी वचनबद्धता को अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्पष्ट किया है। 10वीं योजना दस्तावेज इस वचनबद्धता की अभिपुष्टि करता है ।

सरकारी तथा निजी क्षेत्र भारत में ई सी सी ई सेवाएं उपलब्ध कराने के दायित्व को मिलकर वहन करते हैं। सरकार में 0-6 वर्ष की उम्र तक के बच्चों से संबंधित ऐसा दायित्व मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा वहन किया जाता है। मंत्रालय के अधीन महिला तथ बाल विकास विभाग, ई सी सी ई सेवाओं के प्रबंधन के नोडल अभिकरण के रूप में, 0-6 वर्ष के बच्चों की देखरेख आई सी डी एस योजना, राष्ट्रीय क्रेश फंड तथा क्रेश योजना के माध्यम से करता है ।

इसी मंत्रालय के अधीन ई ई तथ एल विभाग (आरंभिक शिक्षा और शिक्षा विभाग), जिसे आरंभिक शिक्षा का दायित्व सौंपा गया है, द्वारा आई सी डी एस के सहयोग से अपने प्री-स्कूल



देश में ई सी सी ई सेवाओं के विस्तार की राष्ट्रीय वचनबद्धता को संविधान (86वां संशोधन) अधिनियम, 2002 से काफी लाभ मिला है जो निर्देशात्मक सिद्धांतों के अनुच्छेद 45 के अधीन राज्यों को 'सभी बच्चों को तब तक प्रारंभिक शैशवावस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करने जब तक वह 6 वर्ष की आयु पूरी नहीं कर लेते' का आदेश देता है।

घटक को सुदृढ़ कर अथवा जहां आई सी डी एस नहीं है और प्री-स्कूल शिक्षा की आवश्यकता है, में ई सी सी ई केंद्रों की स्थापना कर 3-6 वर्ष के बच्चों के कवरेज को अपने निम्नलिखित कार्यक्रमों एवं योजनाओं के माध्यम से विस्तृत किया गया है - एस एस ए, डी पी ई पी, महिला समख्या, जनशाला तथा एन पी ई जी ई एल ।

सामुदायिक भागीदारी डी पी ई पी में ई सी ई केंद्रों का एक अभिन्न कारक रहा है। समुदाय आधारित संगठन जैसे ग्राम शिक्षा समितियां (वी ई सी), मदर टीचर एसोसिएशन (एम टी ए) माताओं का दल आदि इन केंद्रो को स्थापित करने, उन्हें चलाने तथा शैशवावस्था शिक्षा के लिए सामुदायिक सहयोग सुनिश्चित करने की समस्त प्रक्रिया में निकट रूप से शामिल हैं। इसके फलस्वरूप बेहतर सामुदायिक स्वामित्व का सृजन करने में सफलता मिली है। प्री-स्कूल शिक्षण तथा ई सी सी ई के महत्व को समझते हुए सर्वशिक्षा अभियान का उद्देश्य निम्नलिखित को सहयोग प्रदान करता है - (1) आंगनबाड़ी सेविका का आवश्यकता आधरित प्रशक्षण्, अतिरिक्त व्यक्तियों का प्रावधान, शिक्षण सामग्रियों आदि द्वारा आई सी डी एस में प्री-स्कूल घटक को सुदृढ़ करना, (2) प्रकाश में नही आए हुए क्षेत्रों में प्री स्कूल केंद्रों के रूप में वालबाड़ियों की स्थापना, (3) शैशव (आरंभिक शिशु) विकास के महत्व के समर्थन में माहौल बनाना, (4) कम्यूनिटी लडर्स के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन, (5) ई सी सी ई के लिए सघन नियोजन का प्रावधान करना, (6) सामग्रियों का विकास और (7) विद्यालय प्रणाली एवं ई सी सी ई के बीच अभिबिन्दुता का प्रोन्नयन। इस योजना में ई सी सी ई केंद्र शुरू करने के लिए प्रत्येक जिले के लिए प्रति वर्ष 15 लाख रुपए का प्रावधान है ।

हाल में शुरू किए गए 'आरंभिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीईजीईएल)' के अंतर्गत लाभांवित क्षेत्रों में ई सी ई सेवाओं के लिए बात निगरानी केंद्रों तथा एकत्रण/समुदाय मानीटरन कक्ष के लिए कार्यक्रम संबंधी प्रावधान किए गए हैं। इस योजना में जिन क्षेत्रों में महिला बाल विकास विभाग तथा/अथवा संबंधित राज्य सरकार की किसी योजना के अंतर्गत ई सी सी ई केंद्र नहीं चलाए जा रहे हैं में क्लस्टर स्तर (समूह स्तर) पर दो बाल निगरानी केंद्र (समुदाय द्वारा लाए जाने के लिए) चलाए जाने का प्रावधान है। इस योजना के तहत खोले गए प्रत्येक ई सी सी ई केंद्र को प्रतिवर्ष 5000/- रुपए का आवर्ती अनुदान तथा 10,000/- रूपए का अनावर्ती अनुदान दिया जाता है ।

डी पी ई पी के अंतर्गत मुख्य कार्यनीति आई सी डी एस के साथ निकट रूप से कार्य करना, गैर आई सी डी सी क्षेत्रों में नए केंद्रों की स्थापना, विद्यालय के लिए तैयारी कार्यक्रम संचालित करना तथा औपचारिक प्राथमिक विद्यालयों (एफ पी एस) में प्राथमिक पूर्व कक्षाएं शुरू करना है ।

कई महिला समख्या (एम एस) राज्यों द्वारा भी गांवों में ई सी ई गतिविधियां शुरू की गई हैं जहां संघ (कलेक्टिव्ज) की महिलाओं के बीच इसकी आवश्यकता महसूस की गई है। इन केंद्रों को स्थापित करने की प्रक्रिया अन्य कार्यक्रमों के अंतर्गत शुरू किए गए केंद्रों से अलग है। उभर कर आए कई विकल्प आए जो इस प्रकार हैं:

- स्वावित्तपोषित बाल निगरानी केंद्र, जिनके साथ डे केयर एवं प्री स्कूल क्रियाकलाप युग्मित किए गए हैं;
- आई सी डी एस के विद्यमान ए डब्ल्यू सी से डे केयर सेवा को जोड़ना;
- गांव में जहां मांग अधिक है में केवल गरीब वर्ग के लिए बाल निगरानी केंद्र;
- एक से अधिक स्थानों पर बच्चों की निगरानी;

जनशाला (भारत सरकार - यू एस) परियोजना के प्रमुख नवोन्मेषों में से एक प्री-स्कूल के क्षेत्र में है। इस कार्यक्रम द्वारा प्री-स्कूलिंग को बच्चों के शिक्षण एवं विकास में सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में स्थापित किया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत एडब्ल्यूसी में प्री-स्कूल शिक्षण घटक को

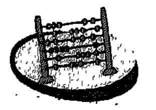


सुदृढ़ करने के अलावा उन स्थानों में ई सी सी ई केंद्रों की स्थापना की गई है जहां आई सी डी एस की सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं। ई सी सी ई का समय विद्यालयों के समय के साथ रखा गया है और महिलाओं के दलों को ई सी सी ई केंद्रों की स्थापना एवं प्रबंधन करने हेतु एकत्रित किया गया है। इस परियोजना द्वारा ई सी सी ई केंद्रों की स्थापना महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में की गई है। आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा में बड़ी संख्या में ऐसे केंद्रों की स्थापना समुदाय की मांग पर प्राथमिक रुप से जनजातीय एवं पठारी क्षेत्रों में की गई है जिसके फलस्वरूप विद्यालयों में बालिकाओं की उपस्थिति में वृद्धि हुई है ।

एन सी ई आर टी के अंतर्गत आरंभिक शिक्षा विभाग पाठ्यक्रम तैयार करने, अध्ययन शिक्षण सामग्री विकसित करने और डी-स्कूलर्स को उत्प्रेरित करने का कार्य कर रहा है। इसके द्वारा राज्यों की कार्य इकाइयों के लिए ई सी ई प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं। गुणवत्ता वाली सेवाओं के खोज के लिए विभाग ने स्कूल पूर्व के लिये विनिर्देशन प्रदान किये हैं और स्कूल पूर्व शिक्षा को राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचे में शामिल किया है जिसका उपयोग विशिष्ट संदर्भ में ई.सी.सी.ई. हस्तक्षेप माडल बनाने हेतु व्यापक रूप से किया गया है ।

देश में ई सी सी ई सेवाओं के विस्तार की राष्ट्रीय वचनबद्धता को संविधान (86वां संशोधन) अधिनियम, 2002 से काफी लाभ मिला है जो निर्देशात्मक सिद्धांतों के अनुच्छेद 45 के अधीन राज्यों को 'सभी बच्चों को तब तक प्रारंभिक शैशवावस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करने जब तक वह 6 वर्ष की आयु पूरी नहीं कर लेते' का आदेश देता है। प्राथमिक शिक्षा और साक्षरता विभाग ने ई सी सी ई पर एक राष्ट्रीय कोर ग्रुप का गठन किया है जिसके अध्यक्ष अपर सचिव हैं और ई.ई. एवं एल. विभाग, स्वास्थ्य विभाग, डी.डब्ल्यु.सी.डी., एन.आई.पी.सी. सी.डी., एन.सी.ई.आर.टी., एन.आई.ई.पी.ए. से और अनेक विषयों के विशेषज्ञ इसके सदस्य हैं जिसके विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं:

- ई.सी.ई. सुविधाओं को देखना और अतिरिक्त सुविधाओं के लिए वित्तीय आवश्यकता सहित आवश्यकताओं की सिफारिश करना ताकि 36 आयु वर्ग के सभी बच्चों को ई.सी.सी.ई. प्रदान किया जा सके ।
- ई सी सी ई केंद्रों के स्थान, प्राथमिक स्कूल के साथ समय की एकरूपता, प्राथमिक स्तर पर स्कूल, पूर्व स्तर से पाठ्यक्रम की निरंतरता के मुद्दों सहित स्कूल प्रणाली और ई सी सी ई के बीच संसरण को बढ़ावा देने के लिये सिफारिशें करना और संभावना की जांच करना ।
- ई.सी.ई. मानदंड के रूप में आधारभूत संरचना, सामग्री, कार्यक्रम विषय, कामगार/अध्यापक गुणवत्ता आदि के संदर्भ में न्यूनतम अनिवार्य गुणवत्ता प्रदान करने की आवश्यकता की जांच ।
- इस क्षेत्रक में एफ.डी.आई. की प्राप्तियों सहित निजी और सरकारी क्षेत्रकों में प्राथमिक पूर्व शिक्षा/ई.सी.ई केंद्रों को विनियमित करने की आवश्यकता एवं संभावना की जांच ।



सर्व-शिक्षा अभियान और स्कूल पूर्व शिक्षण

स्कूल पूर्व शिक्षण और ई सी सी ई के महत्व को समझते हुए सर्व-शिक्षा अभियान का उद्देश्य निम्नलिखित सहायता करना है:

1 आंगनबाड़ी सेविका के आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण द्वारा आइ.सी.डी.एस. में स्कूल पूर्व घटकों को सुदृढ़ करना, अतिरिक्त व्यक्तियों, सामग्री आदि की व्यवस्था,

2 शामिल न किये गये क्षेत्रों में स्कूल पूर्व केंद्रों के रूप में बालवाड़ियों की स्थापना,

3 प्रारंभिक बाल विकास के महत्व के लिये निर्माण की पहल,

4 सामुदायिक नेताओं के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन,

5 ई सी सी ई के लिये गहन योजना का प्रावधान करना,

6 सामग्रियां तैयार करना, और

7 स्कूल प्रणाली और ई सी सी ई के बीच तालमेल को बढ़ावा देना। ई सी सी ई को खोलने के लिये स्कीम में प्रति जिला प्रतिवर्ष 15 लाख रुपए का प्रावधान है।

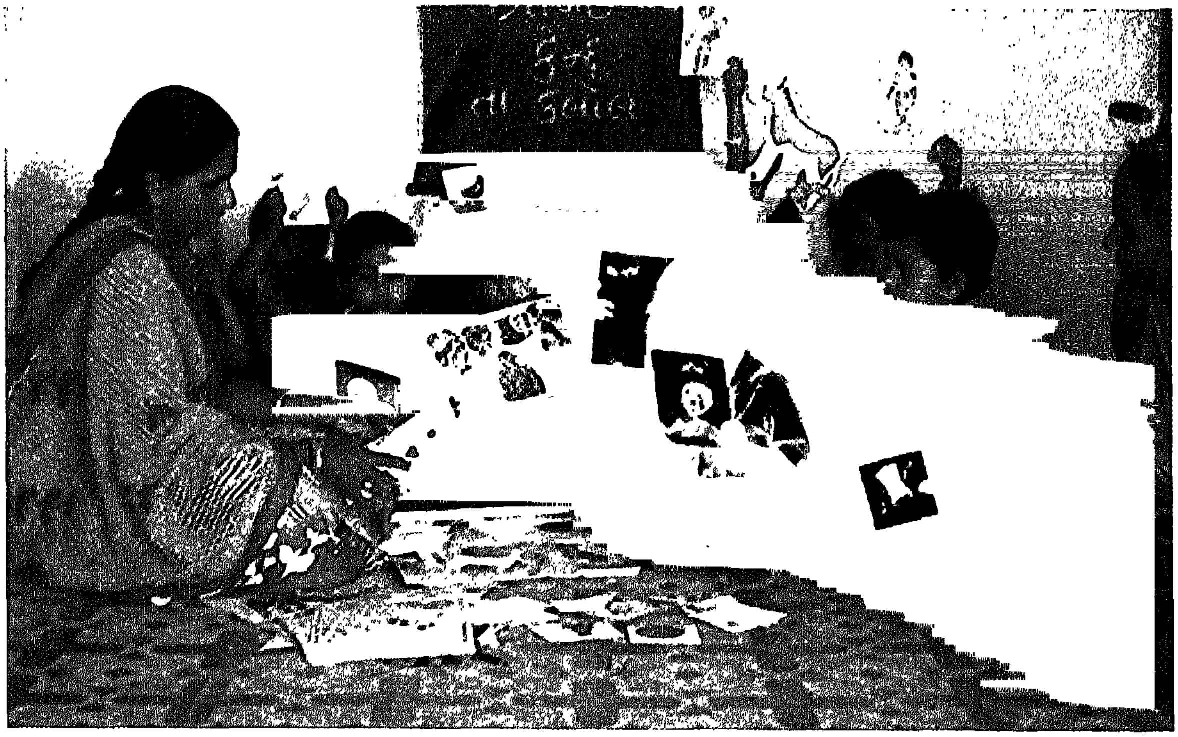
ई सी सी ई संबंधी समिति ने 20 जनवरी, 2004 को अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को प्रस्तुत कर दी है जो अभी विचाराधीन है ।

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (के.जी.बी.वी.)

भारत सरकार ने दुर्गम क्षेत्रों में मुख्यतः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओ.बी.सी. और अल्पसंख्यकों की लड़कियों के लिये प्राथमिक स्तर पर बोर्डिंग सुविधाओं के साथ लगभग 750 आवासी स्कूल स्थापित करने के लिये कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (के.जी.बी.वी.) नामक एक नई स्कीम का अनुमोदन किया है। इस स्कीम का समन्वय प्राथमिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की मौजूदा स्कीमों अर्थात सर्वशिक्षा अभियान, राष्ट्रीय प्राथमिक स्तरीय बालिका शिक्षा कार्यक्रम (एन.पी.ई.जी.एल.) और महिला सामाख्या (एमएस) के साथ किया जाएगा ।

के.जी.बी.वी. स्कीम उन बालिकाओं जिन तक पहुंचना मुश्किल होता है विशेषकर दुर्गम क्षेत्रों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओ.बी.सी. और अल्पसंख्यकों की ऐसी लड़कियों को शामिल करेगी जो नियमित रूप से प्राथमिक स्कूल नहीं जा सकतीं। इस स्कीम का उद्देश्य लड़कियों के लिए प्राथमिक स्तर पर बोर्डिंग सुविधाओं के साथ लगभग 750 आवासी स्कूल स्थापित करके लड़कियों को गुणवत्ता शिक्षा की सुलभता सुनिश्चित करना है। इन स्कूलों को 298 चुनिंदा जिलों के शैक्षणिक रूप से पिछड़े पता लगाये गये 2656 ब्लाकों (ई.ब.बी.) में स्थापित करने का प्रस्ताव है जहां महिला साक्षरता राष्ट्रीय औसत से नीचे है और सारक्षरता में लिंग अंतराल राष्ट्रीय औसत से अधिक है। विशेषकर जनजातीय आबादी की सघनता वाले क्षेत्रों को, जहां निम्न महिला साक्षरता है और या लड़कियों की भारी संख्या स्कूलों से बाहर है, अनु. जाति, ओ.बी.सी. एवं अल्पसंख्यक आबादी की बहुलता है या भारी संख्या में छोटे, इधर उधर छितरी बस्तियां हैं जिनमें स्कूल नहीं खोला जा सकता, शामिल किया जाएगा। पात्र ई.बी.बी. के लिये मानदंड वही होगा जो एन.पी.ई.जी.ई.एल., एसएसए स्कीम के लिये हैं जिसका अनुमोदन केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 24 जुलाई, 2003 को किया गया है ।

दसवीं योजना अवधि में चरणबद्ध तरीके से प्रति स्कूल आवर्ती लागत के रूप में 19.05 लाख रुपए और अनावर्ती लागत के रूप में 26.25 लाख रुपए की अनुमानित लागत से 500 से 750 आवासी स्कूल खोले जायेंगें। स्कीम की लक्षित प्रकृति को देखते हुए न्यूनतम 75% नामांकन अनु.जाति, अनु. जनजाति, ओ.बी.सी. या अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों के लिये आरक्षित होगा और शेष 25% के लिये गरीबी की रेखा से नीचे के परिवार की लड़कियों को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रारंभ में प्रस्तावित स्कूल किराये के मकान या अन्य उपलब्ध सरकारी भवन में खोला जाएगा जब तक स्थान का निर्धारण न हो। इस स्कीम कासमन्वय विभाग की मौजूदा स्कीमों अर्थात् एसएसए, एन.पी.ई.जी.ई.एल. और महिला समाख्या के साथ किया जाएगा। यह स्कीम वर्ष 2010 तक कार्यान्वित की जाएगी जिसके बाद इसकी आवश्यकता की पुनरीक्षा की जाएगी। दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केंद्र और राज्यों के बीच साझेदारी अनुपात



75:25 होगा और वित्त पोषण एस.एस.ए पैटर्न का होगा और इसके बाद साझेदारी का अनुपात 50:50 होगा ।

दसवीं योजना के लिए 489 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और 2003-04 के लिए स्कीम हेतु वार्षिक योजना आबंटन 8.50 करोड़ रुपए हैं। वर्ष 2004-05 के लिये वार्षिक योजना आबंटन 100 करोड़ रुपए है ।

भारत सरकार द्वारा 2003-04 के उत्तरार्ध में स्कीम का अनुमोदन किया गया है और इसे 2004-05 में कार्यान्वित किया जाएगा।

प्राथमिक स्तर पर बालिका शिक्षा का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एन.पी.ई.जी.ई.एल.)

प्राथमिक स्तर पर कमजोर/साधनविहीन वर्गों की बालिकाओं को अतिरिक्त शिक्षा सहायता प्रदान करने के लिये सर्वशिक्षा अभियान (एसएसए) की मौजूदा स्कीम में संशोधन के रूप में जुलाई 2003 में भारत सरकार द्वारा 'प्राथमिक स्तर पर बालिका शिक्षा राष्ट्रीय कार्यक्रम (एन.पी.ई.जी.ई.एल.)' नामक नये कार्यक्रम का अनुमोदन किया गया है। यह एसएसए का हिस्सा होगा और एसएसए की छत्रछाया में इसे कार्यान्वित किया जाएगा परंतु एस.ए.ए. एक विशिष्ट और अलग लिंग घटक योजना के रूप में चलाया जाएगा ।

यह स्कीम एसएसए के अधीन निम्नलिखित अतिरिक्त घटकों को प्रदान करेगी:

- माडल बालिका अनुकूल स्कूल के रूप में समूह स्तर पर स्कूल विकसित करना,
- अतिरिक्त प्रोत्साहन जैसे लेखन सामग्री, स्लेट अभ्यास पुस्तिका, पोशाक और या स्थानीय कोई आवश्यकता जो प्रतिवर्ष प्रति छात्रा 150 रुपये की अधिकतम सीमा के अंतर्गत होगा,
- अतिरिक्त हस्तक्षेप जैसे स्कूल/अध्यापकों को पुरस्कार, छात्र मूल्यांकन, सुधारात्मक शिक्षण, सेतु पाठ्यक्रम, वैकल्पिक स्कूल, मुक्त विद्यालयों के माध्यम से पढ़ाई, अध्यापक प्रशिक्षण और समूह स्तर पर शिशु देखरेख केंद्र जो प्रतिवर्ष 60,000 रुपए की अधिकतम सीमा के अंदर है,
- पांच वर्ष की समयावधि में प्रति समूह (क्लस्टर) 95,000 रुपए की अधिकतम सीमा के अंदर मोबिलाइजेशन एवं कम्युनिटी मानिटरिंग,



- सामग्री तैयार करना, और
- योजना, प्रशिक्षण और प्रबंध सहायता ।

उपर्युक्त कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिये दसवीं योजना अवधि हेतु 1064.80 करोड़ रुपए का अनुमानित व्यय रखा गया है ।

इस स्कीम को शैक्षणिक रुप से पिछड़े ब्लाकों में, जहां ग्रामीण महिला साक्षरता का स्तर राष्ट्रीय औसत से नीचे है और लिंग अंतराल राष्ट्रीय औसत से ऊपर है, ऐसे जिलों के ब्लाकों जो ई.बी.बी. के अंतर्गत नहीं आते परंतु कम से कम 5% अनु.जाति/अनु.जनजाति की आबादी वाले हैं ओर जहां अनु.जाति/अनु.जनजाति की साक्षरता 10% से कम है और चुनिंदा शहरी स्लम्स में, कार्यान्वित किया जाएगा ।

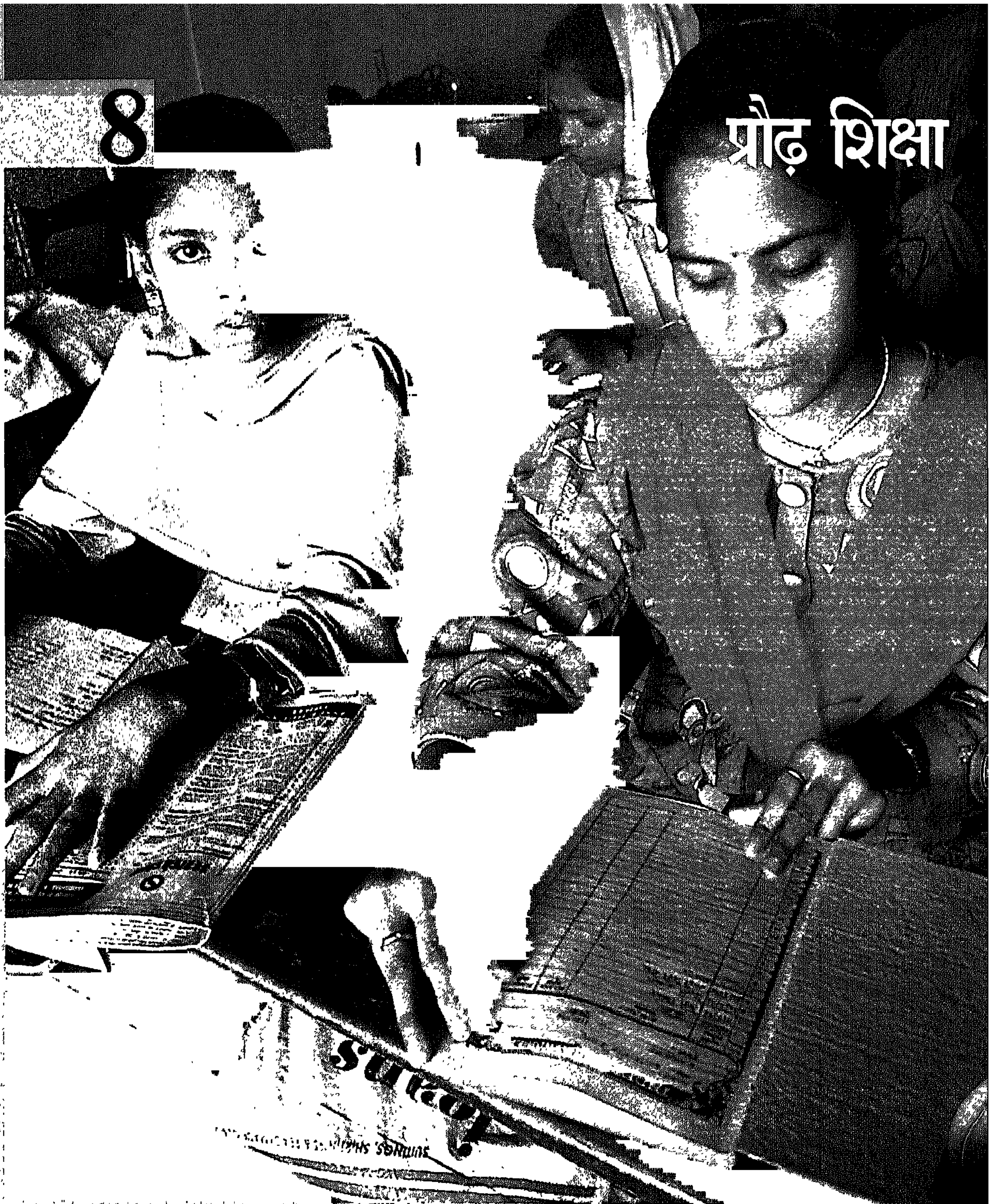
1991 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर यह स्कीम आंध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, विहार, झारंखड, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाड, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल और पश्चिम बंगाल के 2656 ब्लाकों को शामिल करेगी। एक बार 2001 की जनगणना के अनुसार ब्लाकों का चयन संशोधित किया जाएगा।

इस घटक के अधीन सहायता एसएसए के पैरामीटरों के अनुसार होगी अर्थात् दसवीं योजना के दौरान केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच 75:25 की हिस्सेदारी और उसके बाद 50:50 की हिस्सेदारी ।

एसएसए के परियोजना अनुमोदन 1बोर्ड ने एन.पी.ई.जी.ई.एल. के लिये ए.डब्ल्यु.पी. एवं बी 2003-04 योजनायें अनुमोदित की हैं और सभी एन.पी.ई.जी.ई.एल. राज्यों में कार्य शुरू हो गया है। स्कीम के कार्यान्वयन के लिये इन सभी राज्यों को 40.68 करोड़ रुपए की निधियां जारी कर दी गई है ।

■■■

8 प्रौढ़ शिक्षा



पिछले दशकों में साक्षरता दरों ने काफी सुधार प्रदर्शित किया है। भारत की 2001 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर बढ़कर 75.85 प्रतिशत हो गई है और महिला साक्षरता दर 54.16 प्रतिशत हो गई है। पहली बार, आबादी में समग्र वृद्धि के बावजूद भी, निरक्षरों की संख्या में 31.9 मिलियन की कमी आई है।

साक्षरता--विकास की पूर्वापेक्षा

आबादी के गुणात्मक लक्षण के रूप में साक्षरता, समाज के सामाजिक-आर्थिक और राजनैतिक विकास के महत्वपूर्ण संकेतकों में से एक है। यह मानव संसाधन विकास का एक प्रमुख घटक है और इस प्रकार सामाजिक और आर्थिक प्रगति के किसी भी कार्यक्रम का आधार है।

साक्षरता परिदृश्यः चुनौतियां

स्वतंत्रता से पूर्व के भारत को एक ऐसी शिक्षा प्रणाली विरासत में मिली जिसमें भारी अंतर और अंतरक्षेत्रीय असंतुलन था। इस प्रणाली ने कुछ ही गिने-चुने लोगों को शिक्षित किया और शिक्षितों तथा अशिक्षितों के बीच भारी अंतराल उत्पन्न किया। आर्थिक असमानता, लिंग असमानता और कठोर सामाजिक स्तरणों ने शैक्षणिक असमानता को और बढ़ा दिया।

स्वतंत्रता की प्राप्ति से यह अधिकाधिक रूप में महसूस किया जाता रहा कि विकास तब तक कभी भी आत्म निर्भर नहीं होगा जब तक संपूर्ण रूप से लोगों की प्रवृत्ति, मूल्यों, ज्ञान और कौशल में तदनुरूप परिवर्तन न लाये जाय और इस परिवर्तन का एक मात्र रास्ता शिक्षा है। मई, 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन आरंभ करने से पहले पिछले चार दशकों के दौरान प्रौढ़ शिक्षा प्रदान करने के लिये चलाये गये अनेक कार्यक्रम साक्षरता के निम्न स्तर, केन्द्र आधारित प्रयास, जन-जागृति और सामुदायिक भागीदारी की कमी जैसे अनेक अंतर्निहित कमजोरियों के कारण काफी सफल नहीं हो पाये।

महिला साक्षरता

सामाजिक बाधाओं के कारण, जो महिला साक्षरता और महिलाओं के शैक्षणिक विकास को रोकते हैं, निरक्षरता की समस्या और खराब हो गई। महिल-पुरुष असमानता भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं सर्वाधिक रूप से निरंतर किस्म की असमानता है जहां महिला से पुरुष साक्षरता दरें काफी अधिक हैं विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों और समाज के कमजोर वर्गों के बीच।

महिला साक्षरता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की गई है जिसमें 1981 के वाद की पुरुष साक्षरता की तुलना में तेजी से वृद्धि होती रही है। इसके परिणामस्वरूप 1981 मं 26.62 प्रतिशत प्वाइंट पर पुरुष महिला साक्षरता अंतर 1991 में कम होकर 24.84 प्रतिशत प्वाइंट पर आ गया और यह 2001 में और कम होकर 21.70 पर आ गया है, जबकि महिला साक्षरता वृद्धि दर पुरुषों के 11.72 की तुलना में 14.87 प्रतिशत प्वाइंट थी। महिला साक्षरता में तेजी से वृद्धि की उत्साहजनक स्थिति देश के संपूर्ण राज्यों में ही दृष्टिगोचर नहीं होती बल्कि समाज के कमजोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मामले में भी यह प्रगति प्रदर्शित होती है। इसके अलावा महिलायें प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों के अधीन कुल लाभार्थियों का 60 प्रतिशत हैं।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति

अत्यधिक आर्थिक बदहाली और सामाजिक अक्षमता अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के बीच निरक्षरता की समस्या को बढ़ाते हैं। जनजातियों के मामले में, जो कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में रहते हैं, मुख्य समस्या संचार सुविधाओं की कमी, उनके आवासों तक पहुंचने की कठिनाई, छितरी हुई आबादी, पर्याप्त सांस्थानिक आधार सुविधाओं की कमी, स्थानीय अर्हता प्राप्त शिषकों की कमी और अनेक किस्म की जनजातीय बोलियों के कारण मुख्य समस्यायें उत्पन्न होती हैं जिससे साक्षरता की समस्या और विकट हो जाती है।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दरों में प्राप्त उपलब्धियां भी 1991 की जनगणना की तुलना में महत्वपूर्ण हैं जो क्रमशः 37.41 प्रतिशत और 29.41 प्रतिशत हैं। इसके अलावा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बीच महिला साक्षरता में वृद्धि भी पुरुष साक्षरता की तुलना में तीव्रतर गति से है।

निरक्षरता का आकार : 2001 की जनगणना

1951 में 247 मिलियन निरक्षर थे जिन्हें साक्षर किया जाना था। पिछले दशकों में यह समस्या बढ़ती गई क्योंकि 1991 तक प्रत्येक दशक के दौरान साक्षर बनाये गये व्यक्तियों की संख्या आबादी में अत्यधिक बढ़ोत्तरी की तुलना में कम पड़ गई जिसके कारण 1951-91 के दौरान 304 मिलियन लोगों को साक्षर बनाने के बाद भी 1951 में 247 की तुलना में हमारे पास अभी भी 329 मिलियन निरक्षर लोग हैं।

1961-71, 1971-81 और 1981-91 के दशकों के दौरान साक्षरों की संख्या में वृद्धि की तुलना में आबादी की अत्यधिक बढ़ोत्तरी थी। आबादी में इस वृद्धि के परिणामस्वरूप निरक्षरता की समस्या वर्ष दर वर्ष और दशक दर दशक बढ़ती ही गई यद्यपि 1971 के बाद यह घटती दर पर थी। 1991-2001 में साक्षरों की संख्या में वृद्धि ने 1991-2001 के दौरान तदनुरूपी आबादी

वृद्धि पर अपना पलड़ा भारी रखा। शैक्षणिक स्तर पर अत्यधिक प्रयत्नों और आबादी की वृद्धि दर में थोड़ी गिरावट के परिणामस्वरूप 1991-2001 के दशक के दौरान निरक्षरों की संख्या 1991 में 329 मिलियन से कम होकर 2001 में 300 मिलियन हो गई है। निराशाजनक परिदृश्य में यह एक स्वागत योग्य परिवर्तन था।

पूर्वोत्तर क्षेत्र

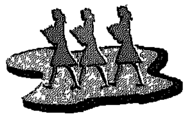
पूर्वोत्तर क्षेत्र जिसमें आठ राज्य - अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा हैं, काफी सीमा तक दुर्गम, दूरस्थ पर्वतीय और कठिन भू-भाग हैं। यहां अधिकांशतः आदिवासी आबादी रहती है जो निम्न सघनता के साथ छितरी हुई है। शहरीकरण के निम्न स्तर के साथ यह आर्थिक रूप से अधोविकसित क्षेत्र होते हुए भी नृवंशीय सांस्कृतिक विरासत और भाषाई विविधता की दृष्टि से समृद्ध हैं। ये सभी कारक मिल कर यहां के शैक्षिक विकास में उल्लेखनीय अंत-क्षेत्रीय अंतरों को जन्म देते हैं। एक ओर जहां मिजोरम की साक्षरता दर देश में दूसरे स्थान पर है, वहां दूसरी ओर अरुणाचल प्रदेश की साक्षरता दर इस क्षेत्र में सर्वाधिक निम्न है।

साक्षरता का विकास

पिछले दशकों में, साक्षरता दरों में पर्याप्त सुधार देखा गया है। पूर्ण साक्षरता दर 1951 में 18.33 प्रतिशत थी जो 1991 में बढ़कर 52.21 प्रतिशत और 2001 में और बढ़कर 65.38 प्रतिशत हो गई। भारतीय जनगणना, 2001 के अनुसार साक्षरता दर पुरुषों के लिए 75.85 प्रतिशत और महिलाओं के लिए 54.16 प्रतिशत तक बढ़ गई थी। पहली बार, जनसंख्या में समग्र वृद्धि के बाद भी, निरक्षरों की संख्या, निरपेक्ष आंकड़ों में 31.9 मिलियन घट गई है। दूसरी ओर, साक्षरों की संख्या पिछले दशक में 203.6 मिलियन बढ़ी है।

इस समय तीन-चौथाई से अधिक पुरुष आबादी और आधी से अधिक महिला आबादी साक्षर है। पिछले दशक में साक्षरता दर में काफी उच्चतर वृद्धि देखी गई है। वह 14.87 प्रतिशत बढ़ी है जबकि पुरुषों की साक्षरता दर 11.72 प्रतिशत ही बढ़ी है। इस तरह निरक्षरता दरों में महिला-पुरुष अंतर 1994 में 24.84 से घटकर 2001 में 21.7 हो गया। सभी राज्यों ने साक्षरता दरों में वृद्धि दर्शाई है और निरपवाद रूप से 60 प्रतिशत पुरुष साक्षरता हासिल की हालांकि शैक्षणिक रूप से उन्नत और पिछड़े राज्यों के बीच अंतर पिछले कुछ वर्षों में घटा है।





पिछले दशक में महिला साक्षरता में तेजी से वृद्धि होने से पुरुष-महिला साक्षरता अंतर 1991 में कम होकर 24.84 प्रतिशत प्वाइंट पर आ गया और यह 2001 में और कम होकर 21.70 पर आ गया है, जबकि महिला साक्षरता वृद्धि दर पुरुषों के 11.72 की तुलना में 14.87 प्रतिशत प्वाइंट थी।

राष्ट्रीय साक्षरता मिशनः उद्देश्य और लक्ष्य

मई 1988 मे एनएलएम की स्थापना के साथ एक राष्ट्रीय प्रयास की शुरूआत हुई थी। व्यक्तिगत, सामूहिक और राष्ट्रीय जीवन में प्रौढ़ साक्षरता की भूमिका की व्याख्या करने और उसे प्रासंगिक बनाने के लिए, नियोजन और क्रियान्वयन के स्तर पर एक ठेस प्रयास किया गया ताकि मिशन के लक्ष्यों को वास्तविकतापूर्ण ढंग से पूरा किया जा सके। एनएलएम कार्यरत साक्षरता के लिए अक्षर ज्ञान और संख्यात्मक ज्ञान में आत्म-निर्भरता की साधारण उपलब्धि से परे जाता है। कार्यात्मक साक्षरता की उपलब्धि का अर्थ है -- राष्ट्रीय एकीकरण, पर्यावरण संरक्षण, महिला समानता, छोटा परिवार मानदण्ड के अनुपालन, आदि के मूल्यों का संचार करना। इस प्रकार एनएलएम में निरूपित साक्षरता अपने आप में कोई साध्य नहीं है, बल्कि इसे इन सामाजकि लक्ष्यों की प्राप्ति एवं शिक्षित समाज के निर्माण को सुनिश्चित करने वाला परिवर्तन का एक सक्रिय और सक्षम साधन होना चाहिए। कार्यात्मक साक्षरता की प्राप्ति का परिणाम सशक्तीकरण और जीवन स्तर में एक सुनिश्चित सुधार होता है। इससे सूचना युग के लाभों को बांटने में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने में मदद मिलती है।

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का लक्ष्य पूर्ण साक्षरता प्राप्त करना है, यानी 15-35 वर्ष के निरक्षरों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान कर वर्ष 2007 तक 75 प्रतिशत की पोषणक्षम प्रभावसीमा को प्राप्त करना। इसकी उद्देश्यपूर्ण और प्रभावकारी शिक्षा से उत्पादकता वृद्धि, स्वास्थ्य देखरेख सुधार, परिवार कल्याण और समुदाय के सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की बेहतरी के रूप में अच्छे परिणाम सामने आते हैं। इस आयु समूह से बाहर के लोगों को भी कार्यक्रम का अंग बनाया गया है, खास कर 9-14 वर्ष समूह के उन बच्चों को जो अधबीच पढ़ाई छोड़ चुके हैं।

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण-एनएलएमए

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण की स्थापना विभाग के एक स्वतंत्र और स्वायत्त प्रभाग के रूप में, इसे उसके कार्य क्षेत्र में कार्यकारी एवं वित्तीय शक्तियां प्रदान करते हुए की गई थी।

एनएलएमए की एक महापरिषद्, कार्यकारी समिति और एक परियोजना मंजूरी समिति है। कार्यकारी समिति और परियोजना मंजूरी समिति शिक्षा सचिव के अधीन हैं। महापरिषद मानव संसाधन विकास मंत्री की अध्यक्षता में कार्य करती है और साक्षरता एवं प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में नीतियां और कार्यक्रम तैयार करती है। कार्यकारी समिति सचिव, प्राथमिक शिक्षा एवं साक्षरता की अध्यक्षता में प्राधिकरण के अन्य सभी कार्य करती है। परियोजना मंजूरी समिति साक्षरता परियोजनाओं पर विचार कर उन्हें वित्तीय सहायता हेतु मंजूरी देती है।

साक्षरता से परे

साक्षरता प्रौढ़ शिक्षा की दिशा में एक बुनियादी कदम है जो एक जीवनपर्यंत अधिगम की योजना है और संप्रेषण एवं सूचना की दुनिया के लिए एक प्रवेश बिंदु है। प्रौढ़ साक्षरता के क्रमिक और वैकल्पिक माडलों के प्रयोग करने के बाद एनएलएमने साक्षरता-उन्मूलन की मूल रणनीति के रूप में पूर्ण साक्षरता अभियान टीएलसी कार्यनीति को अपनाया। टीएलसीज, जो मुख्यत 15-35 वर्ष आयु-समूह की निरक्षर आबादी को बुनियादी साक्षरता दक्षताएं प्रदान करते हैं, देश के लगभग सभी जिलों में आरंभ किए गए हैं। टीएलसी की कुछ सकारात्मक विशेषताएं इस प्रकार हैः क्षेत्र-विशिष्टता, समयबद्धता, सहभागितापूर्ण, स्वैच्छिक कार्य द्वारा सेवा प्रदान करना, लागत-प्रभाविता और परिणाम-उन्मुखता। इन अभियानों को जिला साक्षरता समितियों के माध्यम से पूरा किया जाता है जो स्वतंत्र और स्वायत्त निकाय होती है और जिनमें समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व होता है।

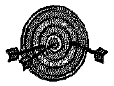
लक्ष्य ग्रासरूट स्तर पर एक सर्वेक्षण के आधार पर उभरते हैं जो कि आयोजना, अभिप्रेरण और वातावरण निर्माण के साधन का काम भी करते हैं। हालांकि टीएलसी का लक्ष्य कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करना होता है, यह सामाजिक दृष्टि से प्रासंगिक कई अन्य संदेशों की 'टोकरी' भी देता है जैसे कि स्कूलों में बच्चों का नामांकन और अभिधारण, रोग-प्रतिरक्षा, छोटा परिवार



नवीकरण मिशन

- नई चुनौतियों का मुकाबना करने के लिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन में नए प्राण और ऊर्जा का संचार किया गया है। 30 नवम्बर, 1999 को सरकार ने जीवनपर्यंत अधिगम और विकेंद्रीकरण, समाकलित साक्षरता अभियान दृष्टिकोण, प्राधिकरणों के राज्यों एवं जिला स्तरीय संस्थाओं के अंतरण पर बल देते हुए मिशन के विस्तार के लिए मंजूरी दी।
- राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अंतर्गत योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता और मानदण्डों को बढ़ाया गया है। संशोधित योजनाओं के मुख्य लक्षण इस प्रकार हैं
  - पिछले साक्षरता और उत्तर साक्षरता चरणों के सभी लक्षणों को मिलाकर साक्षरता के प्रति एक समाकलित दृष्टिकोण अपनाया गया है।
  - जिला साक्षरता समितियां साक्षरता कार्यक्रमों की देखरेख और संचालन का कार्य जारी रखेंगी। उन्हें स्थानीय युवा क्लबों, महिला मंडलों, स्वैच्छिक संस्थाओं, पंचायतों, लघु उद्योगों और सहकारी समितियों के साथ अपनी शक्ति को जोड़ते हुए कार्य करने की स्वतंत्रता दी गई है।
  - अवशिष्ट निरक्षरता के उन्मूलन, निजी दिलचस्पी वाले कार्यक्रमों, कौशल विकास, ग्रामीण पुस्तकालयों, आदि को परिधि में लेते हुए अविच्छिन्न शिक्षा योजना को उचित प्राथमिकता दी गई है।
  - गैर-सरकारी संस्थाओं की भूमिका का विस्तार कर उन्हें व्यावसायिक/कौशलोन्नयन कार्यक्रम आयोजित करने के साथ ही अविच्छिन्न शिक्षा केन्द्र चलाने का कार्य दिया गया है जो वे अपने वर्तमान कार्यों-प्रशिक्षण देना, सामग्री विकास, नवोन्मेषी और प्रभाव अध्ययन आदि के अतिरिक्त करेंगे।
  - परियोजनाएं मंजूर करने के लिए राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरणों को वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियां अंतरित की गई हैं,
  - ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता परियोजनाओं की योजना को साक्षरता अभियानों और आपरेशन रिस्टोरेशन की योजना के अंतर्गत ला दिया गया है।

यह आशा की जाती है कि संशोधित मिशन गत वर्ष की उपलब्धियों को सुदृढ़ करेगा और साक्षरता आंदोलन के विकास में तेजी लाएगा।



2001 की जनगणना के अनुसार देश के 45 जिलों की महिला साक्षरता दर 30 प्रतिशत से कम है। इनमें से अधिकांश जिले बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में हैं। तदनुसार 2002-2003 में इन क्षेत्रों में महिला साक्षरता दर बढ़ाने के लिये राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने विशेष नवोन्मेषी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की चुनौती हाथ में ली।

मानदण्ड का प्रचार-प्रसार, महिला समानता और सशक्तीकरण, शांति और सांप्रदायिक सौहार्द, आदि।

एकीकृत दृष्टिकोण

पूर्ण साक्षरता अभियानों के सफल क्रियान्वन के साथ करोड़ों निरक्षर बुनियादी साक्षरता प्राप्त कर रहे हैं जो बहुत मजबूत नहीं है। इस बात की अधिक संभावना है कि यदि उनके साक्षरता स्तरों को ठोस, टिकाऊ न बनाया गया और न बढ़ाया गया तो वे फिर से आंशिक या पूर्णत निरक्षर वन सकते हैं। बुनियादी साक्षरता शिक्षा के पहले दौर, और सुदृढ़ीकरण, उपचारीकरण और दक्षता-उन्नयन श्रेणीकरण के दूसरे दौर की- जो आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े कार्यगत चरण हैं - अब एक समाकलित परियोजना माना जा रहा है ताकि सांतत्य, कार्यक्षमता और अभिसरण प्राप्त करने के लिए एक चरण से दूसरे चरण में प्रगति सुगमता से हो सके। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पूर्ण साक्षरता अभियान और उत्तर-साक्षरता कार्यक्रम सफलतापूर्वक अविच्छिन्न शिक्षा की दिशा में आगे बढ़ें जो कि जीवनपर्यंत अधिगम प्रदान करती है।

प्रत्येक जिला अपने आप में अनूठा होता है। छात्रों का ज्ञान एक जैसा नहीं होता और उनकी कार्यक्षमताएं और योग्यताएं भी अलग-अलग होती हैं। अतः एनएलएम ने साक्षरता और उत्तर-साक्षरता कार्यक्रमों के रूपांकन और क्रियान्वयन में अधिक लचीलेपन और नवोन्मेपिता को प्रोत्साहित किया। जिला साक्षरता समितियों को ऐसे माडल बनाने की स्वतंत्रता है जो छात्रों की क्षेत्र-विशिष्ट जरूरतों के अनुरूप हों।

अवशिष्ट निरक्षरता

हालांकि पूर्ण साक्षरता मिशन जन आंदोलन का रूप ले कर देशभर में फैल गया पर अनेक मामलों में प्राकृतिक विपदाओं, राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी, कलैक्टरों के बार-बार स्थानांतरण की वजह से अनेक अभियानों में बाधा आई। रुकी हुई परियोजनाओं को पुनः बहाल करना एक प्राथमिकतापूर्ण क्षेत्र है। साक्षरता चरण की सफलता के बावजूद अवशिष्ट निरक्षरता वाले स्थान अभी भी मौजूद हैं। अब तक कार्यक्रम की परिधि में न आए जिलों को और 30 प्रतिशत से कम महिला साक्षरता वाले जिलों को परिधि में लेने को प्राथमिकता देना जारी रखा जाएगा। महिलाओं और वंचित समूहों के लोगों पर ध्यान केंद्रित किया जाता रहेगा।

केंद्र और राज्य सरकार के बीच वित्त-पोषण का अनुपात 2:1 है, जनजातीय उप-जना के अंतर्गत जिलों को छोड़कर जहां यह अनुपात 4:1 है। अब क्रियान्वयन एजेंसियों को साक्षरतोत्तर चरण और निरंतर शिक्षा के अग्रिम चरण सहित बुनियादी साक्षरता कार्यकलापों पर खर्च करने की अनुमति है।

निम्न महिला साक्षरता दरों वाले जिलों पर विशेष ध्यान देना

2001 की जनगणना के अनुसार देश के 45 जिलों की महिला साक्षरता दर 30 प्रतिशत से कम है। इनमें से अधिकांश जिले बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में हैं। तदनुसार 2002-2003 में इन क्षेत्रों में महिला साक्षरता दर बढ़ाने के लिये राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने विशेष नवोन्मेषी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की चुनौती हाथ में ली।

शुरूआत के तौर पर उत्तर प्रदेश में महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोण्डा, बहराइच, बदायूं और रामपुर, इन 8 जिलों को महिला साक्षरता कार्यक्रम के अधीन लाया गया जिसका कार्यान्वयन 97 एनजीओज के माध्यम से किया गया। सीखने वालों के लिये विशेष शिक्षण-पाठन सामग्री तैयार की गई और परियोजना की गहन मानिटरिंग की गई। इस कार्यक्रम ने 15-35 आयु वर्ग में इन जिलों की लगभग 25 लाख गैर-साक्षर महिलाओं को शामिल किया। इस कार्यक्रम के परिणाम काफी उत्साहजनक थे और बाह्य मूल्यांकन के दौरान परिणाम 95 प्रतिशत तक प्राप्त किये गये।

बिहार में पंचायतीराज कर्मचारियों, महिला स्वयंसेवी अध्यापकों और महिला स्व-सहायता समूहों की भागीदारी से 13 निम्न

महिला साक्षरता जिलों को शामिल करने के लिये एक अलग माडल का उपयोग किया गया। इसमें शामिल किये गये जिले पश्चिम चंपारन, पूर्वी चंपारन, स्योहर, सीतामढ़ी, सुपौल, अररिया, किसनगंज, पूर्निया, माधेपुरा, सहरसा, खगरिया, बांका और जमूई हैं। लगभग 20 लाख महिला शिक्षार्थियों को शामिल किया गया। जहां 9 जिलों के संबंध में उत्साहजनक परिणाम प्राप्त किये गये हैं और एक जिले की प्रतीक्षा की जा रही है। जहां तीन जिलों के लिये आगे की पहलों की योजना की जा रही है वहां कार्यक्रम कार्यान्वयन को आगे सुधार की जरूरत थी। शिक्षण-पाठन प्रक्रिया पूरी होने के बाद शेष महिलाओं को स्व-सहायता समूहों की सूचना एवं व्यवसायिक कौशल विकसित करने में प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

झारखण्ड में 5 जिलों में महिला साक्षरता सुधारने का एक विशेष कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है जिसमें लगभग 5 लाख महिलाओं को शामिल किया गया है। एनएलएम द्वारा स्थापित एक विशेष संसाधन एवं सहायता समूह द्वारा इस कार्यक्रम की सहायता की जा रही है और इसके समवर्ती मूल्यांकन/प्रभाव आकलन किया जा रहा है।

उड़ीसा में निम्न महिला साक्षरता वाले 9 जिले हैं। यह जिले कोरापट, नबरंगपुर, मलकानागरी, रामगाडा, कालाहांडी, गजपति, बोलंगीर, सोनपुर और नौपाढ़ा हैं। इस कार्यक्रम के अंतगत लगभग 9.10 लाख निरक्षर महिलायें लाभान्वित होंगी जिसे 117 एनजीओज द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

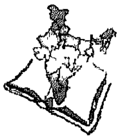
वर्तमान स्थिति

देश के 600 जिलों में से 596 जिले अब प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों, 159 संपूर्ण साक्षरता अभियानों, 198 साक्षरता-पश्च कार्यक्रम और 239 निरंतर शिक्षा कार्यक्रम के अधीन आ चुके हैं। 31.3.2003 तक लगभग 108.42 मिलियन व्यक्तियों को साक्षर बनाया गया है। लगभग 60 प्रतिशत लाभार्थी महिलायें हैं, जबकि 22 प्रतिशत और 12 प्रतिशत क्रमशः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हैं।

अनवरत शिक्षा

अनवरत शिक्षा, मानव संसाधन विकास कार्ययोजना और शिक्षार्थी समाज के सृजन के लक्ष्य के लिये एक अनिवार्य पहलू है।





देश के 600 जिलों में से 596 जिले अब प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों, 159 संपूर्ण साखरता अभियानों, 198 साक्षरता-पश्च कार्यक्रम और 239 निरंतर शिक्षा कार्यक्रम के अधीन आ चुके हैं।

पिछले दशक की उपलब्धियां निष्फल न जाय यह देखने के लिये सभी हिस्सेदारों को सम्मिलित प्रयत्न करने की जरूरत होगी। विश्व के शिक्षाविद् प्रौढ़ प्राथमिक शिक्षा की संकीर्ण धारणा से परे जाने के महत्व को अधिकारिक महसूस कर रहे हैं। इस संदर्भ में एनएलएम ने अनवरत शिक्षा को अपने क्रियाकलापों का एक आवश्यक घटक बना दिया है।

अनवरत शिक्षा स्कीम देश में संपूर्ण साक्षरता और साक्षरता पश्च कार्यक्रमों के प्रयत्नों को शिक्षण निरंतरता प्रदान करती है। पुस्तकालय, वाचनालय, शिक्षण केन्द्रों, खेलों और सांस्कृतिक केन्द्रों तथा अन्य व्यक्तिगत रुचि संवर्धन कार्यक्रमों की सुविधायें प्रदान करके लगभग 2000-2500 लोगों की आबादी की सेवा के लिये अनवरत शिक्षा केन्द्रों सीईसा और नोडल अनवरत शिक्षा केन्द्रों एनसीईसी की स्थापना के द्वारा नव-साक्षरों को आगे शिक्षण अवसर प्रदान करने पर मुख्य जोर दिया जा रहा है। समतुल्यता कार्यक्रम, जीवन गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम, आय उत्पन्न करने वाले कार्यक्रम और व्यक्तिगत रुचि संवर्धन कार्यक्रमों जैसे विभिन्न क्रियाकलाप चलाने के अवसर भी प्रदान किये जाते हैं। दस से पन्द्रह ऐसे केन्द्र क्लस्टर समूह का निर्माण करते हैं और उनमें से एक नोडल सीईसी के रूप में कार्य करता है।

प्राथमिक साक्षरता, साक्षरता कौशल, उन्नयन, वैकल्पिक शैक्षणिक कार्यक्रमों को अपनाने, व्यावसायिक कौशल के लिये सीईसी क्षेत्र विशिष्ट, आवश्यकता आधारित अवसर प्रदान करते हैं और सामाजिक एवं व्यावसायिक विकास को भी बढ़ावा देते हैं।

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अनवरत शिक्षा स्कीम के अंतर्गत 38 नये जिलों को शामिल किया गया है। इस बढ़ोत्तरी से अनवरत शिक्षा कार्यक्रम 239 जिलों में कार्य कर रहे हैं। सीईसी, नोडल सीईसी सहित, उपयोगकर्ता समुदाय के सक्रिय परामर्श से स्थापित किये जाते हैं और इनकी मांगें पूरी करने के लिये कार्यक्रम तैयार किये जाते हैं। गैर साक्षरों को साक्षरता कौशल प्रदान करने का दबाव बनाये रखा जाता है। प्राइमर्स का शिक्षण, लक्ष्य समूहों की पहचान, प्राथमिक निरक्षरता उन्मूलन से संबंधित अन्य कार्य निरंतर किये जाते हैं। सीईसी में प्राथमिक साक्षरता कार्यक्रम चलाने के लिये एक सहायक प्रेरक नियुक्त किया जाता है। सीईसी की स्थाना के अलावा यह स्कीम निम्नलिखित कार्यक्रम भी चलाती है:

- समतुल्यता कार्यक्रम
- जीवन गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम
- व्यक्तिगत रुचि संवर्धन कार्यक्रम
- कौशल विकास और आय उत्पन्न करने वाले कार्यक्रम

अनवरत शिक्षा पर बल देने के अंतर्गत, ग्राम पुस्तकालयों की स्थापना पर जोर देना शामिल है जिससे देश भर में अधिक पुस्तकें, पत्र-पत्रिकाएं उपलब्ध होंगी। यह विशेष रूप से प्रासंगिक है क्योंकि अधिकांश जिलों द्वारा साक्षरतोत्तर कार्यक्रम तथा और अधिक अविच्छिन्न शिक्षा चरण पूरा कर लिए जाने की संभावना है। सुदृढ़ राज्य संसाधन केंद्र, ग्रामीण और शहरी नवसाक्षरों के लिए पुस्तकों व अन्य साक्षरता सामग्री का विकास और उसे प्रसारित करेंगे। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वे पुनः निरक्षर न बन जाएं।

अविच्छिन्न शिक्षा केंद्रों की स्थापना के अलावा यह योजना निम्नलिखित कार्यक्रम हाथ में लेगी:

इस कार्ययोजना के अंग के रूप में ग्रामीण पुस्तकालयों की स्थापना पर जोर दिया गया है जो नव साक्षरों को अपनी भाषा में पठन-पाठन सामग्री प्रदान करेंगे।

अनवरत शिक्षा स्कीम की योजना एवं कार्यान्वयन में एनजीओ, स्वैच्छिक एजेंसियों, सामाजिक कार्यकताओं और पंचायती राज संस्थाओं को शामिल करने से व्यापक स्वीकृति एवं स्थानीय निर्भरता प्राप्त होती है। विभिन्न विकास विभाग, तकनीकी संस्थायें, व्यावसायिक समूह और प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय, भारत सरकार कार्यक्रम द्वारा अपेक्षित सामग्री इनपुट प्रदान करते हैं। राज्य संसाधन केन्द्र (एसआरसी) और जन शिक्षण संस्थान आवश्यक संसाधन एवं प्रशिक्षण सहायता प्रदान करने में अपना हाथ बंटाते हैं।



राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरणों का सशक्तीकरण

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा आरंभ किए जा रहे प्रयासों, अभियानों और कार्यक्रमों के अनुरूप राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरणों (एसएलएमए) - सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत राज्य स्तरीय सोसायटी - को सुदृढ़ करने तथा उनका पुनर्गठन करने का निर्णय किया गया था। यह विकेन्द्रीकरण की दिशा में कदम है क्योंकि इससे पता चलता है कि एसएलएमए एक ऐसे स्तर पर पहुंच गए हैं जब उन्हें उनके राज्यों के लिए शुरू किए जा रहे कार्यक्रमों के लिए जिम्मेदार बनाया जा सकता है। उन्हें प्रशासनिक तथा वित्तीय शक्तियां सौंपने से अधिक गतिशील ढांचे का निर्माण होगा और इसलिए कार्यक्रमों को तेजी से शुरू किया जा सकता है तथा उनके बारे में बिना किसी देरी के निर्णय लिए जा सकते हैं जिससे और अधिक कुशलतापूर्ण विकास कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं। प्रत्येक राज्य को राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण स्थापित करने हैं। इन नए प्राधिकरणों को अब अविछिन्न शिक्षा परियोजनाएं मंजूर करने की शक्ति प्राप्त है। इस प्रकार अब ये प्राधिकरणः

- अविच्छिन्न शिक्षा स्कीम के मानीटरिंग और कार्यान्वयन के लिए राज्य स्तर पर नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करते हैं
- अविच्छिन्न शिक्षा परियोजनाएं अनुमोदित करने की शक्ति प्रदान की गई है तथा उन्हें निधियां उपलब्ध कराई गई हैं, और
- उनसे उम्मीद की जाती है कि पंचायत स्तर से ब्लाक स्तर, म्युनिसिपल स्तर, जिला स्तर, और राज्य स्तर तक अपने कार्यक्रम और कार्यकलाप तैयार करेंगे।

देश में 23 राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरणों को, राज्य स्तर पर साक्षरता कार्यक्रम तैयार करने, कार्यान्वित करने और उनका मानीटरन करने के लिए और अधिक शक्तियां प्रदान की गई हैं।

गैर सरकारी संगठन

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, अपने कार्यक्रमों तथा स्कीमों को आगे बढ़ाने में गैर सरकारी संगठनों की विशाल क्षमता को पूरी तरह से समझता है। इसीलिए अपनी शुरूआत से ही राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने एनजीओज के साथ अपनी भागीदारी बढ़ाने के लिए उपाय किए हैं। और स्वैच्छिक संस्थाओं को साक्षरता आंदोलन में एक सक्रिय प्रोन्नतिकारी भूमिका प्रदान की है। इन संस्थाओं को 15-35 वर्ष आयु-समूह में वयस्क निरक्षरों को साक्षरता प्रदान करने के लिए, नवसाक्षरों के लिए व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा कार्यक्रम आयोजित करने, शैक्षणिक एवं तकनीकी



संसाधन सहायता की व्यवस्था करने, नवोन्मेषिता, प्रयोग को प्रोन्नत करने, मूल्यांकन एवं प्रभाव अध्ययन करने और कार्यशालाएं, संगोष्ठियां आयोजित करने के लिए 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। गैर सरकारी संस्थाओं को अविच्छिन्न शिक्षा कार्यक्रम से भी जोड़ा गया है। वर्ष 2003-04 के दौरान विभिन्न प्राथमिक साक्षरता कार्यक्रमों के लिये 40 एनजीओज को 13.27 करोड़ रुपये की निधियां स्वीकृत की गईं और उड़ीसा में 117 एनजीओज और उत्तर प्रदेश में 97 एनजीओ को 11.21 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये।

राज्य संसाधन केंद्र

गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा प्रबंधित राज्य संसाधन केंद्र (एसआरसीज) प्रशिक्षण सामग्री तैयार करने, विस्तार कार्यकलापों, नवोन्मेषी परियोजनाओं, शोध अध्ययनों एवं मूल्यांकन के रूप में शैक्षणिक एवं तकनीकी संसाधन सहायता प्रदान करते हैं। इस समय 26 एसआरसीज हैं। नवीं योजना में एसआरसीज का सुदृढ़ीकरण किया गया और उन्हें दो वर्गों वर्ग 'क' और 'ख' में विभाजित किया गया है। सहायता की पद्धति इस प्रकार है:

राज्य संसाधन केंद्रो को सहायता की पद्धति

लाख रुपए में

वर्ग	आवर्ती	अनावर्ती एकबारगी अनुदान
क	60	50
ख	40	40

अधिकाधिक जिलों द्वारा साक्षरतोत्तर कार्यक्रम पूरा करने के बाद गैर-सरकारी संस्थाओं को अपने कार्यकलापों के दायरे का विविधीकरण करना होगा और उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे जीवनपर्यंत शिक्षण के लिए क्षेत्र-विशिष्ट अविच्छिन्न शिक्षा कार्यक्रम हाथ में लेंगे।

प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय

प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय (डीएई) मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक अधीनस्थ कार्यालय है और यह प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र के रूप में करता है। यह राष्ट्रीय साक्षरता मिशन एनएलएम का कार्यातमक अंग है जो एनएलएम के तत्वावधान में शुरू की गई विभिन्न स्कीमों की मानिटरिंग और मूल्यांकन के लिये उत्तरदायी है। प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय का मुख्य कार्य शैक्षणिक और तकनीकी सहायता को बढ़ावा देना और एनएलएम के विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की मानिटरिंग करना है।

निदेशालय द्वारा वर्ष 2003-04 में चलाये गये क्रियाकलाप इस प्रकार हैं:

मानिटरिंग

- राज्य संसाधन केन्द्र जम्मू एवं कश्मीर के सहयोग से श्रीनगर में आयोजित तीन दिवसीय कार्यशाला में जम्मू एवं कश्मीर राज्य में साक्षरता कार्यक्रमों के लिये मानिटरिंग टूल्स विकसित किये।
- सिक्किम सरकार के शिक्षा विभाग के सहयोग से गंगटोक में 10-12 मार्च, 2004 को साक्षरता कार्यक्रमों के लिये मानिटरिंग टूल्स तैयार करने हेतु तीन दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई।
- जन शिक्षा निदेशालय के सहयोग से पश्चिम बंगाल राज्य के अधिकारियों के लिये मानिटरिंग पर एक दिशानुकूलन कार्यक्रम कोलकाता में 19 मार्च, 2004 से आयोजित किया गया।



जन शिक्षण संस्थान

जन शिक्षण संस्थान की स्कीम अथवा जन शिक्षण संस्थान एक बहुपक्षीय अथवा बहुपहलुओं वाला प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य इसके लाभार्थियों की व्यावसायिक कुशलता तथा जीवन स्तर में सुधार करना है। इस योजना का उद्देश्य शहरी और ग्रामीण आबादी के सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े और शैक्षणिक रूप से वंचित समूहों, विशेषकर नव-साक्षरों, अर्ध-साक्षरों, अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों, महिलाओं और बालिकाओं, मलिन बस्तियों में रहने वालों, प्रवासी मजदूरों का शैक्षिक, व्यावसायिक एवं वृत्तिक विकास करना है।

जन शिक्षण संस्थानों की स्थापना अधिकांशत गैर-सरकारी संस्थाओं के अधीन की जाती है और इन्हें कार्यात्मक स्वायत्तता प्राप्त होती है। मंजूरी के प्रतिमान के आधार पर इन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस समय देश में 140 ऐसे संस्थान हैं और भविष्य में इनकी संख्या में वृद्धि होगी।

जन शिक्षण संस्थान, भिन्न-भिन्न दक्षताओं के साथ विभिन्न अवधि के अनेक व्यावसायिक कार्यक्रम संचालित करते हैं। इस समय इन संस्थानों द्वारा 250 से अधिक तरह के पाठ्यक्रम और कार्यकलाप आयोजित किए जाते हैं। इन सस्थानों द्वारा आयोजित क्रियाकलापों एवं व्यावसायिक कार्यक्रम के द्वारा लगभग 15 लाख व्यक्तियों को लाभ पहुंचाया गया है।

जन शिक्षण संस्थानों के कार्य का विस्तार किया गया है और इनकी अवसंरचना को सुदृढ़ बनाया गया है ताकि ये शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में व्यावसायिक/तकनीकी दक्षताओं के एक जिला भण्डार के रूप में कार्य कर सकें। इन संस्थानों को नगर/कस्बे तथा इनके निष्पादन के आधार पर तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है। जन शिक्षण संस्थानों के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा किया जाता है और तदनुसार मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर इनका दर्जा घटाया बढ़ाया जा सकता है। अभी तक 52 जन शिक्षण संस्थानों का पैनल में निर्धारित मूल्यांकन एजेंसियों द्वारा मूल्यांकन किया गया है। मूल्यांकन रिपोर्टों के निष्कर्ष यह प्रदर्शित करते हैं किः

- महिलाओं का कवरेज 70 प्रतिशत से अधिक था,
- लक्षित वर्ग की आवश्यकताओं के अनुकूल अनेक पाठ्यक्रम लचीले पाठ्यक्रम और समय के साथ तैयार किये गये हैं,
- चलाये गये पाठ्यक्रम आवश्यकता आधारित, रोजगारोन्मुखी हैं और स्वयं तथा मजदूरी रोजगार के लिये अच्छे अवसर देते हैं, तथा
- मूल्योन्मुखी इनपुट और जीवन समृद्ध शिक्षा के द्वारा लाभार्थियों के जागरुकता एवं जानकारी स्तर में वृद्धि हुई है।

सामग्री

राज्य संसाधन केन्द्रों और राज्य निदेशालयों द्वारा तैयार की गई साक्षरता सामग्री और पूर्वी क्षेत्र की नवसाक्षर सामग्री की भी पुनरीक्षा की गई। राजस्थान में समकक्षता कार्यक्रम के लिये तैयार की गई साक्षरता सामग्री की भी पुनरीक्षा की गई। साक्षरता संवर्धन समिति ने सिक्किम में साक्षरता कार्यक्रमों में उपयोग के लिये लिम्बू, लिप्चा, भुटिया और नेपाली में तैयार प्राइमर्स का अनुमोदन किया। कश्मीरी, उर्दू और हिन्दी में आईपीसीएल प्राइमर्स और अध्यापक गाइड को राज्य संसाधन केन्द्र, श्रीनगर के सहयोग से तैयार किया गया। राज्य निदेशालय के सहयोग से आयोजित एक कार्यशाला में मणिपुरी जनजातीय बोलियों में तैयार किये गये प्राइमर्स की भी जांच की गई।

जनसंचार-माध्यम

पूर्वोत्तर राज्यों में उपयोग के लिये असमी, खासी, गारों, जयंतिया, कोकवोरोक, मणिपुरी और अरुणाचल प्रदेश की जनजातीय भाषाओं में आडियो एवं वीडियो कार्यक्रम तैयार किये गये। दूरदर्शन, राष्ट्रीय नेटवर्क, मेट्रो, स्पोर्ट, डीडी भारती और क्षेत्रीय केन्द्रों के माध्यम से बुक किये गये स्लाट में वीडियो स्पाट्स और कार्यक्रम प्रसारित किये गये। ज्ञान दर्शन के माध्यम से सवेरे और शाम के ट्रांसमिश्नों में कार्यक्रम प्रसारित किये गये। केन्द्रों से क्षेत्रीय भाषा कार्यक्रम भी प्रसारित किये गये। हिन्दी क्षेत्रों में आकाशवाणी के 64 केन्द्रों के जरिये और क्षेत्रीय भाषा में 12 केन्द्रों के जरिये आधे घंटे का साक्षरता कार्यक्रम प्रसारित किया गया। साक्षरता-जिंगल्स के प्रसारण के लिये एफएम और ज्ञानवाणी का भी पूरा उपयोग किया गया।

प्रशिक्षण

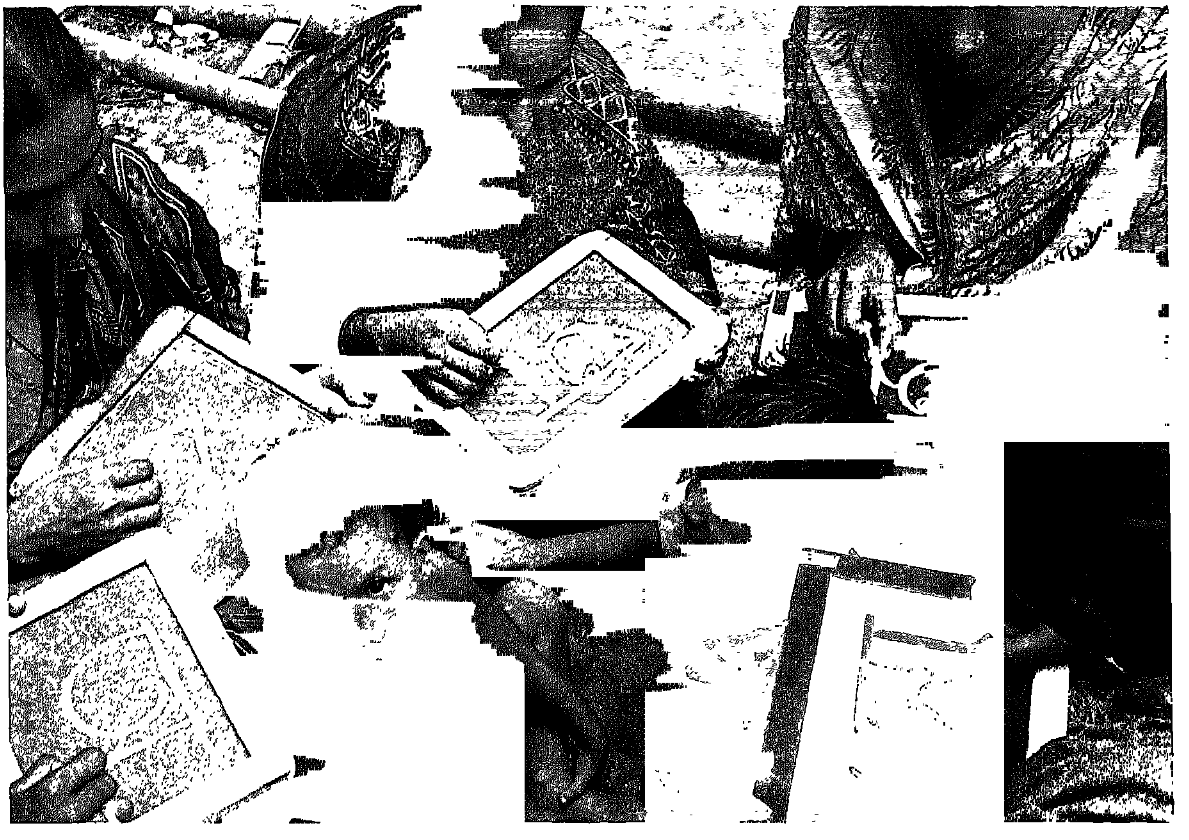
अनवरत शिक्षा कार्यक्रम के कार्यान्वयन एवं उसकी अक्षमता में सुधार पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन जुलाई 2003 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया। सिक्किम और मणिपुर में साक्षरता कार्यक्रम के महत्वपूर्ण संसाधन व्यक्तियों और मास्टर ट्रेनर्स के लिये चार दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम क्रमशः गंगटोक और इम्फाल में आयोजित किये गये। उड़ीसा के सात निम्न महिला साक्षरता जिलों में स्व-सहायता समूहों के फील्ड कार्यकर्ताओं के लिये तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम भुवनेश्वर में एसआरसी के सहयोग से आयोजित किया गया।

प्रकाशन यूनिट

- 8 सितम्बर, 2003 को विज्ञान भवन में राष्ट्र स्तरीय समारोह में 'वाल्यूंटरी एक्शन इन लिटरेसी' नामक विशेष प्रकाशन का लोकार्पण किया गया।
- 'भारत सरकार की महिला कल्याण योजना' तथा 'बच्चों की शिक्षा और सेहत आपके हाथ' नामक साक्षरता पोस्टर मुद्रित और वितरित किये गये।
- चार पुस्तकें अर्थात गाइडलाइंस फार इवैल्युएशन आफ पोस्ट लिटरेसी प्रोग्राम, खेल खेल में, सेहत की देखभाल, क्या आप जानते हैं और पंचायती राज और महिलायें मुद्रित और वितरित की गईं।

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की उपलब्धियां

- वर्ष 2001 में साक्षरता दर 1991 मे 52.21 प्रतिशत के मुकावले 65.38 प्रतिशत थी। इस अवधि में 13.17 प्रतिशत की वृद्धि किसी भी दशक की सर्वोच्च वृद्धि है।
- 31 मार्च 2003 तक 108.42 मिलियन लोगों को साक्षर बनाया गया।
- ग्रामीण क्षेत्रों की वृद्धि दर शहरी क्षेत्रों से अधिक है।
- पुरुष-महिला साखरता दर में अंतर 1991 के 24.84 प्रतिशत से घटकर 2001 में 21.70 प्रतिशत हो गया।
- पिछले दशक के दौरान महिला साक्षरता दर 148 प्रतिशत बढ़ी अर्थात 39.3 प्रतिशत से बढ़कर 54.16 हो गई, जबकि पुरुष साक्षरता दर केवल 11.72 प्रतिशत बढ़ी अर्थात 64.1 से बढ़कर 75 प्रतिशत हुई।
- लैंगिक समानता और महिला सशक्तीकरण भी दृष्टिगोचर हैं, क्योंकि 60 प्रतिशत सहभागी और लाभार्थी महिलाएं हैं।
- वर्ष 1991-2001 के दौरान सात वर्ष के बाद की आबादी 171.6 मिलियन बढ़ी है, जबकि इस दौरान 203.6 मिलियन अतिरिक्त लोग साक्षर बने।
- 1991-2001 के दौरान समस्त राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में निरपवाद रूप से, साक्षरता वृद्धि देखने को मिली है।
- समस्त राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में पुरुष साक्षरता दर अब 60 प्रतिशत से अधिक है। केरल की साक्षरता दर उच्चतम 90.92 प्रतिशत और बिहार की निम्नतम 47.53 प्रतिशत हुई है।
- निरक्षरों की निरपेक्ष संख्या में महत्वपूर्ण गिरावट आई है



अन्तर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस - 2003

- 8 सितम्बर, 2003 को विज्ञान भवन में एक राष्ट्र स्तरीय समारोह आयोजित किया गया। माननीय लोकसभा अध्यक्ष इसके मुख्य अतिथि थे। आन्ध्र प्रदेश और गुजरात के मुख्यमंत्री भी विशेष आमंत्रित अतिथि थे।
- उत्तर प्रदेश के त्वरित महिला साक्षरता कार्यक्रम में अपने उत्कृष्ट निष्पादन के लिये 31 स्वयंसेवी अध्यापकों को प्रशस्ति प्रमाण पत्र और ट्राफी प्रदान की गई।
- उत्तर प्रदेश में त्वरित महिला साक्षरता कार्यक्रम में अपने उत्कृष्ट निष्पादन के लिये तीन एनजीओ को प्रशस्ति प्रमाणपत्र दिये गये।
- बिहार में त्वरित महिला साक्षरता कार्यक्रम के लिये महिला-प्रशिक्षुओं को प्रेरित एवं जुटाने के लिये अपने कार्य हेतु पांच जिला मजिस्ट्रेटों, जो जिला सहकारी समितियों के अध्यक्ष भी हैं, जो प्रशस्ति प्रमाणपत्र दिये गये।
- 2003 के एनएलएम पुरस्कार जनशिक्षण संस्थान, मैसूर, राज्य संसाधन केन्द्र, तिरुअनंतपुरम और हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर, गढ़वाल को दिये गये।
- मुजफ्फरपुर बिहार को टीएलसी में उत्कृष्ट उपलब्धियों, बलिया उत्तर प्रदेश को साक्षरता-पश्च कार्यक्रम, गुंटूर आंध्र प्रदेश और बर्दवान प0 बंगाल को अनवरत शिक्षा कार्यक्रम के लिये सत्येन मित्रा मेमोरियल साक्षरता पुरस्कार, 2003 प्रदान किये गये।

यह संख्या 1991 में 328.88 मिलियन से घटकर 2001 में 296 मिलियन हो गई है।

- देश के कुल 600 जिलों में से 587 जिले साक्षरता कार्यक्रम के अधीन एनएलएम द्वारा परिधि में लाए गए हैं।

राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखण्ड राज्य साक्षरता दौड़ में पिछड़ते आ रहे हैं। अभियान शुरू होने से पहले इन राज्यों की निराशजनक साक्षरता दरें इस धीमी प्रगति के लिये उत्तरदायी है। इन दशाओं के लिये नये नये प्रयासों की जरूरत थी। फिर भी 2001 की जनगणना के अनंतिम आंकड़ों ने अत्यधिक उत्साहवर्धक प्रवृत्ति दिखाई है और यह प्रसन्नता की बात है कि साक्षरता वृद्धि दर इन राज्यों में अधिकांश अन्य राज्यों की तुलना में अधिक है। इस प्रकार प्रारंभिक धीमी सफलता के बावजूद इन राज्यों ने भी अभियान के सारे तत्व एवं भावना को प्राप्त किया है।

मिशन के साक्षरता कार्यक्रमों का दूसरा महत्वपूर्ण परिणाम गैर-साक्षरों की संपूर्ण संख्या में गिरावट आना रहा है। देश में आवादी की वृद्धि के प्रभाव को परीभूत करना एक साहसिक चुनौती थी। स्वतंत्रता के बाद पहली बार साक्षरता वृद्धि ने आबादी वृद्धि को पराजित किया है।

सामाजिक प्रभाव

साक्षरता अभियानों द्वारा उत्पन्न नारकीय सामाजिक जुटाव एवं गतिशीलता का अन्य सामाजिक क्षेत्रकों पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा है, विशेषकर महिलाओं की अधिकारिता, स्वास्थ्य एवं आबादी स्थायित्व एवं पर्यावरणिक जागरुकता के मामलों में। पंचायती राज संस्थाओं द्वारा प्रभावकारी सामाजिक कार्रवाई के लिये एक ढांचा प्रदान किया गया है। समाज में बोलने की आजादी को बढ़ावा देकर, विशेषकर अधिकार विहीन वर्गों में, जनतंत्रीय भागीदारी को समृद्ध बनाया गया है। अभियानों ने समाज में समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने और भारत की महान सामाजिक संस्कृति में वैज्ञानिक अभिरुचि एवं अपनत्व की भावना भरने तथा अनेकता में एकता की भावना जगाने का कार्य किया है।

9

माध्यमिक शिक्षा



राष्ट्रीय मुक्त स्कूल शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) ने, विषयों के चयन, स्वःशिक्षा, अन्य बोर्डों तथा राज्य मुक्त स्कूलों से क्रेडिटों के अन्तरण में शिथिलता की व्यवस्था की हैं। अपने माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक कार्यक्रमों के कार्यक्षेत्र का विस्तार करने के उद्देश्य से, एनआईओएस ने अन्य बातों के साथ-साथ, परीक्षाओं में बैठने वाले उम्मीदवारों के लिए सीधे ही पंजीकरण की व्यवस्था की है।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद

उद्देश्य

वर्ष 1961 में स्थापित राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद (रा.शै.अ.प्र.प.) एक शीर्ष संसाधन संगठन है, जिसका उद्देश्य केन्द्रीय और राज्य सरकारों को स्कूल शिक्षा से संबंधित शैक्षणिक मामलों पर सलाह और सहायता प्रदान करना है यह अपने विभिन्न संघटकों के माध्यम से स्कूल शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए शैक्षणिक तथा तकनीकी सहायता प्रदान करती है ये संघटक हैं: राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, नई दिल्ली के विभाग, केन्द्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली, पन्डित सुन्दर लाल शर्मा केन्द्रीय व्यवसायिक शिक्षा संस्थान, भोपाल, अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर और शिलांग स्थित क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, अपने लक्ष्य प्राप्त करने के उद्देश्य से रा.शै.अ.प्र. परिषद निम्नलिखित कार्य करती है:

स्कूल शिक्षा और शिक्षक शिक्षा की सभी शाखाओं में अनुसंधान आयोजित, प्रोत्साहित और उसका समन्वय करती है:

- शिक्षकों के लिए सेवा-पूर्व और सेवाकालीन प्रशिक्षण आयोजत करती है;
- शैक्षिक पुनर्गठन के कार्य में लगे संस्थानों, संगठनों और एजेन्सियों के लिए विस्तार सेवाओं का आयोजन करती है;
- सुधरी शैक्षिक तकनीकों, प्रथाओं और नवीनताओं का विकास व उनके संबंध में प्रयोग करती हैं;
- शैक्षिक सूचना एकत्र, संकलित, संसाधित करती है और उसका प्रसार करती है;
- अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों और अन्य देशों के राष्ट्र स्तरीय शैक्षिक संस्थाओं के साथ सहयोग करती है।

रा.शै.अ.प्र. परिषद निम्नलिखित पर विशेष ध्यान देती है: पाठ्य पुस्तकों, शिक्षक गाइडों, पूरक पठन सामग्री का विकास, पाठ्य पुस्तकों का मूल्यांकन, शैक्षिक प्रौद्योगिकी, परीक्षा सुधार, सर्व शिक्षा अभियान के लिए सहायता, शैक्षिक रूप से सुविधाविहीन की शिक्षा।

रा.शै.अ.प्र. परिषद ने विज्ञान शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, जनसंख्या शिक्षा, शिक्षक सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण के प्रोत्साहन के लिए चल रहे अपने सुपरिचित निम्नलिखित कार्यकलापों का आयोजन करना जारी रखा।

- बच्चों के लिए जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी
- राज्य स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनियों के लिए सहायता
- शिक्षक शिक्षा में नवीनताओं के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार
- स्कूल शिक्षा में नवीनताओं के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार
- व्यवसायिक शिक्षा में सर्वोत्तम प्रथाओं के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार
- एन पी ई पी के तहत जनसंख्या सप्ताह और अन्तर्राष्ट्रीय पोस्टर प्रतियोगिता
- राष्ट्रीय प्रतिभा खोज स्कीम
- महिला शिक्षा और विकास की प्रक्रिया के संबंध में प्रशिक्षण कार्यक्रम
- ईआरआईसी के माध्यम से शैक्षिक अनुसंधान और नवीनताओं के लिए सहायता
- केन्द्र प्रायोजित स्कीमें, एसओपीटी, एसएसए, ईजीएस और एआईई, वीईपी, एनपीईपी, ईटी का कार्यान्वयन
- ज्ञान दर्शन, तरंग और ज्ञानवाणी के माध्यम से दूरदर्शन/आकाशवाणी पर शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण/प्रसार
- राष्ट्रीय मूल्य शिक्षा संसाधन केन्द्र के कार्यकलाप
- नवीन सेवा-पूर्व पाठ्यक्रमः एम. एड. (प्रारम्भिक), चार वर्षीय बी.एस.सी., बी.एड., दो वर्षीय बी.एड., (माध्यमिक), मार्गदर्शन और परामर्श में स्नातकोत्तर डिप्लोमा
- सामुदायिक गायन कार्यक्रम और अन्तर-राज्य शिविर
- अखिल भारतीय स्कूल शिक्षा सर्वे (सातवाँ) प्रारंभ किया गया है।
- शैक्षिक अनुसंधानों का सर्वेक्षण प्रकाशनों का प्रकाशन इण्डियन एजुकेशनल रीव्यू, इण्डियन एजुकेशनल एब्सट्रेक्ट्स, जरनल आ इण्डियन एजुकेशन, भारतीय आधुनिक शिक्षा, स्कूल साइंस, दि प्राइमरी टीचर, प्राथमिक शिक्षक, जरनल आ वोकेशनल एजुकेशन तथा जरनल आ वैल्यू एजुकेशन।

स्कूल शिक्षा के विभिन्न पहलुओं के अन्तर्गत वर्ष के दौरान आयोजित किए गए प्रमुख कार्यक्रम निम्न प्रकार हैं:

वर्ष 2003 के दौरान रा.शै.अ.प्र.प. ने शेष कक्षाओं और विषयों के लिए पाठ्य पुस्तकें तथा अन्य शिक्षण-अध्ययन

सामग्री तैयार करना जारी रखा। प्राथमिक स्तर पर, भाषाओं (हिन्दी और अंग्रेजी), गणित, पर्यावरण अध्ययन के विषय में कक्षा पॉच के लिए शिक्षण सामग्री (कुल 8 शीर्षक) पूरी हो गई है। कक्षा आठ के लिए भाषाओं (हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत), समाज विज्ञान; विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी व गणित के विषय में पाठ्य पुस्तकें तथा पूरक रीडर भी तैयार किए जा रहे हैं। अन्य कक्षाओं के लिए विभिन्न विषयों में अनेक पूरक रीडर, कार्य पुस्तकें आदि भी तैयार की गई शिक्षकों के लिए विभिन्न विषयों मैं तैयार किए गए। शिक्षकों के लिए ग्यारह हैण्डबुक तथा अपर प्राइमरी, माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों के लिए विभिन्न विषयों में तीन प्रशिक्षण पैकेज विकिसत किए गए। सभी पाठ्यपुस्तकों का तर्कसंगत व आनुभाविक मूल्यांकन कार्य चल रहा है।

प्रारम्भिक शिक्षा

शिशु देख-रेख और शिक्षा के विषय में नवीनताओं के संबंध में मामला अध्ययनों की रिपोर्टे पूरी हो गई हैं। ए ट्रेनर्स हैण्डबुक एण्ड थ्योरी एण्ड प्रेक्टिसः ए करीकुलम गाइड फार प्री-स्कूल एजुकेशन, ए रिसोर्स बुक आन एजुकेशन फार लाइफ, एजुकेशन गारंटी स्कीम (ई जी एस) के अनुदेशकों के लिए प्रशिक्षण संहिता/आल्टरनेटिव इन्नोवेटिव एजुकेशन (एआईइ) का निर्माण कार्य चल रहा है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत, पहले से विकसित प्रारंभिक शिक्षा की कोटि सुधार हेतु 10 माड्यूलों का मुद्रण किया जा रहा है। प्रारंभिक शिक्षा के गुणवत्ता आयाम का मानीटरन करने के लिए साधनों (टूलों) का एक सैट विकसित किया गया है तथा उसका देश भर में इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रशिक्षण के क्षेत्र में, पूर्वोत्तर राज्यों के प्रमुख कार्यकर्ताओं के लिए ईसीसीई में एक कार्यक्रम चागलंग में आयोजित किया गया तथा अन्य राज्यों के लिए ऐसा ही कार्यक्रम वर्ष के दौरान दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। नई शिक्षण सामग्री में शिक्षकों का पुनःस्थापन तथा दो राष्ट्रीय बैठकें - एक मूलभूत अधिकारों के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर तथा एक अन्य प्रारम्भिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण में समुदाय की भूमिका पर भी आयोजित की जाएंगी। प्रयोगात्मक और मूल्य शिक्षा के चल रहे कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यक्रमों का आयोजन जारी रहेगा। एसएसए के अन्तर्गत, वार्षिक योजनाएं कार्यान्वित करने और वार्षिक शिक्षा योजनाओं (डीईईपी) को अन्तिम रूप देने में राज्यों को संसाधन सहायता प्रदान की जाती है। ईजीएस/एआईई के अन्तर्गत परियोजना प्रस्तावों का मूल्यांकन, इसीसीई और प्रारम्भिक शिक्षा में रा.शै.अ.प्र. परिषद संसाधन केन्द्र को सज्जित करने, नए शीर्षक प्राप्त करने और राष्ट्रीय प्रलेखन यूनिट में डाटाबेस सृजित करने का काम प्रगति पर है।



विशेष जरूरतों वाले बच्चों की शिक्षा

जो अनुसंधान अध्ययन प्रगति पर हैं उनमें निम्नलिखित शामिल हैं: पूर्व-प्राथमिक, प्राथमिक तथा अपर प्राथमिक सतरों पर सम्मिलित कक्षाओं का उभरता आकार, विभिन्न राज्यों में विशेष शैक्षिक जरूरतों वाले बच्चों की शिक्षा के लिए कार्यक्रम और अभ्यास, सम्मिलित स्कूल शिक्षा प्रोत्साहित करने के लिए नवीन शिक्षण कार्यनीतियों की कारगरता-एक मूल्यांकन अध्ययन, तथा सम्मिलित शिक्षा प्रोत्साहित करने के लिए अभिभावक-शिक्षक एसोसिएशन की भूमिका। विशेष जरूरतों वाले बच्चों के परिप्रेक्ष्य से डीआईइटी की शिक्षक शिक्षा पाठ्यचर्या को सुदृढ़ करने का कार्य पूरा हो गया है तथा रिपोर्ट तैयार की जा रही है। दृष्टि बाधा वाले बच्चों के लाभार्थ ब्रेल प्रदर्शन टर्मिनलों के उपयोग और सम्मिलित शिक्षा में राज्य स्तरीय प्रमुख व्यक्तियों को प्रशिक्षित भी किया गया है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अल्पसंख्यक बच्चों की शिक्षा

सामाजिक सुविधाविहीन समूहों से बच्चों को शिक्षित करने के



लिए दृष्टिकोणों और कार्यनीतियों के संबंध में मामला अध्ययन तथा हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति के बच्चों की शिक्षा से संबंधित समस्याओं का सर्वेक्षण तथा उनके समाधान के लिए कार्यनीतियों के बारे में कार्य प्रगति पर है। पूर्वोत्तर राज्यों के सामाजिक सुविधाविहीन समूहों के बच्चों के लिए पाठ्यचर्या के प्रभावी कार्यान्वयन में राज्य स्तरीय प्रमुख संसाधन व्यक्तियों के लिए अनुस्थापन कार्यक्रम, जनजातीय क्षेत्रों से बच्चों को शिक्षित करने के लिए शिक्षाशास्त्र-परिदृश्य और मुद्दे पर सेमिनार और अल्पसंख्यकों की शिक्षा के संबंध में राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है।

सामाजिक विज्ञानों तथा मानविकी में शिक्षा

कक्षा आठ के लिए पाठ्यपुस्तकें, शिक्षक हैण्डबुक तथा प्रशिक्षण पैकेज तैयार करने के अलावा, रा.शै.अ.प्र. परिषद ने अनेक पाठ्यपुस्तकें मुद्रणार्थ संशोधित और अद्यतन बनाई। विशेषज्ञों तथा कार्यरत शिक्षकों द्वारा पाठ्यपुस्तकों का मूल्यांकन किया जा रहा है। भाषा शिक्षा और एकीकृत समाज विज्ञानों पर राष्ट्रीय सेमिनार तथा चार प्रशिक्षण कार्यक्रम संसाधन व्यक्तियों व शिक्षकों के लिए, अंग्रेजी, हिन्दी, संस्कृत और भूगोल में आयोजित किए जाएंगे। प्राथमिक स्तर पर एक विषय के रूप में इन्ट्रोडक्शन आफ इंग्लिश नामक एक दो वर्षीय अनुसंधान अध्ययन और अध्ययनकर्ताओं के भावात्मक, सामाजिक तथा बोधात्मक विकास पर इसके प्रभाव के बारे में अध्ययन यह पता लगाने के लिए किया जा रहा है कि वे बाध्यकर कारक कौन से हैं जिनकी वजह से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर कक्षा एक से अंग्रेजी लागू करना जरूरी हो गया।

राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना

प्रोजेक्ट स्टेट्स सर्वेज (1990-2000) पर एक समेकित रिपोर्ट को अन्तिम रूप दिया गया। राज्य परियोजना कार्मिकों के लिए जनसंख्या और शिक्षा पर प्रशिक्षण सामग्री तैयार की गई। राष्ट्रीय किशोरावस्था जरूरत सर्वेक्षण पर कार्य चल रहा है। जनसंख्या के संबंध में एक राष्ट्रीय स्रोत पुस्तक का कार्य प्रगति पर है। राज्य संसाधन व्यक्तियों के लिए किशोरावस्था शिक्षा में कौशल विकास पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, परियोजना प्रगति समीक्षा, मानीटरन व प्रलेखन कार्यकलाप आयोजित किए जा रहे हैं।

विज्ञान और गणित में शिक्षा

भौतिकी, रसायनशास्त्र, जीवविज्ञान में प्रयोगशाला मैनुअल और कक्षा आठ के लिए विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और गणित में पाठ्यपुस्तकें (हिन्दी और अंग्रेजी रूपान्तर) तैयार करने के अलावा और पाठ्यपुस्तकों के मूल्यांकन के अलावा, रा.शै.अ.प्र. परिषद ने संसाधन व्यक्तियों के लिए अनेक प्रशिक्षण/अनुसंधान

कार्यक्रम आयोजित किए और माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर पर गणित और विज्ञान के अनेक व्यापक अध्ययन आयोजित कर रही है। बच्चों के लिए जवाहरलाल नेहरू विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन देहरादून में किया जाएगा।

शैक्षिक सर्वेक्षण और डाटा संसाधन

सातवें अखिल भारत स्कूल शिक्षा सर्वेक्षण (सातवां एआईएसईएस) के तहत डाटा संग्रहण और इसकी जाँच-पड़ताल का काम लगभग पूरा होने वाला है। सातवें एआईएसईएस की प्रथम रिपोर्ट प्रोविजनल स्टेटिस्टिक्स-ए फ्लेश वर्ष के दौरान जारी किए जाने की आशा है। साफ्टवेयर का विकास तथा रा.शै.अ.प्र. परिषद के अन्य संघटकों द्वारा आयोजित परियोजनाओं के डाटा का विश्लेषण कार्य शुरु किया गया है।

कम्प्यूटर शिक्षा

स्कूलों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग के संबंध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से शिक्षक प्रशिक्षकों/प्रमुख संसाधन व्यक्तियों के लिए अनेक अनुस्थापन कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं जिनमें से कुछेक मात्र अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और पूर्वोत्तर राज्यों के शिक्षकों के लिए थे। एनआईई कैम्पस में संकाय सदस्यों के लिए दो प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। एक, पावर पाइंट प्रेजेन्टेशन (दो दिन) पर तथा एक अन्य सामान्य आईटी कौशलों पर (एक सप्ताह)। घ-समूह से संबंधित 25 कर्मचारियों के लिए बुनियादी कम्प्यूटिंग कौशलों पर एक सप्ताह का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस वर्ष दो और कार्यक्रम, एक प्रशासनिक/मंत्रालयीय स्टाफ के लिए और एक अन्य समूह-घ स्टाफ के लिए, आयोजित किए जाएंगे। एक सप्ताह के दो कार्यक्रमों में, 10-15 आयु वर्ग के बीच कुल 55 स्कूली बच्चों को, जिन्हें घर पर अथवा स्कूलों में कम्प्यूटर शिक्षा सुलभ नहीं थी, बुनियादी कम्प्यूटर प्रचालनों में प्रशिक्षित किया गया। कक्षा नौ के लिए गणित की कठिन अवधारणाओं से संबंधित लोकस नामक मल्टीमीडिया साफ्टवेयर के लिए कार्यात्मक विनिर्देश तथा पाण्डुलिपि विकसित की गई है। अन्य विषयों तथा ग्रेड स्तरों के संबंध में मल्टीमीडिया शैक्षिक साफ्टवेयर के लिए विषयों का विनिर्धारण व पाण्डुलिपियों का विकास कार्य प्रगति पर है। माइलस्टोन्स इन जेनेटिक्स, रे आप्टिक्स, वेव आप्टिक्स, केमिकल बोन्डिंग और मोलेक्युलर स्ट्रक्चर्स, फोटोसिनथेसिस तथा हायार्की आफ बायोलोजिकल आर्गनाइजेशन नामक कार्यक्रम सम्भवतः सीडी पर उपलब्ध हो जाएंगे।

माप और मूल्यांकन

जो अध्ययन प्रगति पर हैं उनमें निम्नलिखित शामिल हैं: कक्षा तीन के अन्त में, प्राथमिक स्तर, अपर प्राइमरी स्तर और बेसलाइन सर्वेक्षण के अन्त में उपलब्धि स्तर, स्कूल आधारित मूल्यांकन स्कीम के कार्यान्वयन का अनुवर्ती अध्ययन, दिल्ली के माध्यमिक स्कूलों की प्रभावशीलता को प्रभावित करने वाले कारक तथा राज्यों के बीच स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों पर मूल्यांकन प्रथाओं का एक अध्ययन विकसित किए जा रहे प्रलेखों में सम्मिलित हैं: स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय परीक्षा सुधार रूपरेखा, शैक्षिक मूल्यांकन में नीतिगत परिप्रेक्ष्य, विभिन्न देशों में मूल्यांकन प्रथाओं के संबंध में विनिबंध और सार्वजनिक परीक्षा में ग्रेड पद्धति लागू करने के लिए कार्यान्वयन नीतियां। प्रश्न-पत्र निर्धारण/सतत और व्यापक शिक्षा/ग्रेड पद्धति में क्षमता निर्माण के जरिए विभिन्न एजेन्सियों के साथ प्रशिक्षण अन्तर-संयोजन के तहत, ग्रेड पद्धति के संबंध में माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा बोर्डों के अध्यक्षों का एक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है।

अध्यापक शिक्षा

उन्नत शिक्षा अध्ययन संस्थानों और शिक्षक शिक्षा कालेजों के संबंध में एक मूल्यांकन अध्ययन तथा माध्यमिक स्तर पर अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के संबंध में एक अनुसंधान अध्ययन आयोजित किया गया। स्कूल स्तर पर विभिन्न राज्यों में पालन की जाने वाली पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम का सर्वेक्षण भी पूरा हो गया है। एनसीएफएसई 2000 में यथापरिलक्षित उभरते मुद्दों और चिन्ताओं को ध्यान में रखते हुए एनसीईआरटी स्वः अध्ययन सामग्री, अध्यापक शिक्षा में परिप्रेक्ष्यों के संबंध में सामग्री और माध्यमिक अध्यापकों के लिए विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के संबंध में विषय-वस्तु आधारित स्वः अध्ययन सामग्री विकसित कर रहे हैं। क्षमता निर्माण कार्यक्रम के एक भाग के रूप में, आईएएसई, एससीईआरटी, डीआईईटी के अध्यापक शिक्षकों और एसएसए प्रशिक्षण घटकों के प्रभारी कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके अलावा, अध्यापक शिक्षा में उभरते मुद्दों और चिन्ताओं के संबंध में अध्यापक शिक्षकों और एससीईआरटी के निदेशकों का एक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। एक स्कूल आधारित समेकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा ताकि एक स्कूल आधारित प्रशिक्षण प्रक्रिया विकसित की जा सके।

विशेष जरूरतों वाले बच्चों के परिप्रेक्ष्य में डीआईईटी की अध्यापक शिक्षा पाठ्यचर्या को सुदृढ़ करने का काम पूरा हो



विशेष जरूरतों वाले बच्चों के परिप्रेक्ष्य में डीआईईटी की अध्यापक शिक्षा पाठ्यचर्या को सुदृढ़ करने का काम पूरा हो गया है। राज्य स्तरीय प्रमुख व्यक्तियों को समावेशी शिक्षा तथा दृष्टि बाधा वाले बच्चों के लाभार्थ ब्रेल प्रदर्शन टर्मिनलों के उपयोग में भी प्रशिक्षित किया गया है।

गया है। राज्य स्तरीय प्रमुख व्यक्तियों को समावेशी शिक्षा तथा दृष्टि बाधा वाले बच्चों के लाभार्थ ब्रेल प्रदर्शन टर्मिनलों के उपयोग में भी प्रशिक्षित किया गया है।

एनसीईआरटी अपने अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर और मैसूर स्थित चार क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानों में पंचवर्षीय एकीकृत बी.एस.सी., बी.एड./बी.एस.सी., बी.एड. पाठ्यक्रम, विज्ञान और मानविकी में दो वर्षीय बी.एड. (माध्यमिक) पाठ्यक्रम और मार्गदर्शन व परामर्श में एक वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम का संचालन करती है। प्रदर्शन स्कूल, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानों के अभिन्न हैं जिससे कि भावी अध्यापकों को व्यावहारिक अनुभव प्रदान किया जा सके और वे एनसीईआरटी द्वारा तैयार की गई नई परिपाटियों और अनुभवों के संबंध में प्रयोगशाला के रूप में कार्य कर सकें। कोटि शिक्षा के विभिन्न पहलुओं में एनसीईआरटी/डीआईईटी/सीटीई/आईएएसई के संकाय सदस्यों और प्रिंसिपलों/प्रमुख संसाधन व्यक्तियों/अध्यापक शिक्षकों आदि के लिए अनेक सेवाकालीन प्रशिक्षण/अनुस्थापन/व्यावसायिक विकास कार्यक्रम आयोजित किए गए।

राष्ट्रीय प्रतिभा खोज (एनटीएस)

एक हजार छात्रवृत्तियां, अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए 150 और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 75 छात्रवृत्तियों सहित, प्रदान की गई। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा (एनटीएसई 2003) में प्रयुक्त परीक्षणों का विश्लेषण किया गया। एनटीएस प्राप्तकर्ताओं के लिए परिपोषण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

शैक्षिक अनुसंधान

ईआरआईसी संवीक्षा-सह-प्रगति मानीटरन समिति ने वर्ष के दौरान ईआरआईसी वित्तपोषण हेतु 3 नई अनुसंधान परियोजनाओं की सिफारिश की। ईआरआईसी द्वारा वित्त पोषित दो अनुसंधान परियोजनाएं तथा 5 लघु परियोजनाएं पूरी हो गईं तथा 46 प्रगति पर हैं तथा दो पीएचडी शोध निबन्धों के प्रकाशनार्थ आंशिक वित्तीय सहायता प्रदान की गई। अध्यापक निर्माण के संबंध में मल्टी-सेन्ट्रिक अध्ययन तथा शिक्षा के विकेन्द्रीकरण के तहत साधनों के विकास पर एक कार्यशाला आयोजित की गई तथा एक समान मार्ग निर्देश तैयार किए गए हैं। शैक्षिक अनुसंधान अध्ययनों और पत्रों के संबंध में सामग्री का संकलन तथा सम्पादन किया गया ताकि विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत इंडियन एजुकेशन एब्सट्रेक्ट्स विकसित किए जा सकें।

माध्यमिक शिक्षकों के बीच कार्रवाई अनुसंधान आयोजित करने के लिए क्षमता निर्माण के अन्तर्गत पहले बैच के संबंध में कार्य पूरा हो गया है। प्रशिक्षार्थियों ने, प्रशिक्षण के अनुवर्ती के रूप में उनके द्वारा आयोजित कार्रवाई अनुसंधानों की रिपोर्टें भेजी हैं, अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के सहयोग से प्रशिक्षण के दूसरे बैच की तैयारी की जा रही है। डीआईईटी संकाय के लिए एक अनुसंधान प्रक्रिया पाठ्यक्रम (स्तर।), एससीईआरटी, महाराष्ट्र के सहयोग से, शीघ्र ही आयोजित किया जाएगा। शैक्षिक अनुसंधान के छठे सर्वेक्षण की सामग्री, जो वर्ष 1993-2001 के लिए शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित अनुसंधानों के संबंध में प्रवृत्ति रिपोर्टों के साथ विशेषज्ञों से प्राप्त हुई थी, सर्वेक्षण के प्रथम खण्ड के प्रकाशनार्थ सम्पादित की गई। भारतीय विश्वविद्यालयों में शिक्षा में एम.फिल. और पी.एच.डी. अनुसंधान कार्य की कोटि का मूल्यांकन करने के लिए मापदण्ड और अनुसंधान कार्यनीति विकसित करने के लिए एक कार्यशाला आयोजित की गई। राज्यों में शैक्षिक निर्णय निर्माण में परामर्श तंत्र का अध्ययन और सफल स्कूल प्रबंधन का अध्ययन कुछ नवोदय विद्यालयों का एक मामला अध्ययन प्रगति पर है और अधिक मल्टीसेन्ट्रिक अध्ययन आयोजित करने के लिए प्राथमिकतापूर्ण क्षेत्रों में अनुसंधान डिजाइन तैयार करने के वास्ते एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की जाएगी।

शैक्षिक प्रौद्योगिकी

गैर-औपचारिक शिक्षा के संबंध में वीडियो कार्यक्रमों की महत्त्वपूर्ण श्रृंखला के अन्तर्गत, मूल्य शिक्षा के संबंध में वीडियो स्पाट, ग्रेडिंग और औषधि पौधों की श्रृंखला के संबंध में कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क के संबंध में आडियो कार्यक्रमों

की महत्वपूर्ण् श्रृंखला, बहुरूप गांधी पर श्रृंखला, बच्चों को वर्णमाला सिखाने के लिए प्रारंभिक हिन्दी पर श्रृंखला और युवा बच्चों के लिए उमंग श्रृंखला के अन्तर्गत कार्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं। स्वस्थ और उत्पादक रहन-सहन तथा शिशु शिक्षा के विषय क्षेत्रों में, भूमि और लोग श्रृंखला, हमारी सरकार श्रृंखला, गणित संबंधी कार्यक्रमों आदि के तहत पाण्डुलिपियां विकसित की गई हैं। वर्ष के अन्त तक लगभग 120 ईटीवी कार्यक्रम और 150 आडियो कार्यक्रम तैयार किए जाने हैं। स्कूल शिक्षा में वीडियो तथा आडियो कायक्रमों के लिए विषयों का विनिर्धारण करने के वास्ते कार्यदल की एक बैठक आयोजित की गई। मल्टीमीडिया पाण्डुलिपि लेखन तथा शैक्षिक प्रौद्योगिकी अवधारणा और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए परिपाटियों के संबंध में प्रशिक्षण कार्यक्रम शीघ्र ही आयोजित किए जाएंगे। अति मीडिया की स्थिति और ज्ञान दर्शन पर ईटीवी कार्यक्रमों के प्रसारण की कारगरता पर अनुसंधान अध्ययन प्रगति पर हैं। मीडिया कार्यक्रमों का वीडियो उत्सव आयोजित करने की योजना है।

व्यावसायिक शिक्षा

एनसीईआरटी ने, नागालैण्ड राज्य के लिए व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम (वीईपी) के विकास के लिए कार्यक्रम आयोजित किए; कृषि आधारित परियोजनाओं के संग्रह का निर्माण पर परियोजना की समीक्षा की; पेपर बैग तैयार करने के लिए एक माड्यूल विकसित किया; निम्न-दृष्टि तकनीक पर पाठ्यचर्या की पाण्डुलिपि का मसौदा तैयार किया; औषधीय तथा सुगंधित पौधों के संबंध में तीन माड्युलर पाठ्यचर्याओं के लिए दक्षता तथा निष्पादन मापदण्ड विकसित किए। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और केरल राज्यों में एनजीओ द्वारा नवीन वीईपी के कार्यान्वयन के तीन मामला अध्ययन किए गए। व्यावसायिक शिक्षकों के लिए पांच शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा मध्य प्रदेश, बिहार, कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश के प्रमुख कार्यकर्ताओं के लिए चार अनुस्थापन कार्यक्रम (ओपी) और पीएसएससीआईवीई संकाय के लिए दो अनुस्थापन कार्यक्रम आयोजित किए गए तथा कुछ और कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वीई में सर्वोत्तम प्रथाओं के लिए एनसीईआरटी अवार्ड 2003 प्रदान किए गए।

राष्ट्रीय बैठक और क्षेत्रीय सेमिनारों की तीन रिपोर्टें, कृषि में लघु उद्यम स्थापित करने के लिए परियोजना का सार-संग्रह; पर्यावरण शिक्षा तथा जेनेटिक व्यावसायिक पाठ्यक्रम पर तीन शिक्षण सामग्री (पाठ्यपुस्तक और अभ्यास मैनुअल); यात्रा और पर्यटन, गेरोनटोलाजी, मानसिक अवरुद्धता के संबंध में तीन माड्यूल तथा कर्नाटक में वीईपी की सफलता कहानियां प्रकाशित की गइ। वीई के संबंध में त्रैमासिक बुलेटिन का एक अंक प्रकाशित किया गया। हिन्दी पखवाड़ा आयोजित किया गया। आयोजित किए जा रहे कुछ अन्य कार्यक्रमों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं: आन्ध्र प्रदेश राज्य में सफलता कहानियों का संग्रह, और आजीविका आयोजन, शिक्षाशास्त्र के लिए शैक्षिक और व्यावसायिक सूचना पद्धति का विकास, व्यावसायिक शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण पैकेज, वीईपी के लिए डाटाबेस, प्रश्न बैंक पर साफ्टवेयर, दक्षता आधारित व्यावसायिक पाठ्यक्रम, सामान्य फाउन्डेशन पाठ्यक्रम के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के संबंध में शिक्षण सामग्री, व्यावसायिक पाठ्यचर्या के माड्यूल, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षण सामग्री तथा व्यवसाय-पूर्व माड्यूल।

शैक्षिक मनोविज्ञान

इन्ट्रोडक्शन टू साइकोलोजी, भाग-1 नामक मनोविज्ञान की पुस्तकों (कक्षा ग्यारह के लिए) और भाग-2 (कक्षा बारह के लिए) का मूल्यांकन किया जा रहा है। तर्कसंगत तथा आनुभाविक मूल्यांकन के लिए साधन विकसित किए गए हैं तथा विनिर्धारित विशेषज्ञों व शिक्षकों के पास भेजे गए हैं। नमूने के कुछ स्कूलों के अध्यापकों को साधनों और मूल्यांकन की प्रक्रिया के बारे में जानकारी भी दी गई।

मार्गदर्शन और परामर्श 2003-04 (आमने-सामने विधि) में द्वितीय अन्तर्राष्ट्रीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम के संबंध में कार्य शुरू किया गया। एनसीईआरटी वेबसाइट के माध्यम से सूचना पुस्तिकाएं और आवेदन-पत्र, अनेक एशियाई और अफ्रीकी देशों, राजदूतावासों/हाई कमीशनों को भेजे गए। प्रायोजन प्राप्त करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय वित्तपोषण एजेन्सियों के साथ भी कार्य शुरू किया गया है। पाठ्यचर्या जरूरतों के ब्योरे और पाठ्यक्रम की प्रक्रियाओं और पाठ्यविवरण का ब्योरा देते हुए सीओएल साथ सहयोग से दूरस्थ/आनलाइन विधि के माध्यम से, मार्गदर्शन और परामर्श में एक अन्तर्राष्ट्रीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू करने का एक प्रस्ताव तैयार किया गया है।

राष्ट्रीय शैक्षिक तथा मनोवैज्ञानिक परीक्षण पुस्तकालय (एनसीईआरटी) तथा मार्गदर्शन व परामर्श प्रयोगशाला को संकाय व प्रशिक्षार्थियों के उपयोगार्थ समृद्ध व सुदृढ़ बनाया जाना जारी रहा। स्कूल शिक्षा के लिए प्रासंगिक मनोवैज्ञानिक संकल्पनाओं और रीति वैज्ञानिक मुद्दों के भारतीय परिप्रेक्ष्य के संबंध में एक राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया जाएगा।

मूल्य शिक्षा

एजुकेशनल फिलोसाफी आफ इण्डियन थिंकर्स सीरीज पर विनिबंधः श्री अरविन्द, स्वामी विवेकानन्द, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, दयानन्द सरस्वती, जाकिर हुसैन, मदर टेरेसा, भगत पूरण सिंह, शुरू किए गए हैं। विनिबनध की संरचना, लेखकों लिए मार्गदर्शी रूपरेखा और सम्भावित लेखकों का विनिर्धारण, साहित्य की समीक्षा और कमियों का पहचान कार्य कर लिया गया है।

मूल्य शिक्षा में अनुसंधान और नूतनताएं प्रोत्साहित करने के अन्तर्गत आठ नए प्रस्ताव और 15 संशोधित प्रस्ताव प्राप्त हुए तथा संवीक्षा समीक्षा द्वारा उनकी जाँच-पड़ताल की गई। पांच अनुसंधान प्रस्ताव वित्तपोषण हेतु अनुमोदित किए गए। विनिबन्धों के विकास में पालन की जाने वाली विषयवस्तु रूपरेखा संरचना, फार्मेट, बल और कार्यनीतियां तैयार की गई। लेखकों द्वारा अनेक विनिबन्ध प्रायोजित किए जा रहे हैं जिनमें शामिल हैं: प्रजातन्त्र के मूल्य, स्कूल पर्यावरण और मूल्य; स्कूल-समुदाय अन्योन्यक्रिया तथा मूल्य; समावेशी स्कूल शिक्षा के संदर्भ में मूल्य पैदा करना; बच्चों के अधिकार; मूल्य संघर्ष और शान्ति; वैज्ञानिक प्रवृत्ति के मूल्य; मनुष्य और प्रकृति के बीच सामन्जस्य कायम करना; बहुवादी सोसायटी में सामन्जस्यपूर्ण रहन-सहन; सौन्दर्यपरक मूल्य; भारत की विभिन्न संस्कृतियों की समानताएं; भारत के उत्सव और परिवार मूल्य।

विषय विशेष पर आधारित, जैसे कि प्रजातंत्र के मूल्य, पर्यावरणीय मूल्य, विज्ञान तथा वैज्ञानिक प्रवृत्ति के मूल्य आदि पर विशेष अंक प्रकाशित किए गए।

बालिका शिक्षा

ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत महिला शिक्षकों के उनके सामने प्रस्तुत समस्याओं के बोध, के संबंध में बालिका और आजीविका चयन से संबंधित मुद्दों और कुटीर उद्योगों में कार्यरत महिला उद्यमियों के संबंध में अध्ययन प्रगति पर हैं। भारत में महिला शिक्षा के संबंध में नीतिगत परिप्रेक्ष्य के संबंध में विकास तहत लेख प्रगति पर हैं। बालिका शिक्षा, क्षमता निर्माण और सहयोग के लिए सशक्तिकरण तथा सूचना प्रसार के संबंध में कार्यरत संगठनों के संबंध में नेटवर्किंग हेतु समय सारणियां तैयार की गई हं तथा प्रतिक्रियाएं संकलित की जा रही हैं। शिक्षकों के लिए दूरस्थ विधि के माध्यम से, जैसेकि बालिका शिक्षा और जेण्डर मुद्दों में सकारात्मक हस्तक्षेपकर्ताओ के प्रशिक्षक प्रशिक्षण हेतु माड्यूल और दूरस्थ विधि के माध्यम से छात्राओं के मार्गदर्शन और परामर्श हेतु माड्यूल तैयार किए जा रहे हैं। प्रख्यात भारत की प्रतिक्रियाओं के संबंध में सामग्री एकत्र की जा रही है। दूरस्थ विधि के माध्यम से छात्राओं के बीच विश्वास क्षमता निर्माण हेतु महिला और हस्तक्षेपणीय उपायों के बारे में चिन्तक/महिला शिक्षा और विकास की प्रक्रिया के संबंध में तेरहवां छः सप्ताह प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम 4 अगस्त से 1 सितम्बर 2003 तक आयोजित किया गया। सूचना पुस्तिका तथा प्रशिक्षण मैनुअल तैयार किए गए। चर्चा पत्र का मसौदा तैयार करने व महिला अधिकारिता के उभरते आयामों के संबंध में राष्ट्रीय परामर्श हेतु अन्य प्रारंभिक तैयारी का काम प्रगति पर है।

अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग

एनसीईआरटी ने, स्कूल शिक्षा और अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में द्विपक्षीय सांस्कृतिक शैक्षिक विनिमय कार्यक्रम (सीईईपी) के कार्यान्वयन हेतु एक प्रमुख एजेन्सी के रूप में कार्य करना जारी रखा। एनसीईआरटी संकाय के अनेक सदस्यों को, अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियों द्वारा प्रायोजित अथवा शैक्षिक आदान-प्रदान के तहत अन्य देशों में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए भेजा गया। एनसीईआरटी संकाय सदस्यों ने अनेक देशों से एनसीईआरटी का दौरा करने वाले प्रतिनिधियों/शिक्षाविदों और शिक्षकों के साथ विचार-विमर्श किया।

हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहन

एनसीईआरटी के घटकों में दिन-प्रतिदिन के काम में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, लिपिकों, आशुलिपिकों और वैयक्तिक सहायकों के लिए हिन्दी कार्यशालाएं आयोजित की गई, राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक, प्रगति का जायजा लेने के लिए एनसीईआरटी घटकों का निरीक्षण व हिन्दी पखवाड़ा आयोजित किया गया। अनेक प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं तथा पखवाड़े के दौरान पुरस्कार प्रदान किए गए।

प्रकाशन और प्रसार

आलोच्य अवधि के दौरान, स्कूली पाठ्यपुस्तक, कार्यपुस्तक, पूरक रीडर, शिक्षक गाइड, व्यावसायिक शिक्षा में उत्कृष्ट शिक्षण सामग्री, अनुसंधान रिपोर्ट/विनिबंध सहित लगभग 400 प्रकाशन प्रकाशित किए गए तथा शैक्षिक पत्रिकाएं आदि प्रकाशित की गई।

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड



एनसीईआरटी न स्कूल शिक्षा और अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में द्विपक्षीय सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम (सीईईपी) के कार्यान्वयन के लिए एक प्रमुख एजेन्सी के रूप में कार्य करना जारी रखा।

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तत्वावधान में कार्यरत एक स्वायत्त निकाय है। यह देश का दूसरा सबसे पुराना बोर्ड है जोकि 1929 में स्थापित किया गया था। सीबीएसई के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैः

- देश में संस्थाओं को सं बंधन प्रदान करना और पाठ्यक्रम निर्धारित करना।
- कक्षा 10 और 12 के अन्त में वार्षिक परीक्षाएं आयोजित करना और सफल छात्रों को अर्हक प्रमाण-पत्र प्रदान करना।
- सीबीएसई के साथ सरकारी, सरकारी सहहायता प्राप्त तथा निजी/स्वतंत्र स्कूल सम्बद्ध हैं।

31 मार्च 2004 की स्थिति के अनुसार, विश्व के 19 अन्य देशों में स्थित स्कूलों सहित भारत में 7176 स्कूल सम्बद्ध हैं (केवीएस/एनवीएस से सेचना के आधार पर संशोधित) इनमें से 902 केन्द्रीय विद्यालय, (केवीएस से संकलित), 1703 सरकारी, 4049 स्वतन्त्र, 508 जवाहर नवोदय विद्यालय (एनवीएस से संकलित) और 14 केन्द्रीय तिब्बती स्कूल हैं।

वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल परीक्षा (कक्षा बारह) 2003

- परीक्षा की अवधि : 3 मार्च - 5 अप्रेल 2003
- परिणाम घोषित होने की तारीख : अजमेर, चण्डीगढ़, चैन्नई, गुवाहाटी, दिल्ली और इलाहाबाद : 23 मई 2003
- वर्ष 2003 में बारहवीं कक्षा परीक्षा के लिए पंजीकृत उम्मीदवारों की कुल संख्या 366363 थी, जबकि 2002 के दौरान यह संख्या 342851 थी, जो विगत वर्ष की तुलना में लगभग 6.86 प्रतिशत वृद्धि का द्योतक है।
- नियमित उम्मीदवारों का पास प्रतिशत 78.33 था तथा प्राइवेट और पत्राचार उम्मीदवारों का प्रतिशत 30.34 था।
- लड़कों की कुल पास प्रतिशतता 68.62 थी जबकि लड़कियों की 80.33 थी।
- 2003 में उम्मीदवारों की कुल पास प्रतिशत 73.59 थी।

माध्यमिक स्कूल परीक्षा (कक्षा दस) 2003

- परीक्षा की अवधि : 3 मार्च से 22 मार्च 2003
- परिणाम घोषित होने की तारीख : 24 मई 2003 (अजमेर, चण्डीगढ़, चैन्नई, इलाहाबाद, दिल्ली और गुवाहाटी);
- कक्षा दस के लिए इस वर्ष पंजीकृत उम्मीदवारों की कुल संख्या 562129 थी जबकि 2002 के दौरान यह संख्या 530401 थी, जो विगत वर्ष की तुलना में लगभग 6 प्रतिशत वृद्धि का द्योतक है।
- नियमित छात्रों का कुल पास प्रतिशत 72.65 था तथा प्राइवेट और पत्राचार उम्मीदवारों का प्रतिशत 29.6 था।
- लड़कों की कुल पास प्रतिशतता 67.49 थी जबकि लड़कियों की प्रतिशतता 68.75 थी।
- वर्ष 2003 में उम्मीदवारों की समग्र पास प्रतिशतता 68.2 थी।

परीक्षाओं (2003) की विशेषताएं

- पहली बार सीबीएसई की कक्षा दस और बारह के परिणाम, फोन-इन सुविधाओं, इन्टरएक्टिव वायस रेस्पोंस सिस्टम, ई-मेल और इन्टरनेट के अलावा, एसएमएस के माध्यम से उपलब्ध कराए गए।
- शारीरिक विकलांग, दृष्टिहीन और अक्षम उम्मीदवारों को और अधिक रियायतें प्रदान की गई। कक्षा दस की गणित और विज्ञान परीक्षाओं में बैठने वाले दृष्टिहीन उम्मीदवारों के लिए बड़े मुद्रण में पृथक प्रश्न पत्र उपलब्ध कराए गए। जहाँ ऐसे उम्मीदवार अध्ययन कर रहे थे उन स्कूलों के अध्यापकों को निरीक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया। सेक्रेटरी/लिपिकों के पारिश्रमिक में 100 रुपए प्रति प्रश्न पत्र की वृद्धि की गई तथा सहायक अधीक्षकों को 40 रुपए के स्थान पर संवर्द्धित पारिश्रमिक प्रदान किया गया।

परीक्षा विशेषताएं 2004

परीक्षा की तारीख

कक्षा बारह	1.3.2004 to 2.4.2004
कक्षा दस	1.3.2004 to 23.3.2004

पंजीकृत उम्मीदवारों की संख्या

परीक्षा	वर्ष	कुल
माध्यमिक स्कूल परीक्षा कक्षा दस	2004	568489
वरिष्ठ स्कूल प्रमाण-पत्र परीक्षा		
कक्षा बारह	2004	392836

2004 में प्रश्न-पत्रों में पद्धति में परिवर्तन

विषय	उम्मीदवारों की कुल संख्या	
	2003	2004
कक्षा बारह		
रसायन शास्त्र	34	27
जीवविज्ञान	30	28
अर्थशास्त्र	30	24
व्यवसाय अध्ययन	24	25
कक्षा दस		
समाज विज्ञान	29	27

- कक्षा बारह के लिए भौतिकी और गणित में प्रश्नों की संख्या 30 से घटाकर क्रमशः 27 तथा 26 की गई। दसवीं कक्षा विज्ञान में प्रश्नों की संख्या 33 से घटाकर 30 की दी गई। कुछ प्रश्नों में आन्तरिक चयन की भी व्यवस्था की गई।
- इराक संकट को देखते हुए छात्रों को खाड़ी अथवा भारत में किसी भी परीक्षा केन्द्र में बैठने की छूट दी गई। कुवैत में कक्षा दस में छात्रों की संख्या 957 तथा कक्षा बारह में 675 थी।
- इस वर्ष प्रश्न-पत्र पैकेट चार सहायक अधीक्षकों की उपस्थिति में खोले गए जिनमें से कम से कम एक सहायक अधीक्षक परीक्षा केन्द्र से इतर किसी एक स्कूल से था।
- असाधारण परिस्थितियों में, परीक्षा कक्ष में प्रवेश के लिए समय में छूट की सीमा 30 मिनट से बढ़ाकर 45 मिनट कर दी गई।
- परिणामों की घोषणा के साथ सभी अनुचित साधनों के मामले निपटा दिए गए। पररूपधारण से बचने के लिए प्राइवेट और पत्राचार उम्मीदवारों के प्रवेश-पत्रों पर स्कैन्ड फोटो लगाए गए।
- समाज विज्ञान के प्रधान परीक्षकों को अतिरिक्त प्रधान परीक्षक इस ढंग से चुनने की सलाह दी गई कि प्रधान परीक्षक और दो अतिरिक्त प्रधान परीक्षक समाज विज्ञानों, यथा इतिहहास, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र और भूगोल के सभी घटकों को, उत्तर-पुस्तिकाओं की नमूने की चैकिंग के लिए, कवर कर सकें।

अखिल भारत पूर्व-मेडिकल/पूर्व-डेन्टल परीक्षा 2004

भारत के उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार पीएमटी/पीडीई का आयोजन बोर्ड द्वारा किया जाता है। 16वीं प्रवेश परीक्षा 27 अप्रेल 2003 को राज्यों की राजधानियों और संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित विभिन्न केन्द्रों पर आयोजित की गई। इस वर्ष 242841 उम्मीदवार पंजीकृत थे जिनमें से 215883 उम्मीदवार परीक्षा में बैठे। योग्यता सूची में 1621 उम्मीदवार थे तथा 1135 उम्मीदवार प्रतीक्षा-सूची में थे।

जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2003

कक्षा छः में प्रवेश के लिए जे.एन.वी. चयन परीक्षा, ग्रीष्मकालीन स्कूलों के लिए 9 फरवरी 2003 को और शरदकालीन स्कूलों के लिए 12 अप्रेल 2003 को आयोजित की गई। फरवरी परीक्षा में 756983 उम्मीदवार तथा अप्रेल परीक्षा में 16508 उम्मीदवार बैठे।

कक्षा नौ में प्रवेश के लिए जे.एन.वी. की अतिरिक्त परीक्षा कक्षा छः प्रवेश परीक्षा के अलावा सीबीएसई द्वारा जवाहर नवोदय विद्यालयों में कक्षा नौ में प्रवेश के लिए एक अतिरिक्त परीक्षा का आयोजन किया गया।

द्वितीय अखिल भारतीय इंजीनियरी प्रवेश परीक्षा 2003

द्वितीय अखिल भारतीय इंजीनियरी/वास्तुकला/फार्मेसी प्रवेश परीक्षा (एआईईईई) बोर्ड द्वारा देश भर में 97 नगरों 621 परीक्षा केन्द्रों में सफलतापूर्वक आयोजित की गई। इस परीक्षा में 327721 उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया जिनमें से 298490 उम्मीदवार परीक्षा में बैठे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा यथापूर्वक गठित केन्द्रीय परामर्श बोर्ड ने 109 संस्थानों में

जिनमें एनआईटी, आरईसी सम विश्वविद्यालय व अन्य तकनीकी संस्थान शामिल हैं, लगभग 12000 स्थानों का आबंटन किया।

वर्ष 2004 के दौरान परीक्षाओं में किए गए अतिरिक्त उपाय:

1. बोर्ड, उन नगरों में जहाँ स्कूलों की संख्या बहुत अधिक है और जहाँ एक विषय में 3 अथवा उससे अधिक प्रधान परीक्षक सम्मिलित हैं, मूल्यांकन प्रयोजनार्थ मुख्य नोडल पर्यवेक्षकों के रूप में स्कूल प्रिंसिपलों को नियुक्त करेगा। मुख्य नोडल पर्यवेक्षक उसी विषय के प्रभारी होंगे जिसे उन्होंने पढ़ाया है अथवा पीजीटी के रूप में पढ़ा रहे हैं अथवा जो प्रिंसिपल हों। इससे मूल्यांकन कार्य समुचित रूप में प्रबंध योग्य, पर्यवेक्षण और समय पर पूर्णतः सुनिश्चित होगा।

2. कक्षा 10 की उत्तर पुस्तिकाओं को जाँचने के लिए परीक्षकों को देय पारिश्रमिक की दर 6.50 रुपए से बढ़ाकर 8 रुपए और कक्षा 12 के लिए 8.50 रुपए से बढ़ाकर 11 रुपए प्रति उत्तर पुस्तिका कर दी गई है।

3. इस वर्ष से विज्ञान और प्रौद्यिगकी की उत्तर पुस्तकों का मूल्यांकन 2 परीक्षकों द्वारा किया जाएगा। वर्ग क में भौतिकी और रसायन शास्त्र सम्मिलित होंगे और वर्ग ख में जीव विज्ञान। केवल उन्हीं लोगों को वर्ग क के लिए मूल्यांकन करता हूँ के रूप में नियुक्त किया जाएगा जिन्होंने अवर स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में रसायन शास्त्र और भौतिकी का अध्ययन किया हो जबकि जिन्होंने अवर स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में जीव विज्ञान का अध्ययन किया है वे जीव विज्ञान संबंधी वर्ग का मूल्यांकन करेंगे। वर्ग क के लिए पारिश्रमिक की दर 5 रुपए प्रति उत्तर पुस्तिका और वर्ग ख के लिए 3 रुपए प्रति उत्तर पुस्तिका होगी।

अखिल भारतीय पूर्व-मेडिकल/पूर्व-डेंटल परीक्षा 2004

भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार पीएमटी/पीडीई का आयोजन बोर्ड द्वारा किया जाता है। पहली बार सत्रहवीं प्रवेश परीक्षा दो चरणों में आयोजित की जाएगी-प्रारम्भिक और अंतिम। प्रारम्भिक परीक्षा राज्यों की राजधानियों और संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित विभिन्न केन्द्रों पर 17 अप्रैल, 2004 को आयोजित की जाएगी।

तृतीय अखिल भारतीय इंजीनियरी प्रवेश परीक्षा 2004

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, सम विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी तथा उन संस्थानों में जो अदायगी वाले अथवा बगैर अदायगी वाले स्थानों के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा/राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा द्वारा कवर नहीं है, इंजीनयरी, पार्मेसी और वास्तुकला में डिग्री स्तरीय पाठ्यक्रमों के लिए तृतीय एआईईई 20 और 21 मई, 2004 को आयोजित की जाएगी।

अकादमिक कार्यकलाप

सीबीएसई, पाठ्यक्रमों की पुरातनता को दूर करने और साथ ही संगठ्ता कारक में वृद्धि करने के लिए पाठ्यचर्या इंजीनियरी की प्रक्रिया में सतत रूप से व्यस्त है ताकि छात्र अपने ज्ञान, दक्षताओं और कौशलों को का अपने कार्यस्थल और अपनी वास्तविक जीवन की जरूरतों से जोड़ सकें। आलोच्य वर्ष के दौरान बोर्ड के अकादमिक कार्यकलापों में और विस्तार देखने में आया। विगत दो दशकों के दौरान अध्ययन की प्रौद्योगिकी और निकायों की अवधारणा दोनों में अनेक परिवर्तन देखे गए हैं जिससे ज्ञान की सीमाओं की बाधाएं समाप्त हुई हैं और परस्पर संबंध कायम हुए हैं। एकीकरण की इस प्रक्रिया के पलस्वरूप उच्च किस्म के विषय सामने आए हैं। अकादमिक कार्यकलापों में समग्र रूप से निम्नलिखित विषयों पर बल दिया जाता है:

- पाठ्यचर्या डिजाइन, नवीकरण और विकास शिक्षा शास्त्रीय सहायता
- शिक्षक सशक्तिकरण कार्यक्रम
- पूरक पाठ्य सामग्री का विकास

पाठ्यचर्या डिजाइन और विकास

एनसीईआरटी द्वारा विकसित संशोधित राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा वर्ष 2002-03 के दौरान कक्षा एक, तीन, छः, नौ और ग्यारह में लागू की गई। इस वर्ष संशोधित पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम कक्षा दो, चार, सात, दस और बारह में लागू किए गए।

जैव प्रौद्योगिकी

जैव प्रौद्योगिकी ज्ञान की एक शाखा है जिसमें भौतिकी, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान, अनुप्रयोग-उनमुख प्रौद्योगिकी के साथ शामिल है। विषय के अन्तर्गत जैव प्रौद्योगिकी के क्लासिकल और आधुनिक दृष्टिकोण सम्मिलित हैं। पाठ्यचर्या में जेनेटिक इंजीनियरी, औद्योगिक जैव प्रौद्योगिकी, सैल जैव प्रौद्योगिकी, जीव-मेडिकल इंजीनियरी, जीव-उर्वरक इत्यादि शामिल हैं। सीबीएससी ने वर्ष 2002-03 से वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर अध्ययन के रूप में जैव प्रौद्योगिकी को एक इलेक्टिव विषय के रूप में प्रारम्भ करने का निर्णय लिया। बोर्ड द्वारा कक्षा 11 और

12 के लिए पाठ्य सामग्री प्रकाशित की गई। शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी देश के विभिन्न भागों में आयोजित किए गए।

उद्यमशीलता

सीबीएससी द्वारा 2001-02 में वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर लागू किया गया एक अन्य नया विषय उद्यमशीलता है जिसे 200 से अधिक स्कूलों द्वारा अपनाया गया है। इस विषय का उद्देश्य छात्रों को पहल और साधन सम्पन्नता के साथ उत्पादक और आत्म निर्भर वैयक्तिक सम्पदा के रूप में सशक्त बनाना है। यह अध्ययनकर्ताओं को स्वरोजगार के लिए भी गाइड करता है। कक्षा 11 और 12 के लिए इस वर्ष बोर्ड द्वारा संशोधित पाठ्य सामग्री लागू की गई।

कार्यात्मक अंग्रेजी

अंग्रेजी के शिक्षण में संचारात्मक दृष्टिकोण कक्षा 10 में 8 वर्ष पहले लागू किया गया था। इस वर्ष के दौरान अंग्रेजी कोर और अंग्रेजी इलेक्टिव के विकल्प के रूप में वरिष्ठ स्कूल स्तर पर कार्यात्मक अंग्रेजी लागू की गई है। पाठ्यक्रम का उद्देश्य अध्ययनकर्ताओं को संचारात्मक, भाषायी और साहित्यिक कौशल प्रदान करना है जो बदलती हुई सामाजिक जरूरतों में प्रायः आवश्यक होता है।

फैशन अध्ययन प्रारम्भ करना

अकादमिक विषय के अंतर्गत एक इलेक्टिव विषय के रूप में फैशन अध्ययन प्रारम्भ करना एनआईएफटी के सहयोग से तय किया गया है। पाठ्यक्रम में सिद्धान्त और अभ्यास के क्रमशः 70:30 घटक होंगे और इसके अंतर्गत वस्त्र विनिर्माण, प्रबंध और पण्य वस्तुएं जैसे विषय सम्मिलित होंगे।

गणित प्रयोगशाला प्रारम्भ करना

बोर्ड ने कक्षा 3-8 के लिए 31 मार्च, 2005 तक गणित प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए स्कूलों को मार्ग निर्देश जारी किए हैं। इसके अन्तर्गत अभ्यास दक्षताओं के मूल्यांकन को सिद्धान्त के साथ एकीकृत करने और गणित को और अधिक व्यवहारिक तथा जीवन-उनमुख बनाने पर बल दिया जाएगा। अनुभव किया गया है कि गणित के अध्ययन को अन्य विषयों के साथ जोड़ा जा सकता है। स्कूलों से गणितीय अवधारणाओं के व्यवहारिक प्रावधान के वास्ते यंत्र और साधन विकसित करने के लिए स्थानीय संसाधनों का पता लगाने के लिए कहा गया है। छात्रों का सतत और व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया द्वारा मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

विज्ञान प्रश्नोत्तरी

वर्तमान पंचांग वर्ष 2004 को विज्ञान वर्ष के रूप पदनामित किया गया है। इस भावना की सच्चाई को ध्यान में रखते हुए बोर्ड इन्टेलइण्डिया के साथ सहयोग से छात्रों के लिए विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रारम्भ करेगा। यह प्रश्नोत्तरी कक्षा 9-12 में अध्ययन करने वाले छात्रों के लिए सीबीएसई के सभी संबद्ध स्कूलों के लिए खुली होगी। प्रत्येक स्कूल से केवल तीन छात्रों को इसमें भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। तीन अर्हक स्तर होंगेः (i) लिखित प्रश्नोत्तर, (ii) क्षेत्रीय स्तर पर मौखिक प्रश्नोत्तर और (iii) राष्ट्रीय स्तर। प्रतियोगिता का प्रथम चरण अप्रैल 2004 में आयोजित किया जाएगा। अंतिम प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पाने वालों को क्रमशः बीस हजार रुपए, 12 हजार रुपए और 7 हजार रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। क्षेत्रीय विजेता टीम को तीन हजार रुपए प्राप्त होंगे। प्रत्येक भागीदार स्कूल से छः सौ रुपए का पंजीकरण शुल्क चार्ज किया जाएगा।

वेब और मल्टीमीडिया प्रौद्योगिकी

- सीबीएसई देश में पहला बोर्ड है जिसने स्कूल स्तर पर सूचना प्रौद्योगिकी लागू की है। कक्षा 10 स्तर पर एक अतिरिक्त विषय रूप में प्रारम्भिक सूचना प्रौद्योगिकी का अध्ययन कराया जाता है।
- अकादमिक शाखा के तहत कम्प्यूटर विज्ञान और सूचना विज्ञान परिपाटियों में वरिष्ठ स्कूल पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। आईटी अनुप्रयोग का अध्ययन छात्र द्वारा व्यावसायिक विषय के अंतर्गत किया जा सकता है। वेब और मल्टीमीडिया प्रौद्योगिकी को वर्तमान शिक्षण वर्ष से कक्षा 11 के लिए एक इलेक्टिव विषय के रूप में प्रारम्भ किया गया है। इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को स्वविकसित वेबसाइट, वेब पोर्टल्स का प्रबंध करने, रेखाचित्रीय इमेजों के सृजन और सम्पादन, वेब विकास, वेब स्क्रिप्ट तैयार करने आदि हेतु समर्थ बनाना है। पाठ्यक्रम में 70 अंकों का सिद्धान्त घटक और 30 अंकों का अभ्यास घटक सम्मिलित होगा।

समाज विज्ञान में माध्यमिक स्तर पर आंतरिक मूल्यांकन प्रारंभ करना

आगामी शिक्षा सत्र 2004-05 से कक्षा 9 और उसके आगे समाज विज्ञान में आंतरिक मूल्यांकन प्रारंभ किया गया है। सतत और व्यापक मूल्यांकन के भाग के रूप में आंतरिक मूल्यांकन के लिए 20 प्रतिशत भारांश तय किया गया है जिसे स्कूलों द्वारा किया जाएगा। यह मूल्यांकन प्रकृति से संक्षिप्त

और संरचनात्मक होगा। आंतरिक मूल्यांकन में छात्रों के निष्पादन को ग्रेडों के रूप में परिलक्षित किया जाएगा और उसे माध्यमिक स्कूल परीक्षाओं के बाद बोर्ड द्वारा जारी अंक/ग्रेड प्रमाण-पत्र में सम्मिलित किया जाएगा। मूल्यांकन हेतु मार्ग निर्देश बोर्ड द्वारा प्रदान किए जाएंगे।

वर्तमान पंचांग वष 2004 को विज्ञान वर्ष के रूप में पदनामित किया गया है। इस भावना की सच्चाई के रूप में बोर्ड इण्टेलइण्डिया के सहयोग से छात्रों के लिए विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रारंभ करेगा। इस प्रश्नोत्तरी में कक्षा 9-12 में अध्ययन करने वाले सभी छात्र जो सीबीएसई के संबद्ध स्कूलों में अध्ययनरत हैं, भाग ले सकेंगे। प्रत्येक स्कूल से केवल 3 छात्रों को प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति होगी।

संचारात्मक संस्कृत

कक्षा 10 की संस्कृत की पूरी पाठ्यचर्या को संशोधित और उसमें सुधार किया गया। शिक्षक हैण्डबुक के अतिरिक्त प्रशिक्षकों के लिए संसाधन मैनुअल भी तैयार किए गए। संशोधित पाठ्यक्रम में शिक्षक अनुस्थापन हेतु अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

आपदा प्रबंधन

एक प्रमुख पाठ्यचर्या के भाग के रूप में आपदा प्रबंधन को कक्षा 8 में एक विषय के रूप में प्रारम्भ किया गया है। इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं की पूर्व तथा पश्चात तैयारी पर बल दिया जाता है। पाठ्यक्रम के भाग के रूप में अध्ययनकर्ताओं को व्यावहारिक प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है।

जीवन कौशल शिक्षा

यह पाठ्यक्रम वर्तमान शिक्षा वर्ष से कक्षा 6 में लागू किया गया है और अध्ययनकर्ताओं को चुनने तथा सतत अवलोकन, समझ-बूझ की प्रक्रिया द्वारा सही चुनाव करने की शक्ति प्रदान करने के लिए समर्थ बनाता है।

शारीरिक शिक्षा

शारीरिक और स्वास्थ्य शिक्षा माध्यमिक स्तर तक एक अनिवार्य विषय है। वरिष्ठ स्तर पर सिद्धान्त के लिए दिए जाने वाले भारांश को संशोधित करके 70 अंक का बना दिया गया है तथा अभ्यास घटक के लिए 30 अंक निश्चित किए गए हैं जिससे कि इसे अभ्यास कार्य वाले अन्य शैक्षिक विषयों के बराबर लाया जा सके और विषय की समझबूझ में वृद्धि की जा सके। पाठ्यचर्या में स्वास्थ्य शिक्षा और खेल औषधि की बुनियादी संकल्पनाओं को भी शामिल किया गया है।

मूल्य शिक्षा

स्कूल स्तर पर मूल्य शिक्षा एक अंतर-विषयक विषय के रूप में पढ़ाई जाती है। पाठ्यक्रम की विषय-वस्तु को इस वर्ष संशोधित किया गया और नए प्रकाशन प्रकाशित किए गए।

प्रमुख पाठ्यचर्या

बोर्ड, बदलते समय की गति को ध्यान में रखते हुए और पाठ्यचर्या को और अधिक प्रासंगिक बनाने के उद्देश्य से विभिन्न विषयों में अपनी पाठ्यचर्याओं की सतत रूप से समीक्षा करता है और उसे अध्यतन बनाता है। प्रमुख पाठ्यचर्या दृष्टिकोण से बोर्ड पुराने पड़ गए विषयों और अवधारणाओं को हटाकर विद्यमान पाठ्यचर्या को संशोधित करने और उसके स्थान पर और अधिक प्रासंगिक तथा अध्यतन सामग्री विषयों को सम्मिलित करने में समर्थ हुआ है। प्रमुख पाठ्यचर्या, वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर जीव विज्ञान, भौतिकी, अर्थशास्त्र और व्यवसाय अध्ययन में पहले ही प्रारंभ की जा चुकी है। वर्ष के दौरान शिक्षक सहायता सामग्री विकसित की गई तथा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। एकाउंटेंसी के विषय में एक नए धटक के रूप में कम्प्यूटरीकृत एकाउंटेंसी का घटक जोड़ा गया है।

फेंच भाषा

इस वर्ष के दौरान कक्षा 9 और 10 के लिए फेंच भाषा में नई पाठ्यक्रम सामग्री भी विकसित की गई जो संचारात्मक दृष्टिकोण पर आधारित है। पाठ्य पुस्तक, कार्य पुस्तक और सुनने तथा बोलने के अभ्यास के लिए आडियो कैसेट तैयार किया गया।

शिक्षक सशक्तिकरण कार्यक्रम

कक्षा 10 और 12 को पढ़ाने वाले शिक्षकों के अनुस्थापन हेतु

अनेक कार्यक्रम देशभर में निम्नलिखित विषयों में आयोजित किए गए:

- अंग्रेजी
- गणित
- भौतिकी
- जीव विज्ञान उद्यमशीलता अर्थशास्त्र
- संस्कृत
- व्यवसाय अध्ययन, एकाउंटेंसी, जीव प्रौद्योगिकी, सूचना विज्ञान, परिपाटी मनोविज्ञान

प्रिंसिपलों के लिए सशक्तिकरण कार्यक्रम

भारतीय प्रबंध संस्थान अहमदाबाद के सहयोग से बोर्ड संबद्ध स्कूलों के प्रिंसिपलों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। कार्यक्रम का उद्देश्य इसमें भाग लेने वालों को प्रबंधन, प्रशासन और नेतृत्व कौशल प्रदान करना है।

प्रिंसिपलों के लिए प्रारम्भिक पाठ्यक्रम

देश भर में नए संबद्ध स्कूलों के प्रिंसिपलों के लिए इस वर्ष अनेक प्रारम्भिक पाठ्यक्रम प्रारंभ किए गए। कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्य रूप से पाठ्यचर्या गतिकी, शिक्षा शास्त्र में बदलती प्रवृत्तियों, समग्र कोटि प्रबंधन, दबाव प्रबंधन पर बल दिया जाता है।

सीबीएसई समूह गणितीय ओलम्पियाड

सीबीएसई को राष्ट्रीय उच्चतर गणित बोर्ड द्वारा 1997 में एक स्वतंत्र समूह के रूप में दर्जा प्रदान किया गया। छठा सीबीएसई गणित ओलम्पियाड दिसम्बर 2002 में आयोजित किया गया। इस समूह में उच्चतम स्थान पाले वाले छात्रों ने भारतीय राष्ट्रीय गणितीय ओलम्पियाड में भाग लिया।

राष्ट्रीय आईटी ओलम्पियाड

सूचना प्रौद्योगिकी, स्कूल तथा विश्वविद्यालय शिक्षा में अध्ययन का एक तेजी से उभरता हुआ क्षेत्र है। प्रतिभा का पता लगाने और पहल व सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करने के वास्ते बोर्ड ने 2002 में आईटी में वार्षिक ओलम्पियाड की शुरुआत की। भारतीय कम्प्यूटर विज्ञान अनुसंधान एसोसिएशन के सहयोग से फरवरी और मई 2003 में क्षेत्रीय तथा राष्ट्र स्तरीय ओलम्पियाड आयोजित किए गए। तीन उम्मीदवारों ने अंतर्राष्ट्रीय ओलम्पियाड के लिए क्वालीफाई किया और कांस्य पदक जीते।

हेरिटेज (दाय) इण्डिया प्रश्नोत्तरी

कक्षा 9-12 के छात्रों के लिए एक राष्ट्रीय प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम 2001 में प्रारम्भ किया गया। इससे छात्रों को अपने ज्ञान को प्रदर्शित और बढ़ाने तथा भारतीय इतिहास, संस्कृति, ललित कलाओं और दाय को समझने का अवसर प्राप्त होता है। सीबीएसई ने सामूहिक तथा राष्ट्र स्तरीय प्रतियोगिताएं आयोजित की जिनमें 1000 से अधिक स्कूलों ने भाग लिया।

सीबीएसई सहोदय स्कूल परीसरों का दसवां वार्षिक सम्मेलन

सीबीएसई सहोदय स्कूल परीसरों का दसवां वाषिक सम्मेलन उदयपुर में आयोजित किया गया जिसका विषय था इनेबलिंग स्ट्रेस-फ्री एजुकेशन जिसमें 150 से अधिक प्रिंसिपलों ने भाग लिया और दबाव और दबाव को कम करने तथा इसके प्रबंधन पर प्रमुख रूप से बल देते हुए स्कूल शिक्षा पद्धति से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की।

सीबीएसई प्रतियोगी खेल कार्यक्रम

सीबीएसई का प्रतियोगी खेल कार्यक्रम भारत में स्कूल स्तर पर एक सर्वाधिक संगठित कार्यकलाप है। यह तीन स्तरों पर आयोजित किया जाता है, यथा सामूहिक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय। वर्ष 2003 में 14 विषयों में प्रतियोगिताएं भारत में और विदेश में 120 से अधिक स्थानों पर आयोजित की गई। इस वर्ष भाग लेने वालों की संख्या 80000 से अधिक थी। हैण्डबाल, जूडो, स्केटिंग में क्षेत्रीय स्तर पर प्रतियोगिताएं आरम्भ की गई। तैराकी, स्केटिंग, हैण्डबाल और चेस में नए खेल और आयु वर्ग प्रारम्भ किए गए। राष्ट्रीय स्तर पर बैडमिण्टन, टेबल टेनिस और टेनिस में एकल चैम्पियनशिप के लिए खेल प्रारम्भ किए गए।

लोक शिकायतों का निवारण

लोक शिकायत और निवारण प्रकोष्ठ 1993 में गठित किया गया। लोक शिकायतों के नियमित मानिटरन से एक विशिष्ठ समयावधि के अंदर कारगर सुधारात्मक कार्यवाई सुनिश्चित होती है। इस तथ्य को देखते हुए कि परीक्षार्थियों की संख्या में प्रत्येक वर्ष वृद्धि हो रही है, बोर्ड को केवल 15 शिकायतें प्राप्त हुई जो मुख्यतः डुप्लीकेट दस्तावेज प्राप्त नहीं होने के संबंध में थी। सभी मामलों को शिकायतकर्ताओं के पक्ष में निपटा दिया गया।

कदाचार प्रकोष्ठ

पीआर यूनिट बोर्ड के कदाचार प्रकोष्ठ का मानीटरन करता है। प्रकोष्ठ का मुख्य उद्देश्य प्राइवेट संगठनों और संस्थानों के कार्यकलापों का मानीटरन करना है। आलोच्य अवधि के दौरान 9 स्कूलों के विरुद्ध कार्रवाई की गई।



छात्रों को सीबीएसई परामर्श सेवाएं

सीवीएसई देश में पहला बोर्ड है जिसने छात्रों के लिए परामर्श सेवा प्रारंभ की है। एक प्रायोगिक परियोजना के रूप में 1998 में शुरू की गई इस सेवा के संबंध में मुख्य रूप से छात्रों और अभिभावकों से अपार प्रतिक्रिया प्राप्त हुई जिसके परिणामस्वरूप बोर्ड द्वारा वर्ष में दो बार सतत टेली-परामर्श कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, पहला परीक्षाओं के समय पर और फिर परिणामों की घोषणा के समय पर। सीबीएसई से संबद्ध प्राइवेट और सरकारी स्कूलों से अनेक परामर्शदाताओं और प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिकों ने नेटवर्क के माध्यम से परामर्श प्रदान किया जो पिछले वर्षों के दौरान काफी व्यापक हो गया है। देश में 38 केन्द्रों के अलावा खाड़ी में भी टेली-परामर्श सेवा प्रदान की जा रही है।

वर्ष के दौरान शुरू की गई पहल

सीबीएसई ने पहली बार शिक्षा निदेशालय दिल्ली के साथ सहयोग किया और सरकारी स्कूलों के कक्षा 10 और 12 के छात्रों और अन्य स्कूलों के प्रिंसिपलों तथा अध्यापकों के साथ विचार-विमर्श किया। पहली बार बोर्ड ने दो प्रमुख राष्ट्रीय हिन्दी समाचार पत्र-हिन्दुस्तान दैनिक और राजस्थान पत्रिका के सहयोग से छात्रों को परीक्षा से जुड़े मुद्दों पर परामर्श प्रदान करने और सामान्य परामर्श प्रदान करने के लिए एक हेल्प लाईन शुरू की।

नोइंग चिल्ड्रेन बेटर

ए हैण्डबुक फार टीचर्स एण्ड पेरेण्ट्स आन काउंसिलिंग सीबीएसई देश में पहला बोर्ड है जिसने न केवल परामर्श कार्य शुरू किया है बल्कि जिसने नियमित आधार पर पूर्ण स्कूल विषय के एक भाग के रूप में परामर्श कार्य को सुदृढ़ और स्थापित किया है। इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम एक हैण्डबुक का प्रकाशन करना है जो विशेष रूप से अंग्रेजी और हिन्दी संस्करणों में कक्षा अध्यापकों और अविभावकों के लिए तैयार की गई है। यह हैण्डबुक अनुभाविक साक्ष्यों पर आधारित है और इसमें बच्चों को सामान्य रूप से पेश आने वाली आचरण संबंधी समस्याओं का संकलन किया गया है तथा उन सुधारात्मक उपायों का उल्लेख किया गया है जिन्हें शिक्षक और अभिभावक बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए तुरंत उठा सकते हैं।

अध्यापकों को सीबीएसई पुरस्कार

अध्यापकों को सीबीएसई प्रोत्साहन पुरस्कारों के अंतर्गत, जिन्हें वर्ष 2000 में शुरू किया गया था उन परंपराओं पर पुनः बल दिया जाता है जिनमें अनूठी उपलब्धि, कार्य दक्षता और उन अध्यापकों के कर्त्तव्य निष्ठा को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में पर्याप्त योगदान दिया है। इन पुरस्कारों को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा एक पृथक श्रेणी के रूप में मान्यता दी गई है। कुल मिलाकर, सीबीएसई के छः क्षेत्रीय कार्यालयों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले स्कूलों के लिए बारह पुरस्कार आबंटित किए गए हैं। बोर्ड, क्षेत्रीय समितियां नियुक्त करता है जो अंतिम चयन के वास्ते सीबीएसई की केन्द्रीय पुरस्कार समिति को प्रिंसिपलों और अध्यापकों के नामों की सिफारिश करती हैं। प्रत्येक पुरस्कार में एक योग्यता प्रमाण-पत्र, एक शाल और पन्द्रह हजार रुपए का नकद पुरस्कार शामिल है। मानव संसाधन विकास, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और समुद्रीय विकास विभाग मंत्री डॉ. मुरली मनोहर जोशी ने ये पुरस्कार 4 सितम्बर 2003 को आयोजित एक शानदार समारोह में प्रस्तुत किए। सीबीएसई राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए चुने गए प्रिंसिपलों और अध्यापकों को महामहिम भारत के राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम से 5 सितम्बर 2003 को प्रशस्ति पत्र प्राप्त हुए।

अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा मेला

सीबीएसई ने पहली बार 3 से 5 अप्रैल 2003 तक प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा मेले में भाग लिया जिसका मुख्य उद्देश्य बोर्ड के उद्देश्यों और कार्यकलापों के बारे में जनता और जनसमूह के साथ विचार विमर्श करना और उन तक पहुँचना था।

इस प्रदर्शनी से, छात्रों, अभिभावकों और विभिन्न राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा निकायों के साथ विचार विमर्श करने का एक उपयोगी अवसर प्राप्त हुआ। सीबीएसई मंडप ने बहुत संख्या में लोगों को आकर्षित किया जिसे बोर्ड के मल्टी-आयामीय शैक्षिक कार्यकलापों का एक पैनोरमा प्राप्त हुआ।

इस प्रदर्शनी के लिए बोर्ड के नए पाठ्यक्रमों, आजीविका मार्गदर्शन तथा सीबीएसई की नई नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में सूचना सामग्री, अनेक मल्टीमीडिया प्रस्तुतीकरण और प्रकाशन आदि तैयार किए गए। प्रबंधों, प्रदर्शन और सूचना सामग्री का आम जनता ने बहुत सराहना की।

हीरक जयंती वर्ष

सीबीएसई की हीरक जयंती के उद्घाटन समारोह 29 जुलाई 2003 को आयोजित किए गए। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने विज्ञान भवन नई दिल्ली में हीरक जयंती वर्ष का उद्घाटन किया। समारोहों के अंतर्गत नए सीबीएसई भवन शिक्षा सदन का उद्घाटन, बोर्ड का एक अकादमिक स्कंध, और सीबीएसई शिक्षा नेट के इनफो-हाइवे नेटवर्क का भी उद्घाटन सम्मिलित था-यह बोर्ड की नेटवर्किंग की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। विशेष कवर और स्मारिका का विमोचन भी समारोहों का महत्वपूर्ण अंग थे।

पब्लिक वेबसाइट

सीबीएसई ने पहले ही एक समृद्ध सूचना कन्टेंट वेबसाइट यूआरएल www.cbse.nic पर प्रारंभ की है जो जनता के किसी भी सदस्य को सुलभ है। हीरक जयंती वर्ष के दौरान इसे और संवर्धित किया जाएगा ताकि और अधिक सूचना उपलब्ध कराई जा सके जिसमें फार्म तथा परिपत्र और सीबीएसई से जानकारी चाहने की विधियाँ सम्मिलित होंगी। सीबीएसई और अधिक कागज विहीन तथा इसके नागरिक चार्टर की दृष्टि से जानकारी तेजी के साथ इलेक्ट्रानिक रूप से सुलभ कराने और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकीय अधिनियम 2000 के प्रावधानों के बारे में जानकारी सुलभ कराने का प्रयास करेगा।

नवीनतम प्रकाशनों की सूची

- वर्ड बुक-IX (संशोधित संस्करण)1
- लिटरेचर इंगलिश (कार्यात्मक अंग्रेजी)-XI
- लैंग्वेज स्किल XI-XII
- बायोटेक्नालाजी लेबोरेटरी मैनुअल-XI
- बायोटेक्नालाजी-XII
- बायोटेक्नालाजी लेबोरेटरी मैनुअल-XII
- प्रैक्टिकल वर्क आन कम्प्यूटराइज्ड सिस्टम इन एकाउंटेंसी एण्ड प्रोजेक्ट वर्क इन एकाउंटेंसी
- इण्टरप्रिन्योरशिप-XII
- इण्ट्रे जेनुअस (फ्रेंच)-IX
- इण्ट्रे जेनुअस कैशियर डीएक्सरसाइजेज-IX
- इण्ट्रे जेनुअस-II (फ्रेंच)-X
- सीनियर एण्ड सेकेण्डरी स्कूल करिकुलम 2004
- सीनियर एण्ड सेकेण्डरी स्कूल करिकुलम 2004
- मार्किंग स्कीम- कक्षा X 2003
- मार्किंग स्कीम- कक्षा XII 2003
- सैम्पल क्वेश्चयन पेपर्स X और XII

  इण्टरनेशनल एक्रीडिटेशन कोर्सेस
- गुजराती एक परिचय। मलयालम एक परिचय
- नो स्कूल बैग्स अपटू क्लास 2

कक्षा 2 तक छात्रों के लिए स्कूली बैग का भार कम करने के लिए बोर्ड ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। यह निर्णय किया गया है कि छात्रों को कोई गृह कार्य नहीं दिया जाएगा तथापि शिक्षकों के लिए मार्ग निर्देश तैयार किए गए हैं जिनमें गृह कार्य के लिए विकल्प सुझाए गए हैं जिनका उद्देश्य एक दबाव-मुक्त परिवेश में बच्चों का एक वृहत व्यक्तित्व विकसित करना है।

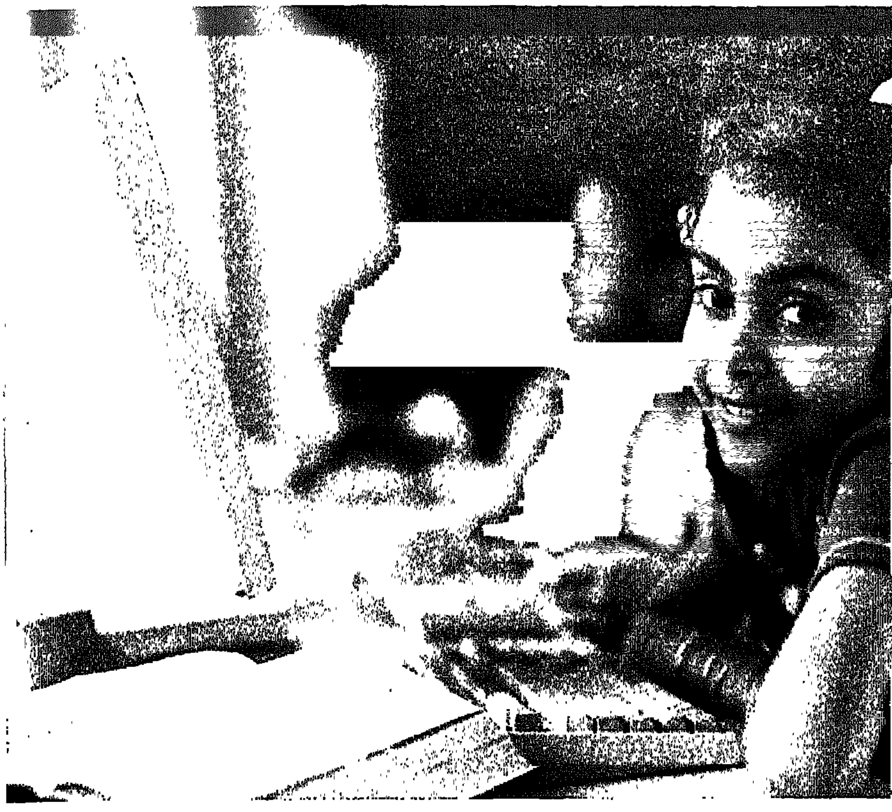
कक्षा 5 तक कोई पास/फेल नहीं

यह भी निर्णय लिया गया है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन किया जाएगा और किसी भी छात्र को कक्षा 5 तक पास अथवा



कक्षा 2 तक कोई स्कूल बैग नहीं

कक्षा 2 तक छात्रों के लिए स्कूली बैग का भार कम करने के लिए बोर्ड ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। यह निर्णय किया गया है कि छात्रों को कोई गृह कार्य नहीं दिया जाएगा तथापि शिक्षकों के लिए मार्ग निर्देश तैयार किए गए हैं जिनमें गृह कार्य के लिए विकल्प सुझाए गए हैं जिनका उद्देश्य एक दबाव-मुक्त परिवेश में बच्चों का एक वृहत व्यक्तित्व विकसित करना है।



फेल घोषित नहीं किया जाएगा। यह व्यवस्था धीरे-धीरे कक्षा 8 तक कर दी जाएगी।

वर्ष 2004 से कक्षा 9 में ग्रेड पद्धति

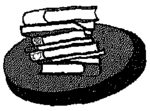
सतत और व्यापक मूल्यांकन के आधार पर आंतरिक मूल्यांकन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से सीबीएसई ने स्कूल आधारित मूल्यांकन में अनेक सुधार प्रारम्भ किए हैं। शैक्षिक वर्ष 2004 से कक्षा 9 के छात्रों के मूल्यांकन में ग्रेड लागू करने का निर्णय लिया गया है। ग्रेड पद्धति के आधार पर मूल्यांकित किए जाने वाले छात्रों का पहला बैच वर्ष 2006 में होगा।

राष्ट्रीय मुक्त स्कूल पद्धति संस्थान (एनआईओएस)

राष्ट्रीय मुक्त स्कूल पद्धति संस्थान (एनआईओएस) मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार का एक स्वायत्त संगठन है। 1989 में स्थापित एनआईओएस विश्व में एक सबसे बड़ी मुक्त स्कूल शिक्षा पद्धति उभरी है। फिलहाल माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तरों पर लगभग 12 लाख छात्र दर्ज हैं। विगत पांच वर्षों के दौरान पांच लाख से अधिक छात्रों ने एनआईओएस परीक्षाएं पास की हैं। इसने एनआईओएस मुख्यालय में दो प्रभाग और पांच विभागों, सात क्षेत्रीय केन्द्रों और लगभग 2500 अध्ययन केन्द्रों का एक नेटवर्क स्थापित किया है जो मुक्त अध्ययन और दूरस्थ शिक्षा विधि के जरिए कार्यक्रम चलाते हैं। एनआईओएस के क्षेत्रीय केन्द्र राज्य मुक्त स्कूलों/राज्य शिक्षा विभागों, एनआईओएस अध्ययन केन्द्रों और एनआईओएस मुख्यालय के साथ घनिष्ठ समन्वय के साथ कार्य करते हैं। भारत में अध्ययन केन्द्रों के अलावा एनआईओएस ने यूएई, ओमान सल्तनत, कुवैत, नेपाल और कनाडा में भी अध्ययन केन्द्र स्थापित किए हैं।

मुक्त बुनियादी शिक्षा (ओबीई) कार्यक्रम

इस बात को समझते हुए कि एक प्रमुख प्रदाय पद्धति के रूप में औपचारिक स्कूल शिक्षा पद्धति अकेली इस स्थिति में नहीं है कि वह सभी को प्रारम्भिक (अथवा बुनियादी) शिक्षा प्रदान कर सके, एनआईओएस ने अनुभवी और समर्पित एनजीओ की भागीदारी से मुक्त बुनियादी शिक्षा (ओबीई) कार्यक्रम शुरू किया है। ओबीई कार्यक्रम, 'क' (कक्षा 2/3 के समकक्ष), 'ख' (कक्षा 4/5 के समकक्ष), और 'ग' (कक्षा 7/8 के समकक्ष) स्तर पर लागू किया गया है। इसके तहत राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित दक्षताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा की कोटि सुनिश्चित करते हुए ग्रेड के आधार पर पाठ्यचर्या के अध्ययन की व्यवस्था है। चौदह वर्ष से कम आयु के बच्चों और चौदह वर्ष से ऊपर के प्रौढ़ों के लिए प्रथक ओबीई कार्यक्रमों की योजना तैयार की गई है। एनआईओएस की 216 एजेंसियाँ प्रत्यायित हैं जो ओबीई कार्यक्रम संचालन करती हैं। एनआईओएस प्रत्यायित एजेंसियों को अपनाने के वास्ते स्व अध्ययन सामग्री की व्यवस्था करता है। यह व्यापक अध्ययन परिणाम, पाठ मुक्त नमूने के प्रश्न पत्र, सुझावित अंक पद्धति स्कीमों के साथ परीक्षा पत्रों का खाका भी उपलब्ध कराता है। प्रत्यायित एजेंसियाँ ओबीई स्तर क, ख और ग के लिए परीक्षाएं आयोजित करती



हिन्दी, अंग्रेजी, समाज विज्ञान, संस्कृत, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, व्यवसाय अध्ययन, गणित और उर्दू में संशोधित पाठ्यचर्या के आधार पर संशोधित स्व अध्ययन सामग्री (एसआईएम) विकसित की गई है और शैक्षिक वर्ष 2003-04 से पद्धति में लागू की गई है।

हैं और एनआईओएस के साथ संयुक्त रूप से प्रमाण पत्र प्रदान करती हैं। अभी तक 26000 से अधिक संयुक्त प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। शैक्षिक तथा सह-शैक्षिक क्षेत्रों में छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन एनओईओएस द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार किया जाता है। इससे एनआईओएस के मुक्त बुनियादी शिक्षा कार्यक्रम की विश्वसनीयता बनी रहती है।

माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक पाठ्यक्रम

माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तरों पर एनआईओएस ने विषयों के चयन स्व-गति से अध्ययन करने, अन्य बोर्डों और राज्य मुक्त स्कूलों से क्रेडिट के हस्तान्तरण में ढील की व्यवस्था की है। अपने माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक कार्यक्रमों के कार्य क्षेत्र का विस्तार करने के उद्देश्य से एनआईओएस ने अन्य बातों के साथ-साथ परीक्षाओं में बैठने के लिए उम्मीदवारों के प्रत्यक्ष पंजीकरण की व्यवस्था की है। विषयों के चयन का विस्तार करने के उद्देश्य से एनआईओएस ने नए विषय प्रस्तुत किए हैं, यथाः (1) मनोविज्ञान, और (2) माध्यमिक स्तर पर भारतीय संस्कृति और दाय, और (1) कम्प्यूटर विज्ञान और (2) समाज शास्त्र वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर वर्ष 2003-04 से। अध्ययन नीतियों में मुद्रित स्व अध्ययन सामग्री, आडियो और वीडियो कार्यक्रम, वैयक्तिक सम्पर्क कार्यक्रमों (पीसीपी) और शिक्षक चिन्हित कार्य (टीएमए) के माध्यम से अध्ययन करना शामिल है। वर्ष 2002-03 और 2003-04 के दौरान एनआईओएस ने राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (2000), राज्य बोर्डों की पाठ्यचर्या के विश्लेषण, हमारे इर्द-गिर्द हो रहे विभिन्न परिवर्तनों और एनआईओएस के अध्ययनकर्ताओं की अकांक्षाओं और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए माध्यमिक स्तर के लिए पाठ्यचर्या में संशोधन किया है।

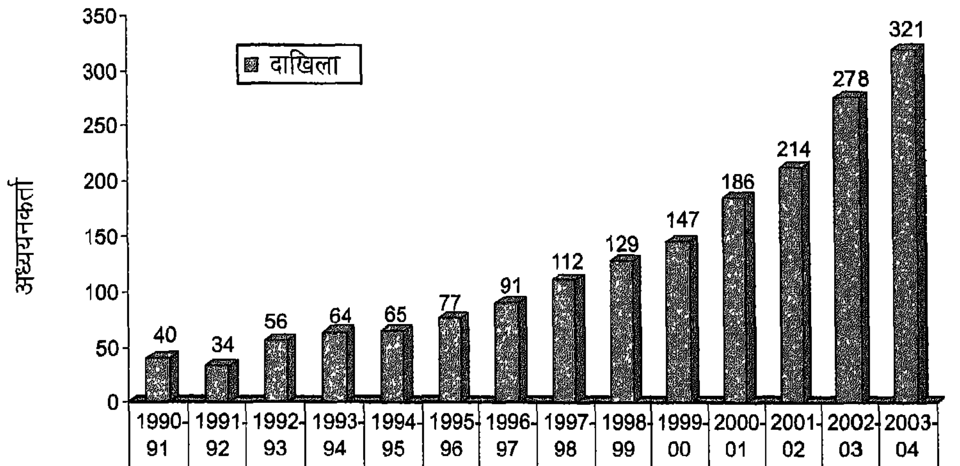
हिन्दी, अंग्रेजी, समाज विज्ञान, संस्कृत, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, व्यवसाय अध्ययन, गणित और उर्दू में संशोधित पाठ्यचर्या के आधार पर संशोधित स्व अध्ययन सामग्री (एसआईएम) विकसित की गई है और शैक्षिक वर्ष 2003-04 से पद्धति में लागू की गई है। माध्यमिक स्तर पर मनोविज्ञान में और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर समाज शास्त्र में स्व शिक्षण सामग्री विकसित की गई है। मलयालम में स्व शिक्षण सामग्री विकसित की गई है तथा बंगला, मराठी और तेलुगू में पाठ्यचर्या/एसआईएम का संशोधन/विकास कार्य प्रगति पर है। माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर विभिन्न विषयों के लिए शिक्षक चिन्हित कार्यो (टीएमए) का विकास किया गया है। मांग पर परीक्षा पद्धति (ओडीईएस) के लिए हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, समाज विज्ञान, अर्थशास्त्र, गृह विज्ञान, व्यवसाय अध्ययन और उर्दू के संबंध में एक प्रश्न बैंक विकसित किया गया है। माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तरों पर प्रश्न पत्र डिजाइन, खाका और नमूने के प्रश्न पत्र संशोधित किए गए हैं। विभिन्न विषयों में प्रश्न-वार विश्लेषण किया गया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में प्रयोगशाला मैनुअल और अभ्यास परीक्षाओं के लिए मार्ग निर्देश तैयार किए गए हैं। एक रेखाचित्रीय बैंक भी विकसित किया गया है।

व्यावसायिक शिक्षा विभाग

एनआईओएस का व्यावसायिक शिक्षा विभाग कृषि, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और अर्ध-चिकित्सीय, व्यवसाय और वाणिज्य, गृह विज्ञान और आतिथ्य सेवाओं तथा अन्य सेवा क्षेत्रों के प्रमुख क्षेत्रों के तहत अनेक पाठ्यक्रम प्रदान करता है। इस समय प्रदान किए जा रहे पाठ्यक्रमों की अवधि छः मास से दो वर्ष तक की है।

वर्ष 2003-04 के दौरान चार नए पाठ्यक्रम प्रारंभ किए गए नामत फल और सब्जियों का परीरक्षण, वृद्धों की देखभाल में प्रमाण पत्र, कम्प्यूटर हार्डवेयर और असेम्बली तथा उर्दू टाइपराइटिंग में प्रमाण पत्र। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में उद्यमशीलता की संकल्पना शामिल की गई है ताकि पास करने वाले उम्मीदवारों को अपनी उत्पादन/सेवा इकाईयां स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन मिल सके। हाल ही में एनआईओएस को इसके छात्रों की अनेक सफलता कहानियां प्राप्त हुई हैं जिन्होंने व्यावसायिक/शैक्षिक पाठ्यक्रम पूरे किए हैं। कुछ गृहणियों को भी रोजगार प्राप्त हुए हैं और प्रौढ़ों को एनआईओएस अध्ययन पाठ्यक्रम

चित्र 1. 1991 से एनआईओएस में दाखिला प्रवृत्ति



	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
दाखिला	40	34	56	64	65	77	91	112	129	147	186	214	278	321

पूरा करने के बाद विश्वास प्राप्त हुआ है। मेसर्स ब्लू डार्ट जैसी कुछ एजेंसियां एनआईओएस पास करने वालों को भर्ती करने के लिए सामने आई हैं।

अनेक नए पाठ्यक्रम विकसित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। वर्ष 2003-04 के दौरान विकासात्मक कार्यकलापों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं: निम्नलिखित पाठ्यक्रमों में स्व अध्ययन सामग्री और पाठ्यचर्या विकास, दो पहिया मेकेनिक, ब्रास मैटल प्रौद्योगिकी, मोटर मेकेनिक, आधुनिक सचिवालयीय प्रथा, फुटवियर डिजाइन और उत्पादन, मुद्रण प्रौद्योगिकी, स्वागत संबंधी कार्य, वेब डिजाइनिंग, सूचना प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा, होम्योपैथी में संशोधित जन स्वास्थ्य पाठ्यक्रम, आप्टोमिटरी में डिप्लोमा, मेडिकल प्रयोगशाला तकनीशियन, प्लास्टर प्रौद्योगिकी। ग्राम सखी और ग्राम सहयोगिनी पाठ्यक्रम जिन्हें फाउंडेशन द्वारा मराठी भाषा में सामुदायिक स्वास्थ्य पुणे में अनुसंधान हेतु विकसित किया गया था, हिन्दी माध्यम में अनूदित किए गए हैं और शीघ्र ही अन्य केन्द्रों में प्रस्तुत किए जाएंगे। जीवन विज्ञान में पाठ्यक्रम का जैन विश्व भारती, लाडनून के सहयोग से विकास किया जा रहा है। मुक्त बुनियादी शिक्षा स्तर पर कपड़े काटने और सिलने के संबंध में पाठ्यक्रम शुरू किया गया।

दो वीडियो फिल्म पूरी की गई जो निम्न प्रकार हैं:

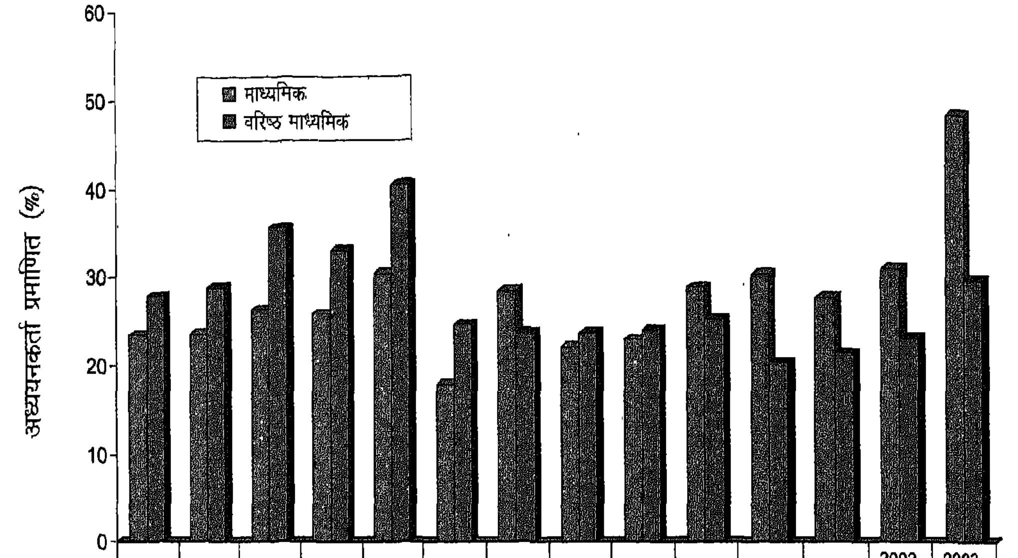
1. अनोखा स्वाद (फलों और सब्जियों का परीरक्षण)
2. पोषक तत्वों का संरक्षण
3. प्रश्न बैंक में संकल्पनाएं

चार नई फिल्मों के शैक्षिक सार तैयार किए गए हैं।

विकलांगों की शिक्षा

विशेष शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित के संबंध में उपाय किए गए हैं: (1) दृष्टि बाधा वाले अध्ययनकर्ताओं के शिक्षकों और अभिभावकों के लिए एक मैनुअल का विकास, (2) ब्रेल मुद्रण हेतु दृष्टि बाधा वाले अध्ययनकर्ताओं के लिए व्यावसायिक शिक्षा सामग्री का विकास/उसे अपनाना, और (3) अयोग्यताओं वाले बच्चों से निपटने के लिए टेलीकांफ्रेंसिंग के माध्यम से शिक्षकों के अनुस्थापन हेतु एक प्रशिक्षण पैकेज का विकास। वर्ष के दौरान लगभग सभी प्रमुख विषयों में ब्रेल में माध्यमिक पाठ्यक्रम पुस्तकें मुद्रित की गई और संबंधित अध्ययन केन्द्रों को भेजी गई। टेलीकांफ्रेंसिंग के माध्यम से शिक्षकों के अनुस्थापन के लिए एक मैनुअल का विकास किया गया है। विभिन्न प्रकार के विकलांग बच्चों की शिक्षा में योगदान करने के लिए एनआईओएस में प्रत्यायित संस्थानों में कार्यरत 3 शिक्षकों को शिक्षक दिवस (5 सितम्बर 2003) को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए।

चित्र 2. परीक्षा में बैठे छात्रों की प्रतिसत्ता के रूप में प्रमाणित अध्ययनकर्ता



	1991	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
माध्यमिक	23.42	23.54	26.26	25.87	30.26	17.9	28.35	22.02	22.82	28.69	30.1	27.44	30.77	48.06
वरिष्ठ माध्यमिक	27.82	28.8	35.48	32.99	40.37	24.57	23.57	23.57	23.73	25.07	20.16	21.28	22.85	29.45

छात्र सहायता सेवा

प्रारंभिक स्कीमों से पास करने वाले छात्रों को सुलभता प्रदान करने के लिए दाखिले में वृद्धि करने की योजना

मुक्त स्कूल शिक्षा पद्धति को वढ़ावा देने और शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर भर्ती में वृद्धि करने के लिए कठोर प्रयास किए जा रहे हैं। एसएसएस विभाग, प्रारंभिक से माध्यमिक शिक्षा पद्धति तक व्यापक संक्रमणकालीन कमी को पूरा करने के लिए प्रभावी कार्यनीतियां तैयार और लागू करने की प्रक्रिया कर रहा है। वर्ष में दो बार प्रत्यक्ष पंजीकरण करना और वर्ष में एक बार प्रत्यायित संस्थानों के माध्यम से प्रवेश इस दिशा में एक कदम है। ग्रामीण क्षेत्रों में एनआईओएस के कार्यक्षेत्र में पर्याप्त रूप से वृद्धि करने के लिए कठोर प्रयास किए जा रहे हैं जहाँ विभिन्न समाजार्थिक व अन्य कारणों से बड़ी संख्या में वच्चे स्कूल से बाहर रहते हैं (विशेष रूप से लड़कियां)। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक संख्या में स्कूल प्रत्यायित हैं। इसके अंतर्गत समाज के निम्न समाजार्थिक वर्गों और मार्जिनकृत समुदायों की विशेष जरूरतों को पूरा करने का एनजीओ के निकट सहयोग से प्रयास किया जाता है।

सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में अपने एआई/अध्ययन केन्द्रों का विस्तार कर रहा है ताकि पूरे क्षेत्र को पर्याप्त रूप से कवर करना सुनिश्चित हो सके। यह सभी राज्य शिक्षा विभागों से सम्पर्क बनाए हुए है ताकि सभी सरकारी राज्य जिला परिषद स्कूल, म्युनिसिपल निगम स्कूल एनआईओएस के प्रत्यायित संस्थान बन सकें। केबीएस, एनबीएस और सीबीएसई द्वारा संबद्ध स्कूलों के माध्यम से इसके नेटवर्क का विस्तार किया जा रहा है। एनआईओएस, मुक्त स्कूल शिक्षा कार्यक्रमों में समुदाय की उपयोगी भागीदारी करने पर भी विचार कर रहा है।

उन क्षेत्रों में शैक्षिक अवसरों की व्यवस्था करने पर अधिक बल दिया जा रहा है जहाँ भौगोलिक कठिन तराई और संयोजन ढांचे के अभाव के कारण शिक्षा संस्थाओं की कमी है। पूर्वोत्तर राज्यों में शैक्षिक क्षेत्र का संवर्द्धन करने के लिए तथा शैक्षिक कार्यक्रम की राज्य विशिष्ट जरूरतों का पता लगाने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं।

ओडीईएस (मांग पर परीक्षा पद्धति) का कार्यान्वयन

एनआईओएस ने मांग पर परीक्षा पद्धति (ओडीईएस) की नवीन अवधारणा प्रारंभ की है जहाँ व्यक्तिगत अध्ययनकर्ता यह समझे कि वह इसके लिए तैयार है और मूल्यांकन किया जाता है। ओडीइएस ने केवल समय की दृष्टि से स्वतंत्र है बल्कि यह अध्ययनकर्ताओं को तब तक अपना निष्पादन

सुधारने का अवसर प्रदान करता है जब तक वे अपना निपुणता स्तर प्राप्त न कर लें। इस प्रकार ओडीईएस ने मुक्त स्कूल शिक्षा पद्धति में खुलापन और ढील की एक और व्यवस्था की है जहाँ परीक्षा स्वनिर्धारित होती है और निष्पादन की मात्रा अध्ययनकर्ता द्वारा नियंत्रित होती है। मूल्यांकन की इस पद्धति के अंतर्गत परीक्षा संबद्ध दबाव और असफलता के भय को दूर करने का प्रयास किया गया है। ओडीईएस को मुक्त बुनियादी शिक्षा में एक प्रायोगिक परियोजना के रूप में शुरू किया गया है। विगत वर्ष 5 विभिन्न केन्द्रों में 'ग' स्तर (कक्षा 8 के समकक्ष)। अपनी सफलता को देखते हुए एनआईओएस ने माध्यमिक स्तर पर ओडीईएस प्रारंभ करने की योजना बनाई है। एसएसएस विभाग ने कम्प्यूटर यूनिट के साथ चुनिंदा ओडीईएस परीक्षण केन्द्रों के परीक्षा समन्वयकों और सहायक समन्वयकों के लिए एक दिन का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया।

प्रवेश में वार्ता प्रारंभ करना

वार्ता प्रवेश की कार्यान्वियन नीतियों का पता लगाने के लिए एक प्रारंभिक चिंतन सत्र 15 सितम्बर, 2003 को आयोजित किया गया। एक योजनाबद्ध दृष्टिकोण विकसित करने पर अधिक बल दिया गया। वास्तविक लाभ प्राप्तकर्ताओं और लक्ष्य समूह के विनिर्धारण की जरूरत पर विस्तारपूर्वक विचार किया गया। प्रवेश की उपलब्धता, पर्याप्त अध्ययन अवधि, पीसीपी और टीएमए की व्यवहार्यता जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। ऐसा समझा गया कि कार्य की एक सुनिश्चित विस्तृत कार्यान्वियन नीति, डाटा के प्रवाह और विनिर्दिष्ट अतिरिक्त मानव संसाधनों का इस कार्य के लिए विकास किया जाए। इसके साथ ही प्रवेश और मूल्यांकन का भली-भाँति समन्वय किया जाए ताकि एनआईओएस कार्यक्रमों की नम्यता और प्रासंगिकता सुनिश्चित हो सके।

शिक्षक चिन्हित कार्य

एनआईओएस ने पंजीकृत अध्ययनकर्ताओं को भली-भाँति और सफलतापूर्वक सीखने में मदद देने के लिए अनेक उपाय और कार्यनीतियां विकसित की हैं। शिक्षक चिन्हित कार्य (टीएमए) ऐसा एक साधन है जो मुक्त और दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से अध्ययन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। टीएमए सीखने वालों को अपनी प्रगति और उपलब्धि स्तर जानने और नियमित अध्ययन आदतें विकसित करने में मदद देता है जो एक स्व अध्ययनकर्ता बनने के लिए जरूरी हैं।

इस दृष्टि से टीएमए को शैक्षिक वर्ष 2002-03 से माध्यमिक स्तर पर और 2003-04 से वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर प्रारंभ किया गया।

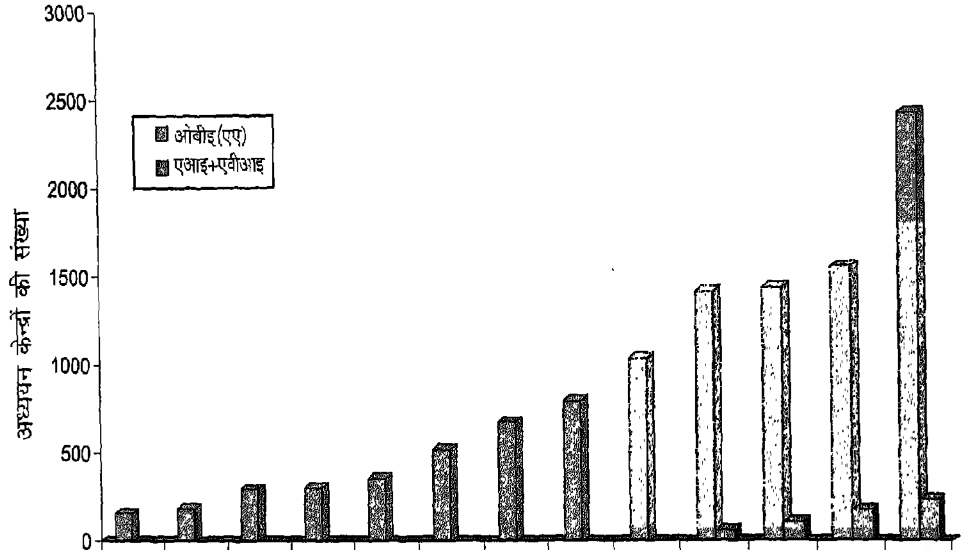
अध्ययनकर्ताओं को प्रत्यायित संस्थानों के माध्यम से एक पृथक पुस्तिका में दोनों स्तरों पर शिक्षक चिन्हित कार्य प्रदान किए जाते हैं। पुस्तिका में प्रत्येक विषय में तीन कार्य शामिल होते हैं। अध्ययनकर्ताओं को सभी कार्यों को विषय के शिक्षक को प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जो उनके प्रत्यायित संस्थान में वैयक्तिक संपर्क कार्यक्रम (पीसीपी) में सम्मिलित हो। यह विषय शिक्षक कार्य का मूल्यांकन करता है और उसे अध्ययनकर्ताओं को सुधार के संबंध में सुझावों और शुद्धियों के साथ वापस भेज देता है। माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर कार्यों में प्राप्त अंकों पर मार्च-मई, 2004 से सार्वजनिक परीक्षाओं में समग्र ग्रेड पद्धति/अंकों में शामिल किए जाने के लिए विचार नहीं किया जाएगा। तथापि टीएमए के अंकों को उन छात्रों के संबंध में अलग से अंक पत्र में दर्शाया जाएगा जिन्होंने प्रस्तावित समय सारणी के अंदर कार्य पूरे किए हों और अन्यों के संबंध में अनुपस्थित दर्शाया जाएगा।

क्रेडिटों का हस्तान्तरण

एनआईओएस मुक्त और दूरवर्ती अध्ययन विधि के माध्यम से डिग्री पूर्व स्तर तक शिक्षा प्रदान करता है इसे डिग्री पूर्व स्तर पाठ्यक्रमों तक छात्रों को प्रमाणित और परीक्षा लेने के वास्ते भारत सरकार द्वारा प्राधिकृत किया गया है। एनआईओएस द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र अधिकांश राज्य बोर्डों और भारत के विश्वविद्यालयों द्वारा मान्य हैं। एनआईओएस छात्रों के लाभार्थ क्रेडिट के हस्तान्तरण (टीओसी) की अनुमति देता है जिन्होंने सीबीएसई और राज्य मुक्त स्कूलों से एक अथवा अधिक विषय में परीक्षा उत्तीर्ण की है।

शिक्षा वर्ष 2004-05 से सीबीएसई/राज्य मुक्त स्कूलों के पूर्व छात्रों को जिन्होंने कम से कम एक विषय पास कर लिया है और विगत पांच वर्षों के दौरान पाठ्यक्रम में क्वालीफाई नहीं कर पाए हैं यह छूट होगी कि वे पास किए गए दो विषयों के क्रेडिट प्राप्त कर सकें बशर्ते की वे विपय एनआईओएस कार्यक्रमों में उपलब्ध हों। एक एनआईओएस पूर्व छात्र को अधिकतम चार विषय पास करने पर टीओसी प्राप्त करने का विकल्प होगा।

चित्र 3. अध्ययन केन्द्रों का विकास



	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03
एआइ+एवीआइ	161	191	298	306	357	522	671	793	1030	1406	1426	1545	2418
ओवीइ(एए)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67	108	176	232

मीडिया कार्यक्रम

वर्ष 2003-04 के दौरान 11 वीडियो फिल्म पूरी की गई तथा 2 वीडियो कार्यक्रम उत्पादन स्तर पर हैं। संगीत शिक्षा पर 5 वीडियों कार्यक्रमों की रिकार्डिंग एनआईओएस के लघु स्टूडियों में की गई। 31 वीडियो कार्यक्रम बाहरी निर्माताओं को दिए गए जो चैनलों--डीडी 1 और ज्ञानदर्शन के लिए भावी प्रसारण आवश्यकताओं तथा प्रस्तावित शैक्षिक उपग्रह को देखते हुए प्रदान किए गए। एनआईओएस कार्यक्रम प्रत्येक शुक्रवार को सुबह 5.02 से सुबह 5.25 बजे तक डीडी 1 पर प्रसारित किए जाते हैं और ज्ञानदर्शन पर प्रत्येक दिन शाम को 6.30 बजे से शाम को 7.00 बजे तक प्रसारित किए जाते हैं। एनआईओएस द्वारा तैयार किए गए 33 आडियो कार्यक्रम एफ एम चैनल पर सुबह 8.15 बजे से सुबह 8.45 बजे तक और फिर शाम को 4.15 बजे से शाम 4.45 बजे तक प्रतिदिन प्रसारित करने के लिए दिए गए। 14700 आडियो कैसेटों और 69852 वीसीडी की दोहरी प्रतियां तैयार की गई।

सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी)

राष्ट्रीय मुक्त स्कूल पद्धति संस्थान में आईसीटी

शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के उपयोग को व्यापक रूप से स्वीकार किया जा रहा है और यह प्रकृति से ही मुक्त स्कूल पद्धति के मामले में अधिक प्रासंगिक है। एनआईओएस अपने लगभग सभी कार्यकलापों और कार्यक्रमों में आईसीटी की ईष्टतम उपयोगिता सुनिश्चित करता है। एनआईओएस के कार्यक्रमों और कार्यकलापों के तहत आईसीटी का उपयोग अभी तक जहाँ पहुंच नहीं हो पाई है वहाँ एक प्रमुख कार्यनीति के रूप में किया जा रहा है।

अनुप्रयोगों की अवसंरचना और क्षेत्र

एनआईओएस, आईसीटी को आगे बढ़ाने में काफी सफल रहा है क्योंकि इसने 1989 में केवल 2 वैयक्तिक कम्प्यूटरों के साथ एक छोटी सी शुरूआत की थी आज यह नवीनतम हार्डवेयर और साफ्टवेयर से सज्जित है। बुनियादी आपरेटिंग पद्धति



और पेन्टियम 4 आधारित विन्डोज सर्वर के साथ विन्डोज एनटी/विन्डोज 2000 प्रोफेशनल के साथ केन्द्रीयकृत डाटाबेस पद्धति के साथ एक स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क है। इससे उपयोगकर्ताओं के बीच संचार और संसाधन वांटने में बहुत वृद्धि हुई है। एनआईओएस के सभी क्षेत्रीय केन्द्रों को तीन कम्प्यूटरों और दो प्रिंटरों के साथ बुनियादी कम्प्यूटिंग सुविधाएं प्रदान की गई हैं। क्षेत्रीय केन्द्रों को डाटा के हस्तान्तरण और दिल्ली में मुख्यालय के साथ सुचारू संयोज्यता कायम करने के लिए इन्टरनेट सुलभता और ई-मेल सुविधा भी प्रदान की गई है।

अनुसंधान अध्ययन

मुक्त स्कूल शिक्षा में अनुसंधान के प्राथमिकतापूर्ण क्षेत्रों में सम्मिलित हैं: (1) एनआईओएस की सुलभता और बाधाएं, (2) मुक्त स्कूल शिक्षा में नम्यता और खुलेपन की बारीकी से समीक्षा (3) पद्धति की विश्वसनीयता (4) सामग्री और पद्धतियों का मूल्यांकन (5) प्रभावी कार्यक्रम प्रदाय हेतु एकीकृत आधुनिक प्रौद्योगिकी की संभाव्यता और (6) एनआईओएस से पास करने वाले और बीच में पढ़ाई छोड़ देने वालों के संबंध में अध्ययन। 14 आंतरिक अनुसंधान परियोजनाएं प्रगति पर हैं। वित्तीय सहायता के लिए 12 बाह्य अनुसंधान परियोजनाएं विचाराधीन हैं। 10 अनुसंधान परियोजनाओं पर एनआईओएस, ओबीई प्रत्यायित एजेंसियों और राष्ट्रमंडल अध्ययन की सहयोगी परियोजनाओं के रूप में विचार किया गया है।

भूमि और भवन परियोजना

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अपने दिनांक 5.3.2002 के पत्र के अनुसार 25 करोड़ रुपए की समग्र लागत से जिसमें आयोजना और वास्तुकला स्कूल को उसकी सेवाओं के लिए एक करोड़ रुपए सहित जिसे परियोजना के लिए वास्तुविद के रूप में नियुक्त किया गया है, नोएडा में एनआईओएस कार्यालय परिषद निर्मित करने के एक प्रस्ताव के बारे में ईएफसी का अनुमोदन प्रेषित किया है।

उम्मीद है कि भवन कार्य का बीस प्रतिशत भाग 2003-04 के दौरान पूरा हो जाएगा।

केन्द्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन (सीटीएसए)

केन्द्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन (सीटीएसए) की स्थापना 1961 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में भारत में तिब्बती बच्चों की शिक्षा के लिए संस्थानों को चलाने उनका प्रबंध और सहायता करने के उद्देश्य से एक स्वायत्त संगठन के रूप में की गई थी। यह स्कूल उन क्षेत्रों में चलाए जा रहे हैं जहाँ तिब्बतियों की संख्या अधिक है ताकि उनकी परंपराओं, संस्कृति और विरासत की अनिवार्यताओं को परिरक्षित करते हुए उन्हें आधुनिक शिक्षा प्रदान की जा सके।

इस समय 79 स्कूल हैं जिनमें 6 (रिहायशी) वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल, 2 (गैर रिहायशी) वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल, 6 माध्यमिक स्कूल, 7 मिडिल स्कूल, 7 प्राथमिक स्कूल, 42 पूर्व प्राथमिक स्कूल और 9 सहायता अनुदान स्कूल शामिल हैं। इस समय इन स्कूलों में 9216 छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं इस संख्या में वे छात्र शामिल नहीं हैं जिन्हें सहायता अनुदान स्कूलों में शिक्षा प्रदान की जा रही है।

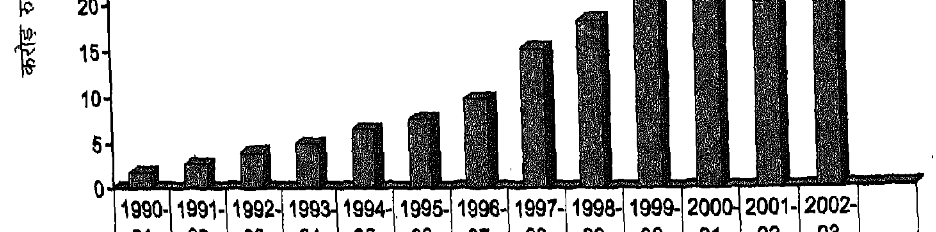
बेहतर बोर्ड परिणाम सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक नवीन स्कीम यथा क,ख,ग,घ स्कीम शुरू की गई हैं जिसके अंतर्गत सौ प्रतिशत उपस्थिति परीक्षा उनमुख सामग्री का संसोधन रिक्तियों को भरने आदि पर बल दिया जाता है। सभी वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में परामर्श और मार्गदर्शन प्रकोष्ठ भी स्थापित किए गए हैं ताकि किशोर अवस्था के दबाव पर काबू पाया जा सके।

सभी स्कूलों को सुसज्जित अवस्थापना से सज्जित किया गया है जैसे कि इमारत, खेल का मैदान, बहु प्रयोजन हाल, स्टाफ क्वार्टर, संसाधन केन्द्र और ओएचपी रंगीन टेलीविजन, वीसीडी प्लेयर, कम्प्यूटर, एलसीडी, शैक्षिक सीडी, इलेक्ट्रानिक शिक्षण साधन जैसे आवश्यक जुगतों के साथ एमएलएल केन्द्र और विज्ञान, गणित, समाज विज्ञान, भाषा, कार्य अनुभव इत्यादि के लिए प्रयोगशालाएं ताकि स्कूलों में कार्यकलाप आधारित आनंदमय शिक्षण-अध्ययन सुनिश्चित हो सके।

आलोच्य वर्ष के दौरान प्रशासन ने कक्षा 12 में 83.75 प्रतिशत परिणाम और कक्षा 10 परीक्षा में 80.10 प्रतिशत परिणाम प्राप्त किए। यह परीक्षाएं सीबीएसई द्वारा आयोजित की गई थी।

छात्रों को भारत स्काउट और गाइडों के राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय समारोहों, क्षेत्रीय और केन्द्रीय प्रतियोगिताओं में, सीबीएसई द्वारा आयोजित, साहसिक कार्यक्रमों, क्षेत्रीय और सीटीएसए द्वारा आयोजित क्षेत्रीय और केन्द्रीय सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं

चित्र 4. 1990-91 के बाद से एनआईओएस आय



	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03
आय	1.78	2.67	3.9	4.95	6.42	7.51	9.75	15.14	18.2	22.29	28.76	33.05	43.19



और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। छात्र राज्य सरकारों के विभिन्न एजेंसियों द्वारा आयोजित सामुदायिक विकास, पर्यावरणीय और राष्ट्रीय एकीकरण कार्यक्रमों में भी सक्रिय रूप से योगदान करते हैं।

उपरोक्त के अलावा विभिन्न अन्य प्रोत्साहन स्कीमें, जिनमें से कुछ एक का उल्लेख नीचे किया गया है, छात्रों और शिक्षण स्टाफ दोनों द्वारा चलाई जा रही है:

- 15 तिब्बती छात्रों को डिग्री स्तर पाठ्यक्रमों में अध्ययन करने के लिए और 5 छात्रों को डिप्लोमा स्तरीय पाठ्यक्रमों में अध्ययन करने के लिए छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं।
- भारत सरकार ने विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में जैसे कि मेडिकल, इंजीनियरी, शिक्षक शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, फार्मेसी इत्यादि में तिब्बती छात्रों के लिए कुछ स्थान आरक्षित किए हैं।
- शिक्षकों की व्यावसायिक/शिक्षण दक्षताएं उन्नत करने और उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में कार्यान्वित/प्रयोग की जा रही आधुनिक प्रक्रिया से परिचित कराने के लिए, एनसीईआरटी, एनआईईपीए, सीबीएसई, केबीएस इत्यादि जैसे संगठनों के सहयोग से सेवाकालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं।
- शिक्षकों की उल्लेखनीय सेवाओं को मान्यता प्रदान करने के लिए शिक्षकों को प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान करने की स्कीम सीटीएसए में विद्यमान हैं जिसमें ऐसे अध्यापकों को एक स्मृति चिन्ह और 2000 रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाता है।
- तिब्बती भाषा में दक्षता प्राप्त करने के लिए भारतीय अध्यापकों को प्रोत्साहन की एक स्कीम विगत कई वर्षों से चल रही है।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन

भारत सरकार ने उन केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को बाधारहित शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से 1962 में केन्द्रीय विद्यालयों की एक स्कीम अनुमोदित की थी जिनके प्रायः तबादले होते रहते हैं। प्रारंभ में 20 रेजीमेंटल स्कूलों को अपनाया गया था। 30.11.2003 की स्थिति के अनुसार देश में केन्द्रीय विद्यालयों की संख्या 902 है।



केन्द्रीय विद्यालय खोलना

सिविल क्षेत्र में विभिन्न मंत्रालयों/केन्द्रीय सरकार के विभागों/राज्य सरकार के कर्मचारी, कल्याण संघों आदि की सिफारिशों के आधार पर केन्द्रीय विद्यालयों की स्थापना की जाती है। इसी प्रकार विद्यालयों की स्थापना रक्षा क्षेत्र में रक्षा मंत्रालय की सिफारिशों के आधार पर की जाती है। केन्द्रीय विद्यालय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और उच्च अध्ययन संस्थानों के परिसरों में परियोजना क्षेत्रक में भी खोले जाते हैं यदि उनका आवर्ती और अनावर्ती खर्च पूर्ण रूप से प्रायोजक प्राधिकारियों द्वारा वहन किया जाए।

1.12.2003 की स्थिति के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में 902 विद्यालयों का विभाजन निम्न प्रकार है:

रक्षा	350
सिविल	421
उच्च अध्ययन संस्थान	18
परियोजनाएं	113
जोड़	**902**

क्षेत्रीय शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान खोलना

केन्द्रीय विद्यालय संगठन की प्रशिक्षण जरूरतों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित पांच क्षेत्रीय शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान खोलने का निर्णय लिया गया है:

- जेडआईईटी ग्वालियर
- जेडआईईटी मुम्बई
- जेडआईईटी कोलकता
- जेडआईईटी चंडीगढ़
- जेडआईईटी मैसूर

उपरोक्त पांच क्षेत्रीय शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों में से इस समय केवल जेडआईईटी मुम्बई और ग्वालियर कार्य कर रहे हैं। उनके द्वारा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं।

केवीएस प्रशासन

मानव संसाधन विकास मंत्री संगठन के पदेन अध्यक्ष हैं। संगठन और इसके शासी बोर्ड द्वारा जारी नीतियों और मार्ग निर्देशों को कमिश्नर द्वारा निष्पादित किया जाता है जो संगठन का कार्यकारी प्रधान है। कमिश्नर की सहायता के लिए दो संयुक्त कमिश्नर तथा अन्य अधिकारीगण और केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय) व इसके 18 क्षेत्रीय केन्द्रों में सहायक स्टाफ हैं। क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रधान सहायत कमिश्नर हैं। क्षेत्रीय कार्यालयों का मुख्य कार्य क्षेत्र में विद्यालयों के कामकाज का मानीटरन और पर्यवेक्षण करना है। प्रत्येक केन्द्रीय विद्यालय का प्रधान एक प्रिंसिपल/पिंसिपल ग्रेड वो होता है जिसकी सहायता के लिए कुछ प्रशासन ओर शिक्षण स्टाफ होता है।

प्रवेश

केन्द्रीय विद्यालयों में कक्षा 1 में प्रवेश के लिए बुनियादी मापदंड विगत सात वर्षों के दौरान, प्रवेश वर्ष के तत्काल पूर्व, अभिभावकों

का स्थानान्तरण है। उसके बाद गैर स्थानान्तरणीय केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों और उसके बाद भारत सरकार द्वारा पूर्णतया वित्त पोषित सरकारी क्षेत्रक उपक्रमों के गैर स्थानान्तरणीय कर्मचारियों और स्थानान्तरणीय कर्मचारियों के बच्चों को दाखिला दिया जाता है। प्रवेश के लिए अगली श्रेणी राज्य सरकार के स्थानान्तरणीय कर्मचारियों के बच्चों की है। उपरोक्त श्रेणियों की मांग पूरी हो जाने के बाद यदि रिक्तियों उपलब्ध होती हैं तो चलायमान लोगों के बच्चों को भी प्रवेश दिया जाता है।

केन्द्रीय विद्यालयों में उपरोक्त श्रेणियों के अलावा प्रवेश के लिए कतिपय अपवाद भी अनुमोदित किए हैं:

- माननीय संसद सदस्यों और केवीएस कर्मचारियों के बच्चे और आश्रित पोते-पोतियां;
- विदेश मंत्रालय के कर्मचारियों के लिए 60 स्थान और आरएडब्ल्यू कर्मचारियों के लिए 15 स्थान;
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय के कर्मचारियों के लिए 100 स्थान;
- कक्षा 1 के प्रत्येक सेक्शन में 10 स्थान और अन्य सभी कक्षाओं में 10 स्थान प्रायोजक एजेंसी के लिए आरक्षित हैं;
- दो बच्चे वीएमसी के अध्यक्ष के विवेक पर दाखिल किए जाएंगे।
- कक्षा 10 में 80 प्रतिशत अथवा अधिक अंक पाने वाले बच्चों को कक्षा की संख्या के अलावा ग्यारहवीं कक्षा में प्रवेश दिया जाता है।

31.3.2003 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय विद्यालयों में अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या लगभग 7.26 लाख है।

आरक्षण

नए दाखिलों में 15 प्रतिशत और 7.5 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों, 3 प्रतिशत स्थान उर्ध्वाधार रूप में शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए आरक्षित हैं।

पूर्व प्राथमिक शिक्षा

केवीएस ने स्व वित्त पोषण आधार पर केन्द्रीय विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ की है जहाँ आधारभूत ढॉचा उपलब्ध है। 1 अप्रैल को चार वर्ष की आयु वाले बच्चों को दाखिला दिया जाता है।

केन्द्रीय विद्यालयों की मुख्य-मुख्य बातें

- केन्द्रीय विद्यालय मुख्य रूप से केन्द्रीय सरकार के स्थानान्तरणीय कर्मचारियों के बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।
- सभी केन्द्रीय विद्यालय सह-शिक्षा विद्यालय हैं।
- एक समान पाठ्य पुस्तकों, एक समान पाठ्यचर्या और शिक्षण के द्विभाषायी अर्थात अंग्रेजी और हिन्दी माध्यम का पालन किया जाता है।
- सभी केन्द्रीय विद्यालय केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध हैं। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडू राज्यों में कुछ केन्द्रीय विद्यालय जमा दो स्तर पर राज्य शिक्षा बोर्डों से भी संबद्ध हैं।
- कक्षा 6 से 8 तक तीन भाषाओं यथा अंग्रेजी, हिन्दी और संस्कृत का शिक्षण अनिवार्य है।
- कक्षा 9 और 10 में, अंग्रेजी, हिन्दी और संस्कृत में से कोई भी दो भाषाएं ली जा सकती हैं। जमा दो स्तर पर संस्कृत एक इलेक्टिव विषय के रूप में भी ली जा सकती है।
- कक्षा 8 तक के छात्रों से, केन्द्रीय विद्यालय संगठन के स्टाफ के बच्चों, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों से, युद्ध के दौरान मारे गए अथवा चीन और पाकिस्तान के विरुद्ध 1962, 1965 और 1971 के युद्ध में मारे गए अथवा अयोग्य हुए सशस्त्र सेनाओं के अधिकारियों और सैनिकों के बच्चों तथा 12वीं कक्षा तक की छात्राओं से कोई शिक्षा शुल्क नहीं लिया जाता है।

जमा दो स्तर पर अध्ययन पाठ्यक्रम

केन्द्रीय विद्यालय मुख्य रूप से विज्ञान, वाणिज्य और मानविकी विषयों में शिक्षा प्रदान करते हैं। मानविकी छात्रों को कोई भी विषय लेने की छूट है बशर्ते कि सीबीएसई द्वारा उसकी व्यवस्था हो और 15 अथवा उससे अधिक छात्र उपलब्ध हों।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों तथा जिन छात्रों ने खेल प्रतियोगिताओं, स्काउटिंग और गाइडिंग कैम्पस/एनसीसी/साहसिक कार्यकलापों में भाग लिया हो उन्हें विज्ञान और वाणिज्य विषयों में जमा दो स्तर पर प्रवेश में रियायत प्रदान की जाती है।

तालिका 9.1. अन्य संगठनों के साथ केन्द्रीय विद्यालयों का तुलनात्मक निष्पादन					
कक्षा 10	**1999**	**2000**	**2001**	**2002**	**2003**
केवीएस	77.9	77.8	81.8	85.55	84.69
जेएनवी	84.7	87.0	87.0	88.65	88.50
स्वतंत्र स्कूल	86.5	86.4	85.4	85.63	83.39
जोड़ (सीबीएसई)	**64.4**	**65.4**	**66.6**	**69.53**	**68.02**
कक्षा 12					
केवीएस	83.1	83.0	83.9	86.46	88.67
केवीएस	87.5	83.3	84.2	83.53	85.26
स्वतंत्र स्कूल	84.8	84.8	82.9	83.32	81.07
जोड़ (सीबीएसई)	**74.68**	**76.35**	**75.2**	**75.20**	**73.59**

शैक्षिक निष्पादन

वोर्ड परिणाम-शैक्षिक उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए किए गए प्रयासों के परिणाम केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) द्वारा कक्षा 10 और कक्षा 12 के अन्त में आयोजित परीक्षाओं में केन्द्रीय विद्यालयों के छात्रों के निष्पादन में झलकते हैं। सीबीएसई द्वारा आयोजित कक्षा 10 और कक्षा 12 परीक्षाओं में विगत पांच वर्षों के दौरान अन्य संगठनों के साथ केन्द्रीय विद्यालयों का तुलनात्मक प्रदर्शन तालिका 7.1 में दर्शाया गया है।

केन्द्रीय विद्यालयों में सूचना प्रौद्योगिकी

केवीएस द्वारा निम्नलिखित कार्यक्रम और कार्यकलाप शुरू किए गए हैं:

विद्यालय सूचना पद्धतिः केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने सभी विद्यालय कार्यालयों को 31 मार्च, 2004 तक कम्प्यूटरीकृत करने का निर्णय लिया है। क्षेत्रीय शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान मुंबई द्वारा विकसित एक कार्यक्रम प्रशिक्षण तथा कार्यान्वियन हेतु सभी केन्द्रीय विद्यालयों और क्षेत्रीय कार्यालयों को भेजा गया है।

कम्प्यूटर अवसंरचनाः अधिकांश केन्द्रीय विद्यालयों में आवश्यक साफ्टवेयर के साथ कम से कम पांच कम्प्यूटरों की व्यवस्था की गई है। कक्षा 3 से ऊपर के सभी छात्र कम्प्यूटर शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत कवर किए गए हैं।

प्रशिक्षण प्रयोगशालाएंः केवीएस ने, केन्द्रीय विद्यालय मस्जिद मोठ नई दिल्ली, केन्द्रीय विद्यालय जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली, केन्द्रीय विद्यालय अशोक नगर, चेन्नई, केन्द्रीय विद्यालय संख्या 1 भोपाल, केन्द्रीय विद्यालय मल्लेश्वरम बंगलौर और केन्द्रीय विद्यालय फोर्ट विलयम कोलकता में मेसर्स इन्टेल के तत्वावधान में 6 प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की हैं।

वेबसाइटः केवीएस एक वेबसाइट 'www.kvsangathan.org' प्रारंभ की है।

स्मार्ट स्कूलः 21वीं शताब्दी की चुनौतियों का सामना करने के लिए उत्पादक नागरिकों के रूप में छात्रों के विकास के लिए आवश्यक दक्षताओं का बढ़ाने के उद्देश्य से स्मार्ट स्कूलों के रूप में विकसित करने के वास्ते 31 केन्द्रीय विद्यालयों का विनिर्धारण किया गया।

नए शैक्षणिक कार्यक्रम

अन्य कार्यकलाप जैसे कि युवा संसद, राष्ट्रीय एकीकरण और अन्तर्राष्ट्रीय समझबूझ संबंधी सहयोजित स्कूल परियोजना, केवीएस विज्ञान प्रदर्शनी, स्काउटिंग और गाइडिंग, साहसिक कार्यकलाप, एनसीसी, खेलकूद और जनसंख्या तथा विकास शिक्षा आदि प्रत्येक केन्द्रीय विद्यालय की पाठ्यचर्या का अंग हैं।

प्राइवेट प्रशिक्षक, कलाकार और शिल्पकार नियुक्त करके खेलकूद, योग, कला और शिल्पकलाओं को सुदृढ़ करने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया गया है। खेल ढांचे उदाहरणार्थ खेल के मैदान, तरणताल, व्यायामशाला, अश्वारोहण, निशानेबाजी, स्केटिंग, बाक्सिंग रिंगों का विकास किया गया है।

एक प्रायोगिक परियोजना के रूप में मूल्य शिक्षा, दृश्य और अभिनय कलाओं के माध्यम से मूल्यों को सुदृढ़ करने, छात्र आदान-प्रदान कार्यक्रम और प्राथमिक शिक्षा के सुदृढ़ीकरण के संबंध में परियोजना कार्यान्वित की गई हैं।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन छात्रों को साहसिक कार्यकलापों में विशेष रूप से हिमालय, नदियों और झीलों में आयोजित कार्यकलापों में भाग लेने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। वर्तमान वर्ष के दौरान 80000 से अधिक छात्रों ने ऐसे कार्यक्रमों में भाग लिया है जिनमें पैरासेलिंग, पैराग्लाइडिंग, केनोइंग, स्काइंग, आदि सम्मिलित हैं।

शिक्षकों के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार

वर्तमान वर्ष के दौरान 50 शिक्षकों को केवीएस प्रोत्साहन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया।

अध्यापक के रूप में उनकी उच्च कोटि की सेवाओं के मान्यता स्वरूप भारत के राष्ट्रपति द्वारा पांच केन्द्रीय विद्यालय शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया।

निर्माण कार्यकलाप

संगठन, सिविल तथा रक्षा क्षेत्रकों के तहत स्थापित अपने विद्यालयों के लिए स्कूल भवनों और स्टाफ क्वार्टरों आदि का निर्माण करता है। 902 विद्यालयों (131 परियोजना केन्द्रीय विद्यालय सहित) में से 657 विद्यालय अपने स्थायी भवनों में कार्य कर रहे हैं और 87 केन्द्रीय विद्यालयों के संबंध में निर्माण कार्य प्रगति पर है। अवस्थापना और बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना एक सतत प्रक्रिया है जिसे क्रमिक ढंग से चलाया जा रहा है।

वित्त

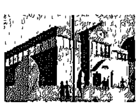
संगठन का वित्त पोषण बुनियादी तौर पर सरकार की योजना-भिन्न निधियों से किया जाता है। तथापि कुछ निधियां योजनाशीर्ष के तहत भी आबंटित की जाती है। भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) द्वारा योजना-भिन्न और योजनागत शीर्षों के अधीन संगठन के लिए मंजूर बजट निम्न प्रकार है:

वर्ष	योजना-भिन्न	योजनागत
	(आंकड़े करोड़ रुपए में)	
1996-1997	278.50	21.90
1997-1998	356.00	39.20
1998-1999	435.00	87.98
1999-2000	454.81	87.90
2000-2001	477.20	95.00
2001-2002	481.14	81.10
2002-2003	544.77	85.00
2003-2004	558.00	103.00

नवोदय विद्यालय समिति

भारत सरकार ने देश के प्रत्येक जिले में औसतन एक नवोदय विद्यालय स्थापित करने की योजना शुरू की है। जवाहर नवोदय विद्यालयों के उद्देश्य निम्नानुसार हैं:

- ग्रामीण क्षेत्रों के सभी प्रतिभावान बच्चों को उनके परिवार की सामाजिक--आर्थिक सि्थति की ओर ध्यान दिए बिना संस्कृति, मूल्यों, पर्यावरणीय जागरूकता और शारीरिक शिक्षा के सशक्त घटक सहित उत्तम स्तर की आधुनिक शिक्षा प्रदान करना;



प्राइवेट प्रशिक्षक, कलाकार और शिल्पकार नियुक्त करके खेलकूद, योग, कला और शिल्पकलाओं को सुदृढ़ करने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया गया है। खेल ढांचे उदाहरणार्थ खेल के मैदान, तरणताल, व्यायामशाला, अश्वारोहण, निशानेबाजी, स्केटिंग, बाक्सिंग रिंगों का विकास किया गया है।

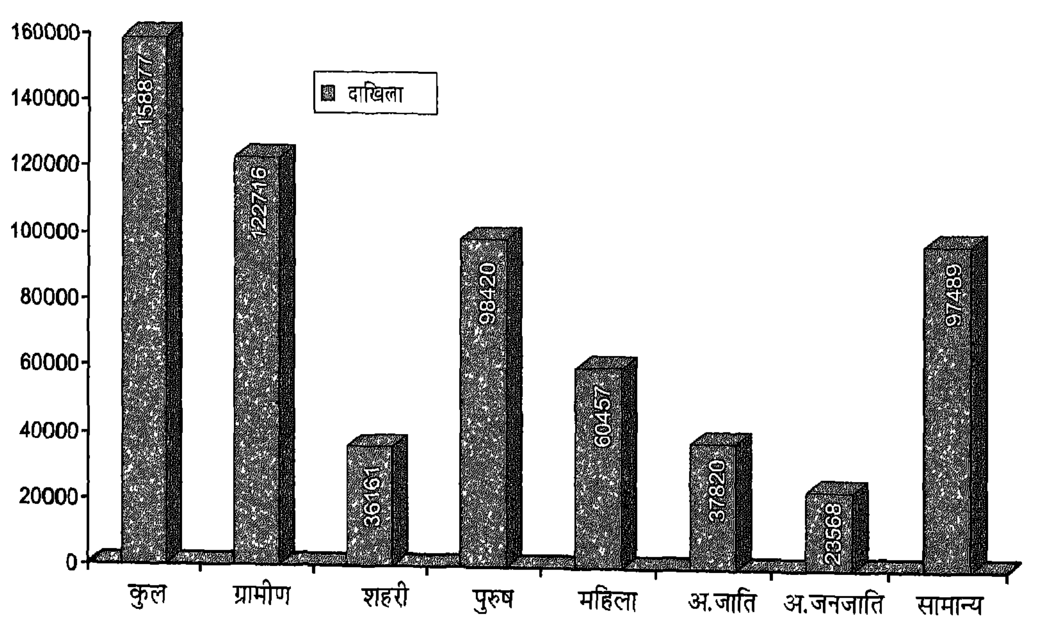
- त्रि-भाषा सूत्र में की गई परिकल्पना के अनुसार यह सुनिश्चित करना कि नवोदय विद्यालय के सभी छात्र तीनों भाषाओं में समुचित स्तर की क्षमता प्राप्त कर लें;
- अनुभवों और सुविधाओं के आदान-प्रदान के जरिए स्कूली शिक्षा के स्तरोन्नयन के लिए प्रत्येक जिले में ध्यातव्य बिन्दुओं के रूप में काम करना।

जवाहर नवोदय विद्यालयों का संचालन मानव संसाधन विकास मंत्रालय, माध्यमिक शिक्षा तथा उच्चतर शिक्षा विभाग के अधीन नवोदय विद्यालय समिति नामक एक स्वायत्त संगठन करता है। मानव संसाधन विकास मंत्री समिति के अध्यक्ष तथा राज्य मंत्री (शिक्षा) समिति के उपाध्यक्ष हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय पूरी तरह आवासीय, सहशिक्षात्मक संस्थान हैं और वे उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्रदान करते हैं। नवोदय विद्यालयों में सभी छात्रों के लिए आवास, भोजन, पुस्तकों, वर्दी आदि सहित शिक्षा निःशुल्क है।

1985-86 में दो प्रयोगिक स्कूलों के साथ शुरू की गई इस स्कीम के अंतर्गत स्कूलों की संख्या अब 506 (राज्य स्तरीय 2 स्कूलों के अतिरिक्त) है जिनके अंतर्गत 34 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में इतने ही जिले कवर किए गए हैं और लगभग 1.8 लाख छात्र दाखिल हैं। प्रत्येक वर्ष 30000 से अधिक नए छात्र दाखिल किए जाते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय में दाखिला संबंधित जिले में आयोजित परीक्षा के जरिए कक्षा 6 के स्तर पर किया जाता है जिन्होंने उस जिले में किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल से कक्षा 5 में सफलता प्राप्त की हों। प्रवेश परीक्षा की रूपरेखा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा तैयार की जाती है और परीक्षा आयोजन भी बोर्ड करता है।

इन विद्यालयों की परिकल्पना एक प्रगतिशील अग्रगामी संकल्पना के साथ, शैक्षिक उत्कृष्टता के माध्यम से विकास के प्रमुख क्षेत्र के रूप में आधुनिक भारत का निर्माण करने के लिए की गई थी। ग्रामीण क्षेत्रों में एक प्रगतिशील और आशावादी स्कूल प्रणाली उपलब्ध कराने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इस योजना में ग्रामीण क्षेत्रों के 75 प्रतिशत छात्रों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। इसी प्रकार स्कीम के अंतर्गत न्यूनतम राष्ट्रीय औसत के अध्ययधीन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आबादी के आनुपातिक प्रतिनिधित्व की भी व्यवस्था है। इसके अलावा 33 प्रतिशत स्थान लड़कियों के लिए आरक्षित है कुल मिलाकर 31.12.2003 की स्थिति के अनुसार नवोदय विद्यालयों में दाखिल छात्रों की कुल संख्या 158877 है।

चित्र 5. 31.12.2003 को दाखिल छात्र



31.12.2003 को दाखिले की स्थिति। 31.3.2004 के लिए दाखिले अभी विद्यालयों से प्राप्त नहीं हुए हैं।

वर्ष 2003-04 के दौरान नवोदय विद्यालयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों, लड़कियों और ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों का प्रतिशत राष्ट्रीय मानदंडों (अनुसूचित जातियां 15 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियां 7.5 प्रतिशत) की तुलना में कहीं अधिक है जैसा कि नीचे दर्शाया गया है।

वर्ष	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	लड़कियां	ग्रामीण
2003-04	23.90	14.56	34.01	77.65

इस प्रकार, जवाहर नवोदय विद्यालय, ग्रामीण छात्रों विशेष रूप से लड़कियों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को उनकी राष्ट्रीय औसत की तुलना में अधिक लाभान्वित कर रहे हैं इस संबंध में मानव संसाधन विकास मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति द्वारा अप्रेल 1997 में उसकी प्रशंसा भी की गई है।

शैक्षिक उत्कृष्टता

तुलना करने पर, नवोदय विद्यालय के छात्रों के बोर्ड के परिणाम सीबीएसई के साथ संबद्ध केन्द्रीय विद्यालयों तथा विख्यात पब्लिक और प्राइवेट स्कूलों के छात्रों की तुलना में बेहतर पाए गए हैं। नवोदय विद्यालयों की सफलता का प्रतिशत सीबीएसई द्वारा प्रतिवर्ष सफलता की जो राष्ट्रीय औसत निकाली जाती है उसकी तुलना में प्रायः उच्चतर होता है।

कक्षा 10 और 12 परीक्षाएं

वर्ष 2002-03 के दौरान अन्य स्कूल प्रणालियों की तुलना में एनवीएस के पास होने वाले छात्रों की तुलना नीचे दर्शाई गई हैं:

एजेंसी	कक्षा 10		कक्षा 12	
	2002	2003	2002	2003
सीबीएसई	69.53	68.02	75.20	73.59
एनवीएस	88.65	88.50	83.53	85.26
केवीएस	85.47	88.64	86.40	88.57
स्वतंत्र	85.63	83.39	83.32	81.07

निर्माण कार्यकलाप

अभी तक मंजूर किए गए विद्यालयों में से 418 विद्यालयों के लिए स्थायी भवन परिसर मंजूर किए गए हैं। 352 विद्यालयों में निर्माण कार्य पूरा हो गया है और उन पर कब्जा कर लिया गया है। 90 विद्यालयों के संबंध में निर्माण कार्य मंजूर नहीं है जिसकी वजह निधियों की कमी और संबंधित राज्य सरकारों से भूमि का हस्तान्तरण नहीं किया जाना भी है। यद्यपि इस समय 352 विद्यालय स्थायी स्थल पर कार्य कर रहे हैं तथापि शेष विद्यालय अस्थायी स्थान पर कार्य कर रहे हैं जिसकी व्यवस्था राज्य सरकार जिला प्रशासन द्वारा की गई है।

वर्ष 2003-04 के दौरान आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम

प्रशिक्षित स्टाफ की श्रेणी	प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या
प्रिंसिपल	280
उप-प्रिंसिपल	180
पीजीटी	830
टीजीटी	134
विविध शिक्षक	52
गैर-शिक्षण स्टाफ	177
आरओ स्तर पर प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु मास्टर प्रशिक्षक	43
जोड़	1676

गति निर्धारक कार्यकलाप

जहाँ कहीं पर्याप्त अवस्थापना उपलब्ध है नवोदय विद्यालयों ने उस जिले में जहाँ वे स्थित हैं शैक्षिक समुदाय और अपने इर्द-गिर्द समाज के साथ बेहतर अन्योन्यक्रिया स्थापित करने के लिए अनेक गति निर्धारक कार्यकलाप शुरू किए हैं। नवोदय विद्यालयों द्वारा चलाए जा रहे कुछेक गतिनिर्धारक कार्यकलाप नीचे दिए गए हैं:

- निकटवर्ती स्कूलों के अध्यापकों और छात्रों के साथ जेएनवी के शिक्षण स्टाफ और छात्रों की अन्योन्य क्रिया।
- निकटवर्ती स्कूलों के लिए कम्प्यूटर साक्षरता सुविधा का विस्तार।
- पुस्तकालय की सुविधा का विस्तार।
- खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यकलापों और विज्ञान मेलों में निकटवर्ती स्कूलों की भागीदारी।
- सामुदायिक सेवा सुविधाओं का विस्तार, प्रौढ़ साक्षरता अभियानों का आयोजन, वृक्षारोपण, जनसंख्या शिक्षा,



नवोदय विद्यालयों की मुख्य-मुख्य बातें

- प्रतिभावान बच्चों के लिए प्रमुख रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के लिए अच्छी कोटि की आधुनिक शिक्षा।
- उम्मीदवार-ग्रामीण कम से कम 75 प्रतिशत, शहरी अधिकतम 25 प्रतिशत।
- राष्ट्रीय न्यूनतम अनुपात के अध्यधीन जिले में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के अनुपात में छात्रों के लिए स्थानों का आरक्षण।
- लड़कियों के लिए स्थानों का आरक्षण - 33 प्रतिशत।
- कक्षा 12 तक सह-शिक्षा और पूर्णतः रिहायशी।
- स्थान-आम तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में। निःशुल्क भूमि और बगैर किराए के अस्थायी इमारतें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों द्वारा प्रदान किए जाने के आधार पर।
- आवास और भोजन सहित निःशुल्क शिक्षा और साथ ही वर्दियों, पाठ्यपुस्तकों, लेखन सामग्री आदि का व्यय भी।
- सीबीएसई से संबद्ध।
- कक्षा 6 में प्रवेश केवल उद्देश्यपरक परीक्षा के माध्यम से जिसका आयोजन संबंधित जिले में सीबीएसई द्वारा किया जाता है।
- त्रि-भाषायी सूत्र का कार्यान्वयन।
- प्रथम तीन वर्ष के लिए शिक्षण माध्यम के रूप में क्षेत्रीय भाषा। उसके बाद हिन्दी/अंग्रेजी।
- किसी एक भाषायी क्षेत्र में स्थित विद्यालय से कक्षा 9 में तीस प्रतिशत छात्र किसी भिन्न भाषायी क्षेत्र के विद्यालय में एक शिक्षा वर्ष बिताते हैं ताकि देश की संस्कृतियों और लोगों की विविधता तथा बहुलता को समझने के जरिये राष्ट्रीय एकीकरण प्रोत्साहित हो।

पर्यावरणीय शिक्षा व अन्य समुदाय समर्थित कार्यक्रम।

- श्रव्य-दृश्य सुविधाओं की भागीदारी।
- स्टेकहोल्डरों के साथ सतत अन्योन्य क्रिया और सहायता प्राप्त करना।

विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा (आईईडीसी)

विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा (आईईडीसी) योजना इस उद्देश्य से शुरू की गई थी कि सभी विकलांग बच्चों को सामान्य स्कूली प्रणाली के अधीन लाया जाए। अंतिम उद्देश्य यह है कि सभी विकलांग बच्चों को सामान्य शिक्षा प्रणाली में शामिल किया जाए और विषमताएं दूर की जाएं तथा शैक्षिक सुविधाएं बराबर की उपलब्ध की जाएं जिससे कि वे समाज के सामान्य रूप से योगदान देने वाले सदस्य बन सके।

आईईडीसी योजना तत्कालीन समाज कल्याण विभाग द्वारा 1974 में शुरू की गई थी और उसे 1982 में शिक्षा विभाग को सौंप दिया गया। इस योजना के अधीन राज्य सरकारों और गैर सरकारी संगठनों को विकलांग बच्चों के लिए इस तरह की सुविधाएं प्रदान करने के निमित्त सत प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है: पुस्तकें और लेखन सामग्री, वर्दी, परिवहन भत्ता, मार्गरक्षी भत्ता, दृष्टिहीन बच्चों के लिए पाठक भत्ता और उपस्कर। उपरोक्त के अलावा विकलांग बच्चों को पढ़ाने के लिए नियुक्त किए गए अध्यापकों तथा योजना के कार्यान्वयन और अनुश्रवण के लिए राज्य सरकारों के आईईडीसी प्रकोष्ठ में कार्यरत कार्मिकों के वेतन के लिए भी अनुदान दिया जाता है योजना में विकलांग बच्चों के निःशुल्क स्कूल प्रशिक्षण और उनके माता पिता के परामर्श का घटक भी शामिल है। विकलांग बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं की देखभाल के निमित्त इन प्रयोजनों के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है: संसाधन कक्ष की स्थापना विकलांग बच्चों का सर्वेक्षण और निर्धारण, अनुदेशात्मक सामग्री की खरीद और उत्पादन सामान्य अध्यापकों का प्रशिक्षण और अनुस्थापन ताकि विकलांग बच्चों की शैक्षिक जरूरत पूरी की जा सके।

इस समय आईईडीसी योजना 50000 स्कूलों के माध्यम से 27 राज्यों और 4 संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही है और वर्ष 2002-03 के अंत में 169000 से अधिक विकलांग बच्चे इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। विकलांग बच्चों की शिक्षा के



लिए जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, प्रौढ़ शिक्षा, गैर औपचारिक शिक्षा जैसी विभिन्न स्कीमों के अभिसरण की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं।

विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995 की धारा 26-31 के प्रावधानों से उद्देश्यों की पूर्ति हुई है जिनके लिए आईईडीसी योजना लागू की गई थी। माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग ने सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों से समय समय पर यह अनुरोध किया है कि वे विकलांग बच्चों की शिक्षा के लिए सुविधाओं में वृद्धि करें तथा अधिकाधिक बच्चों को दाखिल करने के लिए सुविधाओं और प्रयासों का विस्तार करें।

नौवीं योजना अवधि के लिए 75.10 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय में से वित्तीय वर्ष के अंत तक, जोकि नौवीं पंचवर्षीय योजना का अंतिम वर्ष भी है 67.9 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है। आईईडीसी की स्कीम के तहत वर्ष 2002-03 के दौरान 33.84 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई। मानव संसाधन विकास संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने यह सिफारिश की है कि केन्द्र द्वारा इस योजना को दसवीं योजनावधि के अंत तक अपने पास रखा जाना चाहिए ताकि अधिक संवेदीकरण उत्पन्न किया जा सके और इस योजना का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके। तदनुसार, योजना आयोग ने इस योजना को दसवीं योजना में जारी रखने की मंजूरी दे दी है तथा स्कूलों को और अधिक समावेशी तथा अधिकाधिक विकलांग बच्चों को नियमित स्कूलों में लाने और उन्हें शिक्षा में बनाए रखने के लिए व्यवस्थित सुधार करने के वास्ते इस योजना में कतिपय संशोधन विचाराधीन हैं।

दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए 200 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है। वित्त वर्ष 2003-04 के लिए 38.50 करोड़ रुपए (संशोधित अनुमान) का बजट प्रावधान इस स्कीम हेतु किया गया है। बजटीय आबंटन का उपयोग कर लिया गया है।

स्कूलों में गुणवत्ता सुधार

दसवीं योजना के दौरान एक मिश्रित केन्द्र प्रायोजित स्कीम स्कूलों में गुणवत्ता सुधार प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है जिसे विभाग की विद्यमान निम्नलिखित पांच स्कीमों का अभिसरण करके किया जाएगा:

- स्कूलों में विज्ञान शिक्षा में सुधार।
- अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान ओलम्पियाड।
- स्कूल शिक्षा में पर्यावरणीय अनुष्ठापन।
- राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना।

- स्कूलों में योग को प्रोत्साहन।

क्यूआईएस के नए घटक

- अनुसंधान और विकास।
- नवीन उपाय और परियोजनाएं, कार्यशालाएं, मानीटरन और शिक्षा।
- स्कूल शिक्षा में गुणवत्ता सुधार के लिए विविध कार्यकलाप।

दसवीं योजना के दौरान 110 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है और वर्ष 2003-04 के लिए 26 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। स्कूलों में गुणवत्ता सुधार की मिश्रित स्कीम प्रारंभ करने के लिए ईएफसी के अनुमोदन की अभी प्रतीक्षा है। विद्यमान पद्धति के आधार पर विद्यमान स्कीमों को जारी रखने के लिए वित्त मंत्रालय का अनुमोदन 31.3.2004 को समाप्त हो गया। स्कीम को विद्यमान पद्धति के आधार पर 31.3.2004 से आगे जारी रखने के लिए वित्त मंत्रालय का अनुमोदन प्राप्त करने के वास्ते एक प्रस्ताव, स्कूलों में गुणवत्ता सुधार का अनुमोदन होने तक, आईएफडी/वित्त मंत्रालय के साथ पेश किया गया है।

प्रत्येक विद्यमान स्कीम के संबंध में एक संक्षिपत लेख और वर्ष 2003-04 के दौरान उपलब्धियां निम्न प्रकार हैं:

स्कूलों में विज्ञान शिक्षा में सुधार

विज्ञान शिक्षा की कोटि सुधारने और वैज्ञानिक प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने के लिए, जैसा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में परिकल्पित हैं, स्कूलों में विज्ञान शिक्षा का सुधार नामक एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम 1987-88 से चल रही है। स्कीम के अंतर्गत उद्देश्य प्राप्त करने के वास्ते राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों और गैर सरकारी संगठनों के संसाधन और एजेंसी का उपयोग किया जाता है। तदनुसार, अपर प्राइमरी स्कूलों के लिए विज्ञान किट प्रदान करने, विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना/उन्नयन, माध्यमिक/वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में पुस्तकालय सुविधाएं, विज्ञान और गणित शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सत प्रतिशत सहायता प्रदान की जाती है। स्कीम के अंतर्गत शैक्षिक संगठनों को विज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में नवीन परियोजनाएं शुरू करने के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है। तथापि और आगे अनुदानों पर विचार करने से पहले प्रत्येक स्वैच्छिक संगठन द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र और चार्टर्ड लेखाकार द्वारा यथा प्रमाणित अंतिम रूप से आडिट किए हुए लेखे प्रस्तुत करना आवश्यक है।

वर्ष 2002-03 के दौरान चार राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र को 2320 माध्यमिक और उच्चतर स्कूलों के लिए विज्ञान पुस्तकों हेतु, 1940 स्कूलों में विज्ञान प्रयोगशालाओं के उन्नयन हेतु 1473.37 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की गई। नवीन और प्रयोगात्मक परियोजनाएं शुरू करने के लिए 14 स्वैच्छिक संगठनों और सोसाइटियों को भी 139.34 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की गई हैं।

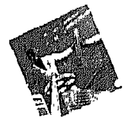
अन्तर्राष्ट्रीय विज्ञान ओलम्पियाड

स्कूल स्तर पर गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान में प्रतिभा का पता लगाने और उसके सम्पोषण के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय गणितीय ओलम्पियाड (आईएमओ), अन्तराष्ट्रीय भौतिकी ओलम्पियाड (आईपीएचओ), अन्तर्राष्ट्रीय रसायन शास्त्र ओलम्पियाड (आईसीएचओ) और अन्तर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलम्पियाड (आईबीओ) का आयोजन किया जाता है। भारत, क्रमशः 1989, 1998, 1999 और 2000 से इन ओलम्पियाडों में भाग ले रहा है। प्रत्येक भागीदार देश को एक टीम भेजनी होती है जिसमें आईएमओ के लिए अनधिक छः माध्यमिक छात्र प्रतियोगी, आईपीएचओ के लिए पांच माध्यमिक छात्र प्रतियोगी, आईसीएचओ के लिए चार छात्र प्रतियोगी और आईपीओ के लिए चार छात्र प्रतियोगी भेजने होते हैं जो टीम लीडर और तीन उप लीडर के अलावा होते हैं। वर्ष 2002 से भारतीय टीम अन्तर्राष्ट्रीय सूचना विज्ञान ओलम्पियाड में भी भाग ले रही है।

विद्यमान वित्तीय पद्धति के अनुसार मेजबान देश वहाँ उनके ठहरने के दौरान आवास और भोजन तथा टीमों के आवागमन के लिए अदायगी करता है: तथापि अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा लागत भागीदार देशों द्वारा वहन की जाती है। विगत ओलम्पियाडों के दौरान भारतीय टीम का प्रायोजन माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग तथा राष्ट्रीय उच्चतर गणित बोर्ड (एनबीएचएम)/होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केन्द्र (बीएएसटी) द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। वर्तमान वर्ष से कम्प्यूटिंग विज्ञान में अनुसंधान हेतु भारतीय एसोसिएशन (आईएआरसीएस), में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के साथ-साथ सूचना विज्ञान में अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पियाड के लिए भारतीय टीम का चयन और प्रशिक्षण की जिम्मेदारी ले ली है। अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा की लागत की अदायगी माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा की जाती है जबकि छात्रों के चयन, आंतरिक यात्रा, प्रासंगिक खर्च आदि पर सभी अन्य खर्च एनबीएचएम/एचबीसीएसई/आईएआरसीएस द्वारा किया जाता है।

जुलाई 2003 के दौरान एथेंस में आयोजित आईसीएचओ 2003 में भारतीय टीम ने 2 स्वर्ण और 2 रजत पदक जीते।

अगस्त 2003 में ताइपेई ताइवान में आयोजित आईपीएचओ 2003 में भारतीय टीम ने 2 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीता तथा 2 प्रतियोगियों का सम्माननीय उल्लेख किया गया। जुलाई 2003 के दौरान मिंस्क, बेलारूस में आयोजित आईपीओ 2003 में भारतीय टीम ने एक स्वर्ण, दो रजत और एक कांस्य पदक जीता। भारत ने टोकियो जापान में जुलाई 2003 में आयोजित आईएमओ 2003 तथा जुलाई 2003 के दौरान अमेरिका में आयोजित सूचना विज्ञान में अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पियाड (आईओआई 2003) में भी भाग लिया।



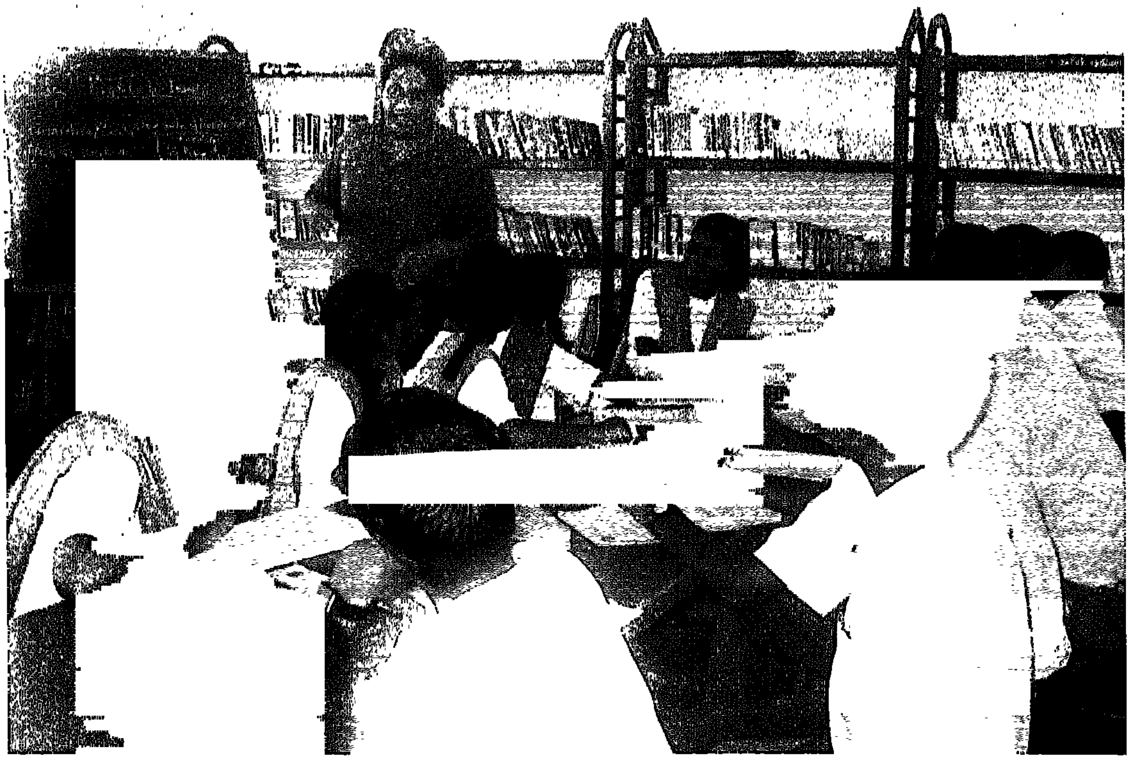
स्कूल स्तर पर गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान में प्रतिभा का पता लगाने और उसके सम्पोषण के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय गणितीय ओलम्पियाड (आईएमओ), अन्तराष्ट्रीय भौतिकी ओलम्पियाड (आईपीएचओ), अन्तर्राष्ट्रीय रसायन शास्त्र ओलम्पियाड (आईसीएचओ) और अन्तर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलम्पियाड (आईबीओ) का आयोजन किया जाता है। भारत इन ओलम्पियाडों में भाग ले रहा है।

स्कूल शिक्षा का पर्यावरणीय अनुस्थापन

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में यह व्यवस्था की गई है कि पर्यावरण का संरक्षण एक ऐसा महत्व है जिसे कतिपय अन्य मूल्यों के साथ-साथ शिक्षा के सभी स्तरों पर पाठ्यचर्या का एक अभिन्न अंग बनाया जाना चाहिए। इस अनूठे उद्देश्य को कार्यान्वित करने के लिए यह आवश्यक है कि छात्रों के मस्तिष्क और बुद्धि को प्रकृति की सम्पदाओं के अतिदोहन में अंतरनिहित खतरों के बारें में संवेदी बनाया जाए और उनके बीच पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित बुनियादी संकल्पनाओं हेतु जाग्रति और सम्मान पैदा किया जाए।

इस उद्देश्य से एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम्य स्कूल शिक्षा का पर्यावरणीय अनुकूलन 1988-89 में शुरू की गई थी। स्कीम के अंतर्गत राज्य सरकारों संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों और विभिन्न स्वैच्छिक एजेंसियों को सहायता देने की परिकल्पना की गई है। स्वैच्छिक एजेंसियों को प्रयोगात्मक और नवीन कार्यक्रम संचालित करने के लिए सहायता दी जाती है जिसका उद्देश्य स्थानीय पर्यावरण परिस्थितियों में स्कूलों में शैक्षिक कार्यक्रमों का एकीकरण प्रोत्साहित करना है। स्कीम के अंतर्गत विभिन्न कार्यकलापों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान देने की परिकल्पना है जिसमें प्राइमरी, अपर प्राइमरी, माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तरों पर विभिन्न विषयों की पाठ्यचर्याओं की समीक्षा और विकास करना शामिल है जिससे कि उसमें पर्यावरणीय अवधारणाओं को शामिल किया जा सके, प्राथमिक और अपर प्राथमिक स्तरों पर पर्यावरणीय अध्ययनों पर पाठ्यपुस्तकों की समीक्षा और विकास किया जा सके; अपर प्राथमिक स्तर पर पर्यावरणीय शिक्षा प्रदान के लिए नीति की समीक्षा की जा सके; शिक्षण-अध्ययन सामग्री का विकास किया जा सके और उपयुक्त कार्य अनुभव कार्यकलापों का आयोजन किया जा सके। तथापि विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों की ओर से रुचि के अभाव के कारण वित्त वर्ष 1995-96 के बाद राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कोई अनुदान जारी नहीं किया जा सका। वित्त वर्ष 2002-03 के दौरान 26 स्वैच्छिक संगठनों को 173.94 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है तथा 6 स्वैच्छिक संगठनों को वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्र में नवीन और प्रयोगात्मक परियोजनाएं शुरू करने के लिए 56.21 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता भी प्रदान की गई है। स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान उन्हें पहले जारी निधियों का उस प्रयोजन के लिए उपयोग किए जाने के बाद उपयोगिता प्रमाण पत्र/अंतिम लेखे प्रस्तुत करने के बाद ही जारी किए जाते हैं जिनके लिए पहले अनुदान अनुमोदित किया गया था।

दसवीं योजना के लिए स्कीम को एक मिश्रिम स्कीम यथा स्कूलों में कोटि सुधार में अभिसरित किया जा रहा है जिसके लिए दसवीं योजनावधि हेतु 110 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। क्यूआईएस की प्रस्तावित योजना के लिए ईएफसी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। क्यूआईएस लागू करने के संबंध में ईएफसी/मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त होने तक स्कूल शिक्षा का पर्यावरणीय अनुकूलन स्कीम को 2003-04 के दौरान विद्यमान रूप में जारी रखा जा रहा है।



राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना

सिंहावलोकन

राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना (एनपीईपी) भारत की स्कूल शिक्षा पद्धति में अप्रेल 1980 में प्रारंभ की गई थीं। वर्ष 2002 तक इसे संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या निधि (यूएनएफपीए) से वित्तीय सहायता से कार्यान्वित किया जा रहा था। इसे चार चरणों में कार्यान्वित किया गयाः प्रथम चरण (1980-1985), द्वितीय चरण (1986-1992), तृतीय चरण (1993-1997) और चतुर्थ चरण (1998-2002) इसकी उपलब्धियों और महत्व को देखते हुए भारत सरकार ने इसे दसवीं पंचवर्षीय योजना में जारी रखने का निर्णय लिया।

उद्देश्य

इसकी शुरूआत से परियोजना कार्यकलाप स्कूली शिक्षा प्रणाली में जनसंख्या शिक्षा के संस्थायन के दूरगामी उत्साह की पूर्ति के प्रति लक्षित हैं। तथापि जनसंख्या शिक्षा के तत्वों के पुनर्नुस्थापन की प्रक्रिया अवधारणात्मक रूपरेखा की स्थापना के समय से ही चल रही है ताकि जनसंख्या मुद्दों के बदलते बोध की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। सितम्बर 1994 में काहिरा में आयोजित जनसंख्या और विकास संबंधी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन (आईसीपीडी) में पारित कार्य योजना पर परिलक्षित बदलावों और राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 को दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जनसंख्या शिक्षा के अवधारणात्मक फ्रेमवर्क के तत्वों की एकीकरण पर बल के साथ लागू किया जाएगा। इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं:

- औपचारिक स्कूल शिक्षा पद्धति के संदर्भ में पुनः संकल्पित जनसंख्या शिक्षा का सभी स्तरों पर संस्थायन;
- जनसंख्या और विकासात्मक मुद्दों के प्रति जागरुकता और सकारात्मक रवैया विकसित करना जिसके फलस्वरूप छात्रों और अध्यापकों के बीच और कुल मिलाकर समुदाय के बीच उत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहार देखने में आएगा;
- छात्रों, अध्यापकों तथा माता पिता के बीच एचआईवी/एड्स और मादक औषधि दुरुपयोग सहित किशोर प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में जागरुकता उत्पन्न करना तथा यौन भावना और लड़कियों के प्रति लड़कों तथा लड़कों के प्रति लड़कियों का एक स्वस्थ दृष्टिकोण विकसित करना; और
- समग्र राष्ट्रीय उन्नति को प्रभावित करने वाले भारत के जनसांख्यिकीय, विकासात्मक और स्वास्थ्य लक्ष्यों की पूर्ति की दिशा में योगदान देना।

परियोजना के कार्यान्वयन में सहयोजित एजेंसियां

मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार परियोजना के

संबंध में कार्यान्वयन एजेंसी है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) परियोजना के कार्यान्वयन को समन्वित कर रही है। यह योजना 30 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में संबंधित शिक्षा विभाग की ओर से राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषदों/राज्य शिक्षा संस्थानों द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं। राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर संगत परियोजना क्रियाकलापों में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (एनएसीओ) जैसी एजेंसियों और गैर सरकारी संगठनों को सहयोजित किया जाता है। स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में पांच राष्ट्रीय संगठन कार्यरत हैं। यथा, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई), राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीईटी), राष्ट्रीय मुक्त स्कूली शिक्षा संस्थान (एनआईओएस), केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) और नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस) अपने-अपने लक्ष्य समूहों में संबंधित कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रही हैं।

वर्ष 2003-04 के दौरान एनपीईपी की उपलब्धियां

राष्ट्रीय स्तर

- चूंकि वर्ष 2003-04 राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना का प्रारंभिक वर्ष है जिसका वित्त पोषण भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है, एक प्रलेख परस्पेक्टिव प्लान एण्ड एनुअल प्लान आफ एक्शनः गाइडलाइन्स तैयार किया गया। इसके आधार पर प्रत्येक कार्यान्वयन एजेंसी ने अपनी-अपनी संभावित योजनाएं और वर्ष 2003-04 के लिए कार्रवाई योजना तैयार की।
- किशोर शिक्षा में कौशल विकास नामक एक प्रशिक्षण सामग्री तैयार और परिचालित की गई।
- चूंकि यूएनएफपीए समर्थित एनपीईपी का चरण दिसम्बर 2002 में समाप्त हो गया इसलिए एक प्रलेखः ए रिपोर्ट आन प्रोजेक्ट स्टेटस सर्वे (1980-2002) तैयार किया गया।
- पापुलेशन एजुकेशन; ए ट्रेनिंग मैटीरियल नामक एक प्रशिक्षण सामग्री विकसित की गई है।
- एक द्विभाषा सूचना पत्र पापुलेशन एजुकेशन बुलेटिन के दो अंक प्रकाशित और व्यापक रूप से प्रसारित किए गए।
- एनुअल प्रोजेक्ट प्रोगेस रिव्यू, 2003 पर रिपोर्ट तैयार और प्रसारित की गई।
- एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकों में जनसंख्या शिक्षा और किशोर शिक्षा के तत्वों के एकीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए पाठ्यपुस्तक लेखकों के साथ नियमित रूप से विचार विमर्श किया गया।

राज्य स्तर

- उन स्कूलों की एक सूची तैयार करने का कार्य जहाँ कौशल विकास आयोजित किया जाएगा, सभी 30 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया गया।
- वर्ष 2003-04 के लिए कार्रवाई योजना कार्यान्वित करने के लिए प्रारंभिक कार्यकलाप आयोजित किए गए।

मार्च 2004 तक संभवतः पूरे होने वाले परियोजना कार्यकलाप

राष्ट्रीय स्तर

- किशोरों के बीच प्रजनन स्वास्थ्य चिंताओं से संबंधित जरूरी दक्षताओं के विकास के लिए शिक्षा शास्त्रीय उपयुक्त पद्धतियों का परीक्षण करने के लिए छः राज्यों में तीस जिलों के 120 चुनिंदा स्कूलों में दक्षता निर्माण के संबंध में एक प्रयोगात्मक अध्ययन किया गया। अध्ययन के संबंध में राज्यवार रिपोर्टें तैयार हो गई हैं और समेकित राष्ट्रीय रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जाएगा।
- राज्यों से लिए गए संसाधन व्यक्तियों के लिए किशोरावस्था शिक्षा में दक्षता विकास के संबंध में 2 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
- जनसंख्या शिक्षा के संबंध में एक राष्ट्रीय श्रोत पुस्तक तैयार की जाएगी।
- दो वार्षिक परियोजना प्रगति समीक्षा बैठकें आयोजित की जाएंगी।

राज्य स्तर

- प्रशिक्षण सामग्री के संबंध में 24 शीर्षक विकसित किए जाएंगे।
- दक्षता विकास में 10000 से अधिक शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा।
- किशोर शिक्षा में दक्षता विकास के संबंध में सहपाठ्येतर कार्यकलाप 86 जिलों के 44469 स्कूलों में आयोजित किए जाएंगे।

प्रकाशन

राष्ट्रीय स्तर पर निम्नलिखित प्रकाशन प्रकाशित किए गएः

- यंग पीपल्स परसेप्शन्स आफ पापुलेशन एंड डेवलपमेंट प्रकाशन विभाग को भेजा गया।

- स्किल डेवलपमेंट इन अडोलेशेंस एजुकेशन; ए ट्रेनिंग मैटीरियल (मिमियोग्राफ्ड)।
- ए रिपोर्ट आन प्रोजेक्ट स्टेटस सर्वे (1980-2002) (मिमियोग्राफ्ड)।
- पापुलेशन एजुकेशन; ए ट्रेनिंग मैटीरियल (मिमियोग्राफ्ड)।
- पापुलेशन एजुकेशन बुलेटिन दो अंक।
- ए रिपोर्ट आन एनुअल प्रोजेक्ट प्रोग्रेस रिव्यू मीटिंग 2003 (मिमियोग्राफ्ड)।

स्कूलों में योग प्रारंभ करना

स्कूलों में योग शिक्षा की शुरुआत से संबंधित एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना 1989-90 में शुरु की गई थी। इस योजना का उद्देश्य राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों/गैर सरकारी संगठनों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। योजना के अधीन निम्नलिखित प्रयोजनों पर होने वाले खर्च के निमित्त केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है: अध्यापकों का प्रशिक्षण आधारभूत ढांचे का निर्माण जैसे कि योग प्रशिक्षणार्थियों के लिए छात्रावास भवन और उनकी साज सज्जा और पुस्तकालय सुविधाओं का उन्नयन। यह स्कीम राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंधित शिक्षा विभागों और गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही हैं।

वित्त मंत्रालय ने सलाह दी थी कि विभाग को स्कूली पाठ्यचर्या में एक विषय के रूप में योग प्रारंभ करने के वास्ते प्रयास करने चाहिए। योग को एनसीईआरटी द्वारा तैयार की गई नई पाठ्यचर्या रूपरेखा में समुचित स्थान दिया गया है। स्कीम की शुरुआत से 2500 से अधिक शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है जिनमें से 2000 से अधिक शिक्षकों को नौवीं योजनावधि के दौरान प्रशिक्ष्ति किया गया तथापि और आगे अनुदानों पर विचार करने से पहले प्रत्येक स्वैच्छिक संगठन को उपयोगिता प्रमाण पत्र और चार्टर्ड लेखाकार द्वारा यथा प्रमाणित अंतिम रूप से आडिट किए हुए लेखे प्रस्तुत करना आवश्यक है।

दसवीं योजना के लिए योग के प्रोत्साहन की स्कीम को एक संयुक्त स्कीम में मिला दिया जाएगा। यथा स्कूलों में कोटि सुधार जिसके लिए 110 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। स्कीमे संवंध में ईएफसी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। क्यूआईएस प्रारंभ करने के लिए ईएफसी/मंत्रिमंडल अनुमोदन प्राप्त होने तक योग की स्कीम को वर्ष 2003-04 के दौरान इसके विद्यमान रूप में जारी रखा जा रहा है।

इक्विटी के साथ एक्सेस

इस स्कीम को दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए माध्यमिक शिक्षा संबंधी कार्यदल की सिफारिशों पर दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया है। स्कीम के तहत निम्नलिखित दो घटकों का प्रस्ताव है:

- गैर सरकारी संगठनों द्वारा प्रबंधित बालिका छात्रावासों की विद्यमान स्कीम को सुदृढ़ करना।
- माध्यमिक स्कूल स्थापित करने के लिए विख्यात गैर सरकारी संगठनों, नियासों, सोसाइटियों और राज्य सरकारों आदि को एकबारगी सहायता।

प्रस्ताव को ईएफसी ने 8 जनवरी 2004 को हुई बैठक में अनुमोदित कर दिया है। ईएफसी की सिफारिश, महिला और बाल विकास विभाग और योजना आयोग, वित्त मंत्रालय की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए आर्थिक कार्यों संबंधी मंत्रिमंडल समिति के विचारार्थ एक मंत्रिमंडल नोट तैयार किया जा रहा है। स्कीम के घटक एक के तहत गैर सरकारी संगठनों को कक्षा 6-12 की छात्राओं के लिए छात्रावासों के संचालन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। स्कीम के तहत प्रति बालिका छात्रावासी के लिए प्रतिवर्ष 10000 रुपए का आवर्ती अनुदान और प्रति बालिका छात्रावासी के लिए 3000 रुपए का एकबारगी अनावर्ती अनुदान दिया जाता है। स्कीम के बारे में प्रतिक्रिया बड़ी उत्साहजनक रही है और देश के विभिन्न राज्यों से अनेक प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं।

यह स्कीम 1993-94 में प्रारंभ की गई थी और एनसीईआरटी द्वारा 1999 में इसका मूल्यांकन किया गया था तथा स्कीम का मूल्यांकन करने और इस संबंध में सिफारिशें करने के वास्ते टाटा समाज विज्ञान संस्थान मुंबई से अनुरोध किया गया है।

वर्ष 2002-03 और 2003-04 के दौरान 252 गैर सरकारी संगठनों को 17.92 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई जिनसे 18000 बालिका छात्रावास निवासियों को लाभ प्राप्त हुआ और विभिन्न गैर सरकारी संगठनों को (लगभग 150) 7 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई जिनसे 12000 बालिका छात्रावास निवासी लाभान्वित हुईं।

स्कूलों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी)

स्कूलों में सूचना और संचार प्रौद्योगकी (आईसीटी) नामक स्कीम शैक्षिक प्रौद्योगिकी की स्कीम और स्कूलों में कम्प्यूटर

साक्षरता तथा अध्ययन (सीएलएएसएस) स्कीम को मिलाकर तैयार की गई है। स्कीम अंतिम अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया में है।

स्कूलों में आईसीटा के निम्नलिखित चार अनिवार्य घटक हैं:

- माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक सरकारी स्कूलों को कम्प्यूटर समर्थित शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ भागीदारी;
- स्मार्ट स्कूलों की स्थापना जो प्रौद्योगिकी प्रदर्शनकर्ता के रूप में कार्य करेंगे;
- निकटवर्ती स्कूलों के लिए केवीएस और एनवीएस के नेटवर्क के माध्यम से कम्प्यूटर साक्षरता का व्यापीकरण;
- चौथा घटक राज्य शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थानों (एसआईईटी) के कार्यकलापों से संबंधित है।

उपलब्धियाँ

वित्त वर्ष 2002-2003 के दौरान स्कूल शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर एसआईईटी द्वारा तैयार शैक्षिक आडियो और वीडियो कार्यक्रम निम्न प्रकार हैं:

पुणे	390	115
भुवनेश्वर	104	101
पटना	203	10
हैदराबाद	184	45
लखनऊ	204	-
अहमदाबाद	120	1
तिरुवनन्तपुरम	147	1

वर्ष 2002-03 के दौरान आडियो/वीडियो कार्यक्रमों के निर्माण के लिए एसआईईटी को 5.55 करोड़ रुपए का तदर्थ अनुदान दिया गया। वर्ष 2003-04 के दौरान एसआईईटी को 9 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है।

कम्प्यूटरीकरण से संबंधित स्कीम के प्रथम तीन घटकों के तहत छः राज्यों, नामतः पश्चिम बंगाल, गोवा, छत्तीसगढ़, सिक्किम, तमिलनाड और हरियाणा को 102930000 रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की गई जो वर्ष 2002-03 के दौरान 779 स्कूलों में कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने के लिए पिछले वर्ष की खर्च न हुई बकाया राशि को समायोजित करने के बाद दूसरी किश्त के रूप में थी। इसके अलावा स्मार्ट स्कूल स्थापित करने और कम्प्यूटर साक्षरता के व्यापीकरण हेतु केवीएस और एनवीएस को 86169740 रुपए की राशि जारी की गई। इस बात की जरूरत महसूस की गई कि कम्प्यूटर शिक्षा के लिए सामग्री की सोर्सिंग की जाए क्योंकि इस पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। तदनुसार एडसिल से संशोधित सीएलएएसएस के कार्यान्वयन हेतु सोर्सिंग सामग्री हेतु कार्यनीति विकसित करने का अनुरोध किया गया है। एडसिल ने इस संबंध में एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

फरवरी 2004 के दौरान कम्प्यूटर शिक्षा के लिए शैक्षिक सामग्री के विकास और प्रसार पर एक राष्ट्रीय चर्चा आयोजित की गई जिसमें विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा इस क्षेत्र में कार्यरत विख्यात संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

अध्यापकों को राष्ट्रीय पुरस्कार

वर्ष 1958 में शुरू किए गए शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक वर्ष पांच सितम्बर को प्रदान किए जाते हैं ताकि प्राथमिक, मिडिल और माध्यमिक स्कूलों में कार्यरत योग्य शिक्षकों को सार्वजनिक मान्यता प्राप्त हो सके। इस समय 354 पुरस्कार हैं जिनमें से 20 पुरस्कार संस्कृत, फारसी और अरबी अध्यापकों के लिए आरक्षित हैं। प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के लिए अध्यापकों की संख्या के आधार पर कोटा निश्चित है। स्कीम के अंतर्गत सीबीएसई, आइसीएससीई, सैनिक स्कूल, एनवीएस और परमाणु ऊर्जा शिक्षा सोसाइटी द्वारा संचालित स्कूलों के अध्यापक भी सम्मिलित हैं। पुरस्कार 2003 के लिए दो पुरस्कार सीटीएसए के अध्यापकों के लिए आबंटित किए गए हैं। पुरस्कार वर्ष 2001 से 33 विशेष पुरस्कार उन अध्यापकों के लिए विनिश्चित हैं जो स्कूलों में एकीकृत समावेशी शिक्षा के प्रोत्साहन और राज्यों/संध राज्य क्षेत्रों व अन्य स्कूल प्रणाली के तहत नियमित स्कूलों में अक्षमता वाले बच्चों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के कार्य में लगे हैं। इस पुरस्कार के लिए निम्नलिखित श्रेणियों के अध्यापकों पर विचार किया जाएगा:

- नियमित स्कूलों में कार्यरत अक्षमताओं वाले अध्यापक।
- विशेष अध्यापक अथवा प्रशिक्षित सामान्य अध्यापक जिन्होंने समावेशी शिक्षा के लिए उत्कृष्ट कार्य किया हो।

अध्यापकों का चयन राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा किया जाता है जिसकी अध्यक्षता निदेशक (शिक्षा) करते हैं और जिसमें केन्द्रीय सरकार का एक मनोनीत व्यक्ति सदस्य के रूप



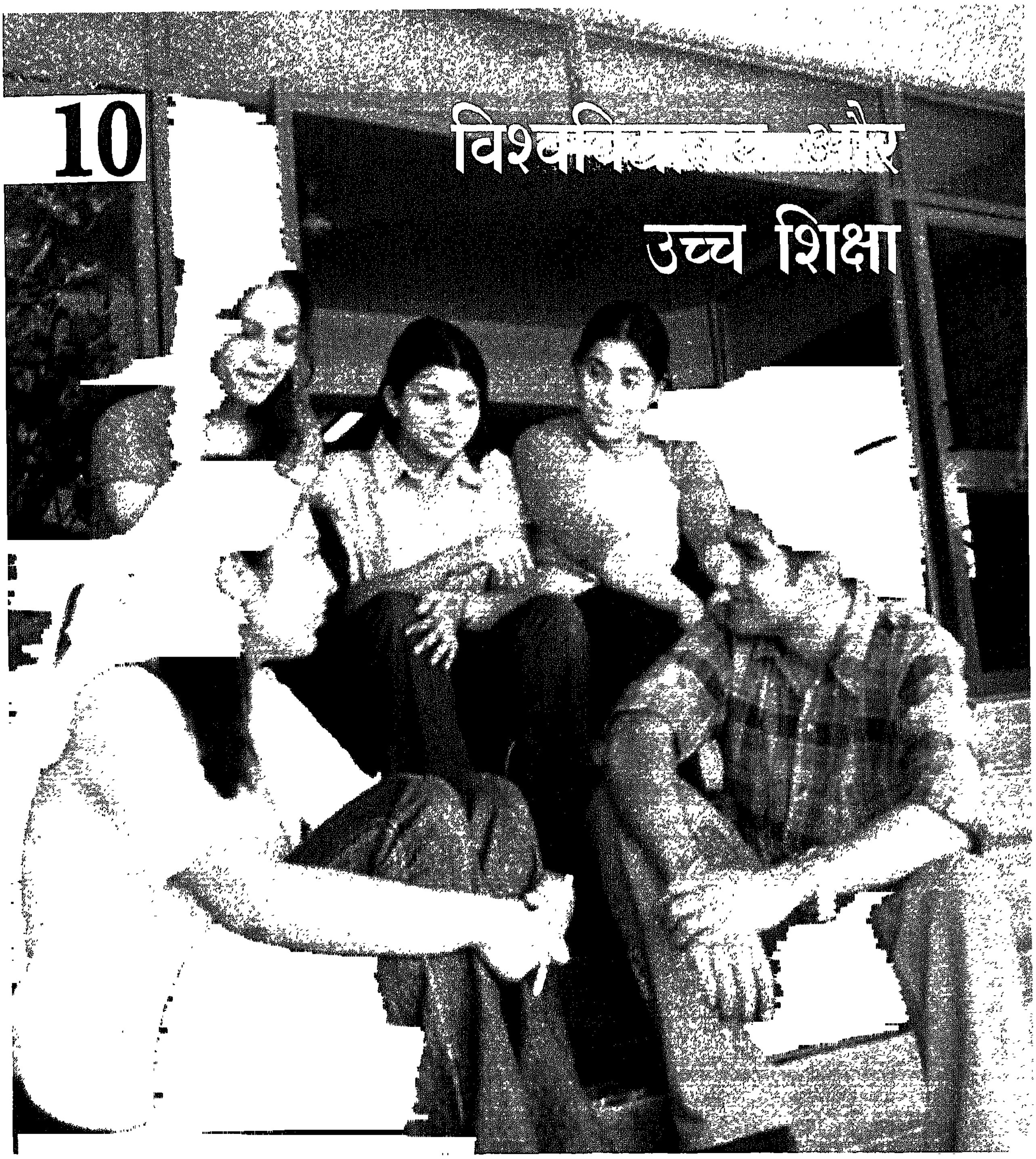
में शामिल होता है। समिति की सिफारिशों को राज्य सरकार/केन्द्रीय पुरस्कार समिति द्वारा योग्यता क्रम में संगठन द्वारा सिफारिश किए गए अध्यापकों के संबंध में भेजा जाता है। भारत सरकार योग्यता के आधार पर अंतिम चयन करती है। पुरस्कार में एक पदक, प्रमाण पत्र और 25000 रुपए नकद पुरस्कार के रूप में होते हैं।

उपलब्धियां

पुरस्कार वर्ष 2002 के लिए 282 अध्यापकों को माननीय राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार 2001 के लिए पुरस्कृत किया गया। इनमें 78 अध्यापिकाएं, संस्कृत के दो शिक्षक, अरबी/फारसी स्कूलों से दो अध्यापक और 12 अध्यापक ऐसे शामिल थे जिन्हें विशेष पुरस्कारों के लिए चुना गया। विगत वर्ष की तुलना में अध्यापिकाओं की संख्या 74 से बढ़कर 78 हो गई। पहली बार विदेश स्थित सीबीएसई संबद्ध स्कूलों में पढ़ाने वाले 2 अध्यापकों को पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। इस वर्ष के दौरान इस समारोह का मीडिया कवरेज अभूतपूर्व था। इसे मुद्रण मीडिया दूरदर्शन में व्यापक रूप से कवर किया गया था। इसके अलावा स्टार न्यूज, सहारा और जी ने समारोह को कवर किया और शिक्षकों के साथ साक्षात्कार किया।

■■■

10 विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा



दसवीं योजना में इस बात पर जोर दिया गया है कि पिछड़े क्षेत्रों में स्थित विश्वविद्यालयों को सहायता देकर और महिलाओं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, पिछड़े और अल्पसंख्यक समूहों जैसे सीमान्तीकृत समूहों के लिए पहुंच और समानता में बढ़ोत्तरी करके शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच और सीमान्तीकृत समूहों के अंदर उच्च शिक्षा के अवसरों के वितरण में व्याप्त असमानता को कम किया जाए।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग: 2003-2004

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जो 1953 में अस्तित्व में आया था, विश्वविद्यालय शिक्षा के समन्वय और उसके स्तरों के निर्धारण और अनुरक्षण के लिए 1956 में संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित एक सांविधिक संगठन बन गया। यह संघ सरकार और राज्य सरकारों और उच्च शिक्षा संस्थानों के बीच समन्वय स्थापित करने वाले एक निकाय के रूप में कार्य करता है। विश्वविद्यालयों और कालेजों को अनुदान प्रदान करने की अपनी भूमिका के अलावा, यह केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों को उन उपायों के बारे में सलाह देता है जो उच्च शिक्षा के विकास के लिए जरूरी हैं। आयोग का मुख्य कार्यालय दिल्ली में है और उसके छः क्षेत्रीय कार्यालय बंगलौर, भोपाल, गुवाहटी, हैदराबाद, कोलकाता और पुणे में स्थित है।

स्वर्ण जयंती समारोह

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के स्वर्ण जंयती समारोहों का समापन समारोह 28 दिसम्बर, 2003 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में हुआ। इस अवसर पर भारत सरकार के माननीय राष्ट्रपति डॉ0 ए.पी.जे. अब्दुल कलाम मुख्य अतिथि थे। मंच पर शोभायमान अन्य उच्च पदस्थ व्यक्ति मानव संसाधन विकास मंत्री, डॉ0 मुरली मनोह जोशी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के राज्यमंत्री डॉ0 वल्लभ भाई कथीरिया, संचार और और सूचना प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री, श्री अशोक प्रधान, शिक्षा सचिव, श्री एस.के. त्रिपाठी, डाक सचिव, श्री विजय भूषण, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष, प्रोफेसर अरुण निगवेकर, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उपाध्यक्ष, प्रोफेसर वी.एन. राजशेखरन पिल्लई और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सचिव, प्रोफेसर वेद प्रकाश थे।

समापन समारोह के मुख्य-मुख्य कार्यक्रम

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की उपलब्धियों और भारत में उच्च शिक्षा के विशिष्ट बिंदुओं का बहु माध्यमीय प्रस्तुतिकरण, राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के इन्फोनेट और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के स्वर्ण जयंती क्रियाकलापों का बहु माध्यमों द्वारा प्रस्तुतीकरण।
- भारत के माननीय राष्ट्रपति, डॉ0 ए.पी.जे. अब्दुल कलाम द्वारा ई-जर्नलों के बुके का विमोचन।
- माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉ0 मुरली मनोहर जोशी द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए लोगो (नाम शैली) का अनावरण।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय के राज्यमंत्री, डॉ0 वल्लभ भाई कथीरिया द्वारा "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 50 वर्ष" नामक पुस्तक का विमोचन। डॉ0 कविता ए. शर्मा, प्रिंसपल, हिन्दू कालेज द्वारा लिखित इस पुस्तक में 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना से लेकर इसके कालानुक्रम इतिहास की जानकारी दी गई है। इस पुस्तक में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की पचास वर्ष की यात्रा के दौरान प्राप्त की गई प्रमुख उपलब्धियों और किए गए मुख्य फैसलों को उजागर किया गया है और इसके अलावा, विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान इसके द्वारा जिन विशेष क्षेत्रों पर जोर दिया गया है और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम में जो संशोधन किए गए हैं, उनकी जानकारी दी गई है।
- माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉ0 मुरली मनोहर जोशी द्वारा "हायर एजूकेशन इन इंडिया" नामक पुस्तक का विमोचन। यह पुस्तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और ग्रामीण और औद्योगिक विकास अनुसंधान केन्द्र (सी.आर.आर.आइ.डी.) चंडीगढ़ का संयुक्त उद्यम है। इसका प्रयोजन नीति निर्माताओं, शिक्षा-प्रशासकों, अनुसंधानकर्ताओं, विद्यार्थियों और अध्यापकों के लिए तत्काल संदर्भ सामग्री के रूप में काम देना है।
- भारत के माननीय राष्ट्रपति डॉ0 ए.पी.जे. अब्दुल कलाम द्वारा स्वर्ण जयंती स्मारक विशेष कवर का विमोचन। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने डाक विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, दिल्ली सर्कल के सहयोजन से अपना स्वर्ण जयंती वर्ष मनाने के लिए विशेष कवर प्रकाशित किया, जो उसकी वर्षगांठ के लिए राष्ट्रीय मान्यता का सूचक था।

ई-जर्नल्स सहायता-संघ

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 6 अक्तूबर, 2003 को विश्वविद्यालयों का ई-जर्नल्स सहायता-संघ प्रारंभ किया। सहायता-संघ अधिगम के सभी क्षेत्रों में उच्च कोटि के साहित्य तथा इलेक्ट्रानिक पहुंच की व्यवस्था करने के लिए इंटरनेट का उपयोग करेगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, जिसका पूरा वित्तपोषण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा किया जाता है वे विश्वविद्यालय शामिल होंगे, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इस कार्यकम का विस्तार धीरे-धीरे कालेजों तक भी किया जाएगा। इस कार्यक्रम को सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क केन्द्र इनफ्लिबनेट, अहमदाबाद द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा, जो विश्वविद्यालय अनुदान



विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों का एक ई-जर्नल्स सहायता-संघ 6 अक्तूबर, 2003 को प्रारंभ किया। सहायता-संघ अधिगम के सभी क्षेत्रों को पांडित्यपूर्ण साहित्य तक इलेक्ट्रानिक पहुंच प्रदान करने के लिए इंटरनेट का उपयोग करेगा । यह कार्यक्रम, जिसका पूरा वित्तपोषण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा किया जाता है, उन विश्वविद्यालयों को कवर करेगा, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आते हैं ।

आयोग के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था है। ई-जर्नलों तक पहंच औपचारिक रूप से 1 जनवरी, 2004 को शुरू होगी। यह कार्यक्रम विश्वविद्यालय समुदाय को समूचे विश्वभर से सर्वोत्तम आधुनिक औरा पुरातन आवधिक साहित्य उपलब्ध कराएगा। यह कार्यक्रम विश्वविद्यालय आयोग, अर्नेट (ई.आर.एन.ई.टी.) अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्रों आई.यू.सी.ए.ए. इनफ्लिबनेट और सी.ई.सी. और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशकों के बीच घनिष्ठ सहयोग और समझ के कारण संभव बनाया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और इनफ्लिबिनेट के सहमति-ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के बाद, विश्वविद्यालय, सहायता-संघ के सदस्य बनेंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इस कार्यक्रम के लिए धन मुहैय्या करेगा और विश्वविद्यालयों को इसके लिए खर्च उठाना नहीं पड़ेगा।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 6 अक्तूबर, 2003 को निम्नलिखित प्रकाशकों के साथ करारों पर हस्ताक्षर किए :

1. प्रोजेक्ट म्यूज़ (जान हापकिन्स यूनिवर्सिटी);
2. अमेरिकन केमिकल्स सोसायटी;
3. केमिकल एबस्ट्रेक्ट सर्विस (सीएएस);
4. रायल सोसायटी आफ कामर्स;
5. इंस्टीट्यूट आफ फिजिक्स;
6. कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस;
7. वायसोसिस (वीआईओ एसआईएस);
8. नेचर पब्लिकेशन्स।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की दसवीं योजना

दसवीं योजना का सामान्य उद्देश्य शिक्षा का गंभीर रूप से कायाकल्प करना है, ताकि यह संधारणीय मानव विकास की एक प्रभावशाली संवर्धनकर्ता बन सके और इसके साथ-साथ विश्व के साथ उसकी संगति में सुधार करना और अध्यापन, अनुसंधान और व्यापार तथा सामुदायिक विस्तार कार्यों में जिनमें आजीवन अधिगम शामिल है, गुणवत्ता प्राप्त करना है।

दसवीं योजना के विशिष्ट उद्देश्य निम्नलिखित से संबंधित हैं:

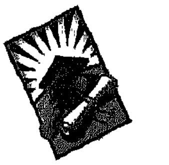
- उच्च शिक्षा की प्रासंगिकता,
- गुणवत्ता, मूल्यांकन और प्रत्यायन,
- अनुसंधान और मूल्यांकन,
- व्यापार और सामुदायिक विस्तार कार्य और आजीवन अधिगम से संबंधित क्रियाकलाप,
- नई सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों का ज्ञान और उपयोग;
- प्रबंधन और वित्तपोषण,
- उच्च शिक्षा का निर्यात और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का पुनर्विन्यास।

विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान दसवीं योजना के लिए सामान्य विकास सहायता के अंतर्गत 148 विश्वविद्यालयों के लिए 757.98 करोड़ रुपए का नियतन किया गया है। इसके अलावा, कालेजों संबंधी विशेषज्ञ समिति ने कालेजों के लिए दसवीं योजना के मार्गनिर्देशों के अनुसार प्रत्येक कालेज के लिए सहायता की मात्रा की सिफारिश की।

आयोग ने अनुदानों के कुछ भाग को विश्वविद्यालयों के कार्य-निष्पादन के साथ जोड़ने का फैसला भी किया है। विभिन्न विश्वविद्यालयों से एकत्र की गई सूचना के आधार पर अनुदान विमोचित करने के प्रयोजन से प्रत्येक क्रम (रैंक) निर्धारित करने के लिए कार्य-निष्पादन के राडार विकसित किए जा रहे हैं।

दसवीं योजना के पांच स्थूल क्षेत्रकों के लिए अर्थात् विश्वविद्यालयों और कालेजों का सामान्य विकास (208.60 करोड़ रुपए) पहुंच

और साम्यता (इक्विटी) बढ़ाना (29.50 करोड़ रुपए) संगत शिक्षा का संवर्धन (68.00 करोड़ रुपए) गुणवत्ता और श्रेष्ठता (106.65 करोड़ रुपए) और अनुसंधान का सुदृढ़ीकरण (104.00 करोड़ रुपए) के लिए आयोग का 516.75 करोड़ रुपए का योजना बजट अनुमान है।



इस क्षेत्र में कार्य कर रही गैर-मान्यताप्राप्त संस्थाओं के अलावा इस समय देश में 206 राज्य/केन्द्रीय विश्वविद्यालय, 86 सम-विश्वविद्यालय, राज्य और केन्द्रीय विधानों के जरिए स्थापित 5 संस्थाएं, केन्द्रीय विधान द्वारा स्थापित राष्ट्रीय महत्व के 13 संस्थाएं, केन्द्रीय विधान द्वारा स्थापित राष्ट्रीय महत्व के 13 संस्थान, लगभग 15,500 कालेज हैं जिनमें लगभग 1650 महिला कालेज शामिल हैं ।

उच्च शिक्षा प्रणाली का विस्तार

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत में उच्च शिक्षा प्रणाली में विश्वविद्यालयों की संख्या में चौदह गुना और कालेजों की संख्या में सत्ताइस गुना वृद्धि हुई है। इस समय देश में 206 राज्य/केन्द्रीय विश्वविद्यालय, 86 सम-विश्वविद्यालय, राज्य और केन्द्रीय विधानों के जरिए स्थापित की गई 5 संस्थाएं और केन्द्रीय विधानों द्वारा स्थापित किए गए राष्ट्रीय महत्व के 13 संस्थान, लगभग 1650 महिला कालेजों सहित लगभग 15,500 कालेज हैं और इसके अलावा, इस क्षेत्र में गैर-मान्यताप्राप्त संस्थाएं काम कर रही हैं। 2003 के शैक्षणिक वर्ष के शुरू में, विश्वविद्यालयों और कालेजों में शिक्षा की औपचारिक प्रणाली में कुल 92.28 लाख विद्यार्थियों का नामांकन हुआ है 12.01 लाख का विश्वविद्यालयों के विभागों में और 80.27 लाख का सम्बद्ध कालेजों में।

शैक्षणिक वर्ष 2003-04 के प्रारंभ में 36.96 लाख महिला विद्यार्थियों का नामांकन हुआ था, जो कुल नामांकन का 40.05 प्रतिशत है। सबसे अधिक नामांकन केरल (60 प्रतिशत) में और सबसे कम (23.81 प्रतिशत) नामांकन बिहार में हुआ है।

विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान की गई डाक्टरेट की उपाधियों की संख्या (1.1.2002 की स्थिति के अनुसार) 11,899 थी, जिसमें सबसे अधिक संख्या कला के विषयों में अर्थात 4545 उपाधियों की है, जिसके बाद 4012 उपाधियों के साथ विज्ञान की धारा का स्थान आता है। इन दोनों धाराओं को इकट्ठा लेने पर प्रदान की गई डाक्टरेट की उपाधियों की कुल संख्या में इनकी संख्या 71.91 प्रतिशत है।

रिपोर्टाधीन वर्ष के शुरू में विश्वविद्यालयों और कालेजों की नियमित संकाय सदस्य संख्या क्रमशः 0.73 लाख और 3.64 लाख अर्थात् कुल संख्या 4.37 लाख थी।

विश्वविद्यालयों और कालेजों का सामान्य विकास

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अपनी स्थापना के समय से विभिन्न योजनाओं के दौरान जिनमें दसवीं योजना भी शामिल है, विभिन्न कार्यक्रमों के लिए बजटीय व्यवस्था करके विश्वविद्यालयों और कालेजों के विकास के लिए वित्तीय सहायता मुहैय्या कर रहा है। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों और कुछ सम-विश्वविद्यालयों और दिल्ली तथा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कालेजों के लिए योजना और योजना-भिन्न दोनों बजटों के अंतर्गत वित्तीय सहायता की व्यवस्था की जा रही है। राज्यों के विश्वविद्यालयों और उनके सम्बद्ध कालेजों को केवल योजना के अंतर्गत सहायता प्रदान की जा रही है। दसवीं योजना की अवधि (2002-2007) में अलग-अलग विश्वविद्यालयों को सामान्य विकास सहायता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित परिव्ययों के आधार पर प्रदान की जा रही है। परिव्यय का एक तिहाई भाग अलग-अलग विश्वविद्यालयों के कार्य-निष्पादन पर आधारित होगा।

विकास सहायता कार्यक्रम का उद्देश्य विश्वविद्यालयों और कालेजों में बुनियादी ढांचे और बुनियादी सुविधाओं में सुधार लाना है, ताकि कम से कम 'देहली' के स्तर तक पहुंचा जा सके, और इसके अलावा, गुणवत्तापूर्ण विकास करना है। दसवीं योजना में इस बात पर जोर दिया गया है कि पिछड़े क्षेत्रों में स्थित विश्वविद्यालयो को सहायता देकर और महिलाओं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, पिछड़े और अल्पसंख्यक समूहों जैसे सीमान्तीकृत समूहों के लिए पहुंच और समानता में बढ़ोत्तरी करके शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच और सीमान्तीकृत समूहों के अंदर उच्च शिक्षा के अवसरों के वितरण में व्याप्त असमानता को कम किया जाए।

विकास सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग प्रत्येक पात्र विश्वविद्यालय को इन मदों के लिए सहायता

दे रहा है, जैसे स्टाफ अध्यापन और गैर-अध्यापन/तकनीकी दोनों प्रकार के कर्मचारी, प्रयोगशालाओं के लिए उपस्कर, विशेष कार्यालय उपस्कर और आधुनिक अध्यापन-साधन और प्रमुख उपस्करों की मरम्मत, पुस्तकें और पत्रिकाएं, इमारतें, कैम्पस विकास, स्वास्थ्य केन्द्र, विद्यार्थियों के लिए सुविधाएं आदि। इन मदों के लिए सहायता शत-प्रतिशत आधार पर दी जाती है।

केन्द्रीय विश्वविद्यालय

18 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में से 16 विश्वविद्यालयों के लिए विकास अनुदान का नियतन किया जा रहा है, जबकि 14 विश्वविद्यालयों को विकास अनुदानों के अलावा, अनुरक्षण अनुदान दिए जा रहे हैं। वर्ष 2002-03 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 15 विश्वविद्यालयों के अनुरक्षण व्यय को पूरा करने के लिए 700.04 करोड़ रुपए की राशि मुहैय्या की और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय सहित 17 विश्वविद्यालयों को 134.68 करोड़ रुपए विकास सहायता के रूप दिए।

राज्य विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय अनुदान अधिनियम की धारा 12(ख) के अनुसार, 17 जून, 1972 के बाद स्थापित हुए राज्य विश्वविद्यालय केन्द्रीय सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा भारत सरकार से धन प्राप्त करने के पात्र नहीं होंगे जब तक कि आयोग विहित मानदंडों और प्रक्रियाओं के अनुसार स्वयं यह तसल्ली नहीं कर लेगा कि वह विश्वविद्यालय अनुदान प्राप्त करने के योग्य हैं।

इस समय 188 राज्य विश्वविद्यालय हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इनमें से केवल 109 राज्य विश्वविद्यालयों को, जिनमें मेडिकल और कृषि विश्वविद्यालय शामिल नहीं है, बजटीय योजना नियतन कर रहा है। लेकिन, अन्य विश्वविद्यालय भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से विशेष अनुदानों के रूप में लाभ उठा रहे हैं। बुनियादी ढांचे की सुविधाओं की प्राप्ति, वृद्धि और उनके उन्नयन के लिए, जो विश्वविद्यालयों को आम तौर पर राज्य सरकार से अथवा उन्हें सहायता देने वाले अन्य निकायों से प्राप्त नहीं होती सभी पात्र राज्य विश्वविद्यालयों को विशेष स्कीमों के अंतर्गत अनुदानों सहित विकास अनुदान भी दिए जा रहे हैं। दसवीं योजना के पहले वर्ष 118 राज्य विश्वविद्यालयों को सामान्य विकास के प्रयोजन से 180.07 करोड़ रुपए के अनुदान प्रदान किए गए हैं।

सम-विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की धारा 3 में यह उपबंध है कि विश्वविद्यालय से भिन्न, उच्च शिक्षा संस्था को, जो किसी विशिष्ट क्षेत्र में बहुत ऊंचे स्तर का कार्य कर रही हो सम-विश्वविद्यालय संस्था घोषित किया जा सकता है। ऐसी संस्थाओं को किसी विश्वविद्यालय की शैक्षणिक स्थिति और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। इस समय 86 सम-विश्वविद्यालय हैं। इनमें से 12 सम-विश्वविद्यालयों के लिए अनुरक्षण और विकास दोनों प्रकार के अनुदानों का नियतन किया जा रहा है और 20 सम-विश्वविद्यालयों को केवल विकास अनुदान आबंटित किए जाते हैं। लेकिन सभी सम-विश्वविद्यालय केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। वर्ष 2002-03 के दौरान 27 विश्वविद्यालयों को 72.15 करोड़ रुपए की राशि की योजना-भिन्न सहायता दी गई है और 35 विश्वविद्यालयों को सम-विश्वविद्यालयों सहित, जिन्हें विभिन्न योजनागत और योजना-भिन्न कार्यक्रमों/स्कीमों के अंतर्गत अनुदान दिए गए हैं।

कालेज

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दसवीं योजना की अवधि में निम्नलिखित उद्देश्यों से स्नातक पूर्व और स्नातकोत्तर शिक्षा के विकास के लिए सभी पात्र कालेजों को भी वित्तीय सहायता दी है:

- बुनियादी अवसंरचना को मजबूत बनाने और बुनियादी आवश्यकताओं को, जैसे पुस्तकें और पत्रिकाएं, वैज्ञानिक उपस्कर, स्टाफ, कैम्पस विकास, अध्यापन साधन आदि, जिनकी जरूरत उपयुक्त शिक्षण के लिए होती है, पूरा करने क लिए अनुदान देना।
- अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने वाले कालेजों को विशेष सहायता प्रदान करना।
- असमानताओं और क्षेत्रीय असंतुलनों को हटाने अथवा कम करने के उद्देश्य से पिछडे/ग्रामीण/ पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित कालेजों का विकास करना।

इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विभिन्न योजनाओं, स्कीमों अथवा कार्यक्रमों के अंतर्गत राज्यों के कालेजों को 132.16 करोड़ रुपए देकर और दिल्ली के कालेजों को 1.98 करोड़ रुपए प्रदान करके बहुत से कालेजों की सहायता की है। वित्तीय वर्ष 2002-03 के दौरान दिल्ली विश्वविद्यालयों के कालेजों को 246.31 करोड़ रुपए के अनुरक्षण अनुदान और बनारस विश्वविद्यालय के घटक कालेजों को 1.31 करोड़ रुपए के अनुरक्षण अनुदान विमोचित किए गए थे। इसके अलावा, यूनिवर्सिटी कालेज आफ मेडिकल

साइंसेज, दिल्ली को 18.25 करोड़ रुपए का एक विशेष अनुदान भी दिया गया था। दौरा करने वाली विभिन्न समितियों द्वारा प्रस्तुत की गई मूल्यांकन रिपोर्टों के आधार पर सामान्य विकास सहायता के अंतर्गत दसवीं योजना की अवधि में विमोचन किए जाने के लिए 148 विश्वविद्यालयों के वास्ते 757.98 करोड़ रुपए का नियतन (योजना) किया गया।

गैर-समनुदेशित अनुदान

आयोग इस स्कीम के अंतर्गत अध्यापकों/विद्यार्थियों को सम्मेलनों में भाग लेने, संगोष्ठियां और परिचर्चाएं आयोजित करने, अनुसंधान कार्य को प्रकाशित करने और अभ्यागत प्रोफेसरों/अध्येताओं की नियुक्ति के लिए अध्यापकों/विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता देता रहा है। इस स्कीम का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता और उसके स्तर में सुधार करना है अध्यापक बंधुओं के बीच अनुसंधान की संभावनाओं को बढ़ावा देना और शैक्षणिक क्षेत्र तथा अनुसंधान के क्षेत्रों में उनका अधिक व्यापक परिचय कराना है। वित्तीय सहायता की मात्रा विश्वविद्यालय की संकाय के आकार पर आधारित होती है। वर्ष 2002-03 के दौरान पात्र केन्द्रीय राज्य और सम-विश्वविद्यालयों को 2.23 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई।

महिला छात्रावासों का निर्माण

आयोग विश्वविद्यालयों और कालेजों को महिलाओं के लिए छात्रावासों का निर्माण करने के प्रयोजन से विशेष अनुदान प्रदान करके सहायता देता रहा है, ताकि सुरक्षित माहौल का निर्माण किया जाए और उन महिला छात्राओं की गतिशीलता को बढ़ावा दिया जाए, जो अपनी पसंद के विश्वविद्यालयों में उच्च अध्ययन करना चाहती हों। यह सहायता महिलाओं के नामांकन की स्थिति के अध्यधीन शत-प्रतिशत आधार पर दी जाती है। वित्तीय वर्ष 2002-03 के दौरान, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुख्यालय) ने विश्वविद्यालयों और कालेजों को 6.22 करोड़ रुपए विमोचित किए।



आयोग विश्वविद्यालयों और कालेजों को महिलाओं के लिए छात्रावासों का निर्माण करने के प्रयोजन से विशेष अनुदान प्रदान करके सहायता देता रहा है, ताकि सुरक्षित माहौल का निर्माण किया जाए और उन महिला छात्राओं की गतिशीलता को बढ़ावा दिया जाए, जो अपनी पसंद के विश्वविद्यालयों में उच्च अध्ययन करना चाहती हों।

विश्वविद्यालयों में दिवा देखभाल केन्द्र

महिलाओं और कामकाज करने वाले माता-पिताओं को अपने शैक्षणिक व्यवसाय का कार्यपालन करने में सहायता देने के लिए विश्वविद्यालय/कालेज के कर्मचारियों/अध्ययनकर्ताओं/विद्यार्थियों के बच्चों को दिवा देखभाल सुविधाएं प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालय में खोले गए प्रत्येक दिवा देखभाल केन्द्र को वित्तीय सहायता प्रदान करता रहा है। इस स्कीम में पात्र विश्वविद्यालय को 3.00 लाख रुपए की एकमुश्त अनुदान देने की परिकल्पना की गई है, जिसका उपयोग अत्यावश्यक सुविधाएं प्राप्त करने के लिए किया जाना है।

विश्वविद्यालय में महिला छात्रों, अध्यापकों और गैर-अध्यापन कर्मचारियों के लिए बुनियादी ढांचा

इस स्कीम का उद्देश्य विश्वविद्यालयों में महिला छात्रों, अध्यापकों और गैर-अध्यापन कर्मचारियों के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण करने और उसे सुदृढ़ बनाने के लिए सहायता देना है। इस स्कीम के अंतर्गत एक विश्वविद्यालय को बुनियादी ढांचे का सृजन और उन्नयन के लिए योजना अवधि में 10.00 लाख रुपए का एक-बारगी अनुदान दिया जाएगा। यह स्कीम योजना की अवधि के साथ समाप्त हो जाएगी। इस स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता के लिए पात्र विश्वविद्यालयों से प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं।

इंजीनियरी और तकनीकी विश्वविद्यालयों के लिए विकास अनुदान

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग छः तकनीकी विश्वविद्यालयों और 27 केन्द्रीय/राज्य/सम-विश्वविद्यालयों को जिनमें इंजीनियरी विभाग है, स्टाफ, इमारत, उपस्कर और पुस्तकों तथा पत्रिकाओं आदि के लिए विकास अनुदान प्रदान करता रहा है। वर्ष 2002-03 के दौरान इन विश्वविद्यालयों को 15.62 करोड़ रुपए का विकास अनुदान विमोचित किया गया था।

विश्वविद्यालयों में प्रबंध विभागों के लिए विकास अनुदान

आयोग प्रबंध विभागों वाले विश्वविद्यालयों को उनके विकास के लिए वित्तीय सहायता देता है। दसवीं योजना के पहले वर्ष के दौरान, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने नौ विश्वविद्यालयों को इस स्कीम के अंतर्गत 37.01 लाख रुपए के अनुदान दिए हैं।

स्वायत्त कालेज

सक्षम कालेजों को स्वायत्तता प्रदान करने का उद्देश्य यह है कि उन्हें विशेष रूप से इन कामों के लिए शैक्षणिक स्वतंत्रता प्रदान की जाए; अपने पाठ्यक्रम तैयार करना, अध्यापन, अनुसंधान और अधिगम के नए तरीके तैयार करना, दाखिले के नियम बनाना, अध्ययन के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित करना, परीक्षा-पत्र तैयार करना और परीक्षाओं का आयोजन करना। लक्ष्य यह है कि दसवीं योजना के अंत तक 10 प्रतिशत पात्र कालेजों को स्वायत्त बनाया जाए। इस समय 132 स्वायत्त कालेज हैं जो आठ राज्यों के 29 विश्वविद्यालयों में फैले हुए हैं। वर्ष 2002-03 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इन स्वायत्त कालेजों को 4.23 करोड़ रुपए के अनुदान प्रदान किए थे।

पहुंच और समानता बढ़ाने के कार्यक्रम

प्रौढ़ और सतत् शिक्षा

निरक्षरता के उन्मूलन के राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की जिम्मेदारा निभाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग निम्नलिखित उपागमों की परिकल्पना करके प्रौढ़ और सतत शिक्षा के कार्यक्रम को कार्यान्वित करता रहा है :

- सतत् शिक्षा कार्यक्रम का लक्ष्य वे लोग होने चाहिएं, जिन्हें विश्वविद्यालय शिक्षा का लाभ प्राप्त है, लेकिन जिन्हें ज्ञान अथवा कौशलों को अद्यतन बनाने अथवा नए कौशल प्राप्त करने के लिए इस ओर लौटने की आवश्यकता है।
- प्रौढ़, सतत और विस्तार शिक्षा में अल्पकालिक स्वरूप के प्रशिक्षण के कार्यक्रम शामिल किए जाने चाहिए, जिनका लक्ष्य ऐसे विभिन्न समूहों हों, जो सामान्य रूप से विश्वविद्यालय प्रणाली में नए प्रवेशकर्ता न हों।
- सामुदायिक पहुंच संबंधी क्रियाकलापों में समाज तक पहुचने की जिम्मेदारी शामिल होनी चाहिए, चाहे वे विशिष्ट सुविधा वंचित समूह, संगठन, स्कूल अथवा भौगोलिक समुदाय हों।

आयोग विश्वविद्यालयों में प्रौढ़ शिक्षा के केन्द्रों अथवा विभागों को उनके क्रियाकलापों और कार्यक्रमों के लिए और उनमें काम करने वाले कर्मचारियों के वेतन के लिए वित्तीय सहायता मुहैय्या कर रहा है। दसवीं योजना के पहले वर्ष, अर्थात 2002-03 के दौरान 41 विश्वविद्यालयों के इन विभागों को 96.39 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई।

विश्वविद्यालयों में योग शिक्षा और अभ्यास को बढ़ावा

इस स्कीम का उद्देश्य विश्वविद्यालयों को अपने कैम्पसों में योग शिक्षा और अभ्यास स्थापित करने में सहायता देना है, जिसके लिए वे देश की सुप्रतिष्ठित योग संस्थाओं का पता लगा सकते हैं और उनमें से किसी एक को इस कार्य में शामिल कर सकते हैं। योग केन्द्र का प्रबंध करने में होने वाले आवर्ती व्यय के लिए विश्वविद्यालयों को सहायता प्रदान की जाती है। आयोग ने अब तक 64 विश्वविद्यालयों को योग केन्द्र स्थापित करने के लिए अनुमोदित किया है। वर्ष 2002-03 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने योग केन्द्रों के लिए उनके चालू क्रियाकलापों के वास्ते ग्राह्य मानदेय के रूप में 33.42 लाख रुपए तक की राशि के अनुदान प्रदान किए हैं। "योग शिक्षा, उसके अभ्यास और सकारात्मक स्वास्थ्य" नामक नई स्कीम के लिए मार्ग-निर्देश दसवीं योजना की अवधि में क्रियान्वयन के लिए तैयार किए जा रहे हैं।

मूल्यपरक शिक्षा

इस स्कीम का उद्देश्य विभिन्न नियमित पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों में मूल्य-शिक्षा के संघटक को शामिल करके विश्वविद्यालयों और स्नातकोत्तर कालेजों में मूल्यपरक शिक्षा को बढ़ावा देना है। मूल्यों की शिक्षा के अध्ययन की विस्तृत पाठ्यचर्या/पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए एक समिति गठित की गई है। वर्ष 2002-03 के दौरान उन स्नातकोत्तर कालेजों को, जिन्होंने इस स्कीम को कार्यान्वित किया है, 2.48 लाख रुपए की राशि दी गई है।

जनसंख्या शिक्षा और यू.एन.एफ.पी.ए. परियोजना

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1983 से विश्वविद्यालय प्रणाली में जनसंख्या शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों और कालेजों को सहायता देता रहा है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह है कि विश्वविद्यालयों और कालेजों के युवकों को और उनके माध्यम से समुदाय को इस योग्य बनाया जाए कि वे जीवन की गुणवत्ता, लैंगिक साम्यता, प्रजनन स्वास्थ्य, एड्स, जनसंख्या वृद्धि से समाज और राष्ट्र पर पड़ने वाले प्रभाव आदि से संबंधित मुद्दों को समझ सकें। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या निधि (यू.एन.एफपी.ए.) के साथ एक संयुक्त परियोजना के रूप में चुने हुए विश्वविद्यालयों में 17 जनसंख्या शिक्षा संसाधन केन्द्र (पी.ई.आर.सी.) स्थापित किए हैं। ये केन्द्र विश्वविद्यालय प्रणाली को पाठ्यचर्या विकास, अध्यापन और अधिगम से संबंधित विभिन्न क्रियाकलापों के संचालन के लिए तकनीकी और संसाधन सहायता प्रदान करते हैं। इस परियोजना के तीसरे चरण में इस कार्यक्रम के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय क्षमता के निर्माण, किशोर-शिक्षा और उन्नत प्रबंध प्रणाली पर जोर दिया गया है। दसवीं योजना के प्रथम



राजकोषीय वर्ष अर्थात् 2002-03 के दौरान इन जनसंख्या शिक्षा केन्द्रों को 47.72 लाख रुपए प्रदान किए गए थे।

सामाजिक विचारकों और नेताओं के बारे में विशेष अध्ययन

भारत में महान विचारकों और सामाजिक नेताओं की एक ऐसी समृद्ध परंपरा है, जिनके क्रांतिकारी और नए पथ प्रशस्त करने वाले विचारों और कार्यों ने न केवल भारत में बल्कि भारत के बाहर भी एक अमिट छाप छोड़ी है। विश्वविद्यालयों में अध्यापकों और विद्यार्थियों को इन महान विचारकों और सामाजिक नेताओं के विचारों और कार्यों से अवगत कराने के लिए और उन्हें शोध अध्ययनों में शामिल करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग गांधीवाद, बौद्ध, नेहरू, अम्बेडकर, स्वामी विवेकानंद, रवीन्द्रनाथ टैगोर, जाकिर हुसैन, मदन मोहन मालवीय, एस. राधाकृष्णन तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्ययन केन्द्र स्थापित करने और चलाने के लिए चयनात्मक आधार पर विश्वविद्यालयों को शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान करता है। अब तक इसने 14 गांधीवादी अध्ययन केन्द्र, दो बौद्ध अध्ययन केन्द्र, तीन नेहरू अध्ययन केन्द्र, चार अम्बेडकर अध्ययन केन्द्र, स्वामी विवेकानंद के बारे में चार अध्ययन केन्द्र, डॉ0 रवीन्द्रनाथ टैगोर के बारे में एक अध्ययन केन्द्र, डॉ0 जाकिर हुसैन के बारे में दो केन्द्र और पंडित मदन मोहन मालवीय, डॉ0 एस. राधाकृष्णन और सरदार वल्लभभाई पटेल के बारे में एक-एक केन्द्र स्थापित किए हैं। ये केन्द्र अपनी स्थापना की तारीख से पांच वर्षों तक की अवधि के लिए मान्य होंगे। वर्ष 2002-03 के दौरान इन अध्ययन केन्द्रों को 15.01 लाख रुपए का अनुदान विमोचित किया गया।

महिला और परिवार अध्ययन संवर्धन

इस स्कीम में लैंगिक समानता, शैक्षणिक आत्म-निर्भरता, लड़कियों की शिक्षा, जनसंख्या संबंधी मुद्दों, मानव अधिकारों और शोषण आदि के क्षेत्रों में अनुसंधान करने, पाठ्यक्रम विकसित करने और प्रशिक्षण तथा विस्तार कार्य का आयोजन करने के लिए विश्वविद्यालयों में महिला अध्ययन केन्द्र स्थापित करने के लिए विश्वविद्यालयों को सहायता देने की परिकल्पना की गई है। इन क्रियाकलापों से न केवल सामाजिक जागरूकता और परिवर्तन लाने में बल्कि शैक्षणिक विकास में योगदान प्राप्त होने की अपेक्षा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अब तक 34 विश्वविद्यालयों में महिला अध्ययन केन्द्र स्थापित किए हैं। वर्ष 2002-03 के दौरान इन केन्द्रों को अपने क्रियाकलाप चलाने के लिए 70.05 लाख रुपए प्रदान किए गए थे। इसके अलावा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों से भारत के उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अनुसार, महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए विश्वविद्यालय कैम्पसों में स्थाई प्रकोष्ठ स्थापित करने का अनुरोध किया है। कुल मिलाकर, अब तक 45 विश्वविद्यालयों ने अपने कैम्पसों में स्थाई प्रकोष्ठ स्थापित करने के बारे में सूचना दी है।

मानव अधिकारों और कर्त्तव्यों की शिक्षा

विश्वविद्यालयों और कुछ कालेजों में अध्यापकों और और विद्यार्थियों में मानव अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए मानव अधिकारों और कर्त्तव्यों की शिक्षा के स्नातकोत्तर, स्नातकपूर्व डिप्लोमा और सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए और मानव अधिकारों और कर्त्तव्यों के बारे में संगोष्ठियां, परिचर्चाएं और कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इन विश्वविद्यालयों और कालेजों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता रहा है। सहायता देने के प्रयोजन से 30 प्रस्तावों (विश्वविद्यालयों से 9 प्रस्ताव और कालेजों से 21 प्रस्ताव) को अनुमोदित किया गया है। राजकोषीय वर्ष 2002-03 के दौरान 16 विश्वविद्यालयों और 23 कालेजों को 19.57 लाख रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई थी।

विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठों की स्थापना

इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालयों और कालेजों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण

की नीति और इसके अलावा, भारत सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यक्रमों का प्रभावकारी कार्यान्वयन और उसका मानीटरन सुनिश्चित करना है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ स्थापित करने के लिए विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान करता रहा है। अब तक, विभिन्न विश्वविद्यालयों में 113 प्रकोष्ठ स्थापित किए जा चुके हैं। वर्ष 2002-03 के दौरान विश्वविद्यालयों में काम कर रहे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठों को कर्मचारियों के वेतन के संबंध में 29.58 लाख रुपए की प्रतिपूर्ति की गई थी।

विश्वविद्यालयों और कालेजों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए उपचारी अध्यापन

समाज के कम सुविधाप्राप्त वर्गों की सामाजिक समानता और सामाजिक-आर्थिक गतिशीलता में योगदान देने के लिए आयोग ने 1994 में स्नातक-पूर्व/स्नातकोत्तर स्तर पर उपचारी अध्यापन स्कीम शुरू की है। इस स्कीम के मुख्य उद्देश्य ये हैं :

- विभिन्न विषयों में छात्रों के शैक्षणिक कौशलों और भाषाई प्रवीणता में सुधार करना।
- आधारभूत विषयों में समझने के स्तर को ऊंचा उठाना, ताकि आगे के शैक्षणिक कार्य के लिए अपेक्षाकृत अधिकार सुदृढ़ नींव की व्यवस्था की जाए।
- उन विषयों में, जहां मात्रात्मक और गुणात्मक तकनीकें और प्रयोगशाला - कार्य शामिल हों, विद्यार्थियों के ज्ञान, कौशलों और अभिवृत्तियों को सुदृढ़ बनाना।
- परिक्षाओं में ऐसे विद्यार्थियों के समूचे कार्य-निष्पादन में सुधार करना।

कालेजों/विश्वविद्यालयों में उपचारी अध्यापन में चिकित्सा और इंजीनियरी कालेजों में दाखिले के लिए प्रवेश-पूर्व परीक्षा/परीक्षणों को भी शामिल किया जाता है। केवल नियमित अध्यापन को प्राथमिकता दी जा रही है। विश्वविद्यालयों और कालेजों को सहायता की अवधि पांच वर्ष की है। वित्तीय वर्ष 2002-03 के अंत में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों को उपचारी अध्यापन प्रदान करने के लिए चुनी गई सूची में 44 नई संस्थाओं को जोड़ा गया है। औसत रूप से प्रत्येक संस्था द्वारा 80 विद्यार्थियों को शामिल किया गया है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति संबंधी स्थायी समिति नियतकालिक रूप से इस स्कीम को मानीटर करती है अथवा उसकी समीक्षा करती है। आलोच्य वर्ष के दौरान उन विश्वविद्यालयों और कालेजों को, जो इस स्कीम को कार्यान्वित कर रहे हैं, 226.08 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई।

सुविधावंचित अल्पसंख्यक समूहों के लिए उपचारी अध्यापन कक्षाएं: अल्पसंख्यक समूह

इस स्कीम का उद्देश्य सुविधावंचित अल्पसंख्यक समूहों के छात्रों को उपचारी अध्यापन प्रदान करना है ताकि वे विभिन्न प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं में प्रतियोगता कर सकें, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले सकें, आत्म-निर्भर बन सकें; इसके अलावा, इसका उद्देश्य अध्यापन केन्द्रों के निदेशकों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित करना भी है ताकि छात्रों के अध्यापन में व्यावसायिक कार्य-पद्धति को लागू किया जा सके। यह स्कीम योजना से योजना तक के आधार पर कार्य करती है।

मार्च, 2003 के अंत में, 99 अध्यापन केन्द्र, जिनमें 41 नए केन्द्र भी शामिल हैं, जिन्हें वर्ष 2002-03 में अनुमोदित किया गया था विभिन्न विश्वविद्यालयों और कालेजों में कार्य कर रहे थे। विभिन्न विश्वविद्यालयों और कालेजों में कार्य कर रहे थे। वित्तीय वर्ष 2002-03 के दौरान सुविधावंचित अल्पसंख्यक समूहों के लिए ये अध्यापन केन्द्र चलाने के लिए विश्वविद्यालयों और कालेजों को 153.87 लाख रुपए की राशि विमोचित की गई।

कश्मीर में अतिथि अध्यापक

जम्मू और कश्मीर राज्य में गड़बड़ी की स्थितियां होने के कारण, आयोग 1991 से उन अध्यापकों को सहायता दे रहा है, जो कश्मीर विश्वविद्यालय और उसके सम्बद्ध कालेजों में अतिथि संकाय पदों का सृजन करके दे रहा है। यह योजना कश्मीर घाटी में स्थिति के सामान्य हो जाने तक जारी रहेगी। वर्ष 2002-03 के दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय (0.32 लाख रुपए) और आगरा विश्वविद्यालय (0.48 लाख रुपए) को 0.80 लाख रुपए का अनुदान प्रदान किया गया।

विभिन्न प्रकार की विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए कार्यक्रम

उच्च शिक्षा प्रणाली में विकलांगता वाले व्यक्तियों का ध्यान रखने के उद्देश्य से, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विभिन्न प्रकार की विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए दो विशेष स्कीमें नामशः विशेष शिक्षा के लिए अध्यापक तैयार करना (टीईपीएसई) और विशेष आवश्यकताओं वाले व्यक्तियों के लिए उच्च शिक्षा (एचईपीएसएन)। स्कीम का मुख्य उद्देश्य विशेष अध्यापकों और अनुदेशकों के लिए पाठ्यक्रम तैयार करना और विभिन्न प्रकार की विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए विभिन्न रूपों में सुविधाएं प्रदान करना है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने



अब तक टी.ई.पी.एसई. के अंतर्गत 10 कालेजों और विश्वविद्यालयों और एचईपीएसएन स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता देने के लिए 19 कालेजों और विश्वविद्यालयों की पहचान की है और उनको अनुमोदित किया है। वित्तीय वर्ष 2002-03 के दौरान इन स्कीमों को कार्यान्वित करने वाली इन संस्थाओं को 6.06 लाख रुपए दिया गया था।

पिछड़े क्षेत्रों में स्थित विश्वविद्यालयों और कालेजों को विशेष विकास अनुदान

इस स्कीम के अंतर्गत इष्टतम अध्यापन प्राप्त करने और कम से कम 'देहली' के स्तर तक समानता और पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पिछड़े क्षेत्रों में स्थित विश्वविद्यालयों और कालेजों को बुनियादी ढांचे का सुधार करने के लिए विशेष अनुदान दिया जाता है। इससे विश्वविद्यालय एक ऐसे स्तर तक पहुंचने के योग्य वन सकेंगे जहां शिक्षण में नवाचार शुरू कर सकेंगे और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में वैश्वीकरण की चुनौतियों का सामना करने में समर्थ हो पाएंगे।

ऐसे सभी पात्र विश्वविद्यालयों को, जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12 (ख) के अंतर्गत मान्यता दी गई है और जो योजना आयोग द्वारा निर्धारित पिछड़े क्षेत्रों में स्थित हैं, उनकी दसवीं योजना में नियत की गई राशि के अलावा, 70.00 लाख रुपए तक का एक-बारगी अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा। पिछड़े क्षेत्रों में स्थित इन विश्वविद्यालयों को अतिरिक्त धनराशि मुहैय्या करने का प्रयोजन महानगरों, शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में स्थित विश्वविद्यालयों और पिछड़े क्षेत्रों में स्थित विश्वविद्यालयों के बीच विद्यमान असमानता के स्तर को हटाना अथवा कम करना है। आयोग ने यह विशेष विकास अनुदान उपलब्ध कराने के लिए पात्र विश्वविद्यालयों और कालेजों से प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं।

अपेक्षतया नए विश्वविद्यालयों और कालेजों के लिए विशेष विकास अनुदान

इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य अपेक्षतया नए विश्वविद्यालयों और कालेजों में बुनियादी अवसंरचना का सृजन और उसकी व्यवस्था करने में सहायता देना और वहां के मौजूदा बुनियादी ढांचे में सुधार करना और उसका विस्तार करना है, ताकि ये संस्थाएं विद्यार्थियों और अध्यापकों को आकर्षित कर सकें और इसके अलावा, उन्हें नए पाठ्यक्रम शुरू करने में सहायता देना है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12(ख) के अंतर्गत शामिल विश्वविद्यालय और कालेज आठवीं योजना से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। पात्र विश्वविद्यालयों और कालेजों को अपने भौतिक बुनियादी ढांचे को बढ़ाने, उसमें सुधार करने अथवा उसका विस्तार करने के लिए उनकी दसवीं योजना में नियत राशि के अलावा, अधिकतम 1.00 करोड़ रुपए तक का एक-बारगी अतिरिक्त अनुदान प्राप्त करने के पात्र हैं। प्रदान किए गए अनुदान का उपयोग केवल पूंजीगत स्वरूप की अवसंरचनात्मक सुविधाओं के सृजन के लिए किया जा सकता है, जैसे पुस्तकालय, छात्रावास, कर्मचारी क्वार्टर, कक्षाओं के कमरे, प्रयोगशालाएं, कैंटीने, सभा-भवन, अतिथि गृह खेल के मैदान आदि। स्कीम के अंतर्गत अनुमोदन और अनुदानों के विमोचन के लिए सभी पात्र युवा विश्वविद्यालयों और कालेजों से प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं।

सामाजिक रूप से प्रासंगिक शिक्षा कार्यक्रमों का संवर्धन

शिक्षा का वृत्तिक अभिविन्यास

स्नातक-पूर्व स्तर पर शिक्षा के व्यावसायीकरण के कार्यक्रम पर, जो 1994-95 में शुरू किया गया था, शिक्षा के वृत्तिक अभिविन्यास के संशोधित कार्यक्रम के अंतर्गत पुनर्विचार किया गया है।

इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पाठ्यक्रमों में व्यवसाय और मार्केट उन्मुख कौशलों का जोड़ना है, जिनकी उपयोगिता नौकरी, स्व-रोजगार और विद्यार्थियों के सशक्तीकरण के लिए

होती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक विशेषज्ञ समिति की सहायता से विश्वविद्यालयों और कालेजों में प्रारम्भ किए जाने के लिए 42 व्यवसायिक विषय निर्धारित किए हैं। मानविकी और वाणिज्य के विषयों के लिए पांच वर्षों के लिए एक-बारगी सीड मनी के रूप में 5.00 लाख रुपए तक और वैज्ञानिक विषयों के लिए एक-बारगी सीड मनी के रूप में 7.00 लाख रुपए तक की सहायता उपलब्ध है। कालेजों/विश्वविद्यालयों के लिए यह जरूरी है कि वे मानविकी, वाणिज्य और विज्ञान की प्रत्येक धारा के लिए न्यूनतम पांच पाठ्यक्रमों का चुनाव करें। एक विशेषज्ञ समिति और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एक विहित फार्मेट में विश्वविद्यालयों और कालेजों से इस कार्यक्रम के बारे में सूचना प्राप्त करके इस कार्यक्रम की मानीटरिंग कर रहे हैं। वर्ष 2002-03 के दौरान 335 कालेजों को इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए 19.77 करोड़ रुपए की राशि अदा की गई थी।

शैक्षिक स्टाफ कालेज

अध्यापकों को व्यावसायिक और वृत्तिक विकास के अवसर प्रदान करने और इसके द्वारा अध्यापन के उच्च स्तरों को बनाए रखने के उद्देश्य से, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शैक्षिक स्टाफ कालेज स्थापित करने का कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अध्यापकों, विशेष रूप से प्राध्यापकों लेक्चररों को इस योग्य बनाना है कि वेः

- विश्व और भारत के सन्दर्भ में, सामान्य रूप से शिक्षा और विशेष रूप से उच्च शिक्षा के महत्व को समझ सकें।
- भारतीय गुणवत्ता के विशेष सन्दर्भ में, जहां लोकतंत्र, व धर्म निरपेक्षता और सामाजिक साम्यता समाज के बुनियादी सिद्धान्त हैं, शिक्षा और आर्थिक और सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के बीच के सम्बन्धों को समझ सकें।
- उच्च शिक्षा के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कालेज/विश्वविद्यालय स्तर पर अध्यापन के बुनियादी कौशल प्राप्त कर सकें और उनमें सुधार कर सकें।
- अपने विशिष्ट विषयों में हुए अद्यतन विकास से अवगत हो सकें।
- किसी कालेज/विश्वविद्यालय के संगठन और प्रबन्ध को समझ सकें और समूची प्रणाली में अध्यापकों की भूमिका को समझ सकें।
- कम्प्यूटर साक्षरता और इंटरनेट ज्ञान को बढ़ावा दे सकें।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत इलेक्ट्रानिक विषय-वस्तु के विकास पर अपेक्षाकृत अधिक जोर दिया जाएगा, ताकि अध्यापकों को सभी विषयों में विशेष रूप से तैयार किए गए अभिविन्यास कार्यक्रमों/पुनश्चर्या कार्यक्रमों के जरिए ई-कांटेन्ट असेम्बलरों और सृजनकर्ताओं क्रियेटर को तैयार करने के योग्य बनाया जा सके। इस प्रयोजन से, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने हर वर्ष अभिविन्यास कार्यक्रम और पुनश्चर्या कार्यक्रम और संगोष्ठियां/कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों में 51 शैक्षिक स्टाफ कालेजों की स्थापना की है। शैक्षिक वर्ष 2003 के प्रारम्भ में, देश भर में 117 निर्धारित विश्वविद्यालयों और यूजीसी-पुनश्चर्या पाठ्यक्रम केन्द्रों के रूप में निर्धारित विशिष्ट संस्थाओं में 296 अभिविन्यास कार्यक्रम/कार्यशालाएं और 1271 पुनश्चर्या पाठ्यक्रम अनुमोदित किए गए हैं। दसवीं योजना के प्रथम राजकोषीय वर्ष के दौरान इन शैक्षिक स्टाफ कालेजों को प्रत्येक शैक्षिक स्टाफ कालेज की अनुसुची के अनुसार पूरे वर्ष भर अध्यापकों के लिए विभिन्न अभिविन्यास कार्यक्रम और पुनश्चर्या पाठ्यक्रम चलाने के लिए 30.17 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई थी।

अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग

यात्रा अनुदान

आयोग कालेज अध्यापकों, यूजीसी से पुरस्कार-प्राप्त अनुसंधान सहायकों, उप कुलपतियों और आयोग के सदस्यों को विदेशों में अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में अपने शोध-पत्र प्रस्तुत करने और आगे अनुसंधान करने के लिए अपने ज्ञान को समृद्ध बनाने और काम करने के तंत्र और तकनीकों/पद्धतियों को, जिनका अनुसरण मेजबान देश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में किया जाता है, सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता रहता है। यह सहायता तीन वर्षों में एक बार उपलब्ध होती है। कालेज अध्यापकों के लिए यह सहायता अनुमत्य व्यय के 50 प्रतिशत तक सीमित है। ख्यातिप्राप्त और असाधारण योग्यताप्राप्त अध्यापकों के मामले में, सहायता की मात्रा इस शर्त के साथ शत-प्रतिशत हो सकती है कि वह केवल छ वर्ष के बाद ही फिर से प्रार्थना-पत्र दे सकेंगे। उप-कुलपतियों और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सदस्यों के लिए यह सहायता शत-प्रतिशत के आधार पर होती है।

वर्ष 2002-03 के दौरान, 207 कालेज अध्यापकों और चार उप-कुलपतियों को 75.51 लाख रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई। इसके अलावा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग शत-प्रतिशत आधार पर भी यात्रा अनुदान दे रहा है, ताकि विश्वविद्यालय/कालेज अध्यापक स्रोत सामग्री एकत्र कर सकें। यह सहायता

केवल उन विद्वानों को दी जाती है, जिन्हें विदेश के किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से कम से कम दो महीने के लिए रख-रखाव का आश्वासन प्राप्त हुआ हो। वर्ष 2002-03 के दौरान, 11 अध्यापकों को 75.51 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी गई है।

क्षेत्र अध्ययन कार्यक्रम

आयोग 20 विश्वविद्यालयों में क्षेत्र अध्ययन केन्द्रों के रूप में निर्धारित 24 केन्द्रों को किसी निर्धारित क्षेत्र के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक कार्यों से सम्बन्धित अध्ययन शुरू करने अन्तविषय अनुसंधान विकसित करने और एक तुलनात्मक ढांचे के भीतर अध्यापन विकसित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता रहा है। ध्यान उन देशों और क्षेत्रों पर केन्द्रित है, जिनके साथ भारत का निकट और सीधा सम्पर्क रहा है। दसवीं योजना के पहले वर्ष के दौरान 18 विश्वविद्यालयों को, जहां क्षेत्र अध्ययन केन्द्र काम कर रहे हैं, 64.94 लाख रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई थी।

विनिमय कार्यक्रम

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारत सरकार की ओर से, भारत और अन्य देशों के बीच विश्वविद्यालय क्षेत्र से सम्बन्धित द्विपक्षीय विनिमय कार्यक्रमों का कार्यान्वित कर रहा है। वर्ष 2003 में, 51 देशों के साथ ऐसे कार्यक्रम प्रचालन में हैं। वर्ष 2002-03 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विभिन्न देशों से 6 विदेशी विद्वानों की मेजबानी की और 13 भारतीय विद्वानों को विदेशों में भेजा। सहयोगात्मक विनिमय कार्यक्रम के अन्तर्गत एमए अथवा अनुसंधान के स्तर पर विदेशी भाषाओं के अध्यापकों के विनिमय का उपबन्ध है। 31 मार्च, 2003 की स्थिति के अनुसार, 30 विदेशी भाषा अध्यापक विभिन्न भारतीय विश्वविद्यालयों में काम कर रहे हैं।

सार्क अध्येतावृत्तियों/छात्रवृत्तियों के कार्यक्रम के अन्तर्गत सार्क के सदस्य देशों को 26 अध्येतावृत्तियां और 40 छात्रवृत्तियां उपलब्ध हैं। वर्ष 2002-03 के दौरान, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सार्क अध्येतावृत्तियों के लिए पांच नामांकन किए हैं और सार्क छात्रवृत्तियों के लिए चार नामांकन किए हैं।

जर्मन शैक्षणिक आदान-प्रदान सेवाओं डीएएडी के अन्तर्गत-10 अध्येतावृत्तियों के अन्तर्गत 10 शोधकर्त्ताओं को प्राकृतिक विज्ञानों, गणित, भू-विज्ञान, जर्मन भाषा और साहित्य और मानविकी और समाज विज्ञान के कुछ क्षेत्रों में उन्नत अनुसंधान कार्य करने के लिए वर्ष 2003-04 में नामित किया गया है। इसके अलावा, 19 भारतीय शोधकर्त्ताओं को वर्ष 2003 के लिए अल्पकालीन अध्येतावृत्तियां प्रदान किए जाने के लिए नामित किया गया है। इसके अतिरिक्त, फ्रांस की सरकार ने फ्रांसीसी भाषा, साहित्य, संस्कृति और सभ्यता सीखने के क्षेत्रों में शोध कार्य करने के लिए दो शोधकर्ताओं को फ्रांसीसी सरकार की अध्येतावृत्तियां प्रदान की हैं।

सामाजिक वैज्ञानिकों के आदान-प्रदान के कार्यक्रम के अन्तर्गत, आयोग द्वारा वर्ष 2002-03 के लिए नामित 10 भारतीय विद्वानों ने फ्रांस की यात्रा की और छ फ्रांसीसी विद्वानों ने भारत की यात्रा की।

एक भारतीय विद्वान ने उच्च शिक्षा सहबद्धता कार्यक्रम के अन्तर्गत यूनाइटेड किंगडम की यात्रा की यह कार्यक्रम भारत और यूके की उच्च शिक्षा संस्थाओं के बीच सहबद्धता का विकास करने और संयुक्त अनुसंधान, संयुक्त रूप से प्रकाशन, पाठ्यचर्या का विकास करने, आदि के लिए है।

सार्क अध्येतावृत्तियों/छात्रवृत्तियों के कार्यक्रम के अन्तर्गत सार्क के सदस्य देशों को 26 अध्येतावृत्तियां और 40 छात्रवृत्तियां उपलब्ध हैं। भेजने वाले देश को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई किराया देना पड़ता है और अध्येताओं, आदि को स्वीकार करने वाला देश दाखिले और भत्तों, आदि की अदायगी के सम्बन्ध में सब प्रबन्ध करता है। वर्ष 2002-03 के दौरान, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सार्क अध्येतावृत्तियों के लिए पांच नामांकन किए हैं और सार्क छात्रवृत्तियों के लिए चार नामांकन किए हैं। रिपोर्टाधीन वर्ष में कोई यात्रा नहीं हो पाई है।

राष्ट्रमंडल शैक्षिक स्टाफ अध्येतावृत्तियों के कार्यक्रम के अन्तर्गत, विश्विद्यालय अनुदान आयोग यूनाइटेड किंगडम के राष्ट्रमंडल विश्वविद्यालय संघ एसीयू के साथ समन्वय स्थापित करता है और राष्ट्रमंडल शैक्षणिक अध्येतावृत्तियां प्रदान किए जाने के लिए नामांकन करता है, ताकि भारतीय विश्वविद्यालयों और कालेजों के उदीयमान संकाय सदस्य यूनाइटेड किंगडम में स्थित विश्वविद्यालयों/कालेजों में शोध-कार्य कर सकें।

वर्ष 2002-03 के दौरान 86 अध्यापकों का नामांकन किया गया

है। 86 में से 42 शोधकर्ताओं का चुनाव अंतिम रूप से राष्ट्रमंडल विश्वविद्यालय संघ द्वारा किया जाता है। वर्ष 2002 में केवल 33 भारतीय विद्वान यूनाइटेड किंगडम की यात्रा कर सके थे।

वर्ष 2002-03 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने साल्जबर्ग संगोष्ठी कार्यक्रम के अन्तर्गत संगोष्ठी में भाग लेने और शोध-पत्र प्रस्तुत करने के लिए दो शोधकर्ताओं की सिफारिश की थी। लेकिन उनकी यात्रा मूर्त्त रूप नहीं ले सकी।

शास्त्री भारत-कनाडा कार्यक्रम के अन्तर्गत कनाडा के एक अध्यापक ने भारत का दौरा किया और दो भारतीय अध्यापक कनाडा गए।

वर्ष 2002-03 के दौरान इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत 53.51 लाख रुपए की राशि स्थापना व्यय को छोड़ कर खर्च की गई।

अन्तर्विषयक और उभरते हुए क्षेत्रों में अध्यापन और अनुसंधान

यह कार्यक्रम अन्तर्विषयक और उभरते हुए क्षेत्रों में स्नातक-पूर्व और पीजी डिप्लोमा सहित स्नातकोत्तर स्तर के विशेषीकृत पाठ्यक्रमों को और अध्यापन, अनुसंधान, शैक्षणिक, उत्कृष्टता, सामाजिक विकास और विभिन्न विषयों के उन प्रासंगिक क्रियाकलापों को, जो शैक्षिक प्राथमिकताओं-राष्ट्रीय और भूमंडलीय दोनों प्रकार की-को पूरा करते हैं, प्रभावित करने के लिए देदीप्यमान विचारों और नवाचारी प्रस्तावों को समायोजित करने में सहायता देने के लिए है। वित्तीय सहायता शत-प्रतिशत आधार पर दी जाती है। यह प्रयोगशाला के उपस्कर, आकस्मिक व्यय, स्टाफ, आदि की सर्वाधिक अत्यावश्यक और महत्वपूर्ण आवश्यकताओं के लिए दी जाती है, जो अन्तविषयक और नए उभरते हुए क्षेत्रों में पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए होती है। वित्तीय सहायता की सीमा, वास्तविक आधार पर कर्मचारी-व्यय के अलावा, आवर्ती और अनावर्ती दोनों प्रकार की मदों के लिए 50.00 लाख रुपए होगी। इस कार्यक्रम की अवधि केवल दसवीं योजना की अवधि की समाप्ति के समय तक की है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उपस्कर के अनुरक्षण के लिए और ऊपरी खर्च को पूरा करने के लिए भी अतिरिक्त अनुदान देने पर विचार कर सकता है कुल नियतन का 10 प्रतिशत। वर्ष 2002-03 के दौरान विश्वविद्यालयों के विभागों को इन पाठ्क्रमों को चलाने के लिए 37.69 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई थी।

गुणवत्ता और उत्कृष्टता के संवर्धन के कार्यक्रम

उत्कृष्टता की संभावना वाले विश्वविद्यालयों की पहचान

इस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य ये हैं:

- अध्यापन, अनुसंधान और आगे निकलने (आउटरीच) के कार्यक्रमों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए शैक्षणिक और भौतिक अवसंरचना को मजवूत वनाना।
- लचीले और प्रभावकारी अभिशासन को वढ़ावा देना।
- लचीली ऋण-आधारित मोड्डुलर प्रणाली की सहायता से स्नातक-पूर्व और स्नातकोत्तर स्तरों पर अधिगम की प्रक्रिया और अध्यापन की गुणवत्ता को वढ़ाना।
- राष्ट्र की सामाजिक और आर्थिक आवश्यकताओं से संगत शैक्षणिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देना।
- स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के अन्तर्सम्मुखीकरण (इंटरकेसिंग) द्वारा कालेजों में स्नातक-पूर्व शिक्षा में सुधार करना।
- देश में अन्य अनुसंधान केन्द्रों/विभागों और प्रयोगशालाओं के साथ नेटवर्किंग को बढ़ावा देना।
- वैश्वीकरण की चुनौती का सामना करने के लिए शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान में उत्कृष्टता प्राप्त करना।

दसवीं योजना की अवधि में भौगोलिक तत्वों जैसे तत्वों, उदाहरणार्थ शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों, पिछड़े क्षेत्रों में स्थिति और महिला कालेजों के रूप में छात्रों के नामांकन और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति शिक्षा के पहलुओं को भारांश देकर 5-15 विश्वविद्यालयों और 100-150 कालेजों की पहचान करने का प्रस्ताव है। विश्वविद्यालयों और कालेजों की पात्रता की कसौटियां इस प्रकार हैं:

विश्वविद्यालय

- एनएएसी द्वारा प्रत्यायन।
- मौजूदा स्नातकोत्तर विभागों के कम से कम 25 प्रतिशत विभाग ऐसे हों, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा एसएपी/एएसआईएसटी/नवाचारी कार्यक्रमों के अन्तर्गत अभिज्ञात किए जा सकें/
- पिछले दशक के दौरान सफल शैक्षणिक, प्रशासनिक और वित्तीय सुधारों का प्रमाणित साक्ष्य।
- पिछले दशक में बाह्य वित्तपोषण से परियोजनाओं के माध्यम से शुरू किया गया पर्याप्त अनुसंधान कार्य और विकास का कार्यकलाप।
- एक ऐसी प्रभावकारी शैक्षणिक और प्रवन्धन प्रणाली विकसित करने की संभावना, जो देश में विश्वविद्यालय प्रणाली को पहचानने के लिए, सामन्य रूप से, एक माडल का काम दे सके।

कालेज

- कालेज दस वर्ष अथवा उससे भी अधिक पुराने होने चाहिए।
- एनएएसी द्वारा प्रत्यायन।
- जो कालेज एनएएसी द्वारा प्रत्यायित न किए गए हों, उन्हें एक वर्ष के अन्दर प्रत्यायन अवश्य प्राप्त करना चाहिए।
- प्रत्येक कालेज को दसवीं योजना की अवधि के लिए कार्य-योजना तैयार करनी चाहिए और प्रस्तुत करनी चाहिए।

विश्वविद्यालयों के लिए वित्तीय सहायता की ऊपरी सीमा पांच वर्ष की अवधि के लिए 30.00 करोड़ रुपए की है। कालेजों के लिए, दसवीं योजना की अवधि में अनुदान राशि 35.00 लाख रुपए से लेकर 1.00 करोड़ रुपए तक हो सकती है।

आयोग पांच विश्वविद्यालयों, नामशः पुणे, हैदराबाद, मद्रास, जादवपुर और जेएनयू की पहचान पहले से कर चुका है और उसने उन्हें 'उत्कृष्टता की संभावना' वाले विश्वविद्यालयों का दर्जा प्रदान कर दिया है। 12 अन्य विश्वविद्यालयों को उनके विशिष्ट क्षेत्रों में 'उत्कृष्टता के केन्द्रा' के रूप में अभिज्ञात किया गया है। दसवीं योजना की अवधि के लिए नए मार्ग-निर्देशों के अनुसार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 'उत्कृष्टता की संभावना' वाले विश्वविद्यालयों/कालेजों के रूप में निर्धारित किए जाने के लिए विश्वविद्यालयों और कालेजों से प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं।

यूजीसी-इन्फोनेट कार्यक्रम

बढ़ी हुई पहुंच और गुणवत्ता के साथ प्रासंगिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी और अध्यापन, अधिगम और शिक्षा प्रबन्ध की प्रक्रिया का एकीकरण करके भारतीय विश्वविद्यालयों और कालेजों का एक नेटवर्क अर्थात यूजीसी-इन्फोनेट नामक एक विशाल कार्यक्रम शुरू किया है, इस नेटवर्क का संचालन और प्रबन्ध अरनेट इंडिया द्वारा किया जाएगा। सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क केन्द्र (इनफ्लिबनेट), जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का एक स्वायत्त अंतःविश्वविद्यालय केन्द्र है, अरनेट और विश्वविद्यालयों तथा कालेजों के बीच समन्वय और सहबद्धता के सुगमीकरण का नोडल अभिकरण है। वित्तीय वर्ष 2002-03 के दौरान अध्यापकों को कुल 32.03 करोड़ रुपए का अनुदान विमोचित किया गया था।

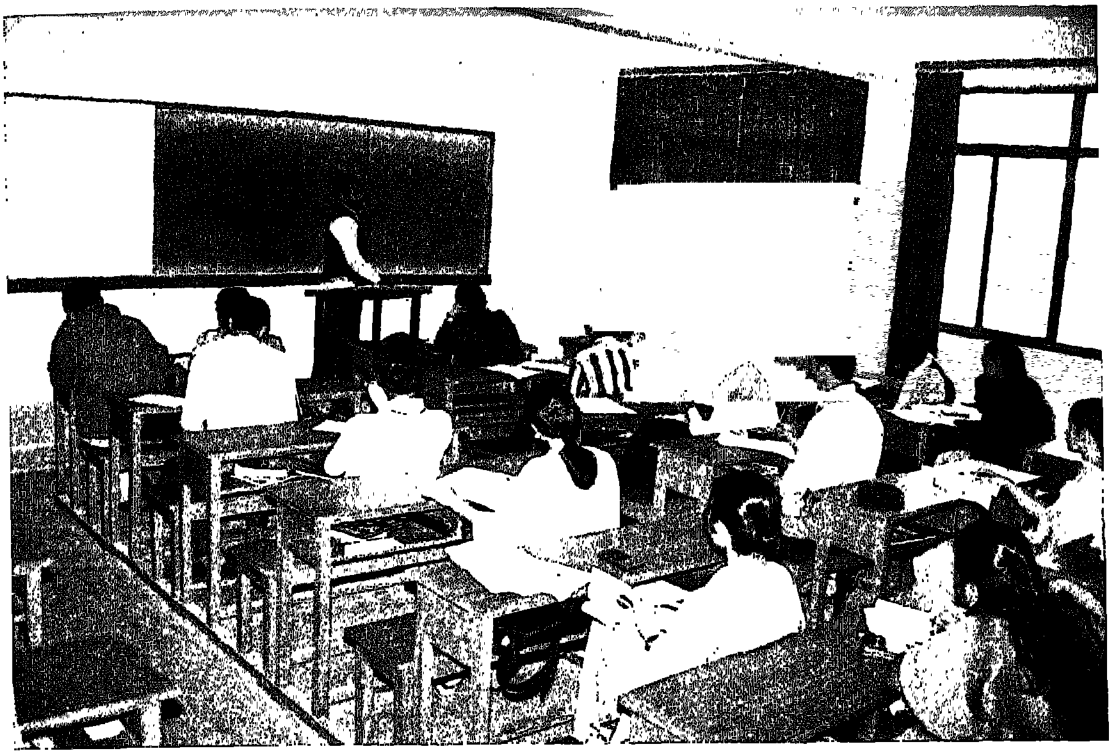
उच्च शिक्षा का निर्यातः इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अन्य देशों से भारत में और भारत से अन्य देशों को छात्रों के मुक्त प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए नीति तैयार करना है। इससे विश्वविद्यालयों को भारत से भाहर अपनी गतिविधियों का विस्तार करने और भारतीय शिक्षा का विदेशों में निर्यात करने में सहायता मिलेगी। इस प्रयोजन से, एक विशेषज्ञ समिति द्वारा प्रस्तुत की गई अन्तरिम रिपोर्ट के आधार पर, उच्च शिक्षा के निर्यात के लिए एक प्रचालन तंत्र तैयार करने के लिए एक स्थाई समिति का गठन किया गया है।

अनुसंधान और अध्यापन सामग्री का डिजिटल भंडारः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भारत मे विश्वविद्यालय क्षेत्र में अधिगम के सभी क्षेत्रों में पांडित्यपूर्ण साहित्य को इंटरनेट पर इलेक्ट्रानिक पहुंच प्रदान करने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम का पूर्ण वित्तपोषण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा किया जाता है। सभी विश्वविद्यालय, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं, इस कार्यक्रम के सदस्य होंगे और धीरे-धीरे इसका विस्तार कालेजों तक भी किया जाएगा। इस कार्यक्रम का समन्वय और कार्यान्वियन सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क (इनफ्लिबनेट) केन्द्र, अहमदाबाद द्वारा किया जाएगा। विभिन्न ई-जर्नलों तक पहुंच औपचारिक रूप से जनवरी 1, 2004 को शुरू हुई थी। यह कार्यक्रम यूजीसी-इन्फोनेट प्रयास का एक नींव का पत्थर है, जिसका उद्देश्य विश्वविद्यालयों की अध्यापन, अधिगम, अनुसंधान, संयोजन और अभिशासन सम्बन्धी आवश्यकताओं की ओर ध्यान देना है।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य विश्वविद्यालयों के लिए संगत अधिगम के सभी क्षेत्रों को शामिल करना है, जिनमें कलाएं, मानविकी और सामाजिक विज्ञान, भौतिक और रासायनिक विज्ञान, जीवन विज्ञान, कम्प्यूटर विज्ञान, गणित और सांख्यिकी सम्मिलित हैं।

वर्ष 2002-03 के दौरान इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क केन्द्र को 15.00 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध की गई।

अध्यापन और अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय परीक्षा नेट (एनईटी): विश्वविद्यालय अनुदान आयोग प्राध्यापन पात्रता और कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्तियों के लिए राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा (टेस्ट) का आयोजन करता है, ताकि अध्यापन के व्यवसाय और अनुसंधान के क्षेत्र में प्रवेश करने वालों के लिए न्यूनतम मानक सुनिश्चित हो सकें। विज्ञान के विषयों के लिए परीक्षा का आयोजन सीएसआईआर द्वारा यूजीसी के साथ संयुक्त रूप



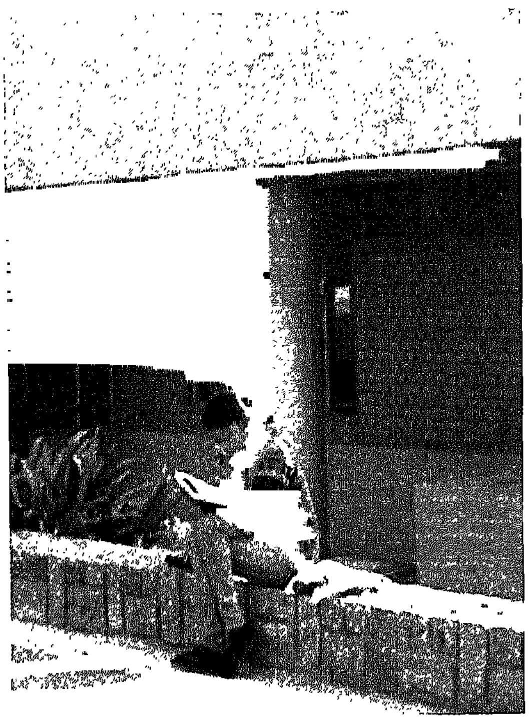
से किया जाता है। ये टेस्ट वर्ष में दो भार, सामान्य रूप से जून और दिसम्भर के महीनों में आयोजित किए जाते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों को उन उम्मीदवारों के लिए भहुत अध्येतावत्तियां प्रदान की हैं, जो जेआरएफ के टेस्ट में अर्हता प्राप्त करते हैं। इस समय ये टेस्ट देश भर में फैले 65 केन्द्रों और भारतीय राजदूतावासों के साथ प्रबन्ध करके विदेशों में 6 केन्द्रों में 81 विषयों में आयोजित किए जाते हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग प्राध्यापक (लेक्चरर) के पद के लिए पात्रता सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तर के पात्रता टेस्ट आयोजित करने के लिए राज्यों का प्रत्यापन भी कर रहा है। अब तक 18 राज्यों का इस प्रयोजन से प्रत्यापन दिया गया है। जो उम्मीदवार जून, 2002 से पहले इन राज्य-स्तरीय पात्रता परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर चुके हैं, वे भारत भर में लेक्चरर के पद के पात्र है। लेकिन जून, 2002 में अथवा उसके भाद राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवार केवल उन राज्यों के विश्वविद्यालयों/कालेजों में, जहां उन्होंने राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा में सफलता प्राप्त की हो, लेक्चरर के पद के लिए आवेदन करने के पात्र हैं।

वर्ष 2002-03 में इन राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं को आयोजित करने पर, स्थापना व्यय सहित, 5.17 करोड़ रुपए का खर्च किया गया था।

संसाधन जुटाने के लिए प्रोत्साहन: उच्च शिक्षा को सहायता देने की अपनी परम्परा को पुनःजीवित करने और विश्वविद्यालयों के विकास में समाज को पहले से अधिक भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, आयोग ने संसाधन जुटाने के लिए प्रोत्साहन नाम से एक योजना तैयार की है। इस स्कीम के ये उद्देश्य हैं:

- विश्वविद्यालयों के विकास के लिए समाज को भाग लेने/योगदान देने के लिए आमंत्रित करके संसाधन जुटाने के लिए विश्वविद्यालयों को प्रोत्साहित करना।
- विश्वविद्यालय के विकास के लिए समाज से आने वाले संसाधनों के प्रवाह को प्रोत्साहित करना और उसमें वृद्धि करना।
- विश्वविद्यालयों को प्रोत्साहित करना कि वे राष्ट्रीय महत्व के महत्वपूर्ण मुद्दों के वारे में न केवल उद्योगों को, बल्कि सरकार और अन्य निकायों को और व्यापक समाज को, अदायगी के आधार पर सलाह प्रदान करें।



- उन विश्वविद्यालयों को प्रोत्साहन प्रदान करना, जो अपने विकास के कार्यों में समाज को शामिल करते हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का योगदान विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त अंशदान के 25 प्रतिशत की हद तक होगा, जो प्रति वर्ष अधिकतम 25 लाख रुपए तक होगा।

वित्तीय वर्ष 2002-03 के दौरान, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने चार राज्य विश्वविद्यालयों और एक सम-विश्वविद्यालय को अपने समतुल्य हिस्से के रूप में 63.17 लाख रुपए दिए।

संकाय सुधार कार्यक्रमः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग संकाय सुधार कार्यक्रम के भाग के रूप में विश्वविद्यालयों और कालेजों में कार्यरत अध्यापकों को वित्तीय सहायता प्रदान करता रहा है, ताकि वे एमफिल/पीएचडी की डिग्री प्राप्त करने के लिए अपना अनुसंधान कार्य करते रहें। वर्ष 2002-03 में अध्यापक अध्येताओं को 11.25 करोड़ रुपए दिए गए।

कालेजों में यूजीसी नेटवर्क संसाधन केन्द्रों की स्थापनाः इस स्कीम का उद्देश्य स्टाफ और छात्रों में प्रशासन, वित्त, परीक्षा और अनुसंधान जैसे विभिन्न क्रियाकलापों में कम्प्यूटर के उपयोग के भारे में जागरूकता उत्पन्न करना और भारत तथा विदेशों में सुप्रतिष्ठित स्थानों पर मल्टीमीडिया में अध्यापन और अधिगम की सामग्री तक पहुंचने में उन्हें समर्थ भनाना है। कम्प्यूटर और इंटरनेट संयोज्यता प्रदान करके यूजीसी नेटवर्क संसाधन केन्द्रों की स्थापना के लिए सहायता दी जाती है। सहायता का स्वरूप इस प्रकार का है:

- पहली बार सहायता

अनावर्ती	1.5 लाख रुपए
आवर्ती	10000 रुपए प्रतिवर्ष

- दूसरी बार सहायता

अनावर्ती	50000 रुपए
आवर्ती	10000 रुपए प्रतिवर्ष

जिन कालेजों ने दूसरी बार सहायता प्राप्त कर ली है, उन्हें केवल इंटरनेट संयोज्यता के लिए दसवीं योजना की अवधि के अंत तक 10000 रुपए की सहायता दी जाएगी।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अब तक 818 कालेजों को यूजीसी नेटवर्क संसाधन केन्द्रों की स्थापना के लिए सहायता दी है कम्प्यूटरों की खरीद-618 कालेज, इंटरनेट संयोजन-200। वर्ष 2002-03 के दौरान विश्वविद्यालयों और कालेजों को क्रमशः कुल 121.06 लाख रुपए और 586.80 लाख रुपए का अनुदान प्रदान किया गया था।

अनुसंधान के सुदृढ़ीकरण के लिए कार्यक्रम

विशेष सहायता कार्यक्रम एसएपी

विशेष सहायता कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य ये हैं

- विश्वविद्यालयों के उन विभागों का पता लगाना और उन्हें सहायता देना, जहां शिक्षा के विभिन्न विषयों में, जिनमें सम्बद्ध विषय भी शामिल हैं, गुणवत्तापूर्ण अध्यापन और अनुसंधान की संभावना है।
- कार्यक्रम सामाजिक आवश्यकताओं से संगत होना चाहिए और उसके लिए समाज और उद्योग की परस्पर-क्रिया होनी चाहिए।
- अनुसंधान को अच्छे अध्यापन का उत्प्रेरक बनाना और बल दिए जाने वाले अभिज्ञात क्षेत्रों से सम्बन्धित नए पाठ्यक्रमों की शुरूआत।
- राष्ट्र और समाज के विकास के लिए अनुसंधान के परिणामों का उपयोग करने के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं को बढ़ाना।

- बल दिए जाने वाले अभिज्ञात क्षेत्रों में गुणवत्ता वाले मानव संसाधनों का प्रशिक्षण और सृजन।
- नए/जातीय क्षेत्रों की खोज, उनका संवर्धन और पोषण।

जिन विभागों के पास कम से कम एक प्रोफेसर, दो रीडर और तीन लेक्चरर है, वे इस कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल होने के पात्र हैं। इस कार्यक्रम की अवधि दसवीं योजना की अवधि क समाप्त होने के समय तक की है। यह कार्यक्रम तीन स्तरों, अर्थात डीआरएस, डीएसए और एएएस के स्तरों पर कार्यान्वित किया जा रहा है। इस कायक्रम के विभिन्न स्तरों पर वित्तीय सहायता की अधिकतम सीमा इस प्रकार होगीः

सीएएस	विज्ञान, इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी में 100.00 लाख रुपए।
	गणित, सांख्यिकी, मानविकी और समाज विज्ञान में 60.00 लाख रुपए।
डीएसए	विज्ञान, इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी में 75.00 लाख रुपए।
	गणित, सांख्यिकी, मानविकी और समाज विज्ञान में 50.00 लाख रुपए।
डीआरएस	विज्ञान, इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी में 50.00 लाख रुपए।
	गणित, सांख्यिकी, मानविकी और समाज विज्ञान में 40.00 लाख रुपए।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता के लिए अनुमोदित विभागों की संख्या, 31 मार्च, 2003 की स्थिति के अनुसार 398 है सीएएस 55, डीएसए 168, डीआरएस 175। वर्ष 2002-03 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने मानविकी, समाज विज्ञानों, भौतिक विज्ञान, जैव-विज्ञान, इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी के विभागों को 15.91 करोड़ रुपए के अनुदान प्रदान किए।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए बुनियादी ढांचे के सुदृढ़करण के लिए सहायता एएसआईएसटी

इस कार्यक्रम का बुनियादी उद्देश्य विश्वविद्यालयों के उन चुनिंदा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभागों को सहायता देना है, जिन्होंने पहले ही उच्च स्तरीय कार्य-निष्पादन का परिचय दिया है और उसे प्राप्त किया है ताकि वे अत्यन्त परिष्कृत और कीमती उपस्कर प्राप्त कर सकें, जिन्हें एसएपी अनुदान अथवा सामान्य विकास अनुदान के अन्तर्गत अनुमोदित नहीं किया जा सकता। इन उपस्करों से उन्हें अपने विभाग में स्नातकोत्तर अध्ययन और अनुसंधान में उत्कृष्टता प्राप्त करना सुविधाजनक हो जाएगा। इस कार्यक्रम के विशिष्ट उद्देश्य ये हैं:

- अनुसंधान और स्नातकोत्तर अध्यापन में प्राप्त उत्कृष्टता निरन्तर बनाए रखने अथवा निर्धारित क्षेत्रों में प्रमाणित कार्य-निष्पादन को बढ़ाने के लिए कीमती बढ़िया उपस्कर प्राप्त करके एसएपी अथवा अन्य स्रोतों के अन्तर्गत उपलब्ध नहीं स्नातकोत्तर शिक्षा और अनुसंधान के लिए बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाना।
- विश्व में अपने प्रतिरूप संस्थानों के बराबर अथवा तुलनीय बनने के लिए उच्च प्रौद्योगिकी/उभरते हुए/बल दिए जाने वाले/जेनरिक क्षेत्रों की भावी वृद्धि और संवर्धन।
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी की नवीन क्रियाओं को प्रोत्साहन और प्रौद्योगिकी के अन्तरण द्वारा उनका उपयोग, एकस्वों पेटेंट्स आदि को दायर करना।
- संसाधनों के स्व-पोषण और सृजन के लिए अन्तर्राष्ट्रीय और औद्योगिक सहयोगात्मक कार्यक्रम हाथ में लेना।
- एसएपी अथवा एएसआईएसटी सीओएसआईएसटी द्वारा सहायताप्राप्त अन्य विभागों के साथ सम्बन्ध स्थापित करना और उन्हें अन्तर्विषयक क्रियाकलापों के लिए अपेक्षित कदमों के सुझाव देना और प्रयोक्ता विभागों को सक्रिय रूप से भागीदारिता, प्रशिक्षण और जागरूकता के कार्यक्रमों और क्षेत्रों के पोषण द्वारा अभिप्रेरित करना।

जिन विभागों ने एसएपी कार्यक्रम के अन्तर्गत डीआरएस के न्यूनतम सतर पर कम से कम एक अवधि अर्थात पांच वर्ष पूर कर लिए हैं तथा और आगे जारी रखने के लिए जिनकी समीक्षा अच्छी रिपोर्ट के साथ की गई है, वे इसके पात्र हैं। सहायता एक बारगी निविष्टि के रूप में शत-प्रतिशत आधार पर प्रदान की जा रही है। विज्ञान, इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी के चुने हुए विभाग के लिए वित्तीय सीमा 85.00 लाख रुपए और गणित तथा सांख्यिकी विभाग के लिए केवल पांच वर्ष की अवधि के लिए 60.00 लाख रुपए हैं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत जो विभाग चुने जाते हैं, उन्हें कार्यात्मक स्वायत्तता दी जाती है। 31 मार्च, 2003 तक 231 विभाग और 60 विश्वविद्यालय सहायता दिए जाने के लिए चुने गए हैं। वित्तीय वर्ष 2002-03 के दौरान सहायता दिए जाने के लिए चार नए विभाग निर्धारित किए गए हैं और नए और चालू क्रियाकलापों के लिए कुल 2.66 करोड़ रुपए का अनुदान विमोचित किया जाता है। दसवीं

योजना की अवधि में प्रत्येक वर्ष लगभग 10-15 नए पात्र विभागों को शामिल किए जाने की संभावना है।

बड़ी और लघु अनुसंधान परियोजनाओं के लिए अनुसंधान वित्तपोषण परिषद

उद्देश्य यह है कि विश्वविद्यालयों और कालेजों के अध्यापकों के अनुसंधान-कार्यक्रमों को सहायता देकर उच्च शिक्षा के सभी विषयों में अनुसंधान में उत्कृष्टता को बढ़ावा दिया जाए। विश्वविद्यालयों और कालेजों में स्थाई/नियमित, कार्यरत/सेवानिवृत्त अध्यापकों को अनुसंधान परियोजनाओं के लिए, जो किसी एकल अध्यापक द्वारा अथवा अध्यापकों के एक समूह द्वारा हाथ में ली जा सकती हैं, वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। एक अध्यापक किसी एक दिए गए समय में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की केवल एक परियोजना ले सकता है।

किसी अनुसंधान परियोजना के लिए सहायता की मात्रा निम्न प्रकार से होती है:

- इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी सहित विज्ञानों, चिकित्सा, फार्मेसी, कृषि आदि में बड़ी अनुसंधान परियोजना-12.00 लाख रुपए।
- मानविकी, समाज विज्ञान, भाषाओं, साहित्य, कला, कानून और सम्बद्ध विषयों में बड़ी अनुसंधान परियोजना-10.00 लाख रुपए।
- लघु अनुसंधान परियोजना-1.00 लाख रुपए।

वित्तीय सहायता उपस्कर, पुस्तकों और पत्रिकाओं जैसी मदों, अनुसंधान कार्मिकों, तकनीकी सेवाओं को किराये पर लेने, आकस्मिक व्यय, रसायनों और उपभोग की वस्तुओं, यात्रा और क्षेत्र-कार्य और किसी अन्य विशेष आवश्यकता के लिए होती है। लेकिन, लघु अनुसंधान परियोजनाओ में अनुसंधान कार्मिकों के लिए सहायता प्रदान नहीं की जाएगी। बड़ी और छोटी अनुसंधान परियोजनाओं की अवधि, आम तौर पर, क्रमश 3 और 2 वर्ष की होती है, वर्ष 2002-03 के दौरान लगभग 620 बड़ी अनुसंधान परियोजनाओं और 772 लघु अनुसंधान परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है और 22.04 करोड़ रुपए की राशि विमोचित की गई है।

इंस्ट्रूमेंट अनुरक्षण क्रियाकलाप

अध्यापन और अनुसंधान में परिष्कृत इंस्ट्रूमेंटों/उपस्कर के इष्टतम उपयोग के लिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इंस्ट्रूमेंटेशन के सभी पहलुओं का ध्यान रखने के लिए, जिसमें विभिन्न स्तरों पर अनुरक्षण, मरम्मत और मानव संसाधन का प्रशिक्षण भी शामिल हैं, विश्वविद्यालय विज्ञान इंस्ट्रूमेंटेशन केन्द्रों की स्थापना करता रहा है। वित्तीय वर्ष 2002-03 के दौरान केन्द्रों को, जो दसवीं योजना अवधि में स्थापित किए जाएंगे, 22.58 लाख रुपए की राशि विमोचित की गई थी। विश्वविद्यालय विज्ञान इंस्ट्रूमेंटेशन केन्द्र की योजना का फिर से नामकरण इंस्ट्रूमेंटेशन अनुरक्षण क्रियाकलाप के रूप में किया गया है और स्कीम के लिए माग-निर्देशों को दसवीं योजना के अन्तर्गत कार्यान्वित करने के लिए अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

अन्तर्विश्वविद्यालय केन्द्र

1984 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम में किए गए संशोधन के अनुसरण में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12(गगग) के अन्तर्गत विश्वविद्यालय प्रणाली के भीतर अन्त- विश्वविद्यालय केन्द्रों के नाम से पुकारे जाने वाले स्वायत्त केन्द्रों की स्थापना करता रहा है। इन केन्द्रों को स्थापित करने के उद्देश्य ये हैं

- ऐसे विश्वविद्यालयों को सांझी उन्नत केन्द्रीयकृत सुविधाएं/सेवाएं सुलभ कराना, जो बुनियादी ढांचे और अन्य इनपुटों के लिए भारी निवेश करने में समर्थ नहीं हैं।
- सारे देश में अध्यापकों और शोधकर्त्ताओं को प्रत्येक क्षेत्र में सर्वोत्तम विशेषज्ञता सुलभ कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना।
- अनुसंधानकर्त्ताओं और अध्यापकों के समुदाय को ऐसे अधुनातम उपस्कर और उत्कृष्ट पुस्तकालय सुविधाएं सुलभ कराना, जो अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों के मुकाबले की हों। आजकल विभिन्न विश्वविद्यालय कैम्पसों में ऐसे छ केन्द्र काम कर रहे हैं।

न्यूक्लियर विज्ञान केन्द्र ऐसा पहला अनुसंधान केन्द्र था, जिसकी स्थापना 1994 में की गई थी। तब से, पांच और अन्तविश्वविद्यालय केन्द्र स्थापित किए गए हैं, अर्थात ज्योतिष और खगोल-भौतिकी सम्बन्धी अन्तविश्वविद्यालय केन्द्र, पुणे, डीएई सुविधाओं संबंधी अन्तविश्वविद्यालय कन्सोर्टियम, इन्दौर, सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क, अहमदाबाद, कन्सोर्टियम आफ एजूकेशनल कम्युनिकेशन, नइ दिल्ली, और नेशनल असेसमेंट ऐण्ड एक्रेडिटेशन बंगलौर। विकास के समकालीन मुद्दों पर एक बहु-विषयक तरीके से विचार करने के उद्देश्य से, मानविकी और समाज विज्ञान के क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययनों के लिए एक अन्तविश्वविद्यालय केन्द्र स्थापित करने का भी प्रस्ताव है। वर्ष 2002-03 के दौरान इन अन्त विश्वविद्यालय केन्द्रों को कुल 47.00 करोड़ रुपए का अनुदान विमोचित किया गया था।

राष्ट्रीय सुविधा केन्द्र

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अन्तःविश्वविद्यालय केन्द्रों के अलावा, विनिर्दिष्ट क्षेत्र में संसाधन केन्द्रों के रूप में काम करने के लिए राष्ट्रीय सुविधाओं के केन्द्रों की स्थापना भी की है। इन केन्द्रों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से नियमित रूप से आर्थिक सहायता प्राप्त होती है। इस समय, चार राष्ट्रीय सुविधा केन्द्र, नामश पश्चिमी क्षेत्रीय इंस्ट्रूमेंटेशन केन्द्र, मुम्बई महाराष्ट्र, एएसटी राडार केन्द्र, तिरुपति आन्ध्र प्रदेश, भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला, हिमाचल प्रदेश और क्रिस्टल ग्रोथ सेंटर, अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई स्थापित किए जा चुके हैं। वर्ष 2002-03 के दौरान राष्ट्रीय सुविधाओं के तीन केन्द्रों को 1.74 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई थी।

अनुसंधान अवार्ड

इस स्कीम का उद्देश्य विश्वविद्यालयों/संस्थाओं के स्थाई अध्यापकों को अपनी विशेषज्ञता के क्षेत्र में अनुसंधान सम्बन्धी कोई मार्गदर्शन प्राप्त न करते हुए, तीन वर्षों की बढ़ाई न जा सकने वाली अवधि के लिए अनुसंधान करने के अवसर प्रदान करना है।

वे अध्यापक, जिनके पास डाक्टरेट की डिग्री हो और जिन्होंने अनुसंधान के लिए रुझान प्रदर्शित किया हो, अवार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। अवार्ड प्राप्त करने वाले व्यक्ति अपना अनुसंधान अवार्ड का केवल एक बार लाभ उठाने के पात्र होंगे। अपना आवेदन प्रस्तुत करते समय, अध्यापक की आयु 45 वर्ष से कम होनी चाहिए।

इस स्कीम के अन्तर्गत उपलब्ध होने वाली वित्तीय सहायता निम्नानुसार होती है:

- अवार्डी के पूरे वेतन की प्रतिपूर्ति, अनुमत्य भत्तों सहित, उस संस्था को की जाएगी, जहां अवार्ड प्राप्त करने वाला व्यक्ति अनुसंधान कर रहा हो।
- समूची अवधि के लिए पुस्तकों, पत्रिकाओं, रसायनों और उपस्करों पर होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए अनुसंधान अनुदान मानविकी और समाज विज्ञानों के लिए 2.50 लाख रुपए, और विज्ञानों, प्राकृतिक विज्ञानों, इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी के लिए 4.00 लाख रुपए होगा।
- अवार्ड प्राप्त करने वाला व्यक्ति, ड्यूटी छुट्टी पर होने के कारण, सामान्य वेतन-वृद्धि अर्जित करता रहेगा और मूल विश्वविद्यालय/संस्था में अपनी वरिष्ठता कायम रखेगा।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी अधिनियम की धारा 12ख के अन्तर्गत अनुमोदित विश्वविद्यालयों, कालेजों और संस्थाओं के सेवा-निवृत्त अध्यापकों को, जो विश्वविद्यालयों के अनुसंधान और अध्यापन के कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से संलग्न रहे हैं, और आगे अवसर मुहैया करने के लिए एमिरिट्स अध्येतावृत्तियों की स्कीम शुरू की।

- 31 मार्च, 2003 को 84 अनुसंधान अवार्ड प्राप्तकर्ता पुरुष-60, महिलाएं-24 थे, जो विभिन्न विश्वविद्यालयां में काम कर रहे थे। वर्ष 2002-03 के दौरान इन अनुसंधान अवार्ड प्राप्तकर्ताओं को 1.64 करोड़ रुपया विमोचित किया गया।

अनुसंधान, कार्यशालाएं, संगोष्ठियां और सम्मेलन

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालयों और कालेजों को राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर अनुसंधान कार्यशालाओं, संगोष्ठियों और सम्मेलनों, आदि जैसै कार्यक्रम आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता रहा है। यह एनआईएपीए जैसी विश्वविद्यालय-भिन्न संस्थानों को भी यूजीसी द्वारा निर्धारित ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। वित्तीय वर्ष 2002-03 के दौरान विभिन्न विश्वविद्यालयों और कालेजों को और विश्वविद्यालयों से भिन्न संस्थाओं को भी 1.47 करोड़ रुपए की राशि दी गई थी।

एमिरिट्स अध्येतावृत्तियां

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी अधिनियम की धारा 12ख के अन्तर्गत अनुमोदित विश्वविद्यालयों, कालेजों और संस्थाओं के सेवा-निवृत्त अध्यापकों को, जो विश्वविद्यालयों के अनुसंधान और अध्यापन के कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से

संलग्न रहे हैं, और आगे अवसर मुहैया करने के लिए एमिरिट्स अध्येतावृत्तियों की स्कीम शुरू की थी। अवार्ड प्राप्त करने वाले व्यक्ति एक सुपरिभाषित समयबद्ध कार्य-योजना के साथ 70 वर्ष की आयु तक अथवा अवार्ड के दो वर्षों तक जिसे बढ़ाया नहीं जा सकता, इनमें जो भी पहले हो तब तक इस स्कीम के अन्तर्गत काम कर सकते हैं। इस स्कीम के अन्तर्गत, किसी भी निश्चित समय पर उपलब्ध स्थानों की संख्या 100 है। इस स्कीम के अन्तर्गत उपलब्ध सहायता 10000 रुपए प्रति मास का मानदेय और सचिवालीय सहायता, देश के अन्दर यात्रा, डाक-शुल्क, उपभोग्य वस्तुओं, पुस्तकों, पत्रिकाओं और उपस्कर के बारे में 20000 रुपए प्रति वर्ष का व्यपगत न होने वाला आकस्मिक अनुदान है। एमिरिट्स अध्येता, आवास को छोड़कर, मेडिकल सुविधाओं सहित उन सभी विशेषाधिकारों का हकदार है, जो विश्वविद्यालय संकाय के सेवारत सदस्यों को उपलब्ध हैं। 31 मार्च, 2003 को 94 एमिरिट्स अध्येता विभिन्न विश्वविद्यालयों में कार्य करते रहे हैं। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान उनके लिए 1.02 करोड़ रुपए की राशि अदा की गई।

अनुसंधान अध्येतावृत्तियां

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एशिया, अफ्रीका और लातिनी अमेरिका के विकासशील देशों के विद्यार्थियों और अध्यापकों को हर वर्ष 20 कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्तियां और एक अनुसंधान ऐसासिएटशिप प्रदान करता है ताकि वे विज्ञानों, मानविकी और समाज विज्ञानों में उन्नत अध्ययन और अनुसंधान कर सकें, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें भारतीय विश्वविद्यालयों से एमफिल/पीएचडी और पोस्ट-डाक्टरेट डिग्रियां प्राप्त हो सकें। चालू वर्ष के लिए पाठ्यक्रमों के चयन की प्रक्रिया जारी है।

भारतीय राष्ट्रिकों के लिए कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्तियां

इस स्कीम के अन्तर्गत, जिन विद्यार्थियों/अनुसंधान छात्रों ने यूजीसी-सीएसआईआर, एसएलईटी द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में अर्हता प्राप्त कर ली हो, उन्हें विभिन्न संकायों में एमफिल/पीएचडी डिग्रियों के लिए अनुसंधान करने के लिए अध्येतावृत्तियां दी जा रही हैं। अध्येतावृत्ति प्रारम्भ में चार वर्षों की अवधि के लिए होती है और उसे आयोग के पूर्व-अनुमोदन के अध्यधीन एक और वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। अध्येतावृत्ति की राशि पहले दो वर्षों के लिए 8000/- रुपए प्रति मास और बाकी तीन वर्षों के लिए 9000/- रुपए प्रति मास होती है। आकस्मिकता राशि पहले दो वर्षों के लिए 10000/- रुपए प्रतिवर्ष और बाद के वर्षों के लिए 20500/- रुपए प्रति वर्ष होती है। लेकिन विज्ञानों के मामने में आकस्मिकता राशि पहले दो वर्षों के लिए 12000/- रुपए प्रति वर्ष और बाद के तीन वर्षों के लिए 25000/- रुपए प्रति वर्ष

सारणी 7.1 - महिलाओं के लिए अनुसंधान एसोसिएटशिप के अन्तर्गत सहायता

सहायता की किस्म	राशि	पात्रता
एसोसिएटशिप	6000/- रुपए प्रतिमास नियत	नई पीएचडी डिग्रियों वाले उम्मीदवार
	8000/- रुपए प्रति मास नियत	अनुसंधान के पांच वर्ष के अनुभव वाले और विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर
आकस्मिकता विभागीय सहायता	10000/- रुपए प्रति वर्ष	पांच उम्मीदवार वर्ष बुनियादी ढांचा स्टोर, खरीद, तकनीकी और लिपिकीय सहायता, मरम्मत और बिजली, पानी, गैस, आदि की सप्लाई मुहैया करने के लिए मेजबान संस्था को एसोसिएटशिप का 10 प्रतिशत।
अनुरक्षक/रीडर पाठक भत्ते	1000/- प्रति मास नियत	शारीरिक रूप से विकलांग/अंधे उम्मीदवारों के लिए

होती है। इन अध्येताओं को 3000/- रुपए प्रतिवर्ष की विभागीय सहायता और अनुमत्य एचआरएक भी प्रदान किया जाता है।

महिलाओं के लिए अंशकालिक अनुसंधान एसोसिएटशिप

इस स्कीम का उद्देश्य पीएच.डी डिग्रीप्राप्त महिलाओं को अवसर प्रदान करना है, जिनमें स्वतंत्र रूप से अनुसंधान कार्य करने की प्रतिभा और योग्यता होती है। भाषाओं और इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी सहित मानविकी और समाज विज्ञानों के किसी भी क्षेत्र में अनुसंधान कार्य किया जा सकता है। पीएच.डी डिग्री प्राप्त बेरोजगार महिलाएं, जिनमें अनुसंधान का रुझान होता है, इस स्कीम का लक्ष्यगत समूह होंगी। इस स्कीम के अन्तर्गत प्रति वर्ष उपलब्ध स्थानों की संख्या 100 है। इस स्कीम की अवधि पांच वर्ष की है, जिसे बढ़ाया नहीं जा सकता। इस स्कीम के अन्तर्गत उपलब्ध सहायता का ब्योरा सारणी 7.1 में दिया गया है।

भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद

भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद की स्थापना इन उद्देश्यों से की गई थी दर्शनशास्त्र में शिक्षण और अनुसंधान सुलभ कराना, दर्शन शास्त्र में अनुसंधान की प्रगति की समय-समय पर समीक्षा करना, दर्शन शास्त्र में अनुसंधान के कार्यों में समन्वय स्थापित करना, दर्शन शास्त्र में अनुसंधान कार्यक्रम अथवा परियोजनाएं प्रायोजित करना अथवा उन्हें सहायता देना, तथा दर्शन शास्त्र और सम्बद्ध विषयों में अनुसंधान में प्रवृत्त संस्थानों/संगठनों तथा व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना।

अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, परिषद अध्येतावृत्तियां देती है, संगोष्ठियां, सम्मेलन, कार्यशालाएं तथा पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित करती है। विदेशों में आयोजित सम्मेलनों/संगोष्ठियों में अपने लेख प्रस्तुत करने के लिए विद्वानों को यात्रा अनुदान प्रदान करती है, बड़ी और छोटी परियोजनाएं प्रायोजित करती है तथा प्रकाशन व एक तिमाही पत्रिका 'भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषाद पत्रिका जेआईसीपीआर' भी प्रकाशित करती है। इस पत्रिका में भारतीय और पश्चिमी दर्शन शास्त्र पर मूल लेख प्रकाशित किए जाते हैं और भारत में दर्शन शास्त्र में नए और मौलिक चिन्तन को प्रोत्साहित किया जाता है।

परिषद ने वर्ष 2003-04 के अपने अध्येतावृत्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत 3 वरिष्ठ अध्येतावृत्तियों, 13 सामान्य अध्येतावृत्तियों, 31 कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्तियों, 2 अल्पकालिक परियोजनाओं और एक रिहायशी अध्येतावृत्ति की पेशकश की। इसके अलावा राष्ट्रीय अध्येता, वरिष्ठ अध्येता, सामान्य अध्येता, कनिष्ठ अनुसंधान अध्येता, अल्पकालिक अध्येता, रिहायशी अध्येता और अधिगम सामग्री तैयार करने वाले अध्येता, जिन्हें परिषद द्वारा पिछले वर्ष अध्येतावृत्ति प्रदान की गई थी, अपनी अध्येतावृत्तियां वर्ष के कुछ भाग में अथवा पूरे वर्ष भर जारी रख रहे हैं। परिषद का फरवरी, 2004 में बड़ोदा के निकट वल्लभ विद्या नगर में 'उपनिषदों का सन्देश' के विषय पर निबन्ध प्रतियोगिता-व-युवा छात्रों की एक संगोष्ठी आयोजित करने का प्रस्ताव है। सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम और शैक्षणिक अनुबन्धनों के अन्तर्गत, परिषद द्वारा डा0 रेखा झांजी को भारत-फ्रांस सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के अंतर्गत पेरिस का दौरा करने के लिए भेजा जा रहा है। परिषद ने एक सात सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को इस्ताम्बूल, टर्की में अगस्त 10-17, 2003 को होने वाली विश्व दर्शन-शास्त्र कांग्रेस में भाग लेने के लिए भेजा। इस प्रतिनिधिमंडल के अध्यक्ष डा0 कर्ण सिंह थे। इस कांग्रेस का एक विशेष पहलू यह था कि विश्व की एक प्रमुख घटना के रूप में इस कांग्रेस में श्री अरविन्द के दर्शन के बारे में एक गोलमेज चर्चा का आयोजन किया गया और उसमें भारतीय विद्वानों द्वारा भली-भांति भाग लिए जाने को नोट किया गया।

परिषद ने अपने प्रकाशन कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नलिखित चार पुस्तकें और जेआईसीपीआर के दो अंक प्रकाशित किए।

पुस्तकें

- डा. डी.पी. चट्टोपाध्याय द्वारा फिलास्फी आफ साइंस, फिनामिनालोजी एण्ड अदर ऐसेज।
- एस. आर. भट्ट द्वारा सम्पादित बुद्धिस्ट थाट ऐण्ड कल्चर इंडिया ऐण्ड कोरिया।
- प्रदीप सेन गुप्ता द्वारा सम्पादित प्रवास जीवन चौधरी ऑन मल्टी एस्पेक्ट्स आफ फिलासफी।
- किरीट जोशी द्वारा सम्पादित फिलासफी आफ सुपर माइंड ऐण्ड कंटेम्पोरेरी क्राइसिस।

पत्रिकाएं

- जेआईसीपीआर XIX संख्या 3
- जेआईसीपीआर XIX संख्या 4

संगोष्ठियां/सम्मेलन, आदि आयोजित करने की स्कीम के अन्तर्गत, परिषद ने लगभग 27 संगोष्ठियों/कार्यशालाओं के लिए वित्तीय

भारतीय विश्वविद्यालय संघ भारतीय विश्वविद्यालयों का एक स्वैच्छिक संगठन है और यह सोसाइटीज पंजीयन अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयित है। यह विश्वविद्यालय प्रशासकों और शिक्षाशास्त्रियों को विचारों का आदान-प्रदान करने तथा सामान्य चिन्ताओं के मामलों पर विचार-विमर्श करने का मंच भी उपलब्ध कराता है। यह उच्च शिक्षा के सूचना-ब्यूरो के रूप में कार्य करता है।

सहायता प्रदान की। परिषद के राष्ट्रीय भाषण कार्यक्रम के अन्तर्गत, विद्वानों विदेशी/राष्ट्रीय विद्वानों को देश में चुने हुए विश्वविद्यालयों में भाषण देने के लिए आमंत्रित किया जाता है। वर्ष 2003-04 के लिए, परिषद ने चार विद्वानों को देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों और संस्थाओं में भाषण देने के लिए आमंत्रित किया था।

भारतीय विज्ञान, दर्शन और विज्ञान की परियोजना

काफी समय से भारतीय विज्ञान, दर्शन और संस्कृति के अन्तर्विषयक अध्ययन के लिए एक व्यापक अनुसंधान परियोजना शुरू करने की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। इसलिए, इतिहास, विज्ञान, दर्शन और संस्कृति के ख्यातिप्राप्त विद्वानों के बीच चर्चा, विचार-विमर्श और परामर्श की श्रृंखलाओं के बाद, एक अन्तर्विषयक अध्ययन शुरू करने का फैसला किया गया, ताकि विज्ञान, दर्शन और संस्कृति के बीच के संबंधों को, जैसा कि उनका विकास भारतीय सभ्यता के लम्बे इतिहास के दौरान हुआ है, प्रस्तुत किया जा सके।

पीएचआईएसपीसी के अन्तर्गत जिन 30 मुख्य खंडों और 20 उप-खंडों की परिकल्पना की गई थी, उनमें से 13 मुख्य खंड और 14 उप-खंड/अवधारणात्मक खंड 2002-03 तक पहले ही प्रकाशित किए जा चुके हैं। चार और मुख्य खंडों, दो उप-खंडों के मार्च, 2004 तक प्रकाशित किए जाने की अपेक्षा की जाती है।

वर्ष 2002-03 के दौरान पांच और सम्पादकीय अध्येता विभिन्न खंडों को सम्पादित करने के लिए पीएचआईएसपीसी में शामिल हुए।

वर्ष 2002-03 के दौरान अपने प्रस्तावित खंडों के बारे में पीएचआईएसपीसी ने 31 केन्द्रीय संगोष्ठियां आयोजित कीं और वर्ष 2003-04 में ऐसी 10 और संगोष्ठियां पहले ही आयोजित की जा चुकी हैं और खंडों पर आधारित 11 और संगोष्ठियां मार्च, 2004 से पहले आयोजित की जाएंगी।

सम-विश्वविद्यालय

यूजीसी अधिनियम की धारा 3 में उच्च शिक्षा के किसी संस्थान को सम-विश्वविद्यालय घोषित किए जाने का उपबन्ध है। इस समय ऐसे 86 विश्वविद्यालय हैं, जिनके अन्तर्गत शिक्षा के विविध प्रकार के क्षेत्र आते हैं, जैसे कि चिकित्सा शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, मत्स्यपालन शिक्षा, भाषाएं, समाज विज्ञान, जनसंख्या विज्ञान, डेरी अनुसंधान, वन अनुसंधान, ऊर्जा, आयुध प्रौद्योगिकी, योग, संगीत और सूचना प्रौद्योगिकी, आदि। वर्ष के दौरान आठ संस्थाओं को सम-विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया है:

1. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, श्रीनगर।
2. प्रवर इंस्टिट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, लोनी, जिला अहमदनगर।
3. पंजाब इंजीनियरी कालेज, चण्डीगढ़।
4. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु।
5. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दुर्गापुर, पश्चिमी बंगाल।
6. कलिंग इंस्टिट्यूट आफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलाजी, भुवनेश्वर।
7. मोदी इंस्टिट्यूट आफ टैक्नोलाजी ऐंड साइंस, लक्ष्मणगढ़, राजस्थान।
8. मीनाक्षी अकादमी आफ हायर एजुकेशन ऐण्ड रिसर्च, चेन्नई।

सभी क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के रूप में स्तरोन्नत कर दिया गया है और उन्हें सम-विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान कर दिया गया है।

भारतीय विश्वविद्यालय संघ

भारतीय विश्वविद्यालय संघ भारतीय विश्वविद्यालयों का एक स्वैच्छिक संगठन है और यह सोसाइटीज पंजीयन अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयित है। यह विश्वविद्यालय प्रशासकों और शिक्षाशास्त्रियों को विचारों का आदान-प्रदान करने तथा सामान्य

चिन्ताओं के मामलों पर विचार-विमर्श करने का मंच भी उपलब्ध कराता है। यह उच्च शिक्षा के सूचना-ब्यूरो के रूप में कार्य करता है और कई उपयोगी प्रकाशन, शोध-पत्र और 'यूनीवर्सिटी न्यूज' नामक एक साप्ताहिक पत्रिका भी प्रकाशित करता है। इस वर्ष संघ के सदस्यों की संख्या बढ़कर 279 हो गई।

संघ का काफी अधिक वित्तपोषण अपने सदस्य विश्वविद्यालयों के वार्षिक चंदे से होता है। भारत सरकार एक अनुसंधान प्रकोष्ठ सहित अनुरक्षण और विकासात्मक व्यय के एक भाग को पूरा करने के लिए अनुदान मंजूर करती है। यह प्रकोष्ठ अनुसंधान अध्ययन, कार्यशालाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, प्रश्न बैंकों, टूर्नामेंट, डाटावेस तथा खेल-कूद प्रतियोगिताओं सहित विभिन्न क्रियाकलापों का आयोजन करता है।

भारतीय विश्वविद्यालय संघ के मूल्यांकन प्रभाग ने भारत में संस्थाओं को मान्यता देने तथा विदेशी डिग्रियों के समकक्ष प्रमाण पत्र प्रदान करने से संबंधित अपना कार्य जारी रखा। वर्ष के दौरान विदेशी/एनआईआर छात्रों को कुल मिला कर 340 समकक्ष प्रमाण पत्र जारी किए गए। विद्यार्थी सूचना सेवा प्रभाग ने छात्रों, शिक्षाशास्त्रियों, अभिभावकों, आदि को भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों की स्थिति के विषय में तथा भारतीय विश्वविद्यालयों और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/सरकारी अभिकरणों द्वारा मान्यताप्राप्त अन्य संस्थानों द्वारा नियमित/पत्राचार पद्धति द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों के बारे में सूचना प्रदान करता है।

अखिल भारतीय महत्व की उच्च अध्ययन संस्थाओं को सहायता देने की स्कीम

इस स्कीम के अन्तर्गत उन संस्थाओं को सहायता प्रदान की जाती है, जो विश्वविद्यालय पद्धति से बाहर हैं और नवाचार स्वरूप के कार्यक्रमों में संलग्न हैं। इस स्कीम का उद्देश्य यह है कि देश में उच्च शिक्षा की उन संस्थाओं की यथासम्भव सीमा तक सहायता की जाए, जो शिक्षा के सामान्य और सुस्थापित पद्धति से हटकर शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं। इस स्कीम के अन्तर्गत उच्च शिक्षा की चुनिन्दा संस्थाओं को, जो भारत सरकार द्वारा गठित निरीक्षण समिति द्वारा दी गई सिफारिशों के अनुसार राष्ट्रव्यापी महत्व की संस्थाएं हों, आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

केन्द्रीय सरकार से सहायता प्राप्त कर रहे कुछ स्वैच्छिक संगठन और शिक्षा संस्थाएं इस प्रकार हैं:

- श्री अरविन्दो अन्तर्राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान संस्थान, आरोविल्ले, तमिलनाडु।
- श्री अरविन्दो अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा केन्द्र, पांडिचेरी।
- लोक भारती, सनोसरा, गुजरात।
- मित्र निकेतन, केरल।
- दि मदर इंस्टिट्यूट आफ रिसर्च, नई दिल्ली।

डा. जाकिर हुसैन स्मारक कालेज न्यास

डा. जाकिर हुसैन स्मारक कालेज न्यास, दिल्ली की स्थापना 1973 में दिल्ली विश्वविद्यालय से सम्बद्ध डा. जाकिर हुसैन स्मारक कालेज पहले दिल्ली कालेज के प्रबन्ध और रख-रखाव का उत्तरदायित्व लेने के लिए की गई थी। कालेज के रख-रखाव का खर्च विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और न्यास के बीच 955 के अनुपात में बांटा जाता है। इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कालेज को विकास अनुदान प्रदान करता है। ऐसे विकास का समतुल्य अंशदान न्यास के लिए जुटाना जरूरी है। चूंकि न्यास के पास अपने कोई संसाधन नहीं है, इसलिए उपर्युक्त खर्च को पूरा करने के लिए माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अनुदान प्रदान किए जाते हैं। न्यास के प्रशासनिक व्यय को पूरा करने के लिए भी वित्तीय सहायता दी जाती है।

भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला

1965 में स्थापित किए गए भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान आईआईएएस का उद्देश्य जीवन और चिन्तन के आधारभूत क्षेत्रों में मुक्त और मौलिक जांच करना है। अनुसंधान के लिए यह एक आवासीय केन्द्र है और यह मानविकी, भारतीय संस्कृति, तुलनात्मक धर्म, सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों में और अन्य क्षेत्रों में, जिनके बारे में संस्थान द्वारा समय-समय पर फैसला किया जाए, मौलिक चिन्तन को प्रोत्साहित करता है। संस्थान पुस्तकालय तथा प्रलेखन की व्यापक सुविधाओं के अतिरिक्त उच्च परामर्श तथा सहयोग की सुविधाएं भी प्रदान करता है।

सह संस्थान हर वर्ष उच्च शोध कार्य के लिए अध्येतावृत्तियां देता है। संस्थान राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर हर वर्ष संगोष्ठियां आयोजित करता है और तब लब्ध-प्रतिष्ठित विद्वानों को संस्थान के शैक्षणिक समुदाय के सदस्यों के साथ मिलने के लिए आमंत्रित किया जाता है, ताकि सैद्धान्तिक विषयों और समकालीन

समस्याओं की जांच की जा सके। भारत तथा विदेशों से विजिटिंग प्रोफेसरों को समय-समय पर संस्थान में भाषण देने के लिए बुलाया जाता है।

संस्थान ने वर्ष के दौरान निम्नलिखित राष्ट्रीय संगोष्ठियों का आयोजन किया, जिनमें उच्च कोटि की और गुणवत्तापूर्ण चर्चा उभरीः

1. 'भारतीय संस्कृति के स्रोत पर अध्येताओं की चर्चा' 11-12 जून, 2003
2. 'भारतीय ज्ञान प्रणाली के बारे में राष्ट्रीय संगोष्ठी' 29 सितम्बर-1 अक्तूबर, 2003
3. 'प्रोफेसर नीहाररंजन राय का जीवन और उनके विचार' के बारे में राष्ट्रीय संगोष्ठी 15-16 दिसम्बर, 2003
4. 'योग और चेतनाङ्ग पर राष्ट्रीय संगोष्ठी' 17-19 दिसम्बर, 2003
5. 'यूनेस्को फिलासफी दिवस - पश्चिमी चुनौतियां-भारतीय प्रत्युत्तर' के बारे में परिचर्चा 20 नवम्बर, 2003

इसके अलावा, जनवरी से मार्च, 2004 तक छ अन्य संगोष्ठियां/कार्यशालाएं आयोजित की गईं।

अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के तीन प्रतिष्ठित विद्वान-प्रोफेसर बेट्टिना बामर वाराणसी-वियना विश्वविद्यालय, प्रोफेसर रणजीत नायर नई दिल्ली, प्रोफेसर राम प्रकाश कुरुक्षेत्र विजिटिंग प्रोफेसरों के रूप में संस्थान में आए।

वर्ष के दौरान संस्थान द्वारा निम्नलिखित तीन डा0 राधाकृष्णन स्मारक भाषण आयोजित किए गए

- 'कबीर की साधना का मूल स्वरूप, निर्गुण भक्ति' के विषय पर 21.6.2003 को उत्तर प्रदेश के माननीय राज्यपाल, प्रोफेसर विष्णु कान्त शास्त्री द्वारा भाषण।
- 'विघटन और सामंजस्य के प्रतिमान' विषय पर 26.6.2003 को डा0 मुरली मनोहर जोशी, मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा भाषण।
- 'मानव अधिकार, दर्शन और भारत का संविधान' विषय पर भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति आर.एस. पाठक द्वारा 5.9.2003 को भाषण।

वर्ष के दौरान तीन राष्ट्रीय अध्येता और सात अन्य अध्येता संस्थान में शामिल हुए।

भारतीय सभ्यता के अध्ययन की परियोजना को कार्यान्वित किया गया, जिसके ये उद्देश्य थे 1 'भारतीय संस्कृति का शब्द--कोष' तैयार करना 2 भारत के गौरव-ग्रंथों का हिन्दी और प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद, 3 भारतीय सभ्यता के विकास के बारे में मानक विनिबंध मानोग्राफ तैयार करना।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तत्वावधान में, इस संस्थान में स्थित मानविकी और समाज विज्ञान के अन्तःविश्वविद्यालय केन्द्र में सारे देश से विश्वविद्यालयों और कालेजों के 46 अध्यापक एक से तीन महीने तक का अपना समय बिताने के लिए आए। उनकी रिपोर्टों से पता चलता है कि संस्थान में उनका निवास उनके लिए बहुमूल्य का था। उच्च शिक्षा के स्तर के उन्नयन के लिए भी राष्ट्रीय संगोष्ठियां और परिचर्चाएं आयोजित की गईं।

संस्थान ने वर्ष के दौरान अब तक 'ज्ञान का प्रसार श्रृंखला' के अन्तर्गत तीन पुस्तकें और दो संगोष्ठियों के कार्य-वृत्त और तीन मानोग्राफ प्रकाशित किए हैं। 11 और पुस्तकें उत्पादन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। संस्थान ने इन जर्नलों का प्रकाशन भी किया है 1 समरहिल आईआईएएस समीक्षा, 2 मानविकी और समाज विज्ञान में अध्ययन, 3 चेतना मानव अनुसंधान पत्रिका, और 4 हेमवती।

संस्थान के पुस्तकालय ने वर्ष के दौरान अब तक 1,014 पुस्तकें प्राप्त की हैं और लगभग 449 पत्रिकाएं मंगाई हैं। वित्तीय वर्ष के अन्त तक लगभग 5000 पुस्तकें प्राप्त करने का प्रस्ताव है।

अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग

शिक्षा का अन्तर्राष्ट्रीयकरण होने से, समूचे विश्व के देशों से विद्यार्थी भारत में अनुसंधान करने की रुचि रखते हैं। इसका पता अनुसंधान परियोजनाओं के अनुमोदन के लिए बहुत बड़ी संख्या में प्राप्त हुए आवेदनों से लगता है, जो विदेशों में स्थित भारतीय राजदूतावासों के माध्यम से आए हैं और मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सीधे शोध'छात्रों से प्राप्त हुए और इसके अलावा अमेरिकन इंस्टिट्यूट आफ इंडियन स्टडीज़, भारत में स्थित यूनाइटेड स्टेट्स एजुकेशनल फाउंडेशन और शास्त्री इंडो-कनाडियन इंस्टिट्यूट फार रिसर्च से प्राप्त हुए प्रस्तावों से भी इस बात का पता चलता है।

वर्ष 2003-04 के दौरान, अब तक 635 अनुसंधान परियोजनाएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 450 पिरयोजनाओं को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है। बाकी अधिकतर प्रस्ताव

विचार की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। इसके अलावा, अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठियां/परिचर्चाएं/सम्मेलन आयोजित करने के 40 प्रस्ताव और भारतीय विश्वविद्यालयों में विजिटिंग लेक्चररों के रूप में आने के लिए विदेशी विद्वानों के 20 प्रस्ताव अब तक अनुमोदित किए जा चुके हैं।

अमेरिकन इंस्टिट्यूट आफ इंडियन स्टडीज

अमेरिकन इंस्टिट्यूट आफ इंडियन स्टडीज, जो लगभग 60 प्रमुख अमरीकी विश्वविद्यालयों और कालेजों का संघ है, 1962 में स्थापित किया गया था और इसका उद्देश्य संयुक्तराज्य अमेरिका में भारतीय सभ्यता और संस्कृति के अध्ययन को बढ़ावा देना है। यह इंस्टिट्यूट अध्येतावृत्तियां देकर, अमरीकी छात्रों को भारतीय भाषाएं पढ़ाकर, कला, संगीत कला, इतिहास, पुरातत्व के सम्वन्ध में अनुसंधान और पुरातत्वीय सुविधाओं की व्यवस्था करके और समूह-परियोजनाओं को सहायता देकर, जिनमें भारतीय और अमरीकी शोध-छात्रों द्वारा किया जाने वाला सहयोगात्मक अनुसंधान शामिल होता है, इस प्रकार के अध्ययनों को बढ़ावा देता है।

वर्ष 2003-04 के दौरान इंस्टिट्यूट ने अनुसंधान के लिए 144 परियोजनाएं प्रस्तुत कीं। इसने अपने नियमित भाषा कार्यक्रम के अन्तर्गत 64 भाषा अध्येतावृत्तियां भी दीं। इसने बाहर 15 अध्ययन कार्यक्रमों का आयोजन भी किया, जिनमें लगभग 200 अमरीकी छात्रों ने भाग लिया।

इंस्टिट्यूट ने अगस्त, 2003 में 'दक्षिण एशिया में इस्लाम' के सम्बन्ध में 5 दिन की एक कार्यशाला भी आयोजित की, जिनमें उच्च कोटि के विद्वानों ने ऐतिहासिक और समकालीन मुद्दों पर अपने विचार प्रकट किए।

कला और पुरातत्व के क्षेत्रों में भारतीय विद्वानों के अनुसंधान कार्य को समर्थन देने और उसे आगे बढ़ाने के लिए, इंस्टिट्यूट द्वारा कुछ अनुसन्धानकर्ताओं को अल्पकालिक वित्तीय सहायता दी गई।

यूनाइटेड स्टेट्स एजुकेशनल फाउंडेशन इन इंडिया

यूनाइटेड स्टेट्स एजूकेशनल फाउंडेशन इन इंडिया की स्थापना फरवरी 1950 में एक द्विपक्षीय करार के अन्तर्गत की गई थी, जिसे भारत सरकार और संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार के बीच हुए एक नए करार द्वारा 1963 में प्रतिस्थापित किया गया था, जो शैक्षिक सम्पर्कों के माध्यम से ज्ञान और व्यावसायिक प्रतिभा के अधिक व्यापक आदान-प्रदान द्वारा भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के लोगों के बीच आपसी समझ को बढ़ावा देने के लिए 'फुलब्राइट शिक्षा विनिमय कार्यक्रम' को संचालित करने के लिए किया गया था।

वर्ष 2003-04 के दौरान 24 विजिटिंग लेक्चररों, 44 शोध-छात्रों और 77 विद्यार्थी-व्यवसाइयों को तीन महीने से एक वर्ष तक के लिए फुलब्राइट अनुदान दिए गए।

यह फाउंडेशन संयुक्त राज्य अमेरिका के शिक्षा विभाग की ओर से अमरीकी स्कूल/कालेज अध्यापकों के लिए अनुसंधान स्कालर अनुदान और अल्पकालिक समूह-परियोजनाओं के कार्य को भी संभालती है।

नियमित विनिमय कार्यक्रमों के अलावा, अतिथि अमेरिकी फुलब्राइटरों, भारतीय फुलब्राइटरों और प्रतिष्ठित भारतीय संकाय-सदस्यों को शामिल करके फाउंडेशन बहुत सी संगोष्ठियों/कार्यशालाओं का संचालन करती है।

फाउंडेशन ऐसे बहुत से भारतीय छात्रों को, जो अपनी उच्च शिक्षा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में प्राप्त करने के इच्छुक हों, शैक्षिक सलाह सेवा भी मुहैया करती है।

शास्त्री भारत-कनाडा संस्थान

इस संस्थान की स्थापना 1968 में की गई थी। इसका उद्देश्य मुख्यतः अनुसंधान के वित्तपोषण द्वारा और दोनों देशों की संस्थाओं को आपस में जोड़कर भारत और कनाडा के बीच आपसी समझ को बढ़ावा देना है। भारत सरकार और संस्थान के बीच शुरू में तीन वर्षों की अवधि के लिए 1968 में हस्ताक्षरित सहमति-ज्ञापन के अनुसार, जिसका अनुपूरक एजेंडा पर समय-समय पर हस्ताक्षर करके नवीकरण किया जाता है, भारत सरकार ने संस्थान को वित्तीय सहायता देना स्वीकार किया था। सहमति-ज्ञापन के एजेंडा 8 पर 1.9.2003 को हस्ताक्षर किए गए थे और उसके अनुसार भारत सरकार ने 1.4.2003 से शुरू होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए संस्थान को 6.40 करोड़ रुपए की राशि देना स्वीकार कर लिया है।

वर्ष के दौरान संस्थान अपनी 35वीं जयन्ती मना रहा है।

विदेश व्यापार विभाग, कनाडा द्वारा वित्तपोषित कनाडियन अध्ययन कार्यक्रम अध्यापन और कनाडियन अध्ययनों के अनुसंधान में कार्यरत भारतीय छात्रों और संस्थाओं को अध्येतावृत्तियां प्रदान करता है। वर्ष 2003-04 के दौरान संस्थान ने कनाडा में विभिन्न विषयों में अनुसंधान करने के लिए अध्येतावृत्तियां देने के प्रयोजन से 18 संकाय-सदस्यों और 3 डाक्टरल शोधकर्ताओं का चयन किया। इसके अलावा, कनाडी

अध्ययनों से सम्बन्धित अन्य क्रियाकलापों के लिए और संगोष्ठियां आयोजित करने के लिए 9 सुस्थापित केन्द्रों और विभिन्न भारतीय विश्वविद्यालयों में नए उभरते हुए 7 केन्द्रों को 12.6 लाख रुपए की राशि का अनुदान दिया गया है।

शास्त्री व्यावहारिक अनुसंधान परियोजना, जिसका वित्तपोषण कनाडियन अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण द्वारा किया जाना है, एक संयुक्त सहयोगात्मक परियोजना है, जिसका प्रशासन संस्थान द्वारा किया जाता है और इसका उद्देश्य भारत में आर्थिक सुधारों, पर्यावरण के प्रबन्ध और स्वास्थ्य क्षेत्र के सुधारों से सम्बन्धित मुद्दों का अन्वेषण करने के लिए भारत और कनाडा के अनुसंधानकर्त्ताओं, नीति-निर्माताओं और अन्य स्टेक-होल्डरों को इकट्ठा लाना है। शार्प परियोजना के अन्तर्गत, अनुसंधान के 19 विषयों को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है, जिनमें से प्रत्येक में कनाडा और भारत के भागीदार होंगे। इन परियोजनाओं के मार्च, 2006 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद

भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद की स्थापना 1972 में भारत सरकार द्वारा एक स्वायत्त संगठन के रूप में की गई थी, जिसका उद्देश्य इतिहास के क्षेत्र में अपने अनुसंधान कार्यों में संलग्न शोधकर्त्ताओं को सहायता अनुदान और वित्तीय सहायता प्रदान करना और इतिहास को वैज्ञानिक तरीके से लिखने को प्रोत्साहन देना है।

उपर्युकत उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इस परिषद की बहुत सी स्कीमें हैं, जैसे अध्येतावृत्तियां प्रदान करना, प्रकाशन आर्थिक सहायता स्कीम, अनुसंधान परियोजनाओं के लिए सहायता अनुदान, अध्ययन-व-यात्रा अनुदान और संगोष्ठियां/सम्मेलन आयोजित करने के लिए व्यावसायिक संगठनों को वित्तीय सब्सिडी, विदेश यात्रा अनुदान और अनुरक्षण, ताकि भारतीय शोधकर्ता अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और संगोष्ठियों में भाग ले सकें और इतिहास में अनुसंधान करने के लिए स्रोत सामग्री एकत्र कर सकें।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आईसीएचआर ने छात्रों संस्थाओं को सहायता अनुदान अनुमोदित किए, जो इस प्रकार हैं कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्तियां-106, सामान्य अध्येतावृत्तियां/पोस्ट-डाक्टरल अध्येतावृत्तियां-7, वरिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्तियां-9, विदेशी यात्रा अनुदान-25, अध्ययन-व-यात्रा अनुदान आकस्मिकता-44, प्रकाशन सब्सिडी-30, इतिहासकारों के व्यावसायिक संगठनों को सहायता अनुदान-38।

निम्नलिखित राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों का अनुमोदन वर्ष के दौरान किया गया है:

- दक्षिण एशिया के इतिहास में कृषि मुद्दे और प्रतिमान बंगलौर में,
- पूर्वी भारत में जनजातियां, किसान और आधुनिक पहचान-1800/2000ई. अगरतला, त्रिपुरा में,
- हिमालय का स्थापत्य इसकी कला और इंजीनियरी अल्मोड़ा में,
- इतिहास में भारत-टर्की सम्बन्ध दिल्ली में,
- समुद्री भारत और डच-1500-1800ई. तेलीचेरी में।

प्रकाशन

निम्नलिखित कार्यवृत्तों और ऐतिहासिक रचनाओं को प्रकाशन के लिए अनुमोदित किया गया है:

- उत्तर-पूर्वी भारत के इतिहास के स्रोत,
- इंडो-यूरोपीय भाषा और संस्कृति का देश,
- राष्ट्रीय आन्दोलन के स्रोत 1920,
- भारत, मध्य एशिया और रूस के बीच सम्पर्कों के तीन हजार वर्ष,
- विजयनगर के संगम वंश के शासकों के शिलालो 4 खंड-शुरू के दक्षिण एशिया में इतिहास के रूप में पुरातत्व,
- अतीत के साथ संवाद भारत में ऐतिहासिक लेखन की प्रवृत्तियां,
- वारंगल के काकतियों के शिलालेख,
- पुरातत्व का विश्व कोश, खंड 3,
- भारत में सिंचाई सम्बन्धी दस्तावेज 1858-1901,
- भारत में कृषि सम्बन्धी दस्तावेज 1858-1901।

पत्रिकाएं

भारतीय ऐतिहासिक समीक्षा और इतिहास हिन्दी-आईएचआर के खंड 19 और 27, संख्या 2 की पांडुलिपि के प्रकाशन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। जून 2003 तक की अवधि की आईसीएचआर न्यूजलैटर प्रकाशित किया गया था और 3500 विद्वानों को वितरित किया गया था।

परिषद की संगोष्ठियां

निम्नलिखित संगोष्ठियां आयोजित की गईः

- 'हिमाचल और लद्दाख के उप-हिमालय क्षेत्र के इतिहास के स्रोत' विषय पर परिषद द्वारा बौद्ध अध्ययन संस्थान के शैक्षणिक सहयोग के साथ लेह में 26-28 जून, 2003 को एक संगोष्ठी आयोजित की गई थी। जम्मू और कश्मीर राज्य का यह अन्यथा अलग-थलग रहने वाले क्षेत्र ने देश के विभिन्न भागों से आए बहुत से प्रतिष्ठित विद्वानों को एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर विचारों का आदान-प्रदान करने और उस पर विचार करने का एक बहुत बढ़िया स्थान उपलब्ध किया।
- 'केरल के इतिहास के स्रोत' के विषय पर केरल विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के सहयोजन से एक संगोष्ठी आयोजित की गई। यह संगोष्ठी तिरुवनंतपुरम में 4-5 अप्रैल, 2003 को हुई थी। इसका उद्घाटन उप-कुलपति प्रो0 बी0 एकबाल द्वारा किया गया था और इसमें उस क्षेत्र के बहुत से विद्वानों ने भाग लिया था।
- आईसीएचआर के क्षेत्रीय केन्द्रों ने बंगलौर और गुवाहाटी में पांच भाषणों की एक श्रृंखला आयोजित की।

पुस्तकालय-एवं-प्रलेखन केन्द्र

आईसीएचआर का पुस्तकालय-एवं-प्रलेखन केन्द्र इतिहास में अनुसंधान के विभिन्न विषयों में कार्यरत शोधकर्ताओं को सहायता प्रदान करता रहा। आईसीएचआर की सूची में दर्ज पत्रिकाएं भी मंगाई जाती रहीं। आईसीएचआर ने अपने सारे पुस्तकालय को कम्प्यूटरीकृत करने और पुस्तकालय-एवं-प्रलेखन केन्द्र को इतिहास में अनुसंधान के लिए एक राष्ट्रीय पुस्तकालय के रूप में बदलने का फैसला किया है।

भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद

भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद की स्थापना 1969 में इस प्राथमिक उद्देश्य से की गई थी कि शैक्षणिक विषयों को सुदृढ़ बनाकर, अनुसंधान की मात्रा का विस्तार करके, इसकी गुणवत्ता में सुधार करके और राष्ट्रीय नीति निर्माण में इसका उपयोग सुनिश्चित करके अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाए। इस उद्देश्य के लिए परिषद ने सामाजिक विज्ञान अनुसंधान के लिए उपयुक्त बुनियादी के विकास की परिकल्पना की थी-जिसमें संस्थात्मक बुनियादी ढांचा, अनुसंधान प्रतिभा, अनुसंधान कार्यक्रमों को सहायता, व्यावसायिक संगठन, अन्य देशों में सामाजिक वैज्ञानिकों के साथ सम्बन्ध स्थापित करना शामिल है। आईसीएसएसआर देश में फैले 27 अनुसंधान संस्थानों को अनुरक्षण और विकास अनुदान देता है। क्षेत्रीय केन्द्रों की स्थापना अनुसंधान को सहायता देने के लिए और अपने कार्यक्रमों और क्रियाकलापों के जरिए एक विक्रन्द्रीकृत तरीके से स्थानीय प्रतिभा की पहचान करने और उसका विकास करने के लिए एक विस्तारित भुजा के रूप में की गई है। परिषद के मुख्य क्रियाकलाप ये हैं

वर्ष 2003-04 के दौरान 144 नई अनुसंधान परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी और पहले मंजूर की गई परियोजनाओं के लिए, 35 अनुसंधान रिपोर्टें प्राप्त हुई थीं।

आईसीएसएसआर शोध-छात्रों को अनुसंधान हाथ में लेने के लिए विभिन्न प्रकार की अध्येतावृत्तियां देता है। आईसीएसएसआर स्कीमों के अन्तर्गत प्रदान की गई अध्येतावृत्तियों की अनुसंधानकर्त्ताओं में बहुत बड़ी मांग है और परिषद बहुत कड़ी चयन प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए, कार्यक्रम को कार्यान्वित कर रही है। ये इस प्रकार हैं:

स्कीम	31 मार्च, 2004 तक
राष्ट्रीय अध्येतावृत्तियां	-
वरिष्ठ अध्येतावृत्तियां	14
सामान्य अध्येतावृत्तियां	43
नियमित डाक्टरल अध्येतावृत्तियां	149
अल्पकालिक डाक्टरल अध्येतावृत्तियां	60
आकस्मिकता अनुदान	13

योजना और समन्वय प्रभाग शोध-छात्रों को डाटा-प्रोसेसिंग में मार्गदर्शन और परामर्श सेवा प्रदान करने, सामाजिक विज्ञानों में अनुसंधान की प्रविधि और कम्प्यूटर अनुप्रयोग में प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का वित्तपोषण करने और संगोष्ठियों/कार्यशालाओं को आयोजित करने के लिए अनुदान प्रदान करने की स्कीमों की देख-रेख कर रहा है। परिषद ने रिपोर्टाधीन वर्ष में 25 प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रायोजित किए हैं। 31 मार्च, 2004 तक 191 संगोष्ठियां/सम्मेलन प्रायोजित किए गए थे।

आईसीएसएसआर 1976 से सामाजिक विज्ञान के विभिन्न विषय-क्षेत्रों में अनुसंधान के सर्वेक्षण करती रही है। सभी विषय-क्षेत्रों में सर्वेक्षण की प्रथम श्रृंखला प्रकाशित की जा चुकी है। आईसीएसएसआर हर पांच वर्षों में इन सर्वेक्षणों को

अद्यतन बनाती रहती है। छ प्रमुख विषयों अर्थात अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान लोक प्रशासन सहित मनोविज्ञान, समाज विज्ञान सामाजिक मानव-विज्ञान सहित, भूगोल और शिक्षा में अनुसंधान सर्वेक्षण शुरू किए गए हैं और उनमें प्रगति हो रही है। परिषद अर्थशास्त्र, भूगोल, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान, सामाजिक मानव-विज्ञान के विषयों में सारों और समीक्षाओं की छमाही पत्रिका, और लोक प्रशासन के प्रलेखों की तिमाही पत्रिका और भारतीय सामाजिक विज्ञान समीक्षा प्रकाशित करती है। इस अवधि मे 27 रिपोर्टें प्रकाशित की गई हैं।

राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान प्रलेखन केन्द्र मशीन से पठनीय विभिन्न डाटाबेस तैयार करने का काम करता है, जैसे कि भारत में सामाजिक विज्ञान और प्रशिक्षण संस्थान, भारत में सीडी रोम आधारों की विभिन्न सूचियां तथा भारत में सामाजिक विज्ञान पुस्तकालय और सूचना केन्द्र। यह केन्द्र सामाजिक विज्ञानों में अनुसंधान सामग्री और 'कोर' पत्रिकाएं प्राप्त करता है, शोधकर्त्ताओं को अनुसंधान दस्तावेजों की फोटो-प्रतियां सप्लाई करता है, अनुरोध किए जाने पर, शोधकर्त्ताओं के लिए संक्षिप्त ग्रंथ-सूचियां संकलित करता है और विभिन्न सीडीरोम डाटा-आधारों से साहित्य अन्वेषण करता है। अद्यतन सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों से पेशेवर व्यक्तियों को परिचित कराने के लिए, यह केन्द्र सामाजिक विज्ञान समुदाय और सूचना सम्बन्धी मध्यवर्तियों के लिए अल्पकालीन प्रशिक्षण कार्यशालाएं ओयाजित करता है। एनएएसएसडीओसी ने 35 शोध-क्षेत्रों को अध्ययन-अनुदान प्रदान किए, 40 सामाजिक विज्ञान डाटा-आधार प्राप्त किए और 13 व्यक्तियों को सन्दर्भ-ग्रंथ अध्ययन तैयार करने के लिए अनुदान दिए।

अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग कार्यक्रमों का उद्देश्य भारत तथा विश्व के अन्य देशों के समाज वैज्ञानिकों के बीच शैक्षणिक सम्बन्धों को बढ़ावा देना है। पिछले कई दशकों से इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत किए जा रहे क्रियाकलाप इस प्रकार हैं सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम सीईपी, जो देश सीईपी में शामिल नहीं है, उनके साथ व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापित करना, अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में सहभागिता और विदेशों में डाटा संग्रह के लिए आर्थिक सहायता और यूनेस्को, आईएसएससी, एएएसएसआरईसी, आदि जैसे अन्तर्राष्ट्रीय संगठ्नों के क्रियाकलापों में भाग लेना।

आईसीएसएसआर फ्रांस, रूस, चीन, नीदरलैंड, मिस्र, इसराइल, आदि के साथ अपने सांस्कृतिक/शैक्षणिक विनिमय कार्यक्रम जारी रखेगा। यह आस्ट्रेलिया और बहुत से दक्षिण एशियाई देशों के साथ द्विपक्षीय सहयोग कार्यक्रमों में भी शामिल हुआ है। कार्यक्रम के अन्तर्गत किए जाने वाले अन्य कार्य ये हैं अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने और विदेशों में डाटा एकत्र करने के लिए भारतीय शोध-छात्रों को अनुदान और प्रतिष्ठित विद्वानों, आदि के दौरे।

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र की ओर ध्यान केन्द्रित करने के लिए, आईसीएसएसआर ने इस क्षेत्र की माइक्रो-स्तर की समस्याओं को देखने के लिए एक उत्तर-पूर्व प्रकोष्ठ स्थापित किया है। अनुसंधान-कार्यक्रमों को सक्रिय बनाने के लिए, इस क्षेत्र में अनुसंधान शुरू करने के वास्ते अलग अनुदान दिए जा रहे हैं। अब तक, उत्तर-पूर्वी कार्यक्रम प्रकोष्ठ ने 5 अनुसंधान परियोजनाएं, 15 संगोष्ठियां और तीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम स्वीकृत किए हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद एनसीआरआई, हैदाराबाद

राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद पूर्णत केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्तपोपित एक पंजीकृत स्वायत्त सोसाइटी है। यह 19 अक्तूबर, 1995 को पंजीयित कराई गई थी, और इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। इसकी स्थापना महात्मा गांधी की 'नई तालीम' की क्रान्तिकारी अवधारणा की रूपरेखा के अनुसार शिक्षा के साधन से ग्रामीण जीविका को आगे बढ़ाने के लिए ग्रामीण उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के मुख्य उद्देश्य से की गई थी। परिषद के अन्य उद्देश्यों में ये शामिल हैं अध्यापक प्रशिक्षण, सूजीसी, एआईसीटीई जैसे नीति-निर्माता निकायों और सीएसआईआर, आईसीएआर, आदि जैसे अनुसंधान संगठनों के साथ नेटवर्किंग के जरिए विस्तार और अनुसंधान और इसके अलावा अन्य शिक्षा संस्थाओं और स्वैच्छिक अभिकरणों को शिक्षा की गांधीवादी विचार-धारा के अनुसार विकास के लिए प्रोत्साहित करना। इससे सेवा क्षेत्र में, जो प्राथमिक रूप से देश के ग्रामीण क्षेत्र में है, रोजगार-योग्य शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सकेगा।

एनसीआरआई अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, समर्थन और वित्तीय सहायता मुहैया कराने के वास्ते विभिन्न कार्यक्रमों की पहचान कर रही है, जिन्हें उपयुक्त संस्थाओं के साथ हाथ में लिया जा सकता है।

स्वीकृत परियोजनाओं की एक झलक

एनसीआरआई ने 1018.69 लाख रुपए के कुल वित्तपोषण के साथ अब तक कुल 27 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। ये परियोजनाएं आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, असम,

मध्य प्रदेश और नई दिल्ली जैसे राज्यों को कवर करती हैं। परिषद के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इन परियोजनाओं को मंजूरी जिन प्रयोजनों से दी गई है, वे नीचे वताए गए हैं, और इन परियोजनाओं की अवधि एक से पांच वर्ष तक की है:

प्रयोजन	परियोजनाओं की संख्या
नई तालीम का अनुप्रयोग	7
ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल विकास	5
ग्रामीण शिक्षा कार्यक्रम	7
ग्रामीण उच्च शिक्षा	6

अब तक इन परियोजनाओं को 417.78 लाख रुपया विमोचित किया गया है और 600.91 लाख रुपया बच गया है, जिसे आगामी वित्तीय वर्षों में विमोचित किए जाने का कार्यक्रम है।

उद्देश्यों को प्रभावकारी रूप से पूरा करने के लिए ध्यान केन्द्रित किए जाने वाले क्षेत्रों को पता लगाने के लिए, देश भर में सात कार्यशालाएं आयोजित की गई थीं, जिन पर 18.34 लाख रुपए का खर्च हुआ।

झलकियां

वर्ष 2003-04 के दौरान परिषद द्वारा अपनी वित्तीय सहायता के भाग के रूप में इनको सहायता दी गई 1 संसाधन केन्द्र स्थापित करने और स्वराज शिल्पी स्कीम के संचालन के लिए दीन दयाल अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली, 2 कौशल विकास के लिए नवाचारी कार्यक्रम हाथ में लेने के लिए, विश्वमंगलम, अनेरा, हिम्मतनगर, गुजरात, 3 विश्व भारती, शान्ति निकेतन, पश्चिम बंगाल-पर्यावरण और विज्ञान अध्यापन का तुलनात्मक अध्ययन का काम हाथ में लेने के लिए, 4 हिंद स्वराज मंडल, राजकोट, गुजरात-ग्रामीण स्कूलों में शिक्षा कार्यक्रमों की समृद्धि और विकास के लिए, 5 पारम्परिक कारीगर सोसाइटी, मुम्बई-हस्तकारों के लिए कार्यशाला आयोजित करने के लिए, 6 राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बंगलौर-ग्रामीण स्कूलों के बच्चों के मनोवैज्ञानिक विकास को बढ़ावा देने के लिए, 7 गांधी निकेतन आश्रम, टी0 कल्लूपत्ती तमिलनाडु--सामुदायिक स्कूल स्तर पर नई तालीम के अनौपचारिक उपयोग के लिए परियोजना हाथ में लेने के लिए, 8 बुनियादी शिक्षा और नई तालीम के लिए ग्रामीण संस्थान स्थापित करने के निमित्त भारतीय शिक्षा संस्थान, पुणे 9 स्कूली शिक्षा के अर्थ का विस्तार करने के लिए एक कार्य अनुसंधान केन्द्र का विकास और समेकन करने के प्रयोजन से विद्या भवन सोसायटी, उदयपुर, राजस्थान 10 सीडब्ल्यूसी उपयुक्त शिक्षा कार्यक्रम परियोजना पर कन्सर्न फार वर्किंग चिल्ड्रेन, बंगलौर 11 शिक्षा के माध्यम से शिल्पकारों के संवर्द्धन के लिए सामूहिक प्रयास के निमित्त परियोजना के लिए मगन संग्रहालय, वर्धा।

ग्रामीण शिक्षा कार्यक्रमों पर एक नीति तैयार करने के प्रयोजन से 'संधारणीय ग्राम स्वराज के लिए शिक्षा के साधन के माध्यम से ग्रामीण आजीविकाओं का संवर्द्धन' विषय पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई जिसमें मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल और राज्य के माननीय मुख्यमंत्री ने भाग लिया।

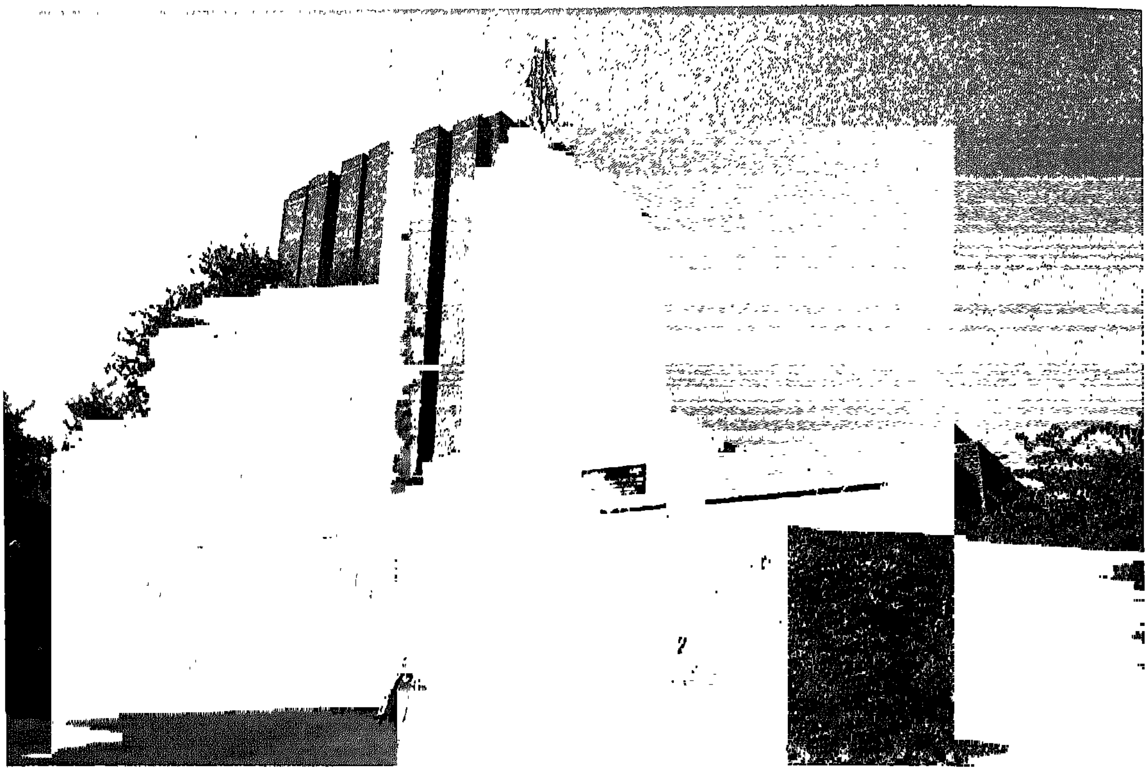
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के साथ एक सहमति ज्ञापन के जरिये सूक्ष्म स्तर पर दूरस्थ और दूरदराज के क्षेत्रों तक परिषद के विभिन्न कार्यक्रमों को पहुंचाने की दिशा में एक शुरूआत भी की गई।

प्राथमिकता के पांच क्षेत्रों अर्थात शिक्षा, गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, बीज और फसलोत्तर प्रौद्योगिकी, जल संसाधन और स्वास्थ्य में विस्तृत डाटाबेस तैयार करने से संबंधित जो काम परिषद द्वारा अपने ग्रामीण संसाधन सूचना केन्द्र आरआरआईसी के माध्यम से शुरू किया गया था, वह जारी है।

मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय

मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय एमएएनयूयू की स्थापना 1998 में हैदराबाद में उर्दू भाषा को बढ़ावा देने और उसका विकास करने तथा परम्परागत और दूरस्थ शिक्षा प्रणाली-दोनों के जरिये उर्दू के माध्यम से व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए की गई थी।

आंध्र प्रदेश की सरकार ने विश्वविद्यालय को 200 एकड़ भूमि मुफ्त में प्रदान कर दी है। विश्वविद्यालय ने प्रशासनिक भवन का निर्माण पूरा कर दिया है और वह गचीबावली, हैदराबाद में स्थित नए परिसर में चला गया है। तथापि अन्य आधारिक तंत्र का विकास किया जा रहा है और इस कारण परिसर शिक्षा शुरू नहीं की जा सकी। विश्वविद्यालय में तीन स्कूल, छ अध्ययन विभागों, दो निदेशालयों और देश के विभिन्न भागों में सत्तर अध्ययन केन्द्रों को मंजूरी दी जा चुकी है। दिल्ली, पटना और वंगलौर में क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित कर दिए गए हैं तथा कुछ और कार्यालय स्थापित किए जाने वाले हैं। दूरस्थ माध्यम से विभिन्न पाठ्यक्रमों की शिक्षा देने के प्रयोजन से विश्वविद्यालय ने डॉ0 बी0आर0 अम्बेडकर विश्वविद्यालय, हैदराबाद तथा



इग्नू, नई दिल्ली के साथ सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए हैं।

विश्वविद्यालय में 42 शिक्षण और 52 शिक्षणेतर पद हैं। विश्वविद्यालय में उर्दू माध्यम से दूरस्थ पद्धति के जरिये पांच विषय क्षेत्रों में बीए, बीकाम, बीएससी तथा प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों में सारे देश में फैले हुए 21, 132 छात्र दाखिल हैं। इसके अलावा कार्यात्मक अंग्रेजी रीडर/शब्दावली में 6 महीने की अवधि का एक नया प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम शुरू किया गया है। विश्वविद्यालय पुस्तकालय ने उर्दू, अंग्रेजी और हिन्दी में 1764 पुस्तकें जोड़ी हैं और इस प्रकार पुस्तकों का कुल संग्रह 9886 हो गया है।

महात्मा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय

वर्धा में महात्मा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय स्थापित करने के उद्देश्य से संसद ने दिसम्बर, 1996 में महात्मा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1996 पारित किया। उपरोक्त विश्वविद्यालय 29 दिसम्बर, 1997 को अस्तित्व में आया। विश्वविद्यालय की स्थापना इन उद्देश्यों से की गई है सामान्यत हिन्दी भाषा को प्रोत्साहित और विकसित करना तथा इस प्रयोजन के लिए अधिगम की संबंधित शाखाओं में अनुदेशात्मक और अनुसंधान सुविधाएं सुलभ कराना हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में तुलनात्मक अध्ययन और अनुसंधान की दिशा में सक्रिय प्रयासों की व्यवस्था करना देश में और विदेशों में प्रासंगिक सूचना के विकास और प्रसार के लिए सुविधाएं पैदा करना अनुवाद, व्याख्या और भाषा विज्ञान जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान, शिक्षा और प्रशिक्षण के कार्यक्रमों की पेशकश करना जिससे कि हिन्दी की कार्यात्मक प्रभाविता में सुधार लाया जा सके विदेशों में हिन्दी स्कूलों और हिन्दी में रुचि रखने वाले समूहों तक पहुंचना तथा अध्यापन तथा अनुसंधान में उन्हें सहयोजित करना और दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से हिन्दी को लोकप्रिय बनाना।

महाराष्ट्र सरकार ने वर्धा में विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए भूमि आबंटित कर दी है और उसका कब्जा संभलवा दिया है। विश्वविद्यालय केवल अगस्त 2001 से निर्माण क्रियाकलाप शुरू कर सका है। पहुंच मार्ग चरण एक चारदीवारी और भूमि की बाड़ का काम पूरा कर लिया गया है। अभी तक परियोजना कार्यालय, आवासीय क्वार्टर, कैंटीन तथा अन्य भवन का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है। अपेक्षित आधारिक सुविधाएं तथा अन्य सुविधाएं विकसित करने की दिशा में विश्वविद्यालय द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। प्रोफेसर पी.

गोपीनाथन ने 23 अक्टूबर, 2003 को विश्वविद्यालय के उप-कुलपति का कार्यभार संभाल लिया।

वर्धा परिसर से कुछेक शैक्षणिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं जो इस प्रकार हैं 'साहित्य' तथा 'अहिंसा', हिन्दी तुलनात्मक साहित्य, 'स्त्री अध्ययन' तथा 'अनुवाद प्रौद्योगिकी'। इन पाठ्यक्रमों में 73 छात्र दाखिल हैं।

नौवीं योजना अवधि के दौरान विश्वविद्यालय को 1800.00 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई। दसवीं योजनावधि के लिए 1644.25 लाख की राशि प्रदान की गई है।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू, नई दिल्ली की स्थापना 1969 में हुई थी। विश्वविद्यालय में 29 अध्ययन केन्द्रों सहित 9 स्कूल हैं। इसके अलावा, इसमें 4 स्वतंत्र अध्ययन केन्द्र भी मौजूद हैं। अध्यापन और गैर अध्यापन स्टाफ की क्षमता क्रमश 389 और 1386 है। विश्वविद्यालय में कुल मिलाकर 4816 छात्र दाखिल हैं जिनमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और शारीरिक दृष्टि से विकलांग व्यक्तियों का समुचित प्रतिनिधित्व है। प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए विश्वविद्यालय ने अपने नेटवर्क का विस्तार ढाका और काठमाण्डू तक कर दिया है।

विश्वविद्यालय के संकाय सदस्यों ने अनेक पुस्तकों की संरचना की, पुस्तकों के लिए अनेक लेखों का योगदान दिया तथा भारत और विदेशों में प्रकाशित विख्यात शैक्षणिक और अनुसंधान पत्रिकाओं में विभिन्न शोध लेख प्रकाशित कराए। अनेक विख्यात संकाय सदस्यों को विभिन्न राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से सम्मान और पुरस्कार प्राप्त हुए। उपर्युक्त के अलावा जेएनयू के पूर्व विद्यार्थी डॉ. शान्ता सिन्हा को सामुदायिक नेतृत्व में गौरवपूर्ण 'रमन मेगासेसे पुरस्कार' प्रदान किया गया।

निप्पन प्रतिष्ठान ने अपने 'रियोशी ससाकावा युवा नेता अध्येतावृत्ति निधि कार्यक्रम' के लिए पहली बार जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का चयन किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नेतृत्व की क्षमता वाले युवा स्नातक छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है और इसके अधीन 1 मिलियन अमरीकी डालर के अनुदान के रूप में स्थायी निधि प्रदान की गई है।

यूजीसी ने आण्विक विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी और जीनोम्स के क्षेत्र में जेएनयू को 'उत्कृष्टता की संभावना वाला विश्वविद्यालय' के रूप में अभिज्ञात किया है। जेएनयू शैक्षणिक स्टाफ कालेज ने वर्ष के दौरान 14 पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम और 4 दिशा-अनुकूलन कार्यक्रम आयोजित किए हैं। आलोच्य वर्ष में पुस्तकालय में आज की तारीख में 4,545 नई पुस्तकें जुड़ी हैं और पुस्तकों तथा पत्रिकाओं की कुल संख्या 5,05,164 तक पहुंच गई है। विश्वविद्यालय ने विदेशी विश्वविद्यालयों/संस्थानों के साथ 14 नए सहमति ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं।

जवाहरलाल नेहरू उन्नत अध्ययन संस्थान और शैक्षणिक स्टाफ कालेज का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है तथा एससी/एसटी छात्रों के छात्रावास और उत्तर-पूर्व छात्रावास का निर्माण कार्य चल रहा है।

असम विश्वविद्यालय

असम विश्वविद्यालय की स्थापना 21 जनवरी,1994 को हुई थी। यह विश्वविद्यालय एक शिक्षण एवं संबंधन विश्वविद्यालय है जिसका कार्यक्षेत्र कछार, करीमगंज, हेल्कंडी, करबी अंगलोंग तथा असम के उत्तरी कछार पर्वतीय जिलों तक फैला हुआ है।

विश्वविद्यालय में 8 अध्ययन स्कूलों के अधीन 27 स्नातकोत्तर विभाग हैं और इनके अलावा 3 अन्य केन्द्र भी हैं। विश्वविद्यालय में 1336 छात्र दाखिल हैं जिसमें से 672 पुरुष और 664 महिलाएं हैं तथा 156 छात्र अनुसूचित जातियों और 54 छात्र अनुसूचित जनजातियों से संबंधित हैं। संकाय सदस्यों की कुल संख्या 160 है जबकि शिक्षणेतर स्टाफ की संख्या 194 है। विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में कुल 60000 पुस्तकों का संकलन है। पुस्तकालय में 199 पत्रिकाएं, 21 दैनिक समाचार पत्र, 14 समाचार पत्रिकाएं, 13 विदेशी और 118 भारतीय जर्नल मंगाए जाते हैं। विश्वविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय/क्षेत्रीय स्तर पर अनेक संगोष्ठियां आयोजित की गई।

9वीं योजनावधि में अनेक निर्माण क्रियाकलाप पूरे कर लिए गए हैं जिनमें ये शामिल हैं 120 बिस्तरों वाले दो छात्रावास जिनमें से एक लड़कों और दूसरा छात्राओं के लिए है, संकाय सदस्यों के लिए 40 क्वार्टर तथा उप-कुलपति आवास। वर्ष 2002-03 के दौरान यूजीसी ने योजनागत और योजनेतर स्कीमों के लिए 10.23 करोड़ रुपए का अनुदान दिया। विश्वविद्यालय द्वारा यूजीसी, सीएसआईआर, आईसीएसएसआर, आईसीपीआर, डीआरडीओ, डीएसटी, आईसीएचआर, आईसीएआर आदि से प्राप्त अनुदान की सहायता से कई नए अनुसंधान शुरू किए गए हैं। इसके अलावा केन्द्रीय संसाधनों के असमाप्य पूल में से 13 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है। इस निधि का प्रयोग विभिन्न निर्माण क्रियाकलापों के लिए किया गया है



जिनमें ये शामिल हैं पुस्तकालय एवं कम्प्यूटर केन्द्र भवन, गेस्ट हाउस, प्रशासनिक भवन का निर्माण, जल आपूर्ति पाइप लाइन बिछाना परिसर के भीतर सम्पर्क मार्ग तथा विद्युत और फर्नीचर की व्यवस्था करना।

विश्वविद्यालय का सातवां दीक्षान्त समारोह वर्ष 2003 में आयोजित किया गया था जिसे यूजीसी के अध्यक्ष प्रोफेसर ए. निगावेकर ने संबोधित किया।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय

एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में 1920 में स्थापित अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एएमयू देश में स्थापित पूर्णत आवासीय शीर्षस्थ शैक्षणिक संस्थानों में से एक है। विश्वविद्यालय में 12 संकायों के अधीन समूहबद्ध 102 विभाग/संस्थान/केन्द्र हैं। विश्वविद्यालय में 4 अस्पताल, 6 कालेज मेडिकल, डेंटल तथा इंजीनियरी कालेजों सहित दो पोलिटेक्निक तथा 8 स्कूल हैं।

जिन लक्ष्यों और उद्देश्यों के लिए यह विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था उनसे, इसकी संस्कृति और परंपराओं से छात्रों को अवगत कराने के लिए सर सैय्यद खां और अलीगढ़ आंदोलन के बाबत एक आधारिक पाठ्यक्रम स्नातक स्तर के पहले वर्ष में प्रत्येक विद्यार्थी के लिए अनिवार्य है।

विश्वविद्यालय केवल महिलाओं के लिए इन क्षेत्रों में 6 डिप्लोमा पाठ्यक्रम चलाता है जो इस प्रकार हैं इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरी, सूचना प्रौद्योगिकी, कम्प्यूटर इंजीनियरी, कास्ट्यूम डिजाइन तथा वस्त्र प्रौद्योगिकी, कार्यालय सहायक और सचिवालीय व्यवहार तथा जनरल नर्सिंग और मिडवाइफरी।

आलोच्य अवधि के दौरान 'बीएससी आनर्स कम्प्यूटर अनुरक्षण' नामक एक तीन साला डिग्री पाठ्यक्रम शुरू किया गया है।

विश्वविद्यालय में कुल मिलाकर 18500 छात्र माध्यमिक स्कूलों के छात्रों को छोड़कर हैं जो कि देश के विभिन्न कोनों से संबंधित हैं। विश्वविद्यालय में 13 देशों से आए 199 विदेशी छात्र दाखिल हैं। विश्वविद्यालय जाति, पंथ और लिंग की ओर ध्यान दिए बिना सभी के लिए खुला है। एएमयू में शिक्षण स्टाफ की कुल क्षमता 1238 है जबकि शिक्षणेतर स्टाफ की संख्या 5897 है।

1 अप्रैल, 2003 से 30 नवम्बर, 2003 की अवधि के दौरान केन्द्रीय पुस्तकालय तथा विश्वविद्यालय के विभागीय पुस्तकालयों में 11339 पुस्तकें जोड़ी गई हैं जिससे कि पुस्तकों की कुल संख्या 1014225 हो गई है। जेएन मेडिकल कालेज, एके तिबिया कालेज, जेडएच इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी कालेज तथा महिला कालेज जैसे कालेजों में अलग पुस्तकालय मौजूद हैं। आलोच्य अवधि के दौरान केन्द्रीय पुस्तकालय में आनलाइन पब्लिक एक्सेस सूची पत्र ओपीएसी लागू कर दिया गया है।

संक्षेप में कहे तो आलोच्य अवधि में संकाय सदस्यों के योगदान इस प्रकार रहे हैं बीस राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों/संगोष्ठियों आदि का आयोजन किया गया है 125 अनुसंधान परियोजनाएं हाथ में ली गई हैं 230 अध्यापकों ने भारत में तथा विदेशों में आयोजित विभिन्न सम्मेलनों और संगोष्ठियों में भाग लिया है।

खेलकूद और संबद्ध क्रियाकलापों को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालय में घुड़सवारी क्लब सहित 10 क्लब मौजूद हैं। भारत का यह एकमात्र विश्वविद्यालय है जिसमें छात्रों के लिए एक घुड़सवारी क्लब तथा ढका हुआ तरणताल मौजूद है।

जामिया मिलिया इस्लामिया

जामिया मिलिया इस्लामिया जेएमआई, जो 1962 से एक सम विश्वविद्यालय के रूप में काम कर रहा था को दिसम्बर 1998 को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ। यह विश्वविद्यालय नर्सरी स्तर से लेकर स्नातकोत्तर स्तर और डाक्टरेट स्तर तक शिक्षा प्रदान करता है। विश्वविद्यालय में 6 संकायों के अधीन समूहबद्ध 29 विभाग हैं। साथ ही विश्वविद्यालय में 10 केन्द्र और 6 स्कूल मौजूद हैं। विश्वविद्यालय में दाखिल छात्रों की कुल संख्या 13329 है जिनमे से 8730 विश्वविद्यालय क्षेत्र में 4599 स्कूल क्षेत्र में हैं। छात्रों की इस संख्या में 31 देशों से आए 98 विदेशी छात्र शामिल हैं। जेएमआई के अध्यापन स्टाफ की कुल क्षमता 553 स्कूली क्षेत्र के 111 को शामिल करके और शिक्षणेतर स्टाफ की क्षमता 1098 है।

शैक्षणिक क्षेत्र में की गई नई पहलों में एक पांच वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम बीए, एलएलबी तथा विकास संचार में डिपलोमा शामिल है। विश्वविद्यालय पीएच.डी कार्यक्रम सहित स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर स्तरों पर कुल मिलाकर 110 पाठ्यक्रमों की पेशकश करता है।

आलोच्य अवधि के दौरान विश्वविद्यालय के शैक्षणिक स्टाफ कालेज में सारे भारत से आए कुल 698 अध्यापकों के लिए 6 दिशा-अनुकूलन पाठ्यक्रम तथा 12 पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित किए। विश्वविद्यालय के एजे किदवई जनसंचार अनुसंधान केन्द्र ने यूजीसी के इंसेट कार्यक्रमों के निमित्त 185 कार्यक्रम तैयार किए।

डा0 जाकिर हुसैन इंस्टिट्यूट आफ इस्लामिक स्टडीज दो पत्रिकाएं अर्थात इस्लाम एण्ड दी माडर्न एज अंग्रेजी तथा इस्लाम और अस-रे-जदीद उर्दू प्रकाशित करता रहा है। यह दोनों पत्रिकाएं समकालीन भारत और विश्व के संदर्भ में मुस्लिम परंपरा की रचनात्मक पुनर्व्याख्या तथा धर्मों के बीच सद्भावना को बढ़ावा देने के प्रति समर्पित हैं।

संक्षेप में कहा जा सकता है कि आलोच्य अवधि में संकाय सदस्यों ने एआईसीटीई, यूजीसी, सीएसआईआर, आईसीएसएसआर, यूएनडीपी, एनेस्को तथा भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों जैसी विभिन्न राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय वित्तपोषी एजेंसियों द्वारा प्रायोजित 106 अनुसंधान परियोजनाएं हाथ में ली 335 अनुसंधान लेखों, 68 पुस्तकों और 32 लेखों सहित 435 पुस्तकें प्रकाशित की गईं 82 संगोष्ठियां, सम्मेलन और विचार गोष्ठियां तथा 126 विस्तार भाषण आयोजित किए गए हैं। संकाय के सदस्य राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय-दोनों स्तरों पर 58 परामर्शी कार्यों में प्रवृत्त हैं।

विश्व भारती

गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित विश्व भारती नामक एक शैक्षिक संस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में विश्व भारती अधिनियम 1951 द्वारा संस्थापित किया गया था। विश्वविद्यालय प्राथमिक स्तर से स्नातकोत्तर स्तर तथा डाक्टरेट स्तर तक शिक्षा प्रदान करता है। इसके 12 संस्थान हैं- 8 शांति निकेतन में, 3 श्रीनिकेतन में तथा 1 कलकत्ता में।

विश्वविद्यालय में इसके स्कूली सेक्शनों सहित 6425 छात्र नामांकित थे। अध्यापन और गैर-अध्यापन स्टाफ की कुल संख्या क्रमश 520 तथा 1449 थी। विश्वविद्यालय में केन्द्रीय पुस्तकालय के अलावा 12 अनुभागीय पुस्तकालय भी हैं।

आलोच्य अवधि के दौरान विश्वविद्यालय ने 4 नए पाठ्यक्रम शुरू किए जो इस प्रकार हैं सांख्यिकीय में एमएससी, पर्यावरणात्मक विज्ञान में एमएससी, कम्प्यूटर विज्ञान में एमएससी तथा पत्रकारिता और जनसंचार में एमए।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय

देश के शैक्षिक ढांचे में मुक्त विश्वविद्यालय तथा दूरस्थ शिक्षा प्रणाली शुरू तथा प्रोन्नत करने और इन प्रणालियों में समन्वय स्थापित करके मानकों का निर्धारण करने के लिए संसद के एक अधिनियम द्वारा 1985 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। इस विश्वविद्यालय के मुख्य लक्ष्यों में जनसंख्या के एक बड़े भाग को, विशेषकर वंचित समूहों को उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान करके उच्च शैक्षिक सुविधाओं की सुलभता को बढ़ाना, विशेष लक्षित समूहों जैसे महिलाओं, पिछड़े इलाकों, पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों आदि के लिए उच्च शिक्षा के निमित्त सतत कार्यक्रम का आयोजन और विशेष कार्यक्रमों की शुरूआत करना आदि शामिल हैं।

आलोच्य वर्ष में विश्वविद्यालय ने निम्न की स्थापना के लिए पहले की क मुक्त और दूरस्थ शिक्षा के लिए अंतविश्वविद्यालय

सहायता संघ ख दूरस्थ शिक्षा में अनुसंधान और नवाचार केन्द्र आरआईडीई तथा कृषि स्कूल और विधि स्कूल। विश्वविद्यालय ने विशुद्ध रूप से शैक्षणिक से लेकर अधिकांशत व्यावसायिक तक, उच्च स्तरीय स्नातकोत्तर डिग्री से लेकर क्षमता प्रमाण पत्रों तक तथा जटिल व्यावसायिक कार्यक्रमों से लेकर अधिक सामान्य जागरूकता तक के कार्यक्रम बड़ी संख्या में माड्यूलर फार्म में तैयार किए हैं। ये कार्यक्रम व्यावसायिक रूप से अर्हताप्राप्त लोगों से लेकर आम जनता के लोगों तक, व्यापार प्रबंधकों से लेकर औद्योगिक कामगारों तक और बेरोजगार युवकों से लेकर गृहस्वामिनियों तक के समाज के बहुविध वर्गों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। वर्ष 2003-04 के दौरान 3 और कार्यक्रम जोड़े गए हैं जो इस प्रकार हैं क जरा चिकित्सा में स्नातकोत्तर डिप्लोमा ख श्रव्य कार्यक्रम में स्नातकोत्तर डिप्लोमा तथा ग आतिथ्य तथा अस्पताल प्रशासन में बीएससी। विश्वविद्यालय में 88 कार्यक्रमों की पेशकश की जाती है जिनमें 12 मास्टर डिग्री कार्यक्रम, 14 स्नातक डिग्री कार्यक्रम, 20 उन्नत/स्नातकोत्तर डिप्लोमा, 9 डिप्लोमा कार्यक्रम, 25 प्रमाण पत्र कार्यक्रम और 8 पीएच.डी कार्यक्रम शामिल हैं। 2003 के दौरान पंजीकृत छात्रों की कुल संख्या 334315 थी। इग्नू में छात्रों का संचयी नामांकन 1187100। इग्नू के छात्र सहयोग प्रणाली नेटवर्क में 48 क्षेत्रीय केन्द्र और 1081 अध्ययन केन्द्र हैं। इग्नू में अध्यापन और गैर अध्यापन स्टाफ की संख्या क्रमश 307 तथा 1415 है। दूरस्थ शिक्षा परिषद डीईसी मुक्त और दूरस्थ अधिगम ओडीएल प्रणाली तथा देश के भीतर दूरस्थ शिक्षा के मानकों के समन्वय और अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार हैं। इन लक्ष्यों के अनुसरण में डीईसी ने राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों एसओयू तथा परम्परागत विश्वविद्यालयों के अन्य पत्राचार पाठ्यक्रम संस्थानों सीसीआई को सहयोग प्रदान करने के लिए अनेक पहलें की हैं। आलोच्य अवधि के दौरान परिषद ने आधारिक तंत्र का विकास करने, संस्थानगत सुधारों, शैक्षणिक सुधार, स्टाफ विकास और प्रशिक्षण, छात्र सहयोग सत्र, संस्थान के कम्प्यूटरीकरण और नेटवर्क निर्माण, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए दूरस्थ शिक्षा संस्थानों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान की। दूरस्थ शिक्षा के संकाय को तथा संगोष्ठियों/सम्मेलनों के आयोजन के लिए विकासात्मक अनुदान और अनुसंधान अनुदान भी दिए गए। डीईसी की पहलों के चलते लगभग 40 परम्परागत विश्वविद्यालयों ने नए दूरस्थ शिक्षा संस्थान डीईआई स्थापित किए हैं। आज की स्थिति में देश में दोहरे विश्वविद्यालयों की संख्या 104 है।

इग्नू के शैक्षणिक कार्यक्रम आजकल 26 देशों में उपलब्ध कराए जाते हैं जिनमें ये देश शामिल हैं यूएई, ओमान सल्तनत, बहरीन और दोहा, मारीशस, मालदीव, सेशल्स तथा सिंगापुर आदि। इण्डोनेशिया और मलेशिया में अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम कालेज आईईपीसी के साथ भागीदारी स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। केन्या और नेपाल में इग्नू के कार्यक्रम मान्यताप्राप्त संस्थानों के जरिए उपलब्ध कराए जाते हैं। यूनेस्को और अफ्रीका में अंतर्राष्ट्रीय क्षमता निर्माण संस्थान आईआईसीआरए के सहयोग से इथोपिया, लीबेरिया, मेडागास्कर तथा घाना में दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों की पेशकश की जाती है। हालांकि कामन वेल्थ आफ लर्निंग सीओएल, कनाडा के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं, कतिपय कार्यक्रम लिसेथो, स्वाजीलैंड, नामीबिया, सेशल्स, जमैका, मलावी और बेलीज में भी मुहैया कराए जाते हैं।

इग्नू 24 घंटे चलने वाले उपग्रह-आधारित शैक्षिक चैनल ज्ञान दर्शन जीडी के संचालन का समन्वय करता है। यह विभिन्न सरकारी एजेंसियों का एक मीडिया सहकारी सहयोगात्मक उद्यम है।

ज्ञान दर्शन -। 24 घटे चलने वाला नितान्ततः शैक्षिक टीवी चैनल ज्ञान दर्शन जिसकी नोडेल एजेंसी इग्नू है, जनवरी, 2000 में शुरू किय गया था यह चेनल बहुविधा विषयों पर शैक्षिक कार्यक्रम उपलब्ध कराता है। यह चेनल 26 जनवरी 2003 को पूरी तरह डिजिटल बन गया और अब इसमें छः चैनलों के समूह को प्रस्तुत करने की क्षमता है।

ज्ञान दर्शन-2 यह चेनल समन्वयकों, परामर्शदाताओं, विशेष संगोष्ठियों और वास्तविक दीशान्त समारोहों के दूरस्थ,परामर्श, दूरस्थ व्यख्यान, दूरस्थ, दूरस्थ प्रशिक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाता है।

ज्ञान दर्शन-3 'एकलव्य' प्रोद्योगीकी चेनल। इसका उद्घाटन 26 जनवरी 2003 से किया गया। यह पूर्णतः तकनीकी शिक्षा के प्रति समर्पित है। आई.आई.टी के छात्रों सहित इंजीनियरी के सभी छात्र इससे लाभान्वित होंगे। एक वीडियों सर्वर के माध्यम से जिसका सम्प्रति परीक्षण किया जा रहा है, इस चेनल की प्रसारण पूरी तरह स्वचालित हो जाएगा।

कृषि चेनल कृषि मंत्रालय के सहयोग 21.1.2004 से शुरू किया गया यह चेनल 'विशिष्ट' कृषि क्षेत्र की सेवा करता है। व्यास चेनल-इग्नू और यू..जी.सी की संयुक्त पहल है। यह

पाठ्यचर्चा आधारित उच्च शिक्षा चेनल है जिसका उद्घाटन 26.1.2004 को किया गया था।

ज्ञानवाणी इग्नू शिक्षा और विकास के प्रति समर्पित ज्ञान वाणी नेटवर्क के एक अंग के रूप में 40 शहरों में एफ.एम.चेनल के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल एजेंसी है। 10 एफ एम केन्द्र चल रहे हैं। ये केंद्र इन स्थानों पर स्थित हैं: इलाहाबाद, भोपाल, कोयम्बटूर, बंगलौर, मुम्बई, लखनऊ, विशाखापतनम, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई। प्रत्येक रविवार को एआईआर के 186 केन्द्रों से एक घण्टे का रेडियो परामर्श प्रदान किया जाता है। 80 शहरों में छात्रों को निःशुल्क कान्फ्रेसिंग सुविधा भी सुलभ है जिसके माध्यम से ये छात्र विशेषज्ञों के साथ मुक्त वैचारिक आदान-प्रदान करते है।

बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ

बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ (बीबीएयू) की स्थापना संसद के एक अधिनियम द्वारा 1994 में इन उद्देश्यों से की गई थीः विज्ञान, प्रौद्योगिकी के प्रमुख तथा अग्रिम क्षेत्रों तथा अन्य सम्बद्ध विषय-क्षेत्रों, जैसेकि कृषिक प्रौद्योगिकी और ग्रामीण शिल्पों में, जोकि सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गो के लिए प्रासंगिक हैं, अनुदेशात्मक और अनुसंधान सुविधाओं द्वारा उन्नत ज्ञान के बढ़ावा देना तथा उन सिद्धान्तों के अध्ययन को प्रोत्साहित करना जिनके लिए बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने अपने जीवनकाल में काम किया था।

विश्वविद्यालय ने अपना अपेक्षित आधारिक तंत्र निर्मित कर लिया है। बीबीएयू ने अपने ऐसे शैक्षणिक कार्यक्रम शुरू किए हैं जिनमें रोजगार की संभावनाएं हैं और जो आमतौर पर भारतीय समाज और विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गो के विकास के लिए प्रासंगिक हैं। सम्प्रति, बीबीएयू ने 5 स्कूल,8 विभाग स्थापित किए हैं (1) अम्बेडकर अध्ययन स्कूल, (2)जैव-विज्ञान और जैव-प्रौद्योगिकी स्कूल, और (3) पर्यावरणात्मक विज्ञान स्कूल (4) सूचना विज्ञान और प्रौद्योगिकी स्कूल, (5)विधि अध्ययन स्कूल, (6) ये स्कूल स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की पेशकश करते हैं और प्रत्येक विभाग में 20 छात्र दाखिल किए जाने की क्षमता है।

कुल वर्ष 2003-04 में नामांकन 106 हैं, जिसमें से 42 (अर्थात 39.6 प्रतिशत) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित है 13 जबकि शिक्षणेतर स्टाफ की संख्या 70 है।

पाण्डिचेरी विश्वविद्यालय

पाण्डिचेरी विश्वविद्यालय की स्थापना शिक्षण व सम्बन्धक विश्वविद्यालय के रूप में 1985 में हुई थी, जिसके अधिकार क्षेत्र में संघ-शासित क्षेत्र पाण्डिचेरी तथा अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह शामिल हैं।

विश्वविद्यालय में छः स्कूल, 19 विभाग और 14 केन्द्र हैं जो कि प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम, स्नातकोत्तर, एम.टेक,एम.फिल,पी.एच.डी. कार्यक्रमों की पेशकश करता है। विश्वविद्यालय के 37 सम्बद्ध संस्थान हैं जिनमें से 24 पाण्डिचेरी में, 5 करैकाल में, 2 माहे में 2 यनम में तथा 4 अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह में स्थित है। इन संस्थानों में छात्रों की कुल संख्या 19,774 है। विश्वविद्यालय में दाखिल छात्रों की संख्या 1,561 है जिनमें से 612 महिलाए छात्र हैं। विश्वविद्यालय के संकाय में 148 अनुभवी अध्यापक और 558 शिक्षणेतर स्टाफ शामिल हैं।

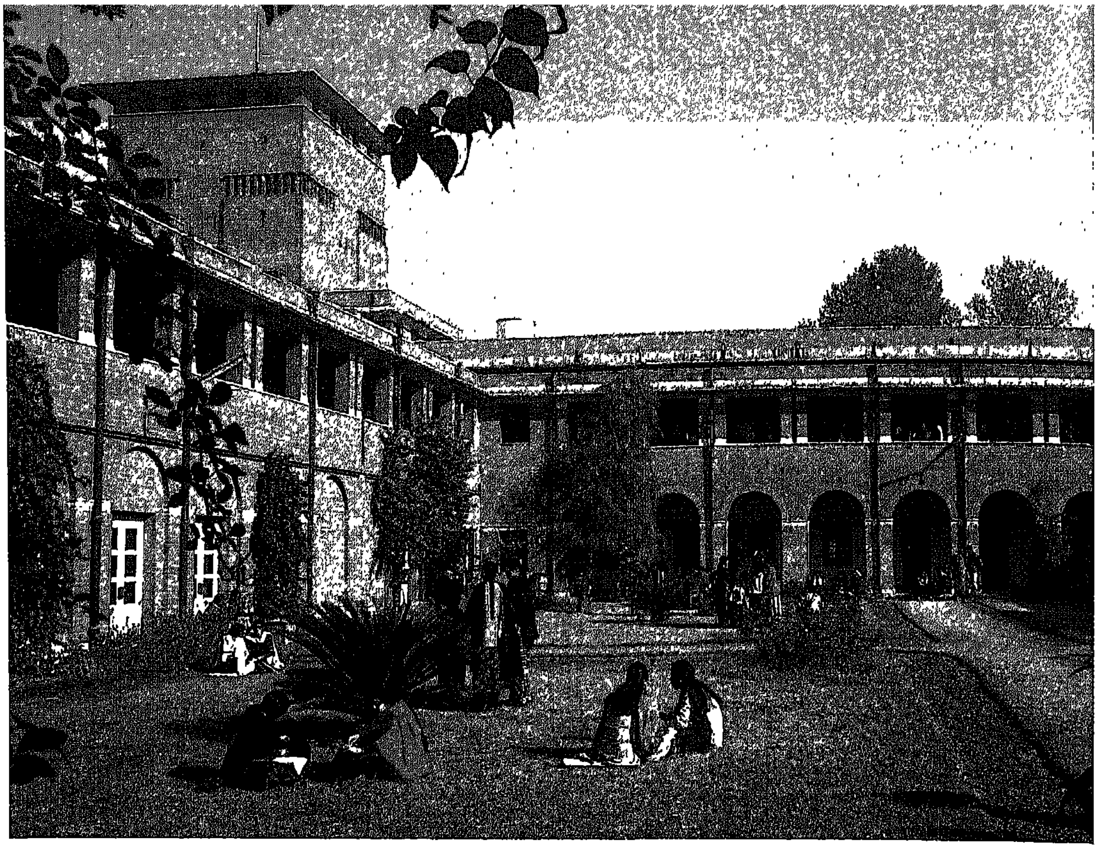
आलोच्य अवधि के दौरान 40 शोधकर्मियों ने पीएच.डी. के लिए पंजीकरण कराया है तथा सामायिक प्रासंगिकता 69 प्रायोजित परियोजनाओं पर काम चल रहा है। संकाय सदस्यों ने 25 पुस्तकों प्रकाशन किया है और 386 लेख लिखे हैं जो कि राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं।

विश्वविद्यालय ने भारत में और विदेशों में 18 विश्वविद्यालयों के साथ सहमति ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं जिसके बल पर उसने विश्वविद्यालयों के साथ नेटवर्क स्थापित कर लिया है और भारतीय शिक्षा का वैश्वीकरण किया है। इन विश्वविद्यालयों के छात्र विनियम स्कीम के अधीन पाण्डिचेरी विश्वविद्यालय से और इसी प्रकार पाण्डिचेरी विश्वविद्यालय के छात्र अन्य विश्वविद्यालय से क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं।

विश्वविद्यालय में 1987 शुरू किया गया एक विशेष सेल अनुसूचित जातियों/जनजातियों तथा शारीरिक दृष्टि से विकलांग छात्रों के कल्याण की दिशा में आवश्यक उपाय करता है।

दिल्ली विश्वविद्यालय

दिल्ली विश्वविद्यालय उच्च अध्ययन का एक शीर्षस्थ संस्थान है और वह बहुविध विषय क्षेत्रों में स्नातक-पूर्व और स्नातकोत्तर कार्यक्रमों की पेशकश करता है। विश्वविद्यालय अनेक अनुप्रयोगोन्मुखी विषय-क्षेत्रों में अल्पकालीन और दीर्घकालीन प्रमाण-पत्र/ डिप्लोमा पाठ्यक्रमों का भी आयोजन करता है।



विश्वविद्यालय के शैक्षणिक क्रियाकलाप 16 संकायों, तथा 86 कालेजों के माध्यम से चलाए जाते हैं।

आलोच्य वर्ष में विश्वविद्यालय में दाखिल छात्रों की कुल संख्या 3,09131 थी जिसमें से 1,31,821 विश्वविद्यालय के शिक्षण विभागों और कालेजों मे नियमित छात्र थे और शेष पत्राचार पाठ्यक्रम और अविच्छिन्न स्कूल गैर-कालिजियेट महिला शिक्षा बोर्ड तथा गैर-औपचारिक छात्र सेल मे दीखते थे। विश्वविद्यालय में एम.फिल तथा पीएचडी के लिए दाखिल छात्रों की संख्या 4479 थी। विश्वविद्यालय के संकाय की क्षमता 660 है जिसमें 274 प्राध्यापक, 233 रीडर,134 लेक्चरर और 19 अनुसंधान सहायक है।

विश्वविद्यालय की शिक्षणेतर स्टाफ की कुल संख्या 2,777 है। आलोच्य वर्ष के दौरान संकाय सदस्यों को विभिन्न विषय क्षेत्रों मे कई गौरवपूर्ण अवार्ड और सम्मान प्राप्त हुए है जिनमें ये शामिल हैं संयुक्त् राष्ट्र युनिवर्सिटी वर्ल्ड इन्स्टीट्यूट फार डेवलपमेंट आफ इकानामिक रिसर्च की अध्यक्षता, ज्ञानपीठ पुरस्कार, आई.एन.एस ए अध्येतावृत्तियां तथा संस्कृत भाषा की उन्नति में योगदान के लिए राष्ट्रपति का सम्मान प्रमाणपत्र।

विश्वविद्यालय के सभी विभागों, केन्द्रों तथा प्रशासनिक एककों, 13 कालेजों तथा 16 परिसरीय छात्रावासों को समाहित करते हुए कम्प्यूटर नेटवर्क निर्माण पूरा कर लिया गया और आलोच्य अवधि के दौरान नेटवर्क का औपचारिक उद्घाटन किया गया। विश्वविद्यालय पहले से ही अनेक इलेक्ट्रानिक पत्रिकाएं मंगाता है और यूजीसी इन्फोनेट- इन्फिलबनेट-इरनेट सहायता संघ के आगमन के साथ अब विश्व की श्रेष्ठतम पत्रिकाएं विश्वविद्यालय समुदाय से सुलभ हो गई हैं। आलोच्य वर्ष में वाइस-रीगल लाज, ग्वायर हाल, कला संकाय और इन्द्रप्रस्थ कालेज जैसी पुरानी और दाय इमारतों की मरम्मत/ जीर्णोद्धार का काम विश्वविद्यालय की एक अन्य महत्वपूर्ण परियोजना है।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय

एक शिक्षण और आवासीय विश्वविद्यालय के रूप में 1916 में स्थापित बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (बीएचयू) देश के सर्वाधिक पुराने केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में से एक है। विश्वविद्यालय में 3 संस्थान, 14 संकाय,121 विभाग,4 अन्तःविषय क्षेत्रीय स्कूल, 4 कालेज और 3 स्कूल है। इनके अलावा, विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में सात उन्नत अध्ययन केन्द्र (सीएएस), विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी आधारिक तंत्र (एफआई एसटी) के सुधार कार्यक्रम के लिए 16 निधियां तथा विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में 7 विशेष सहायता कार्यक्रम (एसएपी) भी है।

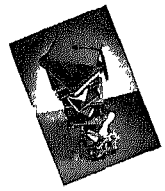
सम्प्रति, विश्वविद्यालय 32 स्नातकपूर्व, 148 स्नाकोत्तर कार्यक्रमों,30 डिप्लोमा और 9 प्रमाण पत्र पाठ्यक्रमों की पेशकश कर रहा है। विश्वविद्यालय में दाखिल छात्रों की कुल संख्या 16105 थी जब वर्ष के दौरान शिक्षण तथा शिक्षणेतर स्टाफ की संख्या क्रमशः 1045 और 5368 थी। आलोच्य वर्ष के

दौरान, आयुर्विज्ञान संस्थान तथा समाजविज्ञान और कला संकायों के वार्षिक दीक्षान्त समारोह आयोजित किए गए।

मिजोरम विश्वविद्यालय

आईजोल मे स्थित मुख्यालय सहित मिजोरम विश्वविद्यालय की स्थापना एक अध्यापन और सम्बद्धक विश्वविद्यालय के रूप में 2 जुलाई 2001 को हुई थी।

विश्वविद्यालय के शैक्षणिक क्रियाकलाप फिलहाल इसके सोलह शिक्षण विभागों और एक संघटक कालेज के माध्यम से चलाए जा रहे है। इस अवधि के दौरान विश्वविद्यालय के दो विभाग अर्थात भौतिक शास्त्र और भूगोल विभाग तथा जनजातीय संसाधन प्रवन्ध शुरू किए गए हैं। आलोच्य वर्ष के दौरान इन विभागों और संघटक कालेज में दाखिला छात्रों की कुल संख्या 1,187 थी जबकि शिक्षण और शिक्षणेतर स्टाफ की संख्या क्रमशः 86 और 161 थी। उपर्युक्त के अलावा विश्वविद्यालय के 28 सम्बद्व कालेज भी है। इन सम्बद्ध कालेजों में पढ़ रहे छात्रों की संख्या 5,579 है।



एक शिक्षण और आवासीय विश्वविद्यालय के रूप में 1916 में स्थापित बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (बीएचयू) देश के सर्वाधिक पुराने केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में से एक है। विश्वविद्यालय में 3 संस्थान, 14 संकाय,121 विभाग,4 अन्तःविषय क्षेत्रीय स्कूल, 4 कालेज और 3 स्कूल है। इनके अलावा, विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में सात उन्नत अध्ययन केन्द्र (सीएएस) हैं।

नागालैंड विश्वविद्यालय

नागालैंड विश्वविद्यालय की स्थापना संसद के नागालैंड विश्वविद्यालय अधिनियम, 1989 के अधीन 6 सितम्बर 1994 को हुई थी। यह एकमात्र ऐसा केन्द्रीय विश्वविद्यालय है जिसके राज्य में तीन परिसर हैंः लूमामी मुख्यालय, कोहिमा तथा मेदजीफेमा। अपनी स्थापना के समाय से विश्वविद्यालय मानव संसाधन विकास में उल्लेखनीय उन्नति का कर रहा है।

विश्वविद्यालय के 25 विभाग हैं जिनमें 1000 छात्र अध्ययनरत हैं। 110 पीएच.डी. शोध छात्र हैं सम्प्रति विश्वविद्यालय में 42 सम्बद्ध कालेज हैं जिनमें स्नातकपूर्व स्तर पर 1 5,000 से अधिक छात्र अध्ययन कर रहे हैं। विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद द्वारा वर्गीकृत भी किया गया है।

सामाजिक दृष्टि से प्रासंगिक अनुसंधान कार्य किया गया है तथा संकाय सदस्यों द्वारा प्रकाशित उत्तम पुस्तकें विश्वविद्यालय की उत्कृष्टता की परिचायक हैं। विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित कार्यशालाओं/संगोष्ठियों में अन्य के साथ साथ स्वर विज्ञान पर एक- दिवसीय कार्यशाला, कार्यालय शामिल है। विश्वविद्यालय छात्रों और संकाय सदस्यों से भारत में तथा विदेशों में राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने के लिए भेजता रहता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दो नए विभागों को मंजूरी दी है जो इस प्रकार हैं- सूचना प्रौद्योगिकी और जनसंख्या तथा जैव-विविधता और जनजातीय अध्ययन केन्द्र। विश्वविद्यालय ने यूजीसी नेट परीक्षा का सफल आयोजन भी किया है।

नागालैण्ड विश्वविद्यालय का पहला दीक्षान्त समारोह कोहिमा में 29 अक्तूबर 2003 से आयोजित किया गया था। इस अवसर पर भारत के माननीय प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी मुख्य अतिथि थे जिन्होंने इस मौके पर यह घोषणा की कि भारत सरकार लुमानी में स्थित नागालैण्ड विश्वविद्यालय के आधारिक तंत्र के विकास के लिए 35.00 करोड़ रूपये देगी तथा विश्वविद्यालय के कोहिमा परिसर के लिए 10.00 करोड़ रूपये अलग से होगा। नागालैण्ड विश्वविद्यालय ने सरकारी और एनजीओ के साथ मिलकर,नागालैंड(एनएएसी के सा) में अनेक कार्यशालाएं, विचारगोष्ठियां तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं। 2002-2003 के दौरान यूजीसी द्वारा नागालैंड विश्वविद्यालय को योजनागत और योजनेतर स्कीमों के लिए 20.10 करोड़ रुपये की राशि की प्रदान की गई है।

तेजपुर विश्वविद्यालय

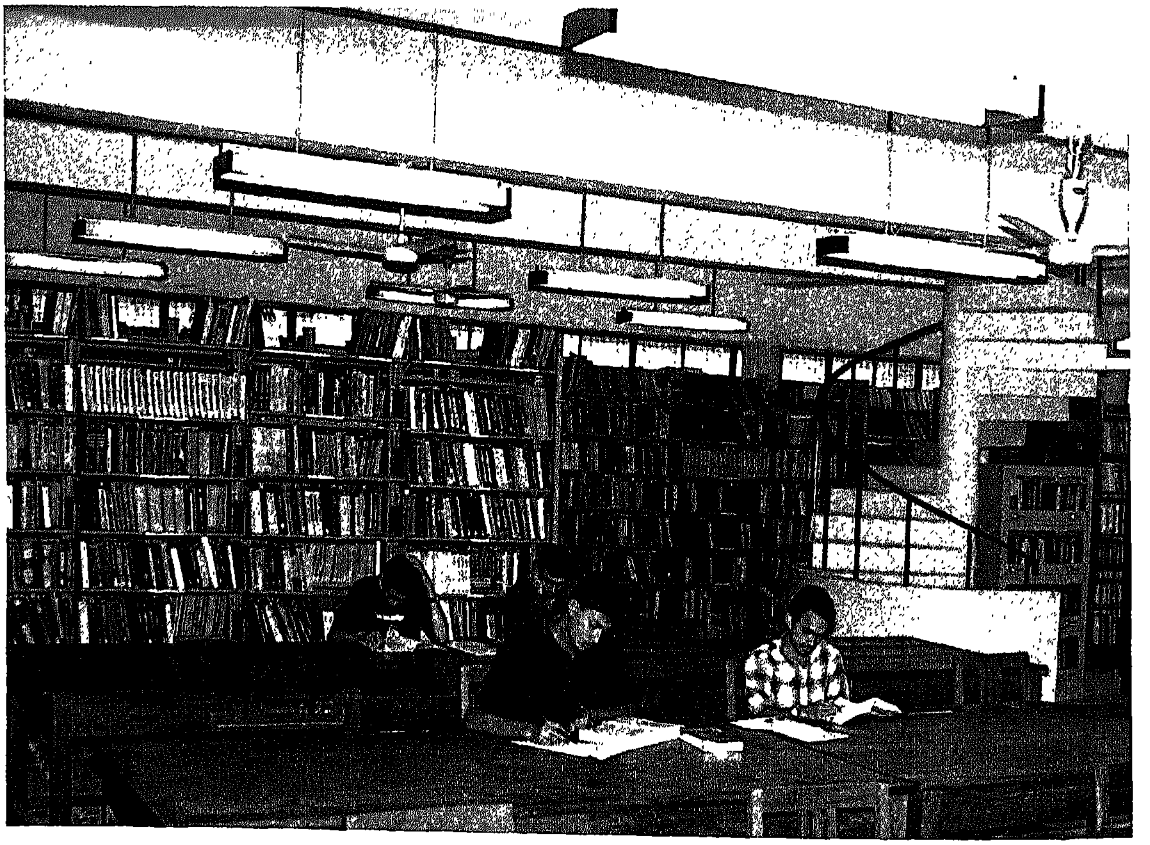
तेजपुर विश्वविद्यालय नामक शिक्षण और आवासीय विश्वविद्यालय जनवरी1994 में नापाम,तेजपुर(असम) में इन उद्देश्यों से स्थापित किया गयाः अधिकांशतः स्नातकोत्तर स्तर पर रोजगारोन्मुखी तथा अन्तःविषय क्षेत्रीय पाठ्यक्रमों की पेशकश करना, असम राज्य की स्थानीय क्षेत्रीय अपेक्षाओं और विकासात्मक मांगों की पूर्ति करना तथा ऐसे क्षेत्रों में पाठ्यक्रम चलाना और शोध को बढ़ावा देना जो कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उभरते क्षेत्रों में इस क्षेत्र के लिए विशेष तथा प्रत्यक्ष रूप से प्रासंगिक हों।

विश्वविद्यालय में 12 विभाग और चार अध्ययन स्कूलों के अधीन 4 अध्ययन केन्द्र हैं। संकाय सदस्यों की मौजूदा संख्या 8115 प्रोफेसर, 17 रीडर तथा 49 लेक्च्चर है, शिक्षणेतर स्टाफ की संख्या 162 है। जहां अध्यापन स्टाफ में अनुसूचित जाति के चार, अनुसूचित जनजाति के दो सदस्य हैं, वहां शिक्षणेतर स्टाफ में एसटी के 9 सदस्य शामिल हैं।

आलोच्य वर्ष में विभिन्न विभागों में चार संकाय सदस्यों की नियुक्ति की गई है। विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में दाखिल छात्रों की संख्या 540 है। विश्वविद्यालय में दाखिल छात्रों में 60 अनुसूचित जाति के तथा 48 अनुसूचित जनजाति के है।

विश्वविद्यालय का पांचवा दीक्षान्त समारोह 16 अक्तूबर 2003 को आयोजित किया गया जिसमें 194 छात्रों को डिग्रियां और डिप्लोमा प्रदान किए गए। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, भारत सरकार के निदेशक डा0 आर. ए. माशेलकर इस अवसर पर मुख्य अतिथि थे।

विश्वविद्यालय पुस्तकालय में इस समय 26,400 पुस्तकें ओर 150 पत्रिकाएं हैं। विश्वविद्यालय को यूजीसी से अनुरक्षण अनुदान के रूप में 354.38 लाख रुपये के अलावा पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास विभाग को केन्द्रीय स्रोतों के असमाप्य संग्रह में से निधियां भी प्राप्त हुई हैं। विश्वविद्यालय ने आलोच्य अवधि के दौरान भौतिक आधारिक तंत्र के विकास के लिए विभिन्न



स्कीमें तथा प्रयोगशालाओं और पुस्तकालयों के स्तरोन्नयन के लिए उपाय किए हैं। संकाय सदस्यों के लिए 38 आवासीय यूनिट भी रहने के लिए तैयार हैं।

हैदराबाद विश्वविद्यालय

हैदराबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1974 में संसद के एक अधिनियम द्वारा की गई थी। यह देश में स्नातकोत्तर अध्यापन और अनुसंधान का मुख्य संस्थान है। विश्वविद्यालय के शैक्षिक कार्यकलाप इसके 8 अध्ययन स्कूलों के माध्यम से किए जाते हैं, जो इस प्रकार हैः गणित और कम्प्यूटर/ सूचना विज्ञान स्कूल,मानवीकी स्कूल, सामाजिक विज्ञान स्कूल,कलाओं, ललित कलाओं और संचार का एसएन स्कूल प्रबन्ध अध्ययन स्कूल।

वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिल छात्रों की संख्या 2385 थी। विश्वविद्यालयों में दाखिल लड़कियों की संख्या 775 (32.5 प्रतिशत) थी। वर्ष के दौरान 245 छात्रों ने शोध डिग्रियों के लिए अर्हता प्राप्त की जिनमें पीएच.डी. के लिए, 65 एम.फिल के लिए 128, एम.टेक. डिग्री के लिए 52 छात्र शामिल हैं। इनके अलावा, 447 छात्रों ने विभिन्न विषयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए अर्हता प्राप्त की। विश्वविद्यालय के 222 छात्रों को यूजीसी तथा सीएसआईआर अध्येयता वृत्तियां प्राप्त हुई।

आलोच्य वर्ष में विश्वविद्यालय में संकाय क्षमता 237 थी जिसमें 96 प्रोफेसर, 76 रीडर और 65 लेक्चरर हैं। वर्ष के दौरान विभिन्न विषय -क्षेत्रों में अनेक राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठियां, विचारगोष्ठियां और कार्यशालाओं का सफल आयोजन किय गया। अनेक विख्यात विद्वान विश्वविद्यालय में आए और उन्होंने भाषण दिए तथा विश्वविद्यालय संकाय के साथ वैचारिक आदान-प्रदान किया। विश्वविद्यालय के संकायों द्वारा 600 से अधिक शोध प्रकाशन निकाले गए जिनमें राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति की विभिन्न पुस्तकें तथा पत्रिकाएं शामिल हैं और इनमें से कई विभिन्न राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय सम्मानों के लिए चुने गए। विश्वविद्यालय के संकाय सदस्यों को यूजीसी, सीएसआईआर. आईसीएमआरडीएई, डीबीटी आदि से 29.58 करोड़ रुपए के परिव्यय सहित अनुसंधान परियोजनाएं प्राप्त हुई। इसके अलावा, विभिन्न सरकारी और निजी उद्यमों से 1.47 करोड़ रुपए मूल्य की 26 परामर्शी परियोजनाएं प्रापत कीं।

वर्ष 2002-03 के दौरान विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से योजनागत/ योजनेतर शीर्ष के अधीन 39.30 करोड़ रुपये का अनुदान प्राप्त हुआ।



हैदराबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1974 में संसद के एक अधिनियम द्वारा की गई थी। यह देश में स्नातकोत्तर अध्यापन और अनुसंधान का मुख्य संस्थान है। विश्वविद्यालय के शैक्षिक कार्यकलाप इसके 8 अध्ययन स्कूलों के माध्यम से किए जाते हैं।

पूवोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय

पूवोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय (एनईएचयू) की स्थापना इन उद्देश्यों से की गई थीः अध्ययन के जिन क्षेत्रों में उचित समझा जाए, उनमें अनुदेशात्मक और अनुसंधान सुविधाएं उपलब्ध कराके ज्ञान का प्रसार तथा उन्नित करना; पूर्वोत्तर क्षेत्र के पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों की विशेष रूप से उनके बौद्धिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक उन्नति में, उनकी समाजार्थिक स्थितियों में सुधार लाना। विश्वविद्यालय के मौजूदा कार्य क्षेत्र का विस्तार केवल मेघालय राज्य तक है केवल शिलांग तथा टूरा में स्थित दो परिसर मौजूद हैं।

नेहू एक स्नातकोत्तर शिक्षण विश्वविद्यालय है जिसमें 24 विभाग तथा 6 स्कूलों के अधीन 4 अध्ययन केन्द्र है। छः स्कूल इस प्रकार हैः अर्थशास्त्र स्कूल, प्रबन्ध और सूचना विज्ञान स्कूल, मानव और पर्यावरणात्मक विज्ञान स्कूल, जीवन विज्ञान स्कूल, भौतिक विज्ञान स्कूल और सामाजिक विज्ञान स्कूल। वर्ष 2002-03 के दौरान स्नाकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिल छात्रों की संख्या 1390 थी जिसमें से 742 महिलाएं थी। विश्वविद्यालय की संकाय संख्या 242 है वर्ष 2002-03 में छात्रों ने पीएच.डी. की डिग्री और 14 छात्रों ने एम.फिल की डिग्री प्राप्त की। 517 छात्रों ने स्नातकोत्तर परीक्षा पास की। स्नातकपूर्व स्तर पर विश्वविद्यालयच के साथ 51 कालेज सम्बद्ध हैं। विश्वविद्यालय में स्नातकपूर्व स्तर पर दाखिल छात्रों की संख्या 19,339 थी जिसमें से 9860 महिलाएं थी।

वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय के संकाय सदस्यों को विभिन्न राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय ने विभिन्न संगोष्ठिया/कार्यशालाएं आयोजित की। इनमें अन्य के अलावा निम्न विषयो पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठियां हैं पूर्वोत्तर के इतिहास और सभ्यता में गारो; पर्वतों का स्थान, 'शिक्षाशास्त्र और ज्ञानमीमांसा,' 'शिक्षा के भारतीय दर्शनशास्त्र मे परिप्रेक्ष्य', लोकतंत्र, बहुलवाद और संघर्ष ' आदि।

विश्वविद्यालय का 12वां दीक्षान्त समारोह 5 अप्रैल 2002 को आयोजित किया गया। भारत के भूतपूर्व उपराष्ट्रपति तथा विश्वविद्यालय के कुलपति स्वर्गीय श्री कृष्ण कान्त ने दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता की। 2002-03 के दौरान विश्वविद्यालय को योजनागत/योजनेतर के अधीन यूजीसी से 40.35 करोड़ रुपये का अनुदान प्राप्त हुआ।

नेहू को वर्ष 2000 में अपने शिलांग परिसर के आधारिक तंत्र के लिए असमाप्य केन्द्रीय संसाधनों के अधीन 600 लाख रूपए की राशि प्रदान की गई। विश्वविद्यालय ने इस निधि में से आधारिक तंत्र के विकास के लिए अनेक निर्माण क्रियाकलाप पहले ही शुरू कर दिए हैं। विश्वविद्यालय को सितम्बर 2001 तक यूजीसी तथा अन्य स्रोतों से योजनेतर शीर्ष के अधीन 1153.87 लाख रुपये की प्राप्ति हुई। सितम्बर 2002 तक वास्तविक योजनेतर व्यय 1562.12 लाख रुपए था।

11

तकनीकी शिक्षा



तकनीकी शिक्षा कोटि सुधार कार्यक्रम टीईक्यूआईपी का उद्देश्य, तकनीकी शिक्षा की कोटि सुधारने में भारत सरकार के चालू प्रयासों में तेजी लाना तथा उन्हें समर्थित करना है। कार्यक्रम को मार्च 2003 से, एक केन्द्र-समन्वित बहु-स्तरीय दीर्घावधिक कार्यक्रम के रूप में कार्यान्वित किया गया है।

देश में तकनीकी शिक्षा पद्धति के अन्तर्गत, इंजीनियरी, प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, वास्तुकला, नगर आयोजना, फार्मेसी, प्रयुक्त कलाओं और शिल्पकलाओं में पाठ्यक्रम और कार्यक्रम सम्मिलित हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रलाय, अवरस्नातक, स्नातकोत्तर और अनुसंधान स्तरों पर कार्यक्रमों की आवश्यकताओं की पूर्तित करता है।

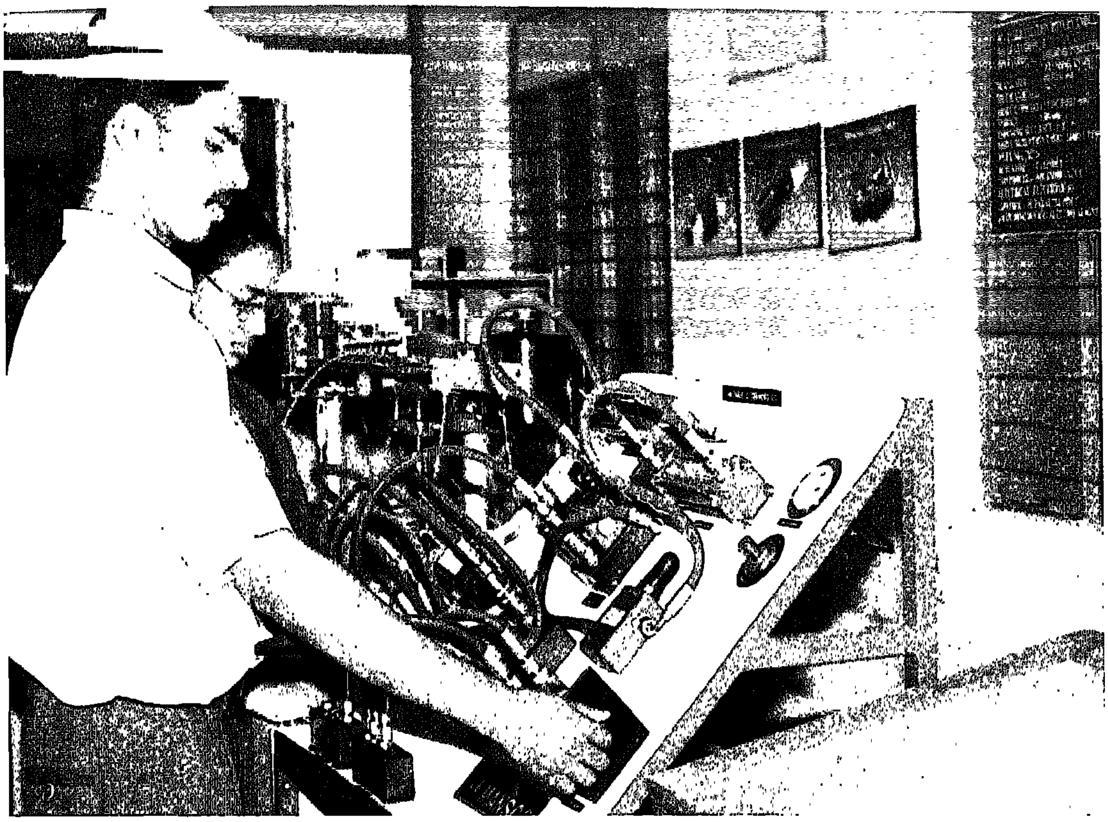
केन्द्रीय स्तर पर तकनीकी शिक्षा पद्धति के अन्तर्गत अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एआईसीटीई, जो तकनीकी शिक्षा पद्धति के समुचित आयोजन और समन्वित विकास हेतु एक सांविधिक निकाय है सात भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी, जो राष्ट्रीय महत्व के संस्थान हैं छ भारतीय प्रबंध संस्थान आईआईएम पांच समझे जा सकने वाले विश्वविद्यालय, नामत भारतीय विज्ञान संस्थान आईआईएससी, बंगलौर, भारतीय खान स्कूल आईएसएम, धनबाद,आयोजना और वास्तुकला स्कूल एसपीए, नई दिल्ली, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंध संस्थान आईआईआईटीएम, ग्वालियर और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईआईटी, इलाहाबाद 17 राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान एनआईटी केन्द्रीय क्षेत्रक में अन्य तकनीकी संस्थान, जैसे कि राष्ट्रीय गढ़ाई और ढलाई प्रौद्योगिकी संस्थान एनआईएफएफटी, रांची, राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी संस्थान एनआईटीआईई, मुम्बई, संत लोंगोवाल इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी संस्थान एसएलआईईटी, लोंगोवाल, पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान एनईआरआईएसटी, ईटानगर 4 राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान, एनआईटीटीटीआर और 4 प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, बीओएटी। केन्द्रीय स्तर पर अन्य स्कीमों में सम्मिलित हैं प्रशिक्षुता प्रशिक्षण कार्यक्रम छात्रवृत्तियां तथा वृत्तिकाएं तकनीकी शिक्षा के लिए विश्वविद्यालयों को सहायता समुदाय पालिटेक्निक पालिटेक्निक शिक्षा के सुधार के लिए विश्व बैंक परियोजना, भार सरकार का तकनीकी शिक्षा कोटि सुधार कार्यक्रम टीईक्यूआईपी, विकलांग व्यक्तियों के लिए पालिटेक्निक व्यावसायिक और विशेष सेवाओं के लिए अदायगी केन्द्रीय संस्थानों को सीधी केन्द्रीय सहायता, यथा अनुसंधान और विकास, आधुनिकीकरण और इंजीनियरी प्रयोगशालाओं और कार्यशालाओं की पुरातनता दूर करना और तकनीकी शिक्षा के प्राथमिकतापूर्ण क्षेत्र सूचना प्रौद्योगिकी में मानव संसाधन विकास दूरस्थ तथा वेब-आधारित शिक्षा के लिए सहायता भूकम्प इंजीनियरी शिक्षा हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम एनपीईईई, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के लिए भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय आईएनडीएलएसटी संघ एशियाई प्रौद्योगिकी संस्थान, बैंकाक विदेशी प्रतिनिधियों और विदेशी विशेषज्ञों पर खर्च प्रौद्योगिकी विकास मिशन मंत्रालय की तकनीकी शिक्षा पद्धति के अन्तर्गत एक सरकारी क्षेत्रक उपक्रम, नामतः एजुकोश्नल कन्सल्टेन्ट्स इण्डिया लि. (एड.सिल) भी है।

आलोच्य वर्ष के दौरान, मुख्य रूप से निजी पहलों को जुटाकर, एआईसीटीई के अनुमोदन से, देश भर में बड़ी संख्या में इंजीनियरी कालेज व अन्य तकनीकी संस्थान स्थापित किए गए। विगत की भांति राष्ट्रीय महत्व/उत्कृष्टता के संस्थानों, जैसे की आईआईटी, आईआईएम, आईआईएससी व अन्य केन्द्रीय संस्थानों, नामत आईएसएम, एसपीए, आईआईआईटीएम, आईआईआईटी, एनआईएफएफटी, एनआईटीआईई, टीटीटीआई, एनईआरआईएसटी, एसएलआईईटी, इत्यादि ने तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में उच्च कोटि की प्रशिक्षण जनशक्ति उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शिक्षण सामग्री की व्यवस्था की। आईआईटी रुड़की और आईआईएम, कजीकोड़े तथा इन्दोर को पूर्ण रूप से कामकाजी बना दिया गया है।

समुदाय पालिटेक्निक स्कीम ने, तकनीकी शिक्षा में हुई तकनीकी-आर्थिक उन्नति और समुचित प्रौद्योगिकियों को ग्रामीण लोगों तक हस्तान्तरित करके, पर्याप्त रूप में योगदान करना जारी रखा। विकलांग व्यक्तियों के लिए पालीटेक्निकों की स्थापना आलोच्य वर्ष दौरान महत्वपूर्ण कार्य था। आधुनिकीकरण और पुरातनता को दूर करने, अनुसंधान तथा विकास और तकनीकी शिक्षा में प्राथमिकतापूर्ण क्षेत्रों की स्कीमों के अन्तर्गत बड़ी संख्या में केन्द्रीय तकनीकी संस्थान प्रयोगशालाओं सहित उनकी आधारभूत सुविधाओं के उन्नयन और उनके आर एण्ड डी विकास द्वारा लाभान्वित हुए। इंजीनियरों, तकनीशियनों और 1032 व्यावसायिक धारा से पास करने वाले रोजगार के इच्छुक व्यक्तियों को बेहतर रोजगार सम्भावनाएं तलाशने में मदद मिली। राष्ट्रीय महत्व/उत्कृष्टता वाले संस्थानों, जैसे कि आईआईटी, आईआईएम, आईआईएससी, एनआईटी आदि में उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ और समेकित करने पर अधिक बल दिया गया।

देश के अधिकांश भाग की उच्च भूकम्पनीयता को देखते हुए तथा भूकम्प-रोकी इमारतों पर बल के अभाव में, देश में भूकम्प इंजीनियरी शिक्षा पर अधिक बल देने के लिए भूकम्प इंजीनियरी शिक्षा हेतु एक राष्ट्रीय कार्यक्रम एनपीईईई शुरू किया गया है।

उच्च विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी शिक्षा में अनुसंधान उत्पादकता



में संवृद्धि करने तथा इन संस्थानों में शिक्षा की कोटि सुधारने के लिए, इलेक्ट्रानिक पत्रिकाओं और डाटाबेसों की सुलभता सभी केन्द्रीय तकनीकी संस्थानों को उपलब्ध कराई जा रही है। इस संघ के तहत अन्य संस्थान शामिल हो सकते हैं तथा निम्न-मार्जिनल लागतों से लाभान्वित हो सकते हैं।

अध्ययन कारगरता में वृद्धि करने और उच्च कोटि शिक्षा की उपलब्धता में सुधार करने के लिए नई सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों आईसीटी का लाभ प्रदान करने के वास्ते, प्रौद्योगिकी संवर्धित अध्ययन के संबंध में एक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया है। इससे, सतत आधार पर प्रौद्योगिकी चैनल के लिए डिजिटल वीडियो आधारित पाठ्यक्रमों/संवर्धन कार्यक्रमों के रूप में सामग्री सहायता उपलब्ध होगी। इससे सम्पूर्ण तकनीकी शिक्षा पद्धति में अध्ययन कारगरता संवर्धित करने के लिए वेब-आधारित पाठ्यक्रम/कार्यक्रम सृजित करने में भी मदद मिलेगी।

स्नातकोत्तर शिक्षा और इंजीनियरी व प्रौद्योगिकी पर विशेष बल देने के लिए "पालिसी फ्रेमवर्क फार प्रोमोशन आफ पोस्ट-ग्रेजुएट एजुकेशन एण्ड रिसर्च इन इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलोजी" निर्धारित किया गया। शीर्ष निकायों, यूजीसी, एआईसीटीई तथा शिक्षा संस्थानों ने नीतिगत रूपरेखा में निर्धारित नीतियों के कार्यान्वयन की दिशा में उपाय किए हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसरण में तथा आईआईटी की पद्धति पर, अवरस्नातक और स्नातकोत्तर दोनों प्रकार के कार्यक्रमों के लिए क्रेडिट-आधारित सेमेस्टर पद्धति देश में सभी तकनीकी शिक्षा संस्थानों में प्रारम्भ की जा रही है।

आईटी तथा सम्बद्ध क्षेत्रों में कोटि जनशक्ति की उभरती जरूरत को पूरा करने के लिए आवश्यक उपाय किए गए हैं। राष्ट्रीय कार्य दल की सिफारिशों के आधार पर आईटी में एचआरडी का एक राष्ट्रीय कार्यक्रम तैयार किया गया है।

प्रवेश परीक्षाओं में बहुलता के कारण छात्रों पर पड़ने वाले मानसिक और शारीरिक दबाव से बचने के उद्देश्य से, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेशों को चुस्त बनाने के लिए अनुदेश जारी किए।

तकनीकी शिक्षा कोटि सुधार कार्यक्रम टीईक्यूआईपी का उद्देश्य तकनीकी शिक्षा की कोटि सुधारने में भारत सरकार के चालू प्रयासों को उन्नत और समर्थित करना है। कार्यक्रम को मार्च 2003 से एक केन्द्र समन्वित बहु राज्य दीर्घावधि कार्यक्रम के रूप में इस कार्यक्रम को कार्यान्वित किया गया है। कुछ चरण दोहरे हो सकते हैं जिनमें सुनिष्पादन करने वाले संस्थानों के चयन के दो अथवा तीन चक्र हो सकते हैं। प्रथम चक्र के लिए छ राज्य यथा हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश को कार्यक्रम में भाग लेने के लिए चुना गया है। पहले चरण के दौरान सत्तर से अस्सी तक इंजीनियरी संस्थानों को जिनमें 18 प्रमुख संस्थान शामिल हैं, वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

कनाडा और भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से समर्थित कनाडा, भारत संस्थान उद्योग संयोजन परियोजना सीआईआईआईएलपीङ नामक एक द्विपक्षीय तकनीकी शिक्षा परियोजना कार्यान्वित की जा रही है। परियोजना के अंतर्गत पांच राज्यों, यथा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात और छत्तीसगढ़ में विनिर्धारित पालीटेक्निकों और इंजीनियरी कालेजों में संधारणीय और अनुकरणीय उद्योग संस्थान संयोजन माडल विकसित करने पर बल दिया जाता है। परिकल्पना की गई है कि परियोजना से तकनीकी शिक्षा पद्धति की कार्यकुशलता और कारगरता में वृद्धि करके समाजार्थिक परिवेश को और अधिक प्रतिक्रियाशील बनाने में भारत सरकार के प्रयासों को पूरकता प्राप्त होगी।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी)

खड़गपुर, मुंबई, चेन्नई, कानपुर, दिल्ली और गुवाहाटी में स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी, प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम 1961 के अधीन राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के रूप में स्थापित किए गए थे। रुड़की विश्वविद्यालय को भी आईआईटी का दर्जा दे दिया गया है और उसे समग्र आईआईटी प्रणाली का एक अंग बना दिया गया है। इनका प्रमुख उद्देश्य था इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी में विश्व स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान करना, प्रासंगिक क्षेत्र में अनुसंधान करना और अधिगम में उन्नति तथा ज्ञान का प्रसार करना।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान निम्नलिखित कार्यक्रमों की पेशकश करते हैं इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी की विभिन्न शाखाओं में स्नातकपूर्व कार्यक्रम विभिन्न इंजीनियरी और विज्ञान विषयों, अन्तरविषयक क्षेत्रों में विशेषज्ञता सहित स्नातकोत्तर और पीएचडी कार्यक्रम तथा वुनियादी अनुप्रयुक्त और प्रायोजित अनुसंधान। इस समय आईआईटी, बीटेक, एमएससी, एमडीईएस, एमफिल, एमटेक तथा पीएचडी डिग्री प्रदान करते हैं। आईआईटी, शिक्षण में उच्च स्तरीय गुणवत्ता बनाए रखे हुए हैं और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के शोध कार्य में लगे हैं। यह संस्थान उद्योग की उभरती हुई प्रवृत्तियों के अनुरूप सतत रूप से पाठ्यचर्या का मूल्यांकन और संशोधन करते रहते हैं।

देश में उच्च तकनीकी शिक्षा प्रणाली में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह संस्थान निम्नलिखितों के लिए जिम्मेदार हैं

- देश की जरूरतों को पूरा करने के लिए संगत उच्चस्तरीय तकनीकी जनशक्ति का निर्माण करना।
- सूचना प्रौद्योगिकी और संबद्ध क्षेत्रों में उच्चस्तरीय जनशक्ति की बढ़ती हुई मांग की पूर्ति करना आईआईटी उभरते क्षेत्रों में छात्रों की प्रवेश क्षमता में वृद्धि कर रहे हैं।
- अनुसंधान विकास और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक परिवेश कायम करना।
- उद्योग-संस्थान में सशक्त तालमेल सुनिश्चित करना।
- भारतीय उद्योग की बढ़ती हुई मांगों की पूर्ति करना जिसके निमित्त पांचवर्षीय दोहरे डिग्री कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।
- विशेष रूप से प्रौद्योगिकी विकास मिशनों के माध्यम से प्रायोजित अनुसंधान परियोजनाओं और परामर्श कार्यों में किए जा रहे क्रियाकलापों के स्तरोन्नयन के फलस्वरूप प्रौद्योगिकी का सफल अन्तरण हो गया, पेटेन्ट फाइल कर दिए गए और बहुत सारे उद्योगों के साथ समझौता ज्ञापन एमओयू निष्पादित कर दिए गए।
- गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के माध्यम से अन्य इंजीनियरी कालेजों के संकाय के ज्ञान को अद्यतन बनाने में योगदान देना और शीघ्र संकाय विकास कार्यक्रम ईएफआईपी के अधीन मेजबान संस्थानों के रूप में आईआईटी संगत क्षेत्रों की तकनीकी जरूरतों को पूरा करने के लिए न्यूक्लियस के रूप में कार्य करते हैं।
- सतत शिक्षा कार्यक्रम के माध्यम से उद्योग में कार्यकारी व्यावसायिकों के जनाधार और कौशलों को सतत रूप से अद्यतन बनाना तथा संस्थान और उद्योग के बीच तालमेल को बढ़ावा देना।

हाल ही के वर्षों में विशेष रूप से सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्तम स्तरीय तकनीकी जनशक्ति की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए छात्रों की प्रवेश क्षमता में अत्यधिक वृद्धि हुई है। पिछले 7-8 वर्षों के दौरान आईआईटी के छात्रों की संख्या में 50 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है। कम्प्यूटरीकरण और नेटवर्क निर्माण सुविधाओं का स्तरोन्नयन किया गया है। इलैक्ट्रानिक क्लासरूमों और वीडियो-कान्फ्रेन्सिंग सुविधाओं का अधिकाधिक उपयोग किया जा रहा है। आईआईटी की अध्यापन-अधिगम प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी का अधिक प्रयोग किया जा रहा है जिसके फलस्वरूप शिक्षा-शास्त्र में बदलाव आया है।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान देश की तकनीकी-आर्थिक क्षमता और प्रौद्योगिकी आत्मनिर्भरता के संवर्द्धन में प्रभावी सिद्ध हुए हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों ने अपने शैक्षिक क्रियाकलापों और अनुसंधान कार्यक्रमों की उत्कृष्टता के बल पर अपनी अलग पहचान बना ली है। ऐसे अन्य क्षेत्र, जिनमें आईआईटी ने महत्वपूर्ण योगदान किया है, निम्न प्रकार हैं सरकारी और निजी क्षेत्र में विभिन्न वित्तपोषण एजेन्सियों द्वारा प्रायोजित अनुसंधान, औद्योगिक परामर्श तथा सतत शिक्षा कार्यक्रम।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान देश की तकनीकी-आर्थिक क्षमता और प्रौद्योगिकी आत्मनिर्भरता के संवर्द्धन में प्रभावी सिद्ध हुए हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों ने अपने शैक्षिक क्रियाकलापों और अनुसंधान कार्यक्रमों की उत्कृष्टता के बल पर अपनी अलग पहचान बना ली है।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुंबई

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई की स्थापना तत्कालीन सोवियत रूस सरकार के सहयोग और भागीदारी से यूनेस्को के तकनीकी सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत की गई थी जो देश में प्रौद्योगिकीय शिक्षा में मार्गदर्शन प्रदान करने, उद्योग के लिए उच्च कोटि की जनशक्ति को प्रशिक्षित करने के लिए देश में स्थापित 7 प्रौद्योगिकी संस्थानों में से एक है और इसका कार्य अधुनातम प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग को प्रोत्साहित करना है।

"नए विचारों की अग्रिम श्रेणी और प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान में नूतनताओं" और "एक ऐसा परिवेश कायम करने के लिए जिनमें नए विचार अनुसंधान और विद्वत्ता फलेफूले और जिसमें भावी मार्गदर्शक और नेता तैयार हो सकें" नामक मिशन के अपने उद्देश्य की दिशा में आगे बढ़ते हुए संस्थानों के फलस्वरूप अवर स्नातक और स्नातकोत्तर स्तरों पर अनुसंधानोन्मुखी शिक्षा पर अपने बल में अधिक वृद्धि हुई है। परियोजनाओं की कुल संख्या में तथा निधियों के प्रवाह में पिछले वर्षों में सतत वृद्धि हो रही है।विश्व अर्थव्यवस्था में लगातार मंदी के बावजूद संस्थान को अपने भूतपूर्व छात्रों और शुभचिन्तकों से उल्लेखनीय सहायता प्राप्त हुई और इसने आधारभूत ढांचे, नई प्रयोगशालाओं, उत्कृष्टता पुरस्कारों के लिए धर्मादाओं, छात्रवृत्तियों, यात्रा अध्येतावृत्तियों, संकाय विकास निधि, अनुसंधान उत्कृष्टता पुरस्कारों आदि के लिए एक बड़ी सहायता जुटाई।

राष्ट्रीय अकांक्षाओं और आशाओं को ध्यान में रखते हुए इसने पिछले पांच वर्षों के दौरान छात्रों की संख्या में काफी वृद्धि की। छात्रों की कुल संख्या बढ़कर 4619 तक पहुंच गई है। अनुसंधान पर अधिक बल देने की वजह से यूजी से पीजी छात्र अनुपात में अनुकूल रूप से वृद्धि हुई है जो इस समय लगभग 11.6 है। वसंत सेमेस्टर में 62 नए छात्रों ने पीएचडी कार्यक्रमों में प्रवेश लिया।

विद्यमान कार्यक्रमों में बड़े परिवर्तन, नई विशेषज्ञताएं और अन्तर-विषयक इनपुटों के साथ कार्यक्रम आईआईटी मुंबई की एक सामान्य विशेषता है। अनुसंधान आयोजित करने के लिए छात्रों को अधिक अवसर, उन्हें व्यवसाय अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के फलस्वरूप इस नीति के अनुसरण में हाल ही में नई पहल हुई है। इस वर्ष कार्यान्वित और स्नातक अनुसंधान अवसर कार्यक्रम यूआरओपी के अंतर्गत अवर स्नातक छात्रों को अपने शैक्षिक जीवन में जल्द ही अनुसंधान कार्य करने का अवसर प्राप्त होता है।

संस्थान ने विदेशी एजेंसियो के साथ 7 सहमति ज्ञापनों और भारत के अंदर 21 संस्थानों के साथ सहमति ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं जिनमें से एक गोवा विश्वविद्यालय में दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के लिए आधारभूत और शैक्षिक सहायता प्रदान करने के वास्ते गोवा विश्वविद्यालय के साथ किया गया एक सहमति ज्ञापन शामिल है।

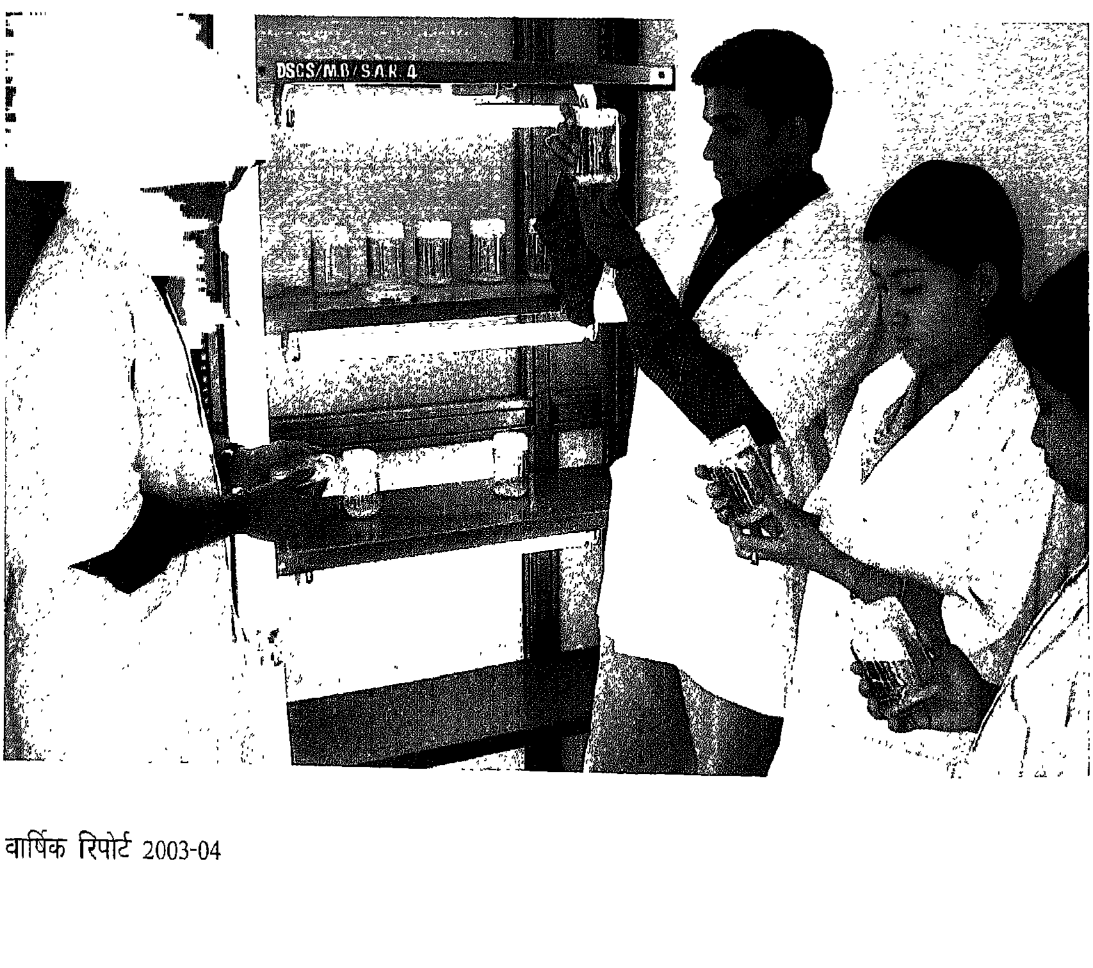
संस्थान अपने प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रमों को जारी रखे हुए है जिनमें से कुछ निम्न प्रकार हैं

- एटीएम बाड़े का डिजाइन। इसमें अनेक क्रांतिकारी डिजाइन तत्व शामिल हैं जिनकी जड़ें भारतीय संस्कृति में जमी हैं। इनका बड़ी संख्या में निर्माण करने के लिए इन्हें एक बाहरी एजेंसी को सौंपा जा रहा है।
- आप्टीएलओएम, जो एक सम्वर्द्धित तीव्र प्रोटोटाइपिंग साफ्टवेयर है जिसका उद्देश्य सस्ते और मजबूत प्रोटोटाइप तैयार करना है, डायमलेर क्रिसलर एजी जर्मनी के सहयोग से विकास किया गया था और उसे ओटोमोबाइल उद्योग में उपयोगार्थ आईटी तीव्र प्रोटोटाइपिंग पैकेज मैजिक्स 8.0 के आप्शनल माड्यूल के रूप में मैटीरियलाइज आफ बेल्जियम द्वारा बेचा जा रहा है।
- सेन्ट्रल चिलर्स और रेफ्रीजरेशन पद्धतियों से ऊष्मा प्राप्त करने के लिए सुपरहिट रिकवरी वाटर हीटर विकसित किया गया और वाणिज्य दोहन हेतु स्थानान्तरित किया गया।

संस्थान में दूरस्थ इंजीनियरी शिक्षा कार्यक्रम केन्द्र, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा सीडीईईपी प्रायोजित प्रौद्योगिकी संवर्द्धित अधिगम संबंधी राष्ट्रीय परियोजना एनपी-टीईएल में लगा है।

आईआईटी मुंबई और खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग केवीआईसी फिलहाल परस्पर हित की अनेक समस्याओं पर एक साथ कार्य कर रहे हैं ताकि ग्रामीण क्षेत्रक में रोजगार सृजन में मदद मिल सके। इसका उद्देश्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी इनपुटों को उत्पादक कार्यकलापों में अधिक मात्रा में जिनसे ग्रामीण लोगों की क्षमताओं और स्थानीय संसाधनों का उपयोग हो सके।

हाल ही में संस्थान ने व्हील चेयरों के लिए एक नया डिजाइन तैयार किया गया है। एक नवविकसित व्हील चेयर "एसेंडर" नाम से तैयार की गई है जिसमें उपयोगकर्ता के लिए प्रचालन की अधिक आजादी और आत्मनिर्भरता की व्यवस्था है। नए



डिजाइन के फलस्वरूप परंपरागत डिजाइन के मुकाबले में व्हील चेयर से चढ़ने और उतरने वाले व्यक्ति को आसानी होती है। एसेंडर से मुड़ने और आसानी से चढ़ने की भी सुविधा है।

इस अवधि के दौरान 15 भारतीय पेटेंटों, 2 ट्रेडमार्कों/सर्विस मार्कों, 5 डिजाइन पंजीकरणों, 2 यूएस पेटेंटों और 4 पीसीटी के लिए आवेदन पत्र फाइल किए गए।

संस्थान में सतत शिक्षा कार्यक्रम प्रकोष्ठ ने उल्लेखनीय प्रगति की है। इसने दिसम्बर 2003 तक 87 अल्पावधि पाठ्यक्रम आयोजित किए जिनमें विभिन्न संगठनों से 1762 व्यावसायिकों ने भाग लिया और 1.10 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया।

संकाय ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी में देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान किया है। उनमें से अनेक को विभिन्न क्षेत्रों में उनके कार्य/योगदान के लिए सम्मान और पुरस्कार प्रदान किए गए। संस्थान के सात संकाय सदस्यों को विभिन्न राष्ट्रीय अकादमियों के फेलो के रूप में चुना गया और आलोच्य अवधि के दौरान व्यावसायिक सोसाइटियों द्वारा 38 उल्लेखनीय पुरस्कार प्रदान किए गए। संस्थान ने 61 नए संकाय सदस्य भी नियुक्त किए।

1200 छात्रों की जरूरतें पूरी करने के लिए कुल 1064 कमरों और 1 भोजनालय के साथ 2 एक समान उच्च कोटि के छात्र होस्टल होस्टल 12 और 13 जुलाई 2003 में चालू किये जाने के फलस्वरूप छात्रों के वास्ते होस्टल आवास की कमी पूरी हो गई। एक 16 मंजिले संकाय आवास स्थल का भूमि पूजन 2 अप्रेल 2003 को किया गया। अनेक प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने के लिए संस्थान के नवीन व्याख्यान कक्ष परिसर-शहर-नूतन केन्द्र का भूमि पूजन भी अकादमिक क्षेत्र में 14 अप्रेल 2003 को किया गया।

अधिशासन की एक विकेन्द्रीकृत प्रणाली कायम करने की दिशा में डीन स्तर पर दो पद कायम किए गए-डीन संकाय-संकाय संबद्ध मुद्दों का समाधान करने और एक संकेन्द्रित ढंग से संकाय के संसाधन विकसित करने के लिए तथा डीन छात्र और अन्तर्राष्ट्रीय संबंध-छात्र मामलों पर अधिक ध्यान देने के लिए तथा विदेशी भागीदार विश्वविद्यालयों और एजेंसियों के साथ तालमेल सुदृढ़ करने के वास्ते।

कार्मिक विकास और प्रशिक्षण प्रकोष्ठ के तहत 36 प्रशिक्षण कार्यक्रम इस अवधि के दौरान आयोजित किए गए तथा 307 कर्मचारियों ने इनमें भाग लिया। कम्प्यूटरीकृत कर्मचारी सूचना पद्धति, जो लेन के माध्यम से उपलब्ध होगी, तैयार की जा रही है। सरकार की ईआरसी सिफारिशों के अनुसार संस्थान में स्टाफ की संख्या कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

इस वर्ष आईआईटी मुंबई ने दिसम्बर 2003 में अन्तर आईआईटी खेलकूद प्रतियोगिता की मेजबानी की जिसके लिए टेनिस कोर्टों, बास्केटबाल कोर्टों व अन्य जीमखाना सुविधाओं का पर्याप्त रूप में उन्नयन किया गया। इसके साथ ही दिसम्बर 2003 में "मूड इण्डिगो" एक सर्वाधिक लोकप्रिय सांस्कृतिक उत्सव देशभर के 7000 से अधिक छात्रों की भागीदारी से आयोजित किया गया। उद्यमशीलता प्रकोष्ठ और शैलेश जे. मेहता प्रबंधन स्कूल, आईआईटी मुंबई, ने नवम्बर 2003 में "एवेन्यूज" नामक एक व्यवसाय उत्सव आयोजित किया। यह उत्सव देश में एक अनूठे व्यवसाय उत्सव के रूप में माना जाने लगा है। 50 से अधिक कालेजों के प्रतिनिधियों ने, जिनमें आईआईटी और आईआईएम शामिल हैं, विभिन्न प्रतियोगिताओं में पुरस्कारों हेतु भाग लिया।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली

1961 में एक इंजीनियरी कालेज के रूप में स्थापित इस संस्थान को "प्रौद्योगिकी संस्थान संशोधन अधिनियम 1961" के अधीन राष्ट्रीय महत्व के एक संस्थान के रूप में घोषित किया गया और 1963 में इसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली का नाम दिया गया।

यह संस्थान विज्ञान और इंजीनियरी विषयों में स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर दोनों स्तरों के अनेक शैक्षणिक कार्यक्रमों का आयोजन करता है जिनमें शामिल हैं इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी के 9 विषय क्षेत्रों में एक चार वर्षीय बीटेक कार्यक्रम, पांच क्षेत्रों में पांच वर्षीय दोहरा डिग्री कार्यक्रम, पांच वर्षीय एकीकृत एमटेक कार्यक्रम, तीन विषयों में दो वर्षीय एमएससी कार्यक्रम, इंजीनियरी प्रौद्योगिकी, प्रबंध, मानविकीय और समाज विज्ञानों में 36 एमटेक कार्यक्रम, औद्योगिक डिजाइन में दो वर्षीय एम. डेस. कार्यक्रम, 2 एमबीए कार्यक्रम, 6 क्षेत्रों में एमएस अनुसंधान कार्यक्रम।

संस्थान अपने 13 विभागों और 9 अनुसंधान केन्द्रों में डाक्टरल अनुसंधान के लिए भी अवसर प्रदान करता है।

अच्छी कोटि की तकनीकी जनशक्ति मांग को पूरा करने के

संस्था में अनुसंधान कार्यकलापों के स्तर में वृद्वि करने और अनुसंधान अवस्थापना को और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से छात्रों और संकाय सदस्यों को अनेक नए उपस्कर उपलब्ध कराए गए है। एस्क्यूयूआईडीएक सुपरकन्डक्टिंग इन्टरफियरेंस डिटेक्शन नामक एक अनूठी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। अत्यन्त संवेदी यंत्र है जो गौस के एक ट्रिलिओन्थ तक के मेग्नेटिक फील्ड चुम्बकीय क्षेत्र में परिवर्तनों के मामले को मापने में सक्षम है।

लिए संस्थान की योजना अगले कुछ वर्षों में छात्रों की संख्या 5000 तक बढ़ाने की है।

संस्थान, कोटि सुधार कार्यक्रम और सतत शिक्षा कार्यक्रम के माध्यम से उद्योगों और सरकारी एजेंसियों के तकनीकी कार्मिकों व अन्य इंजीनियरी कालेजों के अध्यापकों में जागरूकता बढ़ाने और गुणवत्ता को उन्नत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस अवधि के दौरान संकाय सदस्यों द्वारा अनेक अल्पावधि पाठ्यक्रम आयोजित किए गए। छात्रों को विभिन्न विभागों में मास्टर्स और डाक्टरल कार्यक्रमों में दाखिल किया गया। वित्त मंत्रालय के अधिकारियों, कालेज शिक्षकों और उद्योग से कार्मिकों की आईटी दक्षताओं में वृद्धि करने के उद्देश्य से संस्थान के कम्प्यूटर सेवा केन्द्र ने अनेक पाठ्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

शिक्षण और अकादमिक अनुसंधान के साथ-साथ आईआईटी दिल्ली अनुसंधान और विकास कार्यकलापों पर अधिक बल देता है।

संस्थान, राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेता है। इस समय अनेक सहयोग कार्यक्रम चल रहे हैं। इस वर्ष संस्थान ने देश/विदेश में संस्थानों/उद्योगों के साथ अनेक सहमति ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर

जीव विज्ञानों और जैव इंजीनियरी के उभरते विषयों के लिए नई सुविधा की शुरूआत करना आईआईटी कानपुर के एक महत्वपूर्ण घटना रही। इस सुविधा के अंतर्गत 16 अनुसंधान प्रयोगशालाएं, 2 शिक्षण प्रयोगशालाएं, 2 क्लासरूम, 1 व्याख्यान थियेटर और 1 पुस्तकालय कक्ष है। इस सुविधा के अंतर्गत जीव वैज्ञानिक विज्ञानों और जैव इंजीनियरी के क्षेत्रो में अनुसंधान और शिक्षण के लिए आवश्यक अधुनातम उपस्कर की भी व्यवस्था है। संस्थान ने इन विषयों में एमटेक और पीएचडी कार्यक्रम शुरू किए हैं और उम्मीद है कि जुलाई 2004 से बीटेक कार्यक्रम शुरू हो जाएगा।

संस्थान, एमटेक और साथ ही पीएचडी लेवल स्तर पर स्नातकोत्तर छात्रों का दाखिला बढ़ाने में समर्थ हुआ है। भौतिकी विभाग में एक नया दोहरा डिग्री कार्यक्रम एमएससी, पीएचडी शुरू किया गया है। डिजाइन कार्यक्रम मास्टर नामक एक नया शैक्षिक कार्यक्रम भी सफलतापूर्वक शुरू किया गया। इस समय छात्रों की कुल संख्या 3500 से अधिक है और स्टाफ सदस्यों की संख्या 350 के लगभग है। संस्थान ने भूकम्प इंजीनियरी, हेलीकाप्टर प्रौद्योगिकी और ऐरोस्पेस विनिर्माण के क्षेत्रों में एक सेमेस्टर स्नातकोत्तर प्रमाणन कार्यक्रम तैयार किया है। यह पाठ्यक्रम, ऐरोस्पेस उद्योगों के इंजीनियरों और प्रबंधकों, रक्षा सेनाओं और तटगार्डों के अधिकारियों और इंजीनियरी कालेजों के अध्यापकों को भी प्रदान किए जाते हैं। संस्थान ने भूकम्प इंजीनियरी शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम का समन्वय कार्य भी शुरू किया है।

संस्थान ,दूरदर्शन, उपग्रह और इन्टरनेट प्रौद्योगिकी जैसे संचार के आधुनिक साधनों का उपयोग करते हुए दूरस्थ शिक्षा ढाँचा विकसित करने पर सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य के लिए, उपग्रह प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए, बुनियादी इंजीनियरी पाठ्यक्रम के शिक्षण के लिए एक शैक्षिक कार्यक्रम शुरू किया गया है। परिसर में एक इलेक्ट्रानिक क्लासरूम खोला गया है। इन्टरनेट यूनिकास्ट और मल्टीकास्ट प्रौद्योगिकियों के संबंध में प्रयोग किए गए हैं। संस्थान, भारत, फ्रेंच साइबर यूनिवर्सिटी के लिए बुनियादी ढॉचे और शैक्षिक सामग्री का विकास करने में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है।

उम्मीद है कि इन सभी प्रयासों में एक आउटरीच शिक्षा कार्यक्रम उपलब्ध होगा।

आई.आई.टी. कानपुर ने, एनेस्थेसिआ की गहनता को मापने के लिए एक एनेस्थेसिआ मानिटर का विकास किया है। यह यंत्र, चेतना के स्तर और समग्र मांसपेशी शिथिलता के संबंध में एनेस्थेसिआ की हल्की खुराक के प्रभाव का पता लगाने में समर्थ है। आई.आई.टी. कानपुर एसजीपीजीआई, लखनऊ सहयोग परियोजना के अन्तर्गत, टिशु कन्ट्रास्ट सुधारने, शोर कम करने और मेगनेटिक रिसोनेन्स इमेजिज के डी-बलरिंग हेतु उन्नत अंकीय प्रसंस्करण स्कीम का एक सैट विकसित किया गया है। शल्य चिकित्सा के दौरान एनेस्थेटिस्ट की सहायतार्थ एक रोबोटिक यंत्र भी विकसित किया गया है।

समतल ग्रुप आफ इन्डस्ट्रीज और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से वितपोषित परियोजना के अन्तर्गत, हरी और लाल प्रकाश छोड़ने वाले डिओड्स के विनिर्माण के लिए दो किस्म के पोलीमेरों का सफलतापूर्वक विकास किया गया है। इन यंत्रों के निष्पादन में और सुधार करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। रासायनिक इंजीनियरी विभाग ने व्यापक रूप से प्रयुक्त प्लास्टिकों और प्राकृतिक गैस में पाए जाने वाले पेट्रोरसायनों के संबंध में प्रीकर्सरों को निकालने के लिए एक नवीन प्रक्रिया विकसित की है।

संस्था में अनुसंधान कार्यकलापों के स्तर में वृद्धि करने और अनुसंधान अवस्थापना को और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से छात्रों और संकाय सदस्यों को अनेक नए उपस्कर उपलब्ध कराए गए है। एसक्यूयूआईडीएक सुपरकान्डक्टिंग इन्टरफियरेंस डिटेक्शन नामक एक अनूठी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। अत्यन्त संवेदी यंत्र है जो गौस के एक ट्रिलिओन्थ तक के मेग्नेटिक फील्ड चुम्बकीय क्षेत्र में परिवर्तनों के मामले को मापने में सक्षम है।

संस्थान ने, एक नया आल-कम्पोजिट, दो सीट वाला, आधुनिक प्रशिक्षक वायुयान हंसा III प्राप्त किया है। यह वायुयान एनएएल, बंगलौर द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। इस वायुयान का उपयोग सर्वेक्षण के क्षेत्र में उन्नत किस्म के प्रयोग करने के लिए किया जाएगा।

संस्थान द्वारा प्राप्त किए गए विशेष यत्रों के अन्य सैट में निम्नलिखित शामिल हैं: एनेलिसिस फीचरों के साथ सज्जित थर्मल ग्राविमीट्रिक विश्लेषण विशेषताएं; एनओजेड तथा आन्तरिक कम्बस्टन इंजिनों के लिए ही टीएचसी एमिशन माप पद्धति; एक्स-रे डिफ्रेक्शन सिस्टम; सर्फेसों के नान-डिस्ट्रक्टिव करेक्टराइजेशन के लिए स्पेक्ट्रोट्रपिक इलिप्सोमीटर; एक फाइव-एक्सिस सीएनसी मशीनिंग सेन्टर और साथ ही टर्निंग सेन्टर, एक वाटर जेट एब्रेसिव मशीन, एक नान-डिस्ट्रक्टिव, रीवर्स इंजीनियरी के लिए व्हाइट लाइट स्केनर एफडीएम रेपिड प्रोटोटाइपिंग मशीन का एक उन्नत रूपान्तर। इसके अलावा, अनेक अधुनातम अनुसंधान उपस्कर का आर्डर दिया गया है जैसेकि इलेक्ट्रान परामेगनेटिक रेसोनेन्स (ईपीआर) स्पेक्ट्रामीटर, स्केनिंग इलेक्ट्रान माइक्रोस्कोप (एस ई एम), सिंगल क्रिस्टल एक्सरे डिफ्रेक्शन सिस्टम, एटोमिक फोर्स माइक्रोस्कोप (एएफएम, आटो मेटिड ईएनए सीकवेन्सिंग और फ्रेगमेंट एनेलिसिस सिस्टम। संस्थान ने ढॉचे में सुधार करना तथा छात्रों, स्टाफ व संकाय हेतु अनुसंधान के लिए सुविधाओं में भी सुधार करना जारी रखा।

आईआईटी कानपुर ने इस वर्ष के दौरान निम्नलिखित निर्माण परियोजनाएं भी पूरी तथा चालू की : 480 स्थान वाला होस्टल, हाल आफ रेजीडेन्स 7 पूरा हो गया और पूरी तरह से चालू हो गया। एक और होस्टल का निर्माण, हाल आफ रेजीडेन्स 8, का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इस समय इस होस्टल के 240 कमरों वाला पहला चरण उपलब्ध है। पूर्ण हास्टल मई 2004 तक तैयार हो जाएगा। अतिथि सकांय सदस्यों के लिए 12 अपार्टमेन्टों का एक आधुनिक पूर्णतः सज्जित कम्प्लेक्स पूरा हो गया है। अब ये अपार्टमेन्ट उपयोगार्थ तैयार है ;इनोवेशन, इन्क्यूबेशन और उद्यमशीलता के कार्यकलाप प्रोत्साहित करने के लिए, एक सुविधा -एसआईडीबीआई सेन्टर फार इनोवेशन एण्ड इन्क्यूबेशन-का कैम्पस में निर्माण किया गया है। उद्योग प्रायोजित अनुसंधान और डिजाइन एजुकेशन हेतु सुविधा - समतल आर एण्ड डी भवन चालू हो गया। एक स्वच्छ, साफ भोजनालय परिवेश उपलब्ध कराने के उद्देश्य से दो होस्टलों में रसोई सुविधाओं, हाल आफ रेजीडेन्स I और II - का आधुनिकीकरण किया गया। इन प्रयासों में आई.आई.टी. कानपुर के अकादमीक और साथ ही रिहायशी क्षेत्रों को एक नया रूप मिला है।

भारतीय प्रोद्योगिकी संस्थान,खड़गपुर

खड्गपुर स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना स्वतंत्रता के पश्चात विज्ञान और प्रौद्योगिकी में मानव संसाधन विकास के माध्यम से राष्ट्र निर्माण के निमित्त की गई थी। चूंकि

खड़गपुर सभी आईआईटी में सबसे पुराना आईआईटी है इसलिए उसने देश में तकनीकी शिक्षा के प्रति नजरिये में एक क्रान्तिकारी बदलाव लाने में अपेक्षित नेतृत्व प्रदान किया है।

संस्थान, वर्ष 2003-2004 के दौरान, 23 राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन करेगा। विश्व भर में फैले भूतपूर्व छात्रों के साथ तालमेल को मजबूत करने के उद्देश्य से एक दृढ़ वैश्विक पूर्वछात्र नेटवर्क कायम करने के वास्ते एक नयी वेबसाई www.alumini.iitkgp.ernet.in शुरू की गई। न्यूयार्क में पंजीकरण हो जाने पर, संस्थान के सभी पर्व छात्रों को आजीवन ई-मेल पता उपलब्ध कराया जा रहा है। पूर्व छात्रों के उदारतापूर्वक (पीसी) दिए गए दान के फलस्वरूप, संस्थान के प्रत्येक छात्र को एक कम्प्यूटर उपलब्ध कराया गया है तथा होस्टलों में अधुनातम कम्प्यूटर नेटवर्क इन्टरनेट सुविधा का विस्तार किया गया है। पिछले वर्षों के दौरान उच्च कोटि के शिक्षण और अनुसंधान को सुकर बनाने के वास्ते पर्याप्त ढाँचा विकासित किया गया है। हाल ही में अधुनातम अकादमिक परिसर की स्थापना की गई है। इसमें 800 स्थान क्षमता वाला एक आडिटोरियम और 200 से 400 के बीच की क्षमता वालें छः व्याख्यान कक्ष हैं, जो केंद्रीय रूप से वातानुकूलित है। इसमें कम्प्यूटिंग, सूचना प्रौद्योगिकी और शैक्षिक प्रौद्योगिकी पर कार्यक्रम भी उपलब्ध हैं। छात्रों के लिए चार नए हाल्स आफ रेजीडेंस भी निर्मित किए गए हैं तथा पुराने होस्टलों में नए स्कन्ध जोड़ें गए हैं। इसके अलावा, परियोजना वैज्ञानिकों के लिए डा. विक्रम साराभाई के नाम से एक रिहायशी परिसर निर्मित किया गया है। आधुनिकीकरण के भाग के रूप में केन्द्रीय अनुसधान सुविधाओं का विस्तार किया गया है और सेन्ट्रल लायब्रेरी के बजट में वृद्धि की गई है। अकादमिक परिसर में 25 कि.मी. सिंगल मोड फाइबर आप्टिक केबल डाली गई है।

चल रहे बी.टेक (आनर्स),बी.आर्क., एम.एस.सी तथा एम.टेक पाठ्यक्रमों के अलावा, संस्थान ने शिक्षा सत्र 2001-2002 से मेडिकल विज्ञान और प्रौद्योगिकी में मास्टर्स में एक तीन वर्षीय कार्यक्रम शुरू किया गया है। विगत शिक्षा सत्र के दौरान एक तीन वर्षीय मेडिकल विज्ञान और प्रौद्योगिकी में मास्टर्स (एमएमएसटी) कार्यक्रम प्रारंभ करने वाला यह देश का प्रथम संस्थान है। नियमित शिक्षा कार्यक्रम के अलावा, जिनमें 494 बी.टेक/बी.आर्क./एम.एस.सी., 448 पीजीडीआईटी/एम.टेक/एम सीपी/एमबी/एमएस और 108 पीएचडी छात्र संस्थान से स्नातक तैयार होकर निकलते हैं। दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम को सुदृढ़ किया गया है।

शिक्षा सत्र 1999-2000 से कोलकाता भुवनेश्वर के विस्तार केन्द्रों और स्टेप में संकर विधि के जरिए शुरू किए गए सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर कार्यक्रम (पीजीडीआईटी)के बारे में, जहाँ तक कार्यक्रम के कोटि का संबंध है, आईटी उद्योगों से उत्साहवर्धक रिपोर्ट प्राप्त हुई है। समुद्रीय आपरेशनों और मेनेजमेंट में एक वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा को नया आधार प्राप्त हुआ है। इलेक्टिव्ज पर अधिक बल देते हुए तथा छात्रों को अध्ययन के एक प्रमुख विषय के साथ, पूरे बी.टेक कार्यक्रम का पुर्नगठन किया गया है। एम.टेक डिग्री वाले दोहरे डिग्री कार्यक्रम का और विस्तार किया गया है। एक नई एम.टेक. पाठ्यचर्चा प्रारंभ की गई है जिसमें परियोजना कार्य को पूरा सेमेस्टर आबंटित किया गया है।

कम्प्यूटर विज्ञान तथा इंजीनियरी विभाग द्वारा वीएलएसआई डिजाइन एक अग्रणी किस्म का है तथा वीएलएसआई ग्रुप 0.18 चिप्स डिजाइन कर रहा है जिन्हें नेशनल सेमिकन्डक्टर यूएसए की फाउन्ड्री में कास्ट किया जा रहा है तथा यहाँ परीक्षण के लिए लाया गया है। संस्थान में राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियों द्वारा प्रायोजित अनुसंधान और सहयोगात्मक अनुसंधान के माध्यम से संसाधन सृजन पर बल दिया जाता है। रोबोटिक्स, जैव-प्रौद्योगिकी, क्रायोजेनिक्स, वीएलएसआई चिप आदि जैसे राष्ट्रीय महत्व के अनेक क्षेत्रों में अनुसंधान आयोजित किया जा रहा है।

संस्थान के संकाय सदस्यों और छात्रों को प्रशंसा पत्र और सम्मान प्राप्त हुए जिनमें गौरवपूर्ण शान्ति स्वरूप भटनागर पुरस्कार और राष्ट्रीय विज्ञान तथा इंजीनियरी की फैलोशिप शामिल है।

संस्थान को देश-विदेश से अनेक प्रायोजित अनुसंधान और औद्योगिक परामर्श परियोजनाएं प्राप्त हुई तथा पर्याप्त आय अर्जित की जिसकी वजह से यह संस्थान आईआईटी के बीच शिखर पर पहुँच गया। संस्थान ने आईपीआर संरक्षण और पेटेन्ट तथा कापीराइट फाइल करने में प्रमुख भूमिका निभाई है। आईआईटी खड़गपुर ने आईआईटी अभियान में अग्रणी भूमिका निभाई है तथा पिछले वर्षो के दौरान कुछेक सर्वोत्तम परियोजना कायम की हैं। इसने अन्य आईआईटी में शुरू किए गए उपायों से भी अनुभव प्राप्त किया है और बदलते समय के साथ साथ उन्हें सक्रियतापूर्वक लागू किया है। यह महत्वपूर्ण है कि आईआईटी आगे की बात सोचना और भावी योजनाएं तैयार करना जारी रखे। इस बात को देखते हुए अनेक उपाय

किए गए हैं तथा भावी कार्यक्रमों की योजना तैयार की जा रही है।

आईआईटी, खड़गपुर का उद्देश्य देश में उपलब्ध सर्वोत्तम प्रतिभा को आकर्षित करना और उसका सम्पोषण करना है। इस दिशा में अनेक उपाय किए गए हैं। जिनमें निम्नलिखित शामिल हैः

(क) संकाय भर्ती के लिए वेब पर एक स्थायी विज्ञापन बनाए रखना

(ख) नए संकायों को अपनी रुचि के क्षेत्र में परियोजना शुरू करने के लिए तीन लाख रूपए तक की सीड राशि प्रदान करना।

(ग) अन्तिम वर्ष के यूजी छात्रों को दस सार्वभौमिक औद्योगिक संगत परियोजनाओं के लिए 50,000/- रुपए प्रदान करना।

(घ) कम से कम दो बी.टेक छात्रों को उद्यमियों के रूप में तैयार करने के वास्ते प्रायाजक और उद्यम पूँजीपति के रूप में कार्य करना।

(ड.) असाधारण रूप से बुद्धिमान छात्रों के लिए उच्च मूल्य वाली पीएच.डी. छात्रवृत्तियां प्रदान करना।

(च) अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी में प्रतिभावान महिला अनुसंधानकर्ताओं के लिए कल्पना चावला अध्येता वृत्ति।

संस्थान का प्रस्ताव निकट भविष्य में अनेक शैक्षिक कार्यक्रम शुरू करने का है जिनमें सूचना प्रौद्योगिकी में एम.टेक. जीव विज्ञानों में एम.एससी और परि-पर्यटन में पी.जी डिप्लोमा सम्मिलित है।

संस्थान ने 13 मिशन कार्यक्रम विनिर्धारित किए है जिनसे देश की प्रौद्योगिकीय और सामजिक प्रगति पर गहरा प्रभाव पडने की उम्मीद है। इनमें सम्मिलित हैं: मेकेनाइज्ड खाद्य इंजिनियरी, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, मोलेकुलर जैव-प्रौद्योगिकी, आपदा कमी और प्रबंधन, मानव प्रयासों में इलेक्ट्रानिक अनुप्रयोग, फोटोनिक्स, नानो विज्ञान और सिस्टम्स इंजीनियरी, जैव - मेडिकल प्रौद्योगिकी, वीएलएसआई डिजाइन और बायरलैस प्रौद्योगिकियां, पावर सिस्टम उपस्करों का प्रबंध और नियंत्रण और सम्भवतः गाँवों को सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास की स्थापना राष्ट्रीय महत्व के एक संस्थान के रूप में 1959 में चेन्नई में की गई थी। इसका मुख्य लक्ष्य उच्च तकनीकी शिक्षा अनुसंधान और परामर्श को बढ़ावा देना है।

आईआईटी, मद्रास ने ऐसे अनेक शिक्षा क्रियाकलापों को दृढ़तापूर्वक जारी रखा जोकि संस्थान की प्रमुख क्षमताओं पर आधारित हैं और इसके घोषित लक्ष्यों के अनुरूप हैं। संस्थान अनुसंधान आधारित स्नातकोत्तर और डाक्टरल कार्यक्रमों के साथ-साथ अनेक पाठ्यक्रम आधारित स्नातक-पूर्व और स्नातकोत्तर कार्यक्रमों की पेशकश करता है।

जनशक्ति विकास के संबंध में 09.08.2003 को आयोजित पिछले दीक्षान्त समारोह में कुल मिलाकर 1146 डिग्रियां प्रदान की गई जिनके ब्योरे इस प्रकार है: 73 पी.एच.डी., 109 एमएस, 417 एम.टेक एमबीए, 86 एम.एससी, 66 दोहरी डिग्री तथा 355 बी.टेक। ये डिग्रियां, नौ इंजीनियरी विभागों, तीन विज्ञान विभागों और मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान विभाग द्वारा प्रस्तुत बहुविध विषय-क्षेत्रों और विशेषज्ञता के क्षेत्रों से संबंधित हैं। संस्थान, विशेष रूप से तैयार किए गए सात प्रयोक्तोन्मुखी एम.टेक कार्यक्रमों की पेशकश करता है और इनमें से प्रत्येक कार्यक्रम प्रयोक्ता उद्योगों के सहयोग से तैयार और कार्यान्वित किया जाता है। 46 (अध्ययन के विषय) नए पाठ्यक्रम शुरू किए गए। व्यावसायिक नैतिकता और मानवीय मूल्यों के लिए एक सेल स्थापित किया गया ताकि हमारे छात्रों के भीतर इन गुणों को बढ़ावा दिया जा सके।

संकाय और शोध छात्रों ने पी.एच.डी. तथा एमएस शोध प्रबन्धो के अलावा विख्यात अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पत्रिकाओं में 368 अनुसंधान लेख प्रकाशित किए हैं, अन्तर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय सम्मेलनों में 531 लेख प्रस्तुत किए हैं। आलोच्य वर्ष के दौरान, संकाय सदस्यों ने चार पुस्तकें भी प्रकाशित की हैं।

वर्ष के दौरान सक्रिय प्रायोजित परियोजनाओं की संख्या 225 थी। इन परियोजनाओं में प्रमुख अन्वेषकों, सह-प्रमुख अन्वेषकों के रूप में प्रवृत्त संकाय सदस्यों की संख्या 196 है। आलोच्य वर्ष में संस्वीकृत प्रायोजित परियोजनाओं कुल मूल्य 50.36 करोड़ रुपये है। वर्ष के दौरान सक्रिय परामर्शी परियोजनाओं की संख्या 636 है और उनका कुल मूल्य 6.60 करोड़ रूपये है: इन परामर्शी परियोजनाओं के साथ सम्बद्ध संकाय सदस्यों की

संख्या 203 है। एआईसीटीई ने उद्योग - संस्थान भागीदारी कार्यक्रम के अधीन एक परियोजना का वित्तपोषण किया है जो 2002-03 के दौरान जारी रही है। आईएसआरओ-आईआईटीएम स्पेस प्रौद्योगिकी सेल ने सत्रह परियोजनाओं का नवीनकरण किया है और 7 नई परियोजनाएं मंजूर की हैं। आईजीसीएआर-आईआईटीएम सेल के अधीन दो परियोजनाएं जारी रखी गई। आईएसआरओ-आईआईटीएम सेल तथा आईजीसीएआर-आईआईटीएम सेल ये परियोजनाएं नियतकालिक मानीटरन और समीक्षा के माध्यम से कारगर रूप से काम कर रही हैं। औद्योगिक सहायता स्कीम में अब 241 से अधिक सदस्य हैं। संस्थान ने आलोच्य वर्ष में उद्योगो के साथ 28 सहमति ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं।

संस्थान का अविच्छिन्न शिक्षा केन्द्र (सीसीई) अपने व्यावसायिक विकास क्रियाकलापों में अत्यन्त सक्रिय रहा है। क्यूआईपी के अधीन 5 अल्पकालीन पाठ्यक्रम, सतत शिक्षा कार्यक्रम (सीईपी) के अधीन 30 अल्पकालीन तथा शैक्षिक परामर्शी कार्यक्रम (ईसीपी)के अधीन 18 पाठ्यक्रम, आयोजित किए गए। संस्थान के शैक्षिक प्रौद्योगिकी सैल ने लगभग 900 घंटे की वीडियो सामग्री तैयार की है जिसमें 23 सेमस्टर ब्याख्यान आधारित कार्यक्रम, ज्ञानदर्शन प्रसार के लिए एक वृत्त चित्र तथा ज्ञान दर्शन के लिए 6 भाषण मालाएं शामिल हैं। सीसीई ने फिनिशिंग स्कूल की अवधारणा पर आधारित भेल के स्नातक इंजीनियरों के लिए उन्नत इंजीनियरी डिजाइन पर एक वर्षीय प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम आयोजित किए।

संस्थान ने देश के अन्य इंजीनियरी संस्थानों को मार्गदर्शन और सहायता पद्रान करने में प्रमुख भूमिका का निर्वाह किया। सम्प्रति, क्यूआईपी के अधीन पीएच.डी. और एम.टैक कार्यक्रमों के लिए इंजीनियरी कालेजों के 127 अध्यापक पंजीकृत है।

सहयोगात्मक अनुसंधान, संकाय और छात्रों के आदान-प्रदान के लिए यह संस्थान अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठ्नों के साथ वैचारिक आदान-प्रदान करता रहा है। आज की स्थिति में, अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के साथ आईआईटी मद्रास द्वारा हस्ताक्षरित सहमति ज्ञापनों की कुल संख्या 50 हो गई है। आलोच्य वर्ष में चुनिन्दा अन्तर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ आठ समझौता ज्ञापनों पर कार्रवाई की गई है। सहयोगात्मक आर तथा डी के लिए अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियों और अनुसंधान प्रयोगशालाओं के साथ चार समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं।

पिछले कुछ वर्षो में अन्तर्राष्ट्रीय छात्रों के आदान-प्रदान के लिए संस्थान ने कई अवसर पैदा किए हैं। पांच आईआईटी और जर्मनी के छः तकनीकी विश्वविद्यालयों के बीच भारत -जर्मनी करार इस दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल रही है। इस कार्यक्रम के अधीन पिछले वर्ष 14 एम.टेक तथा 3 एम.एस शोधार्थीयों को परियोजना/शोध प्रबन्ध कार्य के संबंध में विख्यात जर्मन विश्वविद्यालयों में भेजा गया। इसके बदले संस्थान में हमारी अनुसंधान प्रयोगशालाओं में अपनी परियोजनाएं कार्यान्वित करने के लिए जर्मनी से कुछ पीएच.डी तथा डिप्लोमाधारी शोधार्थी आए। ईपीएफएल के साथ समझौता ज्ञापन के अधीन ई पी एफ एल के ग्रामीण इंजीनियरी विभाग का एक छात्र जुलाई 2002 से शुरू होने वाले एक सेमेस्टर तक आईआईटीएम में पढ़ा। संस्थान ने 2 एमटेक छात्रों को औद्योगिक गणित में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए कैसरस्लोटर्न विश्वविद्यालय , जर्मनी में भेजा। एक बी.टेक छात्र ने ईपीएफएल में एक सेमस्टर पूरा कर लिया।

संस्थान ने अपने तकनीकी और प्रशासनिक स्टाफ के ज्ञान और कौशलों को अद्यतन बनाने के प्रयोजन से 27 प्रशिक्षण कार्यक्रम (189 कार्यक्रम दिवस) आयोजित किए जिससे कि वे अपना काम अधिक प्रभावी ढंग से कर सकें।

आईआईटी मद्रास ने 12 यूनिटों के लिए आईएसओ - 9001-2000 प्रमाणन प्राप्त किया है। आईआईटी, क्योकि निरंतर सुधार अधिगम संगठन का सर्वोपरि तत्व होता है, इसलिए कई 5-एस कार्यक्रम आयोजित किए गए है। आईआईटीएम की लगभग सभी सहायक सेवाओं से सम्बद्ध 12 प्रशासनिक यूनिटों में गुणवत्ता चक्र शुरू किए जा चुके हैं।

एटीएम-आधारित उच्च गति वाला परिसरव्यापी नेटवर्क पिछले चार वर्षो से काम कर रहा है। यह नेटवर्क विभिन्न विभागों, छात्रावासों तथा संकाय सदस्यों के आवासों के बीच संयोज्यता उपलब्ध कराता है। इन्टरनेट -2 का आयोजन और कार्यान्वयन अग्रिम अवस्था में है जोकि शीघ्र ही आईपीवी 6, क्यूओएस तथा आईपी-टेलीफोनी उपलब्ध कराएंगे।

परिसर के आधारिक तंत्र में व्यापक सुधार लाया गया है। पुराने पुस्तकालय भवन का कायाकल्प किया जा रहा है ताकि उसमें सीसीई, जीमखना और प्रबन्ध प्रभाग को रखा जा सके। प्रबन्ध अध्ययन और जैव-प्रौद्योगीकी के दो नए विभागों के सृजन के संबंध में परिषद के अनुमोदन की प्रतीक्षा है। बारिश के पानी के सरंक्षण क्रियाकलाप के रूप में परिसर की झील को काफी

गहरा करने का काम पूरा कर लिया गया है और खुदाई से निकली मिट्टी से सीमा सड़के बनायी गई है। परिसर की जीआईएस सुविधा तैयार की जा रही है। लेक्चर हाल परिसर के विस्तार का काम पूरा कर लिया गया है। न्यू मिलेनियम पुस्तकालय भवन में तीन नई मंजिलों का निर्माण पूरा कर लिया गया है।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की

रुड़की विश्वविद्यालय को भारत सरकार द्वारा 21 सितम्बर 2001 से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़का में बदल दिया गया। इस संस्थान का यशस्वी इतिहास और गौरवपूर्ण अतीत है। इसकी बुनियाद गंगा नहर बनाने के लिए तकनीकी जनशक्ति को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से 1847 में स्थापित रूड़की कालेज के रूप में है। उस समय समूचे अंग्रजी राज में यह एकमात्र इंजीनियरी कालेज था। देश में बांधों, नहरों, सड़कों, राजमार्गो, रेलवे, पुलों जैसे प्रमुख सिविल कार्य इसी कालेज में प्रदत्त इंजीनियरी शिक्षा के परिणाम हैं।

दाखिल किए गए कुल 1407 छात्रों में से जेईई के माध्यम से बी.टेक/बीआई में दाखिल हुए 454 छात्र, जीएटीई के माध्यम से एम.टेक/एम.आर्क में दाखिल हुए 395 छात्र, अन्य पीजी कार्यक्रमों में दाखिल 359 तथा पीएच.डी में दाखिल 199 छात्र शामिल है। संस्थान में दाखिल छात्रों की कुल संख्या 3721 तक पहुंच गई है। जुलाई 2001 में आईआईटीआर में पीएच.डी के जहॉ लगभग 260 छात्र थे वहां आज ऐसे छात्रों की संख्या 455 तक पहुंच गई है जो अधिकांशतः एमएचआरडी द्वारा प्रदत्त डाक्टरल अध्येता वृत्तियों के कारण संभव हुआ है।

आईआईटीआर ने जेएमईटी - 2002 तथा जीएटीई -2003 में पहली बार भाग लिया है शैक्षिणिक सत्र 2004-2005 से सभी आई आई टी में सभी बी.एस.सी से उच्चतर कार्यक्रमों में दाखिले के लिए जेईई रील तर्ज पर एम.एस.सी के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जे ए एम) आयोजित की जाएगी। जेएएम 2004 के समन्वय के लिए रूड़की को संयोजक संस्थान के रूप में चुना गया है। अखिल भारतीय स्तर पर एमसीए दाखिले के लिए प्रथम एआईएमईसीटी 2004 रूड़की से सौंपा गया है।

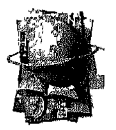
पाठ्यक्रमों की पुनर्रचना/नया नाम देने, नए पाठ्यक्रम शुरू करने आदि के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण शैक्षणिक क्रियाकलाप संक्षेप में नीचे प्रस्तुत किए गए है:

1. 3 जुलाई 2003 से पांचवर्षीय एकीकृत दोहरा डिग्री कार्यक्रम बी.टेक (रासायनिक इंजीनियरी)और एम.टेक (हाइड्रोकार्बन इंजीनियरी) शुरू किया गया है।
2. 2. जुलाई 2003 से पांचवर्षीय एकीकृत दोहरा डिग्री कार्यक्रम बी.टेक (इलेक्ट्रोनिक तथा संचार)और एम.टेक (बेतार संचार) शुरू किया गया है
3. जुलाई 2003 से पांचवर्षीय एकीकृत दोहरा डिग्री कार्यक्रम बी.टेक (कम्प्यूटर विज्ञान और इंजीनियरी) तथा एम.टेक (सूचना प्रौद्योगिकी)शुरू किया गया है।
4. जुलाई 2004 में दाखिले के लिए रसायन विभाग में नए एम.टेक कार्यक्रम (उन्नत रसायनिक विशेलषण) की पाठ्यचर्चा सरंचना और पाठ्यक्रम।
5. सिविल इंजीनियरी विभाग में एम.टेक (दूरस्थ संवेदी और फोटोग्रैमट्री इंजीनियरी) को एम.टेक (जियोमाटिक्स इंजीनियरी) का नया नाम दिया गया।
6. रसायन विभाग में 06 पूर्व-पीएच.डी. पाठ्यक्रमों की और भौतिक शास्त्र तथा मानवियी और सामाजिक विज्ञान विभाग में उतने ही पाठ्यक्रमों की पाठ्यचर्या संरचना और पाठ्यक्रम।
7. अगले वर्ष से शुरू किए जाने वाले कुछ नए एम.टेक कार्यक्रम इस प्रकार हैं: औद्योगिक सुरक्षा और आपदा प्रबन्ध, जंग इंजीनियरी, उन्नत रासायनिक विश्लेषण।

कुल 704 अनुसंधान प्रकाशनों में से 367 संदर्भ पत्रिकाओं में और 337 सम्मेलनों में प्रस्तुत किए गए थे। 569 नई परामर्शी परियोजनाएं और 91 नई प्रायोजित अनुसंधान परियोजनाएं क्रमशः 9.03 करोड़ रुपये और 15.11 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ प्राप्त हुई।

आईआईटीआर विभिन्न आर तथा डी, परामर्श और आईटी सम्बन्धी क्रियाकलापों के जरिए उत्तरांचल राज्य और राष्ट्र के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहा है। कुछेक क्रियाकलाप नीचे प्रस्तुत हैं:

- एक मिलियन अमरीकी डालर की लागत की एक यूएनडीपी वित्तपोषित परियोजनाओं के अधीन सामुदायिक सूचना केन्द्रों में ई-संयोज्यता के लिए निर्धन अनुकूल आईटी पहलों का कार्यान्वयन।



संस्थानों के विभिन्न विभागों द्वारा वर्ष के दौरान कई राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन/संगोष्ठयां आयोजित की गई । संकाय को उनके अनुसधान कार्य और व्यावसायिक योगदान के लिए कई पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए। व्यापक रुचि के विषयों पर व्यवस्था देने के लिए कई संकाय सदस्यों को अपने अपने अनुसंधान कार्यो के लिए तकनीकी वार्ताएं प्रस्तुत करने को आमिंत्रत किया गया

- हरिद्वार में आयोजित किए जाने वाले अर्द्धकुम्भ, 2004 के लिए विद्युतीकरण और सिविल कार्य की समग्र मात्रा।
- निम्न के लिए व्यहार्यता रिपोर्ट : भारत के प्रधानमंत्री के एक्सप्रेस और राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) से सम्बन्धित ताज एक्सप्रेसवे (ग्रेटर नोएडा - आगरा के बीच), एनएच - 25 (कानपुर और झांसी के बीच) को चौड़ा करना तथा सुदृढ़ीकरण तथा एन.एच -2 (भोगनीपूर-कानपुर और झांसी के बीच) को चौड़ा करना तथा सुदृढ़ीकरण।
- दिल्ली की शहरी सड़कों के लिए नई प्रौद्योगिकी के प्रयोग सहित गुणवत्ता नियंत्रण और गुणवत्ता आश्वासन।
- शहरी परिवहन पर्यावरण अन्योन्यक्रिया और सड़क यातायात सुरक्षा पर एआईसीटीई द्वारा स्वीकृत राष्ट्रीय स्तर पर समन्वित दो परियोजनाएं।
- ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पी एम जी एस वाई) के अधीन स्थापित राज्य तकनीकी एंजेंसी (एस टी.ए)।
- गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय ने देश में एसएचपी डिजायन, प्रौद्योगिकियों और उपकरण के मानविकीकरण के लिए एएचईपी को एक नोडल एजेंसी के रूप में मान्यता प्रदान की है।
- उत्तरांचल और यूपी जल विद्युत निगम के अधीन पुराने लघु जलविद्युत केन्द्रों (गंगोला, भोला सलावा और चितोरा) का जीर्णोद्धार और आधुनिकीकरण।
- नैनीताल झील और चार अन्य डल झीलों का सरंक्षण और प्रबन्ध।
- प्रायद्वीपीय भारत में वहुमंजिली इमारतों के भूकम्पीय निष्पादन के लिए उनके यंत्रीकरण, बिहार क्षेत्र में डिजिटल एकीलोग्राफ्स के नेटवर्क, हिमालय पर्वत में तेज कम्पन अध्ययन और गढ़वाल हिमालय के लघु गवाक्ष में तनूकरण अध्ययन के माध्यम से भूकम्प अध्ययनों से संबंधित आर तथा डी और परामर्श।

विश्वविद्यालय राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्री संगठनों के साथ आठ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए जिनमें ये संगठन शामिल है खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी), मुम्बई, पंजाब, विश्वविद्यालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली; मैक्वेरी विश्वविद्यालय, सिंगापुर, भारत नार्वे का संस्थानगत सहयोग कार्यक्रम और भारत स्विस गठजोड़ के लिए आशय पत्र।

16 विकासशील देशों से विभिन्न विषयों में 111 विदेशी छात्र शामिल हैं और ये देश इस प्रकार हैं: बंगलादेश, भूटान, ईथोपिया, रवांडा, इण्डोनेशिया, इराक, नेपाल, फिलीपीन्स, उजबेक, मंगोलिया, मालद्वीप, यमन, म्यांमार, वियतनाम,केन्या, और मिश्र। विदेशी छात्र अन्य छात्रों के साथ छात्रावासों में रहते है।

डाटा, ध्वनि तथा वीडियो संचार क्षमताओं से युक्त एक स्टार टोपोलाजी 1000 एमबीपीएस ईथरनेट स्थापित किया गया। यह नेटवर्क 24 विभागों/केन्द्रों को जोड़ते हुए, सभी छात्रों संकाय तथा अन्य सहयोगी स्टाफ को संयोज्यता प्रदान करते हुए ओएफसी के 14 किलोमीटर तथा यूटीपी के 40 किलोमीटर के माध्यम से 365 एकड़ क्षेत्र कवर करता है। स्थापित किए गए अधुनातम उपस्करों में ये शामिल हैं: थर्मल लोनीजेशन मास स्पेक्ट्रोमीटर, पूर्णतः कम्प्यूट्रीकृत उपग्रह पृथ्वी केन्द्र और स्वचालित उपग्रह डाटा अभिग्रहण प्रणाली, एक्सरे डिफ्रेक्टोमीटर,

टीजीए, डीजीए तथा डीएससी अध्ययन के लिए ऊष्मीय विश्लेषण प्रणाली।

नए निर्माण/भवन विस्तार तथा जीर्णोद्धार सम्बन्धी क्रियाकलापों में ये शामिल हैं: शैक्षिक विभागों का विस्तार (2832 मीटर2), लड़कों के छात्रावास में 421 और बालिका छात्रावास में 48 सीट जोड़ना। सी श्रेणी के 24 और डी श्रेणी के 48 आवासों का निर्माण।

17 नवम्बर 2003 को हुए दीक्षान्त समारोह में भारत के राष्ट्रपति महामहिम डा. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम मुख्य अतिथि थे जिसमें 1114 छात्राओं को विभिन्न विषय क्षेत्रों में स्नातक (374 मास्टर (687) तथा डाक्टरल (53) डिग्रियां प्रदान की गई।

संस्थानों के विभिन्न विभागों द्वारा वर्ष के दौरान कई राष्ट्रीय/ अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन/ संगोष्ठ्यां आयोजित की गई। संकाय को उनके अनुसधान कार्य और व्यावसायिक योगदान के लिए कई पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए। व्यापक रुचि के विषयों पर व्यवस्था देने के लिए कई संकाय सदस्यों को अपने अपने अनुसंधान कार्यो के लिए तकनीकी वार्ताएं प्रस्तुत करने को आमिंत्रत किया गया।

भारतीय प्रोद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी

वर्ष 2002-03 में संस्थान के शैक्षाणिक क्रियाकलापों का समेकन किया गया। जैव प्रोद्योगिकी और इंजीनियरी विभागों की स्थापना के साथ निधारित लक्ष्य के अनुरूप प्रबन्धक विभाग को छोड़ कर सभी विभाग खोले जा चुके हैं। अन्तःविषय क्षेत्रीय केन्द्र खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और आशा है कि अगले वर्ष ऐसे चार केन्द्र काम करते मिलेंगे। इस प्रकार अनुप्रयोगोन्मुखी अनुसंधान और विकासात्मक क्रियाकलापों से बल मिलेगा।

शैक्षणिक कार्यक्रम

सम्प्रति आईआईटी, गुवाहाटी में 11 शैक्षणिक विभाग हैं जोकि स्नातक पूर्व तथा स्नातकोत्तर स्तरों पर संस्थान के विभिन्न कार्यक्रम चला रहे हैं। छात्रों की संख्या बढ़कर 926 तक पहुंच गई। संकाय सदस्यों की संख्या 111 है जबकि शिक्षणेतर स्टाफ की संख्या बढ़कर 205 हो गई। महिला कर्मचारियों की संख्या बढ़कर 51 हो गई। वर्ष 2002-03 के दौरान संकाय, अधिकारियों और स्टाफ की कुल संख्या बढ़कर 316 तक पहुंच गई।

निर्माण कार्यो में प्रगति

शैक्षणिक परिसर कुल लगभग 76,000 वर्गमीटर में फैला है जिसमें 16 व्यापक और चार कोर भवन मौजूद है। निर्माण कार्य मार्च 2000 में शुरू हुआ था और मार्च, 2003 के अन्त तक 60% काम पूरा कर लिया गया था। आशा है कि पूरा परिसर अगस्त 2004 तक पूरा हो जाएगा। चार छात्रावासों के निर्माण का काम पूरा कर लिया और छात्रों ने उनमें रहना शुरू कर दिया। 9299 वर्गमीटर क्षेत्र में प्रशासनिक भवन के निर्माण का काम मार्च 2002 में शुरू हुआ था और वह अगस्त 2002 में पूरा कर लिया गया। प्रशासनिक भवन में वाताकूलन और पार्टीशन का काम चल रहा हैं। संस्थान का गेस्ट हाउस और अधिकांश आवासीय क्वार्टरों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया था। इन्डोर स्टेडियम में पाइलिंग का काम चल रहा है।

अनुसंधान और विकास क्रियाकलाप

2002-2003 में 21 नई अनुसंधान परियोजना शुरू की गई जिससे इस वर्ष जारी परियोजनाओं की कुल संख्या 60 तक पहुंच गई। इन नई परियोजनाओं के लिए स्वीकृत कुल राशि 2.74 करोड़ रुपये है। आलोच्य वर्ष तक विभिन्न वित्तपोषी एजेंसियों को अनुसंधान निधियों के रूप में 6.66 करोड़ रुपये प्राप्त हुए।

वर्ष के दौरान प्रायोजित आर तथा डी परियोजनाओं के अलावा संस्थान ने अनेक सरकारी, पब्लिक तथा निजी एजेंसियों को परामर्शी सेवाएं उपलब्ध कराई। आलोच्य वर्ष के दौरान मंजूर की गई परामर्श परियोजनाओं का कुल मूल्य लगभग 46.96 लाख रुपये था जिसमें से 24.74 लाख रुपये इस शीर्ष के अधीन प्राप्त हुए। ग्राहकों में ये शामिल थे

- बैंकिंग और बीमा संगठन
- राज्य सरकार (असम) के विभाग
- अन्य राज्य सरकारों के विभाग
- विद्युत क्षेत्र संगठन
- निर्माण गृह
- शैक्षिक संस्थान आदि

प्रमुख उपकरणों का प्रापण

संस्थान शिक्षण तथा अनुसंधान दोनों प्रयोजनों के लिए अपनी विभिन्न प्रयोगशालाओ के लिए आधुनिक उपकरण प्राप्त करता रहा है। वर्ष के दौरान प्राप्त किए गए कुछेक प्रमुख उपकरण इस प्रकार हैं: (1)वायु में बुनियादी एएफएम मोड़ो के लिए कल पुर्जों सहित यूनिवर्सल एसएमपी स्कैनिंग हेड स्मीना आदि

(2) लेजर पार्टिकल साइज विश्लेषक (3)वैरिएबल प्रेशर डिजिटल स्कैनिंग इलेक्ट्रानिक माइक्रोस्कोप, (4)कल पुर्जों सहित माइक्रोटेस्ट 5000 हाई लोड टेंशन, कम्प्रेशन बेंडिंग माड्यूल्स (5) प्रोग्रामेबल लाजिक कन्ट्रोलर (6) 38 तथा 100 मि.मि. स्ट्रेस पाथ टेस्टिंग सिस्टम (7) कल पुर्जों सहित माडल स्पेक्स फ्ल्यूरो मेक्स-3 कम्पेक्ट स्पेक्ट्रो फ्ल्यूरोमीटर।

भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर

भारतीय विज्ञान सस्थान (आई.आई.एससी.) बंगलौर की स्थापना बंगलौर में 1909 में इन उद्देश्यों से की गई थी कि उन्नत शिक्षण के अवसर उपलब्ध कराए जाएं तथा भारत में भौतिक और औद्योगिक उन्नति को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान और इंजीनियरी की सभी शाखाओं में मौलिक अन्वेषण किया जाए। सम्प्रति, इस संस्थान को समविश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त है। पिछले कुछ वर्षो में भारतीय विज्ञान संस्थान सृजनात्मकता को बढ़ावा देने, उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करने और अभिनव अनुसंधान तथा विकास में तेजी लाने और उसके साथ-साथ उद्योगों तथा अन्य संगठनों को सशक्त इंटरफेस और सहयोग प्रदान करने में सफल रहा है। भारतीय विज्ञान संस्थान ने अपने क्रियाकलाप के सभी क्षेत्रों में अनुसन्धान और विकास में उत्कृष्टता के केन्द्र के रूप में विश्वव्यापी ख्याति अर्जित की है।

संस्थान के क्रियाकलाप छः प्रभागों के माध्यम से किए जाते हैं जोकि इस प्रकार हैं: जीववैज्ञानिक, विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, विद्युत विज्ञान, सूचना विज्ञान नियांत्रिक विज्ञान और भौतिक तथा गणितीय विज्ञान।

संस्थान विभिन्न विषय क्षेत्रों में अनुसन्धान और पाठ्यक्रमों के लिए प्रतिवर्ष लगभग 450 छात्रों के अनुसंधान को अपनी जीवनवृत्ति के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित करने के लिए युवा शिक्षावृत्ति कार्यक्रम तथा III वर्षीय बीई/बी टेक छात्रों के लिए युवा इंजीरियरी शिक्षावृत्ति कार्यक्रम प्रस्तुत करता है। लगभग 1800 छात्र अनुसन्धान द्वारा पीएच.डी/एम.एससी. (इंजीनियरी) तथा एम.ई/एम.टेक./एम.डिजाइन डिग्रियां प्राप्त करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों में अध्ययनरत हैं। एक वर्ष में संस्थान लगभग 120 पीएच.डी. डिग्री, 100 एम.एस.सी. (इंजीनियरी) और 300 मास्टर डिग्री अर्थात एम.ई/एम.टेक./ एम.डिजाइन प्रदान करता है। इस संस्थान में प्रशिक्षित व्यक्तियों की देश में और विदेशों में स्थित शैक्षणिक संस्थानों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों और सरकारी एजेन्सियों में भारी मांग रहती है।

आई.आई.एससी. ने सोसायटी आफ इन्नोवेशन एण्ड डेवेलपमेंट (एसआईडी) का सृजन और पोषण करके व्यापार और उद्योग के साथ अपने सम्बन्ध और अधिक बढ़ाने की दिशा में नवाचारी प्रयास किए हैं। वैज्ञानिक और औद्योगिक परामर्श केन्द्र (सीएसआईसी) तथा एसआईडी के माध्यम से लगभग 400 औद्योगिक अन्योयक्रिया परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है। संस्थान का इन ऐजेन्सियों के साथ गहरा तालमेल है, जैसेकि अन्तरिक्ष विभाग (डीओएस), रक्षा अनुसन्धान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ), जैव-प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी), सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय(एमआईटी), अपरम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय (एमएनईएस) आदि और वह अनेक राष्ट्रीय पहलो में योगदान देता है। संकाय सदस्यों ने अन्वेषण के लिए लगभग 400 प्रायोजित अनुसंधान योजनाएं हाथ में ली है। इसके अलावा, संस्थान ग्रामीण विकास के सन्दर्भ में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग सम्बन्धी चिन्ता के बारे में कार्रवाई करता है और सहयोग प्रदान करता है।

ए बी वी-भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी तथा प्रबन्ध संस्थान, ग्वालियर

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी तथा प्रबन्ध संस्थान, ग्वालियर की स्थापना भारत सरकार द्वारा 1997 में इस क्षेत्र में उद्योग की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने और तेजी से बढ़ते हुए इस क्षेत्र में दुनिया में हो रहे नए-नए क्रियाकलापों के साथ बने रहने के उद्देश्य से सूचना प्रौद्योगिकी और आईटी-समर्थित प्रबन्ध विकसित करने के लिए की गई थी। संस्थान में, जोकि सुचारु एकीकरण के माध्यम से विकसित किया गया है, पांच वर्षो की छोटी सी अवधि में सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबन्ध के महत्वपूर्ण क्षेत्र में शिक्षा, अनुसन्धान परामर्शी सेवाओं और व्यावसायिक विकास की सुविधाएं जुटाई गई हैं। सम्प्रित, संस्थान एमबीए के लिए स्नातकोत्तर कार्यक्रम (सभी विषय-क्षेत्रों के लिए इंजीनियरी स्नातकों के लिए उपलब्ध चार सेमेस्टर दो-वर्षीय कार्यक्रम), एम.टेक इलेक्ट्रोनिक्स/इलेक्ट्रीकल तथा कम्प्यूटर विज्ञान स्नातकों के लिए चार सेमेस्टर वर्षीय कार्यक्रम और विज्ञान की पृष्ठभूमि सहित 10+2 अर्हता वाले छात्रों के लिए सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबन्ध में दोहरी डिग्री (बी.टेक.)(आईटी) एम.टेक (आईटी) अथवा बी.टेक (आईटी) अथवा एमबीए प्रदान किए जाने के प्रावधान सहित एक पांच-वर्षीय एकीकृत स्नातकोत्तर कार्यक्रम। संस्थान, प्रबंध विकास कार्यक्रम भी आयोजित करता है। संस्थान का नया परिसर ग्वालियर - आगरा -दिल्ली मार्ग पर 61.67

एकड़ भूमि पर निर्मित हो रहा है जिसमें नेटवर्कयुक्त छात्रावास, संकाय आवास तथा शैक्षणिक विभाग और सभी आधुनिक सुविधाओं से युक्त गेस्ट हाउस सुलभ होंगे। सम्प्रति दो विभागीय ब्लाक, एक लेक्चरर थियेटर परिसर तैयार है। दो छात्रावास भी उपलब्ध है वृक्षारोपण और परिसर को हरा-भरा बनाने और साथ ही खेल कूद की सुविधा बनाने के प्रयास शुरू किए गए है।

पांचवर्षीय एकीकृत कार्यक्रम में दाखिले आईआईटी जेईई प्रवेश परीक्षा के माध्यम से किए गए हैं। शैक्षणिक सत्र जुलाई 2003 से ये दाखिले एआईईईई, नई दिल्ली के जरिए किए गए हैं। एम.टेक कार्यक्रम में दाखिला संस्थान द्वारा आयोजित अखिल भारतीय परीक्षा और उसके बाद साक्षात्कार के माध्यम से किए जाते हैं। एमबीए कार्यक्रमों में दाखिले संस्थान द्वारा आयोजित किए गए है। संस्थान को सम-विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हो गया है और वह सूचना प्रौद्योगिकी तथा प्रबन्ध के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान के रूप में उभर रहा है।

संस्थान द्वारा शुरू किए गए नए शैक्षणिक कार्यक्रमः

1. क्वांटम कम्प्यूटिंग (नैनो साम्रगी सहित) पर एक पाठ्यक्रम
2. एम बी ए (आईटीईएस) एमबीए (आईपीएस) पर दो विशेषज्ञतापूर्ण कार्यक्रम
3. संस्थान का विचार दो विशेषज्ञतापूर्ण कार्यक्रमों अर्थात एमबीए गौर औपचारिक क्षेत्र तथा एमबीए लोक सेवा प्रबन्ध की पेशकश करने का है।

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद

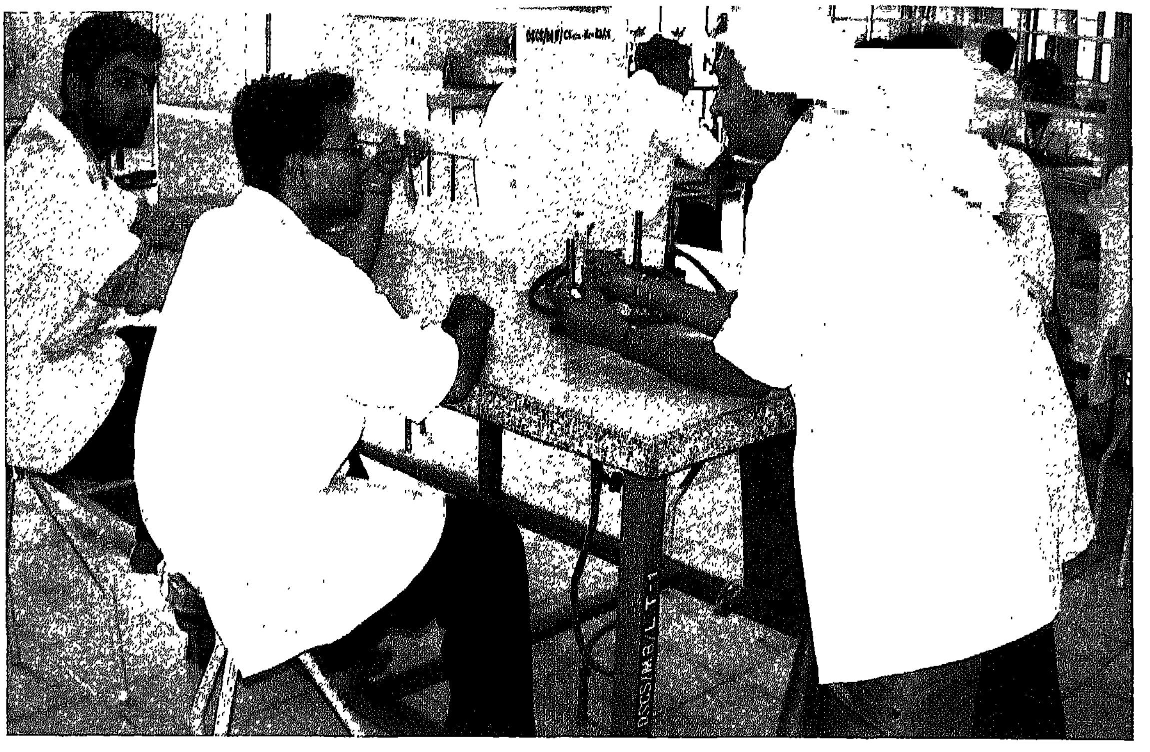
भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद (आईआईआईटीए की स्थापना 1999 में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) तथा सम्बद्ध क्षेत्रों में शिक्षा, प्रक्षिक्षण, अनुसंधान और विकास के लिए की गई थी। अगस्त 2000 में इस संस्थान सम-विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया। थोड़े से ही समय में इस संस्थान ने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शिक्षा और अनुसंधान के एक महत्वपूर्ण केन्द्र की ख्याति अर्जित कर ली। सम्प्रति, इस संस्थान द्वारा इन कार्यक्रमों की पेशकश की जाती हैः स्नातकपूर्व कार्यक्रम (आईटी में बी.टेक) स्नातकोत्तर कार्यक्रम (जैव-सूचना विज्ञान, बुद्धिमत्ता प्रणालियों और बेतार संचार तथा कम्प्यूटिंग में एम.टेक) तथा आईटी सम्बद्ध क्षेत्रों में आर तथा डी कार्यक्रम इस संस्थान को सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमआईटी) द्वारा हाल ही में भाषाओं में साफ्टवेयर विकास के लिए एक महत्वपूर्ण परियोजना के नोडल केन्द्र के रूप में अभिज्ञात किया गया है। संस्थान, आईआईटी, बम्बई, आईआईएससी, बंगलौर तथा सी-डैक, पुने जैसे उत्कृष्ट सस्थानों के सहयोग से इन परियोजना का समन्वय करेगा। संस्थान में जैव-प्रौद्योगिकी के लिए भारत-रूस केन्द्र स्थापित किया गया है जिसने संस्थान की रुचि के विषयों जैसेकि जिनोमिक्स, कम्प्यूटर सहायताप्राप्त मोलिक्यूलर माडलिंग, ड्रग डिजाइन, कम्प्यूटेशनल न्यूरोसाइंस, फाइलोजेनेटिक व्यापार, कम्प्यूटर-सहाय्यित इम्युनोलोजी आदि से सम्बन्धित विभिन्न ध्यातव्य क्षेत्रों में अनुसंधान तथा विकास करना।

सम्प्रति संस्थान के पास भारत सरकार की विभिन्न प्रायोजक एजेंसियों जैसेकि डीएसआईआर, एमएचआरडी, डीएसटी, डीबीटी तथा अन्य की कई परियोजनाएं मौजूद हैं। डीएसआईआर से प्राप्त एक गौरवपूर्ण परियोजना संस्थान और एफटेक, मुम्बई के संयुक्त सहयोग के अधीन है। यह परियोजना अधिगम अन्तर्वस्तु प्रबन्ध प्रणाली के विकास पर बल देती है। संकाय सदस्यों के पर्यवेक्षण के अधीन अन्य परियोजनाओं में ये शामिल हैं चार आयामीय इमेजिंग पद्धति, सीएडी/सीएएम/एफ एमएस प्रयोगशाला का आधुनिकरण, सोनो विजन- 3डी अल्ट्रासोनोग्राफी आदि के लिए एक विज़न पद्धति।

इसके साथ ही वर्ष के दौरान संस्थान और केलिफोर्निया विश्वविद्यालय, रीवर साइड के बीच अकादमिक आदान-पद्रान के संबंध में एक सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। वर्ष की एक अन्य महत्वपूर्ण घटना छात्रों के पहले वैच (1999 में दाखिल) द्वारा परीक्षा पास किया जाना था।

संस्थान को ई-समर्पित कानूनी व्यवसाय में महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया है जिसके लिए इसने भारत के सर्वोच्च न्यालय में एक उच्च स्तरीय कार्यशाला आयोजित की जिसकी अध्यक्षता भारत के प्रधान न्यायाधीश ने की थी और इसमें भारत में उच्चन्यायालयों के प्रधान न्यायाधीशों ने भाग लिया। उद्देश्य यह है कि इस परियोजना के माध्यम से भारतीय न्यायालयों में कानूनी मामलों के निपटान में तेजी आएगी और उनके कामकाज का पुनर्गठन किया जाए ताकि सामान्य रूप से आम जनता को तथा साथ ही उन लोगों को भी लाभ प्राप्त हो सके जो ऐसे मामलों के निपटान कार्य में वस्तुतः लगे हैं।

संस्थान का प्रथम दीक्षान्त समारोह 9 सितम्बर 2003 को आयोजित किया गया जिसमें प्रोफेसर राज रेड्डी, हर्बर्ट ए साइमन, प्रोफेसर, कम्प्यूटर विज्ञान, कारनेगी मेलान विश्वविद्यालय,



पीटसबर्ग, अमेरीका, मुख्य अतिथि थे। मुख्य अतिथि थे। दीक्षान्त समारोह में देश-विदेश के सभी भागों से बडी संख्या में शिक्षा विभूतियों ने भाग लिया। बी.टेक (आईटी) के प्रथम बैच के सभी छात्रों को, जिन्हें विख्यात संगठन में पहले ही उच्च स्थान प्राप्त था इस अवसर पर बी.टेक (आईटी) डिग्री प्रदान की गई। इलाहाबाद और इसके बीच निकटवर्ती विख्यात पुस्तकालयों की कुछ पुस्तकों की स्केनिंग करने का प्रस्ताव है।

संस्थान, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) के सहयोग से सूचना प्रौद्योगिकी, औपचारिक पाठ्यक्रमों कैरियर परामर्श तथा समाज से संबंधित अन्य उपयोगी जानकारी के विभिन्न पक्षों को श्रृव्य रिकार्डिंग की डिजिटाइज्ड सुविधा और एफ एम चैनल के माध्यम से प्रसारण सहित ज्ञानवाणी स्टुडियो की स्थापना के माध्यम से लोकप्रिय बनाने के लिए कार्याकलाप आयोजित कर रहा है। यह संस्थान वेब, उच्च न्यायालय के नेटवर्क निर्माण तथा इलाहाबाद के नगर निगम के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के प्रचार में अपनी डाटाबेस सूचना तैयार करने में स्थानीय जिला प्राधिकारियों तथा इलाहाबाद में स्थित अन्य स्थापनाओं की भी सहायता कर रहा है।

संस्थान में, अनालोग/डिजिटल सिगनल प्रोसेसिंग, इमेज प्रोसेसिंग, कृत्रिम आसूचना, डिजिटल/डाटा संचार, डाटा सरंचना, भाषा प्रोद्योगिकी सिस्टमों और 500 से अधिक कार्यस्थलों पर चल रहे 60 सर्वरों के साथ एक उत्तम कम्प्यूटिंग ढॉचा है।

सीआईएससीओ 3600 राउटर का उपयोग करते हुए एमबीपीएस लीज्ड सेटअप के जरिए प्रत्येक डेस्कटाप पर इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध है। संस्थान में, 100 एमबीपीएस डाटा हस्तान्तरण करके साथ 12/24 पोर्टों और 16 डीलिंक 24 पोर्टो स्विच सहित 9वें स्टेक 450 स्विच के साथ दृढ़ नेटवर्किंग बैकबोन है।

शिक्षा वर्ष 2003.04 के दौरान, संस्थान में छात्रों का दाखिला निम्न प्रकार था:

क)	अवर स्नातक	454
ख)	स्नातकोत्तर	108
ग)	पी एच-डी	03

इलाहाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन से लगभग 8 कि.मी. की दूरी पर गंगा और यमुना नदी के खेतों में एक सुन्दर स्थल पर

देवघाट, झालवा में स्थायी कैम्पस विकसित किया गया है। इसमें एक प्रशासनिक ब्लाक, व्याख्यान परिसर, कम्प्यूटर व अन्य अनेक प्रयोगशालाएं, इलेक्ट्रानिक पुस्तकालय, रिहायशी परिसर, होस्टल, खेल, परिसर, और छात्र सुविधा केन्द्र हैं। भवन का डिजाइन ज्यामिति पद्धति पर तैयार किया गया जिसे प्रकृति और सूचना की नवीनतम समझ-बूझ को अपनाने के लिए विश्वविख्यात ज्यामितिविद प्रोफेसर रोजट पेनरोज द्वारा तैयार किया गया था।

चरण I संस्थान के स्थायी कैम्पस का निर्माण कार्य वर्ष 2002 -2003 के दौरान पूरा हो गया। वर्ष 2003-04 के दौरान चरण-II निर्माण कार्य शुरू किय गया है।

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, डिजाइन और विनिर्माण संस्थान, कॉचीपुरम और जबलपुर

तत्कालीन प्रधान मंत्री ने 15 अगस्त 2003 को राष्ट्र के नाम अपने स्वतंत्रता दिवस अभिभाषण में विनिर्माण संस्थान स्थापित करने की घोषणा की थी। तदनुसार आवश्यक प्रस्तावों को अन्तिम रूप दे दिया गया है। उम्मीद है कि यह देश में तकनीकी शिक्षा पद्धति के विकास में महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। इससे आज देश की अत्यधिक जल्दी मांग पूरी होगी। उद्योग प्रेरित अनुकूलित प्रबंधन सरंचना से इन संस्थानों में भविष्य की चुनौतियों का सामना करने की योग्यता विकसित होगी। इससे बढ़ते वैश्विक आर्थिक परिवेश में नए उत्पादों के डिजाइन और विनिर्माण के क्षेत्र में भारतीय उद्योग को संधारणीय प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त होगा।

वैश्कवीकरण से विश्वभर में ग्राहक आकांक्षाओं में एकरूपता पैदा हुई है। भारतीय अर्थव्यवस्था के खुल जाने से हमारे विनिर्माण क्षेत्रक को घरेलू बाजार के लिए भी विश्व भर से प्रतियोगिता करनी होगी। इसके लिए श्रेष्ठ प्रौद्योगिकी/गुणवत्ता के साथ दृढ़ उत्पादों और बाध्यकर लागत लाभ की जरूरत होगी, इस लक्ष्य की प्राप्ती के वास्ते उपर्युक्त रूप से प्रशिक्षित जनशक्ति महत्वपूर्ण है। उच्च प्रशिक्षण प्राप्त बड़ी संख्या में जनशक्ति ने ज्ञान-आधारित उद्योगों में भारत को नेतृत्व को मूर्त रूप देने के लिए प्रयास किए जाने जरूररी हैं। यद्यपि, निम्न-तकनीक निर्माण करने में चीन ने पहले ही नेतृत्व प्राप्त कर लिया है, तथापि भारत मस्तिक-प्रचुर विनिर्माण में नेता के रूप में उभर सकता है। तकनीकी शिक्षा की वर्तमान पद्धति में जो नेता यद्यपि विशाल और विविध है, किन्तु विश्लेषणात्मक योग्यताओं पर अधिक वल दिया जाता है। इसके लिए डिजाइन विकास और प्रोटो टाइपिंग के संबंध में निपुणता सैटों की जरूरत है और वह भी आधिनिक यंत्रों और तकनीकों का उपयोग करके। तदनुसार डिजाइन और विनिर्माण संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव है।

दसवीं योजना के दौरान प्रस्तावित सस्थान हेतु 114.62 करोड़ रूपए की राशि विनिश्चित की गई है (प्रत्येक के लिए 57.31 करोड़ रूपए)।

तकनीकी शिक्षा क्षेत्र में नई पहलें

देश में तकनीकी शिक्षा क्षेत्र के लिए सहायता के उद्देश्य से तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार से संवंधित सभी स्कीमों को, विदेश सहाय्यित कार्यक्रम नामतः तकनीकी शिक्षा कोटि सुधार कार्यक्रम (टीईक्यूआईपी) को छोड़कर, प्रस्तावित स्कीम के तहत इकट्ठा कर दिया गया है - तकनीकी शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए कार्यक्रम (पीक्यूआईटीई)। कुछ कार्यक्रम, अर्थात् भूकम्प इंजीनियरी शिक्षा का राष्ट्रीय कार्यक्रम, स्कीम के तहत 13.76 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ, नए और उभरते प्रौद्योगिकी क्षेत्रों के लिए सहायता, स्कीम के तहत 15 करोड़ रूपए के परिव्यय के साथ दूरस्थ शिक्षा के लिए सहायता और वेब-आधारित अध्ययन पर इण्डेस्ट संघ और एकलव्य प्रौद्योगिकी चैनल पहले ही शुरू किए जा चुके हैं। अन्य अनुमोदन विभिन्न चरणों में है, इनमें से प्रत्येक का संक्षिप्त उल्लेख नीचे किया गया है।

चल रहे कार्यक्रम

भूकम्प इंजीनियरी शिक्षा के संबंध में राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीईईई)

मा.सा.वि. मंत्रालय द्वारा संसाधन संस्थानों के रूप में सात आईआईटीएससी के साथ, भूकम्प इंजीनियरी शिक्षा के संबंध में एक विस्तृत राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया था। आईआईटी कानपुर इस स्कीम का समन्वयकर्ता संस्थान है। परियोजना में निम्नलिखित कार्यकलाप सम्मिलित हैं:

क) इंजीनियरी कालेजों, पालिटेक्निकों और वास्तुकला कालेजों के शिक्षकों के लिए अल्पावधि एक से चार सप्ताह और मध्यावधि (एक सेमेस्टर) प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना। इन पाठ्यक्रमों में सीमित संख्या में कार्यरत व्यावसायिकों की भागीदारी की छूट होगी।

ख) अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने के लिए बडी संख्या में अध्यापकों को आंशिक वित्तीय सहायता प्रदान करना और इस प्रकार इस विषय में अन्तर्राष्ट्रीय अधुनातम जानकारी प्राप्त करना।

ग) कोचिंग, अनुसंधान और दीर्घावधि सहयोग के लिए प्रमुख संस्थानों में कुछ अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ आमंत्रित करना।

घ) शिक्षण साधन, पाठ्यक्रम सामग्री, पाठ्यपुस्तकें, मैनुअल और टिप्पणियां विकसित करना।

ड.) लगभग दस इंजीनियरी कालेजों में साधारण शिक्षण प्रयोगशालाएं विकसित करना और आठ मुख्य संस्थानों में और अधिक उन्नत शिक्षण/अनुसंधान प्रयोगशालाएं विकसित करना और सुदृढ़ बनाना।

च) लगभग एक सौ इंजीनियरी कालेजों को भूकम्प इंजीनियरी में पुस्तकालय संसाधन उपलब्ध कराना।

छ) विचार बाँटने और विभिन्न पणधारियों को संवेदी बनाने के लिए कार्यशालाएं और सम्मेलन आयोजित करना।

इस कार्यालय में, सम्बद्ध शैक्षणिक डिग्री अथवा डिप्लोमा कार्यक्रम वाले सभी मान्यताप्राप्त इंजीनियरी कालेज/पालिटेक्निक और वास्तुकला स्कूल भाग ले सकते है, चाहे वे सरकारी वित्तपोषित हो अथवा निजी वित्तपोषित। कार्यक्रम को प्रारम्भ में 13.76 करोड रुपये के बजट के साथ तीन वर्ष के लिए मंजूर किया गया है। अभी तक 5 कार्यशालाएं, 8 अल्पावधि पाठ्यक्रम और एक सेमेस्टर कार्यक्रम आयोजित किया गया है। चार सकांय सदस्यों को अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा सहायता प्रदान की गई है। कार्यशालाओं के माध्यम से सिफारिश किए गए पाठ्यचर्चा परिवर्तनों को उ.प्र. और उत्तरांचल के पालिटेक्निकों में कार्यान्वित किया गया है। डिग्री स्तर पर पाठ्यचर्चा परिवर्तनों के संबंध में उपाय किये जा रहे हैं।

एकलव्य प्रोद्योगिकी चैनल

एकलव्य प्रोद्योगिकी चैनल की शुरूआत 26 जनवरी 2003 को की गई थी। इसे आईआईटी दिल्ली द्वारा समन्वित और इग्नू द्वारा समर्थित किया जाता है। यह तकनीकी शिक्षा के लिए निर्मित कार्यक्रम प्रसारित करता है। ब्यौरे आईआईटी - दिल्ली वेवसाइट www.iitd.ernet.in पर उपलब्ध हैं। चैनल का सी बैण्ड (74 डिग्री ईस्ट), डाउन लिंक फ्रीक्वेन्सी 4165 एमएचजेड, सितम्बर रेट 26,000 एस पी एस एफ ई सी 1/2,पोलराइजेशन होटिजेन्टल पर इनसेट उसी सेटेलाइट के माध्यम से देश प्रत्येक नुक और कार्नर में फुट प्रिन्ट है।

इस चैनल से तकनीकी संस्थानों में अधिगम परिवेश में आने की उम्मीद है। इसका स्पष्टतः यह उद्देश्य नहीं है अध्यापक अथवा अधिगम की पारंपरिक पद्धति को प्रतिस्थ किया जाए। इसके अलावा अधिगम परिवेश को समृद्ध की इच्छा। देश में इंजीनियरी शिक्षा में वास्तविक समाज लाने के लिए एक और सभी के साथ विशेषज्ञता बांटने परिकल्पना की गई है। इसका उद्देश्य इंजीनियरी शिक्षा अध्ययन करने वाले छात्रों के लिए उपयोगी बनाता है।

चैनल फिलहाल 8 पूर्ण वीडियो पाठ्यक्रम प्रसारित कर र और सप्ताह में सातों दिन 17 घंटे प्रतिदिन चलता है। र विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी विशेष रुचि के कार्यक्रम लिए आरक्षित हैं जो आम आदमी की रुचि के हैं। प्र तिमाही एकलव्य प्रौद्योगिकी चैनल पर एक विशेष सूचना है जिसमें निम्नलिखित तीन मास के लिए कार्यक्रम सार अन्य उपयोगी व रुचिकर जानकारी दी जाती है और एआई तथा आईएसटीई की मदद से देशभर में इंजीनियरी कालेज भेजा जाता है।

आईएनडीईएसटी सहायता संघ

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने विज्ञान तथा प्रौद्योगि भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी आईएनडीईएसटी संघ स्थ किया है। मंत्रालय, नौ पूर्ण पाठ इलेक्ट्रानिक संसाधनों आईआईटी, दिल्ली में स्थापित संघ मुख्यालय के माध्य सभी आईआईटी और आईआईएससी सहित 38 केन्द्रीय वित्त संस्थानों को अलग-अलग सुलभता प्रदान करने के वास्ते आव विधियां उपलब्ध कराता है। इलेक्ट्रानिक संसाधनों के संघ-आधारित चंदे का लाभ देश में इन 38 संस्थानों त सीमित नहीं हैं बल्कि इसके मुक्त अन्त्य क्षेत्र के तहत शिक्षण संस्थानों को भी प्राप्त होता है। 60 सरकारी/स सहाय्यित इंजीनियरी कालेज, एआईसीटीई व 14 अन्य इंजी कालेजों और उन संस्थानों की मदद से जो अपने-अपने र शामिल हुए हैं, चुनिंदा इलेक्ट्रानिक संसाधन प्राप्त कर र

इन संसाधनों का नियमित रूप से मानीटरन किया जा र आईआईटी और आईआईएससी में सुलभ इलेक्ट्रानिक संस को बांटा जाता है और उसे जे-गेट कस्टम कन्टेन्ट फार कन्सो जेसीसीसी कहा जाता है जिससे एनआईटी में प्रयोक्ताओं

किसी एक आईआईटी/आईआईएससी को सीधे ही आटोमेटिड अन्तर-पुस्तकालय ऋण अनुरोध सृजित करने में सुविधा होती है।

इन्डसेट कन्सोर्टियम में सामग्री निर्माण से संबंधित अतिरिक्त कार्यकलाप भी प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। कन्सोर्टियम के माध्यम से एकत्रित किए गए इलेक्ट्रानिक संसाधनों के लिए पुरातत्वीय केन्द्र स्थापित करने की जरूरत भी एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप विनिर्धारित किया गया। अनुभव किय गया है कि पुरातत्वीय केद्र विभिन्न संस्थानों में भिन्न-भिन्न संसाधनों के लिए स्थापित किए जा सकते हैं। इसके अलावा शोध निबंधों का राष्ट्रीय डाटा बेस, पत्रिकाओं, अन्य सीरियल प्रकाशनों और पुस्तकों का यूनियन कैटेलाग तथा इंटरनेट आधारित इलेक्ट्रानिक संसाधनों का सहकारी कैटेलागिंग का भी प्रस्ताव है।

प्रौद्योगिकी संवर्धित अधिगम हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम एनपीटीईएल

मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 15 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ प्रौद्योगिकी संवर्धित अधिगम हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम एनपीटीईएल शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सात आईआईटी और आईआईएससी, बंगलौर संसाधन संस्थान हैं। आईआईटी, मद्रास समन्वयक संस्थान है। इंजीनियरी के प्रमुख विषयों और कोर विषयों में इस कार्यक्रम के अंतर्गत 100 वीडियो पाठ्यक्रम और 100 वेब-आधारित पाठ्यक्रम विकसित किए जाएंगे। इसके अलावा एकलव्य प्रौद्योगिकी चैनल पर प्रसारण के लिए 100 विद्यमान वीडियो पाठ्यक्रमों के कैप्सूल तैयार किए जाएंगे।

प्रस्तावित कार्यक्रम

आईटी में एचआरडी के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम

आईटी में एचआरडी संबंधी कार्यदल की रिपोर्ट के आधार पर आईटी में एचआरडी के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम तैयार किया गया है (जनवरी 2001)। रिपोर्ट देश में तकनीकी शिक्षा पद्धति से संबंधित है। कार्यदल ने इंजीनियरी शिक्षा में भावी चुनौतियों का सामना करने के लिए इसे आईटी समर्थित बनाकर तथा इसकी कोटि सुधारने के लिए नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके इसमें आमूल परिवर्तन करने का प्रस्ताव किया था। विगत कुछ वर्षों में उन्नत प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में तेजी से परिवर्तन हुए हैं जिसकी वजह से पूरी नीति पर फिर से विचार किए जाने की जरूरत है। लागत प्रभावों में भी बदलाव आया है।

आईटी में एचआरडी के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम अनिवार्यतः 16 विशिष्ट पहलों का एक संकलन है जिसका एक विशिष्ट उद्देश्य और निश्चित कार्रवाई योजना है। लो कास्ट कम्प्यूटिंग एण्ड ओपन सोर्स साफ्टवेयर, हाई स्पीड कैम्पस-वाइड नेटवर्क्स और रिलायबल एण्ड अफोर्डेबल कनेक्टिविटी पर प्रथम तीन उपकार्यक्रम अनिवार्यतः तकनीकी संस्थानों में पर्याप्त आईसीटी ढांचे के लिए हैं। अगले चार उपकार्यक्रम इन्ट्रोडक्शन आफ कोर कोर्स इन इंजीनियरी इन्फारमेटिक्स, कोर्स बेस्ड इंडक्शन आफ आईटी टूल्स, सीएडी/सीएएम टूल्स एजुकेशन प्रोग्राम और आईटी बेस्ड अप्लाइड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स प्रोग्राम का उद्देश्य इंजीनियरी पाठ्यचर्या में परिवर्तन लाना है जिससे कि इसे सूचना विज्ञान आधारित बनाया जा सके। इससे यह सुनिश्चित होगा कि इंजीनियरी शिक्षा भावी इंजीनियरी व्यवसाय के लिए संगत बनी रहे। अगले दो कार्यक्रम नामतः इंडिया इलेक्ट्रानिक डिजाइन आटोमेशन ईडीए टूल्स प्रोग्राम और माइक्राइलेक्ट्रानिक सिस्टम्स पैकेजिंग प्रोग्राम्स देश में हार्डवेयर क्षेत्रक के लिए जनशक्ति विकास हेतु हैं-जो वृहत विकास सुनिश्चित करने के लिए एक प्राथमिकतापूर्ण क्षेत्र है।

वर्चुअल सेंटर्स आफ एक्सीलेंस फार मैनपावर डेवलपमेंट इन इमर्जिंग टैक्नोलाजी एरियाज के अंतर्गत निर्धारित प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी में पीजी शिक्षा पर विशेष बल दियाप्रौद्योगिक गया है। इससे भारत प्रौद्योगिक प्रेरित विकास हेतु अपनी बौद्धिक सम्पदा का लाभ उठते हुए एक मूल्य कड़ी में शामिल होने में समर्थ होगा। क्रेडिट बेस्ड आउटरीच एजुकेशन प्रोग्राम का उद्देश्य प्रौद्योगिकी निर्मित अधिगम परिवेश का उपयोग करते हुए एक माड्यूलर नम्य तंत्र के माध्यम से कार्यरत व्यवसायिकों और संकाय की सतत शिक्षा की जरूरतों को पूरा करना है। अगले तीन उप कार्यक्रमों-नेटवर्किंग फार ऐकेडमिक कालोबरेशन, प्रोमोटिंग इन्टरफेस विद इंडस्ट्री एंड टेक्निकल मैनपावर डाटाबेस के अंतर्गत इन कार्यक्रमों की कारगरता और पहुंच पर्याप्त रूप से बढ़ाने के लिए नई प्रौद्योगिकियों का प्रयोग किया जाएगा। प्रशासनिक सहायता सेवाओं के कम्प्यूटरीकरण से प्रशासनिक कार्यकुशलता में सुधार होगा, पारदर्शिता में वृद्धि होगी तथा तकनीकी संस्थानों में मितव्ययिता प्रोत्साहित होगी।

जीवन विज्ञानों और जैव-इंजीनियरी शिक्षा के लिए कार्यक्रम

इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश में चुनिन्दा तकनीकी संस्थानों में दृढ़ अकादमिक और अनुसंधान कार्यक्रम निर्मित करना है। अनेक संस्थानों ने जीवन विज्ञानों तथा जैव-इंजीनियरिंग व सम्बद्ध विषयों में कार्यक्रम शुरू किए हैं किन्तु ये सभी प्रयास असंभावित रहे हैं। ऐसे कार्यक्रमों के लिए उपस्कर और सुविधाएं महंगी होने की वजह से इनके लिए संसाधनों का अभाव है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य इस क्षेत्र मे शिक्षण और अनुसंधान सुविधाओं के तीव्र और समन्वित विकास के लिए इन संस्थानों में उन्नत किस्म की शिक्षण और अनुसंधान प्रयोगशाला सुविधाएं निर्मित करने में सहायता प्रदान करना होगा। ये सुविधाएं अकादमिक प्रयोजनार्थ अन्य संस्थानों के छात्रों और अध्यापकों को सुलभ होनी चाहिए। अन्य उद्देश्य निम्न प्रकार होंगेः अध्ययन सामग्री मैनुअलों, गाइड पुस्तकों व अन्य शिक्षण साधनों का विकास, संकाय का प्रशिक्षण, इस विषय में पुस्तकालय संसाधनों का विकास, चुनिंदा तकनीकी संस्थानों (सह संस्थानों) में बुनियादी प्रशिक्षण प्रयोगशालाओं का विकास। सम्मेलन और कार्यशालाओं के माध्यम सहित विभिन्न साधनों के जरिए इस क्षेत्र में अवसरों के प्रति इंजीनियरी संस्थानों और शिक्षाविदो को संवेदी बनाया जाएगा।

तकनीकी शिक्षा में अच्छी कोटि की पुस्तकों का कार्यक्रम

इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश में तकनीकी शिक्षा के लिए सस्ती, अच्छी किस्म की तकनीकी शिक्षा की पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत इंजीनियरी और छः प्रमुख इंजीनियरी विषयों में पाठ्यचर्या आधारित पाठ्यपुस्तकें तैयार करने का काम शुरू किया जाएगा। तथापि, कुछेक पाठ्यपुस्तकें धातुर्विज्ञान, खनन, एयरो स्पेस, वस्त्र आदि जैसे लघु इंजीनियरी विषयों में महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के लिए तैयार की जाएंगी।

इन पुस्तकों की कीमत केवल कागज और मुद्रण की लागत को पूरा करने के लिए निर्धारित की जाएंगी। इस प्रकार कीमत 50 से 60 रुपए के बीच होगी जो पृष्ठों की संख्या और मुद्रित की जाने वाली प्रतियों की संख्या पर निर्भर करेगी। इससे तकनीकी शिक्षा की सस्ती अच्छी कोटि की पाठ्यपुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी जिनसे छात्रों की लगभग सभी आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी। इससे देश में अच्छी कोटि की तकनीकी शिक्षा विकसित करने में छात्रों और अध्यापकों को बहुत मदद मिलेगी।

प्रमुख अकादमिक संस्थानों और सीएसआईआर प्रयोगशालाओं की नेटवर्किंग

देश का सतत आधार पर विकास इसकी नवीन क्षमता और प्रौद्योगिकी विकास के जरिए होता है। यद्यपि देश में उत्कृष्टता के कुछेक क्षेत्र विद्वान हैं तथापि, अनुसंधान और विकास की समग्री स्थिति गंभीर चिंता का विषय है। अकादमिक संस्थानों, अनुसंधान पद्धति और उद्योग को यह सुनिश्चित करने के लिए एक साथ मिलकर काम करना है कि देश में नवीनता बनी रहे। देश में अकादमिक संस्थानों और अनुसंधान प्रयोगशालाओं के बीच कम स्तर पर तालमेल की समस्या का पता लगाने के बाद उनका समाधान करना जरूरी है। संभवतः एक औपचारिक संस्थात्मक प्रबंध और संरचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपाय है।

चुनिन्दा प्रमुख अकादमिक संस्थानों और सीएसआईआर प्रयोगशाला पद्धति के बीच सहयोग के लिए एक राष्ट्रीय संचालन समिति/ उपसमिति तथा समूहों का गठन करने से सतत आधार पर सहयोग सुकर बनाने का प्रस्ताव है। इन पद्धतियों से वे मार्ग प्रभावित होंगे, जिनके अनुसार विभिन्न स्टेक होल्डर सहयोग और संप्रेषण करते हैं। चुनिदा (लगभग 50) प्रमुख अनुसंधान संस्थानों और सीएसआईआर के बीच सहमति ज्ञापन की रूपरेखा में विशिष्ट स्थितियों के संबंध में नीतियों का उल्लेख किया जाएगा और उस ढंग का निर्धारण होगा जिसके अनुसार संसाधन उपलब्ध किए जाने हैं। सूचना का प्रसारण और संचार औपचारिक/अनौपचारिक बैठकों, कार्यशालाओं/सेमिनारों, आदान-प्रदान दौरों और ई-पोर्टल के माध्यम से होगा। अंत में, निष्पादन मूल्यांकन, मान्यता और प्रोत्साहन के संबंध में जो व्यक्तियों और जलों के आचरण को सीधे ही प्रभावित करते हैं, सिफारिशों का उल्लेख होगा।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद

वर्ष 1945 में एक सलाहकार निकाय के रूप में की गई थी जिसे संसद के एक अधिनियम के अंतर्गत 1987 में सांविधिक दर्जा प्रदान कर दिया गया। एआईसीटीई के मुख्य कार्यकलाप निम्न प्रकार हैं : तकनीकी शिक्षा का समन्वित विकास, मातृत्मक विकास की दृष्टि से गुणात्मक सुधार को प्रोत्साहन, और तकनीकी शिक्षा में मानदंडों और मानकों का अनुरक्षण। अधिनियम के अनुसार तकनीकी शिक्षा में सम्मिलित है : इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी, वास्तुकला, नगर आयोजन, प्रबंधन, फार्मेसी, होटल प्रबंध और खान-पान प्रौद्योगिकी, अप्रयुक्त कलाएं और शिल्प

अनुमोदित तकनीकी संस्थान (2003-04 तक)

कार्यक्रम	संस्थानों की संख्या	दाखिला
	डिग्री	
इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी	1265	380803
फार्मेसी	320	16410
होटल प्रबंध व खानपान प्रौद्योगिकी	49	2640
वास्तुकला	107	3408
	स्नातकोत्तर	
एमबीए	958	71251
एमसीए	1034	36338
एमई/एम.टेक/एम.आर्क./ एम.फार्मा	1727	29357

कलाएं। एआईसीटीई का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके साथ क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता, चेन्नई, कानपुर, मुम्बई, चंडीगढ़, भोपाल और बंगलौर में स्थित हैं। एआईसीटीई के कार्यकलापों में मदद देने के वास्ते परिषद, कार्यकारी समिति, 9 सांविधिक अखिल भारतीय अध्ययन वोर्ड, 4 सलाहकार बोर्ड और 7 क्षेत्रीय समितियाँ हैं।

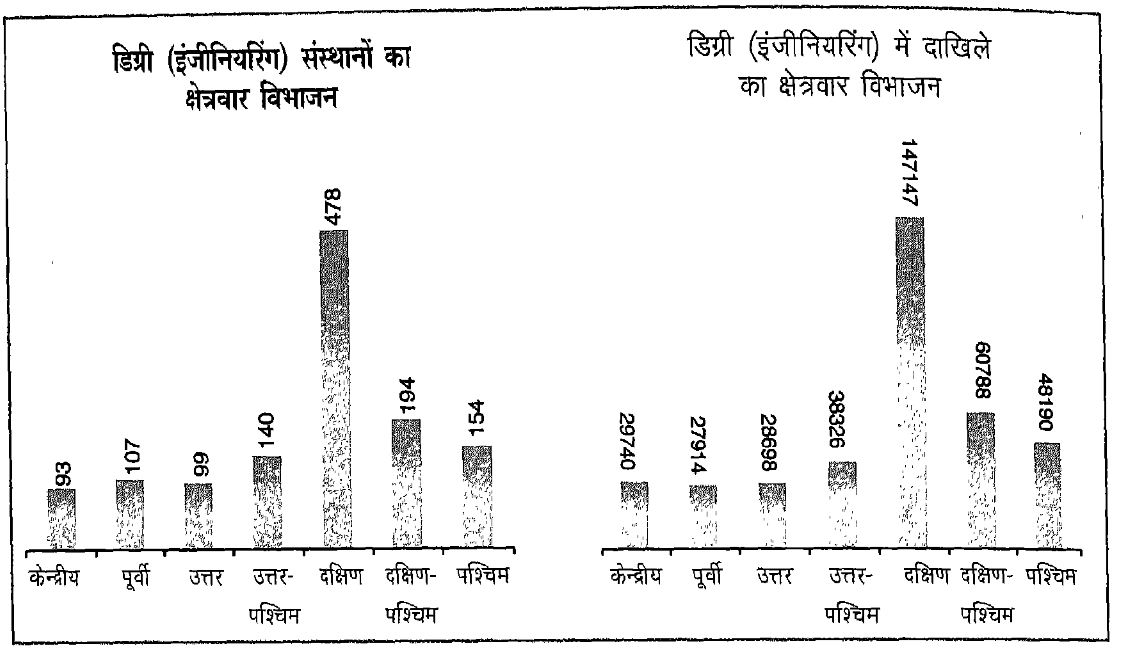
अधिनियम की धारा 10(यू) के तहत एआईसीटीई ने निर्धारित मार्गनिर्देशों, मांगदंडों और मानकों के आधार पर तकनीकी कार्यक्रमों का मूल्यांकन आयोजित करने के लिए एक राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनबीए) स्थापित किया है। एनबीए मार्गनिर्देशों, प्राचलों और प्रत्यायन के संकेतकों पर 1995 से और 3.3.2004 तक अमल किया गया है, 1325 कार्यक्रम प्रत्यायोजित किए गए हैं। एआईसीटीई ने वाशिंगटन सहमति सचिवालय (डब्ल्यूएसी) को अस्थायी सदस्यता के लिए आवेदन किया है और मामला प्रस्तुत करने के लिए एनबीए के अध्यक्ष और सदस्य - सचिव ने न्यूनजीलैंड में रोटोरुआ में आयोजित डब्ल्यूएसी की छठी द्विवार्षिक बैठक में भाग लिया।

अवर स्नातक और स्नातकोत्तर स्तरों पर, संबंधित राज्य सरकार की एजेंसियों के साथ परामर्श करके, पूरे देश के संबंध में एआईसीटीई, नए पाठ्यक्रम अथवा कार्यक्रम प्रारंभ करने के वास्ते तकनीकी शिक्षा संस्थानों में दाखिले की क्षमता में परिवर्तन करने के लिए, अनुमोदन प्रदान करती है। डिप्लोमा स्तर पर भी विभिन्न राज्य सरकारों का सक्रिय सहयोग प्राप्त करने के लिए एआईसीटीई ने संबंधित राज्य सरकारों को, नए संस्थानों के अनुमोदन, नए पाठ्यक्रम प्रारंभ करने और डिप्लोमा स्तर पर तकनीकी संस्थानों में दाखिले क्षमता में भिन्नताओं से संबंधित शक्तियाँ, प्रत्यायोजित की हैं।

संस्थात्मक विकास और तकनीकी शिक्षा पद्धति एवं अन्य संगत पद्धतियों के बीच, जिनमें अनुसंधान समुदाय शामिल है, प्रभावी तालमेल प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, एआईसीटीई अधिनियम की धारा 10(च) के अनुसार एआईसीटीई तीन स्कीमें चलाती हैं : पुरातन पड़ गई पद्धतियों का आधुनिकीकरण और समाप्ति (एमओडीआरओबीएस), तकनीकी शिक्षा में प्राथमिकतापूर्ण क्षेत्र कार्यक्रम (टीएपीटीईसी), और अनुसंधान तथा विकास कार्यक्रम (आर एंड डी)। इस वर्ष के दौरान इन स्कीमों के तहत लगभग 593 परियोजनाओं के लिए सहायता प्रदान की गई।

उद्योग-संस्थान विचार-विमर्श के उद्देश्य से एआईसीटीई की कुछ स्कीमें हैं जैसे कि उद्योग-संस्थान भागीदारी (आईआईपी) प्रकोष्ठ, उद्यमशीलता और प्रबंध विकास कार्यक्रम (ईएमडी), एआईसीटीई-आईएनएई (भारतीय राष्ट्रीय इंजीनियर्स अकादमी) विशिष्ट भ्रमणकर्ता प्रोफेसरशिप, औद्योगिक सहयोग से इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी में राष्ट्रीय सुविधाएं आदि।

दक्षताओं के उन्नयन और ज्ञान के आदान-प्रदान के लिए अवसर प्रदान करने के वास्ते एआईसीटीई तकनीकी शिक्षा में शिक्षकों के कैरियर विकास हेतु अनेक कार्यक्रम संचालित करती है। जैसेकि कोटि सुधार कार्यक्रम (क्यूआईपी), पाठ्यक्रम सामग्री माड्यूलों का निर्माण, अल्पावधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, युवा अध्यापकों के लिए कैरियर पुरस्कार, यात्रा अनुदान और सेमिनार अनुदान प्रदान करने के लिए स्कीमें आदि। एआईसीटीई ने अब क्यूआईपी स्कीम का पोलिटेक्निक अध्यापकों द्वारा एमई/एम.टेक अध्ययन करने के लिए, विभिन्न विषयों में कार्यक्रमों के वास्ते विस्तार कर दिया गया है। सेवानिवृत्त फैलोशिप स्कीम के अंतर्गत, फैलोशिप और फुटकर अनुदान प्रदान करने के माध्यम से एआईसीटीई सेवानिवृत्त संकाय



सदस्यों को 2 वर्ष तक की अवधि के लिए अनुसंधान कार्य जारी करने के वास्ते एक अवसर प्रदान करती है।

एआईसीटीई अधिनियम की धाराच 10 (क) में परिकल्पित, तकनीकी शिक्षा का नियोजित विकास सुनिश्चित करने के वास्ते एआईसीटीई अनुप्रयुक्त जनशक्ति अनुसंधान संस्थान (आईएएमआर), नई दिल्ली और देशभर में स्थापित विभिन्न तकनीकी संस्थानों और अन्य विभागों में 20 नोडल केन्द्रों में स्थित लीड केन्द्र की मदद से राष्ट्रीय तकनीकी जनशक्ति सूचना पद्धति (एनटीएमआईएस) संचालित करती है।

तकनीकी शिक्षा पद्धति के गुणात्मक सुधार के वास्ते अपने प्रयास के भाग के रूप में एआईसीटीई मॉडल पाठ्यचर्याओं के विकास के लिए प्रयास जारी रखे हुए है। एआईसीटीई ने देश में इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी में अवर स्नातक शिक्षा की समीक्षा करने के लिए एक समीक्षा समिति गठित की है। महिलाओं समाज के विकलांग और कमजोर वर्गों के कल्याण और प्रोत्साहन हेतु एआईसीटीई का उद्देश्य इस प्रयोजनार्थ गठित एक समिति के माध्यम से स्कीमें तैयार करने का है।

एआईसीटीई - ईआरएनईटी स्कीम के तहत एआईसीटीई अनुमोदित तकनीकी संस्थानों को इंटरनेट प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करती है। इस प्रयोजनार्थ एआईसीटीई द्वारा एकबारगी अनुदान के रूप में ईआरएनईटी इंडिया को 10.00 लाख रुपए की एकमुश्त राशि का अनुदान देती है, जिससे कि वे प्रत्येक चुनिंदा सरकार, अर्ध-सरकारी संस्थान के साथ इंटरनेट संयोज्यता/इंटरनेट की व्यवस्था कर सकें तथा प्रत्येक चुनिंदा एआईसीटीई अनुमोदित स्व-वित्तपोषण संस्थान के लिए 5 लाख रुपए तक दिए जाते हैं।

स्टेक होल्डरों को सूचना उपलब्ध कराने और अपने कार्यकलापों में पारदर्शिता लागू करने के वास्ते एआईसीटीई अपनी वेबसाइट www.aicte.ernet.in नियमित रूप से रखती है और उसे अद्यतन बनाती है।

भारतीय खान स्कूल (आईएसएम), धनबाद

भारतीय खान स्कूल (आईएसएन) धनबाद, खनन और सम्बद्ध क्षेत्रों में शिक्षा और अनुसंधान आयोजित करने के लिए भारत सरकार द्वारा 1926 में स्थापित किया गया था। 1967 में इसे सम विश्वविद्यालय के दर्जे के साथ केन्द्रीय सरकार के अधीन एक स्वायत्त निकाय का रूप दे दिया गया। आईएसएम, जनशक्ति को संबंधित विषय क्षेत्रों में प्रशिक्षित करने के अलावा, इन क्षेत्रों में राष्ट्रीय मानव संसाधन आवश्यकताओं की पूर्ति करता है : खनन, पैट्रोलियम, खनन मशीने, खनन इंजीनियरी और भू-स्रोत।

आईएसएम, निम्नलिखित विषयों में चार वर्षीय (10+2 के बाद) एकीकृत बी.टेक कार्यक्रमों की पेशकश प्रदान करता है : खनन, इंजीनियरी, खनन मशीनरी इंजीनियरी, अभियांत्रिकी इंजीनियरी, पेट्रोल इंजीनियरी, खनिज इंजीनियरी, कंप्यूटर विज्ञान तथा इंजीनियरी इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरी; एम.एस.सी. (टेक.) डिग्री के लिए निम्नलिखित तीन विषयों में तीन वर्षीय मास्टर कार्यक्रम : अनुप्रयुक्त भू-गर्भ विज्ञान तथा अनुप्रयुक्त भू-भौतिकी एम.एस.सी. डिग्री के लिए निम्नलिखित विषयों में दो वर्षीय कार्यक्रम; अनुप्रयुक्त भू-विज्ञान, गणित और कंप्यूटिंग; निम्नलिखित विषयों में चार समेस्टर वाला एम.टेक कार्यक्रम : कंप्यूटर अनुप्रयोग, ड्रिलिंग, इंजीनियरी, इंजीनियरी भू-गर्भ विज्ञान, पर्यावरणीय विज्ञान और इंजीनियरी, ईंधन इंजीनियरी, औद्योगिकी इंजीनियरी, लोंगोवाला खान यांत्रिकीकरण, अनुरक्षण इंजीनियरी तथा ट्राइबोलॉजी, खान आयोजना और डिजाइन, खनिज इंजीनियरी, खनन मशीनरी, खनन भू-भौतिकी, आपेन कास्ट खनन, पेट्रोलियम इंजीनियरी, पेट्रोलियम कोच तथा चट्टान, उत्खनन इंजीनियरी, विज्ञान में दो समेस्टर वाले एम.फिल कार्यक्रम तथा एम.बी.ए. में चार समेस्टर वाला कार्यक्रम। इन सभी कार्यक्रमों में एक अखिल भारतीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से दाखिले किए जाते हैं।

संस्थान, भू-वैज्ञानिक और भू-भौति पूर्वेक्षण, इंजीनियरी, भू-विज्ञान, सतही खनन और इसकी समस्याएं, भूमिगत खनन आदि के क्षेत्रों में उद्योग को परामर्श प्रदान करता है। संस्थान अनेक उद्योगोन्मुखी कार्यक्रम चला रहा है। साथ ही यह स्कूल उद्योग तथा परामर्शी सेवाएं चलाने, परीक्षण तथा उद्योग और संस्थानगत ग्राहकों को अन्य क्षेत्रीय सेवाएं प्रदान करने के लिए अपेक्षित तकनीकी इन्पुट तैयार करने के वास्ते अनेक अनुसंधान परियोजनाएं और कार्यक्रम चला रहा है यह स्कूल अविच्छन्न शिक्षाच और कार्यकारी विकास कार्यक्रम चला रहा है जोकि विशेष रूप से खनन, पेट्रोलियम तथा सम्बद्ध उद्योगों में कंपनियों और संस्थानों द्वारा पसंद किए जाते हैं।

स्कूल अपने आपको उद्योगों की बदलती हुई प्रौद्योगिकीय मांगों की पूर्ति करने के लिए तैयार कर रहा है। इस पृष्ठभूमि ने स्कूल में कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरी तथा इलेक्ट्रानिक, इंस्ट्रूमेंटेशन में नए शैक्षणिक कार्यक्रम शुरू किए। मैकेनिकल इंजीनियरी में एक नया पाठ्यक्रम भी शुरू किया गया है।

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटीएस)

17 क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज (आरईसी) 1959 के बाद से प्रत्येक बड़े राज्य में एक-एक के हिसाब से विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए प्रशिक्षित तकीनीकी जनशक्ति संबंधी बढ़ती देश की आवश्यकता को पूरा करने के लिए स्थापित किए गए हैं। इन कालेजों की स्थापना केन्द्रीय सरकार और संबंधित राज्य सरकार के संयुक्त और सहकारी उद्यम के रूप में की गई है। बाद में सीएसआईआर के महानिदेशक डॉ. आर.ए. माशेलकर की अध्यक्षता में गठित उच्च अधिकारप्राप्त एक समिति की सिफारिशों और केन्द्रीय शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में स्थापित अधिकारप्राप्त समिति की सिफारिशों के आधार पर इन कालेजों को व्यावसायिक प्रबंधन संचरना के साथ सम-विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान कर दिया गया। आरईसी को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के रूप में पुनर्गठित किया गया। 14 मई, 2003 को इन सभी 17 संस्थानों को केन्द्रीय सरकार के पूर्णतः वित्तपोषित संस्थानों के रूप में संभाल लिया गया। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के परिवार में वृद्धि करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने 28 जनवरी, 2004 से बिहार इंजीनियरी कालेज पटना को संभालने का प्रस्ताव और इसे सम-विश्वविद्यालय के दर्जे के साथ एनआई, पटना बनाने का प्रस्ताव भी अनुमोदित कर दिया है। इस प्रकार राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की कुल संख्या बढ़कर 18 हो गई है। उम्मीद है कि ये संस्थान, आईआईटी, आईआईएससी इत्यादि जैसे अन्य राष्ट्र स्तरीय तकनीकी संस्थानों के समान बन जाएंगे और उच्च कोटि की इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी की अवर स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर की शिक्षा की मांग पूरी करने में समर्थ होंगे। वर्ष 2003-04 के लिए सभी एनआईटी के लिए कुल बजट प्रावधान योजनागत के अंतर्गत 80 करोड़ रुपए और योजनेतर के अंतर्गत 136.69 करोड़ रुपए है। आलोच्य अवधि के दौरान एनआईटी परिषद की पहली बैठक 14 अगस्त, 2003 को हुई थी जिसमें एकसमान सेवा शर्तों, स्टाफ की भर्ती, कैरियर प्रगति, सेवानिवृत्ति की आयु, पेंशन/जीपीएफ/ सीपीएफ आदि से संबंधित प्रमुख निर्णय लिए गए। इसके अलावा, शासी बोर्ड के पुनर्गठन, एनआईटी में शैक्षणिक प्रशासन सुधारने के लिए जिसमें, वित्त और भवन तथा निर्माण समितियाँ शामिल हैं, विभिन्न समितियाँ स्थापित करने के संबंध में निर्णय लिए गए। आलोच्य वर्ष के दौरान अलग-अलग एनआईटी द्वारा किए गए कार्यकलाप निम्न प्रकार हैं :

मोतीलाल नेहरु राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद

वर्ष 1961 में स्थापित मोतीलाल नेहरु क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, इलाहाबाद को 26 जून 2002 को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान ऋएन. आई.टी.ऋ में बदल दिया गया। कालेज के आठ विभाग हैं। कालेज, सिविल, विद्युतीय, मेकेनिकल, कम्प्यूटर विज्ञान, इलेक्ट्रानिकी, उत्पादन और औद्योगिकी इंजीनियरी तथा सूचना प्रौद्योगिकी के विषयों में चार वर्षीय अवर स्नातक पाठ्यक्रम भी प्रदान करता है। कालेज, 13 एम.ई. कार्यक्रम और मास्टर आफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन (एम.सी.ए.) तथा मास्टर आफ मेनेजमेंट स्टडीज (एम.एम.एस.) भी प्रदान करता है। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 170, एम.सी.ए. में 60 और एम.एम.एस. में 30 के साथ अवर स्नातक में कुल दाखिला क्षमता 469 है। पी एच डी कार्यक्रम के लिए भी सुविधा विद्यमान है। संस्थान का वेबसाइट पता www.mnit.ac.in है।

मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल

वर्ष 1960 में स्थापित मौलाना आजाद प्रौद्योगिकी कालेज, भोपाल को 26 जून 2002 को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में बदल दिया गया। कालेज, सिविल इंजीनियरी, इलेक्ट्रानिक्स और संचार इंजीनियरी, कम्प्यूटर विज्ञान तथा इंजीनियरी, सूचना प्रौद्योगिकी में चार वर्षीय बी.ई. पाठ्यक्रम और एक पांच वर्षीय बी.आर्क. पाठ्यक्रम प्रदान करता है। अवर स्नातक पाठ्यक्रमों में कुल दाखिला क्षमता 451 है। कालेज, 115 स्थानों के साथ नियमित और अंशकालिक विधि के तहत 13 विशिष्टताओं में एम.टेक. पाठ्यक्रम भी प्रदान करता है। कालेज, 30 स्थानों के दाखिला क्षमता के साथ एम.सी.ए. भी प्रदान करता है। कालेज में पांच बायज होस्टल और एक गर्ल्स होस्टल है। कालेज ने दो समस्या-उन्मुख अनुसंधान प्रयोगशालाएं स्थापित की हैं, जो भारत में अपने किस्म की पहली हैं - एक फ्लुयड मेकेनिक्स में और हाइड्रोलिक मेकेनिक्स में तथा दूसरी उद्योग तथा क्षेत्र में तथा प्राप्त उपयोगी अनुभव छात्रों के सम्प्रेषित करने के लिए कालेज में 93368 पुस्तकों के साथ एक अच्छा पुस्तकालय है। स्टाफ सदस्यों द्वारा विभिन्न प्रख्यात राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में 90 अनुसंधान पत्र प्रकाशित किए गए। कालेज द्वारा इस समय 17 अनुसंधान परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। संस्थान का वेबसाइट पता है: www.manit.nic.in

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कालीकट

1961 में स्थापित क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, कालीकट को 26 जून 2002 को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में बदल दिया गया। कालेज में आठ विभाग हैं। कालेज, सिविल इंजीनियरी, वास्तुकला (आर्क) इंजीनियरी, विद्युतीय और इलेक्ट्रानिकी इंजीनियरी, इलेक्ट्रानिक्स तथा संचार इंजीनियरी, मेकेनिकल इंजीनियरी, उत्पादन इंजीनियरी और प्रबंधन, कम्प्यूटर विज्ञान और इंजीनियरी में चार वर्षीय अवर स्नातक पाठ्यक्रम और एक पांच वर्षीय बी.आर्क. पाठ्यक्रम प्रदान करता है। कालेज डेढ़ वर्ष की अवधि के 11 विभिन्न विशिष्टताओं में एम.टेक. डिग्री भी प्रदान करता है। इसके अलावा तीन वर्षीय (छ: सेमेस्टर) एम.सी.ए. पाठ्यक्रम भी प्रदान किया जाता है। कालेज का एक सुसज्जित पुस्तकालय है जिसमें 79,160 पुस्तकें हैं तथा 7,802 बी.आई.एस. नमूने हैं। इसने 261 विदेशी पत्रिकाएं, 95 भारतीय पत्रिकाएं और दैनिक समाचार पत्र मंगाए। पुस्तकालय के आधुनिकीकरण के भाग के रूप में सी.आर.ई.सी. डिजिटल पुस्तकालय शुरू किया गया है। ''नालन्दा'', अर्थात आटोमेटिड पुस्तकालय और अभिलेखागार का नेटवर्क चालू किया। पुस्तकालय ने उपयोगकर्ताओं को सही समय पर नवीनतम जानकारी देना प्रारम्भ किया। इन्टरनेट और इन्ट्रानेट दोनों पर नवीनतम जानकारी ''नालन्दा'' के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है। ''नालन्दा'' वेबसाइट के माध्यम से सी.आर.ई.सी. समुदाय के लिए इंजीनियरी विषयों पर 100 से अधिक पूर्ण पाठ इलेक्ट्रानिकी पुस्तकें सुलभ हैं। संस्थान का वेबसाइट पता है: www.nitc.ac.in

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दुर्गापुर

1960 में स्थापित क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, दुर्गापुर को 3 जुलाई 2003 को एक विश्वविद्यालय में बदल दिया गया। संस्थान में 15 विभाग हैं। कालेज, विसिल, विद्युतीय, मेकेनिकल, केमिकल, मेटालर्जिकल, इलेक्ट्रानिक्स तथा संचार, कम्प्यूटर विज्ञान और इंजीनियरी तथा सूचना प्रौद्योगिकी विषयों में चार वर्षीय अवर स्नातक पाठ्यक्रम प्रदान करता है। कालेज, एम.टेक. पाठ्यक्रम भी प्रदान करता है। चालू वर्ष के दौरान, विदेशी छात्रों के लिए 120 स्थान वाला एक बॉयज होस्टल, 120 स्थान वाली प्राध्यापक विथियां - कुल तीन, कम्प्यूटर केन्द्र विस्तार, विद्युतीय मशीन प्रयोगशाला का निर्माण किया गया। इसके अलावा, सी.एन.ए.एन.सी.ई. के तत्वावधान में रसायनशास्त्र और धातुकर्मी इंजीनियरी विभाग द्वारा दो पृथक पाठ्यक्रम आयोजित किए गए। संस्थान का वेबसाइट पता है: www.nitdgp.ac.in

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हमीरपुर

1985 में स्थापित क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, हमीरपुर, को 26 जून 2002 को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में बदल दिया गया। संस्थान

में पांच विभाग हैं। यह सिविल, विद्युतीय, इलेक्ट्रानिक्स और संचार, कम्प्यूटर विज्ञान और मेकेनिकल इंजीनियरी विषयों में चार वर्षीय अवर स्नातक पाठ्यक्रत प्रदान करता है। कालेज ने 2000-01 के दौरान बी.आर्क. पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के लिए भी आवेदन किया है। चार बॉयज तथा एक गर्ल्स होस्टल है। कालेज में एक सुसज्जित पुस्तकालय है। दाखिले की कुल क्षमता 220 है।

मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जयपुर

1963 में स्थापित मालवीय क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, जयपुर को 26 जून 2002 को मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जयपुर में बदल दिया गया। संस्थान, 9 अवर स्नातक पाठ्यक्रम तथा 9 पूर्णकालिक और 5 अंशकालिक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रदान करता है। 2002-03 सत्र के दौरान, 459 छात्र बी.ई. पाठ्यक्रम में दाखिल किए गए जिन्हें मिलाकर अवर स्नातक स्तर के छात्रों की संख्या 1696 हो गई। स्नातकोत्तर छात्रों की कुल संख्या 395 है जिनमें से 83 छात्र प्रबंध अध्ययनों में स्नातकोत्तर कार्यक्रम अध्ययन कर रहे हैं। इस समय संस्थान में संकाय सदस्यों की संख्या 151 है जिनमें से 68 के पास पी.एच.डी. डिग्री है। संस्थान, चालू वर्ष के दौरान, टी. आई.एफ.ए.सी.-सी.ओ.आर.ई. सहायता के अन्तर्गत रीवर्स इंजीनियरी पर "रीच" परियोजना कार्यान्वित करने वाला है। संस्थान, इलेक्ट्रानिक्स और कम्प्यूटर इंजीनियरी में जनशक्ति विकास हेतु "इम्पेक्ट" परियोजना कार्यान्वित कर रहा है जिसका वित्तपोषण विश्व बैंक, स्विस विकास निगम और भारत सरकार द्वारा किया जाता है। वर्ष 2002-03 में संस्थान ने 4 ग्रीष्म/शरद स्कूल आयोजित किए। 30 संगठनों ने कैम्पस साक्षात्कार आयोजित किए तथा 95 उम्मीदवारों को नियुक्तियां प्रदान की गई हैं जिनका औसत वेतन पैकेज 5.5 लाख रुपए है। केन्द्रीय पुस्तकालय में 1,12,000 पुस्तकें, 12,700 पत्रिकाएं, 1000 से अधिक विडियो कैसेट, वीडियो दृश्य सुविधाओं के साथ बी.आई.एस. मानक तथा इसके आठ विभागों के लिए सी.डी. रोम डाटाबेस है। कालेज, केमिकल, सिविल, कम्प्यूटर, विद्युतीय, इलेक्ट्रानिक्स तथा संचार के विषयों में चार वर्षीय अवर स्नातक पाठ्यक्रम और एक पांच वर्षीय बी.आर्क. पाठ्यक्रम प्रदान करता है। कालेज, तीन सेमेस्टर वाला पूर्णकालिक तथा पांच सेमेस्टर वाला अंशकालिक (स्व: वित्तपोषी) स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रत और एम.एम.एस. अध्ययनों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रदान करता है। प्रायोजित नियोजित इंजीनियरों के लिए, जिन्हें शहरी विकास मंत्रालय द्वारा मनोनीत किया जाएगा, पर्यावरणीय इंजीनियरी (सिविल इंजीनियरी विभाग के तहत) में एक एम.ई. पाठ्यक्रत भी भारत



सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है। संस्थान का वेबसाइट पता है: www.mnit.ac.in

डॉ.बी.आर. अम्बेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जालन्धर, पंजाब

1986 में स्थापित डॉ. बी.आर. अम्बेडकर क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, जालन्धर को 17 अक्तूबर 2002 को डॉ. बी.आर. अम्बेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में बदल दिया गया। इस कालेज में 13 विभाग हैं और यह इन विषय क्षेत्रों में चार वर्षीय स्नातक-पूर्व पाठ्यक्रमों की पेशकश करता है: रासायनिक और जैव-इंजीनियरी, सिविल इंजीनियरी (स्ट्रक्चरल इंजीनियरी तथा निर्माण प्रबंध), कम्प्यूटर विज्ञान और इंजीनियरी, इलेक्ट्रानिक्स तथा संचार इंजीनियरी, औद्योगिक इंजीनियरी, इंस्ट्रूमेंटेशन तथा नियंत्रण इंजीनियरी, चर्म प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी इंजीनियरी (मेकेनिकल मशीन डिजाइन तथा आटोमेशन) तथा वस्त्र प्रौद्योगिकी। स्नातक-पूर्व धारा में कुल मिलार 304 छात्रों को दाखिला दिया जाता है। कालेज में लड़कों के लिए पांख और लड़कियों के लिए एक छात्रावास उपलब्ध है। कालेज में एक सुसज्जित पुस्तकालय है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तथा राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमकर्ता विकास बोर्ड (एन. एस.टी.ई.डी.बी.) के वित्तपोषण से कालेज में एक उद्यमकर्ता सेल

की स्थापना की गई थी ताकि विभिन्न कार्यक्रमों की व्यवस्था करके छात्रों/स्नातकों/स्नातकोत्तरों के बीच उद्यमकर्ता संस्कृति को बढ़ावा दिया जा सके। संस्थान का वेबसाइट पता है: www.nitf.ac.in

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जमशेदपुर

1960 में स्थापित क्षेत्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जमशेदपुर को 27 दिसम्बर 2002 को विश्वविद्यालयवत दर्जे के साथ राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में बदला गया। कालेज में 13 विभाग हैं। कालेज इन विषय क्षेत्रों में चार वर्षीय स्नातक-पूर्व पाठ्यक्रमों की पेशकश करता है: सिविल, अभियांत्रिकी, विद्युत, धातुकर्म, इलेक्ट्रानिक, उत्पादन इंजीनियरी और प्रबंध तथा कम्प्यूटर विज्ञान और इंजीनियरी। कालेज में 285 छात्रों को दाखिला दिया जाता है। कालेज में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 55 और एम.सी.ए. में 30 स्थान मौजूद हैं। लड़कों के लिए नौ तथा लड़कियों के लिए एक छात्रावास की व्यवस्था है। कालेज में एक सुसज्जित पुस्तकालय मौजूद है।

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरूक्षेत्र

1963 में स्थापित क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, कुरूक्षेत्र को 26 जून 2002 को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में बदल दिया गया। कालेज इन विषय क्षेत्रों में अवर स्नातक पाठ्क्रमों की पेशकश करता है: सिविल, विद्युतश अभियांत्रिकी, इलेक्ट्रानिक्स तथा संचार इंजीनियरी और कम्प्यूटर इंजीनियरी। कुल मिलाकर, 327 छात्रों को प्रत्येक वर्ष दाखिला दिया जाता है। संस्थान, 86 छात्रों की वार्षिक दाखिला क्षमता के साथ इन विषयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम भी आयोजित करता है। इस समय संस्थान में छात्रों की कुल संख्या 1539 है। आई.एस.ओ. 9002 प्रमाणित संस्थान, एन.आई.टी. कुरूक्षेत्र ने आई.बी.एम. के साथ एक सहमकत ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और इसे नि:शुल्क साफ्टवेयर प्राप्त हुआ। संस्थान का, फाइबर आप्टिक कम्प्यूटर नेटवर्किंग के साथ एक सुविकसित कैम्पस है। संस्थान का वेबसाइट पता है: www.reck.nic.in

विश्वेश्वर्या राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नागपुर

1960 में स्थापित विश्वेश्वर्या राष्ट्रीय इंजीनियरी कालेज, नागपुर को 26 जून 2002 को विश्वेश्वर्या राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नागपुर में बदल दिया गया। कालेज में 13 विभाग हैं। कालेज एक पांच वर्षीय बी.आर्क. पाठ्यक्रम के अलावा इन विषय क्षेत्रों में चार वर्षीय बी.ई. पाठ्यक्रमों की पेशकश करता है: सिविल, अभियांत्रिकी, विद्युत, धातुकर्म, खनन, इलेक्ट्रानिक्स, कम्प्यूटर विज्ञान, संरचनात्मक इंजीनियरी। यह कालेज अंशकालिक और नियमित पद्धति के अधीन 11 एम.टेक. पाठ्यक्रम भी चलाता है। कालेज औद्योगिक प्रबंध में एक वर्षीय डिप्लोमा भी प्रदान करता है। स्नातक-पूर्व पाठ्यक्रमों में कुल मिलाकर, 375 और स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में 173 छात्रों को दाखिला दिया जाता है। कालेज में लड़कों के सात और लड़कियों का एक छात्रावास उपलब्ध है। कालेज में स्थित उद्योग संस्थान तालमेल सेल औद्योगिक क्षेत्र के साथ गहरी अन्योन्यक्रिया को बढ़ावा देता है और पल्लवित करता है और उसकी उन्नति में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। संस्थान का वेबसाइट पता है: www.vnitnagpur.ac.in

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राउरकेला

1961 में स्थापित क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, राउरकेला को 26 जून 2002 को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राउरकेला में बदल दिया गया। कालेज में 15 विभाग हैं और यह इन विषय क्षेत्रों में चार वर्षीय स्नातक-पूर्व पाठ्यक्रमों की पेशकश करता है: रासायनिक, सिविल, विद्युत, अभियांत्रिकी, धातुकर्म संबंधी, खनन, अनुप्रयुक्त इलेक्ट्रानिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरी, कम्प्यूटर विज्ञान और इंजीनियरी तथा सिरेमिक इंजीनियरी। चार वर्षीय बी.ई. स्तर पर स्नातक-पूर्व धारा में कुल मिलाकर 348 छात्रों को दाखिला दिया जाता है। कालेज छ: स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम और एक तीन वर्षीय एम.सी.ए. कार्यक्रम भी चलाता है। कालेज में लड़कों के लिए छ: और लड़कियों के लिए एक छात्रावास मौजूद है। उड़ीसा में राष्ट्रीय तकनीकी जनशक्ति सूचना प्रणाली के लिए एन.आई.टी. राउरकेला एक नोडल केन्द्र है। वर्ष के दौरान संस्थान से इंजीनियरी में 5 पी.एच.डी. और बुनियादी विज्ञान में 3 पी.एच.डी. तैयार किए तथा राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में 106 मूल अनुसंधान पत्र प्रकाशित किए। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के रूप में स्तरोन्नत किए जाने के बाद संस्थान ने 2002-2003 में दाखिल प्रथम सेमेस्टर छात्रों से आई.आई.टी. में पालन की जा रही शैक्षणिक और मूल्यांकन प्रक्रियाएं अपनाई हैं। तदनुसार संस्थान विनियम में संशोधन कर रहा है। पी.एच.डी. कार्यक्रमों के लिए नया विनियम भी तैयार किया जा रहा है। संस्थान का वेबसाइट पता है: www.nitrkl.ac.in

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सिल्चर

1967 में स्थापित क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, सिल्चर को 28 जून 2002 को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सिल्चर में बदल दिया गया। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में बदले जाने के बाद संस्थान आई.आई.टी. की पद्धति के अनुसार स्वयं का पुनर्गठन कर रहा है। पुनर्गठन के

भाग के रूप में अवर स्नातक अध्ययन बोर्ड के सिनेट और विभागीय अवर स्नातक कार्यक्रम समितियां गठित की गई हैं। सिनेट की पहली बैठक 20 सितम्बर 2002 को आयोजित की गई जिसमें पाठ्यक्रम प्रणाली, नियम और विनियम अनुमोदित किए गए।

संस्थान, अवर-स्नातक पाठ्यक्रम प्रदान करता है जिनमें सिविल इंजीनियरी, विद्युतीय इंजीनियरी, मेकेनिकल इंजीनियरी, इलेक्ट्रानिकी और दूर संचार इंजीनियरी तथा कम्प्यूटर विज्ञान और इंजीनियरी आदि जैसे विभिन्न विषयों में बी.ई./बी.टेक. डिग्री प्रदान की जाती है। इस वर्ष के दौरान संस्थान ने 209 नए छात्र दाखिल किए। नए प्रवेशों के फलस्वरूप संस्थान में छात्रों की कुल संख्या इस वर्ष लगभग 900 हो गई।

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, श्रीनगर

1960 में स्थापित क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज 7 अगस्त, 2003 को सम-विश्वविद्यालय के दर्जे के साथ एनआईटी में बदल दिया गया। इस कालेज में 11 विभाग हैं और यह कालेज इन विषय-क्षेत्रों में चार-वर्षीय स्नातक-पूर्व पाठ्यक्रमों की पेशकश करता हैः सिविल इंजीनियरी, विद्युत, इलेक्ट्रोनिक और संचार इंजीनियरी, अभियांत्रिकी इंजीनियरी, रासायनिक और धातुकर्म इंजीनियरी तथा जल संसाधन इंजीनियरी में एम.ई. पाठ्यक्रम। कालेज सभी विज्ञान विभाग और कुछेक इंजीनियरी विभागों में एम.फिल. और पीएच.डी. कार्यक्रम भी चलाता है। स्नातक-पूर्व पाठ्यक्रमों में कुल मिलाकर 242 छात्रों को दाखिला दिया जाता है। 'नोवेल्ल नेटवेयर के अधीन प्रत्येक ब्लाक में अलग-अलग एलएएन स्थापित किए जाने के बाद पुस्तकालय और प्रशासन सहित विभिन्न विभागों को नेटवर्क का अंग बना दिया गया है।

विभिन्न क्षेत्रों के संकाय सदस्यों को क्यूआईपी के अधीन उच्चतर अध्ययन के लिए आईआईएससी, बंगलौर, रुड़की विश्वविद्यालय तथा विभिन्न आईआईटी जैसे विख्यात संस्थानों में भेजा गया।

राज्य में प्रतिकूल परिस्थितियों और अत्यल्प औद्योगिक आधार के बावजूद विभिन्न विभागों में परामर्शी सेवाओं में तेजी आई है। टी और पी विभाग, डीआरडीओ, विप्रो, फ्यूचर सिस्टम, क्वार्क मीडिया हाउस, आईटीआई, पीसीएस सिस्टम लिमिटेड, फ्यूचर टेक्नो डिजाइन लिमिटेड, ग्लोबल टेक लिमिटेड जैसे विख्यात सरकारी और निजी क्षेत्र के उद्यमों का आकृष्ट करने में सफल रहा है। काफी बड़ी संख्या में छात्रों का चयन किया जा रहा है।

सरदार वल्लभभाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सूरत

सरदार वल्लभभाई क्षेत्रीय इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी संस्थान (एसवीआरसीईटी), सूरत की स्थापना 1961 में की गई थी और इसे 4 अक्तूबर, 2002 को सरदार वल्लभभाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सूरत के रूप में स्तरोन्नत कर दिया गया। कालेज में सात विभाग हैं और वह इन विषय-क्षेत्रों में चार-वर्षीय बी.ई. पाठ्यक्रम की पेशकश करता हैः सिविल, विद्युत, अभियांत्रिकी, इलेक्ट्रोनिक्स इंजीनियरी, उत्पादन इंजीनियरी, कम्प्यूटर इंजीनियरी तथा रासायनिक इंजीनियरी। स्नातक-पूर्व पाठ्यक्रमों में कुल मिलाकर 428 छात्रों को दाखिला दिया जाता है। कालेज सात विभिन्न विशेषज्ञता क्षेत्रों में एम.ई. पाठ्यक्रम भी चलाता है जिनमें से प्रत्येक क्षेत्र में दस-दस छात्रों को दाखिला दिया जाता है। सभी विभागों में पीएच.डी. कार्यक्रमों के लिए सुविधाएं उपलब्ध हैं। कालेज में लड़कों के लिए छः और लड़कियों के लिए एक छात्रावास मौजूद है। वर्ष 1997-98 में इस कालेज को राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमकर्ता विकास बोर्ड, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा उद्यमकर्ता विकास सेल की स्थापना के लिए मेजबान संस्थान के रूप में चुना गया था।

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कर्नाटक, सूरतकल

1960 में स्थापित कर्नाटक क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज सूरतकल 26 जून, 2002 से राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कर्नाटक, सूरतकल बना दिया गया। कालेज में आठ विभाग हैं और वह इन विषय-क्षेत्रों में चार-वर्षीय स्नातक-पूर्व पाठ्यक्रमों की पेशकश करते हैं: सिवल, अभियांत्रिकी, विद्युत और इलेक्ट्रोनिक्स, इलेक्ट्रोनिक्स और संचार, रासायनिक, धातुकर्म, खनन, कम्प्यूटर इंजीनियरी और सूचना प्रौद्योगिकी। पहले सेमेस्टर में कुल मिलाकर 457 छात्रों को दाखिला दिया गया, जिनमें से 42 लड़कियां थीं। एमसीए कार्यक्रम में कुल 60 छात्रों को दाखिला दिया गया, जिनमें 48 कर्नाटक के और 12 दूसरे राज्यों के थे। जिन उम्मीदवारों ने एमसीए पाठ्यक्रम के लिए आवेदन किया था, उन्हें एक प्रवेश परीक्षा में बैठना पड़ा और योग्यताक्रम के अनुसार उनके दाखिले किए गए।

संस्थान में 15 एम.टेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। एम.टेक पाठ्यक्रमों में कुल मिलाकर 202 छात्रों को दाखिला दिया गया। इस संस्थान के छात्रों ने विश्वविद्यालय परीक्षाओं में उच्च स्तरीय निष्पादन का परिचय दिया है। विश्वविद्यालय परीक्षाओं में स्नातक-पूर्व और स्नातकोत्तर - दोनों स्तरों पर उच्च योग्यता

क्रम अधिकांशतः इन्हीं छात्रों को मिले। संस्थान का वेबसाइट पता है www.nitk.ac.in

राष्ट्रीय प्रौद्यगिकी संस्थान, तिरुचिरापल्ली

क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, तिरुचिरापल्ली जिसकी स्थापना 1964 में हुई थी उसे 28 जुलाई, 2003 से सम-विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने के साथ एनआईटी में बदल दिया गया। कालेज में 13 विभाग हैं और यह कालेज पांच वर्षीय बी.आर्क. पाठ्यक्रम के अलावा, इन विषय-क्षेत्रों में चार-वर्षीय स्नातक-पूर्व पाठ्यक्रमों की पेशकश करता हैः सिविल, कम्प्यूटर विज्ञान और इंजीनियरी, विद्युत और इलेक्ट्रोनिक्स, अभियांत्रिकी, इलेक्ट्रोनिक्स तथा संचार, धातुकर्म उत्पादन, रासायनिक इंस्ट्रूमेंटेशन तथा नियंत्रण इंजीनियरी। स्नातक-पूर्व धारा में कुल मिलाकर लगभग 464 और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 382 छात्रों को दाखिला दिया जाता है। इस संस्थान से एआईसीटीई के गुणात्मक सुधार कार्यक्रम (क्यूआईपी) के अधीन विभिन्न स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों और डाक्टरल कार्यक्रमों के लिए अन्य शैक्षिक संस्थानों से अध्यापक लेने के लिए मान्यता प्राप्त है। इसके अलावा एआईसीटीई ने अपने प्रारम्भिक संकाय प्रवेश कार्यक्रम के लिए आतिथ्य के रूप में शामिल किया है। सर्किट शाखाओं के अंतिम वर्ष के स्नातक-पूर्व छात्रों ने अभी तक परिसर इन्टरव्यू कार्यक्रम के जरिए 80% से अधिक मामलों में नौकारियां प्राप्त कर ली हैं। क्योंकि अभी और बहुत सी कम्पनियों ने परिसर में आना है, संस्थान को आशा है कि पिछले वर्षों की भांति सभी शाखाओं में 90% से अधिक मामलों में रोजगार मिल सकेंगे। छात्रों की उपलब्धियों की मान्यता के तौर पर भारत की जनरल इलेक्ट्रिक कम्पनी दो स्नातकोत्तर छात्रों को 3.00 लाख से अधिक की छात्रवृत्ति देती रही है। ईसीई शाखा की सुश्री अंजना श्रीधरन को ल्यूसेंट टेक्नालाजीस इन्स्टीट्यूट इन्टरएक्शन स्कीम के रूप में चुना गया जिसके फलस्वरूप उन्हें यूसेंट टेक्नालाजीज मुख्यालय, अमरीका में एक सप्ताह का दिशा-अनुकूलन, 5000 अमरीकी डालर का अनुदान और ल्यूसेंट इंडिया में ग्रीष्मकालीन इन्टर्नशिप प्राप्त हुई। संस्थान का वेबसाइट पता है www.rect.edu

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, वारंगल

1959 में स्थापित क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, वारंगल को 10 सितम्बर, 2002 से राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान का दर्जा दे दिया गया। पूर्व में क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, वारंगल के रूप में ज्ञात यह संस्था आरईसी की श्रृंखला में पहला था। यह संस्थान इंजीनियरी में 7 स्नातक-पूर्व तथा इंजीनियरी, विज्ञान और मानविकी की सभी शाखाओं में 23 स्नातकोत्तर कार्यक्रम और पीएच.डी. कार्यक्रम की पेशकश करता है। संस्थान ने अभी तक लगभग 10,000 स्नातक-पूर्व, 4200 स्नातकोत्तर और 240 पीएच.डी. तैयार किए हैं। संस्थान के अधिकांश छात्र मंझोले आकार के सरकारी तथा निजी उद्योगों में खपा लिए जाते हैं।

एल्युम्नी चैप्टर्स भारत के बड़े शहरों तथा अमरीका के कुछ शहरों में मौजूद हैं। स्नातकों की गुणवत्ता की अनेक बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों तथा उच्च शैक्षणिक संस्थानों द्वारा प्रशंसा की जाती है। अधिकांश छात्रों को परिसर इन्टरव्यू के जरिए रोजगार मिल जाता है। संस्थान के केन्द्रीय पुस्तकालय को आंध्र प्रदेश के सभी तकनीकी पुस्तकालयों में सर्वोत्तम पुस्तकालय माना जाता है।

संस्थान का परिसर नेटवर्क से जुड़ा है और सभी स्टाफ तथा छात्रों के लिए इन्टरनेट सुविधाएं उपलब्ध हैं। सभी छात्रों और अधिकांश स्टाफ को परिसर में आवासीय सुविधा सुलभ कराई गई है। संस्थान का वेबसाइट पता है www.nitw.ernet.in.।

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना

बिहार इंजीनियरी कालेज, पटना केन्द्रीय सरकार के एक पूर्णतः वित्तपोषित संस्थान के रूप में ले लिया गया है और 28 जनवरी, 2004 को उसे राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के रूप में बदल दिया गया है। आने वाले वर्षों में संस्थान का और आगे सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। संस्थान को अपने विकास के लिए योजनागत और योजनतर स्कीम के अधीन आवश्यक निधि प्रदान की गई है।

भारतीय प्रबन्ध संस्थान (आईआईएम)

अहमदाबाद, कोलकत्ता, बंगलौर, लखनऊ, इन्दौर तथा कोज्हीकोड़े में स्थापित भारतीय प्रबन्ध संस्थान उत्कृष्टता के संस्थान हैं जिनकी स्थापना उच्च स्तरीय प्रबन्ध शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने, भारतीय अर्थ व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों से प्रबन्ध के क्षेत्र में अनुसंधान करने और पारदर्शी सेवाएं सुलभ कराने के उद्देश्य से की गई थी।

ये आईआईएम इन पाठ्यक्रमों की पेशकश करते हैं-प्रबन्ध में स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम (एमबीए के समकक्ष) प्रबन्ध में अध्येतावृत्ति कार्यक्रम (पीएच.डी. के समकक्ष), अल्पकालीन

प्रबन्ध विकास और संगठन आधारित कार्यक्रम तथा उद्योग के लिए अनुसंधान और परामर्श।

ये संस्थान गैर-निगमित तथा अल्पप्रबंधित क्षेत्रों जैसेकि कृषि, ग्रामीण विकास, लोक प्रणाली पबंध, ऊर्जा, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं।

आईआईएम देश की प्रबन्धकीय जनशक्ति विकास में अग्रणी भूमिका निभाते हैं और उभरते क्षेत्रों में अनुसंधान करते हैं। इन संस्थानों को ऐसे शीर्षस्थ प्रबंध संस्थानों के रूप में मान्यता दी जाती है जोकि अध्ययन, अनुसंधान तथा उद्योग के साथ वैचारिक आदान-प्रदान के लिए विश्व के सर्वोत्तम संस्थानों के मुकाबले के हैं। भूमिका प्रतिरूप होने के कारण आईआईएम ने प्रबंध शिक्षा में अपनी गुणवत्ता और स्तरों से सुधारने में अन्य संस्थानों के साथ ज्ञान और कौशलों का आदान-प्रदान किया है। अपने पूर्व छात्रों की गुणवत्ता के लिए आईआईएम ने अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति अर्जित की है। योजनागत तथा योजनेतर के अधीन बजट प्रावधान निम्नानुसार हैः

	योजनागत	योजनेतर
ब.अ.2003-04	2500.00	4973.00
सं.अ.2003-04	1000.00	4973.00
एफ.जी.2003-04	1000.00	2505.00

(रकम लाख रुपये में)

आलोच्य वर्ष के दौरान गरीब छात्रों को सुविधा पहुंचाने के लिए आईआईएम द्वारा ली जाने वाली वार्षिक फीस में अत्यधिक कटौती किए जाने सम्बन्धी सरकार के निर्णय को लेकर विवाद खड़ा हो गया था। इस निर्णय को न्यायालय में चुनौती दी गई।

नई सरकार के सत्ता में आने पर आईआईएम के निदेशकों से इन मामलों पर आपस में और इसके बाद उपयुक्त निर्णय के लिए अपने-अपने शासी निकायों के साथ चर्चा करने को कहा गया। शासी निकायों की सिफारिशों के अनुसरण में सरकार ने पिछला आदेश वापिस लेकर और अन्य बातों के साथ-साथ निम्न निर्णय लेकर इस विवाद को सुलझा लियाः

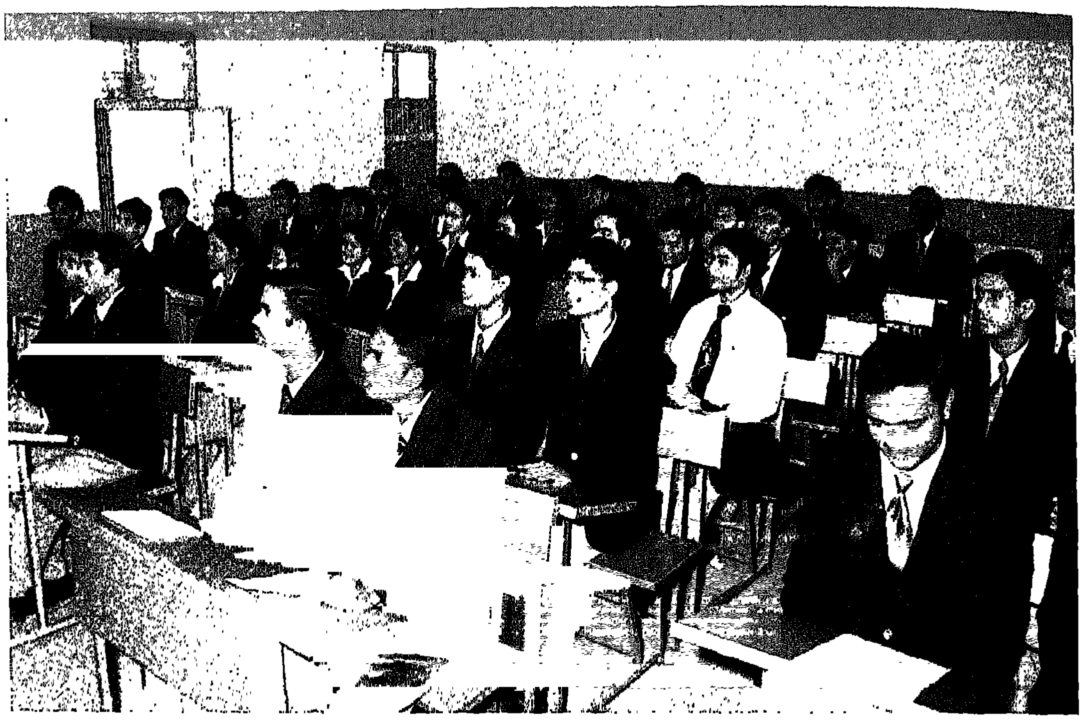
1) संस्थान यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी छात्र से संस्थान में शिक्षा ग्रहण करने में वित्तीय साधनों की कमी के कारण कोई कठिनाई न झेलनी पड़े।
2) जो फीस संस्थानों ने वर्ष 2003-04 में वसूली थी, जून, 2004 के शुरू होने वाले सत्र में वही फीस ली जाएगी।
3) सभी आईआईएम पहले और दूसरे वर्ष के छात्रों के लिए एक आवश्यकता-आधारित वित्तीय सहायता स्कीम उपलब्ध कराएंगे।
4) दरकिनार किए गए ऐसे सभी छात्र जिनकी सरल वार्षिक पारिवारिक आय 2 लाख रुपए या उससे कम है, वित्तीय सहायता पाने के जोकि पूरी फीस की माफी तक की हो सकती है पात्र होंगे।
5) आईआईएम उपयुक्त मामलों में फीस माफ करने के बाद भी छात्रों की सहायता करने पर विचार करेगा। शिक्षण फीस के अलावा छात्र जो खर्च छात्रावास और मेस पर करता है वह भी माफ किया जा सकता है। सभी संस्थान ऐसे सभी अन्य छात्रों से जिन्हें बैंक से ऋण उठाने की जरूरत होगी सक्रिय सहायता और सहयोग प्रदान करेंगे।
6) अहमदाबाद, कोलकाता और बंगलौर स्थित तीन संस्थानों ने आवश्यकता आधारित सहायता के लिए अपने आन्तरिक संसाधनों से व्यवस्था करली है। लखनऊ, इन्दौर और कोज्हीकोड़े में स्थित शेष तीन संस्थानों को शिक्षण शुल्क माफ करने के फलस्वरूप उन पर जितना अतिरिक्त भार पड़ता है, उतनी सीमा तक एमएचआरडी उनकी सहायता करेगा।

भारतीय प्रबंध संस्थान, अहमदाबाद

भारतीय प्रबंध संस्थान, अहमदाबाद की स्थापना 1961 में इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की गई थीः निजी और सरकारी क्षेत्र के उद्यमों द्वारा अपेक्षित जनशक्ति तैयार करना, उद्योग की प्रबंध समस्याओं का समाधान ढूंढने में सहायता करना और प्रबंध पर स्वदेशी साहित्य के लिए योगदान देना।

यह संस्थान इन कार्यक्रमों की पेशकश करता हैः प्रबंध में स्नातकोत्तर कार्यक्रम (पीजीपी), कृषि-कारोबार प्रबंध में स्नातकोत्तर कार्यक्रम, प्रबंध और संकाय विकास कार्यक्रम (एफडीपी) में शिक्षावृत्ति कार्यक्रम।

कृषि-व्यापार प्रबंध (पीजीपी-एबीएम) में स्नातकोत्तर कार्यक्रम जो कि 21वी शताब्दी के खाद्य और कृषि व्यापार क्षेत्र के प्रबंधक, निर्णय लेने वालों, नेताओं और उद्यमकर्ताओं को तैयार करने वाला एक साहसी और नवाचारी कार्यक्रम है,



तीसरे वर्ष में प्रवेश कर गया। यह कार्यक्रम 30 छात्रों के साथ 27 जून 2002 से शुरू हुआ। कार्यक्रम के दूसरे वर्ष में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पांच छात्रों सहित 31 छात्र थे।

भारतीय प्रबंध संस्थान, कलकत्ता

भारतीय प्रबंध संस्थान, कलकत्ता की स्थापना 1961 में की गई थी ताकि अनुसंधान, परामर्शी सेवाओं और प्रकाशनों के माध्यम से व्यावसायिक प्रबंध के सुनिर्मित कार्यक्रम उपलब्ध कराके निजी और सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की प्रबंधकीय जनशक्ति की बढ़ती हुई मांगों की पूर्ति की जा सके।

यह संस्थान इन कार्यक्रमों की पेशकश करता है: प्रबंध में स्नातकोत्तर कार्यक्रम, कम्प्यूटर सहायताप्राप्त प्रबंध में स्नातकोत्तर कार्यक्रम तथा कारोबार प्रबंध में स्नातकोत्तर डिप्लोमा। साथ ही, यह संस्थान प्रबंध विकास कार्यक्रम, विस्तार कार्यक्रम, कम्पनी के भीतर प्रशिक्षण कार्यक्रम और सरकार द्वारा प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों आदि का आयोजन भी करता है। यह संस्थान अनुसंधान और परामर्शी परियोजनाएं भी हाथ में लेता है।

संस्थान के अनेक क्रियाकलाप केन्द्र हैं, जैसे कि ग्रामीण विकास प्रबंध केन्द्र, विकास और पर्यावरणात्मक नीति केन्द्र, परियोजना प्रबंध केन्द्र, पर्यावरणात्मक प्रबंध में अनुसंधान और अध्ययन केन्द्र और मानवीय मूल्यों के लिए प्रबंध केन्द्र।

संस्थान के पास अधुनातम हार्डवेयर और साफ्टवेयर संसाधन मौजूद हैं जो कि बहुविध कम्प्यूटिंग अपेक्षाओं के लिए सहयोग प्रदान करने में सक्षम हैं।

भारतीय प्रबंध संस्थान, बंगलौर

भारतीय प्रबंध संस्थान, बंगलौर की स्थापना 1973 में इस उद्देश्य से की गई थी कि अध्यापन, प्रशिक्षण, परामर्शी सेवाओं तथा अन्य व्यावसायिक सेवाओं के कार्यक्रमों के माध्यम से राष्ट्र के प्रबंधकीय संसाधनों का सुदृढ़ीकीकरण किया जाए।

यह संस्थान इन कार्यक्रमों की पेशकश करता है: प्रबंध में शिक्षावृत्ति कार्यक्रम (एफपीएम), प्रबंध में स्नातकोत्तर कार्यक्रम (पीजीपी), साफ्टवेयर उद्यम प्रबंध में स्नातकोत्तर कार्यक्रम (पीजीएसएम), कार्यकारी शिक्षा कार्यक्रम, अनुसंधान और

परामर्शी सेवाएं। पीजीपी नामक फ्लेगशिप कार्यक्रम की पाठ्यचर्या निरन्तर अद्यतन बनाई जाती रहती है ताकि इस कार्यक्रम को बदलते हुए परिवेश के लिए अधिक संगत बनाया जा सके। छात्र विनिमय कार्यक्रम के अधीन पीजीपी छात्रों को भरतवर्ष से बाहर विख्यात बिजनेस स्कूलों में भेजा जाता है और इसी तरह से विदेशी बिजनेस स्कूलों के छात्र भी कुछ समय के लिए इस संस्थान में आते हैं।

कार्यकारी शिक्षा कार्यक्रम के अधीन सेवारत प्रबंधकों के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जैसेकि मुक्त कार्यक्रम, अनुकूलित कार्यक्रम और अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रम। संस्थान में चौबीसों घण्टे कम्प्यूटर सुविधाएं सुलभ रहती हैं।

आईआईएम, बंगलौर में विशेषज्ञता के पांच क्षेत्र हैं, जो इस प्रकार हैं: लोक नीति केन्द्र (सीपीपी), बीमा अनुसंधान और शिक्षा केन्द्र (सीआईआरई), एनएस राघवन उद्यमशीलता अधिगम केन्द्र (एनएसआरसीईएल), केसेज तथा अध्यापक सामग्री विकास केन्द्र (सी-डॉक्टा) तथा साफ्टवेयर प्रबंध केन्द्र (सीएसएम)।

भारतीय प्रबंध संस्थान, लखनऊ

भारतीय प्रबंध संस्थान, लखनऊ की स्थापना 1984 में हुई थी। इसके प्रमुख उद्देश्य ये हैं कि व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से प्रबंधकीय जनशक्ति विकसित की जाए और प्रशिक्षण, अनुसंधान तथा परामर्श के माध्यम से प्रबंध समस्याएं हल करने में संस्थानों की मदद की जाए।

पिछले शैक्षणिक वर्ष में संस्थान के सभी क्रियाकलापों अर्थात अध्यापन, अनुसंधान, परामर्श और प्रशिक्षण में चहुमुखी उन्नति हुई। यह एक हर्ष का विषय है कि देश के प्रबंध शिक्षा संस्थानों के एक अध्ययन पर आधारित और बिजिनेस इंडिया के नवम्बर 12-25, 2001 में प्रकाशित इण्डियाज बेस्ट बी-स्कूल्स नाम से प्रकाशित अध्ययन में आईआईएम, लखनऊ को भारतीय बिजिनेस स्कूलों में पहला स्थान प्राप्त हुआ।

संस्थान निम्न पाठ्यक्रमों की पेशकश करता है: स्नातकोत्तर कार्यक्रम, प्रबंधन विकास कार्यक्रम, प्रबंध में फेलो कार्यक्रम, अनुसंधान कार्यक्रम और अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय कार्यक्रम।

एक सूचना प्रौद्योगिकी और साफ्टवेयर प्रबंध कार्यशाला स्थापित की गई है ताकि छात्रों को नेट-आधारित अनुप्रयोग सहित अधुनातम साफ्टवेयर विकास प्रविधियां सुलभ कराई जा सकें। इस प्रयोगशाला में इन्टरनेट संयोज्यता से युक्त 5 पेंटियम नोडों वाला आरएस/6000 (एआईएक्स यूएनआईएक्स) सुलभ है।

भारतीय प्रबंध संस्थान, कोज्हीकोड़

भारतीय प्रबंध संस्थान, कोज्हीकोड़, भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया अपनी तरह का पांचवां संस्थान है जिसकी स्थापना सितम्बर, 1997 में की गई थी।

संस्थान प्रबंध में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीएम) (एमबीए के समकक्ष) प्रदान करता है। स्नातकोत्तर डिप्लोमा के अलावा संस्थान कार्यकारी शिक्षा कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, परामर्शी कार्य और अनुसंधान परियोजनाएं हाथ में ले रहा है। संस्थान में अधुनातम हार्डवेयर और साफ्टवेयर संसाधन उपलब्ध हैं जो बहुविध कम्प्यूटिंग आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम हैं। संस्थान के पुस्तकालय और सूचना केन्द्र को पहले ही देश के सर्वाधिक सुसज्जित सूचना संसाधन केन्द्रों के रूप में ख्याति मिल चुकी है।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की प्रतियोगात्मक निर्मित और सुदृढ़ करने के प्रयोजन से केरल सरकार की सहायता से आईआईएम कोज्हीकोड़े में उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित किया जा रहा है। केरल इंस्टीट्यूट फार रिसर्च ट्रेनिंग एण्ड डेवलपमेंट स्टडीज आफ एससी एण्ड एसटी (केआईआरटीएडीएस) के परिसर में केन्द्र के उद्भव की तैयारी जुलाई, 2002 में शुरू हो गई थी। उक्त संस्थान के परिसर में केन्द्र के अपेक्षित जीर्णोद्धार और साज-सज्जा की व्यवस्था की गई और प्रयोगशाला, कार्यक्रम/क्लास रूमों के लिए सुविधाएं सुलभ कराई गई। इसके साथ-साथ केन्द्र के लिए जरूरी अन्य संसाधन भी उपलब्ध कराए गए।

भारतीय प्रबंध संस्थान, इन्दौर

भारतीय प्रबंध संस्थान, इन्दौर की स्थापना सितम्बर, 1997 में हुई थी। यह संस्थान मुख्यतः प्रबंध में दो-वर्षीय स्नातकोत्तर कार्यक्रम (एमबीए के समकक्ष) की पेशकश करता है। संस्थान द्वारा दिशा-अनुकूलन कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं।

संस्थान में समूचे परिसर में व्याप्त स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क (एलएएन) उपलब्ध है। प्रत्येक छात्र को उसके कमरे में एक पीसी (पेंटियम-II) उपलब्ध कराया गया है। संकाय और प्रशासन का स्टाफ भी एलएएन के साथ जुड़ा है।

आउटलुक मैग्जीन और एमडीआरए द्वारा भारत के बिजनेस स्कूलों के संबंध में किए गए हाल ही के संयुक्त सर्वेक्षण के अनुसार आईआईएम, इन्दौर का स्थान देश के दस शीर्षस्थ बिजनेस स्कूलों में सातवां है। संस्थान ने 2000-2001 में प्रबंध विकास कार्यक्रमों का आयोजन शुरू किया।

उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए संस्थान ने परिसर में एक बिजिनेस इनक्यूबेटर यूनिट बीआईयू स्थापित किया है जिसका उद्देश्य यह है कि नए व्यापारिक विचारों को व्यवहार्य व्यापार उद्यमों का रूप देने के लिए आवश्यक आधारिक सुविधाएं सुलभ कराई जाएं।

आधुनिकीकरण और अप्रचलन को दूर करना

देश में इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, फार्मेसी तथा वास्तुकला संस्थानों में प्रयोगशाला/पुस्तकालय/कार्यशाला/कम्प्यूटिंग सुविधाओं को आधुनिक बनाने और उनमें अप्रचलन को दूर करने को उच्च प्राथमिकता दी गई है। शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान उद्देश्यों के लिए इन संस्थानों की कार्यात्मक कुशलता बढ़ाने के लिए आधुनिकीकरण अपनाया जाता है। इसकी मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों सहित केन्द्रीय संस्थानों के लिए मशीनरी तथा इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकीय, प्रबंध, फार्मेसी, वास्तुकला का प्रयोगशाला में कार्यशाला मशीनरी तथा उपस्कर में अप्रचलन को दूर करना;
- नए उपस्करों को जोड़ कर प्रयोगशलाओं तथा कार्यशालाओं का आधुनिकीकरण;
- पुस्तकालय सुविधाओं में वृद्धि करना;
- क्लासरूम प्रौद्योगिकी, प्रयोगशाला अनुदेश, अनुदेशात्मक सामग्री और चार्ट, उपयुक्त प्रौद्योगिकी के विकास संबंधी नवाचारों से युक्त परियोजनाओं को अनुसमर्थन देना;
- शिक्षण और सहायक तकनीकी स्टाफ को प्रशिक्षण तथा पुनः प्रशिक्षण प्रदान करना; और
- कम्प्यूटिंग तथा नेटवर्क सुविधाओं का स्तरोन्नयन।

2003-04 के दौरान आईआईटी, आईआईएम, आईआईएससी, क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों और अन्य केन्द्रीय संस्थानों को 1282 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई।

तकनीकी शिक्षा के ध्यातव्य क्षेत्र

इस योजना में उभरते हुए क्षेत्रों में प्रयोगशालाओं और उत्तम जनशक्ति के अर्थों में आधारिक सुविधाओं के सृजन के लिए निम्न उद्देश्यों के साथ परियोजना-आधारित वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने का प्रावधान है:

- ध्यातव्य क्षेत्रों में आधुनिक प्रयोगशालाओं के अर्थों में आधारिक सुविधाएं विकसित करना;
- संस्थानों द्वारा कार्यक्रमों और पाठ्यक्रमों के अभिज्ञान द्वारा उच्चस्तरीय कार्य के लिए एक आधार निर्मित करना और ऐसा करते समय ग्रामीण समाज और सुविधाविहीन वर्गों की ओर विशेष ध्यान देते हुए देश की विशालता तथा क्षेत्रीय मांगों को ध्यान में रखना; तथा
- परामर्श सहित कार्यक्रमों की बहुलता के माध्यम से अन्य अनुसंधान प्रयोगशालाओं, उद्योग तथा उपभोक्ता एजेंसियों के साथ समस्तरीय और उर्ध्वाधर संबंध स्थापित करना।

वर्ष 2003-04 के दौरान आईआईटी, आईआईएम, आईआईएससी, एनआईटी तथा अन्य केन्द्रीय संस्थानों को 922.00 लाख रुपए का सहायता-अनुदान प्रदान किया गया।

अनुसंधान तथा विकास

अनुसंधान तथा विकास कार्यकलापों को उच्चतर शिक्षा का अनिवार्य घटक समझा जाता है क्योंकि अभिनव ज्ञान तथा समझ पैदा करने तथा शैक्षिक प्रक्रिया को उत्साह और गति प्रदान करने में इसकी अहम भूमिका है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने यह योजना निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ आरंभ की थी:

- अनुसंधान तथा विकासात्मक प्रयासों के लिए बुनियादी सुविधाओं का सृजन करना तथा उन्हें अद्यतन बनाना;
- इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी, फार्मेसी, वास्तु कला तथा प्रबंध में प्रयोजित/संयंत्र अनुसंधान परियोजनाओं को सहयोग देना। अन्य प्रौद्योगिकी संस्थानों, अनुसंधान प्रयोगशालाओं और ख्याति प्राप्त उद्योगों के साथ संयंत्र अनुसंधान परियोजनाएं मूल्यवाने होंगी।

2003-04 के दौरान आईआईटी, आईआईएम, आईआईएससी, एनआईटी तथा अन्य केन्द्रीय संस्थानों से 1306.00 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई।

तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान (टीटीटीआई)

भोपाल, कलकत्ता, चण्डीगढ़ तथा चेन्नई में 1960 के दशक के मध्य में चार तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए गए थे। इन संस्थानों को स्थापित करने का उद्देश्य यह था कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में तकनीशियनों की शिक्षा में गुणवत्ता सुनिश्चित करने वाले प्रमुख अभिप्रेरक संस्थानों की भूमिका निभाएं। ये संस्थान पूर्णतः भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित हैं और सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन पंजीकृत हैं।

प्रारम्भिक दौर में इन संस्थानों का उद्देश्य यह था कि वे उपयुक्त पद्धतियों के माध्यम से आवश्यकता-आधारित मानव संसाधन विकास कार्यक्रम प्रस्तुत करने और तकनीशियन शिक्षा प्रणाली के लिए पाठ्यचर्या तथा संस्थानगत संसाधन विकसित करने की दिशा में पहल करेंगे। लेकिन धीरे-धीरे उनका उद्देश्य बदल कर यह हो गया है कि वे राज्य सरकारों और पॉलीटेक्निकों द्वारा अपनी शैक्षिक प्रक्रियाओं और उत्पादों में सुधार लाने की दिशा में उनकी मदद करेंगे।

ये संस्थान पॉलीटेक्निकों, उद्योगों और समुदाय के लिए स्तरीय शिक्षा तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के योजना निर्माण, डिजाइन, आयोजना और मूल्यांकन के साथ सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। इसके अतिरिक्त, ये संस्थान विश्व बैंक सहायताप्राप्त तकनीशियन शिक्षा परियोजना के कार्यान्वयन में राज्य सरकारों को सहयोग प्रदान करने के अलावा उनके साथ अपने अनुभवों और विशेषज्ञता का आदान-प्रदान भी कर रहे हैं। सामान्य रुचि के क्षेत्रों में काम करने के प्रयोजन से इन संस्थानों ने व्यापार और उद्योगों के साथ गहरे संबंध स्थापित करने के अलावा शैक्षिक संस्थानों के साथ भी व्यावसायिक संबंध स्थापित कर लिए हैं।

टीटीटीआई की योजना की प्रोफेसर पी.वी. इन्द्रसेन की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकारप्राप्त समिति द्वारा समीक्षा की गई थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की कि टीटीटीआई को पॉलिटेक्निकों के अध्यापकों को प्रशिक्षित करने के अलावा इंजीनियरी डिग्री कालेजों, वास्तुकला, प्रबंध संस्थानों के अध्यापकों के प्रशिक्षण में भी समन्वय करना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए टीटीटीआई 'अध्यापकों के लिए प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय केन्द्रों के रूप में विकसित किए जाएंगे। ये संस्थान उद्योग के स्टाफ को प्रशिक्षण प्रदान करके तथा परामर्शी सेवाएं प्रदान करके उद्योग को अपनी सेवाएं उपलब्ध कराने पर भी ध्यान केन्द्रित करेंगे। ग्राहकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए टीटीटीआई को राष्ट्रीय संस्थानों' के रूप में पदोन्नत कर दिया गया है। इन संस्थानों का संगम ज्ञापन संशोधित शासनादेश के अनुरूप संशोधित कर दिया है और अब इनका नाम भी बदल कर राष्ट्रीय तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (एनआईटीटीआर) रख दिया गया है।

मंत्रालय ने प्रशिक्षण नीति का एक प्रारूप तैयार किया है जिसमें तकनीकी संस्थानों के अध्यापकों को बहुविध भूमिकाएं निभानी होंगी, जैसेकि अध्यापन, पाठ्यचर्या विकास, अनुदेशात्मक सामग्री विकास, अनुसंधान तथा परामर्श। आशा है कि मंत्रालय द्वारा प्रशिक्षण नीति को शीघ्र ही अंतिम रूप दे दिया जाएगा। टीटीटीआई विश्व बैंक सहायताप्राप्त तकनीशियन शिक्षा परियोजना-III के कार्यान्वयन के लिए, जिसका विस्तार छः उत्तर-पूर्वी राज्यों (सिक्किम सहित) अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह तथा जम्मू और कश्मीर तक है, संसाधन केन्द्रों के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा रहे हैं। ये संस्थान क्षमता-आधारित पाठ्यचर्या, छात्र तथा अध्यापक सहयोग सामग्री तैयार करके तथा संसाधन व्यक्तियों के प्रशिक्षण के जरिए व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परियोजना को भी सहायता पहुंचा रहे हैं।

संत लौंगोवाल इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी संस्थान (एसएलआईईटी) लोंगोवाल संगरूर, पंजाब

पंजाब राज्य के संगरूर जिले में स्थित लौंगोवाल गांव में वर्ष 1989 में संत लौंगोवाल इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी संस्थान (एसएलआईईटी) इसलिए स्थपित किया गया था जिससे कि इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी और साथ ही अनुप्रयुक्त विज्ञानों में कुशल जनशक्ति का निर्माण करने के लिए यह संस्थान एक आदर्श संस्थान के रूप में काम कर सके। संस्थान द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले पाठ्यक्रम प्रकृति से माड्यूलर तथा अंतिम होते हैं, प्रत्येक की अवधि दो वर्ष होती है तथा उपयुक्त स्तरों पर सेतु पाठ्यक्रम होते हैं। यह संस्थान शतप्रतिशत रूप से माध्यमिक शिक्षा और उच्चतर शिक्षा विभाग (एमएचआरडी) द्वारा वित्तपोषित है। संस्थान सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन पंजीकृत है। अन्य केन्द्रीय शैक्षिक संस्थानों की तरह इस संस्थान को एक केन्द्रीय संस्थान के रूप में स्तरोन्नत किया जा रहा है।

संस्थान 12 प्रमाणपत्र, 10 डिप्लोमा और 8 डिग्री पाठ्यक्रम चलाता है। ऊर्ध्व गतिशीलता और पार्श्व प्रवेश का प्रावधान

विभिन्न स्तरों पर उपलब्ध है जैसेकि एकीकृत ढंग से प्रमाणपत्र, डिप्लोमा और डिग्री। शैक्षिक कार्यक्रम अपरम्परागत, लागत प्रभावी, लचीले, माड्यूलर, क्रेडिट-आधारित हैं जिनमें बहु-बिन्दु प्रवेश के प्रावधान सहित विभिन्न स्तरों पर स्वरोजगार तथा शिक्षा की अविच्छिन्नता पर बल देते हुए अन्तःनिर्मित उद्यमशीलता मौजूद है। चालू शैक्षणिक सत्र से संस्थान स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के पेशकश करने की सोच रहा है।

अपनी स्थापना के समय संस्थान तकनीकी शिक्षा के विभिन्न विषय क्षेत्रों में लगभग 27000 छात्रों को प्रशिक्षित कर चुका है।

पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (एनईआरआईएसटी), ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश

पूर्वोत्तर क्षेत्र के विज्ञान के विकास के लिए इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी और अनुप्रयुक्त विज्ञान विषयों में कुशल जनशक्ति तैयार करने के लिए 1986 में पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, (एनईआरआईएसटी), ईटानगर की स्थापना की गई थी। संस्थान सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन पंजीकृत किया गया। सम्प्रति, एनईआरआईएसटी को आवश्यक तकनीकी मार्गदर्शन माध्यमिक शिक्षा और उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा प्रदान किया जा रहा है, पूर्व में इसका वित्तपोषण उत्तर-पूर्वी परिषद द्वारा किया जाता था। 1994-95 से इस संस्थान को माध्यमिक शिक्षा और उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा वित्तपोपित किया जा रहा है।

एनईआरआईएसटी इन अर्थों में एक अनूठा संस्थान है कि यह माड्यूलर कार्यक्रमों की एक श्रृंखला की पेशकश करता है, प्रत्येक कार्यक्रम दो वर्ष की अवधि का होता है तथा इस प्रकार प्रौद्योगिकी और अनप्रयुक्त विज्ञानों में छः प्रमाणपत्र, सात डिप्लोमा और सात डिग्री पाठ्यक्रमों की पेशकश की जाती है। माड्यूलर कार्यक्रम व्यावसायिक स्तरों अर्थात् तकनीशियनों, पर्यवेक्षकों और इंजीनियरों के साथ संबंध उपलब्ध कराते हैं। आधारिक और डिप्लोमा माड्यूल अगले उच्चतर माड्यूल में प्रवेश दिलाते हैं बशर्ते कि निम्नतर माड्यूल में छात्र का निष्पादन अपेक्षित स्तर का रहा हो और उसमें कतिपय सेतु पाठ्यक्रमों की पूर्ति किए जातने का प्रावधान रहता है। इस प्रकार प्रत्येक माड्यूल के अंत में छात्रों का किंचित प्रतिशत स्वेच्छा से अथवा विवश होकर विलग हो जाता है। इस माड्यूलर और नवाचारी पाठ्यक्रम का बल इस बात पर रहता है कि व्यावसायीकरण की नीति को प्रोत्साहित किया जा सके और केवल समर्पित छात्रों को ही उच्चतर अध्ययन करने की अनुमति दी जाए तथा शेष को नौकरियों पर जाने अथवा अपने उद्यमकर्ता कौशल विकसित करने का विकल्प दिया जाए।

संस्थान को उत्तर-पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय (नेहू) शिलांग द्वारा अनन्तिम संबंधन प्रदान किया जा चुका है।

पिछले 15 वर्षों में संस्थान ने विभिन्न विषय-क्षेत्रों में 18,000 से अधिक छात्रों को प्रशिक्षित कर दिया है।

तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा की मुख्यधारा में शारीरिक दृष्टि से विकलांगों को समाकलित करने के लिए मौजूदा पॉलीटेक्निक के स्तरोन्नयन की योजना

इस योजना में शारीरिक दृष्टि से विकलांगों को देश की तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा की मुख्यधारा में समाकलित करने की परिकल्पना की गई है।

इस योजना का उद्देश्य यह है कि विकलांग व्यक्तियों के लिए तकनीकी/व्यावसायिक शिक्षा तथा अविच्छिन्न शिक्षा कार्यक्रम शुरू करने के निमित्त देश में विभिन्न स्थानों पर स्थित 50 मौजूदा पॉलीटेक्निकों का चयन और स्तरोन्नयन किया जाए। लक्ष्य यह रखा गया है कि चुने गए इन 50 संस्थानों से प्रतिवर्ष डिप्लोमा स्तर के पाठ्यक्रमों में 1250 विकलांग छात्र तथा अल्पकालीन तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में 5000 विकलांग छात्र लाभान्वित होंगे। चुने गए ये पॉलीटेक्निक विकलांग छात्रों की शिक्षा और प्रशिक्षण, उपयोगिता, रोजगार संभाव्यता आदि के बारे में अनुसंधान और ट्रेसर अध्ययन आयोजित करेंगे और ऐसे संस्थानगत वातावरण का निर्माण करेंगे जो भेदभाव और विषमताओं को धीरे-धीरे कम करता है और विकलांग छात्रों को मुख्यधारा में समाकलित करता है।

50 पॉलीटेक्निकों के चयन की प्रक्रिया पहले ही पूरी की जा चुकी है। सभी 50 पॉलीटेक्निक विकलांग छात्रों को औपचारिक और गैर-औपचारिक कार्यक्रमों में सक्षम रूप से प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं तथा उन्होंने औपचारिक कार्यक्रमों में 1250 छात्रों को और गैर-औपचारिक कार्यक्रमों में 5000 छात्रों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा हुआ है।

सामुदायिक पॉलीटेक्निकों की स्कीम

एक संस्थान के रूप में पॉलीटेक्निक ऐसे भौतिक सुविधाओं (लेक्चर रूम, कार्यशाला, छात्रावास, उपकरण) से सुसज्जित होता है जिनका प्रयोग ज्ञान और कौशलों का संबंध समुदाय के

साथ स्थापित करने के लिए किया जा सकता है। पॉलीटेक्निक में योग्य और प्रशिक्षित संकाय होता है जोकि ग्रामोन्मुखी कार्यक्रम और परियोजनाएं विशेष रूप से जहां प्रौद्योगिकी का अंतरण किया जाना हो वैज्ञानिक रूप से तैयार, कार्यान्वित कर सकता है और उनका अनुश्रवण कर सकता है। इसके पास छात्रों की बहुत बड़ी संख्या होती है जो कि सुविचारित योजनाओं के अनुसार सही दिशा-निर्देश दिए जाने पर ग्रामीण विकास में सार्थक योगदान दे सकते हैं।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार द्वारा सामुदायिक पॉलीटेक्निक की योजना एक केन्द्रीय सहायता योजना के रूप में 1978-79 में शुरू की गई थी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, एआईसीटीई अनुमोदित ऐसे चुनिन्दा पॉलीटेक्निकों को, जिनके प्रस्तावों की राज्य तकनीकी शिक्षा निदेशालय द्वारा सिफारिश की गई हो सीधे ही 7.25 लाख रुपए तक का एकवारगी अनावर्ती अनुदान और अधिक से अधिक 7 लाख रुपए तक का आवर्ती अनुदान प्रदान करता है। आज की तारीख में देश में 672 सामुदायिक पॉलीटेक्निक हैं जिनमें से 111 महिला पॉलीटेक्निकों के रूप में काम कर रहे हैं। सामुदायिक पॉलिटेक्निकों का क्षेत्रवार वितरण निम्नानुसार है:

उत्तरी क्षेत्र	187
दक्षिणी क्षेत्र	242
पूर्वी क्षेत्र	98
पश्चिमी क्षेत्र	145
योग	**672**

एक सामुदायिक पॉलीटेक्निक एक सामान्य पॉलीटेक्निक से भिन्न कोई अलग ढंग का नहीं होता। यह एक विद्यमान पॉलीटेक्निक का एक स्कन्ध होता है जिसे पॉलीटेक्निक के भीतर मौजूद बुनियादी तंत्र का प्रयोग करते हुए अपने आस-पास विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रयोग के माध्यम से ग्रामीण/ सामुदायिक विकास के क्रियाकलाप करने होते हैं।

योजना के अधीन क्रियाकलापों में ये शामिल हैं:

- तकनीकी-आर्थिक सर्वेक्षणों, रोजगार संभावना सर्वेक्षणों आदि के माध्यम से समुदाय की अनुभूति मांग का पता लगाना;
- वैज्ञानिक ढंग से विकास के लिए ग्रामीण जनता को उपयुक्त प्रौद्योगिकियों के अन्तरण के लिए एक मंच उपलब्ध कराना;
- स्थानीय समुदाय को तकनीकी/अनुसमर्थन सेवाएं प्रदान करना;
- ग्रामीण युवकों, महिलाओं, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों, शिक्षा बीच में छोड़ने वालों तथा समुदाय के अन्य सुविधाविहीन वर्गों को मांग-आधारित गैर-औपचारिक पाठ्यक्रमों/कौशलों में प्रशिक्षित करना ताकि उन्हें लाभकारी रोजगार (स्व-रोजगार/मजदूरी) प्राप्त करने के योग्य बनाया जा सके।
- समस्या समाधानोन्मुखी माहौल तैयार करने के प्रयोजन से विकास कार्यक्रमों की बाबत सूचना का प्रसार करना और जागरूकता उत्पन्न करना।

प्रत्येक सामुदायिक पॉलीटेक्निक अपने पांच ग्राम विस्तार केन्द्रों के माध्यम से काम करता है और प्रत्येक ग्राम विस्तार केन्द्र अपने आस-पास के लगभग 10-12 गांवों की सेवा करता है तथा मुख्य केन्द्र पॉलीटेक्निक के अपने परिसर के भीतर स्थापित किया जाता है। प्रत्येक सामुदायिक पॉलीटेक्निक प्रति वर्ष लगभग 600 ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षित करता है। इस प्रकार प्रति वर्ष लगभग तीन लाख व्यक्ति प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। प्रशिक्षणार्थियों के लिए आयु, योग्यता आदि को लेकर किसी प्रकार की कोई रोक नहीं है। प्रशिक्षण कार्यक्रम क्षमता आधारित होते हैं जिनकी अवधि 3 से 6 महीने तक की होती है।

सामुदायिक पालीटेक्निकों की राष्ट्रीय स्तर पर दो बार पुनरीक्षा की जा चुकी है। पहली पुनरीक्षा कालबाग समिति द्वारा 1987 में और दूसरी लूथर समिति द्वारा 1994 में की गई थी। दोनों पुनरीक्षाओं ने बहुकौशल क्षमता-आधारित प्रशिक्षण, महिलाओं, विकलांगों, आवारा बच्चों के लिए एक विशेष कार्यक्रम तथा केन्द्रीय/राज्य सरकार के अन्य ग्रामीण विकास कौशलों के निमित्त सुझाव देने के साथ-साथ एआईसीटीई-अनुमोदित सभी पॉलीटेक्निकों को शामिल करने की सिफारिश की थी।

सामुदायिक पॉलीटेक्निकों की योजना की शुरूआत से लेकर नौवीं योजना के अन्त तक लगभग 12,00,000 व्यक्तियों को विभिन्न रोजगारोन्मुखी कौशलों में प्रशिक्षित किया जा चुका है और लगभग 52000 गांवों को इस स्कीम के अधीन लाया जा

प्रौद्योगिकी विकास मिशन

इस आशय की एक जरूरत महसूस की गई, आईआईटी तथा आईआईएससी बंगलौर जैसे उत्कृष्टता के संस्थानों को प्रौद्योगिकी मूल्यांकन और पूर्वानुमान पर ध्यान केन्द्रित करने की जरूरत है ताकि भावी दृष्टिकोणों को देश में उभरते विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के लिए पुनः दिशा-अनुकूलित किया जा सके। इसके फलस्वरूप कार्यनीति के महत्व के निम्न सात सामान्य क्षेत्र अभिज्ञात किए गए:

- खाद्य प्रसंस्करण इंजीनियरी
- एकीकृत डिजाइन और प्रतियोगी विनिर्माण
- फोटोनिक साधन और प्रौद्योगिकियां
- ऊर्जा प्रभावी प्रौद्योगिकियां
- संचार नेटवर्क निर्माण और बौद्धिक स्वचलन
- नई सामग्री
- जेनेटिक इंजीनियरी और जैव प्रौद्योगिकी

सातों सामान्य क्षेत्रों में से प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान/भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर मार्गदर्शक संस्थान था। विभिन्न मिशन कार्यक्रमों के अधीन उद्योग के प्रत्यक्ष सहयोजन साथ कई परियोजनाएं हाथ में ली गई। विभिन्न मिशनों के अधीन विकसित विभिन्न प्रौद्योगिकियां उद्योग को आन्तरित की जा चुकी हैं। चरण-I से प्राप्त अनुभव के आधार पर चरण-II शुरू करने की कार्रवाई की जा रही है।

2003-04 के दौरान आईआईटी, कानपुर को मूल राशि के रूप में मात्र 20 लाख रुपए प्रदान किए गए।

चुका है। टीटीटीआई द्वारा आयोजित एक ट्रेसर अध्ययन के अनुसार इन प्रशिक्षित व्यक्तियों में लगभग 18 प्रतिशत व्यक्ति अनुसूचित जातियों के, 4 प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों के, 13 प्रतिशत अल्पसंख्यक समुदायों के और 43 प्रतिशत महिलाएं हैं। स्व-रोजगार/सेवारत श्रेणी 30 से 50 प्रतिशत के बीच है। शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े अल्पसंख्यकों की बहुलता वाले 41 जिलों में से 37 जिले इस योजना के अधीन पहले ही शामिल किए जा चुके हैं। वर्ष 2002-03 स्कीम के जनशक्ति विकास क्रियाकलापों के अधीन 2,82,000 व्यक्तियों से प्रशिक्षित किया गया। 2003-04 के दौरान स्कीम के जनशक्ति विकास क्रियाकलापों के अधीन 3,32,000 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया।

प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना तथा प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड

राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना, स्नातक इंजीनियरों, डिप्लोमाधारियों (तकनीशियनों) और 10+2 व्यावसायिक पाठ्यक्रम पास करने वालों को समय-समय पर यथासंशोधित प्रशिक्षुता अधिनियम, 1961 के अनुसार और केन्द्रीय प्रशिक्षुता परिषद (सीएसी) द्वारा निर्धारित नीतियों और मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार लगभग 10,000 औद्योगिक प्रतिष्ठानों/संगठनों में व्यावहारिक प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करती है।

तकनीकी शिक्षा, उद्योग, समाज और पूरे विश्व की आवश्यकताओं के अनुसार, उपयुक्त जनशक्ति का निर्माण करके विकासशील

देशों की आर्थिक उन्नति में उल्लेखनीय योगदान देने का माध्यम है। इस योजना का उद्देश्य यह है कि उद्योगों की जनशक्ति संबंधी आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में उनके साथ परामर्श करके नए स्नातक इंजीनियरों, डिप्लोमाधारियों और व्यावसायिक धारा से 10+2 पास करने वाले छात्रों को व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाए।

मुम्बई, कलकत्ता, कानपुर तथा चेन्नई स्थित चार क्षेत्रीय प्रशिक्षुता/व्यावहारिक प्रशिक्षण बोर्ड, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (माध्यमिक शिक्षा और उच्चतर शिक्षा विभाग) द्वारा पूर्णतया वित्तपोषित स्वायत्त संगठन है। इन बोर्डों को अपने-अपने क्षेत्रों में प्रशिक्षुता अधिनियम लागू करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अधिनियम के अंतर्गत प्रशिक्षु प्रशिक्षण की अवधि एक वर्ष है। प्रशिक्षुओं को मासिक वृत्ति दी जाती है जिसमें केन्द्र सरकार तथा नियोक्ता का हिस्सा बराबर-बराबर होता है। इंजीनियरी स्नातक तकनीशियनों और 10+2 व्यावसायिक प्रशिक्षुओं को देय वृत्ति की राशि क्रमशः 1970 रुपए और 1400 रुपए तथा 1090 रुपए प्रतिमाह है। चारों बोर्डो को सलाह दी गई है कि वे प्रशिक्षु अधिनियम के अधीन व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने के प्रयोजन से नियमों के अनुसार महिलाओं, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और साथ ही अल्पसंख्यक उम्मीदवारों का चयन करें।

योजना के अधीन नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लगभग 1,92,000 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया था जबकि लक्ष्य 1,80,000 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित करने का था। नौवीं पंचवर्षीय योजना में लगभग 3,00,000 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2002-03 के दौरान प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं की संख्या 47,875 थी। वर्ष 2003-04 के लिए लगभग 1,00,000 प्रशिक्षुकों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। क्षेत्रीय बोर्डों ने अपने सामान्य क्रियाकलापों के अलावा, डिप्लोमा/डिग्री स्तर के संस्थानों के अंतिम वर्ष के छात्रों के लाभ के लिए, ये क्रियाकलाप भी किए: पर्यवेक्षणीय विकास कार्यक्रम, कैरियर मार्गदर्शन कार्यक्रम आदि।

राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी संस्थान (एनआईटीआईई), मुम्बई

राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी संस्थान एनआईटीआईआई अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) की सहायता से भारत सरकार द्वारा 1963 में स्थापित किया गया एक राष्ट्रीय संस्थान है। भारत सरकार द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित और सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अधीन एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत निटी एक स्वायत्त निकाय है जो कि शासी बोर्ड द्वारा शासित होता है जिसमें सरकार, उद्योग और शिक्षा के ही विख्यात व्यक्ति शामिल होते हैं। 1963 में अपनी स्थापना से निजी उद्योग और व्यापार की जटिल समस्याओं का समाधान सुलभ कराता रहा है।

राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी संस्थान, मुम्बई औद्योगिक इंजीनियरी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पी.जी.डी.आई.ई.), औद्योगिक सुरक्षा तथा पर्यावरणात्मक प्रबंध में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीआईएसईएम), औद्योगिक प्रबंध में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीआईएम) तथा साथ ही सरकारी और निजी क्षेत्र संगठनों से लिए गए वरिष्ठ और मध्यम स्तर के अधिकारियों के लाभार्थ उत्पादनशीलता विज्ञान और प्रबंध में बहुत बड़ी संख्या में प्रबंध विकास कार्यक्रमों (एमडीपी) का भी आयोजन करता है। यह संस्थान औद्योगिक इंजीनियरी और प्रबंध के क्षेत्र में एक अध्येतावृत्ति कार्यक्रम भी आयोजित करता है जो कि पीएच.डी. के समकक्ष होता है। यह संस्थान औद्योगिक इंजीनियरी के विभिन्न पक्षों जैसे कि ऊर्जा, सुरक्षा, पर्यावरण, विपणन, कम्प्यूटर, व्यवहारपरक विज्ञान आदि में अनुप्रयुक्त अनुसंधान में भी प्रवृत्त है। संस्थान, उद्योग की विशिष्ट आवश्यकताओं के सवर्था अनुरूप बनाए गए यूनिट आधारित कार्यक्रम (यूबीपीएस) उद्योग के परिसर में अथवा संस्थान के परिसर में आयोजित करता है।

राष्ट्रीय गढ़ाई और ढलाई प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईएफटी), रांची

यूनेस्को- संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से तथा देश के कोर क्षेत्र के विकास में गढ़ाई और ढलाई उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका स्वीकारते हुए राष्ट्रीय गढ़ाई और ढलाई प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईएफएफटी), रांची की 1966 में स्थापना की गई थी। यह संस्थान भारत सरकार द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित और सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत एक स्वायत्त निकाय है। संस्थान का मुख्य उद्देश्य इन उद्योगों के संचालन और प्रबंध से जुड़े कार्मिकों को अत्यन्त विशेषज्ञतापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए संस्थान विभिन्न स्तरों के पाठ्यक्रमों की पेशकश करता है जो कि इस प्रकार है: गढ़ाई और ढलाई प्रौद्योगिकी तथा विनिर्माण इंजीनियरी में

एम.टेक पाठ्यक्रम; विनिर्माण इंजीनियरी तथा धातुकर्म और सामग्री इंजीनियरी में बी.टेक पाठ्यक्रम; गढ़ाई और ढलाई प्रौद्योगिकी में उन्नत डिप्लोमा पाठ्यक्रम; उद्योगों द्वारा प्रायोजित सहभागियों के लिए विशिष्ट क्षेत्रों में अल्पकालीन पुनश्चर्या पाठ्यक्रम तथा उद्योगों, अनुसंधान एवं विकास संगठनों तथा संस्थानों के अनुरोध पर अल्पावधि के यूनिट- आधारित कार्यक्रम।

यह संस्थान उद्योग को इन रूपों में परामर्शी सेवाएं भी उपलब्ध कराता है: व्यावहार्यता रिपोर्ट तैयार करना; उपकरण और मशीनरी का मूल्यांकन; कच्चे माल और उत्पादों का गुणवत्ता नियंत्रण।

आयोजना और वास्तुकला स्कूल (एसपीए), नई दिल्ली

आयोजना और वास्तुकला स्कूल (एसपीए), नई दिल्ली की स्थापना ग्रामीण, शहरी तथा क्षेत्रीय आयोजना, वास्तुकला और संबद्ध विषयों के क्षेत्र में दिशा और अनुसंधान में सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 1955 में की गई थी। वास्तुकला विभाग जोड़े जाने पर 1959 में इसे आयोजना और वास्तुकला स्कूल (एसपीए), नई दिल्ली का नया नाम दिया गया। 1979 में संस्थान को समविश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया।

एसपीए वास्तुकला, आयोजन, डिजाइन तथा मानवीय आवास के विभिन्न पक्षों तथा वातावरण के क्षेत्रों में स्नातक-पूर्व और स्नातकोत्तर शिक्षा तथा प्रशिक्षण उपलब्ध कराता है। एसपीए दो स्नातक-पूर्व पाठ्यक्रम चलाता है: (1) वास्तुकला में स्नातक तथा (2) आयोजना में स्नातक और निम्न में 10 स्नातकोत्तर कार्यक्रम वास्तुकलात्मक संरक्षण शहरी डिजाइन, औद्योगिक डिजाइन, भू-क्षेत्र वास्तुकला, पर्यावरणात्मक आयोजना, आवास, क्षेत्रीय आयोजना, परिवहन आयोजना तथा शहरी आयोजना, भवन इंजीनियरी और प्रबंध।

स्कूल के संकाय में अनेक राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों/संगोष्ठियों आदि में भाग लिया और लेख प्रस्तुत किया वास्तुकला तथा आयोजन के क्षेत्र में संगोष्ठियां, कार्यशाला, प्रदर्शनी आदि आयोजित करने में स्कूल ने राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय संस्थानों को सहयोग प्रदान किया। सार्क क्षेत्र में एक शीर्षस्थ संस्थान होने के नाते एसपीए में विकासशील देशों के विदेशी छात्रों के लिए 10 सीटें आरक्षित रखी जाती हैं। अपने नियमित शैक्षिक कार्यक्रमों के अलावा एसपीए सतत् शिक्षा कार्यक्रम (सीईपी) आयोजित कर रहा है और अध्यापकों तथा व्यावसायियों के लिए गुणवत्ता सुधार कार्यक्रमों का आयोजन करने के निमित्त एक राष्ट्रीय नोडल केन्द्र है।

स्कूल के संकाय ने विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा सौंपी गई परामर्शी परियोजना भी हाथ में ली। अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए स्कूल में अनेक अनुसंधान और उन्नत अध्ययन केन्द्र स्थापित किए गए हैं। स्कूल ने सामायिक रुचि के विषयों पर तथा स्कूल के शैक्षणिक ध्यातव्य क्षेत्रों पर अल्पकालीन पाठ्यक्रमों, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, विशेषज्ञतापूर्ण कार्यक्रम और प्रदर्शनियों का आयोजन किया।

एशियाई प्रौद्योगिकी संस्थान एआईटी बैंकाक

एशियाई प्रौद्योगिकी संस्थान एआईटी की स्थापना सीटो ग्रेजुएट स्कूल आफ इंजीनियरिंग के रूप में सीटो सदस्य देशों की उन्नत तकनीकी आवश्यकता की पूर्ति करने के उद्देश्य से 1959 में की गई थी। 1967 में सीटो इस संस्थान के नियंत्रण से विलग हो गया और इसे एशियाई प्रौद्योगिकी संस्थान का नया नाम दिया गया तथा यह एक ऐसा स्वायत्त संस्थान बन गया जिसका प्रबंध न्यासियों के एक अन्तर्राष्ट्रीय बोर्ड को सौंप दिया गया। सम्प्रति बैंकाक में भारत के राजदूत एआईटी, बैंकाक के न्यासी बोर्ड के एक सदस्य हैं।

इस योजना के अधीन 25 लाख रुपए का बजट प्रावधान उपलब्ध है। भारत सरकार संकाय सम्प्रेषण और भारतीय उपकरणों, पुस्तकों, पत्रिकाओं आदि के खरीद के रूप में एआईटी, बैंकाक को प्रतिवर्ष 3 लाख रुपए का योगदान देती है।

व्यावसायिक और विशेष सेवाओं के लिए भुगतान

तकनीशियन शिक्षा परियोजना-III

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसरण में भारत सरकार ने तकनीशियन शिक्षा को सुदृढ़ करने और देश में पॉलीटेक्निक पास करने वालों के स्तर में सुधार लाने के लिए बड़े प्रयास शुरू किए। विश्व बैंक की सहायता से यह परियोजना एक राज्य क्षेत्र परियोजना के रूप में से चरणों में शुरू की गई। पहली तकनीशियन शिक्षा परियोजना (तक. शिक्षा-I) दिसम्बर 1990 में शुरू हुई और सितम्बर, 1998 में समाप्त हो गई। दूसरी तकनीशियन शिक्षा परियोजना (तक शिक्षा-II) जनवरी, 1992 में शुरू हुई और अक्तूबर 1999 में समाप्त हो गई। इन दो परियोजनाओं से 19 राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में 532 पॉलीटेक्निक लाभान्वित हुए और उन्हें विश्व बैंक द्वारा अत्यन्त सन्तोषप्रद माना गया है।

इन परियोजनाओं के अधीन प्राप्त हुए लाभों को बनाए रखने के, और साथ ही बाकी बचे राज्यों को शामिल करने के लिए

सरकार ने विश्व बैंक की सहायता से तीसरी तकनीशियन परियोजना (तक. शिक्षा-III) शुरू की जिससे कि इन राज्यों में 12 मौजूदा और 6 नए पालीटेक्निक शामिल किए जा सकें - अरुणाचल प्रदेश, जम्मू तथा कश्मीर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा तथा संघ शासित क्षेत्र अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह। परियोजना 17 जनवरी, 2001 से 1/2 वर्ष के लिए लागू कर दी गई।



विश्व में भारत के पास विशालतम वैज्ञानिक और तकनीकी जनशक्ति है। इसके पास विशाल शैक्षिक आधारिक तंत्र मौजूद है। आईआईटी, आईआईएम, आईआईएससी, आईएसएम जैसे संस्थान तथा जेएनयू, दिल्ली विश्वविद्यालय इग्नू, बीएचयू जैसे विश्वविद्यालय विश्वविख्यात हैं। ये संस्थान उन्नत देशों में स्थित संस्थानों के साथ बराबरी के आधार पर सहयोग कर सकते हैं।

क्षमता विस्तार

क) छः नए पॉलीटेक्निक स्थापित करना, सभी मौजूदा पाठ्यक्रमों को चुस्त बनाना, नए डिप्लोमा तथा इसको उच्चतर पाठ्यक्रम शुरू करना, छात्रों की नामांकन क्षमता में वृद्धि करना तथा पुरुषों और महिलाओं के लिए छात्रावास सीटें बनाना।

ख) सतत शिक्षा लागू करना, लगभग 8000 ग्रामीण बेरोजगार युवकों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रत्येक परियोजना संस्थान में प्रौद्योगिकी का अन्तरण और सामुदायिक सेवा।

गुणात्मक सुधार

क) परियोजना पॉलीटेक्निकों में सभी अध्यापकों को प्रतिवर्ष कम से कम चार सप्ताह के लिए नई प्रौद्योगिकियों, शिक्षा प्रौद्योगिकी और उद्योग में प्रशिक्षित करना।

ख) सभी पॉलीटेक्निकों में अधिगम संसाधन उपयोग केन्द्र स्थापित करना और अध्ययन में मीडिया का प्रयोग।

ग) सभी छात्रों के लिए कम्प्यूटर शिक्षा।

घ) विशेष रूप से सूचना प्रौद्योगिकी, कम्प्यूटर विज्ञान, उत्पादन प्रौद्योगिकी, वस्त्र और परिधान उद्योग प्रौद्योगिकी तथा मोटर वाहन अनुरक्षण में उच्च तकनीकी पाठ्यक्रम और विषय लागू करना।

ङ) एमपीईसीएस के माध्यम से पाठ्यक्रम नमनशीलता लागू करना।

च) प्रत्येक नियमित छात्र के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण के प्रावधान।

प्रभाविता में सुधार

क) संस्थानों को लागत वसूली के योग्य बनाना।

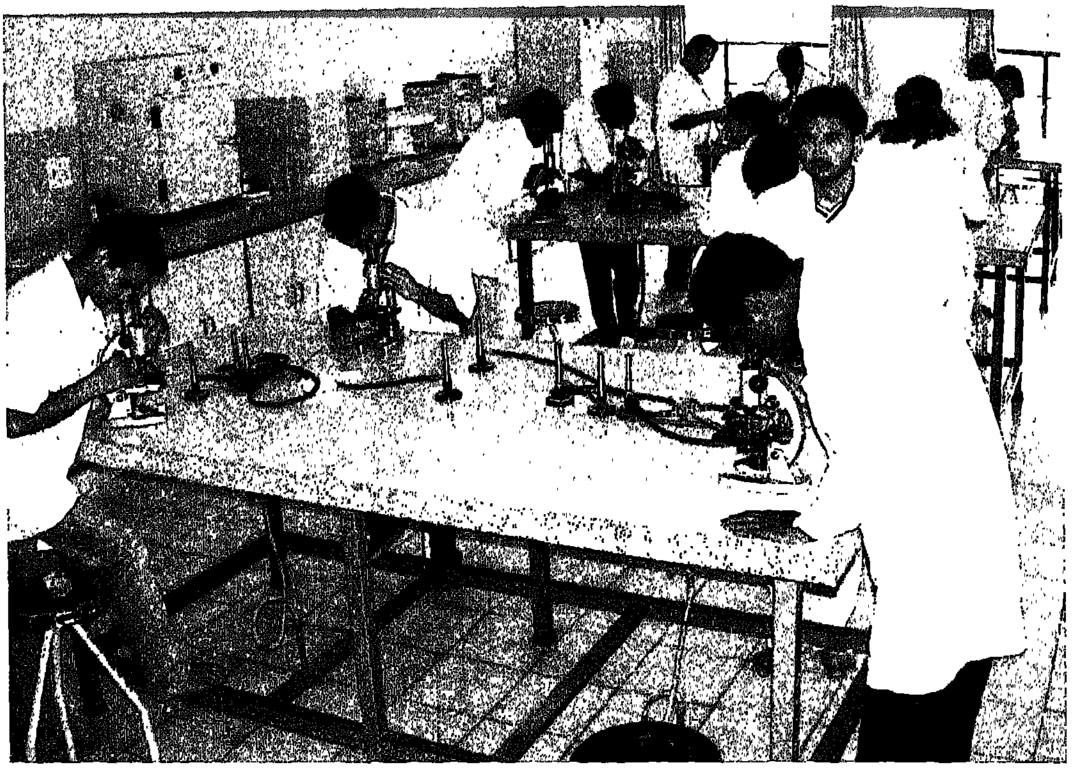
ख) प्रत्येक परियोजना संस्थान को समुचित मात्रा में शैक्षणिक, प्रशासनिक और वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करना।

ग) प्रत्येक राज्य में तकनीकी शिक्षा निदेशालयों तथा वोर्ड स्थापित करना अथवा उनका सुदृढ़ीकरण।

घ) संस्थानगत अभिशासन, शैक्षणिक क्रियाकलापों तथा संगठन जुटाने में उद्योगों और समुदाय को सहायोग देने से प्रोत्साहित करना।

एजूकेशनल कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिट (एड.सिल)

एडसिल की स्थापना भारत सरकार के एक उद्यम के रूप में 1981 में तकनीकी सहायता पर बल देते हुए विभिन्न शैक्षिक परियोजनाएं कार्यान्वित करने के लिए की गई थी जैसेकि शैक्षिक संस्थानों की स्थापना के लिए विस्तृत परियोजनाएं रिपोर्ट तैयार करना, पाठ्यचर्या विकसित करना, जनशक्ति आवश्यकता का निर्धारण, सर्वेक्षण करना आदि। बाद में इसके ध्यातव्य क्षेत्र का विकास हो गया और अब इसके क्रियाकलापों में इन कार्यक्रमों से संबंधित क्रियाकलाप शामिल हैं: विदेशों में भारतीय शिक्षा प्रणाली की प्रोन्नति करना, भारतीय संस्थानों में विदेशी छात्रों का स्थानन एडसिल के विदेशों में स्थित और भारत के ग्राहकों के लिए विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञों का प्रेषण/भर्ती। पिछले कुछ वर्षों में एडसिल ने अपने कार्यक्षेत्र का और विस्तार कर दिया है और उसने टर्नकी निर्माण तथा प्रापण योजनाओं (शैक्षिक संस्थानों पर बल देते



हुए) के साथ-साथ शैक्षिक संस्थानों में दाखिले तथा भर्ती के लिए प्रशिक्षण क्रियाकलाप भी हाथ में लिए हैं।

एडसिल सरकारी क्षेत्र का एक लाभ अर्जित करने वाला उद्यम है और वह पिछले 15 वर्षों से लाभ कमा रहा है तथा भारत सरकार को नियमित रूप से लाभांश का भुगतान कर रहा है।

अन्तर्राष्ट्रीय तकनीकी सहयोग

विश्व में भारत के पास विशालतम वैज्ञानिक और तकनीकी जनशक्ति है। इसके पास विशाल शैक्षिक आधारिक तंत्र मौजूद है। आईआईटी, आईआईएम, आईआईएससी, आईएसएम जैसे संस्थान तथा जेएनयू, दिल्ली विश्वविद्यालय इग्नू, बीएचयू जैसे विश्वविद्यालय विश्वविख्यात हैं। ये संस्थान उन्नत देशों में स्थित संस्थानों के साथ बराबरी के आधार पर सहयोग कर सकते हैं। भारत ने शिक्षा, आयोजना और प्रशासन के विकास के लिए देश के भीतर ही आधारिक तंत्र विकसित किया है (जैसे यूजीसी, एआईसीटीई, एनसीईआरटी, नीपो, टीटीटीआई, एनसीटीई तथा एडसिल)। इनकी सुविधाओं का आदान अन्य विकासशील देशों के साथ किया जा सकता है। हमारे व्यावसायिक संस्थानों में सामान्य दाखिले के बाद 15% स्थान विदेशी छात्रों के लिए आरक्षित रहते हैं। सामान्य शिक्षा धारा में विदेशी छात्रों के दाखिले की कोई सीमा नहीं है। इनका प्रभावी रूप से प्रयोग किए जाने की जरूरत है।

पिछले कुछ समय से द्विपक्षीय तकनीकी सहयोग माडलों में भारतीय पक्ष से एक से अधिक संस्थान शामिल रहते हैं। उदाहरण के लिए फ्रांसिसी और भारतीय संस्थानों से जुड़े अधिगम संसाधन विकसित करने के लिए एक सहयोगात्मक परियोजना पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संयुक्त आयोग में सहमति हुई है। ऐसी परियोजनाओं में एक से अधिक भारतीय संस्थान शामिल रहेंगे। इसके अलावा वित्तपोषण के सामान्य दायित्वों को केवल यही नहीं कि विदेशों से आने वाले व्यक्तियों के स्थानीय आतिथ्य की पूर्ति करनी होगी बल्कि इस प्रयोजन के लिए विदेश जाने वाले भारतीय प्रतिनिधि मंडल के अंतर्राष्ट्रीय हवाई भाड़े की भी पूर्ति करनी होगी क्योंकि कोई अकेला संस्थान शामिल नहीं होता, व्यय मंत्रालय को उठाना पड़ता है।

यह भी महसूस किया जाता है कि तकनीकी शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को अधिक प्रभावी रूप से तब बढ़ावा दिया जा सकता

है जब कि संयुक्त परियोजनाओं का वित्तपोषण विदेशी भागीदारों के साथ बराबरी के आधार पर किया जाए। 'अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी सहयोग' शीर्ष से बजट प्रावधान के बल पर तकनीकी शिक्षा में संयुक्त सहयोगात्मक परियोजनाओं के भारतीय दायित्वों के पारस्परिक वित्तपोषण पर विचार किया जा सकेगा।

अनुमोदित सांस्कृतिक कार्यक्रम/शैक्षिक विनिमय एस तथा टी कार्यक्रम में तकनीकी संस्थान को सहायता, विदेशी प्रतिनिधि मंडल की यात्रा विदेश में प्रतिनिधि मंडल भेजने, तकनीकी सहायता के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी/सम्मेलन आयोजित करने पर होने वाला खर्च।

अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी सहयोग के निम्न पक्ष कार्यान्वित किए जाने हैं:

- संकाय का प्रेषणः एशियाई प्रौद्योगिकी संस्थान, बैंकाक, तकनीकी शिक्षा के लिए कोलम्बो प्लान स्टाफ कोलेज, महिला तथा एएसईएएन, अफ्रीका और एशियाई उपमहाद्वीप में स्थित अन्य संस्थानों जैसे महत्वपूर्ण संस्थानों और अन्य किसी देश से जहां भारतीय संकाय की मांग मौजूद है अथवा पैदा होती है, संकाय का प्रेषण।
- शैक्षिक विनिमय कार्यक्रम के अधीन करार के अनुसार शैक्षिक आयोजन और प्रबंध संस्थान आदि स्थापित करने के लिए परामर्श।
- विदेशी संस्थानों के साथ शैक्षणिक विनिमय के लिए संस्थानों द्वारा हस्ताक्षरित एमओडी के आधार पर उनके प्रस्तावों के लिए सहायता।
- शैक्षिक विनिमय कार्यक्रमों विज्ञान और प्रौद्योगिकी करारों तथा अन्य अन्तःसरकार करारों के संबंध में उपर्युक्त प्रावधानों से इतर प्रावधानों का कार्यान्वयन और इस प्रायोजन के लिए भारतीय दायित्वों की पूर्ति।
- विदेशों में भारतीय प्रणाली के प्रसार के लिए तथा भारत और दूसरे देशों के शैक्षिक मुद्दों पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संगोष्ठियां और कार्यशालाएं आयोजित करना।
- सरकार द्वारा समय-समय पर लिए गए निर्णय के अनुसार अन्य क्रियाकलाप शुरू करना।
- विकासशील देशों में भारतीय शिक्षा केन्द्र खोलना ताकि भारतीय संस्थानों विदेशी छात्रों का आगमन सुकर बनाया जा से।



पिछले कुछ समय से द्विपक्षीय तकनीकी सहयोग माडलों में भारतीय पक्ष से एक से अधिक संस्थान शामिल रहते हैं। उदाहरण के लिए फ्रांसिसी और भारतीय संस्थानों से जुड़े अधिगम संसाधन विकसित करने के लिए एक सहयोगात्मक परियोजना पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संयुक्त आयोग में सहमति हुई है। ऐसी परियोजनाओं में एक से अधिक भारतीय संस्थान शामिल रहेंगे।

कनाडा-भारत संस्थान उद्योग संबंध परियोजना सीआईआईआईएलपी

कनाडा-भारत संस्थान उद्योग संबंध परियोजना कनाडा सरकार और भारत सरकार द्वारा अनुसमर्थित तथा कनाडा अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी सीडा द्वारा वित्तपोषित एक द्विपक्षीय तकनीकी शिक्षा परियोजना है। इस परियोजना के लिए कनाडा कार्यान्वयन एजेंसी सामुदायिक कालेज संघ एसीसीसी है। भारतीय पक्ष की तरफ से प्रमुख पणधारी केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय और परियोजना राज्यों के तकनीकी शिक्षा निदेशालय हैं।

यह परियोजना पांच राज्यों में कार्यान्वित की जाती है जो इस प्रकार हैं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात और छत्तीसगढ़।

यह परियोजना इन माध्यमों से परियोजना राज्यों में तकनीकी शिक्षा प्रणाली की दक्षता और प्रभाविता में सुधार लाने की दृष्टि से तैयार की गई हैः तकनीकी संस्थानों और उद्योगों के बीच तथा प्रभावी तालमेल और संबंध के लिए संधारणी माडल तैयार करना, संधारणीयता सुनिश्चित करना और परियोजना पहलों की पुनरावृत्ति को बढ़ावा देना तथा, मानव संसाधन विकास मुद्दों में निजी क्षेत्र की सहभागिता को बढ़ावा देना।

परियोजना का उद्देश्य यह है कि बदलते हुए समाजार्थिक वातावरण के प्रति तकनीकी शिक्षा प्रणाली को अधिक

अनुक्रियाशील बनाने की दिशा में भारत सरकार की मदद की जाए।

परियोजना दो चरणों में कार्यान्वित की जाती है - प्रारंभिक चरण और कार्यान्वयन चरण। प्रारंभिक चरण मई 1999 में शुरू होकर दिसम्बर 1999 में पूरा कर लिया गया था। कार्यान्वयन चरण की शुरूआत जनवरी 2000 में हुई थी।

भारत सरकार इस परियोजना को दिसम्बर 2003 के बाद एक वर्ष की अवधि तक बढ़ाने को सहमत हो गई है।

यह परियोजना भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग संयुक्त सचिव टी की अध्यक्षता में गठित संयुक्त परियोजना संचालन समिति जेपीएससी के समग्र मार्गदर्शन और देखरेख में कार्यन्वित की जाती हैं। परियोजना के कार्यान्वयन के रोजमर्रा के क्रियाकलापों के अनुश्रवण के लिए राष्ट्रीय परियोजना निदेशालय एनपीडी तथा इन-इंडिय कार्यकारी दल आईआईडब्ल्यूजी जिम्मेदार है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव टी को राष्ट्रीय पिरयोजना निदेशक तथा इन-इंडिया कार्यकारी दल के अध्यक्ष के रूप में पदनामित किया गया है। भारत में परियोजना कार्यान्वयन कार्यालय सम्प्रति, पूणे महाराष्ट्र में स्थित है।

वर्ष के दौरान भारत में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम

- सामरिक आयोजन में प्रशिक्षण कार्यक्रम और 2002-2003 के लिए एसपी की प्रबंध समीक्षा तथा डीओटीई और संस्थानों के लिए एसपी 2003-2004 तैयार करना।
- क्षमता आधारित शिक्षा सीबीई विकसित करने में प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- डीओटीई स्टाफ के लिए एमआईएस प्रशिक्षण।
- प्रबंध उद्यमशीलता और क्षमता आधारित कार्यक्रम कौशलों में प्रशिक्षण।
- डब्ल्यूआईडी क्रियाकलापों का अभिज्ञान।



- उद्योग द्वारा याचित कार्यक्रम के लिए सीबीई-आधारित पाठ्यचर्या का विकास।

तकनीशियन शिक्षा के लिए कोलम्बो प्लान स्टाफ कालेज सीपीएससी

तकनीशियन शिक्षा के लिए कोलम्बो प्लान स्टाफ कालेज, कोलम्बो योजना की एक विशेषज्ञताप्राप्त एजेंसी है। इसकी स्थापना वेलिंगटन, न्यूजीलैण्ड में 5 दिसम्बर, 1973 को आयोजित योजना की 23वीं परामर्शदात्री समिति की बैठक के समय की गई थी। इस बैठक का उद्देश्य यह था कि सदस्य देशों की अपनी तकनीशियन शिक्षण प्रणालियां विकसित और संवर्द्धित करने में उनकी मदद की जाए। पहली मेजबान सरकार के रूप में सिंगापुर गणराज्य ने 1974 में 12 वर्षों के लिए इस एजेंसी का दायित्व स्वीकार कर लिया और इस प्रकार इस एजेंसी ने 1974 में काम करना शुरू कर दिया। 1986 में सीपीएससी मनीला, फिलीपींस में अंतरित हो गई।

कोलम्बो प्लान स्टाफ कालेज इन अर्थों में एक अनूठा संगठन है कि वह एशिया-प्रशांत क्षेत्र में तकनीशियन शिक्षा और प्रशिक्षण में गुणवत्तात्मकता से संबंधित मुद्दों की ओर ध्यान देने वाला एकमात्र क्षेत्रीय संस्थान हैं। इस स्टाफ कालेज का उद्देश्य यह है कि तकनीशियन शिक्षा में तकनीशियन अध्यापक-प्रशिक्षकों, प्रशिक्षकों और वरिष्ठ स्टाफ की आवश्यकता की पूर्ति करके कोलम्बो योजना क्षेत्र में तकनीशियन शिक्षा और प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार लाया जाए। सेवाकालीन प्रशिक्षण और स्टाफ विकास कार्यक्रमों में तकनीशियन शिक्षा से जुड़े अध्यापक/प्रशिक्षक/सीनियर स्टाफ अधिक सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं।

सीपीएससी, मनीला द्वारा क्षेत्रीय कार्यक्रमों के अलावा अन्तर्देशीय कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। 2003-2004 के दौरान आयोजित कुछेक कार्यक्रम नीचे दर्शाए गए हैं

क्षेत्रीय कार्यक्रम	महीना/वर्ष	स्थान
टीईटी में गुणवत्ता इंजीनियरी और पुनःइंजीनियरी	10.11.2003 से 21.11.2003 तक	केआईटीसी, श्रीलंका
अन्तर्देशीय कार्यक्रम		
शिक्षा में उभरती प्रवृत्तियां	27.1.2003 से 7.2.2003 तक	टीटीटीआई, कलकत्ता .

भारत सरकार का तकनीकी शिक्षा गुणवत्तात्मक सुधार कार्यक्रम

भारत सरकार के तकनीकी शिक्षा गुणवत्तात्मक सुधार टीईक्यूआईपी की परिकल्पना एनपीई 1986 1992 में यथासंशोधित के अनुसरण में की गई थी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य तकनीकी शिक्षा के स्तर में सुधार लाने की दिशा में भारत सरकार के प्रयासों को बढ़ाना और समर्थन देना तथा संस्थानों की मौजूदा क्षमताओं का संवर्द्धन करना है जिससे कि वे गतिशील, मांग-प्ररित, गुणवत्ता के प्रति सचेत, प्रभावशाली, दूरदर्शी तथा राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों पर होने वाली तेज आर्थिक और प्रौद्योगिकीय घटनाओ के प्रति संवेदी बन सकें।

टीईक्यूआईपी के स्थूल लक्ष्य नीचे दिए गए हैं:

- एक ऐसा वातावरण तैयार करना जिसमें कार्यक्रम के अधीन चयनित इंजीनियरी संस्थान उत्कृष्टता के स्वयं निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति कर सके और स्वायत्तता तथा जवाबदेही के साथ उन्हें बनाए रख सके।
- सहक्रियात्मक नेटवर्क सहित विकास योजनाओं और समुदाय के लिए सेवा तथा उच्चतर स्तरों की प्राप्ति के लिए प्रतियोगात्मक ढंग से चुने गए संस्थानों की अर्थव्यवस्था का समर्थन करना।
- राज्यों में तथा कार्यक्रमों के अधीन चुने गए संस्थानों में तकनीकी शिक्षा प्रबंध प्रणाली की प्रभाविता और प्रभावक्षमता में सुधार लाना।

टीईक्यूआईपी बहुराज्य, दीर्घकालीन कार्यक्रम के रूप में एक केन्द्र समन्वित कार्यक्रम की भांति परस्पर व्यापी चरणों में कार्यान्वित किया जाएगा। प्रत्येक चरण के अधीन उत्तम निष्पादन वाले संस्थानों के लिए प्रतियोगात्मक ढंग से चयन के दो से तीन चक्र आयोजित किए जाएंगे।

प्रथम चरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी आईडीए के साथ कार्यक्रम संबंधी बातचीत सितम्बर 2002 में हुई थी। कार्यक्रम 12 मार्च 2003 से लागू है।

पहले चरण के पहले चक्र के लिए कार्यक्रम में भाग लेने के प्रयोजन से छ राज्यों अर्थात हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश का उनकी प्रतिबद्धता और तत्परता के आधार पर चुना गया है। इन राज्यों में से 12 मार्गदर्शी संस्थानों केन्द्रीय वित्तपोषित पांच संस्थान एनआईटी सहित तथा 28 नेटवर्क संस्थानों का चयन किया गया है। पहले

चरण के दूसरे चक्र में 7 राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखण्ड, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तरांचल और पश्चिम बंगाल का चयन किया गया है।

व्यावसायिक शिक्षा

माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण में शैक्षिक अवसरों के वैविध्यकरण का प्रावधान है ताकि व्यक्तिगत रोजगार संभाविता बढ़ायी जाए, कुशल जनशक्ति की मांग और पूर्ति के बीच बेमेल की स्थिति को कम किया जाए तथा इसमें उच्च शिक्षा में जाने वालों के लिए विकल्प प्रस्तुत किया गया है।

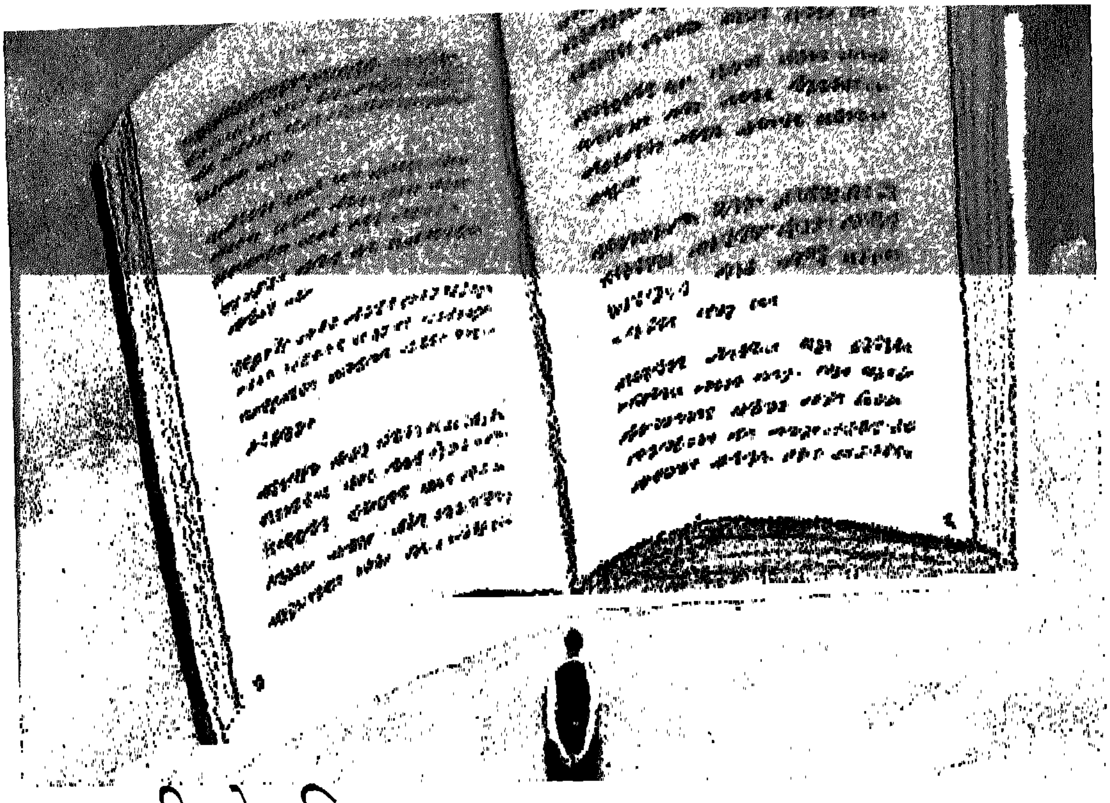
+2 स्तर पर माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण की केन्द्रीय प्रायोजित योजना 1988 से कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना में निम्न प्रयोजनों के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता दिए जाने का प्रावधान है प्रशासनिक तंत्र स्थापित करना, क्षेत्र व्यावसायिक सर्वेक्षण, पाठ्यचर्या, पाठ्यपुस्तक, कार्यपुस्तक, पाठ्यचर्या निर्देशिका, प्रशिक्षण नियम पुस्तिका, अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करना, अनुसंधान और विकास, प्रशिक्षण और मूल्यांकन आदि के लिए तकनीकी सहयोग प्रणाली का सुदृढ़ीकरण। साथ ही इसमें अल्पकालीन पाठ्यक्रमों को आयोजन करने के लिए विशिष्ट नवाचारी परियोजनाओं के कार्यान्वयन के निमित्त एनजीओ और स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता दिए जाने का प्रावधान भी है। इस योजना ने अभी तक 7300 स्कूलों में 20600 सेक्शनों का विशाल आधारित तंत्र का निर्माण कर दिया है और इस प्रकार 12 स्तर पर लगभग 10 लाख छात्रों को दूसरी धारा में डाल दिया है और अभी तक 700 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जा चुका है।

इस योजना का अनेक एजेंसियों द्वारा मूल्यांकन/समीक्षा की गई है जैसेकि मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा स्थापित अनौपचारिक समूह द्वारा 1993 में, सहक्रिया समूह द्वारा 1995 में, आपरेशन अनुसंधान समूह द्वारा 1996 में, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी के कार्यकारी दल द्वारा 1998 में तथा अनुसंधान आयोजना और कार्रवाई केन्द्र सीईआरपीए द्वारा 1999 में। विभिन्न समीक्षा समूहों/ समितियों की सिफारिशों के आधार पर 12 स्तर पर माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण की योजना संशोधित की जा रही है तथा व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण वीई तथा टी की एक नई योजना तैयार की गई है। वीईटी की योजना एक अलग धारा होगी जिसका उद्देश्य यह है कि छात्रों को ऐसे अभिज्ञात व्यवसाय के लिए तैयार किया जाए जिसके क्रियाकलाप कई वर्षों तक चलते रहें। यह पाठ्यक्रम माड्यूलर, क्रेडिट-आधारित होंगे जिनमें ऊर्ध्वाधर और पार्श्विक गतिशीलता होगी। इसमें छात्रों को ऐसे व्यावसायिक क्षेत्रों में प्रशिक्षित करने की बात सोची गई है जिसमें स्वरोजगार अथवा मजदूरी रोजगार के अवसर उपलब्ध हो। प्रस्तावित संशोधित योजना के अधीन योजना के कार्यान्वयन के सभी स्तरों अर्थात पाठ्यक्रमों को अभिज्ञात करने, पाठ्यचर्या तैयार और डिजाइन करने से लेकर वास्तविक कार्यस्थल प्रशिक्षण तक उद्योग और प्रयोक्ता संगठनों को सहयोजित किया जाएगा। बहुकौशल प्राप्त करने के अवसर उपलब्ध रहेंगे जिससे कि रोजगार पाने की उनकी संभावना में सुधार लाया जा सके।

12 भाषाएं, पुस्तक प्रोन्नति, कापीराइट तथा छात्रवृत्तियां



गैर-सरकारी संगठनों द्वारा पुस्तक प्रोन्नति क्रियाकलापों को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय पुस्तक प्रोन्नति क्रियाकलापों के संबंध में संगोष्ठियाँ, प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशालाएं और वार्षिक सम्मेलन आयोजित करने के लिए स्वैच्छिक संगठनों और प्रकाशकों तथा लेखकों के संघों को सहायता-अनुदान देता है।



भाषा की प्रोन्नति

आलोच्य वर्ष के दौरान जारी रखे गए कतिपय महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में ये शामिल हैं: विभिन्न संस्कृत संस्थानों के माध्यम से संस्कृत भाषा की प्रोन्नति तथा विकास; हिन्दी का विकास और अहिन्दीभाषी राज्यों के हिन्दी अध्यापकों का प्रशिक्षण; सूचना प्रौद्योगिकी का व्यापक प्रयोग करते हुए आठवीं अनुसूची की सभी भारतीय भाषाओं की प्रोन्नति; भारतीय भाषाओं के अध्यापकों की नियुक्ति; शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए क्षेत्र गहन और मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम; प्रतिभाशाली बच्चों के लिए छात्रवृत्ति स्कीम और साथ ही अहिन्दीभाषी राज्यों के हिन्दी पढ़ने वाले छात्रों के लिए छात्रवृत्ति; बौद्धिक संपदा अधिकारों पर पुस्तक और कार्यशाला; शैक्षिक संस्थानों तथा अन्य संस्थानों के माध्यम से कापीराइट अधिनियम का प्रबंध; विख्यात संगठनों की सहायता से स्कूलों और अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों में शिक्षा में सांस्कृतिक और मानवीय मूल्यों का सुदृढ़ीकरण।

इन सभी स्कीमों को अगले वित्तीय वर्ष मं जारी रखा जाएगा। संस्कृति और मानवीय मूल्यों में शिक्षा की स्कीम को व्यापक प्रसार के लिए सुदृढ़ीकृत किया जा रहा है तथा प्रतिभाशाली छात्रों के लिए छात्रवृत्ति स्कीम से संशोधित किया जा रहा है। इसी प्रकार संस्कृत भाषा की उन्नति के लिए स्कीम भी संशोधित की जा रही है तथा उसका और आगे सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है।

केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय (सीएचडी)

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 की भावना का अनुपालन करते हुए भारत सरकार ने शिक्षा मंत्रालय (अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय, माध्यमिक शिक्षा और उच्चतर शिक्षा विभाग) के अधीन 1 मार्च, 1960 को केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय की स्थापना की। संस्था का उद्देश्य है - हिन्दी का इस तरह से प्रचार और विकास करना कि वह देश की संपर्क भाषा बने।

यह निदेशालय दिल्ली में अवस्थित है। इसके अलावा, संगठन के चार क्षेत्रीय कार्यालय चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता और गुवाहटी में कार्यरत हैं। इन क्षेत्रीय कार्यालयों का दायित्व राज्य सरकारों और स्वैच्छिक हिन्दी संस्थाओं के साथ निदेशालय के कार्यकलाप का समन्वय करना है। उक्त लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय ने निम्न योजनाएं हाथ में ली हैं।

भाषा संवाद निर्देशिका योजना के अंतर्गत निदेशालय द्विभाषी हिन्दी कोष और अन्य भारतीय एवं विदेशी भाषाओं के साथ संवाद निर्देशिकाएं प्रकाशित करता है। इस योजना के अंतर्गत 15 द्विभाषी, 14 त्रिभाषी और 3 बहुभाषी कोष और 19 वार्तालाप निर्देशिकाएं प्रकाशित की जा चुकी हैं। बंगला-हिन्दी-अंग्रेजी, चीनी-हिन्दी कोष तथा हिन्दी पोलिश वार्तालाप निर्देशिकाओं का प्रकाशन गत वर्ष की प्रमुख उपलब्धियां रही हैं। इस वर्ष 12 द्विभाषी, दो त्रिभाषी कोष तैयार किए जा रहे हैं।

विभिन्न विस्तार कार्यक्रमों के अंतर्गत वार्षिक रूप से निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं :

- **गैर-हिन्दीभाषी छात्रों का अध्ययन-भ्रमण** - स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर हिन्दी पढ़ने वाले अहिन्दीभाषी क्षेत्रों के छात्रों के लिए दो अध्ययन-भ्रमण आयोजित किए गए।
- **नव-लेखक कार्यशालाएं** - चार कार्यशालाएं आयोजित की गई जिनमें से प्रत्येक में 25 नव-लेखकों ने भाग लिया। अहिन्दीभाषी नव-लेखकों को कहानी, कविता, एकांकी, अनुवाद, पत्रकारिता आदि विभिन्न विधाओं के बारे में विस्तृत और अधुनातम जानकारी दी गई। इस वर्ष अब तक 8 कार्यशालाओं का आयोजन किया जा चुका है।
- **हिन्दी में पुस्तकें लिखने वालों अहिन्दीभाषी लेखकों के लिए पुरस्कार** - अहिन्दीभाषी लेखकों को हिन्दी में लेखन के निमित्त प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अहिन्दीभाषी लेखकों को मौलिक पुस्तकें लिखने, हिन्दी में अनुवाद करने के लिए एक-एक लाख रुपए के 19 पुरस्कार दिए जाते हैं। इस वर्ष 15 अहिन्दीभाषी लेखकों को इन पुरस्कारों के लिए चुना गया।
- **शिक्षा पुरस्कर योजना** - हर वर्ष एक लाख रुपए के 5 पुरस्कार, हिन्दीभाषी और अहिन्दीभाषी क्षेत्रों के लेखकों को, शिक्षा के विभिन्न पहलुओं-जैसे कि शिक्षा, नीति, प्राथमिक/मिडिल/उच्चतर शिक्षा, नैतिकता, पर्यावरण, विज्ञान, शारीरिक शिक्षा पर उत्कृष्ठ मौलिक पुस्तकें लिखने के लिए दिए जाते हैं।
- **प्राध्यापक व्याख्यानमाला कार्यक्रम** के अंतर्गत अहिन्दीभाषी क्षेत्रों के विश्वविद्यालयों के चार व्याख्याता और हिन्दीभाषी क्षेत्रों के चार व्याख्याता क्रमशः तीन हिन्दीभाषी क्षेत्रों के विश्वविद्यालयों और 3 अहिन्दीभाषी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों का दौरा करते हैं और वहां वे स्थानीय व्याख्याताओं एवं छात्रों के साथ विचार-विमर्श करते हैं तथा हिन्दी साहित्य के विभिन्न क्षेत्रों पर व्याख्यान देते हैं। इस वर्ष 7 व्याख्याताओं ने विभिन्न विश्वविद्यालयों का दौरा किया।
- **राष्ट्रीय संगोष्ठियाँ** - दो राष्ट्रीय संगोष्ठियाँ आयोजित की गई जिनमें हिन्दी साहित्य के विभिन्न क्षेत्रों पर विस्तृत साहित्यिक विचार-विमर्श किया गया।
- **अहिन्दीभाषी क्षेत्रों के हिन्दी शोधार्थियों को वित्तीय सहायता-** अहिन्दीभाषी क्षेत्रों के 20 अहिन्दीभाषी शोधकर्ताओं को शोध सामग्री एकत्र करने के लिए भ्रमण अनुदान दिया गया।

प्रकाशन योजना के अंतर्गत एक द्विमासिक पत्रिका, भाषा, अगसत, 1961 से नियमित रूप से प्रकाशित की जा रही है। मई-जून, 2002 में सूचना प्रौद्योगिकी और भारतीय भाषाएं विषय पर इसका विशेषांक प्रकाशित किया गया।

निदेशालय हिन्दी पुस्तकें और पत्र-पत्रिकाएं खरीदता है और अहिन्दीभाषी क्षेत्र के स्कूलों, कालेजों एवं सार्वजनिक पुस्तकालयों को निःशुल्क भेजता है। इस वर्ष लगभग 1000 संस्थाओं को 65 पुस्तकें भेजी गई हैं। विभिन्न अहिन्दीभाषी क्षेत्रों में 8 पुस्तक प्रदर्शनियाँ आयोजित की गई और आशा है कि छः और प्रदर्शनियां आयोजित की जाएंगी।

निदेशालय अंग्रेजी, तमिल, मलयालम और बंगला के माध्यम से और पत्राचार द्वारा अहिन्दीभाषा भारतीयों और विदेशियों के लिए एक वर्ष का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम और एक वर्ष का डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित करता है। इसके अलावा, (अंग्रेजी माध्यम से) प्रबोध, प्रवीण और प्रज्ञा कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं। सिविल सेवा परीक्षा में हिन्दी विषय लेने वाले पूर्वी क्षेत्रों के हिन्दीभाषी उम्मीदवारों के लिए (अंग्रेजी माध्यम से) एक हिन्दी सिविल सेवा पाठ्यक्रम भी चलाया जाता है।

इस समय प्रमाणपत्र और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में 8000 छात्र पंजीकृत हैं। 2051 छात्रों को प्रबोध, प्रवीण और प्रज्ञा कार्यक्रमों के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है, जबकि सिविल सेवा हिन्दी पाठ्यक्रम के अंतर्गत 52 पंजीकृत किए गए हैं।

निदेशालय हिन्दी की प्रोन्नति के लिए स्वैच्छिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता की योजना और हिन्दी पुस्तकों के प्रकाशन एवं खरीद के लिए वित्तीय सहायता की योजना भी क्रियान्वित करता है। पहली योजना के अंतर्गत पंजीकृत स्वैच्छिक हिन्दी संस्थाओं को केन्द्रीय अनुदान समिति की सिफारिश पर अनेक कार्यकलापों - जैसेकि हिन्दी शिक्षण कक्षाएं चलाना, हिन्दी आशुलिपि और टंकण कक्षाएं चलाना और हिन्दी पुस्तकालयों, वाचनालयों के संचालन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

दूसरी स्कीम के अधीन वित्तीय वर्ष के दौरान 224 बीएचओ को आर्थिक सहायता प्रदान की गई। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान आर्थिक सहायता के लिए 142 बीएचओ को पहले ही

मंजूरी दी जा चुकी है जबकि पूर्वोत्तर राज्यों के 80-85 डीएचओ के मामले पर विचार किया जाना बाकी है।

वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग

हिन्दी और अन्य आधुनिक भारतीय भाषाओं के समरूप शब्दावली विकसित करने और शिक्षण के सभी क्षेत्रों में पाठ्य-पुस्तकों, पूरक पठन सामग्री और संदर्भ साहित्य तैयार करने के लिए- ताकि विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा के माध्यम को सुगमता से बदला जा सके - 1961 में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना की गई थी।

आयोग को सौंपा गया एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण दायित्व है - हिन्दी और अन्य आधुनिक भाषाओं में तकनीकी शब्दावली का संवर्धन और विकास। अब तक समस्त प्रमुख विषयों से संबंधित 7.5 लाख तकनीकी हिन्दी समानार्थी शब्दों को तैयार कर अंतिम रूप दिया जा चुका है।

वर्ष 2002 में 16000 शब्दों वाली पुस्तक 'ए कंप्रीहैंसिव ग्लासरी आफ एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स' का नया संस्करण प्रकाशित किया गया। अब तक सूचना प्रौद्योगिकी के 10,000 तकनीकी शब्द सीडिज में उपलब्ध कराए जा चुके हैं।

विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा के माध्यम से बदलने के घनिष्ठ संबंध विश्वविद्यालय के विभिन्न विषयों की कालेज पुस्तकों के पर्याप्त संख्या में प्रकाशन से है। इस बात को दृष्टि में रख कर, हिन्दी ग्रंथ अकादमियों, राज्य पाठ्यपुस्तक बोर्डों और विश्वविद्यालय प्रकोष्ठों को सीएसटीटी के माध्यम से अनुदान उपलब्ध कराए जाते हैं। सीएसटीटी को इन सभी एजेंसियों के कार्य का समन्वयन और उनकी प्रगति के अनुश्रवण का कार्य सौंपा गया है। अब तक इस कार्यक्रम के अंतर्गत 141,000 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं जिनमें से 3100 पुस्तकें हिन्दी में और लगभग 10,500 पुस्तकें अन्य आधुनिक भारतीय भाषाओं में हैं। कृषि, चिकित्सा और इंजीनियरिंग की पुस्तकों का प्रकाशन सीएसटीटी खुद करता है। इन विषयों की लगभग 500 पुस्तकें प्रकाशित की गई है।

वैज्ञानिक और तकनीकी शब्द उनकी परिभाषा के संदर्भ में ही सबसे अच्छी तरह समझे जा सकते हैं। अतः सीएसटीटी ने सभी विषयों में परिभाषा-शब्दावलियाँ तैयार की हैं। अब तक लगभग सभी बुनियादी विज्ञानों, मानविकी, सामाजिक विज्ञानों और कई अन्य विशेपीकृत विषयों की 60 परिभाषा-शब्दावलियाँ प्रकाशित की जा चुकी हैं।

जुलाई, 2002 के दौरान माननीय मानव संससाधन विकास मंत्री डॉ मुरली मनोहर जोशी ने भौतिकी और प्राणी विज्ञान की परिभापात्मक शब्दावलियों के दूसरे संस्करणों का विमोचन किया।

हिन्दी में विज्ञान लेखन के विकास और उपयुक्त शैली में सहायता करने और साथ ही ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में अधुनातम जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से सीएसटीटी ने क्रमश वैज्ञानिकों और सामाजिक विज्ञानियों के लिए दो तिमाही पत्रिकाओं 'विज्ञान गरिमा सिंधु' और 'ज्ञान गरिमा सिंधु' कास प्रकाशन आरंभ किया है।

2003-04 की अवधि के दौरान कृषि विज्ञान विशेषांक के रूप में विज्ञान गरिमा सिंधु प्रकाशित किया गया। विज्ञान गरिमा सिंधु के 41वें, 42वें ओर 43वें अंक प्रकाशन के लिए सरकारी मुद्रणालय को भेजे गए। 45वें, 46वें और 47वें अंक का संपादन कार्य पूरा कर लिया गया।

केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मंडल, आगरा

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग) के समग्र नियंत्रणाधीन केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मंडल, आगरा भारत सरकर द्वारा स्थापित एक स्वायत्त संस्थान है। मंडल अपने तत्वावधान में केन्द्रीय हिन्दी संस्थान चलाता है जिसका मुख्यालय आगरा में है तथा दिल्ली, हैदराबाद, मैसूर, गुवाहटी और शिलांग में इसके केन्द्र हैं।

संस्थान निम्नलिखित पाठ्यक्रम चलाता है:

- हिन्दी शिक्षण, निषांत (एम.एड.स्तर);
- हिन्दी शिक्षण, पारंगत, (बी.एड.स्तर); और
- हिन्दी शिक्षण, प्रवीण, चार वर्षीय हिन्दी शिक्षण डिप्लोमा और गहन हिन्दी शिक्षण प्रबोधन पाठ्यक्रम।

अपने केन्द्रों के अलावा, संस्थान अहिन्दीभाषी राज्यों के हिन्दी शिक्षकों के लिए, लेह, सिक्किम, अंडमान और निकोबार और दिऊ जैसे दूरस्थ स्थानों पर भी, अभिविन्यास पाठ्यक्रम आयोजित करता है।

संस्थान 'विदेशों में हिन्दी प्रचार योजना' के अंतर्गत आगरा में

विदेशियों को हिन्दी पढ़ाने का कार्यक्रम भी चलाता है। विदेशियों के लिए एक दूसरा मिलाजुला हिन्दी पाठ्यक्रम संस्थान के दिल्ली केन्द्र में चलाया जाता है। अब तक 71 देशों के 2075 छात्र हिन्दी में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। इस वर्ष के दौरान ससथान ने सभी शिक्षण और प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में छात्रों के प्रवेश में वृद्धि की है ताकि हिन्दी शिक्षकों और विदेशी छात्रों की मांग को पूरा किया जा सके। इस वर्ष के दौरान विभिन्न भाषाई क्षेत्रों के लिए भाषा प्रौद्योगिकी और श्रवण सामग्री का कार्य भी प्रारंभ किया गया।

संस्थान की जनजातीय भाषा शोध इकाई भाषा शिक्षण सामग्री तैयार करने का कार्य करती है। दीमापुर (नागालैंड) के लिए सामाजिक अध्ययन भाग-III की एक पाठ्यपुस्तक (सामाजिक अध्ययन भाग-III) प्रकाशित की जा चुकी है। विभिन्न भाषाई क्षेत्रों, विशेषकर उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए उपचारी श्रवण सामग्री की तैयारी में भाषा प्रौद्योगिकी और दृश्य-श्रव्य इकाई शामिल है।

इस वर्ष के दौरान संस्थान ने बी.एड. पाठ्यक्रम में दूरस्थ शिक्षा हेतु एक प्रमुख पहलकदमी की और 800 छात्रों ने इस पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया।

संस्थान ने शोध सामग्री भी प्रकाशित का - हिन्दी भाषा और साहित्य से संबंधित 4 पुस्तकें और 5 पत्रिकाएं।

हिन्दी सेवा सम्मान योजना के अंतमर्गत 2003-04 में 15 हिन्दी विद्वानों को हिन्दी शोध और सृजनात्मक साहित्य, एवं तकनीकी साहित्य और हिन्दी पत्रकारिता के विकास और प्रचार-प्रसार में असाधारण योगदान के लिए पुरस्कार हेतु चुना गया। भारत के राष्ट्रपति ने ये पुरस्कार राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में दिए।

दसवीं योजना में भाषा शिक्षकों की नियुक्ति के लिए वित्तीय सहायता की केन्द्र प्रायोजित योजना

इस योजना के 3 भाग हैं। यह निम्नलिखित के लिए वेतनों की व्यवस्था करती है :

(क) गैर-हिन्दी राज्यों के हिन्दी शिक्षक। यह कार्यक्रम दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय से चल रहा है। इस घटक के अंतर्गत गैर-हिन्दीभाषी राज्यों के स्कूलों में हिन्दी शिक्षकों को वेतनों का भुगतान जारी रहेगा।

(ख) पर्याप्त अल्पसंख्यक जनसंख्या वाले जिलों के स्कूलों में उर्दू शिक्षक। यह योजना 1999 से चल रही है। यह योजना केवल उन 325 ब्लॉकों/जिलों में क्रियान्वित की जाएगी जहां पर्याप्त संख्या में शैक्षिक रूप से पिछड़ी अल्पसंख्यक आबादी है। इन क्षेत्रों की पहचान सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा की गई थी।

(ग) उन हिन्दीभाषी राज्यों/संघ-शासित प्रदेशों में तीसरी दक्षिण भारतीय भाषा पढ़ाने के लिए आधुनिकतम भारतीय भाषा अध्यापक जो इसकी मांग करेंगे। यह योजना 1993-94 में आरंभ की गई है।

तीनों घटकों के बीच संपर्क बढ़ाने और बेहतर प्रशासनिक दक्षता के लिए योजनाओं को इनके घटकों में कोई बदलाव लाए बिना दसवीं योजना में एक साथ जोड़ा गया है।

10वीं पंचवर्षीय योजना में इस स्कीम के लिए 47.50 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है। 2003-04 के दौरान स्कीम के लिए बजट अनुमान 11.50 करोड़ रुपए था और 2003-04 के दौरान 11.10 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई।

क्षेत्रीय भाषा केन्द्रों सहित केन्द्रीय भाषा संस्थान (सीआईआईएल), मैसूर

मैसूर स्थित केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान एक अधीनस्थ कार्यालय है, जो भारत सरकार की भाषा नीति विकसित करने और उसके कार्यान्वयन में मदद करता है और साथ ही भाशा विश्लेषण, भाषा शिक्षाशास्त्र, भाषा प्रौद्योगिकी तथा समाज में भाषा प्रयोग के क्षेत्रों में अनुसंधान संचालित कर के यह भारतीय भाषाओं के विकास का समन्वय भी करता है। यह केन्द्रीय संस्थान तीन सांगोपांग योजनाओं के माध्यम से भारतीय भाषाओं को प्रोन्नत करता है।

पहली योजना के तहत जनजातीय भाषाओं समेत आधुनिक भारतीय भाषाओं में अनुसंधान, जनशक्ति विकास और सामग्री सृजन के माध्यम से भारतीय भाषाओं का विकास किया जाता है। इस योजना के तहत सरोकार के अन्य क्षेत्रों की ओर भी ध्यान दिया जाता है: जिनमें ये शामिल हैं: जनजातीय और सीमा क्षेत्र भाषाएं, सामाजिक-भाषाविज्ञान, ध्वनिविज्ञान, मनोवैज्ञानिक-भाषाविज्ञान, सामग्री सृजन और प्रशिक्षण, मूल्यांकन और परीक्षण, दूरस्थ शिक्षा, शैक्षिक प्रौद्योगिकी, कोष-कला तथा अनुवाद।

दसवीं योजना के दौरान पूरे किए गए भौतिक लक्ष्य

आधारिक तंत्र विकास के घटक अर्थात् शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए क्षेत्र गहन कार्यक्रम की योजना के अधीन वर्ष 2003-04 तक पूरे किए गए दसवीं योजना के भौतिक लक्ष्य।

- 2999 प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/माध्यमिक स्कूल खोलने/निर्मित करने के लिए संपूर्ण/आंशिक अनुदान दिया गया;
- लड़कियों के लिए सात आवासीय उच्च माध्यमिक स्कूल;
- 3876 अतिरिक्त क्लासरूमों का निर्माण;
- 79 प्राथमिक स्कूलों का उच्च प्राथमिक स्कूलों के रूप में और हाई स्कूलों का माध्यमिक स्कूलों के रूप में स्तरोन्नयन;
- बालिका उच्च माध्यमिक स्कूलों के लिए 20 छात्रावास भवनों का निर्माण;
- 2523 स्कूलों में टायलेट/पेशाबघरों का निर्माण;
- 1303 प्राथमिक/उच्च प्राथमिक स्कूलों में अध्यापन अधिगम सामग्री की व्यवस्था और 727 प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/माध्यमिक स्कूलों में पुस्तकालय पुस्तकों, अलमारियों और फर्नीचर आदि की व्यवस्था/96 प्राथमिक/उच्च प्राथमिक स्कूलों में पेयजल की व्यवस्था/1206 प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/ माध्यमिक स्कूलों का विद्युतीकरण/9 प्राथमिक/उच्च प्राथमिक स्कूलों में विज्ञान कक्षों/प्रयोगशालाओं का और 214 कंप्यूटरों की व्यवस्था करना

1993-94 से 2001-02 के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों को 788925 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जा चुकी है (नौवीं योजना अवधि के दौरान 699275 करोड़ रुपए)

दूसरी योजना के अंतर्गत राज्यों और संघ शासित प्रदेशों द्वारा प्रतिनियुक्ति माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों को अपनी मातृभाषा से अलग भाषाएं सिखाई जाती है। सात क्षेत्रीय भाषा केन्द्र इन भाषाओं में विभिन्न शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाते हैं : 1) असमी, 2) बंगला, 3) गुजराती, 4) कन्नड, 5) कश्मीरी, 6) मलयालम, 7) मणिपुरी, 8) मराठी, 9) नेपाली, 10) उड़िया, 11) पंजाबी, 12) सिंधी, 13) तमिल, 14) तेलुगु औरा 15) उर्दू।

तीसरी योजना के अंतर्गत व्यक्तियों और स्वयंसेवी संस्थाओं को जनजातीय भाषाओं सहित भारतीय भाषाओं में (हिन्दी, उर्दू, सिंधी, संस्कृत और अंग्रेजी को छोड़कर क्योंकि इनका कार्य अन्य संस्थान देखते हैं) प्रकाशनों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

सीआईआईएल द्वारा किए गए कार्यों के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु

योजना-1

- 17 जुलाई को संस्थान अपनी अनुवाद सेवा वेबसाइट www.anukriti.net आरंभ की।
- पहला भाषा-भारतीय सम्मान, 2001, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, बंगला, उर्दू और उड़िया (मातृभाषा से अलग भाषा लेखन के लिए) लेखन के लिए 23 अगस्त 2002 को छः लेखकों को दिया गया।
- इस अवधि में अब तक 10 कार्यशालाएं, संगोष्ठी और 5 अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं।

योजना-2

- इस अवधि में 313 शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों ने विभिन्न भारतीय भाषाओं में 10 महीने का सघन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा किया।

योजना-3

- अनुदान सहायता समिति ने थोक खरीद योजना के अंतर्गत विभिन्न भाषाओं की 105 पुस्तकें खरीदने का निर्णय लिया।

दसवीं योजना के दौरान प्रस्तावित नई परियोजनाएं

1. **भाषा भारती:** भाषा भारती स्थापित करने का उद्देश्य यह है कि भारतीय भाषाओं और साहित्य के लिए एक राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र सुलभ रहे। इसे साहित्य अकादमी, एनबीटी, एआईआर, दूरदर्शन आदि के सहयोग से स्थापित किया जाएगा। यह देश की बहुल-साहित्यिक और भाषायी भू-दृश्य प्रस्तुत करेगी और भारतीय भाषाओं के उच्च पाठों का सृजन करेगी।
2. **अनुकृति:** अनुकृति सीआईआईएल, मैसूर की एक अनुवाद वेबसाइट है जिससे कि लेखों, अनुसंधान लेखों और पाठों के वास्तविक अनुवाद का आनलाइन प्रकाशन किया जा सके।
3. **लिपिका:** लिपिका भारतीय भापाओं की लेखन प्रणाली के लिए अधिगम सामग्री का निर्माण करने का काम करेगी।
4. **कथा भारती:** कथा भारती की स्थापना करने का उद्देश्य यह है कि भारतीय भाषाओं से अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में और भारतीय भाषाओं के बीच अनुवाद को बढ़ावा दिया जाए। शुरू में भारतीय भाषाओं में 100 प्राचीन ग्रंथ अंतर्राष्ट्रीय पाठक समुदाय के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे।
5. **एलआईएस इंडिया:** इस परियोजना के अधीन सीआईआईएल भारत का भाषायी सर्वेक्षण हाथ में लेगा।
6. **'भारतीय भाषाओं के संदर्भ में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का बदलता रूप' विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला:** केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर और विज्ञान परिषद प्रयाग ने 19-20 मार्च, 2004 को विज्ञान परिषद सभागार में एक दो-दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जिसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आचार्य विष्णु कांत शास्त्री ने किया और जिसमें विभिन्न राज्यों से आए लोगों ने भाग लिया। अपने उद्घाटन भाषण में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने यह कहा कि देश में वैज्ञानिक स्वभाव भारतीय भाषाओं के माध्यम से उत्पन्न किया जा सकता है। वैश्वीकरण के इस युग में मनुष्य को अपने सम्मानपूर्ण स्थान की रक्षा करते हुए भारतीय भाषाओं के प्रयोग की चुनौती स्वीकार करनी चाहिए।

माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉ मुरली मनोहर जोशी ने 9.1.2004 को केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान का दौरा किया तथा सीआईआईएल परिसर में केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान मैसूर के अंतर्राष्ट्रीय गेस्ट हाउस की नींव रखी।

केन्द्रीय अंग्रेजी और विदेशी भाषा संस्थान

अंग्रेजी के अध्ययन/अध्यापन में उल्लेखनीय सुधार लाने के विचार से केन्द्रीय सरकार प्रत्येक राज्य में कम से कम एक जिला अंग्रेजी भाषा केन्द्र स्थापित करने के लिए केन्द्रीय अंग्रेजी और विदेशी भाषा संस्थान (सीआईईएफएल), हैदराबाद के माध्यम से राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करती है। देश के विभिन्न भागों में जिला केन्द्र कार्यरत हैं। सरकार विभिन्न राज्यों में अंग्रेजी की दो क्षेत्रीय संस्थाओं और 9 अंग्रेजी भाषा शिक्षण संस्थाओं को सीआईईएफएल के माध्यम से सहायता प्रदान करती है। इनके अलावा, स्वैच्छिक संस्थाओं/व्यक्तियों को अंग्रेजी में पुस्तकों के प्रकाशन और खरीद के लिए अनुदान दिए जाते हैं।

राष्ट्रीय उर्दू भाषा तरक्की परिषद (एनसीपीयूएल)

राष्ट्रीय उर्दू भाषा तरक्की परिषद् एक स्वायत्त निकाय है जो इन लक्ष्यों को लेकर कार्य करती हैं - 1) उर्दू भाषा की प्रोन्नति विकास और प्रचार; 2) उर्दू में वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय विकास के ज्ञान को तथा साथ ही आधुनिक संदर्भ में विकसित विचारों को उपलब्ध कराने के लिए कार्य करना; 3) भारत सरकार को उर्दू से संबंधित शैक्षणिक मसलों पर परामर्श देना; और 4) उर्दू की प्रोन्नति के लिए परिषद द्वारा उपयुक्त समझा जाने वाले कोई अन्य कार्य करना।

सूचना प्रौद्योगिकी के परिदृश्य में उर्दू-भाषी आबादी को रोजगार पाने योग्य प्रौद्योगिकीय श्रमबल में बदलना और कंप्यूटर शिक्षा को तृणमूल स्तर तक पहुंचाना परिषद की एक महत्वपूर्ण पहलकदमी रही है। कंप्यूटर एप्लीकेशन और बहुभाषी सम्मानपूर्ण जीविका प्राप्त करने में मदद मिली है। 22 राज्यों और 98 जिलों में फैले 150 कंप्यूटरीकृत सुलेखन (कैलीग्राफी) प्रशिक्षण केन्द्रों में अब हर वर्ष 9000 निचले स्तर के पेशेवर तैयार हो रहे हैं।

यह एक अत्यंत रोजगारोन्मुखी कार्यक्रम है और एक वर्ष का डिप्लोमा पाठ्यक्रम पूरा कर लेने के बाद छात्र माध्यमिक स्तर के आईटी व्यावसायिक, कनिष्ठ प्रोग्रामर, ईडीपी सहायक, वेब डिजाइनर, डीटीपी आपरेटर, विजुअल डिजाइनर, प्रयोगशाला निर्देशक, कार्यालय सहायक तथा लेखा सहायक आदि का

रोजगार प्राप्त कर सकता है। श्रीनगर, रांची, बंगलौर, अमरोहा, लखनऊ और हैदराबाद में छः केन्द्र नितान्तः लड़कियों के लिए हैं जिनमें 300 लड़कियां कंप्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। सभी केन्द्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार लगभग 62 प्रतिशत छात्रों से निजी क्षेत्र और शिक्षा संस्थानों में रोजगार मिल गया है।

11 राज्यों के 22 केन्द्रों में सुलेखन और ग्राफिक डिजाइन में डिप्लोमा पाठ्यक्रम आरंभ करने से उर्दूभाषी आबादी के लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी।

माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने 14 फरवरी, 2004 को प्लाट नं. 9, एफ.सी. 33, कालिंदी कुंज में (अपोलो अस्पताल, सरिता विहार, नई दिल्ली के निकट) परिषद के मुख्यालय के नए परिसर की नींव रखी।

उर्दू लिपि को लोकप्रिय बनाने के लिए दूरस्थ पद्धति से उर्दू शिक्षण का एक राष्ट्रीय कार्यक्रम आरंभ किया गया था और हर वर्ष लगभग 10,000 छात्र इसका लाभ उठाते हैं। राष्ट्रीय लक्ष्यों और राष्ट्रीय मानकों को दर्शाने वाली उत्कृष्ट पाठ्यपुस्तकों, विश्व कोषों औरा शब्दकोषों के प्रकाशन द्वारा इस कार्यक्रम को अनुपूरित किया गया। आलोच्य वर्ष में एनसीपीयूएल ने एनसीईआरटी द्वारा तैयार किए गए संशोधित पाठ्यक्रम की पचास पुस्तकों का अनुवाद किया।

राष्ट्रीय सिंधी भाषा प्रोन्नति परिषद (एनसीपी एसल), वड़ोदरा

राष्ट्रीय सिंधी भाषा प्रोन्नति परिषद, वड़ोदरा की स्थापना, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त पंजीकृत निकाय के रूप में की गई थी। परिषद का मुख्यालय वड़ोदरा में है।

परिषद के लक्ष्य

- सिंधी भाषा की प्रोन्नति, विकास और प्रचार।
- वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय विकास के ज्ञान तथा आधुनिक संदर्भ में उभरे ज्ञान को सिंधी भाषा में प्रस्तुत करना।
- भारत सरकार को सिंधी भाषा से जुड़े और शिक्षा को प्रभावित करने वाले मामलों में जो उसे भेजे जाएं सलाह देना।
- सिंधी भाषा की प्रोन्नति हेतु परिषद् द्वारा उचित समझे गए किसी भी अन्य कार्य को हाथ में लेना।

परिषद की मुख्य योजनाएं

- साहित्यिक पुस्तकों के लिए सिंधी लेखकों को पुरस्कृत करना।
- शिक्षा संस्थाओं/स्कूलों/कालेजों/सार्वजनिक पुस्तकालयों को निःशुल्क वितरण हेतु संगत वित्तीय वर्ष के दौरान प्रकाशित/तैयार सिंधी पुस्तकों/पत्रिकाओं/आडियो-विजुअल कैसेटों की थोक खरीद करना।
- सिंधी भाषा से संबंधित चुने हुए प्रोन्नायक कार्यों के लिए स्वैच्छिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- सिंधी भाषा में पुस्तकों, आदि के प्रकाशन और खरीद के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।

भारतीय भाषा प्रोन्नति परिषद्

समस्त भारतीय भाषाओं की प्रोन्नति, विकास और प्रचार के कदम उठाने के संबंध में सरकार को परामर्श देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक भारतीय भाषा प्रोन्नति परिषद का गठन किया गया। यह स्कीम दसवीं योजना के दौरान सीआईआईएल, मैसूर द्वारा संचालित की जाएगी। परिषद की पहली बैठक माननीय प्रधानमंत्री तथा उपाध्यक्ष अर्थात् मानव संसाधन विकास मंत्री की अध्यक्षता में हुई।

क्षेत्र गहन और मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम (एआईएमएमपी)

दसवीं पंचवर्षीय योजना में अल्पसंख्यकों से संबंधित निम्न दो स्कीमों को मिलाकर क्षेत्र गहन और मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम (एआईएमएमपी) नामक एक एकीकृत कार्यक्रम बना दिया गया है। ये दो स्कीमें हैं: शैक्षणिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए क्षेत्र-सघन कार्यक्रम और मदरसा शिक्षा के आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता की योजना के दौरान दोनों घटकों की जरूरत राशि 115.00 करोड़ रुपए थी। अब इसे दसवीं योजना में 31.50 करोड़ रुपए (2002-03) की वार्षिक योजना जरूरत के साथ बढ़ाकर डेढ़ गुना यानी 160 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इस स्कीम के लिए दसवीं योजना के अधीन अंतिम



शैक्षणिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए क्षेत्र-सघन कार्यक्रम और मदरसा शिक्षा के आधुनिकीकरण, अल्पसंख्यकों से संबंधित दो स्कीमों को मिलाकर क्षेत्र गहन और मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम (एआईएमएमपी) नामक एक एकीकृत कार्यक्रम बना दिया गया है।

आबंटन 83.92 करोड़ रुपए है। ऐसा महसूस किया जाता है कि संशोधित एकीकृत कार्यक्रम घटक स्कीम से नया बल, ध्यान और स्पष्टता प्रदान करेगा।

क्षेत्र गहन और मदरसा आधुनिकीकरण कार्यकारी संशोधित स्कीम (एआईएमएफपी) के दो घटक होंगे।

- आधारिक तंत्र घटक
- मदरसा आधुनिकीकरण घटक

आधारिक तंत्र विकास का घटक अर्थात् शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए क्षेत्र गहन कार्यक्रम

- मई 1993 में शुरू किया गया।
- शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े अल्पसंख्यकों की बहुलता वाले ऐसे क्षेत्रों को जहां, प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए समुचित व्यवस्था नहीं है। बुनियादी आधारिक तंत्र और सुविधाएं उपलब्ध कराता है।
- राज्य सरकारों और स्वैच्छिक संगठन से राज्य सरकारों के माध्यम से शत प्रतिशत आर्थिक सहायता प्रदान करता है।

मदरसा आधुनिकीकरण का घटक अर्थात् मदरसा शिक्षा के आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता

- विज्ञान, गणित, अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान जैसे आधुनिक विषयों के अध्ययन के लिए 3,000 रुपए प्रतिमाह, प्रति शिक्षक की दर से प्रति मदरसा दो शिक्षकों को वेतन।
- विज्ञान/गणित किट की खरीद के लिए प्रति मदरसा 7,000 रुपए की दर से एक-बारगी अनुदान।
- पुस्तक बैंक और पुस्तकालयों के सुदृढ़ीकरण के लिए 7,000 रुपए का एक-बारगी अनुदान।

क्षेत्र गहन और मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम जिसका कार्यान्वयन किया जा रहा है, उसके दो घटक हैं :

- आधारिक तंत्र विकास
- मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम

वर्ष 2003-04 के लिए वार्षिक योजना जरूरत और किया गया खर्च निम्नानुसार हैं:

ब.अ.	31.50 करोड़ रुपए
सं.अ. 2003-04	29.00 करोड़ रुपए
व्यय	29.00 करोड़ रुपए

संस्कृत प्रभाग

राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान

राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय (माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग) के अंतर्गत 7 मई, 2002 से एक सम विश्वविद्यालय बना, देश में संस्कृत अध्ययन के प्रचार-प्रसार और विकास का शीर्षस्थ स्थान है। यह संस्थान पूरी, जम्मू, जयपुर, श्रृंगेरी, मुम्बई, इलाहाबाद, त्रिचूर, लखनऊ, गर्ली और भोपाल में अपनी आठ केनद्रीय संस्कृत विद्यापीठों के माध्यम से संस्कृत में डाक्टेरेट स्तर तक के अध्ययन की सुविधा प्रदान करता है।

राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नव्य व्याकरण, प्राचीन व्याकरण, साहित्य, फलित ज्योतिष, गणित ज्योतिष, सर्वदर्शन, वेद न्याय (नव्य), मीमांसा, अद्धैत वेदांत, धर्मशास्त्र, विशिष्टाद्धैत वेदांत, सांख्य योग पौरोहित्य, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, पुराणेतिहास जैसे

पारंपरिक विषयों में अंग्रेजी एवं हिन्दी विषयों के साथ शास्त्री (बी.ए.) और आचार्य (एम.ए.) स्तर पर शिक्षा प्रदान करता है। इसके अलावा, पूर्व-स्नातक स्तर पर राजनीति शास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र आदि जैसे किसी एक आधुनिक विषय में अनुशिक्षण सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है।

संस्थान संस्कृत के प्रचार-प्रसार, विकास और प्रोन्नति में संलग्न स्वैच्छिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता भी प्रदान करती हैं। उन्हें शिक्षकों के वेतनों, छात्रवृत्तियों, भवनों के निर्माण एवं मरम्मत, फर्नीचर, पुस्तकालय, आदि पर मंजूर व्यय के 75 प्रतिशत तक की वित्तीय सहायता दी जाती है। अब तक 1262 स्वैच्छिक संस्कृत संस्थाओं को यह सुविधा दी जा चुकी है। शोध संस्थानों सहित 23 आदर्श संस्कृत महाविद्यालयों को भी एक अलग स्कीम के अधीन वित्तीय सहायता प्रदान की गई है जिसके अनुसार 95 प्रतिशत आवर्ती तथा 75 प्रतिशत अनावर्ती व्यय की पूर्ति राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान द्वारा की जाती है।

संस्थान, शास्त्रचूड़ामणि योजना के अधीन आदर्श संस्कृत पाठशालाओं और राज्य सरकार संचालित संस्कृत कालेजों में पढ़ाने के लिए 125 सेवानिवृत्त प्रख्यात संस्कृत विद्वानों को प्रतिमाह 2,500 रुपए दर से मानदेय देता है। इसके साथ ही संस्थान द्वारा डेकन कालेज, पूणे में संस्कृत भाषाकोश तैयार करने के लिए, व्यावसायिक प्रशिक्षण के आयोजना, संस्कृत पुस्तकों और दुर्लभ पांडुलिपियों की खरीद और प्रकाशन के लिए तथा अखिल भारतीय भाषणकला प्रतियोगिता के आयोजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। राष्ट्रपति प्रशस्तिपत्र योजना के अंतर्गत हर वर्ष संस्कृत के 15, पालि/प्राकृत भापा के एक और अरबी और फारसी भाषा के तीन-तीन विद्वानों का चयन किया जाता है तथा उन्हें जीवनपर्यन्त 50,000 रुपए प्रतिवर्ष मानदेय दिया जाता है। इसके तहत राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान से सअनुदान पाने वाले विद्वानों की संख्या 280 है। वर्ष 2002 के बाद से महर्षि बादरायण व्यास सम्मान के लिए 8 युवा विद्धानों का चयन किया गया है और संस्थान प्रत्येक विद्वान को एक लाख रुपए की एकबारगी पुरस्कार राशि का भुगतान करेगा।

संस्थान ने आवश्यक सहायता प्रदान करके 100 स्थानों पर अनौपचारिक संस्कृत पढ़ानी शुरू की और यह कार्यक्रम अत्यंत सफल हुआ है। संस्थान, जनवरी, 2004 से लगभग 1200 केन्द्रों (100 पूर्वोत्तर में तथा 1100 शेष भारत में) में तीन महीने की अवधि की अनौपचारिक संस्कृत कक्षाओं का दूसरा दौर चला रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से सारे भारतवर्ष के भीतर कम से कम 60,000 छात्र संस्कृत अध्ययन की शुरूआत करेंगे।

राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से संस्कृत के विकास की योजना

1962 से सयह केन्द्रीय योजना राज्य सरकारों के माध्यम से लागू की जा रही है। निम्नलिखित प्रमुख कार्यक्रमों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा शत-प्रतिशत आधार पर वित्तीय अनुदान दिया जाता है। इस योजना को वर्ष 2003-04 से संशोधित किया गया है ताकि संस्कृत के विकास के लिए वित्तीय सहायता में वृद्धि की जा सके।

अभावग्रस्त अवस्था में रह रहे संस्कृत के प्रख्यात विद्वानों को वित्तीय सहायता

इस योजना के तहत संस्कृत के ऐसे प्रख्यात विद्वानों को सहायता दी जाती है, जिनकी आयु 55 वर्ष से कम न हो तथा जो संस्कृत अध्ययन/अनुसंधान के काम में लगे हों और अभावग्रसत अवस्था में रह रहे हों। इस सहायता की अधिकतम सीमा 24,000/- रुपए प्रतिवर्ष है। अन्य स्रोतों से प्राप्त वार्षिक आय बिना घटाए।

संस्कृत पाठशालाओं का आधुनिकीकरण

संस्कृत शिक्षा की परंपरागत और आधुनिक पद्धतियों को समाकलित करने के दृष्टिकोण से परंपरागत संस्कृत पाठशालाओं में चुनिन्दा आधुनिक विषयों अर्थात गणित और मानविकी सहित भारतीय भाषाएं, विज्ञान पढ़ाने के लिए शिक्षकां की नियुक्ति को सुसाध्य बनाने के निमित्त अनुदान दिया जाता है। वर्ष 2002-03 के दौरान इससे आठ राज्यों के लाभान्वित होने की संभावना है।

तीन अध्यापक उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय सहायता की मंजूरी के मौजूदा प्रावधान के अलावा, परंपरागत संस्कृत पाठशालाओं में 3000/- रुपए मासिक के मानदेय पर एक कंप्यूटर अध्यापक भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए। प्रत्येक संस्कृत पाठशाला से वास्तविक आवश्यकता के आधार पर दो कंप्यूटरों और बाह्य सामग्री की लागत के निमित्त एक लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता और उसके साथ-साथ स्थापना और पुस्तकों के लिए 10,000 रुपए का एकमुश्त एक-बारगी अनुदान भी दिया जाना चाहिए।

उच्च/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में संस्कृत के शिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध कराना

जो राज्य सरकारें संस्कृत पढ़ाने की सुविधाएं उपलब्ध कराने की स्थिति में न हों, उन राज्यों के माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्त किए जाने वाले संस्कृत शिक्षकों के वेतन पर नियुक्त होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए अनुदान दिया जाता है। वर्ष 2002-03 के दौरान इससे आठ राज्यों के लाभान्वित होने की संभावना है। संस्कृत पढ़ाने के लिए सुविधा अर्थात् एक अध्यापक के वेतन के लिए वित्तीय सहायता की मंजूरी का विस्तार अब सीबीएसई के ऐसे सभी स्कूलों में कर दिया जाएगा जिनकी स्थापना में संस्कृत अध्यापक मौजूद नहीं है।

उच्च और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्तियाँ

माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्कूल स्तर पर संस्कृत की ओर छात्रों को आकृष्ट करने के लिए कक्षा नौ से बारह तक की कक्षाओं के लिए योग्यता छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती हैं।

संस्कृत की प्रोन्नति से जुड़ी विभिन्न योजनाओं के लिए राज्य सरकारों को अनुदान

- इस योजना के तहत संस्कृत के प्रचार-प्रसार और विकास से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों यथा शिक्षकों के वेतन में बढ़ोत्तरी, वैदिक विद्वानों को सम्मानित करने, विद्वत सभाएं आयोजित करने, संस्कृत शिक्षण के लिए सांध्य कक्षाएं चलाने, कालीदास समारोह मनाने आदि के लिए राज्य सरकारों को 100 प्रतिशत सहायता दी जाती है। वर्ष 2002-03 के दौरान इस योजना से 12 राज्यों के लाभान्वित होने की संभावना है।

- संस्कृत के अनुसंधान/अनुसंधान परियोजनाओं की बाबत सम-संस्कृत विश्वविद्यालयों, गैर-सरकारी संगठनों (पंजीकृत निकायों) से प्राप्त प्रस्तावों को इस योजना के तहत शामिल किया गया है। इस प्रकार की सहायता इस शर्त के साथ सीमित कर दी जाएगी कि किसी भी एनजीओ के एक वर्ष में तीन से अधिक परियोजनाएं नहीं मिलेंगी। तथापि, यह सीमा संस्कृत के सम-विश्विद्यालयों के मामले में लागू नहीं होगा।

राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान/सम विश्वविद्यालयों/सीबीएसई/एनसीईआरटी आदि को केन्द्रीय अनुदान

स्कूलों, संस्कृत महाविद्यालयों/विद्यापीठों में संस्कृत पढ़ाने की प्रविधि में सुधार लाने तथा शिक्षकों को इस ओर समुचित रूप से अनुस्थापित करने के लिए शत प्रतिशत सहायता दी जाती है। 2003-04 के दौरान सीबीएसई/एनसीईआरटी, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, सरस्वती विद्यापीठ, हैदराबाद तथा सम-संस्कृत विश्वविद्यालयों के प्रस्तावों को सहायता प्रदान की जाएगी।

भाषा मंदाकिनी पर संस्कृत नेट की शुरूआत

अपनी प्रतिक्रिया का विस्तार करते हुए तथा सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ उठाते हुए संस्कृत संस्थान और इग्नू के सहयोग से ज्ञानदर्शन पर भाषा मंदाकिनी नामक एक भाषा कार्यक्रम के अधीन संस्कृत नेट की शुरूआत की गई। माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने 5 सितम्बर, 2003 को इस चैनल का उद्घाटन किया जिसमें देश के 10 संस्कृत संस्थान एक दूसरे से जोड़े गए। जहां कार्यक्रम के लिए नोडल एजेंसी की भूमिका राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान निभाताच है वहां योजना को सफल बनाने और कार्यक्रम अंतर्वस्तु तैयार करने मे राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति तथा श्री लालबहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ ने सक्रिय सहयोग प्रदान किया। इग्नू के साथ मिलकर तीनों संस्कृत संस्थान अब संस्कृत का शिक्षण संस्कृत प्रेमियों को दूर तक ले जाने के प्रयास में लगे हैं। इस परियोजना के लिए 2003-04 में राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान से 90.00 लाख रुपए (लगभग) की राशि प्रदान की जा चुकी है।

संस्कृति की उन्त्रनति के अधीन सभी उप-स्कीमों के लिए वर्ष 2003-04 में 1478.00 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। इस योजना के अधीन राज्य सरकारों/स्वैच्छिक एजेंसियों/एनजीओ से पूरी वित्तीय सहायता संबंधित राज्य सरकार के माध्यम से दी जाती है और जिन मामलों में उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, उनमें आगे और कोई अनुदान मंजूर नहीं किया गया है।

महर्षि संदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन

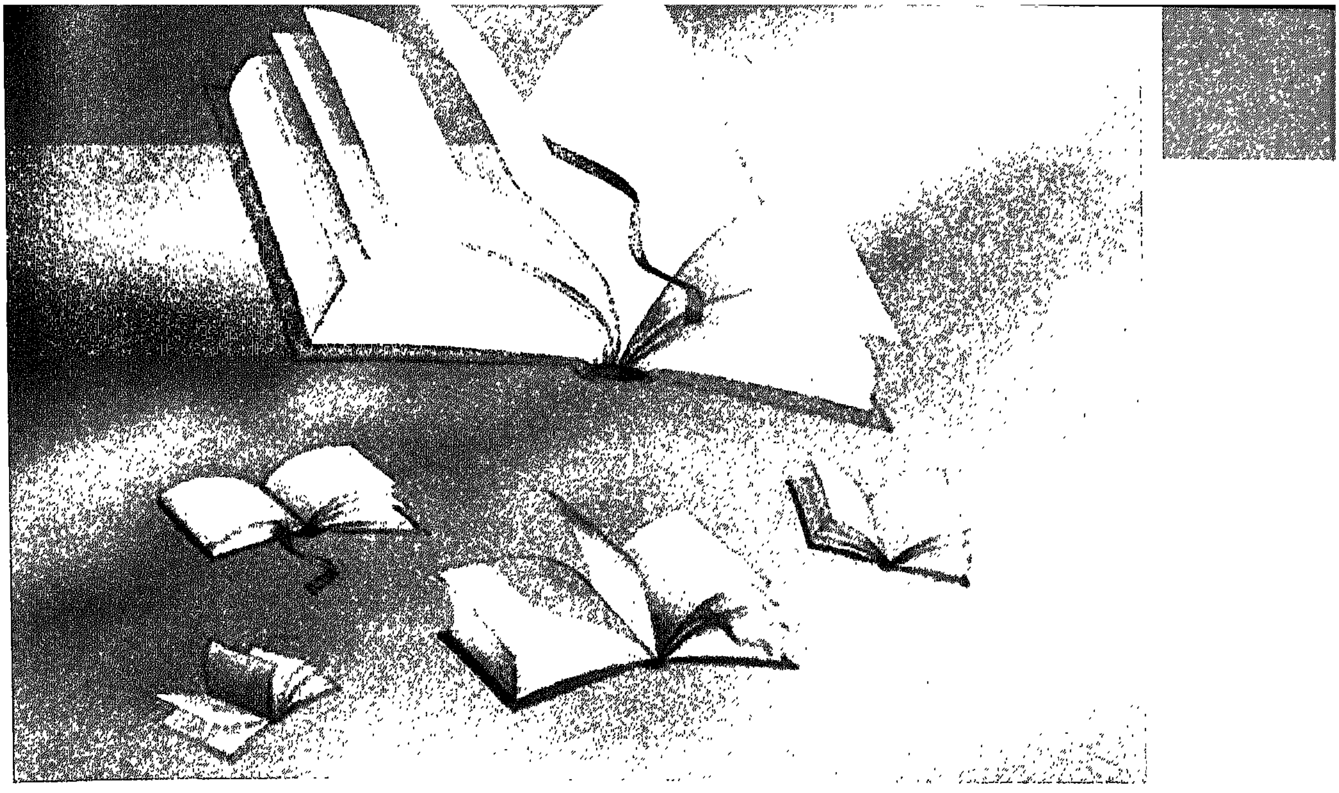
परंपरागत वैदिक संस्थानों और विद्वानों को सहायता प्रदान करने, वैदिक अध्ययन एवं अनुसंधान को बढ़ावा देने तथा छात्रवृत्तियाँ/शिक्षावृत्तियां प्रदान करने के लिए अगस्त, 1987 में राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान की स्थापना की गई थी। 2003-

04 के दौरान दूसरे मुख्य कार्यक्रम और क्रियाकलाप निम्नानुसार थेः

- वित्तीय सहायता प्रदान करनाः
  - वेदों की विभिन्न शाखाओं की संहिताओं, संस्कृत, अंग्रेजी और गणित के अध्यापन के लिए 33 वेद पाठशालाओं/विद्यालयों तथा अन्य एककों से,
  - वेद संहिताओं को केवल परंपरागत मौखिक पाठ सिखाने वाले 57 अन्य एककों से
- एक सामान्य और एक सामान्य अध्येतावृत्ति की मंजूरी।
- वेदों और वैदिक साहित्य में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए संगोष्ठियों, कार्यशालाओं आदि का आयोजन।
- वेदों के प्रचार-प्रसार के लिए एक अखिल भारतीय और छः क्षेत्रीय वैदिक सम्मेलन आयोजित करना।
- नित्य अग्निहोत्रियों और वयोवृद्ध वेदपाठी पंडितों के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान।
- वेदों की विभिन्न शाखाओं के वैदिक पाठ की दृश्य/श्रव्य रिकार्डिंग।
- दूर्लभ और अनुलब्ध वेद संहिताओं, ब्राह्मणों और अन्य वैदिक साहित्य का प्रकाशन। आठ पुस्तकें प्रकाशित की जा चुकी हैं तथा 12 अन्य पुस्तकों के प्रकाशन का मामला विचाराधीन है।
- 2000-2001 से नई दिल्ली में एक वैदिक अनुसंधान केन्द्र ने काम करना शुरू कर दिया है।
- 2003-04 के दौरान "वेदविद्या" नामक तिमाही पत्रिका का प्रवेशांक निकाला गया।

महर्षि संदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान को वर्ष 2003-04 के दौरान उज्जैन में परिसर के विकास सहित, चालू योजनाओं और नए कार्यक्रमों पर अतिरिक्त व्यय के लिए 100.00 लाख रुपए की राशि आबंटित की गई है। कोई उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

■■■



पुस्तक प्रोन्नति

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) में ऐसी परिकल्पना की गई थी कि सभी वर्गो के लोगों के लिए पुस्तकें सहज सुलभ हो सकें। इस नीति में ऐसे उपायों के लिए आग्रह किया गया है जिनका उद्देश्य बच्चों की पुस्तकों, पाठ्यपुस्तकों और अभ्यास पुस्तिकाओं की गुणवत्ता में सुधार लाना है। इसके साथ ही देशज पुस्तक प्रकाशन उद्योग को विकसित करने और देश में पुस्तक-प्रेम को बढ़ावा देने की जरूरत भी है। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास (एनबीटी) इस दिशा में कार्य करता है। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास हर दूसरे वर्ष विश्व पुस्तक मेला आयोजित करता है। एनबीटी ने 14 से 22 फरवरी, 2004 के दौरान नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेले का आयोजन किया। पुस्तक प्रोन्नति कार्यकलाप और स्वैच्छिक संस्थाएं योजना के अंतर्गत प्रतिष्ठित स्वैच्छिक संस्थाओं को दिल्ली पुस्तक मेला और राष्ट्रीय पुस्तक मेला आदि आयोजित करने के लिए अनुदान दिया जाता हे। इस वर्ष फेडरेशन आफ इंडियन पब्लिशर्स, नई दिल्ली पुस्तक मेला आयोजित करने के लिए और नई दिल्ली की एक संस्था को अहमदाबाद में राष्ट्रीय पुस्तक मेला आयोजित करने के लिए अनुदान दिया गया है।

पुस्तक प्रोन्नति कार्यकलाप और स्वैच्छिक एजेंसी योजना

गैर-सरकारी संगठनों द्वारा पुस्तक प्रोन्नति कार्यकलापों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मंत्रालय पुस्तक प्रोन्नति कार्यकलापों से संबंधित संगोष्ठियां, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, कार्यशालाएं और वार्षिक सम्मेलन आयोजित करने के लिए स्वैच्छिक संस्थाओं और प्रकाशकों की एसोशिएशनों को अनुदान सहायता प्रदान करता है। अनुदान सहायता समिति द्वारा मंजूर कुल व्यय के अधिकतम 75 प्रतिशत तक का अनुदान दिया जाता है।

राष्ट्रीय पुस्तक विकास परिषद

राष्ट्रीय पुस्तक विकास परिषद एक ऐसा सलाहकार निकाय है जो पुस्तक उद्योग के विकास के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित करने के प्रयोजन से 1967 में स्थापित किया गया। परिषद का कार्यकाल नवम्बर, 1993 में समाप्त हो गया था। माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री की अध्यक्षता में परिषद् का 8.12.97 से तीन वर्षों की अवधि के लिए पुनर्गठन किया गया और इसे राष्ट्रीय पुस्तक प्रोन्नति परिषद का नया नाम दिया गया। परिषद का कार्यकाल पुनः समाप्त हो गया है और इसके पुनर्गठन का मामला मानव संसाधन विकास मंत्री के विचाराधीन है। यह एक ऐसा सलाहकार निकाय है जो कि अन्य बातों के साथ-साथ पुस्तक प्रोन्नति के सभी पक्षों पर विचारों का आदान-प्रदान सुकर बनाता है जैसेकि लेखन/कर्त्तव्य, पुस्तक-उत्पादन, पुस्तकों का प्रकाशन और बिक्री, मूल्य और कापीराइट, पुस्तक पठन का विकास, जनता के विभिन्न वर्गों तक विभिन्न भारतीय भाषाओं और स्तर की पुस्तकों की सुलभता और आमतौर पर



भारतीय पुस्तकों की अंतर्वस्तु। चालू वित्तीय वर्षो के लिए इस स्कीम के निमित्त अलग से कोई बजट प्रावधान नहीं किया गया है। आने वाले वर्षों के लिए इस स्कीम के निमित्त अलग से कोई बजट प्रावधान नहीं किया गया है। आने वाले वर्षों में यदि एनबीपीसी की कोई बैठक आयोजित की जाती है तो उसका खर्च विभाग के व्यय के सामान्य शीर्ष से पूरा किया जाएगा

भारत का राष्ट्रीय पुस्तक न्यास

भारत का राष्ट्रीय पुस्तक न्यास एक अत्यंत व्यावसायिक निकाय है जोकि उत्तम प्रकाशन के क्षेत्र में सैंतालीस वर्षो से काम कर रहा है। भारतीय पुस्तकों की प्रोन्नति तथा भारत में पुस्तक संस्कृति के प्रसार के लिए यह एक नोडल निकाय के रूप में भी काम करता है।

न्यास सारे देश के भीतर सभी स्तरों पर अर्थात् स्थानीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर पुस्तक मेले/प्रदर्शनियाँ आयोजित करता है। द्विवर्षी नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला अफ्रो-एशियाई क्षेत्र का सबसे विशाल पुस्तक मेला है जिसमें बहुत लोग भाग लेते हैं और जो देश में व्यावसायिक रूप से आयोजित पुस्तक मेला है। न्यास ने अभी तक 15 विश्व पुस्तक मेले, 26 राष्ट्रीय पुस्तक मेले और 38 क्षेत्रीय पुस्तक मेले/समारोह आयोजित किए हैं।

भारत का राष्ट्रीय पुस्तक न्यास पूर्वोत्तर में पुस्तकों की प्रोन्नति और पढ़ने की आदत को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए न्यास ने अपने कुल बजट का लगभग दस प्रतिशत हस्तक्षेप में विभिन्न पुस्तक प्रोन्नति और प्रकाशन क्रियाकलापों के लिए तय किया है। वर्ष के दौरान न्यास ने असम, बरेली, राजोत और नलबाड़ी में पुस्तक बैंकों का आयोजन किया।

14 से 22 फरवरी, 2003 के दौरान आयोजित 16वें नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले का उद्घाटन माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री मुरली मनोहर जोशी ने किया था। मेले में भारत सहित 17 देशों के 1240 प्रकाशकों/पुस्तक विक्रेताओं ने भाग लिया था जो कि एक रिकार्ड है अनेक विदेशी सहभागियों का प्रतिनिधित्व उनके भारतीय प्रतिनिधियों ने किया। जिन दूसरे देशों ने मेले में सीधे भाग लिया था वे इस प्रकार थेः कुवैत, ईरान, पुर्तगाल, जर्मनी, फ्रांस, जापान, नेपाल, इस्राइल, श्रीलंका, यू.के., यूएसए, सऊदी अरब, स्विटजरलैंड, मारीशस, पाकिस्तान और जिम्बाबवे। यह मेला प्रगति मैदान में हाल संख्या 8 से 14 तथा हाल संख्या 18 के माध्यम से 32,516 वर्गमीटर क्षेत्र में फैला हुआ था। मेले का विषय था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विश्व सभ्यता में भारत का योगदान।

पहली बार बच्चों के बीच कार्यरत लेखकों और कार्यकर्ताओं की एक लाबी स्थापित की गई ताकि देश के विभिन्न भागों से आने वाले लेखकों, संपादकों, निर्देशकों, कार्यकर्ताओं और बच्चों के बीच विचारों का सार्थक आदान-प्रदान सुकर बनाया जा सके। प्रोफेसर बी.कामेश का जादू का तमाशा पैविलियन का एक बड़ा आकर्षण था और इसी प्रकार एनबीटी द्वारा सिविल नेशनल इंटरफेसेज एंड दि कंटेम्पोरेरी ग्लोबल क्न्टक्स्टः एन इंडियन पर्सपेक्टिव विषय पर आयोजित दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी भी आकर्षण का केन्द्र थी जिसमें, कुछेक मुद्दों पर चर्चा की गई और फिर गवेषणा की एक प्रक्रिया शुरू हुई जिससे शायद अपेक्षतया, अधिक स्पष्ट परिप्रेक्ष्य में संवाद उभरकर आ सके।

एनबीटी के अन्य क्रियाकलापों में ये शामिल हैं। एक बहुभाषी कवि दरबार तथा भारत के बच्चों की विज्ञान पुस्तकें : पठनीयता

और सुलभता विशय पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन। इसके अलावा, राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान, साहित्य अकादमी, प्रकाशकों/पुस्तक विक्रेताओं के संघो आदि जैसे विभिन्न संस्थानों ने अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जिनमें संगोष्ठियाँ, विचारगोष्ठियां तथा पुस्तक विमोचन समारोह शामिल थे।

अनुमानतः सात लाख पुस्तक प्रेमी जिनमें मंत्री, संसद सदस्य, अन्य वीआईपी, लेखक और विद्वान शामिल थे। 16वें नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले में आए जिससे इस बात का परिचय मिलता है कि श्रव्य-दृष्य तथा इलेक्ट्रानिक मीडिया के वावजूद पुस्तकों के लिए प्रेम और भूख अभी भी बनी हुई हैं।

न्यास विभिन्न भारतीय प्रकाशकों द्वारा निकाले गए चुनिंदा भारतीय प्रकाशकों के प्रदर्शन के जरिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेलों में भी भाग लेता है। नवम्बर, 2003 और मार्च, 2004 के बीच न्यास ने इन अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेलों में भाग लिया : बाल पुस्तक प्रदर्शनी, सिंगापुर (13-16 नवम्बर, 2003) तथा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला (26 मार्च-6 अप्रैल, 2004) बैंकांक। इस अवधि में न्यास ने 2 से 6 फरवरी, 2004 के दौरान मारीशस में भारतीय पुस्तकों की प्रदर्शनी का आयोजन किया।

लोगों के घर पर पुस्तकें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एनबीटी इंडिया सचल प्रदर्शनियों का आयोजन करता है। अभी तक न्यास ने इस तरह की लगभग 5000 प्रदर्शनियों का आयोजन किया है। आलोच्य वर्ष के दौरान न्यास ने नीचे दिए गए विवरण के अनुसार 492 स्थानों पर सचल पुस्तक प्रदर्शनियों का आयोजन किया है : उत्तरांचल (42), आंध्र प्रदेश (36), हरियाणा (56), राजस्थान (122), पश्चिम बंगाल (42), उत्तर प्रदेश (20), असम (54), केरल (60) तथा दिल्ली (60)।

न्यास पुस्तक के विकास उत्पादन तथा विपणन में लगे लोगों के लिए समय-समय पर संगोष्ठियों और कार्यशालाएं लेखक समागम तथा पुस्तक विमोचन समारोह जैसे अन्य साहित्यिक क्रियाकलाप आयोजित करता है। वर्ष के दौरान न्यास ने पांच संगोष्ठियां/कार्यशालाएं आयोजित की तथा पुस्तक विमोचन समारोहों के जरिए पांच पुस्तकें जारी की।

एनबीटी द्वारा स्थापित राष्ट्रीय बाल साहित्य केन्द्र (एनसीसीएल) एक ऐसी नोडल एजेंसी है जो कि विभिन्न भारतीय भाषाओं में बाल साहित्य का अनुश्रवण समन्वय, आयोजना और सहायता प्रदान करती है। एनसीसीएल ने बाल साहित्य के लिए पुस्तकालय एवं प्रलेखन केन्द्र स्थापित किया है, वह कार्यशालाओं, संगोष्ठियों और प्रदर्शनियों का आयोजन करता है, पाठ्क क्लब की स्थापना को प्रोत्साहित करके स्कूल स्तर पर पढ़ने की आदत को बढ़ावा देता है, सर्वेक्षण करता है और बाल साहित्य के संबंध में अनुसंधान कार्य करता है। अभी तक इस केन्द्र ने देशभर में 25,000 से अधिक पुस्तक क्लबों की स्थापना कर दी है। उपर्युक्त के अलावा, केन्द्र ने इन क्रियाकलापों का आयोजन किया : दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विभिन्न स्कूलों में लेखक से मुलाकात कार्यक्रम; एनसीआर दिल्ली में 29 पुस्तक प्रदर्शनियों के उद्घाटन समारोहों पर बुक मार्च और बाल क्रियाकलाप; इलाहाबाद में लेखनों और निर्देशनों पर से कार्यशालाएं, जिनका विपय त्रिवेणी था; 16वें विश्व पुस्तक मेले में तथा विशाखापत्तनम पुस्तक मेलें मे बाल पैवेलियनों की स्थापना और बाल क्रियाकलापों का आयोजन; लखनऊ में गणित संबंधी क्रियाकलाप पुस्तकों का निर्माण; फरवरी में पाली में बचपन सोसायटी के सहयोग से और राजसमन्द में जुम्बिश परिषद के सहयोग से कहानी सुनाने के सत्र। एनसीसीएल द्वारा प्रकाशित रीडर्स क्लब बुलेटिन नामक मासिक बाल पत्रिका में नितान्तः बच्चों की रचनाएं और निर्देशन शामिल थे।

नवम्बर, 2003 और मार्च, 2004 के बीच 389 पुस्तकें प्रकाशिअत की गई और न्यास ने 168.96 लाख रुपए का लाभ कमाया। वर्ष के दौरान 252.31 लाख रुपए की पुस्तकों की बिक्री की गई। वर्ष के दौरान न्यास ने यूनेस्को द्वारा वर्ष 2003-04 के लिए नई दिल्ली को विश्व पुस्तक राजघानी घोपित किए जाने संबंधी देशव्यापी समारोहों की शुरूआत तथा अगुवाई की। इस अवधि के दोरान आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में एक पुस्तक मेले के अलावा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विभिन्न भागों में तथा इलाहाबाद में अनेक पुस्तक प्रदर्शनियाँ आयोजित की गई। समारोह में लगभग 47 प्रकाशकों, पुस्तक विक्रेताओं और वितरकों ने भाग लिया/समारोह में बच्चों के लिए साहित्यिक कार्यक्रम और विभिन्न क्रियाकलाप आयोजित किए गए। नितान्तः बच्चों के लिए एक पैवेलियन लगाया गया।

अंतर्राष्ट्रीय मानक पुस्तक संख्या

अंतर्राष्ट्रीय मानक पुस्तक संख्या (आईएसबीएन) एक अनूठी अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन पहचान संख्या है। मोनोग्राफिक प्रकाशनों के लिए यह दस संख्याओं का समूह है जो विस्तृत संदर्भग्रंथ विवरण रिकार्डों का स्थान लेती है। विश्वभर में आईएसबीएन

को एक ऐसी संक्षिप्त और स्पष्ट मशीन द्वारा पठनीय पहचान संख्या के रूप में जाना जाता है जो किसी भी पुस्तक को असंदिग्ध रूप से चिन्हित करती हैं। पुस्तक व्यापार में आधुनिक वितरण और युक्तिकरण अवसरों के लिए यह एक अनिवार्य साधन है।

आईएसबीएन, भारत के लिए राष्ट्रीय एजेंसी राजा राममोहन राय पुस्तकालय पुस्तकों के प्रकाशन के लिए जिम्मेदार भारतीय प्रकाशकों, लेखकों, संस्थानों, विश्वविद्यालयों और सरकारी विभागों का पंजीकरण करता रहा है। अपनी स्थापना के समय से राष्ट्रीय एजेंसी मार्च 2004 तक की अवधि के दौरान विभिन्न वर्गों के विभिन्न प्रकाशकों को 8303 प्रारंभ संख्याएं है और अप्रैल 2003 से मार्च 2004 के दौरान 1,022 प्रारंभ संख्याएं आबंटित कर चुकी हैं। भारत में लगभग 53 प्रतिशत प्रकाशक आईएसबीएन का प्रयोग कर रहे हैं। प्रकाशकों से आईएसबीएन के सहज आबंटन को सुकर बनाने के लिए एजेंसी ने गिल्ड द्वारा आयोजित 28वें कोलकाता पुस्तक मेला, 2003 तथा नई दिल्ली द्वारा आयोजित 26वें राष्ट्रीय पुस्तक मेला, कोलकाता, 2003 में भाग लिया। एजेंसी ने 14-22 फरवरी, 2004 के दौरान आयोजित16वें नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला, 2004 में भी भाग लिया। राष्ट्रीय एजेंसी ने आईएसबीएन प्रयुक्त पुस्तकों की एक पुस्तक प्रदर्शनी पांडिचेरी में भी आयोजित की है। मिलन में आयोजित 31वीं अंतर्राष्ट्रीय आईएसबीएन एजेंसी सलाहकार पेनल बैठक में भाग लिया जिससे कि आईएसबीएन क्षेत्र में एकदम ताजा क्रियाकलापों से अवगत रहा जा सके।

मानवीय मूल्यों में शिक्षा

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मूल्यपरक शिक्षा के सामाजिक और नैतिक मूल्यों के संवर्धन का एक सशक्त साधन बनाया जाए। नीति में यह कहा गया है कि हमारे बहु सांस्कृतिक समाज में शिक्षा के सार्वभौमिक और शाश्वत मूल्यों का संवर्धन करना चाहिए ताकि हमारे लोगों के भीतर एकता और अखंडता पैदा की जा सके। इस तरह की मूल्यपरक शिक्षा के रूढ़िवाद, धार्मिक कट्टरता, हिंसा, अंधविश्वास और निर्यातवाद के निराकरण में मदद करनी चाहिए।

इस समग्र लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा में संस्कृति और मूल्यों के सुदृढ़ीकरण के लिए सहायता की योजना 1988-89 में शुरू की गई थी और उसे 1992 में नया रूप दिया गया था। इसके क्षेत्र का विकास करने के लिए दसवीं योजना में स्कीम को फिर से संशोधित कर दिया गया है ताकि पूर्व-प्राथमिक से लेकर उच्च और तकनीकी शिक्षा - शिक्षा के सभी स्तरों पर समूची शैक्षिक प्रक्रिया के भीतर मानवीय मूल्यों का सुदृढीकरण किया जा सके। अनुदान की ऊपरी सीमा भी 5.00 लाख रुपए से बढ़ाकर 10.00 लाख रुपए कर दी गई है।

सरकारी एजेंसियों, शैक्षिक संस्थानों, पंचायती राज संस्थानों, पंजीकृत सोसायटियो, सार्वजनिक न्यासों तथा लाभ न कमाने वाली कंपनियों को इस स्कीम के अधीन परियोजनाएं कार्यान्वित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। स्कीम के प्राचलों के भीतर एनजीओ को परियोजनाएं मंजूर कर दी जाती हैं और वित्तीय परिव्यय प्रदान किया जाता है। शिक्षा में संस्कृति और मूल्यों के सुदृढ़ीकरण से संबंधित क्रियाकलापों के लिए सहायता अनुदान समिति द्वारा अनुमोदित 5.00 लाख रुपए (जिसे अब संशोधित करके 10.00 लाख रुपए कर दिया गया है) की ऊपरी सीमा के भीतर परियोजना की लागत के 100 प्रतिशत सीमा तक आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

नौवीं योजना में 159 एनजीओ पर 522.74 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। शिक्षा में संस्कृति और मूल्यों के सुदृढ़ीकरण के लिए सहायता की स्कीम के निमित्त दसवीं योजना में अनुमानतः 30 करोड़ रुपए का परिव्यय आबंटित किया गया है। वर्ष 2002-03 में 50 एनजीओ के लिए दो करोड़ रुपए की राशि खर्च की जा चुकी है। जहां कहीं देय हो गए हैं, वहां यूसी जारी कर दिए गए हैं। कुछेक बकाया मामलों में यूसी जारी किए जाने के लिए आवश्यक आंकड़े और दस्तावेज प्राप्त करने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं।

शिक्षा के सभी स्तरों पर मूल्यपरक शिक्षा लागू करने के उपाय सुझाने के प्रयोजन से मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शीर्षस्थ स्तर पर सचिव (माध्यमिक और उच्च शिक्षा) की अध्यक्षता में विशेषज्ञों के एक दल का गठन किया गया था। विशेषज्ञों के इस दल की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए सचिव (माध्यमिक और उच्च शिक्षा) की अध्यक्षता में एक कोर समिति का गठन किया गया। अभी तक विशेषज्ञों के दल की तीन और कोर समिति की भी तीन बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं।

अध्यापकों से बच्चों को मूल्यपरक शिक्षा प्रदान किए जाने की आवश्यकता से अवगत कराने के लिए उन्हें छोटी-छोटी अवधि में पाठ्यक्रमों के माध्यम से मूल्यपरक शिक्षा में प्रशिक्षण दिए जाने के प्रयोजन से कुछ संगठनों से संसाधन केन्द्रों के रूप में अभिज्ञान किया गया जो इस प्रकार है : प्रजापति ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्विद्यालय, श्री सत्य साई इंस्टीट्यूट आफ हायर

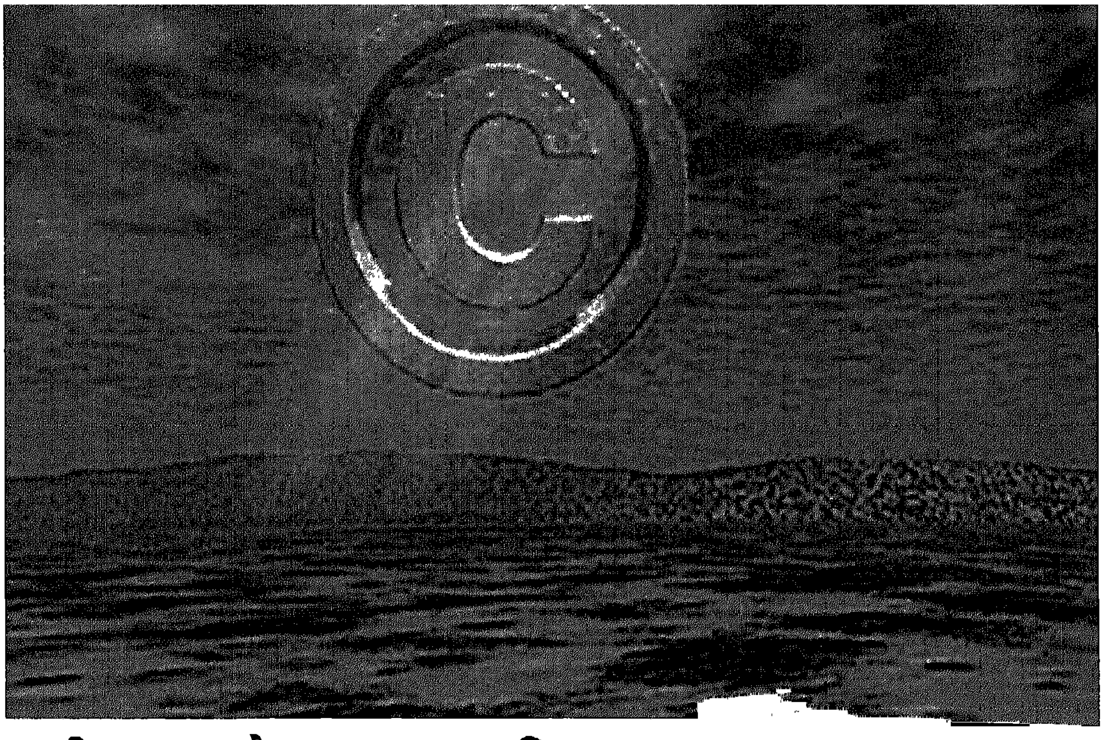
लर्निंग, प्रशमन्ती निलयन, अनन्तपुर जिला (आंध्र प्रदेश), *स्मरण नैतिक और अध्यात्मिक शिक्षा संस्थान*, यादवगिरी, मॅसेर, श्री अरबिन्दों एजुकेशन सोसायटी, नई दिल्ली, चिन्मय मिशन, नई दिल्ली, जीवन विज्ञान अकादमी, महरौली, नई दिल्ली। मूल्यपरक शिक्षा के लिए एनसीईआरटी में एक राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र ने काम करना शुरू कर दिया है। एनसीईआरटी ने विभिन्न कक्षाओं के लिए लगभग 210 पाठ्यपुस्तकें/अनुदेशात्मक सामग्री का निर्माण कियाहै जिनमें मूल्य घटक और सत्य, सदाचारपूर्ण आचरण, प्रेम अहिंसा जैसे सार्वभौमिक मूल्यों से जुड़े विषय शामिल किए गए हैं। इसके अलावा, वैज्ञानिक स्वभाव संबंध मूल्यों और पर्यावरणत्मक मूल्यों पर भी प्रकाश डाला गया है।

आईआईटी, दिल्ली ने इंजीनियरी के लिए अपने राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र में स्नातकोत्तर छात्रों के लिए जनवरी, 2003 से दो नए पाठ्यक्रम शुरू किए हैं जो इस प्रकार हैं : प्रौद्योगिकी और मानवीय मूल्य तथा लघु परियोजना/विश्वविद्यालयों/कालेजों में मूल्यपरक शिक्षा के लिए पाठ्यचर्या/पाठ्यक्रम तैयार करने और साथ ही विश्वविद्यालयों और कालेजों में मूल्यपरक शिक्षा को बढ़ावा देने के प्रयोजन से एक स्कीम तैयार करने के लिए यूजीसी ने एक समिति का गठन किया है। उन्होंने स्नातकपूर्व छात्रों के लिए मानवीय मूल्यों, नीतिशास्त्र और मूल कर्त्तव्यों पर एक वैकल्पिक प्रश्न-पत्र भी शुरू किया है। इग्नू ने भारत में मुक्त दूरस्थ शिक्षा के संदर्भ में उच्च शिक्षा में मानवीय मूल्यों के समावेश के लिए नीतिगत मार्गदर्शी सिद्धांत तैयार करने तथा जो कार्यक्रम तैयार और संशोधित किए जा रहे हैं, उनमें इस पक्ष की उन्नति पर निगाह रखने के लिए एक समिति का गठन किया है। इग्नू ज्ञान दर्शन के माध्यम से सीआईईटी (एनसीईआरटी) और यूजीसी द्वारा निर्मित वीडियो कार्यक्रमों से टीवी पर प्रसारित कर रहा है।

नीपा ने मूल्यपरक शिक्षा पर एक प्रकाशन - चुनिंदा ग्रंथ सूची प्रकाशित की है। वे ग्रंथ सूची से अद्यतन भी बना रहे हैं। उन्होंने शिक्षा में नीतिशास्त्र से लेकर एक नीतपा-आईआईईपी सहयोगात्मक अध्ययन भी शुरू किया है। राष्ट्रीय मुक्त स्कूल संस्थान ने दो परियोजनाएं शुरू की हैं:- मानवीय मूल्यों में शिक्षा तथा भारतीय संस्कृति और विरासत। इन परियोजनाओं का मूल उद्देश्य यह है कि संस्थान के प्रत्याशित संस्थानों में छात्रों और अध्यापकों के भीतर मानवीय मूल्यों का संवर्धन किया जाए और उनमें भारतीय संस्कृति और विरासत के लिए गौरव की भावना पैदा की जाए। एनसीटीई ने माध्यमिक अध्यापक शिक्षा पाठ्यचर्या के लिए एक दृष्टिकोण लेख निकाला है जिसमें माध्यमिक शिक्षा स्तर सेवा पूर्व अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम में मूल्यपरक शिक्षा के तत्व भी शामिल किए गए हैं। इसके अलावा, अध्यापक शिक्षा के माध्यम से मूल कर्त्तव्यों को कार्यरूप देने के माड्यूल भी तैयार किए जा रहे हैं।

भारतीय दार्शनिक अनुसंधान संस्थान (आईसीपीआर) ने एक मूल्य शिक्षा केन्द्र की स्थापना की है और इसमें ऐसी संगोष्ठियों और प्रकाशनों को बढ़ावा देने की एक परियोजना की शुरूआत की है जिनमें दीर्घकालीन उपयोगिता वाली सामग्री की गवेषणा और प्रकाशन पर विशेष बल दिया गया है। आईसीपीआर ने जनवरी, 2003 में मूल्योन्मुखी शिक्षा का दर्शन विषय पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जिसमें 200 शिक्षाविदों ने हिस्सा लिया। संगोष्ठी में तैयार की गई सामग्री के आधार पर आईसीपीआर ने मूल्योन्मुखी शिक्षा का दर्शन नामक एक पुस्तक प्रकाशित की है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि शारीरिक शिक्षा का अपना अलग महत्व है जैसेकि स्वास्थ्य, शक्ति, फुर्ती और सौंदर्य, आईसीपीआर ने मानव शरीर का रहस्य और उत्कृष्टता, नामक एक पुस्तक प्रकाशित की है। आईसीपीआर ने चुनिन्दा विषयों पर 85 मोनोग्राफ तैयार करने का काम भी हाथ में ले लिया है जोकि तीन महत्वपूर्ण मूल्यों अर्थात् प्रबोधन, वीरता और सामंजस्य पर जीवनी साहित्य तथा भारतीय और विश्व इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं के माध्यम से योगदान देंगे।

■■■



कापीराइट और सम्बद्ध अधिकार

भारत में कापीराइट प्रवर्तन

भारतीय कापीराइट अधिनियम, 1957 के अध्याय 13 में कापीराइट अधिनियम के अधीन किए गए अपराधों के लिए दंडों का प्रावधान है और वह पुलिस से आवश्यक कार्रवाई करने का अधिकार देता है। विविधि वास्तविक प्रवर्तन पुलिस बल के माध्यम से राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। तथापि, साहित्यिक चोरी को रोकने के लिए कापीराइट अधिनियम के प्रवर्तन में सुधार लाने के निमित्त पिछले कुछ वर्षों में केन्द्रीय सरकार ने अनेक उपाय किए हैं जिनमें ये शामिल है : कापीराइट प्रवर्तन सलाहकार परिषद (सीईएसी) की स्थापना जिसके सदस्यों में सभी संबंधित विभागों और उद्योग के प्रतिनिधि शामिल रहते हैं जिससे कि साहित्यिक चोरी विरोधी प्रावधानों सहित कापीराइट अधिनियम के कार्यान्वयन की नियमित समीक्षा की जाती रहे। केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए कई अन्य उपायों में शमिल हैं: राज्य सरकारों को इन बातों के लिए राजी करना (1) कापीराइट विधियों के प्रवर्तन के लिए राज्य सरकारों में विशेष सेलों की स्थापनाच करना (2) उद्योग संगठनों और प्रवर्तनों एजेंसियों के बीच समन्वित तालमेल को सुकर बनाने के लिए राज्यों में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति; (3) जनता को कापीराइट विधियों के बारे मं संवेदी बनाने के लिए संगोष्ठियों/कार्यशालाओं का आयोजन (4) कापीराइट सोसायटियों द्वारा सामूहिक अभिशासन।

कापीराइट प्रवर्तन सलाहकार परिषद

कापीराइट प्रवर्तन सलाहकार परिषद का कार्यकला 3 वर्ष का होता है। कार्यकाल समाप्त होने पर सीईएसी का समय-समय पर पुनर्गठन किया जाता है।

कापीराइट प्रवर्तन के लिए विशेष प्रकोष्ठ

कुल 19 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों ने प्रवर्तन प्रकोष्ठ गठित किए हैं। असम, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, अंडमान एवं निकोवार द्वीपसमूह, चंडीगढ़, दादर व नगर हवेली और दमन व दीव। इन राज्यों/संघ शासित प्रशासनों ने कापीराइट अपराध मामलों की देखरेख करने के लिए अपराध शाखा में कापीराइट प्रवर्तन प्रकोष्ठ या विशेष प्रकोष्ठ स्थापित किए हैं। अन्य राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से भी ऐसा करने को कहा गया है।

नोडल अधिकारी

कापीराइट कानूनों के प्रवर्तन के मामले में उद्योग और प्रवर्तन एजेंसियों के बीच उचित समन्वय स्थापित करने कके उद्देश्य से मंत्रालय ने राज्य सरकारों से नोडल अधिकारी पदनामित करने का अनुरोध किया है। अब तक 25 राज्य/संघ शासित प्रदेश अपनी-अपनी समस्याओं में नोडल अधिकारी पदनामित हो चुके हैं।

आंध्र प्रदेश, असम, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, मिजोरम, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश ओर पश्चिम बंगाल राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, चंडीगढ़, दमन व दीव, लक्षद्वीप और पांडिचेरी संघ शासित प्रदेशों ने नोडल अधिकारी पदनामित कर दिए हैं।

सामूहिक प्रशासन सोसायटियाँ

कापीराइट (संशोधन) अधिनियम, 1944 में कृतियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए अलग-अलग कापीराइट सोसायटियां स्थापित किए जाने का प्रावधान है। अभी तक, आगे बताई गई कृतियों की चार श्रेणियों में से प्रत्येक के लिए एक-एक के हिसाब से चार सोसायटियाँ पंजीकृत कराई गई हैं: सिनेमाटोग्राफ फिल्में, (सोसायटी फार कापीराइट रेगुलेशन आफ इंडियन प्रोड्यूसर्स आफ फिल्म्स एंड टेलीविजन); संगीत (इंडियन परफार्मिंग राइट सोसायटी लि0); और इंडियन पुस्तकों/साहित्य/ कलात्मक फोटोकापी अधिकार के लिए हाल में गठित अंतिम समिति भारतीय रेपरोग्राफिक राइट्स आर्गेनाइजेशन (आईआरओ)। ये सोसायइटियां कापीराइट और आईपीआर के बारे मं जागरूकता पैदा करने में सक्रियता से भाग लेते हैं। उन्होंने अपने-अपने कलात्मक कृति चोरी-विरोध प्रकोष्ठ भी बनाए हैं जो पुलिस/ प्रवर्तन अधिकारियों के साथ मिल कर संगीत/प्रवर्तन अधिकारियों के साथ मिल कर संगीत साउंड रिकार्डिंग कृतियों की चोरी पर अंकुश लगाचने में सक्रियता से संलग्न है।

विश्व बौद्धिक संपदा संगठ्ना (वीपो) की बैठकों में सहभागिता

भारत, संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी विश्व बौद्धिक संपदा संगठ्न (वीपो) का एक सदस्य है जो कापीराइट तथा अन्य बौद्धिक संपदा अधिकारों की देखरेख करता है तथा सभी विचार-विमर्शों में प्रमुख भूमिका अदा करता हे। इस वर्ष भारतीय शिष्टमंडल ने विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की निम्नलिखित बैठकों में भाग लिया:

- कापीराइट और सम्बद्ध अधिकारों के सांक्ष्य और प्रवर्तन पर 27-29 जनवरी, 2003 के दौरान विपो-एशिया प्रशांत क्षेत्रीय संगोष्ठी।
- पब्लिक आउटरीच के जरिए बौद्धिक संपदा पर जागरूकताच बढ़ाने के लिए श्रीलंका में था। ये जनवरी, 2003 के विपो-क्षेत्रीय संगोष्ठी।
- बौद्धिक संपदा और जेनेटिक स्रोतों, परंपरागत ज्ञान और लोक साहित्य पर 16-18 जनवरी, 2003 के दौरान ईरान में आयोजित विपो-अंतः क्षेत्रीय संगोष्ठी।
- कापीराइट तथा सम्बद्ध अधिकारों पर स्थायी समिति का विपो जेनेवा में 23-27 जून, 2003 से आयोजित नौवां सत्र (विपो) ।
- बौद्धिक संपदा, जेनेटिक स्रोतों, परंपरागत ज्ञान और लोक साहित्य संबंधी विपो अंतः मंत्रालयी की जिनेवा में 7-15 जुलाई, 2003 को आयोजित बैठक।
- कापीराइट और सम्बद्ध अधिकारों संवंधी स्थायी समितियों का 3 से 5 नवम्बर, 2003 के दौरान जिनेवा में आयोजित विपो-दसवां सत्र तथा श्रव्य-दृश्य निष्पादनों के संरक्षण के संबंध में 6-7 नवम्बर, 2003 से जिनेवा में आयोजित अनौपचारिक बैठक।
- हांगकांग में 5-6 नवम्बर, 2003 से आयोजित दूसरा एशियाई साइबर अपराध शीर्ष सम्मेलन।
- बौद्धिक संपदा संबंधी व्यापार करवने के लिए एशिया और प्रशांत के लिए सिंगापुर में 13 से 21 अक्तूबर, 2003 के दौरान आयोजित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम।
- आर्थिक विकास के लिए बौद्धिक संपदा कार्यनीति पर मलेशिया (कुआलालाम्पुर) में 9 से 11 दिसम्बर, 2003 के दौरान आयोजित विपो-संगोष्ठी ।
- बौद्धिक संपदा तथा जेनेटिक स्रोतों, परंपरागत ज्ञान और लोक समहित संबंधी विपो छठी अंतःमंत्रालयी समिति जिनेवा में 15-19 मार्च, 2004 के दौरान आयोजित बैठक।
- डिजिटल युग में शैक्षिक संस्थानों और पुस्तकों में कापीराइट पर हांगकांग में 15-16 मार्च, 2004 को आयोजित विपो-क्षेत्रीय संगोष्ठी।

कापीराइट-आईपीआर मुद्दों पर सार्क कार्यशाला

विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के सहयोग से बौद्धिक संपदा परंपरागत ज्ञान तथा जेनेटिक स्रोतों पर नइ दिल्ली में 17-18 नवम्बर, 2003 को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों की एक कार्यशाला आयोजित की गई। भारत द्वारा विप्रो के सहयोग से आयोजित इस कार्यशाला में विपो और सार्क देशों के अंतर्राष्ट्रीय स्तरव के विशेषज्ञों ने सक्रिय रूप से भाग लिया।



भारत, संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (वीपो) का एक सदस्य है जो कापीराइट तथा अन्य बौद्धिक संपदा अधिकारों की देखरेख करता है तथा सभी विचार-विमर्शों में प्रमुख भूमिका अदा करता है।

इस कार्यशाला ने भारतीय विशेषज्ञों से जेनेटिक स्रोतों; परंपरागत ज्ञान और लोक साहित्य से संबंधित बौद्धिक संपदा विषय पर मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के संदर्भ में राष्ट्रीय अनुभवों का आदान-प्रदान करने योग्य बना दिया।

पेटेंटों, पेटेंट सहयोग संधि (पीसीटी) तथा शैक्षणिक संस्थानों के लिए अविष्कारों के बाजारीकरण पर विपो राष्ट्रीय संगोष्ठी

इस संगोष्ठी पेटेंट संबंधी विशेषज्ञो को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। यह संगोष्ठी विपो और भारतीय विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय विधि स्कूल, बंगलौर में आयोजित की गई थी।

इस संगोष्ठी के बल पर भारतीय सहभागी इस विषय पर अपने विचारों का आदान-प्रदान करने की स्थिति में हो गए थे।

कापीराइट में प्रशिक्षण

विभिन्न स्तरों पर कापीराइट और सम्बद्ध अधिकारों से संबंधित माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग के कार्मिकों से कापीराइट और सम्बद्ध अधिकारों के बारे में लंदन में 30 अक्तूबर से 14 नवम्बर, 200.3 के दौरान आयोजित विपो-प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए भेजा गया है।

बौद्धिक संपदा शिक्षा, अनुसंधान और पब्लिक आउटरीच की योजना

बौद्धिक संपदा शिक्षा, अनुसंधान और पब्लिक आउटरीच की योजना दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान तीन योजनागत सकीमों के वास्तविक विलयन के बाद शुरू की गई थी और ये तीन स्कीमें थी (1) कापीराइट मामलों पर संगोष्ठियां और कार्यशालाएं आयोजित करने की स्कीम (2) बौद्धिक संपदा अधिकार अध्ययनों के लिए वित्तीय सहायता की स्कीम, तथा (3) डब्ल्यूटीओ अध्ययनों पर वित्तीय सहायता क्योंकि तीनों स्कीमें एक दूसरे से सह-सम्बद्ध हैं। कापीराइट/आईपीआर तथा डब्ल्यूटीओ मामलों पर जागरूकता/शोध को बढ़ावा देने के काम के प्रभावी कार्यान्वियन के लिए, यह विलयन बहुत उपयोगकी पाया गया है। इस स्कीम के अधीन यूजीसी से मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों, उन विश्वविद्यालयों के साथ सम्बद्ध संस्थानों, अन्य शैक्षिक संस्थानों, कापीराइट सोसायटियों तथा आईपीआर के क्षेत्र में कार्यरत पंजीकृत स्वैच्छिक संगठनों से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। स्कीम के लक्ष्यों में ये शामिल हैं : संगोष्ठियां/कार्यशालाएं आयोजित करके कापीराइट मामलों के बारे आम जागरूकता पैदा करना और आईपीआर मामलों पर शिक्षा और शोध क्रियाकलाप करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के अधीन पिछले चार वर्षो में खर्च की गई राशि नीचे तालिका में दी गई है :

वर्ष	खर्च की गई राशि (रुपए लाख में)
2000-2001	44.50 रुपए
2001-2002	151.51 रुपए
2002-2003	187.93 रुपए
2003-2004	241.33 रुपए (प्रतिबद्ध राशि)

चालू वर्ष मे विधि, प्रौद्योगिकी, संगीत, कृषि, वाणिज्यिक, चिकित्सा और पशु चिकित्सा विज्ञानों जैसे विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत संस्थानों में देश के प्रायः सभी क्षेत्रों में प्रशिक्षण, अनुसंधान तथा जागरूकता सृजन सहित बहुविध क्रियाकलापों के लिए अनुदान दिए गए हैं।

आईपीआर पीठें

बौद्धिक संपदा अधिकार अध्ययनों के शिक्षण और अनुसंधान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, पुणे विश्वविद्यालय, पुणे, मद्रास विश्वविद्यालय, मद्रास, भारतीय विश्वविद्यालय का राष्ट्रीय विधि स्कूल, बंगलौर और कोचीन विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कोचीन में सभी के में एक-एक करके छः आईपीआर पीठें की

स्थापना की गई है। इस प्रयोजन के लिए विभागा द्वारा इस स्कीम के अधीन अभी तक कोचीन, दिल्ली, मद्रास तथा बंगलौर स्थित विश्वविद्यालयों को निधियां प्रदान की गई हैं। इलाहाबाद तथापुण के अन्य दो विश्वविद्यालयों का वित्तपोशण सीएसआईआर द्वारा किया गया। इन पीठों के कार्यकरण की प्रगति पर इस प्रयोजन के लिए गठित एक समिति द्वारा नियत काम के आधार पर समीक्षा की जाती है।

सेवाओं में व्यापार पर सामान्यकरण (जीटीएस)

1994 में टैरिफ एवं व्यापार संबंधी सामान्य करार (जीएटीटी) के अंतिम चक्र ने विश्व व्यापार संगठन के अधीन बहुपक्षीय करारों को जन्म दिया। विश्व व्यापार संगठन के अस्तित्व में आने से पहले सेवाओं पर कोई बहुपक्षीय समझौता नहीं होता था। एक जनवरी, 1995 को विश्व व्यापार संगठन अस्तित्व में आया था। इसके बाद 1996 में आयोजित वार्ताओं के चक्र में सेवाओं में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर एक व्यापक समझौता हुआ था। इस समझौते का उद्देश्य सेवाओं में व्यापार का धीरे-धीरे उदारीकरण करना है। इसके बाद सेवाओं में सुरक्षित और अधिक खुला बाजार उसी तरह उपलब्ध कराया जाना है जिस तरह गाट ने सामानों के व्यापारा के लिए किया है। शिक्षा उन बारह सेवाओं में से एक है जिन पर गेट्स के अंतर्गत वार्ताएं होनी हैं। शिक्षा को वार्ताओं के उद्देश्य यसे निम्नलिखित पांच श्रेणियों में विभाजित किया गया है:

- उच्चतर शिक्षा
- माध्यमिक शिक्षा
- प्राथमिक शिक्षा
- प्रौढ़ शिक्षा
- अन्य शिक्षा

गेट्स शिक्षा सेवाओं सहित, सेवाओं में चार व्यापार पद्धतियों को विहित करता है ।

सीमा-पर सेवा आपूति के अंतर्गत दूरस्थ शिक्षा का इंटरनेट द्वारा प्रदान किया गया किसी भी प्रकार का पाठ्यक्रम, किसी भी प्रकार की परीक्षण सेवा और शिक्षा सामग्री - जो राष्ट्रीय सीमाओं के पार जा सके - शामिल है ।

विदेश में उपयोग का अर्थ है कि देशी छात्रों की शिक्षा और यह शिक्षा सेवाओं में व्यापार का सबसे सामान्य रूप है ।

व्यावसायिक उपस्थिति का अर्थ है मेजबान देश में विदेशी निवेशकर्ता की वास्तविक उपस्थिति। इसमें दूसरे देश में पाठ्यक्रम चलाने वाले या पूर्ण संस्थाएं स्थापित करने वाले विदेशी विश्वविद्यालय शामिल हैं।

स्वाभाविक व्यक्ति की उपस्थिति का अर्थ है शिक्षा सेवाएं प्रदान करने के लिए देशों के बीच आते जाते लोगों की क्षमता।

शिक्षा सेवाओं के लिए अभी तक कोई आवेदन या प्रस्ताव नहीं किया गया है।



छात्रवृत्तियां

माध्यमिक शिक्षा और उच्चतर शिक्षा विभाग का राष्ट्रीय तथा विदेशी छात्रवृत्ति प्रभाग भारत तथा विदेशों में विभिन्न विश्वविद्यालयों/संस्थानों में आगे अध्ययन/अनुसंधान के निमित्त अनेक छात्रवृत्ति तथा शिक्षावृत्ति कार्यक्रमों का संचालन करता है। इन कार्यक्रमों में भारत सरकार द्वारा प्रायोजित तथा विदेशों द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम शामिल है। वर्ष 2003-04 के दौरान जिन कार्यक्रमों के अधीन छात्रवृत्तियां/शिक्षावृत्तियां प्रदान की जा रही हैं, उनके विवरण निम्नानुसार हैं :

राष्ट्रीय योग्यता छात्रवृत्ति योजना

राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना और ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली छात्रों के लिए माध्यमिक स्तर पर राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना को जो क्रमशः 1961-62 और 1971-72 से अस्तित्व में रही हैं - मिलाकर 2004-05 के संशोधित प्रावधानों के साथ क्रियान्वयन के लिए एक नई योजना बनाई गई है जिसका नाम है - राष्ट्रीय योग्यता छात्रवृत्ति योजना। राष्ट्रीय योग्यता छात्रवृत्ति योजना का लक्ष्य प्रतिभाशाली छात्रों की सहायता करना और राज्यवार योग्यता के आधार पर उत्तर-मैट्रिक स्तर के छात्रों तथा साथ ही अलग से ग्रामीण क्षेत्रों के नौवीं और दसवीं तक की कक्षाओं के प्रतिभावान और उत्कृष्ट छात्रों को मान्यता और वित्तीय सहायता दे कर शैक्षणिक क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए प्रोत्साहित करना है। छात्रवृत्तियों की संशोधित दरें 250 से 1000 रुपए के बीच है जो शिक्षा के स्तर और अध्ययन पाठ्यक्रम पर निर्भर करती है। वर्ष 2003-04 के लिए इस हेतु 8 करोड़ रुपए का बजट आबंटित किया गया है।

हिन्दी में उत्तर-मैट्रिक अध्ययन के लिए अहिन्दीभाषी राज्यों के छात्रों को छात्रवृत्तियाँ

यह योजना 1955-56 में आरंभ की गई थी। इसका उद्देश्य अहिन्दीभाषी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में हिन्दी के अध्ययन को प्रोत्साहित करना तथा इन राज्यों की सरकारों को अध्यापन के निमित्त तथा अन्य ऐसे पदों पर भर्ती के लिए, जिनमें हिन्दी का ज्ञान अनिवार्य है, उपयुक्त कार्मिक उपलब्ध कराना है। इस योजना को 2004-05 से संशोधित दरें, अध्ययन पाठ्यक्रम के अनुसार, 300 से 1,000 रुपए के बीच है। वर्ष 2003-04 में इस हेतु 1.50 करोड़ रुपए का बजट आबंटित किया गया है।

ब्रिटेन, कनाडा, न्यूजीलैंड आदि की सरकारों द्वारा प्रदान की जाने वाली राष्ट्रमंडलीय छात्रवृत्ति/शिक्षावृत्ति योजना

इस कार्यक्रम के अंतर्गत ब्रिटेन, कनाडा तथा न्यूजीलैंड में उच्च अध्ययन/अनुसंधान/प्रशिक्षण के लिए भारतीय राष्ट्रिकों को

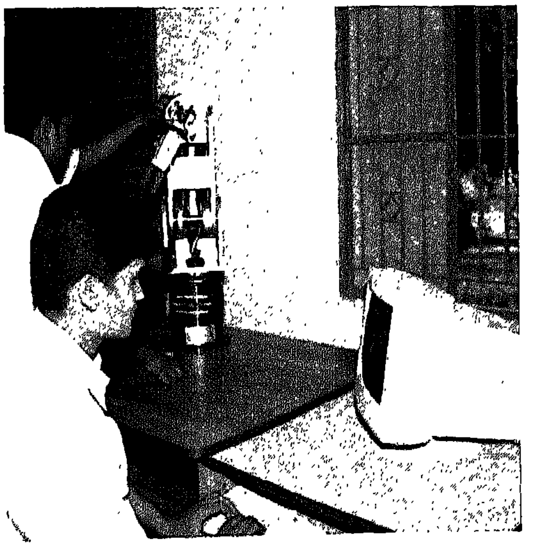
छात्रवृत्तियां/अध्येतावृत्तियां प्रदान की जाती हैं। ये छात्रवृत्तियां गौरवपूर्ण है और देश तथा लाभग्राहियों की शैक्षिक और व्यावसायिक उन्नति के लिए काफी लाभदायक है। ब्रिटेन में ये छात्रवृत्तियां इन 27 विषयों के अध्ययन के लिए उपलब्ध हैं। कैंसर शोध (कैंसर रोगविज्ञान सहित), हृदय रोग विज्ञान, (हृदय सर्जरी सहित) स्त्री रोग विज्ञान, चिकित्सा, दंत चिकित्सा, इलैक्ट्रोनिक्स, पर्यावरण अध्ययन, दूरस्थ संवेदी प्रौद्योगिकी, संचार इंजीनियरी, जैव प्रौद्योगिकी/जैव व्यावसायिक इंजीनियरी, रोबोटिक्स (कृत्रिम बुद्धि सहित), गणित, मोलेकुलर जीव विज्ञान, भौतिकी, रसायन (फार्मेसुटिकल/मैडीसिनल रसायन सहित) पशुपालन, कृषि अर्थशास्त्र/वानिकी, इतिहास, समाज विज्ञान, प्रबंध अध्ययन, ललित कलाएं (पश्चिमी पेंटिंग, कला इतिहास, ग्राफिक डिजाइनिंग, मूर्तिकला), अर्थशास्त्र, दर्शनशास्त्र, मनोविज्ञान, कंप्यूटर एप्लीकेशन विधि, अंग्रेजी (साहित्य/भाषा विज्ञान), कनाडा में इन 12 विषयों के अध्ययन के लिए - राजनीति विज्ञान/विशेषतः कनाडा-भारत संबंध के साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंध, शिक्षा, संचार माध्यम अध्ययन, वास्तुकला, भूगोल, प्रबंध अध्ययन, कंप्यूटर विज्ञान, सामाजिक प्रशासन और आर्थिक नियोजन, स्वास्थ्य विज्ञान (खाद्य पोषण प्रबंध सहित) विधि, पर्यावरण एवं अध्ययन, न्यूजीलैंड में इन दो विषयों के लिए - मृदा विज्ञान और डेरी प्रौद्योगिकी-उपलब्ध हैं। वर्ष 2003-04 के लिए हमने यूके 15 अभ्यर्थियों के लिए एवार्ड पत्र जारी कर दिए हैं तथा और अधिक अवार्डों की संभावना है। इसी प्रकार हमने अभी तक कनाडा के लिए दो एवार्ड पत्र जारी कर दिए हैं तथा और अधिक एवार्डों की संभावना है तो भी न्यूजीलैंड के लिए छात्रवृत्ति पर कार्रवाई नहीं की जा सकी क्योंकि न्यूजीलैंड की उपकुलपतियों की समिति हमारे इस अनुरोध को मानने के लिए सहमत नहीं हुई कि भारतीय शोधार्थियों के मामले में ईसीई (शैक्षिक प्रत्यायन मूल्यांकनकर्ता) प्रमाण-पत्र से जो कि 2002 के शैक्षणिक सत्र से लागू किया गया था छूट दे दी जाए। मलेशिया की सरकार ने वर्ष 2004-05 में पहली बार दो छात्रवृत्तियों के लिए नामांकन की पेशकश की है और नामांकन 29 नवम्बर से ही उन्हें भेजे जा चुके हैं। हमें त्रिनिडाड और टोबाको से भी पहली बार दोनों कारकों के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिनके संबंध में कार्रवाई की जा रही है ।

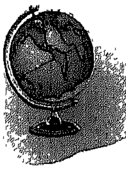
सुश्री अगाथा हैरीसन स्मारक अध्येतावृत्ति

सुश्री अगाथा हैरीसन स्मारक अध्येतावृत्ति के अधीन एक अध्येतावृत्ति की योजना पूर्णतः भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित है जो कि ऐसे शोध छात्रों के लिए है जिन्होंने इतिहास, अर्थशास्त्र तथा राजनीति शास्त्र में आधुनिक भारतीय अध्ययन में विशेषज्ञता अर्जित की है। भारत सरकार द्वारा ब्रिटेन में स्थित भारतीय उच्चायोग के माध्यम से सेंट एंटानी कालेज को प्रतिवर्ष 245367 पाउंड की समेकिति वृत्ति प्रदान करने वाले को दिल्ली से लंदन आने जाने का इकानमी क्लास का हवाई यात्रा का भाड़ा दिया जाता है। इसके अलावा, शिक्षावृत्ति या छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले के पति या पत्नी को यह सुविधा प्रदान की जाती है, बशर्ते कि वह एक वर्ष लंदन में रहे। यह शिक्षावृत्ति आरंभ में एक वर्ष के लिए दी जाती हैं और उम्मीदवार के कार्य-निष्पादन को देखते हुए उसे एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। वर्ष 2004-05 के लिए कार्रवाई चल रही है।

ब्रिटिश काउंसिल विजिटरशिप कार्यक्रम

ब्रिटिश काउंसिल विजिटरशिप कार्यक्रम के अधीन ब्रिटिश काउंसिल प्रभाग भारत में ब्रिटिश उप उच्चायुक्त, विजिटरशिप कार्यक्रम को चलाते हैं, उम्मीदवारों को ब्रिटेन में अल्पकालीन पाठ्यक्रमों के लिए भेजते हैं ताकि वे ब्रिटेन की बाबत बेहतर ज्ञान अर्जित कर सकें। इस कार्यक्रम के अधीन भारतीय छात्रों/विद्वानों/शोध छात्रों को ऐसी आर्थिक सहायता, शिक्षा, विज्ञान, चिकित्सा, प्रौद्योगिकी और कलाओं के क्षेत्र में प्रदान की जाती है, जिससे कि वे आपसी विचार-विमर्श करने, चालू ब्रिटिश पद्धतियों के साथ अपने व्यावसायिक ज्ञान को अद्यतन करने, सहयोगात्मक अध्ययन करने और व्यावसायिक सम्मेलनों, सेमिनारों और पाठ्यक्रमों में भाग लेने के लिए यूके में संस्थानों/वैसे ही





कार्यक्रम को अंतिम रूप देने से पहले ब्रिटिश काउंसिल डिविजन को भारत सरकार से अनापत्ति प्राप्त करनी होगी।

संस्थानों को दौरा कर सकें। इस कार्यक्रम के अधीन काउंसिल सामन्यतः यूके में आंतरिक यात्रा खर्च और जीवन-निर्वाह लागत वहन करती है। एक नियम के रूप में ब्रिटिश काउंसिल विभाग अंतर्राष्ट्रीय यात्रा का खर्च वहन नहीं करता।

कार्यक्रम को अंतिम रूप देने से पहले ब्रिटिश काउंसिल डिविजन को भारत सरकार से अनापत्ति प्राप्त करनी होती है। माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय के साथ परामर्श के बाद अनापत्ति जारी करता है ।

सांस्कृतिक विनियम कार्यक्रम के अंलर्गत विदेशी सरकारों द्वारा प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्तियाँ/शिक्षावृत्तियाँ

भारत सरकार तथा दूसरे देशों के बीच सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों के अधीन विदेशों द्वारा अपने-अपने देश के भारतीय छात्रों को स्नातकोत्तर स्तर, पीएचडी स्तर तथा पोस्टडाक्टोरल स्तर पर उच्चतर अध्ययन के लिए और साथ ही भाषा अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती हैं।

विदेशी सरकारों से प्राप्त छात्रवृत्तियों के प्रस्तावों को रोजगार समाचार और देश के अग्रणी अखबारों में विज्ञापित किया जाता है। विभाग की वेबसाइट www.education.nic.in पर आनलाइन आवेदन भी प्राप्त किए जाते हैं। माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री की मंजूरी से गठित चयन समितियाँ, जिनमें संबंधित क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं, आवेदनों पर विचार करती हैं। सामान्यतः चयन समितियां दो बैठकें करती हैं : एक बार साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों को शार्टलिस्ट करने के लिए आरंभिक बैठक होती है और इसके बाद उम्मीदवारों के साक्षात्कार के लिए दूसरी और अंतिम बैठक होती है। भारतीय अध्येताओं द्वारा बुनियादी विज्ञान (सैद्धांतिक और अनुप्रयुक्त), इंजीनियरी, प्रौद्योगिकी, मानविकी और सामाजिक विज्ञान आदि विषयों में अध्ययन के लिए इन छात्रवृत्तियों का उपयोग किया जा रहा है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण विषय इस प्रकार हैं - कृषि, कृषि अर्थशास्त्र, पशुपालन, वास्तु जीर्णोद्वार, वास्तु विज्ञान, जैव इंजीनियरी, जैविक समुद्रविज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, वनस्पति विज्ञान, कैंसर शोध, रसायन, चीनी भाषा और साहित्य, समुदाय स्वास्थ्य, तुलनात्मक अध्ययन, दंत चिकित्सा, भूकंप इंजीनियरी, अर्थशास्त्र, इलेक्ट्रानिक्स, पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण विज्ञान, वानिकी, स्त्रीरोग विज्ञान और प्रसूति विज्ञान, इतिहास, बागवानी, हाइड्रोलाजी, जापानी भाषा एवं साहित्य, जापान-अध्ययन, लेजर टेक्नोलाजी, गणित, चिकित्सा, मोलेक्यूलर जीव विज्ञान, राजनीति विज्ञान, दूरस्थ संवेदी रोबोटिक्स, कीटपालन, जलयान निर्माण, मृदा विज्ञान, पशुचिकित्सा विज्ञान और प्राणि विज्ञान। भारतीय अध्येताओं को विदेशी सरकारें भी वृत्तियाँ प्रदान करती हैं। वर्ष 2002-03 के दौरान 103 अध्येताओं को चीन, जापान, जर्मनी, मैक्सिको, इटली, इजहराइल, आयरलैंड, बेल्जियम, मंगोलिया तथा नार्वे, यूके और कनाडा भेजा गया और वर्ष 2003-04 में (10.12.2003) को अन्य 109 अध्येताओं को विदेश भेजा गया ।

भारत लौटने का दायित्व न होने का प्रमाणपत्र (एनओआरआई)

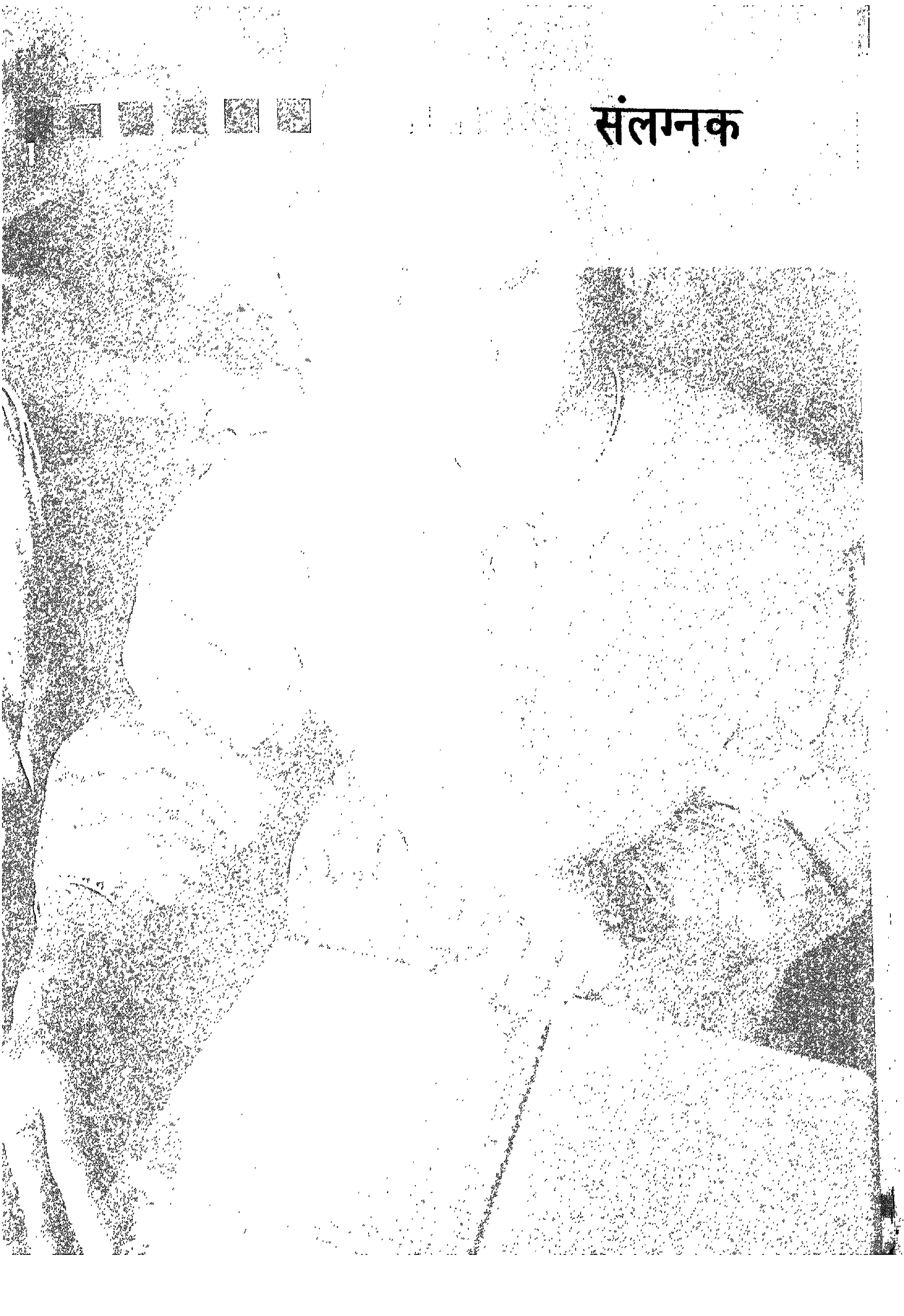
इस प्रमाणपत्र की, जिसे, वेवर प्रमाणपत्र भी कहा जाता है, जरूरत ऐसे व्यक्ति को होती है जो जे-1 और जे-2 विजा लेकर अमेरिका गया हो। इनमें ऐसी प्रावधान/शर्त हैं कि व्यक्ति को कम से कम दो वर्ष के लिए अपने देश लौटना होगा। जिस देश को व्यक्ति को वापस लौटना है, यदि वह देश उल्लेख करते हुए वेवर प्रमाणपत्र जारी करे कि उस व्यक्ति पर देश लौटने का

कोई दायित्व नहीं है तो अमरीकी आप्रवास अधिकारी इस शर्त को खारिज कर सकते हैं।

भारतीय राष्ट्रीयता के लोगों के मामलें में यह प्रमाणपत्र भारतीय दूतावास/अमेरिका स्थिति भारतीय महा वाणिज्यिदूत द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय, पासपोर्ट अधिकारी और संबंधित राज्य सरकार से अनापत्ति पाने के लिए आवेदकों को एक आवेदन पत्र भरना पड़ता है और एक हलफनामा (तीन प्रतियां) जमा करना पड़ता है जिसे लेख्य प्रमाणित (नोटेराइज्ड) करानाऔर भारतीय पासपोर्ट के साथ सत्यापन हेतु दूतावास/वाणिज्य दूतावास के पास भेजना पड़ता है। भारतीय दूतावास/वाणिज्य दूतावास द्वारा सत्यापन के बाद आवेदक प्रमाणपत्र जारी करने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवेदन करता है। माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग की विदेशी छात्रवृत्ति डिविजन यह कार्य करती है।

■■■

संलग्नक



संलग्नक 1

विवरण संख्या 1: भारत में शैक्षिक संस्थाओं की कुल संख्या (2002–2003) (अनन्तिम)

क्र सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र राष्ट्रीय		प्राथमिक/ कनिष्ठ बेसिक स्कूल	मिडिल/ वरिष्ठ बेसिक स्कूल	हाई स्कूल/ उ. मा./ इंटरमीडिएट/ डिग्री पूर्व/ जूनियर कालेज	डिग्री और उसके बाद की शिक्षा सामान्य शिक्षा कालेज	विश्वविद्यालय सम विश्वविद्यालय महत्त्व के संस्थान# व्यावसायिक शिक्षा कालेज
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आंध्र प्रदेश	63362	15110	15733	1197	350	23
2	अरूणाचल प्रदेश	1325	348	204	8	1	1
3	असम*	33236	8019	4832	298	69	7
4	बिहार*	39299	9691	3575	742	110	12
5	छत्तीसगढ़	23878	6365	2779	213	37	9
6	गोवा	1033	84	442	24	18	1
7	गुजरात*	15545	21205	7308	422	228	12
8	हरियाणा*	11208	1847	4579	155	91	7
9	हिमाचल प्रदेश	10877	1768	1954	65	35	5
10	जम्मू एवं कश्मीर*	10926	3728	1504	73	52	5
11	झारखण्ड*	16643	4187	1157		0	6
12	कर्नाटक	26093	23801	9589	923	564	19
13	केरल	6687	3003	4616	186	141	9
14	मध्य प्रदेश	64090	27193	9082	513	287	17
15	महाराष्ट्र	45647	25381	16918	1208	653	33
16	मणिपुर	2577	835	661	50	5	2
17	मेघालय*	5846	1041	643	46	2	1
18	मिजोरम*	1377	851	403	27	4	1
19	नागालैंड*	1501	482	355	33	19	1
20	उड़ीसा*	42104	11510	7313	567	201	9
21	पंजाब	13338	2527	3996	205	123	8
22	राजस्थान	55786	23098	8600	267	172	15
23	सिक्किम*	501	129	110	2	5	1
24	तमिलनाडु	33281	6654	8424	478	399	27
25	त्रिपुरा	2080	428	640	14	8	1
26	उत्तर प्रदेश	98220	23696	11524	758	462	30
27	उत्तरांचल	13795	3487	1593		0	7
28	पश्चिम बंगाल*	52426	2384	9463	354	134	17
29	अं और नि दी.समूह	207	56	93	2	1	0
30	चण्डीगढ़	28	6	119	12	10	2
31	दादर व नगर हवेली	126	91	22	0	0	0
32	दमन व दीव	53	22	26	1	1	0
33	दिल्ली	2099	664	1628	58	101	15
34	लक्षद्वीप	20	2	13	0	0	0
35	पांडिचेरी	317	133	202	11	22	1

* सूचना वर्ष 2001–2002

भारत विश्वविद्यालय संघ के अनुसार (जनवरी 2003 तक)

टिप्पणी: झारखंड राज्य के लिए उच्चतर शिक्षा के आंकड़े बिहार में सम्मिलित हैं।
उत्तरांचल के लिए संकाय–वार संस्थान उपलब्ध नहीं हैं।

विवरण संख्या 2: कक्षा–वार नामांकन 2002–2003 (अनन्तिम) 30.09.2002 को स्थिति के अनुसार

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्राथमिक/कनिष्ठ बेसिक (कक्षाएं I-V)			मिडिल/उच्च प्राथमिक (कक्षाएं VI-VIII)			माध्यमिक/उच्च माध्यमिक/स्नातकपूर्व (कक्षाएं IX-XII)			उच्च शिक्षा		
		बालक	बालिका	कुल	बालक	बालिका	कुल	बालक	बालिका	कुल	बालक	बालिका	कुल
1	आंध्र प्रदेश	4323707	4209924	8533631	1806196	1557917	3364113	1550924	1119258	2670182	475782	277836	753618
2	अरूणाचल प्रदेश	90370	76313	166683	30546	25561	56107	21925	14391	36316	4703	2168	6871
3	असम*	2238348	1842262	4080610	859785	658863	1518648	540973	381562	922535	119674	81458	201132
4	बिहार*	4840097	2969015	7809112	1276403	637304	1913707	784790	348170	1132960	376407	117628	494035
5	छत्तीसगढ	1428102	1323309	2751411	649997	495861	1145858	350106	206845	556951	96731	56082	152813
6	गोवा	58416	53510	111926	39370	35185	74555	30883	29441	60324	8391	10771	19162
7	गुजरात	3624599	2870026	6494625	1279840	1100947	2380787	1040658	707126	1747784	289538	229483	519021
8	हरियाणा	1045688	923856	1969544	545023	443866	988889	523086	353842	876928	144162	100096	244258
9	हिमाचल प्रदेश	376501	344243	720744	230788	208099	438887	195610	169463	365073	51531	38383	89914
10	जम्मू एव कश्मीर	583861	475444	1059305	270672	205430	476102	201005	143440	344445	31528	28071	59599
11	झारखण्ड*	1637346	1216837	2854183	470653	305796	776449	211457	114161	325618	137355	59994	197349
12	कर्नाटक	3244637	3041813	6286450	1480051	1306133	2786184	401343	299809	701152	329799	227846	557645
13	केरल	1273468	1219716	2493184	889563	813745	1703308	712739	768252	1480991	93998	129370	223368
14	मध्य प्रदेश	4600496	3772447	8372943	1695335	1086988	2782323	1002960	526556	1529516	298183	176630	474813
15	महाराष्ट्र	5887635	5476569	11364204	3186313	2830070	6016383	2404468	1915970	4320438	742327	515868	1258195
16	मणिपुर	161040	147250	308290	69938	61187	131125	46642	40387	87029	20264	16115	36379
17	मेघालय*	163727	163405	327132	46921	49189	96110	29577	26994	56571	15195	13970	29165
18	मिजोरम*	72676	61871	134547	25251	24321	49572	18055	18082	36137	2979	2534	5513
19	नागालैंड*	110697	101757	212454	33125	32558	65683	21161	18099	39260	6897	5036	11933
20	उडीसा*	2792000	1977000	4769000	919000	586000	1505000	749200	427800	1177000	221942	123171	345113
21	पंजाब	999861	889764	1889625	529677	476680	1006357	418397	369102	787499	115332	128411	243743
22	राजस्थान	5154838	4173114	9327952	1665802	902366	2568168	1107130	434615	1541745	245756	117416	363172
23	सिक्किम*	38837	38166	77003	11779	12843	24622	6756	6067	12823	2449	1654	4103
24	तमिलनाडु	3350740	3113679	6464419	1827015	1686845	3513860	1363104	1297766	2660870	194758	210984	405742
25	त्रिपुरा	241785	219416	461201	88626	78855	167481	58761	46041	104802	12391	8728	21119
26	उत्तर प्रदेश	9506023	6098256	15604279	3641498	1806902	5448400	2772928	1096910	3869838	725531	452279	1177810
27	उत्तराचंल	520355	527443	1047798	256334	233106	489440	211192	169254	380446	69191	46127	115318
28	पश्चिम बंगाल*	5269573	4881789	10151362	1840838	1369789	3210627	1190164	774341	1964505	392796	255382	648178
29	अं व नि दीप समूह	20603	19022	39625	11545	10290	21835	8885	8440	17325	1318	1251	2569
30	चण्डीगढ	32399	27531	59930	19810	17616	37426	21268	19835	41103	25749	23354	49103
31	दादर व नागर हवेली	17071	14408	31479	6668	4020	10688	3314	2261	5575	0	0	0
32	दमन व दीव	8509	7569	16078	4304	3790	8094	3059	2362	5421	300	266	566
33	दिल्ली	751221	670065	1421286	442620	387739	830359	306184	273133	579317	92998	79220	172218
34	लक्षद्वीप	4037	3505	7542	2670	2126	4796	1792	1665	3457	0	0	0
35	पांडिचेरी	52530	48893	101423	34793	32041	66834	27052	26683	53735	9775	9072	18847

* सूचना वर्ष 2001–2002

विवरण संख्या 3: 30 सितम्बर 2002 को स्थिति के अनुसार सामान्य शिक्षा के लिए स्कूलों की कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 में सकल नामांकन अनुपात (सभी विद्यार्थी) 2002–2003 (अनन्तिम)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कक्षाएं I-V (6–11 वर्ष)			कक्षाएं VI-VIII (11–17 वर्ष)		
		बालक	बालिका	कुल	बालक	बालिका	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आंध्र प्रदेश	107.63	107.13	107.38	62.96	55.83	59.45
2	अरूणाचल प्रदेश	129.10	105.40	117.05	74.87	66.22	70.66
3	असम*	127.18	107.42	117.43	78.73	62.27	70.63
4	बिहार*	95.45	61.19	78.70	38.22	21.07	30.07
5	छत्तीसगढ	110.71	105.70	108.24	81 76	65 59	73.88
6	गोवा	87.19	82.32	84.79	72.91	67.66	70.33
7	गुजरात*	132.82	111.16	122.29	73.18	67.96	70.67
8	हरियाणा*	76.33	76.54	76 43	68.04	63.32	65.84
9	हिमाचल प्रदेश*	93.19	87.82	90.55	102.12	96.34	99.30
10	जम्मू एवं कश्मीर*	102.43	78.07	89.85	84.32	64.40	74.39
11	झारखण्ड*	100.51	76.34	88.56	43.86	30.76	37.56
12	कर्नाटक	113.94	109.99	111.99	80.22	72.07	76.18
13	केरल	87.79	87.66	87.73	97.05	92.22	94.68
14	मध्य प्रदेश	121.64	104.76	113.41	73.39	49.57	61.79
15	महाराष्ट्र	112.18	109.39	110.82	98.23	90.95	94.67
16	मणिपुर	105.25	98.83	102.08	82.28	73.72	78.05
17	मेघालय*	117.79	107.50	112.42	60.16	61.49	60.83
18	मिजोरम*	132.14	106.67	119.07	81.45	78.45	79.95
19	नागालैंड*	110.70	100.75	105.70	59.15	61.43	60.26
20	उड़ीसा*	133.52	97.25	115.64	67.03	44.33	55.89
21	पंजाब	71.72	72.36	72.02	64.39	65.33	64.83
22	राजस्थान	143.59	124.94	134.60	73.73	44.06	59.62
23	सिक्किम*	119.13	110.31	114.59	61.35	69.05	65.14
24	तमिलनाडु	117.59	114.15	115.91	96.19	92.55	94.41
25	त्रिपुरा	113.09	91.58	101.72	68.70	64.11	66.46
26	उत्तर प्रदेश	88.94	61.54	75.76	54.08	29.93	42.66
27	उत्तराचंल	98.66	100.48	99.56	77.21	72.88	75.09
28	पश्चिम बंगाल*	112.72	106.82	109 80	60.51	46.96	53.88
29	अं व नि दीप समूह	89.58	82.70	86.14	82.46	92.98	82.71
30	चण्डीगढ़	57.86	55.06	56.54	62.69	64.76	63.65
31	दादर व नागर हवेली	142.26	130.98	136.87	95.26	64.84	80.97
32	दमन व दीव	94.54	94.61	94.58	86.08	72.88	79.65
33	दिल्ली	88.92	78.74	83.81	89.45	85.07	87.35
34	लक्षद्वीप	100.93	83.45	91.98	133.50	96.64	114.19
35	पांडिचेरी	77.25	74 08	75.69	94.04	86.60	90.32

*स्कूली आंकड़े 2001–02

विवरण संख्या 4: 30 सितम्बर 2002 को स्थिति के अनुसार कक्षावार नामाकंन (अनुसूचित जाति) 2002–2003 (अनन्तिम)

क्र. सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	प्राथमिक/जूनियर बेसिक कक्षाएं I-V			प्राथमिक/जूनियर बेसिक कक्षाएं I-V			माध्यमिक/उच्च माध्यमिक/स्नातक कक्षाएं VI-VIII			उच्च शिक्षा		
		बालक	बालिका	कुल	बालक	बालिका	कुल	बालक	बालिका	कुल	बालक	बालिका	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	आंध्र प्रदेश	867895	840186	1708081	355914	286403	642317	383266	249049	632315	71337	32627	103964
2	अरूणाचल प्रदेश	2	1	3	13	8	21	18	11	29	53	4	57
3	असम*	272027	221409	493436	109819	91938	201757	72208	52388	124596	12954	6806	19760
4	बिहार*	828468	459318	1287786	158047	74654	232701	67800	28018	95818	22670	4050	26720
5	छत्तीगढ़*	227334	201043	428377	90005	63044	153049	51093	25941	77034	8449	4497	12946
6	गोवा	1267	1261	2528	561	434	995	279	271	550	101	78	179
7	गुजरात*	328627	288065	616692	137715	102541	240256	99647	62445	162092	60701	14198	74898
8	हरियाणा*	280375	254956	535331	114217	82191	196408	73524	42862	116386	14095	5876	19971
9	हिमाचल प्रदेश*	110746	105071	215817	51326	46293	97619	36854	30094	66948	6902	3934	10836
10	जम्मू एवं कश्मीर*	41225	32161	73386	20670	18041	38711	10429	7531	17960	0	0	0
11	झारखण्ड*	206917	134848	341765	50134	23504	73638	21556	8914	30470	5277	867	6144
12	कर्नाटक*	704456	650346	1354802	279403	236354	515757	161696	124827	286523	51629	16781	68410
13	केरल	132058	124908	256966	91964	82495	174459	67229	74567	141796	8699	12204	20903
14	मध्य प्रदेश	816849	672169	1489018	315648	182512	498160	154522	71255	225777	26251	14281	40531
15	महाराष्ट्र	884344	830231	1714575	477551	415283	892834	331814	257188	589002	75365	39070	114435
16	मणिपुर	3284	3074	6358	1267	1087	2354	1149	799	1948	482	393	875
17	मेघालय*	1043	895	1938	927	975	1902	839	655	1494	301	174	475
18	मिजोरम*	413	404	817	197	182	379	446	334	780	0	0	0
19	नागालैंड*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69	47	116
20	उड़ीसा*	586000	391000	977000	253000	119000	372000	105800	59300	165100	22764	8956	31720
21	पंजाब*	489986	442880	932866	177287	157882	335169	105785	85238	191023	14022	14196	28218
22	राजस्थान	1027788	799786	1827574	287993	133389	421382	149927	42864	192791	30151	5031	35181
23	सिक्किम*	2330	2290	4620	709	771	1480	405	363	768	55	60	115
24	तमिलनाडु*	608687	527296	1135983	363053	324666	687719	281255	259452	540707	37435	28715	66150
25	त्रिपुरा	46565	43383	89948	18340	16225	34565	11157	8557	19714	2092	1442	3534
26	उत्तर प्रदेश	2557412	1509766	4067178	723717	265674	989391	423046	95532	518578	118388	31801	150189
27	उत्तरांचल	142347	142207	284554	58444	50454	108898	33140	12043	45183	10814	3444	14258
28	पश्चिम बगाल*	1395401	1237413	2632814	390233	259029	649262	223746	130298	354044	55490	28054	83544
29	अंडमान व निकोबार	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	चंडीगढ	6614	5997	12611	3245	2856	6101	1458	1456	2914	1278	1017	2295
31	दादर व नागर हवेली	255	258	513	124	103	227	128	90	218	0	0	0
32	दमन व दीप	330	301	631	221	201	422	196	168	364	11	16	27
33	दिल्ली*	111208	91691	202899	42505	38995	81500	22629	20745	43374	10537	6266	16803
34	लक्षद्वीप	0	2	2	2	2	4	4	3	7	0	0	0
35	पांडिचेरी	9394	8944	18338	6960	6486	13446	4907	4628	9535	1325	1020	2345

*स्कूली आंकड़े 2001-02

विवरण संख्या 5. 30 सितंबर 2002 की स्थिति के अनुसार (अनुसूचित जाती के छात्रों का) सकल नामांकन अनुपात आयुवर्ग (6–11) 2002–2003 (अनन्तिम)

क्र.सं.	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	अनुसूचित जाति नामांकन अनुपात कक्षाए(I-V)			अनुसूचित जाति नामाकंन अनुपात कक्षाएं (VI-VIII)		
		बालक	बालिका	कुल	बालक	बालिका	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आंध्र प्रदेश	113.30	111.63	112.47	91.17	78.13	84.86
2	अरूणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	असम*	109.77	91.36	100.67	95.96	85.13	90.70
4	बिहार*	96.90	57.23	77.69	43.21	22.95	33.67
5	छत्तीसगढ़*	100.55	87.64	94.05	91.19	65.81	78.69
6	गोवा	79 11	72.06	75.43	53.64	41.00	47.29
7	गुजरात*	109.13	100.06	104.70	100.21	81.54	91.29
8	हरियाणा*	80.77	83.02	81.83	77.72	64.82	71.75
9	हिमाचल प्रदेश*	92.00	84.16	88.01	86.14	77.58	81.86
10	जम्मू एवं कश्मीर*	90.02	64.80	76.90	93.91	83.63	88.82
11	झारखण्ड*	75.34	51.14	63.48	42.67	21.99	32.81
12	कर्नाटक*	110.42	102.66	106.55	99.29	86.19	92.83
13	केरल	87.62	85.56	86.61	91.71	85.83	88.83
14	मध्य प्रदेश	121.22	105.05	113.34	108.12	67.76	88.75
15	महाराष्ट्र	114.44	111.13	112 81	101.08	94.16	97.74
16	मणिपुर	104.57	89.45	96.67	79.67	64.22	71.71
17	मेघालय*	108.63	103.22	106.06	83.05	86.13	84.60
18	मिजोरम*	99.27	94.70	96.96	99.76	95.88	97.86
19	नागालैंड*	0 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	उड़ीसा*	113.27	97.53	106.40	99.52	65.26	85.21
21	पंजाब*	110.22	109.44	109.85	81.87	81.28	81.59
22	राजस्थान	146.37	123.25	135.27	71.48	41.80	58.36
23	सिक्किम*	84.93	80 27	82.55	57.66	60.10	58.91
24	तामिलनाड*	96.87	85.75	91.37	99.77	93 20	96.56
25	त्रिपुरा	99.07	98.60	98.84	87.33	81.13	84.30
26	उत्तर प्रदेश	101.07	65.64	84.20	63.48	25.99	45.75
27	उत्तरांचल	105.11	107.44	106.27	92.99	83.31	88.24
28	पश्चिम बंगाल*	114.19	101.91	108.07	86.22	62.80	75.05
29	अंडमान व निकोबार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	चंडीगढ	84 13	73.13	78.51	74.25	70.34	72.36
31	दादर और नागर हवेली	101.05	101.45	101.25	104.27	83.23	93.54
32	दमन और दीव	103.19	75 36	87.73	88.07	67.43	76.86
33	दिल्ली*	67.80	55.95	61.88	52.06	50.59	51.34
34	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	पांडिचेरी	93.94	89.44	91.69	97.79	88.94	93.31

*स्कूली आंकडे 2001–02

विवरण संख्या 6. 30 सितम्बर 2002 की स्थिति के अनुसार कक्षावार नामांकन (अनुसूचित 2002—2003) (अनन्तिम)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्राथमिकनष्ठ बेसिक कक्षाएं I-V			मिडिल/उच्च माध्यमिक कक्षा VI-VIII			माध्यमिक/उच्च माध्यमिक/डिग्री			उच्च शिक्षा		
		बालक	बालिका	कुल	बालक	बालिका	कुल	बालक	बालिका	कुल	बालक	बालिका	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	आंध्र प्रदेश	472803	429096	901899	118829	72156	190985	81606	37549	119155	17635	6921	24556
2	अरूणाचल प्रदेश	67840	58409	126249	22006	18902	40908	15653	10480	26133	3430	1730	5160
3	असम'	369902	299238	669140	134314	108584	242898	97078	65424	162502	18578	9959	28537
4	बिहार'	47917	23438	71355	8102	3273	11375	3088	1438	4526	10982	4064	15046
5	छत्तीगढ़'	475440	409292	884732	169186	120648	289834	89368	47787	137155	8652	4302	12954
6	गोवा	26	27	53	7	3	10	11	9	20	16	10	26
7	गुजरात'	619624	512918	1132542	176635	139897	316532	118559	86318	204877	20918	14757	35674
8	हरियाणा'	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	हिमाचल प्रदेश'	16527	16085	32612	8889	7389	16278	7003	5999	13002	2063	1449	3512
10	जम्मू एवं कश्मीर'	35716	22812	58528	8975	6634	15609	6242	3125	9367	0	0	0
11	झारखण्ड'	508410	367444	875854	107283	64848	172131	42463	24009	66472	2477	1461	3938
12	कर्नाटक'	247187	225266	472453	93462	77173	170635	51556	37685	89241	14925	4347	19272
13	केरल	17923	16716	34639	9104	8088	17192	5295	5412	10707	1589	1573	3162
14	मध्य प्रदेश	883277	667971	1551248	224598	121482	346080	105513	46469	151982	26889	13656	40544
15	महाराष्ट्र	673492	581671	1255163	260973	206832	467805	150726	94677	245403	22245	9283	31528
16	मणिपुर	62436	54977	117413	18483	15649	34132	11521	9709	21230	2740	2040	4780
17	मेघालय'	129330	130221	259551	35719	43226	78945	21744	20534	42278	6714	7272	13986
18	मिजोरम'	72263	61467	133730	25054	24139	49193	17610	17748	35358	2979	2534	5513
19	नागालैंड'	91991	80408	172399	33753	20458	54211	18752	15427	34179	6828	4989	11817
20	उड़ीसा'	741000	451000	1192000	197000	97000	294000	69900	35660	105560	19061	8848	27910
21	पंजाब'	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2826	4	2830
22	राजस्थान	728459	571930	1300389	194133	84898	279031	105265	27554	132819	22072	2560	24632
23	सिक्किम'	8933	8779	17712	2709	2954	5663	1554	1385	2939	267	308	576
24	तामिलनाडु'	30311	26941	57252	17245	18233	35478	9867	8067	17934	784	607	1391
25	त्रिपुरा	93550	80663	174213	25846	20385	46231	14579	9837	24416	1349	868	2217
26	उत्तर प्रदेश	22898	14919	37817	9143	4291	13434	6602	2493	9095	1719	806	2525
27	उत्तरांचल	19235	19512	38747	8611	8273	16884	7149	4393	11542	252	139	391
28	पश्चिम बंगाल'	432614	281541	714155	108557	49012	157569	42529	21719	64248	7124	3337	10462
29	अंडमान व निकोबार	1567	1448	3015	920	812	1732	487	557	1044	65	57	122
30	चंडीगढ	7	2	9	4	2	6	0	0	0	337	264	601
31	दादर एवं नागर हवेली	13177	11210	24387	4995	2694	7689	2174	1238	3412	0	0	0
32	दमन और दीव	1126	1019	2145	537	434	971	264	166	430	65	17	82
33	दिल्ली'	1029	652	1681	306	228	534	238	172	410	1966	1226	3192
34	लक्षद्वीप	4007	3471	7478	2637	2108	4745	1724	1619	3343	0	0	0
35	पांडिचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79	19	98

*स्कूली आंकड़े 2001—02

विवरण संख्या 7. 30 सितम्बर 2002 की स्थिति के अनुसार आयुवर्ग (6–11) और (11–14) में सकल नामांकन अनुपात (अनुसूचित जनजाति छात्र) 2002–2003 (अनन्तिम)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनुवूचित जनजाति नामांकन अनुपात कक्षाएं (I-V)			अनुसूचित जनजाति नामांकन अनुपात कक्षाए (VI-VIII)		
		बालक	बालिका	कुल	बालक	बालिका	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आंध्र प्रदेश	107.98	100.52	104.30	76.17	49.89	63.53
2	अरूणाचल प्रदेश	115.46	96.30	105.73	101.69	76.74	88.33
3	असम*	106.91	94 55	101.00	98.82	93.01	96.14
4	बिहार*	92.89	61.72	79.67	52.77	34.46	45.77
5	छत्तीसगढ*	110.50	95.49	103.01	96.28	75.80	86.54
6	गोवा	86.08	108.66	96.27	108.73	42.95	74.50
7	गुजरात*	120.55	111.66	116.37	74 76	61.99	68.52
8	हरियाणा*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	हिमाचल प्रदेश*	91 79	78.36	84.63	86.42	72.20	79.33
10	जम्मू एवं कश्मीर*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	झारखण्ड*	109.06	82.38	96.01	86.22	60.18	74.13
12	कर्नाटक*	105.97	101.63	103 86	99.84	85.98	93.06
13	केरल	105.21	104.66	104.94	84.97	81.41	83.26
14	मध्य प्रदेश	95.70	70.80	83.13	72.02	44.65	59.27
15	महाराष्ट्र	109.92	104.72	107.45	95.91	77.16	86.61
16	मणिपुर	107.65	101.81	104.83	73.93	62.60	68.26
17	मेघालय*	108.78	102.28	105.42	63.56	73.04	68.42
18	मिजोरम*	131.60	105.98	118.44	81.33	70.07	75.39
19	नागालैंड*	92.32	75.14	83.42	73.25	42.47	57.52
20	उड़ीसा*	119.88	83.33	102.82	78.42	45.39	63.24
21	पंजाब*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	राजस्थान	136.67	120.31	128.96	68.74	38.80	55.67
23	सिक्किम*	92 89	90.58	91.73	57.62	61.87	59.76
24	तामिलनाड*	98.02	92.86	95.52	84.95	91.86	88.37
25	त्रिपुरा	103.94	97.18	100.70	66.27	53.64	60.04
26	उत्तर प्रदेश	91.59	64.87	78.79	83.16	41.75	63.16
27	उत्तरांचल	95.40	97.22	96.31	81.99	81.59	81.80
28	पश्चिम बगाल'	102.97	73.28	88.28	77.09	33.76	55.09
29	अंडमान और निकोबार	76.16	52.88	62.87	77.74	57.11	66.48
30	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	दादर एवं नागर हवेली	109.81	101.91	106.03	99.90	67.35	85.43
32	दमन और दीव	109.11	90.70	99.51	90.58	62.69	75.56
33	दिल्ली*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	लक्षद्वीप	102.95	82.82	92.51	87.90	70.27	79.08
35	पांडिचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*स्कूली आकड़े 2001–02

विवरण संख्या 8. 30 सितम्बर 2002 की स्थिति के अनुसार वर्ष 2002–2003 में कक्षा 1 से 5 तक स्कूल बीच में छोड़कर जाने वालों की दरें (अनन्तिम)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बालक	बालिका	कुल
1	आंध्र प्रदेश	42.43	42.47	42.45
2	अरूणाचल प्रदेश	47.28	49.44	48.27
3	असम*	46.63	51.18	48.64
4	बिहार*	60.70	63.11	61.64
5	छत्तीसगढ*			
6	गोवा	0.08	5.45	2.69
7	गुजरात*	27.21	22.13	25.05
8	हरियाणा*	30.49	30.53	30.51
9	हिमाचल प्रदेश	14.91	22.08	18.52
10	जम्मू एवं कश्मीर*	32.16	25.38	29.27
11	झारखण्ड*			
12	कर्नाटक	14.85	13.78	14.34
13	केरल	0.00	0.00	0.00
14	मध्य प्रदेश*	29.24	29.96	29.55
15	महाराष्ट्र	8.76	10.15	9.43
16	मणिपुर	26.74	25.42	26.12
17	मेघालय*	57.17	56.75	56.96
18	मिजोरम*	60.59	57.82	59.31
19	नागालैंड*	38.63	44.44	41.50
20	उड़ीसा*	38.91	40.08	39.38
21	पंजाब	26.39	24.10	25.31
22	राजस्थान	62.06	57.67	60.43
23	सिक्किम*	61.89	61.64	61.76
24	तामिलनाडु	14.61	16.26	15.41
25	त्रिपुरा	49.47	46.87	48.26
26	उत्तर प्रदेश	44.69	49.75	46.63
27	उत्तरांचल'			
28	पश्चिम बंगाल*	39.40	40.41	39.86
29	अंडमानव निकोबार	0.73	4 00	2.31
30	चंडीगढ़	35.89	38.89	37.32
31	दादर और नागर हवेली	16.04	32.64	23.69
32	दमन और दीव	0.00	0 00	0.00
33	दिल्ली	11.93	19.38	15.55
34	लक्ष्यद्वीप	0.00	0.00	0.00
35	पांडिचेरी	0.00	0.00	0.00

*स्कूली आंकडे 2001–02

टिप्पणी: झारखंड, उत्तरांचल तथा छत्तीसगढ़ राज्यों के लिए शिक्षा बीच में छोडने के आंकड़े उनके मूल राज्यों में सम्मिलित हैं।

विवरण संख्या 9. 30 सितम्बर 2002 की स्थिति के अनुसार वर्ष 2002–2003 में कक्षा 2 से 8 तक स्कूल बीच में छोड़कर जाने वालों की दरें (अनन्तिम)

क्र.सं.	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	बालक	बालिका	कुल
1	आंध्र प्रदेश	57.90	61.96	59.82
2	अरूणाचल प्रदेश	64.87	62.36	63.76
3	असम*	67.54	71.27	69.21
4	बिहार*	73.75	76.59	74.79
5	छत्तीसगढ*			
6	गोवा	2.28	9.01	5.54
7	गुजरात*	50.02	55.92	52.52
8	हरियाणा*	8.21	17.13	12.35
9	हिमाचल प्रदेश	8.04	11.48	9.72
10	जम्मू एवं कश्मीर*	32.25	27.30	30.14
11	झारखण्ड*			
12	कर्नाटक	47.54	49.65	48.53
13	केरल	0.00	0.00	0.00
14	मध्य प्रदेश*	46.22	55.32	50.11
15	महाराष्ट्र	33.45	38.32	35.77
16	मणिपुर	31.54	29.73	30.70
17	मेघालय*	77.07	76.90	76.99
18	मिजोरम*	61.17	58.50	59.89
19	नागालैंड*	55.66	50.80	53.36
20	उड़ीसा*	61.53	59.55	60.74
21	पंजाब	33.77	31.75	32.81
22	राजस्थान	62.24	71.14	65.78
23	सिक्कम*	67.72	58.51	63.41
24	तामिलनाडू	46.12	39.05	42.90
25	त्रिपुरा	67.34	68.42	67.84
26	उत्तर प्रदेश	54.57	64.56	58.43
27	उत्तरांचल*			
28	पश्चिम बंगाल*	67.65	74.38	70.87
29	अंडमान व निकोबार	17.64	19.26	18.42
30	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00
31	दादर एवं नागर हवेली	41.40	58.24	48.90
32	दमन एवं दीव	12.90	21.81	17.21
33	दिल्ली	19.91	28.09	23.97
34	लक्ष्यद्वीप	0.00	0.00	0.00
35	पांडिचेरी	0.00	0.00	0.00

*स्कूली आंकड़े 2001–02

टिप्प.ी. झारखंड, उत्तरांचल तथा छत्तीसगढ राज्यों के लिए शिक्षा बीच में छोड़ने के आंकड़े उनके मूल राज्यों मे सम्मिलित हैं।

विवरण 10. 30 सितम्बर 2002 की स्थिति के अनुसार वर्ष 2002–2003 में कक्षा 1 से 10 तक स्कूल बीच में छोड़कर जाने वालों की सकल दरें (अनन्तिम)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बालक	बालिका	कुल
1	आंध्र प्रदेश	67.22	70.81	68.89
2	अरूणाचल प्रदेश	71.20	74.97	72.85
3	असम*	75.54	75.70	75.61
4	बिहार*	81.11	85.99	82.87
5	छत्तीसगढ*			
6	गोवा	40.18	39.14	39.68
7	गुजरात*	57.99	65.01	61.19
8	हरियाणा*	29.86	42.85	35.94
9	हिमाचल प्रदेश	28.86	31.43	30.11
10	जम्मू व कश्मीर*	50.16	47.18	48.94
11	झारखण्ड*			
12	कर्नाटक	60.73	63.76	62 19
13	केरल	15.72	6.90	11.39
14	मध्य प्रदेश*	64.98	76.34	69.88
15	महाराष्ट्र	48.92	54.32	51.49
16	मणिपुर	58.04	56.65	57.38
17	मेघालय*	82 99	83.88	83.44
18	मिजोरन*	72.08	67.11	69.73
19	नागालैंड	65.02	64.84	64.94
20	उडीसा	73.35	72.60	73.05
21	पंजाब	48.91	47.14	48.08
22	राजस्थान	71.45	80.90	74.91
23	सिक्कम*	88.88	87.83	88.39
24	तमिलनाडु	47.37	46.34	46.87
25	त्रिपुरा	75.33	76.39	75.82
26	उत्तर प्रदेश	58.72	77.38	65.94
27	उत्तराचल*			
28	पश्चिम बंगाल*	77 04	80.46	78.52
29	अंडमान और निकोबार	51.44	51.24	51.35
30	चंडीगढ़	31.25	27.24	29.40
31	दादर और नागर हवेली	72.23	72.24	72.23
32	दमन और दीव	46.23	49.40	47.68
33	दिल्ली	45.23	49.82	47.48
34	लक्षद्वीप	27.66	23.37	25.60
35	पांडिचेरी	22.83	20.15	21.54

*स्कूली आंकडे 2001–02

टिप्पणी: झारखड, उत्तराचल तथा छत्तीसगढ़ राज्यो के लिए शिक्षा बीच मे छोड़ने के आंकडे उनके मूल राज्यों में सम्मिलित है।

विवरण संख्या 11. 30 सितम्बर 2002 की स्थिति के अनुसार आयुवर्ग (6–11) और (11–14) में सकल नामांकन अनुपात (अनुसूचित जाति छात्र) 2002–2003 (अनन्तिम)

क्र.सं.	राज्य और संघ राज्य क्षेत्र	प्राथमिक			मिडिल/उच्चतर प्राथमिकमाध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक					
		बालक	बालिका	कुल	बालक	बालिका	कुल	बालक	बालिका	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	आंध्र प्रदेश	98240	75491	173731	59626	42523	102149	111227	66902	178129
2	अरूणाचल प्रदेश	2350	1168	3518	1763	726	2489	2586	721	3307
3	असम*	61982	25335	87317	45776	11922	57698	50599	18982	69581
4	बिहार*	65277	15640	80917	47252	13715	60967	39651	4604	44255
5	छत्तीसगढ़	43263	14753	58016	18840	7404	26244	21238	11482	32720
6	गोवा	691	2068	2759	181	430	611	3124	4872	7996
7	गुजरात*	12157	16232	28389	87767	83882	171649	50711	18105	68816
8	हरियाणा*	25372	24923	50295	5762	2989	8751	36374	25755	62129
9	हिमाचल प्रदेश	14491	11499	25990	6730	3002	9732	18107	12203	30310
10	जम्मू एवं कश्मीर*	16769	10763	27532	19659	11330	30989	17877	9329	27206
11	झारखण्ड*	25539	5893	31432	18658	7840	26498	8947	3633	12580
12	कर्नाटक	33858	24462	58320	77321	84080	161401	60189	36247	96436
13	कर्नाटक	11401	32630	44031	14725	31457	46182	36513	76989	113502
14	मध्य प्रदेश	121142	54646	175788	65497	33724	99221	52268	29414	81682
15	महाराष्ट्र	69743	106293	176036	104472	76473	180945	77192	33915	111107
16	मणिपुर	6140	3502	9642	4998	2976	7974	7575	4637	12212
17	मेघालय*	7124	6241	13365	3098	1869	4967	3085	3073	6158
18	मिजोरम*	2715	2714	5429	4048	1699	5747	2461	877	3338
19	नागालैंड*	4109	2843	6952	2947	2082	5029	3818	3158	6976
20	उड़ीसा*	83532	27508	111040	35595	6139	41734	47991	13203	61194
21	पंजाब	6346	7165	13511	6346	7165	13511	29329	41872	71201
22	राजस्थान	86767	30625	117392	111022	40261	151283	75884	28542	104426
23	सिक्कम*	1905	1585	3490	1080	621	1701	1686	914	2600
24	तामिलनाडु	35668	81926	117594	16942	38403	55345	67253	111113	178366
25	त्रिपुरा	7079	1730	8809	4608	1364	5972	12499	5632	18131
26	उत्तर प्रदेश	226558	79799	306357	80103	26492	106595	104666	28876	133542
27	उत्तराचंल	15557	13969	29526	11531	2846	14377	17033	2494	19527
28	पश्चिम बंगाल*	115874	36097	151971	8890	3234	12124	92861	35358	128219
29	अंडमान और निकोबार	403	482	885	353	365	718	1405	1386	2791
30	चंडीगढ	15	300	315	42	275	317	1133	4118	5251
31	दादर और नागर हवेली	315	355	670	145	68	213	159	127	286
32	दमन और दीव	115	282	397	125	119	244	210	114	324
33	दिल्ली	7178	14629	21807	1727	5873	7600	18776	36963	55739
34	लक्षद्वीप	175	110	285	58	44	102	321	102	423
35	पांडिचेरी	732	1814	2546	727	865	1303	2535	2912	5447

*स्कूली आंकड़े 2001–02

संलग्नक 2

सर्व शिक्षा अभियान के अनुश्रवण के लिए विभिन्न राज्यों में चुने गये संस्थान

राज्य	चुने गए संस्थान	2–3 संस्थानो सहित राज्य के लिए मार्गदर्शी संस्थान	क्षेत्र
आंध्र प्रदेश	शिक्षा विभाग, उस्मानियां विश्वविद्यालय	–	दक्षिण
अरुणाचल प्रदेश	शिक्षा विभाग, अरुणाचल विश्वविद्यालय	–	पूर्वोत्तर
असम	शिक्षा विभाग, गुवाहाटी विश्वविद्यालय, असम	–	पूर्वोत्तर
बिहार	1. जामिया मिलिया, दिल्ली 2. ए.एन. सिन्हा सामाजिक विज्ञान संस्थान, पटना	जामिया मिलिय	पूर्व
छत्तीसगढ़	क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, भोपाल	–	पूर्व
गोवा	एसएनडीटी विश्वविद्यालय	–	पश्चिम
गुजरात	1. एमएस विश्वविद्यालय,वड़ोदरा 2. सरदार पटेल आर्थिक और सामाजिक अनुसंधान संस्थान, अहमदाबाद	सरदार पटेल आर्थिक और सामाजिक अनुसंधान संस्थान, अहमदाबाद	पश्चिम
हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय,शिमला,	–	उत्तर
हरियाणा	कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय,	–	उत्तर
झारखंड	एक्सएलआरआई,जमशेदपुर	–	पूर्व
जम्मू तथा काश्मीर	1. जम्मू विश्वविद्यालय, 2. काश्मीर विश्वविद्यालय,	–	उत्तर
केरल	विकासात्मक अध्ययन केन्द्र त्रिवेन्द्रम		दक्षिण
कर्नाटक	1. सामाजिक और आर्थिक बदलाव संस्थान, बंगलौर 2. क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, मैसूर	सामाजिक और आर्थिक बदलाव संस्थान, बंगलौर	दक्षिण
मध्य प्रदेश	1. टीआईएसएस, मुम्बई 2. एमपीआईएसएसआर, उज्जैन	एमपीआईएसएसआर, उज्जैन	पश्चिम
मणिपुर	शिक्षा विभाग,मणिपुर विश्वविद्यालय,	–	पूर्वोत्तर
मेघालय	नेहू, शिलांग	–	पूर्वोत्तर
मिजोरम	मिजोरम विश्वविद्यालय	–	पूर्वोत्तर

राज्य	चुने गए संस्थान	2–3 संस्थानो सहित राज्य के लिए मार्गदर्शी संस्थान	क्षेत्र
महाराष्ट्र	1. भारतीय शिक्षा संस्थान, पुणे 2. शिक्षा विभाग,एसएनडीटी विश्वविद्यालय	एसएनडीटी विश्वविद्यालय	पश्चिम
नागालैंड	नागालैंड विश्वविद्यालय	–	पूर्वोत्तर
उड़ीसा	1. एनकेसी विकासात्मक अध्ययन केन्द्र भुवनेश्वर 2. शिक्षा विभाग, सम्बलपुर विश्वविद्यालय (डॉ. पीएम इंस्टीट्यूट आफ एडवान्स्ड स्टडी इन एजूकेशन सम्बलपुर)	एनकेसी विकासात्मक अध्ययन केन्द भुवनेश्वर	पूर्व
पंजाब	शिक्षा विभाग, पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़	–	उत्तर
राजस्थान	1. विकासात्मक अध्ययन संस्थान, जयपुर 2. जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय,राजस्थान विकासात्मक अध्ययन संस्थान, जयपुर	विकासात्मक अध्ययन संस्थान, जयपुर	पश्चिम
सिक्किम	शिक्षा विभाग, उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय,दार्जिलिंग	–	पूर्वोत्तर
तमिलनाडु	1. शिक्षा विभाग, अलगप्पा विश्वविद्यालय 2. आईआईएम, बंगलौर		दक्षिण
त्रिपुरा	शिक्षा विभाग,त्रिपुरा विश्वविद्यालय	–	पूर्वोत्तर
उत्तर प्रदेश	1. गिरि सामाजिक विज्ञान संस्थान, लखनऊ 2. जीबी पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान, इलाहाबाद 3. लखनऊ विश्वविद्यालय 4. सीएडीआर, लखनऊ	गिरि सामाजिक विज्ञान संस्थान, लखनऊ	उत्तर
उत्तरांचल	एनआईएआर, मसूरी	-	
पश्चिम बंगाल	1. आईआईएम, कलकत्ता 2. शिक्षा विभाग, विश्वभारती विश्वविद्यालय	आईआईएम कलकत्ता	पूर्व
अंडमान तथा निकोबार	आईआईएम, कोलकाता	–	पूर्व
चण्डीगढ़	शिक्षा विभाग पंजाब विश्वविद्याल चण्डीगढ़	–	उत्तर
दादर तथा नागर हवेली	भारतीय शिक्षा संस्थान,पुणे	–	पश्चिम
दमन तथा दीव	एमएस विश्वविद्यालय, वड़ोदरा	–	पश्चिम
दिल्ली	सेन्टर फार स्टडी आफ डेवलेपिंग सोसायटीज	–	उत्तर
लक्षद्वीप	सेन्टर फार डेवलपमेंट स्टडीज, त्रिवेन्द्रम	–	दक्षिण
पांडिचेरी	शिक्षा विभाग, पांडिचेरी विश्वविद्यालय	-	दक्षिण

संलग्नक 3

डीपीईपी के अधीन राज्य और जिले

राज्य का नाम	डीपीईपी के अधीन जिलों की संख्या	जिलों का नाम
आंध्र प्रदेश (चरण 1 और 2)	19	करीम नगर, कूरनूल, नैलौर, वारंगल, विजिया नगरम, अदिलाबाद, अनंथापुर, चितूर, कुडापा, गुंटूर, खामम, महबूब नगर, मेडक, नालगोंडा, निजामाबाद, प्रकाशम, रंगारेड्डी, श्रीकाकूलम, और विशाखापटनम
गुजरात उड़ीसा	6	कच्छ, सबरकान्ता, और सुरेन्द्रनगर, (भावनगर, जामनगर, जूनागढ़ (राज्य क्षेत्रक में वित्तपोषित) बौध, कोरापुर, मल्कानगिरी, सोनपुर, कांधामल, नवरंगपुर, नुअपाडा, मयूरभंज
पश्चिम बंगाल (चरण 1 और 2)	10	बनकुरा, बिरबुम, कूच बेहार, मुसीदाबाद, दक्षिण परागनास जलपाइगुड़ी, मालदा, पूरुलिया, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर
उत्तर प्रदेश (चरण 3)	32	आगरा, आजमगढ़, बालिया, बिजनौर, बुलन्दशहर, ऐटा, फैजाबाद, अम्बेडकर नगर, फरूखाबाद, कन्नौज, फतेहपुर, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, गाजिपुर, हमीरपुर, महौबा, जलौन, जौनपुर, झांसी, कानपुर, देहत, मैनपुरी, मथुरा, मैऊ, मेरठ, बागपत, मिर्जापुर, मुज्जफरनगर, पदरौउना, प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर, उन्नाओ
उत्तराचल	6	बागेश्वर, हरिद्वार, पिथौरगढ़, चम्पावत, टिहरी, गढ़वाल, उत्तरकाशी
बिहार	20	मुज्जफरपुर, पश्चिम चम्पारन, सितामारी, श्यौहार, रोहताश, कैमूर, वैशाली, गया, दरभंगा, पूरनिया, अरारीया, किशनगंज, भोजपूर, बक्कसर, मुंगेर, जामोई, लाखीसराय, शेखपुरा, भागलपुर, बांका, (इसके अंतर्गत 11 शैक्षिक जिले हैं)
झारखंड	9	छतरा, दुमका, हजारी बाग, कुदरमा, पश्चिम सिंगभूम, पूर्व सिंगभूम, रॉची, जमात्रा, और सराईकिला (इसके अंतर्गत 6 शैक्षिक जिले है)
राजस्थान	19	अलवर, भिलवाड़ा, झलावर, झुनझुनू, कोटा, नगौर, सीकर, सीरोही, श्रीगंगानगर, टोंक, चुरू, दौसा, जैयपुर, भरपुर, धौलपुर, बूदी, करौली, हनुमानगढ
कुल अधीन जिले	**129**	

संलग्नक 4

गैर सरकारी संगठनों की सूची जिनको वर्ष 2002–2003 के दौरान संस्वीकृत की गई एक लाख रूपये तथा उससे अधिक की राशी

क्र.सं.	गैर सरकारी संगठन का नाम और पता	जारी राशी
1	प्रियंका मनीला मंडली, आंध्र प्रदेश	2,00,000/–
2	इंदिरा गांधी ओपन विश्वविद्यालय, नई दिल्ली और सेन्टर फार स्डेडी ऑफ सोसायटी और सेक्यूलेरीज्म (सीएसएसएस), मुम्बई	1,50,000/–
3	मनो चैतन्या ह्यूमन सर्विसस, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश	1,40,320/–
4	ऐबिलिटी फाउन्डेशन, चेन्नई,	1,00,000/–
5	कैवल्याधाम एस.एम.वाई.एम. समिति, लोनावला, पुणे,	1,71,594/–
6	पूर्व पश्चिम ऐजूकेशनल सोसायटी, पटना	1,05,229/–
7	भारतीय शिक्षा शोध और निर्देशम संस्था, जयपुर	1,00,000/–
8	मित्र मंडली तरूण समाज समिति, भरतपुर, राजस्थान	3,00,000/–
9	संस्कार ज्योति, जयपुर	1,00,000/–
10	कौशिंल ऑफ बोर्ड फार माध्यमिक शिक्षा (सीओबीएसई),नई दिल्ली	3,35,875/–
11	भारीया विद्या – अभियान केन्द्र, वाराणसी	50,000/–
12	डीएवी महिला शिक्षा कालेज, अमृतसर	1,25,000/–
13	पूणे विश्वविद्यालय, पूणे	2,50,000/–
14	इंडियन ऐकेडमी आफ सोशल साइंसिस, इलाहाबाद	1,00,000/–
15	विज्ञान भारती तथा महर्षि भारद्वाज सोसाइटी, आंध्र प्रदेश	4,00,000/–
16	खास किताब फांउडेशन, गुलमोहर इन्क्लेव, नई दिल्ली	1,22,500/–
17	जन शिक्षण संस्थान, गया	40,000/–
18	एबिलिटी फांउडेशन, चेन्नई	1,00,000/–
19	सोसाइटी फॉर सोशल सर्विसेज, दिल्ली	50,000/–
20	हिमालयन बुद्धिस्ट कल्चरल एसोसिएशन, दिल्ली	1,00,000/–
21	गांधी हिन्दुस्तानी साहित्य सभा, राजघाट, नई दिल्ली	50,000/–
22	साइंस कम्यूनिकेशन फोरम, कोलकता	1,00,000/–
23	मीडिया मैनेजमेट ग्रुप फार लिटरेसी एण्ड डेवलपमेंट, नई दिल्ली	2,00,000/–
24	अरुंधति एजुकेशनल सोसाइटी, सिकंदराबाद	50,000/–
25	गाधी हिन्दुस्तानी साहित्य सभा, नई दिल्ली	2,50,000/–
26	गोरगोरीपुर ग्रामीण विकास संगठन, असम	50,000/–
27	भावनगर विश्वविद्यालय, भावनगर (गुजरात)	1,00,000/–
28	एकात्म मानव दर्शन अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान, नई दिल्ली	1,30,000/–

संलग्नक 5

हिन्दी स्वैच्छिक संगठनों को वर्ष 2002–03 के दौरान संस्वीकृत की गई एक लाख रूपए तथा उससे अधिक की राशि का सहायता–अनुदान विवरण

क्र.सं.	गैर–सरकारी संगठनों का नाम	राशि (रू. में)
असम		
1.	सुबानसिरी सेवा समिति, उत्तर लखीमपुर	2,97,488.00
2.	उत्तर–पूर्वांचल राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, उत्तर लखीमपुर	3,68,700.00
3.	असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, गुवाहाटी	24,42,000.00
4.	असम राज्य राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, जोरहाट	12,82,275.00
मणिपुर		
5.	मणिपुर राष्ट्रभाषा प्रचार समिति,इम्फाल	2,18,250.00
6.	मणिपुर हिन्दी परिषद, इम्फाल	2,40,750.00
7.	मणिपुर हिन्दी प्रचार सभा, इम्फाल	2,31,000.00
मेघालय		
8.	मेघालय राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, शिलांग मिजोरम	1,29,600.00
9.	मिजोरम हिन्दी प्रचार सभा, एजवाल	2,51,250.00
आंध्र प्रदेश		
10.	दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा (आन्ध्र), हैदराबाद	21,42,550.00
11.	हन्दी प्रचार सभा, हैदराबाद	1,49,850.00
12.	आन्ध्र प्रदेश हिन्दी प्रचार सभा, हैदराबाद	7,40,850.00
13.	नगर हिन्दी वर्ग संचालक व अध्यापक संघ, हैदराबाद	1,98,774.00
कर्नाटक		
14.	मैसूर हिन्दी प्रचार परिषद, बंगलौर	20,50,444.00
15.	कर्नाटक हिन्दी प्रचार समिति,बंगलौर	11,45,493.00
16.	कर्नाटक महिला हिन्दी सेवा समिति, बंगलौर	15,72,675.00
17.	हिन्दी विद्यापीठ,हुबली	1,04,175.00
18.	हिन्दी शैक्षणिक सेवा समिति,बीजापुर	1,32,690.00
19.	हिन्दी प्रचार संघ,मुधोल	1,96,050.00
20.	दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा (कर्नाटक), धारवाड	33,14,062.00
21.	दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, (गोवा शाखा), कर्नाटक	2,35,350.00

तामिलनाडु		
22.	दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा (तामिलनाडु), त्रिचि	23,27,400.00
23.	दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा (चेन्नई), नगर योजना	6,58,387.00
24.	दक्षिण भारत हिन्दी का प्रचार सभा (चेन्नई)(पी.जी.एवं बी.एड योजना)	31,64,360.00
उड़ीसा		
25.	उत्कल प्रान्तीय राष्ट्रभाषा प्रचार सभा, कटक	3,02,715.00
26.	उड़ीसा हिन्दी परिवेश, सुताहाट,कटक	1,26,525.00
झारखण्ड		
27.	हिन्दी विद्यापीठ देवगढ़, झारखण्ड	3,66,338.00
महाराष्ट्र		
28.	बम्बई हिन्दी विद्यापीठ, मुम्बई	15,95,550.00
29.	बम्बई प्रान्तीय राष्ट्रीय प्रचार सभा,मुम्बई	3,57,150.00
30.	बम्बई हिन्दी सभा, मुम्बई	2,74,725.00
31.	महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा, पुणे	3,01,050.00
32.	राष्ट्रभाषा प्रचार समिति,वारधा	3,32,850.00
33.	विदर्भ राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, नागपुर	2,03,250.00
34.	महाराष्ट्र हिन्दी प्रचार सभा, औरगाबाद	1,48,548.00
गोवा		
35.	बम्बई हिन्दी विद्यापीठ (गोवा शाखा)	1,02,525.00
36.	गोंमटक राष्ट्रभाषा विद्यापीठ मडगाव, गोवा	1,61,291.00
37.	दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा (गोवा शाखा)	2,35,350.00
गुजरात		
38.	गुजरात विद्यापीठ,अहमदाबाद	1,57,866.00
39.	बम्बई हिन्दी विद्यापीठ, मुम्बई (गुजरात प्रदेश के लिए)	1,17,023.00
दिल्ली		
40.	अखिल भारतीय हिन्दी संस्था संघ, नई दिल्ली	9,08,523.00
41.	भारतीय अनुवाद परिषद	1,28,775.00
42.	नागरीलिपि परिषद	2,62,725.00
उत्तर प्रदेश		
43.	हिन्दी साहित्य सम्मेलन,प्रयाग इलाहाबाद	2,06,250.00
44.	प्रयाग महिला विद्यापीठ, इलाहाबाद	1,12,500.00

संलग्नक 6

गैर सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक संगठनों को पिछले तीन वर्षों ने मंजूर किए गये सहायता अनुदान की बावज उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुन न किए जाने संबंधी स्थिति दर्शाने वाला विवरण 1999–2000, 2000–2001 एवं 2001–2002

वर्ष	गैर सरकारी संगठन/ स्वैच्छिक संस्था का नाम	वह राशी जिसके लिए गैर सरकारी संगठन/ स्वैच्छिक संगठनों द्वारा उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किए गए हैं	उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाने का कारण	इन गैर–सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक संगठनों (कालम 1 के अनुसार)को उपयोगिता प्रमाण पत्र पर बल न देकर और आगेअनुदान दिए जाने का कारण
1999–2000				
	केवीएस, नई दिल्ली	15,00,000	लेखा/उपयोग प्रमाण–पत्र की प्रतिक्षा है	पहली किश्त के लिए उपयोग प्रमाण–पत्र की आवश्यकता नहीं
2000–2001				
	एकमे रूरल वेलफेयर सोसाइटी लि., मोकोक (कोहिमा), नागालैण्ड	50,000	गैर–सरकारी संगठन द्वारा लेखा/उपयोग प्रमाण–पत्र की प्रतिक्षा है	पहली किश्त के लिए उपयोग प्रमाण–पत्र की आवश्यकता नहीं
	सीईई अहमदाबाद	4,76,828	प्राप्त नही हुआ उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के लिए प्रयास जारी	अलग परियोजनाएं के लिए अनुदान
	सीईई अहमदाबाद	3,73,000	प्राप्त नहीं हुआ उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के लिए प्रयास जारी	अलग परियोजना के लिए अनुदान
	केवीएस	6,50,000	लेखा/उपयोग प्रमाण–पत्र की प्रतिक्षा है	अनुदान नही दिया गया
	एनवीएस	14,00,000	लेखा/उपयोग प्रमाण–पत्र की प्रतिक्षा है	अनुदान नही दिया गया
	एनओएस	5,00,000	लेखा/उपयोग प्रमाण–पत्र की प्रतिक्षा है	अनुदान नही दिया गया
2001–2002				
	एनसीटीई	5,00,000	लेखा/उपयोग प्रमाण–पत्र की प्रतिक्षा है	अनुदान नही दिया गया
	धरमपुर नेताजी जुबा सघ, मिदनापुर, पश्चिम बंगाल	1,62,500	गैर–सरकारी संगठन द्वारा लेखा/उपयोग प्रमाण–पत्र की प्रतिक्षा है	अनुदान नही दिया गया
	झलका पाली आलोक समिति, मिदनापुर	50,000	गैर–सरकारी संगठन द्वारा लेखा/उपयोग प्रमाण–पत्र की प्रतिक्षा है	पहली किश्त के लिए उपयोग प्रमाण–पत्र की आवश्यकता नही
	ऑल इण्डिया फेडरेशन ऑफ एससी/एसटी एण्ड माइनारिटीज, मिदनापुर पश्चिम बंगाल	50,000	गैर–सरकारी संगठन द्वारा लेखा/उपयोग प्रमाण–पत्र की प्रतिक्षा है	पहली किश्त के लिए उपयोग प्रमाण–पत्र की आवश्यकता नहीं

झालका पाली आलोक समिति, मिदनापुर	50,000	गैर–सरकारी संगठन द्वारा लेखा/उपयोग प्रमाण–पत्र की प्रतिक्षा है	अनुदान नही दिया गया
ऑल इण्डिया फेडरेशन ऑफ एससी/एसटी एण्ड माइनारिटीज, मिदनापुर पश्चिम बंगाल	50,000	गैर–सरकारी संगठन द्वारा लेखा/उपयोग प्रमाण–पत्र की प्रतिक्षा है	अनुदान नही दिया गया
सीईई अहमदाबाद	3,50,000	गैर–सरकारी संगठन द्वारा लेखा/उपयोग प्रमाण–पत्र की प्रतिक्षा है	अलग परियोजना के लिए अनुदान
ईस्ट एण्ड वेस्ट एजुकेशन सोसाइटी, पटना	6,50,000	गैर–सरकारी संगठन द्वारा लेखा/उपयोग प्रमाण–पत्र की प्रतिक्षा है	अलग परियोजना के लिए अनुदान
सीईई अहमदाबाद	16,94,000	गैर–सरकारी संगठन द्वारा लेखा/उपयोग प्रमाण–पत्र की प्रतिक्षा है	अलग परियोजना के लिए अनुदान
हेल्थ एग्रीकल्चरल रूरल डेवलपमेंट	12,500	गैर–सरकारी संगठन द्वारा लेखा/उपयोग प्रमाण–पत्र की प्रतिक्षा है	अनुदान नही दिया गया
इण्डियन एनवायरमेटल सोसाइटी, दिल्ली	3,64,500	गैर–सरकारी संगठन द्वारा लेखा/उपयोग प्रमाण–पत्र की प्रतिक्षा है	अलग परियोजना के लिए अनुदान
सीईई अहमदाबाद	17,05,200	गैर–सरकारी संगठन द्वारा लेखा/उपयोग प्रमाण–पत्र की प्रतिक्षा है	अलग परियोजना के लिए अनुदान
बैकवर्ड एण्ड रूरल वेलफेयर सोसाइटी	50,000	गैर–सरकारी संगठन द्वारा लेखा/उपयोग प्रमाण–पत्र की प्रतिक्षा है	
सीईई अहमदाबाद	8,95,000	गैर–सरकारी संगठन द्वारा लेखा/उपयोग प्रमाण–पत्र की प्रतिक्षा है	अलग परियोजना के लिए अनुदान
एकमे रूरल वेलफेयर सोसाइटी लि., मोकोक (कोहिमा), नागालैण्ड	50,000	गैर–सरकारी संगठन द्वारा लेखा/उपयोग प्रमाण–पत्र की प्रतिक्षा है	अनुदान नही दिया गया
पथारी वोकेशनल इन्स्टीट्यूट, नागाओं, आसाम	87,700	गैर–सरकारी संगठन द्वारा लेखा/उपयोग प्रमाण–पत्र की प्रतिक्षा है	अनुदान नही दिया गया
वेलफेयर आर्गनाइजेशन फॉर द डीग्रेड	87,900	गैर–सरकारी संगठन द्वारा लेखा/उपयोग प्रमाण–पत्र की प्रतिक्षा है	अनुदान नही दिया गया
वाल्यून्टरी हेल्थ एसोसिएशन ऑफ त्रिपुरा, अगरतला	1,00,000	गैर–सरकारी संगठन द्वारा लेखा/उपयोग प्रमाण–पत्र की प्रतिक्षा है	अनुदान नही दिया गया
पश्चिम बगाल एससी, एसटी एण्ड माइनारिटी वेलफेयर एसोसिएशन, मिदनापुर	50,000	गैर–सरकारी संगठन द्वारा लेखा/उपयोग प्रमाण–पत्र की प्रतिक्षा है	अनुदान नही दिया गया
आसाम साइंस सोसाइटी, गुवाहाटी	3,00,000	लेखा/उपयोग प्रमाण–पत्र की प्रतिक्षा है	अलग परियोजना के लिए अनुदान
विक्रम ए. साराभाई कम्यूनिटी साइंस सेन्टर, अहमदाबाद	3,22,000	लेखा/उपयोग प्रमाण–पत्र की प्रतिक्षा है	अलग परियोजना के लिए अनुदान

संलग्नक 7

उपयोग प्रमाण पत्र न प्राप्त होने का विवरण

वर्ष	गैर सरकारी संगठन/ स्वैच्छिक संस्था का नाम	वह राशी जिसके लिए गैर सरकारी संगठन/ स्वैच्छिक संगठनों द्वारा उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किए गए हैं	उपयोगिता प्रमााण–पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाने का कारण	इन गैर–सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक संगठनों (कालम 1 के अनुसार)को उपयोगिता प्रमाण पत्र पर बल न देकर और आगेअनुदान दिए जाने का कारण
2000–01	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2001–02	मध्य प्रदेश वेलफेयर एसोसिएशन फॉर दि ब्लाइण्ड, इन्दौर (म.प्र.)	60,576	ज्ञात नहीं	आगे अनुदान नहीं दिया गया
2001–02	महेश दृष्टिहीन कल्याण संघ, इन्दौर (म.प्र.)	1,00,000	ज्ञात नहीं	आगे अनुदान नहीं दिया गया
2002.03	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

भाषा

ऐसे स्वैच्छिक हिन्दी संगठनों (वीएचओ) के ब्योरे जिन्होंने पिछले तीन वर्षों अर्थात 1998–99, 1999–2000 तथा 2000–2001 के दौरान उन्हें दिए गए अनुदानों के संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए हैं।

	वर्ष	गैर सरकारी संगठन/ स्वैच्छिक संस्था का नाम		वह राशी जिसके लिए गैर सरकारी संगठन/ स्वैच्छिक संगठनों द्वारा उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किए गए हैं	उपयोगिता प्रमााण–पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाने का कारण	इन गैर–सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक संगठनों (कालम 1 के अनुसार)को उपयोगिता प्रमााण पत्र पर बल न देकर और आगेअनुदान दिए जाने का कारण
1	1999–2000	हिन्दी महाविद्यालय, चोदावरम (ए.पी.)	हिन्दी	5,700	लेखा–परीक्षित लेखे प्राप्त नहीं हुए	आगे अनुदान नहीं दिए गए
2	1999–2000	सुन्दरबन हिन्दी महाविद्यालय दासपुर, 24 परगनाज (पश्चिम बंगाल)		14,550	लेखा–परीक्षित लेखे प्राप्त नहीं हुए	आगे अनुदान नहीं दिए गए

जिन गैर–सरकारी संगठनों को पिछले तीन वर्षों (1999–2000, 2000–2001, 2001–2002) के दौरान सहायता अनुदान मंजूर किया गया और जिन्होने उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए उनकी स्थिति दर्शाने वाला विवरण

वर्ष	गैर सरकारी संगठन/ स्वैच्छिक संस्था का नाम	वह राशी जिसके लिए गैर सरकारी संगठन/ स्वैच्छिक संगठनों द्वारा उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किए गए हैं	उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाने का कारण	इन गैर–सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक संगठनों (कालम 1 के अनुसार)को उपयोगिता प्रमाण पत्र पर बल न देकर और आगेअनुदान दिए जाने का कारण
1999–2000	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2000–01	हरिहरा ग्रामीणाभी वृद्धि संघ, कर्नाटक	50,000	इस मामले में संगठन के साथ पत्र व्यवहार चल रहा है	आगे कोई अनुदान नहीं दिया गया
2000–2001	इण्डियन एसोसिएशन ऑफ पार्लियामेंटेरिएंस ऑन पापुलेशन डेवलपमेंट, नई दिल्ली	1,50,000	वही	वही
2001–2002	द इंस्टीट्यूट ऑफ पीस रिसर्च एण्ड एक्शन, दिल्ली	1,00,000	वही	वही

संलग्नक 8

स्कूलों में योगा संवर्धन नामक केन्द्रिय प्रायोजित योजना के अंतर्गत गैर सरकारी संगठनों को संस्वीकृत की गई एक लाख रूपये से अधिक राशी का सहायता अनुदान दर्शाने वाला विवरण

(योजनागत)

(रकम लाखों में)

गैर–सरकारी संगठन का नाम और पता	**2002–2003**
असम	
सदाओ असम ग्रामवा पुतिभराल साथा, नागाओं	1.31
गुजरात	
श्री केाश्व स्मृति न्यास, बारदोली, जिला सूरत, गुजरात	2.65
महाराष्ट्र	2.00
कैवल्यधाम एसएमवाईएम समिति, लोनावाला, पूने	1.43
(2002–2003 में चौथे अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए दो लाख रुपए)	
श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल, अमरावती	1.34
मणिपुर	
योग शरीर तथा अध्ययन, इम्फाल, मणिपुर	1.68
उड़ीसा	
उड़ीसा मीडिया केन्द्र, भुवनेश्वर, उड़ीसा	2.80
बंकी अंचलिका आदिवासी हरिजन कल्याण परिषद, डाकघर बंकी कटक	1.30
योग	**14.51**

(योजनेतर)

कैवल्यधाम एसएमवाईएम समिति, लोनावाला, पूने	59.30

संलग्नक 9

स्कूलों में विज्ञान शिक्षा में सुधार नामक केन्द्रिय प्रायोजित योजना के अंतर्गत स्वैच्छिक संस्थाओं को वर्ष 2002–2003 के दौरान संस्वीकृत की गई एक लाख रूपये तथा उससे अधिक राशी का सहायता अनुदान दर्शाने वाला विवरण

क्र. संख्या	स्वैच्छिक संगठन का नाम	प्रदान की गई राशि 2002–2003
	आन्ध्र प्रदेश	
1.	हैदराबाद साइंस सोसाइटी, हैदराबाद	2.27
	असम	
2.	असम साइंस सोसाइटी, गुवाहाटी	7.22
	बिहार	
3.	पूर्व और पश्चिम शैक्षिक सोसाइटी, पटना	21.60
	गुजरात	
4.	सहज, बड़ोदरा	8.42
5.	विक्रम ए. साराभाई कम्यूनिटी साइंस सेन्टर, अहमदाबाद	4.04
	कर्नाटक	
6.	इण्डियन ऐकेडमी ऑफ साइंसेज, बंगलौर	5.75
7.	बंगलौर एसोसिएशन फार साइंस एजुकेशन, बंगलौर	9.09
	उड़ीसा	
8.	भुवनेश्वर विज्ञान और पर्यावरण मंच, भुवनेश्वर तमिलनाडु	1.94
	तमिलनाडु	
9.	राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद, चेन्नई	10.00
	पश्चिम बंगाल	
10.	जगदीश बोस राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिभा खोज, कलकत्ता	20.93
	दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र	
11.	संकल्प नई दिल्ली	2.20
12.	देशकाल सोसाइटी, नई दिल्ली	2.37
13.	चिंतन एनवायरन्मेंटल रिसर्च एण्ड एक्शन ग्रुप, नई दिल्ली	7.57

संलग्नक 10

स्कूली शिक्षा के प्रति पर्यावरणात्मक अनुस्थापन नामक केन्द्रिय प्रायोजित योजना के अंतरगत स्वैच्छिक संस्थाओ को वर्ष 2002–2003 के दौरान संस्वीकृत की गई एक लाख रूपये तथा उससे अधिक राशी का सहायता अनुदान दर्शाने वाला विवरण

(रुपए लाखों

	संगठन का नाम	प्रदान की गई राशि
1.	गोवथामी एजुकेशनल सोसाइटी, तंगुतूर, जिला प्रकाशन, आंध्र प्रदेश	1.61
2.	सदाओ असम ग्रामवा पुतिभराल सांथा, नागाओं (असम)	1.94
3.	पूर्व एवं पश्चिम शैक्षिक सोसाइटी, पटना (बिहार)	1.10
4	हरिजन सेवक संघ, मुरलीगंज, माधेपुरा (बिहार)	1.00
5.	एससीईआरटी, रायपुर, छत्तीसगढ़	5.09
6.	पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, अहमदाबाद (गुजरात)	34.37
7.	विज्ञान केन्द्र (ग्वालियर) भोपाल (मध्य प्रदेश)	5.79
8.	भारत पर्यारवण शिक्षा और अनुसंधान विद्यापीठ संस्थान, पुणे (महाराष्ट्र)	5.83
9.	अशुफिल्मेई डेवलपमेट सोसाइटी, चोवालु, माउगेट, जिला सेनापती (मणिपुर)	1.37
10.	भुवनेश्वर विज्ञान और पर्यावरण मंच, भुवनेश्वर (उड़ीसा)	2.00
11.	संकल्प, पुरी (उड़ीसा)	1.39
12.	सीपीआर पर्यावरण शिक्षा केन्द्र, चेन्नई (तमिलनाडु)	27.54
13.	सीईई, हिमालया, लखनऊ (यू.पी)	2.60
14.	उत्तराखण्ड सेवा निधि पर्यावरण शिक्षा संस्थान, अल्मोड़ा (उत्तरांचल)	61.00
15.	पश्चिम बंगाल वाल्यूंटरी हेल्थ एसोसिएशन, कोलकता	2.18
16.	भारतीय पर्यावरणात्मक सोसाइटी, दिल्ली	6.15
17.	सोसो सर्विस आर्ट ग्रुप, पटेल नगर, नई दिल्ली	2.74
18.	संकल्प, नई दिल्ली	2.10
19.	चिंतन एनवायरन्मेंट एण्ड एक्शन ग्रुप, नई दिल्ली	3.72

संलग्नक 11

माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग तथा प्रारम्भिक शिक्षा और साक्षरता विभाग के अधीन स्वायत्त संगठनों/अधीनस्थ कार्यालयों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (91)की सूची

क्र.सं.	संगठन का नाम	संगठन का मुखिया टेलिफोन नं. फैक्स नं.
1.	दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली–110 007 होमपेजः www.du.ac.in	प्रो. दीपक नैयर, कुलपति फोन.: 91-11-27257011/7190 फैक्स: 91-11-27667049/27666350
2.	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, न्यू महरौनी रोड़ नई दिल्ली-110 067. होमपेज: www.jnu.ac.in	प्रो जी.के.चड्ढा कुलपति फोन.: 91-11-26717500 फैक्स: 91-11-26717580
3.	अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ - 209 621. होमपेज: www.amu.nic.in	श्री नसीम अहमद, उप कुलपति फोन.: 91-571-2700994 फैक्स: 91-571-2700528
4.	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी -221 005. होमपेज: www.bhu.ac.in	प्रो. पी. रामचन्द्रा राव उप कुलपति फोन.: 91-542-2307220 फैक्स: 91-542-2369951 ई–मेल vc_bhu@banaras.ernet.in
5.	पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पांडिचेरी - 605 014. होमपेज: www.pondiuni.org	डा0 ए.के. भटनागर उप कुलपति फोन.: 91-413-2655175 फैक्स: 91-413-2655265
6.	हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद -500 146. होमपेज: www.uohyd.ernet.in	डा0 कोटा हरीनारायणा उप कुलपति फोन.: 91-40-23010121 फैक्स: 91-40-23010145/23011090
7.	पूर्वोत्तर पहाड़ी विश्वविद्यालय लोवर लेचूमेरे,शिलांग - 793 001.	प्रो. मृणाल मीरी, उप कुलपति फोन.: 91-364-2550075/2550101 फैक्स: 91-364-2550076
8.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू), इग्नू काम्पलैक्स, मैदान गढी,नई दिल्ली -110 068. होमपेज: www.iqnou.edu	प्रो. एच.पी. दीक्षित उप कुलपति फोन.: 91-11-26862707/26857084 फैक्स: 91-11-26862312

क्र.सं.	संगठन का नाम	संगठन का मुखिया टेलिफोन नं. फैक्स नं.
9	असम विश्वविद्यालय, सिलचर -788 011	प्रो. एस.सी.शाह उप कुलपति फोन.: 91-3842-270801 फैक्स: 91-3842-270802
10.	तेजपुर विश्वविद्यालय नमाप तेजपुर -784 001	प्रो. डॉ. पी.सी.डेका उप कुलपति फोन: 91-3712-267003 फैक्स: 91-3712-267005/267006
11.	विश्व भारती शांति निकेतन - 731 235, पश्चिम बंगाल होमपेज: www.vbharat.ernet.in	प्रो. सुजीत के. बासु उप कुलपति फोन: 91-3463-252451 फैक्स: 91-3463-252672
12.	नागालैंड विश्वविद्यालय लुमानी, कोहिमा-797 001	प्रो. जी.डी.शर्मा उप कुलपति फोन: 91-370-2242701 फैक्स: 91-370-2290246
13.	जामिया मिलिया इस्लामिया जामिया नगर, नई दिल्ली - 110 025.	प्रो. मुसीरूल हसन उप कुलपति फोन: 91-11-26984650 फैक्स: 91-11-26842559
14.	बाबासाहेब भीमराव विश्वविद्यालय अम्बेडकर विश्वविद्यालय, विद्या बिहार राई बरेली रोड़, लखनऊ- 226 025.	डा. जी.ननचरैयाह उप कुलपति फोन: 91-522-2440820 फैक्स: 91-522-2440821
15.	मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, गचीबोली हैदराबाद -500 032. होमपेज: www.urduuniversity.org (शीघ्र प्रारम्भ होने जा रहा है)	डॉ. ए.एम.पठान उप कुलपति फोन: 91-40-23006601 फैक्स: 91-40-23006603
16.	महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय वर्धा, (महाराष्ट्र) पो.बा.न. 16, पंचितिता,अरवी रोड़,उमरी होमपेज: http://www.hindivishwa.nic.in	डॉ. जी. गोपीनाथन उप कुलपति फोन: 91-7152-230901 फैक्स: 91-7152-230903
17.	मिजोरम विश्वविद्यालय पो.बा.न.190, एजवाल - 796 012. मिजोरम	प्रो. अरविन्द के. शर्मा उप कुलपति फोन: 91-389-2342348 फैक्स: 91-389-2340313

क्र.सं.	संगठन का नाम	संगठन का मुखिया टेलिफोन नं. फैक्स नं.
18.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली- 110 002. होमपेज: www.ugc.ac.in	डॉ. अरूण निगवेकर चेयर मेन फोन: 91-11-23237143 फैक्स: 91-11-23236288
19.	इंडियन इंस्ट्यिूट आफ एडवांस्ड, स्टडीज (आईआईएएस), राष्ट्रपति निवास, समर हिल शिमला- 171 005 होमपेज: www.iias.org	प्रो. भुबन चन्देल निदेशक फोन: 91-177-2830006 फैक्स: 91-177-2831389 ई–मेल: iiasdir@nde.vsnl.net.in
20.	इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च (आईसीएचआर) 35 - फिरोजशाह रोड़, नई दिल्ली- 110 001.	प्रो. डी.एन.त्रिपाठी चेयर मेन फोन: 91-11-23386033(का.) 91-495-0370328(आ.) फैक्स: 91-11-23383421
21	इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल अरूणा आसफ अली मार्ग, जवाहर लाल नेहरू इंस्टिट्यूशनल एरिया साइंस रिसर्च (आईसीएसएसआर) नई दिल्ली - 110 067. होमपेज: www.icssr.org	डॉ. वी. आर पंचमुखी चेयरमेन फोन.: 91-11-26179679(का.) 91-11-26717146(आ.) फैक्स: 91-11-26162516
22.	इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसफिकल रिसर्च 36, तुगलकाबाद इंस्टीट्यूशनल एरिया, बतरा हास्पीटल के पास, तुगलकाबाद नई दिल्ली - 110 062. होमपेज: www.icpr.nic.in	डॉ. किरीट जोशी चेयरमेन फोन: 91-11-26094403, 26094405 फैक्स: 91-11-26092129 ई–मेल: icpr@del2.vsnl.net.in
23.	नेशनल काउंसिल ऑफ रूरल इंस्टीट्यूट, शंकर भवन, सेकेन्ड फ्लोर फतेह मैदान रोड़, हैदराबाद 500 004 होम पेज : www.ncri.mhrd.org	डॉ. बी.एच.ब्रज किशोर चेयरमेन फोन: 91- 40-23212813/23212120 फैक्स: 91-40-23212114

तकनीकी एवं व्यावसायिक संस्थान

24.	इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी हौज खास, नई दिल्ली- 110016 होमपेज: www.iitd.ernet.in	प्रो. आर.एस.सिरोही निदेशक फोन: 91-11-26867541 फैक्स: 91-11-26857659 ई–मेल: director@admin.iitdelhi.ernet.in
25.	इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी, कानपुर - 208 076. होमपेज: www.iitk.ac.in	प्रो. एस.जी.धांडे निदेशक फोन: 91-512-590763 फैक्स:91-512-590260, 590007 ई–मेल: director@admin.iitkanpur.ac.in

क्र.सं.	संगठन का नाम	संगठन का मुखिया टेलिफोन नं. फैक्स नं.
26.	इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी, पोवई मुम्बई - 400 076. होमपेज: www.iitb.ernet.in	प्रो. अशोक मिश्रा निदेशक फोन: 91-22-5782545 ई–मेल: director@admin.iitb.ac.in
27.	इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी, खड़गपुर - 721 302. होमपेज: www.kgpnet.org	प्रो. एस.के. दुबे निदेशक फोन: 91-3222-55386 फैक्स: 91-3222-55239 ई–मेल: director@hijli.iitkgp.ac.in
28.	इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी, चेन्नई - 600 036. होमपेज: www.iitm.ac.in	प्रो. एम.एस.अनन्त निदेशक फोन: 91-44-2351694 फैक्स: 91-44-2350466
29.	इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी, उत्तर गुवाहाटी, गुवाहाटी- 781 001. होमपेज: www.iitg.ernet.in	प्रो. गौतम बरूआ निदेशक फोन: 91-361-2690401 फैक्स: 91-361-2690321-28
30.	इंडियन इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमैंट वस्त्रापुर अहमदाबाद - 380 015. होमपेज: www.iimahd.ernet.in	डॉ. बी.एच.ढोलकिया निदेशक फोन.: 91-79-6307241 फैक्स: 91-79-6308345 ई–मेल: director@iimahd.ernet.in
31.	इंडियन इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमैंट बनेरघाट रोड, बगलौर - 560 076. होमपेज: www. iimb.ernet.in	प्रो.पी.जी.आप्टे निदेशक फोन.: 91-80-26583901 फैक्स:91-80-26644050
32	इंडियन इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमैंट पी.ओ.जोका, डायमंड हारबर रोड कोलकाता - 700 027 होमपेज: www.iimcal.ac.in	डॉ. शेखर चौधरी निदेशक फोन.: 91-33-24678300 फैक्स: 91-33-24678307
33.	इंडियन इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमैंट कोझीकोड कालीकट-673601, केरल होमपेज: www.iimk.ac.in	डॉ.कृष्ण कुमार निदेशक फोन.: 91-495-2803001-9 फैक्स: 91-495-2803010-11
34.	इंडियन इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमैंट इंदौर मध्य प्रदेश होम पेज: www.iimidr.ernet.in	डॉ. एस.पी.प्राशर निदेशक फोन.: 91-731-2321112 फैक्स: 91-731-2321050

क्र.सं.	संगठन का नाम	संगठन का मुखिया टेलिफोन नं. फैक्स नं.
35.	इंडियन इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमैंट प्रबंध नगर, ओफ. सितापुर रोड़ लखनऊ – 226 013 होमपेज: www.iiml.ac.in	डॉ. देवी सिंह निदेशक फोन.: 91-522-2734001 फैक्स: 91-522-2734005
36.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बगलौर– 560 012 होमपेज: www.iisc.ernet.in	प्रो. गोवर्धन मेहता निदेशक फोन.: 91-80-23942222 फैक्स: 91-80-23600936
37.	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालाजी कालीकट - 673 301 होमपेज: www.reccal.ernet.in	डॉ. एस.एस.गोखले निदेशक फोन.: 91-495-2286100 फैक्स: 91-495-2287250
38.	एस. वी. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालाजी सुरत - 395 607, (गुजरात).	डॉ. ए. के. दवे निदेशक (आई/सी) फोन.: 91-261-2227334 फैक्स: 91-261-2228394
39.	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालाजी हजरतबल श्रीनगर - 190 006 जम्मू एवं श्रीनगर	डॉ. (श्रीमती) शशी कृष्णा पांडे निदेशक फोन.: 91-194-2422032 फैक्स:91-194-2420475
40.	मोती लाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलाजीइलाहाबाद - 211 004, (उत्तर प्रदेश)	डॉ. कृष्ण कुमार निदेशक फोन: 91-532-2445100 फैक्स: 91-532-2445101
41.	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलाजी दुर्गापुर - 713 209, पश्चिम बंगाल	डॉ. ए.सी.गांगुली निदेशक (आई/सी) फोन: 91-343-2546397 फैक्स: 91-343-2546753, 2547375
42.	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलाजी जमसेद पुर - 831014, (बिहार)	डॉ. देवाशीष भट्टाचार्य निदेशक फोन: 91-657-2407614 फैक्स: 91-657-2407642
43.	विश्वेस्वरैया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलाजी नागपुर - 440001.	डॉ. सी.एम.मोघे निदेशक (आई/सी) फोन: 91-712-2223960 फैक्स: 91-712-2223969

क्र.सं.	संगठन का नाम	संगठन का मुखिया टेलिफोन नं. फैक्स नं.
44.	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलाजी श्रीनिवासनगर सूरथकल - 575 025	प्रो. एस.एस.मुरथे निदेशक फोन: 91-824-2476318 फैक्स: 91-824-2476090
45.	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलाजी वारंगल - 506 004, (आंध्र प्रदेश)	डॉ. देवा कुमार त्रिपाठी निदेशक फोन: 91-8712-2459216 फैक्स: 91-8712-2459547
46.	मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलाजी जयपुर - 302017. राजस्थान	डॉ. ए.के.जैन निदेशक फोन: 91-141-2702954 फैक्स: 91-141-2702107
47.	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलाजी राउरकेला - 769 008, उड़ीसा	डॉ. एस.के.सारंगी निदेशक फोन: 91-661-2472050 फैक्स: 91-661-2472926
48.	मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलाजी भोपाल - 462007.	डॉ. पी. के. चंदे निदेशक फोन: 91-755-670900 फैक्स: 91-755-670562
49.	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलाजी तिरूचिरापल्ली - 620 015, (तमिलनाडु).	डॉ.पी.सुब्रमण्यम निदेशक (आई/सी) फोन: 91-431-500281 फैक्स: 91-431-500133
50.	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलाजी कुरूक्षेत्र - 132119, (हरियाणा).	डॉ. एस.एन.महेन्द्रा निदेशक फोन: 91-1744-20057 फैक्स:91-1744-20065
51.	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलाजी सिलचर - 788010 (असम)	डॉ. गौतम बरूआ अभिनय निदेशक फोन: 91-3842-33179, 33842, 33841 फैक्स: 91-3842-33797 ई–मेल recsil@dte.vsnl.net.in
52.	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलाजी हमीरपुर - 177001 (हिमाचल प्रदेश).	डॉ.चन्द्रशेखर निदेशक फोन: 91-1972-22308 फैक्स:91-1972-23834

क्र.सं.	संगठन का नाम	संगठन का मुखिया टेलिफोन नं. फैक्स नं.
54.	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलाजी पटना 800 005 बिहार	डॉ पी. के. सिन्हा निदेशक फोन: 0612-2670631 (का.)
55.	डा बी आर अंबेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलाजी , जी.टी.रोड बाय पास, जालंधर - 144001 पंजाब	डॉ.प्रमोद मेहत्ता निदेशक फोन:91-181-292024 फैक्स: 91-181-291120
56.	इंडियन स्कूल आफ माइंस धनबाद - 826004, बिहार	प्रो. एस.एन.मुकर्जी निदेशक (आई/सी) फोन: 91-326-202381, 202486 फैक्स: 91-326-203042, 202380
56.	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंडरी एंड फोर्ज टेक्नोलाजी पोस्ट .हटीया रॉची - 834003, बिहार होमपेज : www.nifft.com	डॉ. एच.एस.महन्ती निदेशक (आई/सी) फोन: 91-651-408289 फैक्स: 91-651-408357
57.	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग एंड इंडस्ट्रीयल इंजीनियरिंग विहार लेक, पीओ एनआईटीआईई मुम्बई - 400 087. होमपेज : www.nitie.edu	डॉ.टी.पी.बागची निदेशक फोन: 91-22-8573371, 8571518 फैक्स: 91-22-8573251 ई–मेल : director@nitie.edu
58.	एबीवी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफारमेशन टेक्नोलाजी और मेनेजमेंट (एबीवी–III टीएम) ग्वालियर - 474 003. होमपेज: www.iiitm.ac.in	प्रो. के.के. भट्टाचार्य प्रोजक्ट निदेशक फोन : 91-751-2460315 फैक्स: 91-751-2460313
59.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफार्मेशन नेहरू साइंस सेन्टर कमला नेहरू रोड़, इलाहाबाद - 211 002 होमपेज: www.iiita.com	डॉ. एम.डी.तिवारी निदेशक फोन:.91-532-2461382 फैक्स:91-532-2608469 ई–मेल : iiital@nde.vsnl.net.in
60.	काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर इंडिया हेबिटेट सेंटर कोर 6 ए पहली मंजिल, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110 003.	डॉ. पी आर मेहता अध्यक्ष फोन: 91-11-24648415 फैक्स: 91-11-24647746 ई–मेल: coa@ndf.vsnl.net.in
61.	स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर आई.पी.स्टेट नई दिल्ली- 110002.	डॉ. जे.एच.अंशारी निदेशक(आई/सी) फोन: 91-11-23702383 फैक्स: 91-11-23902383

क्र.सं.	संगठन का नाम	संगठन का मुखिया टेलिफोन नं. फैक्स नं.
62.	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग और रिसर्च ब्लाक–एफसी, सेक्टर –3 बिधान नगर कोलकाता - 700 091.	प्रो. एस.के. निदेशक(आई / सी) फोन: 91-33-23370937 फैक्स:91-33-23376331
63.	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिग और रिसर्च साउथन रिजन तारामी पीओ चेन्नई- 600 113.	डॉ. जी.बी.जयप्रकाश नारायण निदेशक फोन: 91-44-2352126 फैक्स:91-44-2352126
64.	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग और रिसर्च शामला हिल्स भोपाल- 462 002. होमपेज: www.tttibhopal.com	श्री के.के श्रीवास्तव निदेशक(आई / सी) फोन: 91-755-2661216 फैक्स:91-755-2661996
65.	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग और रिसर्च सेक्टर– 26, चंडीगढ़ - 160 019.	डॉ. ओ.पी.बाजपेयी निदेशक फोन: 91-172-2792369 फैक्स: 91-172-2791366
66.	बोर्ड ऑफ अप्रिंटीसशीप ट्रेनिंग, सीआईटी कैम्पस, तारामणी चेन्नई - 600 113.	डॉ.अयाक कानू निदेशक फोन: 91-44-2352235 फैक्स: 91-44-2301563
67.	बोर्ड ऑफ अप्रिंटीसशीप ट्रेनिंग, वेस्टर्न रिजन, न्यू एडमिन बिल्डिंग दुसरी मंजिल एटीआई कैम्पस सिओन–मुम्बई- 400 022.	श्री पी.एन.जूम्बले निदेशक फोन: 91-22- 5225635 फैक्स: 91-22-5225923
68.	बोर्ड ऑफ प्रेक्टिकल ट्रेनिंग ईस्टन रिजन, ब्लाक ईए सेक्टर– I पोस्ट साल्ट लेक सिटी - 700 064.	श्री पी.सी.बासु निदेशक फोन: 91-33-23370750 फैक्स: 91-33-23216814
69.	बोर्ड ऑफ अप्रिंटीसशीप ट्रेनिंग प्लाट न. 16ए ब्लाक आइ ए लखनपुर जीटी रोड कानपुर- 208024	श्री आर.के. टण्डन निदेशक फोन: 91-512-2584056 फैक्स: 91-512-2584052

क्र.सं.	संगठन का नाम	संगठन का मुखिया टेलिफोन नं. फैक्स नं.
70.	ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन(एआईसीटीई), इंदिरा गांधी स्पोर्टस काम्पलेक्स इंद्रप्रस्थ स्टेट आईटीओ , नई दिल्ली- 110002. होम पेज: www.aicte.ernet.in	प्रो. नटराजन चेयरमेन फोन: 91-11-23392506 फैक्स: 91-11-23392554
71.	नार्थ इस्र्टन रिजनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलाजी, नीरजली - 79110 (ईटानगर),अरूणाचल प्रदेश	डॉ. जनार्दन चौबे निदेशक (आई / सी) फोन: 91-0360-244307 फैक्स: 91-360-257696, 244307
72.	संत लोगोवाल इंस्टीट्यूट ऑफ इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलाजी पंजाब	डॉ.आर सी. चौहान निदेशक फोन: 91-1672-83657 फैक्स: 91-1672-83657

माध्यमिक स्कूल शिक्षा सेक्टर के अंतर्गत संगठन

73.	केन्द्रीय उच्चतर शिक्षा बोर्ड एजूकेशन 2, सामुदायिक केन्द्र प्रीत विहार नई दिल्ली- 110092. होमपेज- www.cbse.nic.in	श्री अशोक गागुली चेयमेन फोन: 91-11-22215827,22467263 फैक्स: 91-11-22215826 ई–मेल : cbsedli@nda.vsnl.net.in
74.	नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग (एनसीईआरटी) श्री अरविंदो मार्ग नई दिल्ली- 110016. होमपेज www.ncert.nic.in	प्रो. जे.एस.राजपूत निदेशक फोन: 91-11-26964912 फैक्स: 91-11-2686841 ई–मेल : dircii@nda.vsnl.net.in
75.	नेशनल ओपन स्कूल बी-31 बी, कैलाश कालोनी नई दिल्ली - 110048. होमपेज: www.nos.org	डॉ. एम.सी.पंत चेयरमेन फोन: 91-11-26464102 फैक्स: 91-11-26211453, 26288535 ई–मेल: nossap@nda.vsnl.net.in
76.	सेन्ट्रल तिब्बतन स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ईएसए ईएसएस काम्पलेक्स सेन्टर सेक्टर- 3, रोहणी दिल्ली-110 085	श्री एस.पी.गौड़ चेयरमेन श्री एम.एस.वर्मा सचिव फोन: 91-11-23267797 फैक्स: 91-11-23267701 ई–मेल: c.administration@usa.net

क्र.सं.	संगठन का नाम	संगठन का मुखिया टेलिफोन नं. फैक्स नं.
77.	केन्द्रिय विद्यालय संगठन 18, शहीद जीत सिंह मार्ग न्यू दिल्ली - 110016. होमपेज: www.kvsangathan.org	श्री सुनील कुमार कमिश्नर फोन: 91-11-26512579 फैक्स: 91-11-26514179, 26965147
78.	नवोद्य विद्यालय समिति इंदिरा गांधी स्टेडियम आई.पी.स्टेट आई टी ओ नई दिल्ली- 110048. होमपेज: www.navodaya.nic.in	श्री ओ. नबाकिशोर सिंह कमिश्नर फोन: 91-11-26460145, 23392639 फैक्स: 91-11-26460159, 26484091 ई–मेल: navodaya@nda.vsnl.net.in
79.	नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग (एनसीईआरटी) श्री अरविंदो मार्ग नई दिल्ली- - 110016. होमपेज: www.ciet.nic.in	श्री पुरन चन्द्र सयुक्त निदेशक फोन: 91-11-26962580/ 26864141 फैक्स: 91-11-26864141 ई–मेल: jointdirector@hotmail.com
80.	गुजरात काउंसिल फॉर एजुकेशन ड्राइव रोड, नियर मानव मंदिर फ्लैट–132 रिंग रोड़ गुजरात विश्वविद्यालय कैम्पस नवरगपुरा अहमदाबाद - 380 009	श्री आर.के. चौधरी निदेशक(इंर्चाज) फोन: (079) 27912923 फैक्स: (079) 27913388
81.	कनसोरटीयम एजुकेशन ऑफ कॉमनीकेशन सीईसी/यूजीसी नई दिल्ली- - 110067.	डा एस डी शर्मा निदेशक फोन: 91-11-226896638
82.	स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलाजी एनसीआरटी महेन्दु कैम्पस पटना-800016, बिहार होमपेज : www.sietpatna.nic.in	श्री बिपलब दासगुप्ता अभिनय निदेशक फोन: 91-612-667635/671155 फैक्स: 91-612-668100
83.	स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलाजी अगरकर मार्ग पुणे- 411 004 महाराष्ट्र होमपेज: www.sietpune.nic.in	डॉ. सुनन्दा ईनामदार निदेशक फोन: 91-20- 565286 इपीबाक्स 91-20-5652679 फैक्स: . 91-20 5650133. ई–मेल: sietpune@vsnl.com
84.	स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलाजी टीसी नं. 15/160 पदमाबाई रोड वेलायमबलम त्रिवेन्द्रमपुरम - 695 010 केरला होमपेज: www.sietkerala.nic.in	डॉ. बाबू सेबाटियान निदेशक फोन: 91-0471-315076 ई–मेल: siet@satyam.net.in

क्र.सं.	संगठन का नाम	संगठन का मुखिया टेलिफोन नं. फैक्स नं.
85.	स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलाजी निशात गंज लखनऊ-226007 उत्तर प्रदेश होमपेज: www.diksha.nic. in	श्री संजय मोहन निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) फोन: 91-522-387816/386295 फैक्स: 91-522-386211 ई–मेल: dirsiet@lwl.vsnl.net.in
86.	स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलाजी रामान्तपुर हैदराबाद- 500 013, आंध्र प्रदेश होमपेज :www.siethyd.nic.in	श्री बी.अमर प्रसाद निदेशक फोन: 91-040-7038339, 7038356 फैक्स: 91-040-7038122 ई–मेल:siethyd@hd2.vsnl.net.in
87.	स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलाजी पोस्ट ओ.सैनिक स्कूल भुवनेश्वर- 751005. उडीसा होमपेज : www.sietorissa.nic.in	श्री प्रताप आदित्य मिश्रा निदेशक फोन: 91-674-301497 फैक्स · 91-674-301497 ई–मेल : siet@ori.nic.in
	भाषा विकास क्षेत्र संगठन	
88.	अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा सेंट्रल इंस्ट्टीयूट हैदराबाद- 500007. होमपेज: www.ciefl.ac.in	प्रो. कोटा हरीनारया अभिनय उप कुलाधिपति फोन: 91-40-7018131 फैक्स : 91-40-7018402
89.	भारतीय भाषा के क्रेन्द्रिय सस्थान मंशागंगोत्री मैसूर - 570 006 होमपेज: www.ciil.org	प्रो. उदय नारायण सिंह निदेशक फोन: 91 821 515820 फैक्स :91 821 515032
90.	केन्द्रिय हिन्दी संस्थान हिन्दी संस्थान मार्ग आगरा - 282005. होमपेज: www.hindi.nic.in	डॉ. एन.एन.पाण्डे निदेशक फोन: 91-562-320684 फैक्स : 91-562-320684
91	ऊर्द भाषा की प्रोन्नति के लिए राष्ट्रीय परिषद साउथ ब्लाक नं.1, आर.के.पुरम न्यू दिल्ली - 110 066. होमपेज: www.urducouncil.nic.in	डॉ. हमीदुला भट्ट निदेशक फोन: 91-11-26103938 फैक्स: 91-11-26108159
92.	सिंधी भाषा की प्रोन्नति के लिए राष्ट्रीय परिषद 5 मंजिल दर्पण बिल्डिंग आर.सी.दत्त रोड़ अलकापुरी,बडौदा - 390005. होमपेज: www.ncpsl.orq	श्री जटहोलालवानी निदेशक फोन: 91-265-342246 फैक्स: 91-265-357331

क्र.सं.	संगठन का नाम	संगठन का मुखिया टेलिफोन नं. फैक्स नं.
93.	राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान 56-57, इंनट्टशनल एरिया पंखा रोड़ जनकपुरी न्यू दिल्ली होमपेज: www.sanskrit.nic.in	प्रो. वी. कुतुमबा शास्त्री उप कुलपति ए एक्स: 91-11-25541948 फैक्स: 91-11-25541949
94.	श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ कटवारिया सराय,नजदीक कुतुब होटल न्यू महरौली रोड़ न्यू दिल्ली-110067.	डॉ. वाचस्पति उपाध्याय उप कुलपति फोन: 91-11-26851253 फैकस· 91-11-26851253
95	महर्षि सदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान उज्जैयनी डेवलमेंट अथोर्टी एडमिनिस्ट्रिव बिल्डिंग उज्जैन- 456010.	डॉ. ओ.पी. पाडे सचिव फोन: 91-734-511530 फैकस: 91-734-511530
96.	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरूपति (आंध्र प्रदेश)	प्रो. डी. प्रहालाडाचर उप कुलपति फोन:91-8574-27937 फैकस: 91-8574-27937
97.	सेन्ट्रल हिन्दी डायरेक्टरेट आर.के.पुरम,न्यू दिल्ली होमपेज: hindinideshalaya.nic.in	कु. पुष्प लता तनेजा निदेशक फोन: 91-11-26100758

प्रौढ़ शिक्षा क्षेत्र के अंतर्गत संगठन

98.	राष्ट्रीय साक्षरता मिशन न्यू दिल्ली होमपेज: www.nlm.nic.in	श्री जगन मैथ्यू डायरेक्टर जनरल फोन: 91-11-23387648 फैक्स-91-1 1-23381355
99.	डायरेक्टरेट ऑफ एडल्ट एजुकेशन 10, जामनगर हाउस, शाहजहाँ रोड न्यू दिल्ली-1100011	श्री सतीश लुम्बा डायरेक्टर (अतिरिक्त प्रभारी)

प्रारंभिक एवं नीतिगत आयोजनाा क्षेत्रों के अंतर्गत संगठन

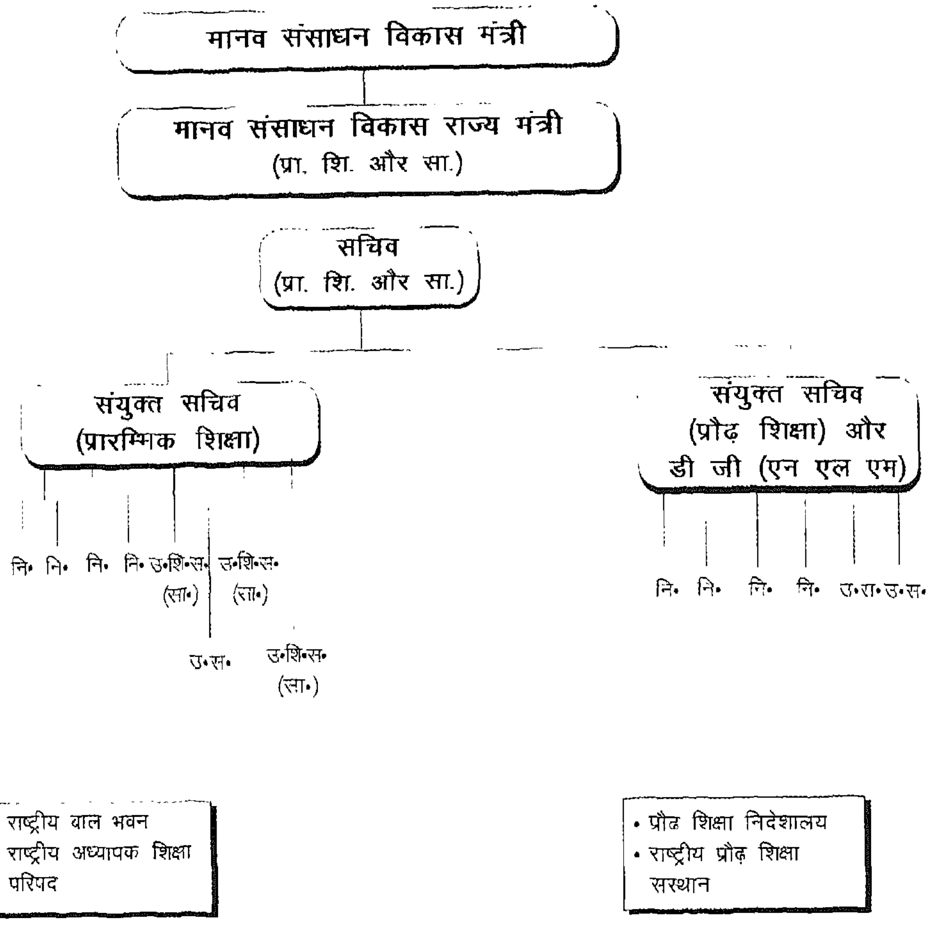
100	नेशनल काउंसिल [illegible] टीचर एजुकेशन (एनसीटीई) इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम इंद्रपस्थ स्टेट, नई दिल्ली -110 002 होमपेज www.ncte-in.org	श्री सरदीनदू चेयरपर्सन फोन:91-11-23392670 फैक्स: 91-11-23392665

क्र.सं.	संगठन का नाम	संगठन का मुखिया टेलिफोन नं. फैक्स नं.
102	राष्ट्रीय बाल भवन कोटला रोड़ नई दिल्ली - 110 002.	डॉ. (कु.)मधु पत निदेशक फोन: 91-11-23222175 फैक्स: 91-11-23231158
योजना प्रभाग		
103	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन (एनआईपीए) 17-बी, श्री अरविंदो मार्ग, एनआईई कैम्प नई दिल्ली - 110016. होमपेज: niepaonline.org	प्रो. प्रदीप कुमार जोशी निदेशक फोन: 91-11-26515472 फैक्स: 91-11-26853041
104	भारत शिक्षा कोष डिपार्टमेन्ट ऑफ सेकेन्ड्री एंव उच्च शिक्षा मानव संसाधन विकास मंत्रालय रेसकोर्स डेप्लोमेंट कमरा नं. 535, सी, विंग शास्त्री भवन नई दिल्ली - 110 001	सेकेट्री (एस एंड एच ई) चेयरमेन, बोर्ड ऑफ गवर्नर अतिरिक्त सेकेट्री(एसएंड एचई) सदस्य सेकेट्री
यूनेस्को विभाग		
104	ओरोविले फाउंडेशन, भरत निवास पी ओ. जिला ओरोविले जिला–विलूपुरम ओरोविले- 60510, तामिलनाडु	डॉ. किरीत जोशी चेयरमैन (जीबी), ए एफ श्री एस.आर.शर्मा सचिव फोन: 91-413-622222, 414 फैक्स: 91-413-6234963
बुक प्रोन्नति तथा कॉपीराइट		
105	नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया ए15, ग्रीन पार्क न्यू दिल्ली - 110016.	श्री पी.के शर्मा चेयरमैन फोन: 91-11-26518607
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम		
106.	एजुकेशन कंसल्टेट्स इंडिया लिमिटेड प्लाट नं. 18ए, सेक्टर 16ए नौएडा - 201301, (उत्तर प्रदेश). होमपेज:www.edcil.co.in	श्री सुनील कुमार अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक फोन: 91-120-2515366 फैक्स: 91-120-2512010

08-03-2002 की स्थिति के अनुसार

संगठन चार्ट

मानव संसाधन विकास मंत्रालय
प्रारम्भिक शिक्षा तथा साक्षरता विभाग



संकेतिका

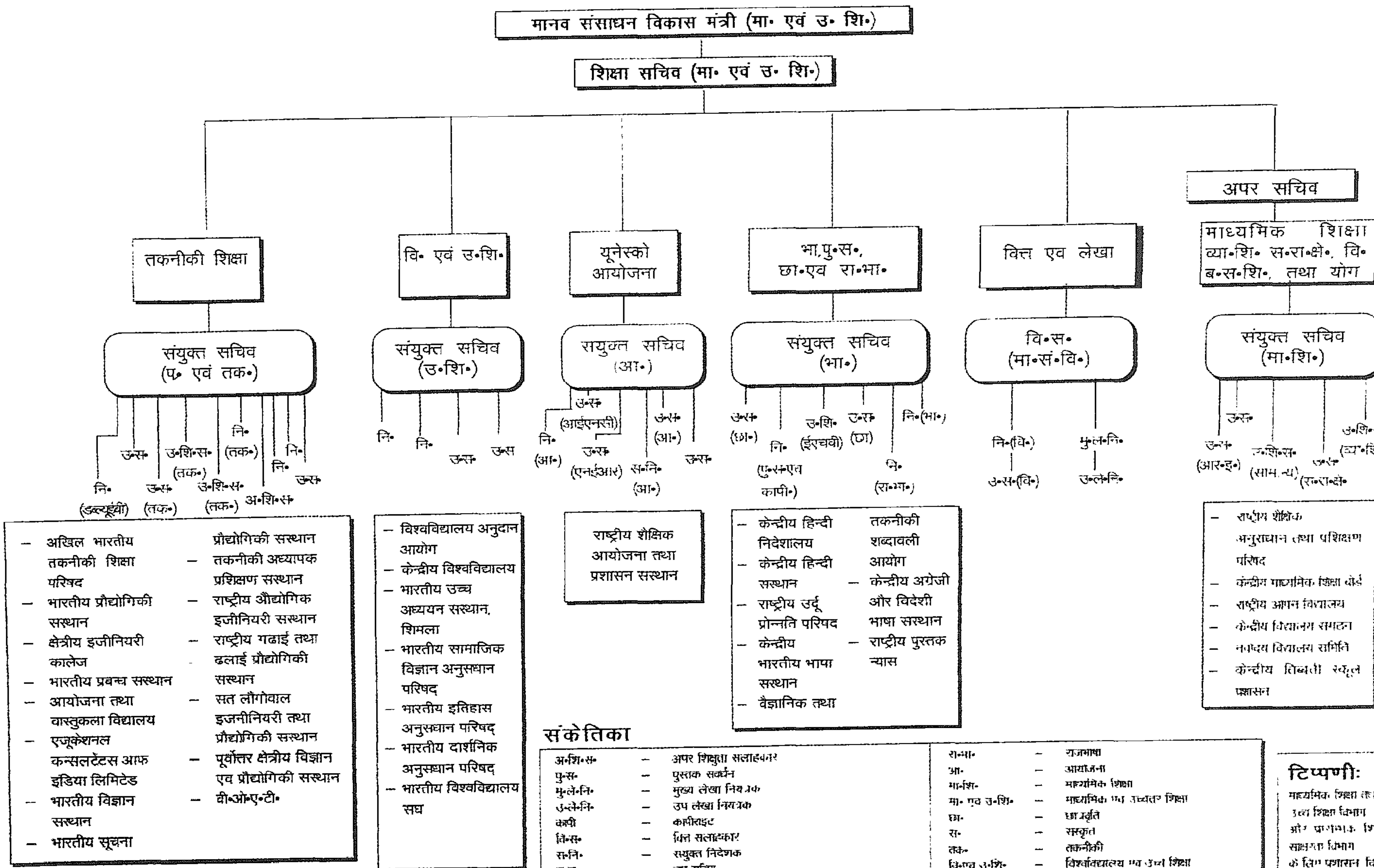
उ॰शि॰स॰	– उप शिक्षा सलाहकार
उ॰स॰	– उप सचिव
नि॰	– निदेशक
प्रा॰शि॰	– प्रारम्भिक शिक्षा
प्रा॰शि॰ और सा॰	– प्रारम्भिक शिक्षा और साक्षरता
सा॰	– सामान्य
स॰स॰	– सयुक्त सचिव

टिप्पणी
वित्त, प्रशासन आदि जैसे सेवा अनुभाग सामान्य है और प्रशासनिक रूप से माध-
यमिक तथा उच्चतर शिक्षा विभाग के नियत्रण में हैं।

संगठन चार्ट

मानव संसाधन विकास मंत्रालय
माध्यमिक तथा उच्चतर शिक्षा विभाग

24—02—2003 की स्थिति के अनुसार



संकेतिका

अ॰शि॰स॰	–	अपर शिक्षा सलाहकार
पु॰स॰	–	पुस्तक संवर्धन
मु॰ले॰नि॰	–	मुख्य लेखा नियंत्रक
उ॰ले॰नि॰	–	उप लेखा नियंत्रक
कापी	–	कापीराइट
वि॰स॰	–	वित्त सलाहकार
स॰नि॰	–	संयुक्त निदेशक
उ॰स॰	–	उप सचिव
नि॰	–	निदेशक
सा॰	–	सामान्य
स॰शि॰स॰	–	संयुक्त शिक्षा सलाहकार
स॰स॰	–	संयुक्त सचिव
भा॰	–	भाषा
रा॰भा॰	–	राजभाषा
आ॰	–	आयोजना
मा॰शि॰	–	माध्यमिक शिक्षा
मा॰ एवं उ॰शि॰	–	माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा
छा॰	–	छात्रवृत्ति
स॰	–	संस्कृत
तक॰	–	तकनीकी
वि॰एवं उ॰शि॰	–	विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा
स॰रा॰क्षे॰	–	संघ राज्य क्षेत्र
व्या॰शि॰	–	व्यावसायिक शिक्षा
उ॰शि॰स॰	–	उप शिक्षा सलाहकार
वि॰ब॰स॰शि॰	–	विकलांग बच्चों के लिए समाकलित शिक्षा

टिप्पणी:
माध्यमिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा विभाग और प्राथमिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के लिए प्रशासन वित्त आदि एक ही है।

शुद्धि-पत्र

के स्थान पर	पढ़िये
एसएसए	सर्व शिक्षा अभियान
ईजीएस	शिक्षा गारंटी योजना
एनएलएम	राष्ट्रीय साक्षरता मिशन
एनजीओ	गैर सरकारी संगठन
टीएलसी	सम्पूर्ण साक्षरता अभियान
एसआरसी	राज्य संसाधन केन्द्र
आईईडीसी	विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा
आईपीआर	बौद्धिक सम्पदा अधिकार
सीवीसी	केन्द्रीय सतर्कता आयोग
वैन	डब्ल्यूएएन
यूजीसी	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
एमएचआरडी	मानव संसाधन विकास मंत्रालय
ईएफआईएस	शिक्षा प्रबन्ध सूचना प्रणाली
ईईपी	शैक्षिक विनिमय कार्यक्रम
एससीपी	विशेष घटक योजना
टीएसपी	जनजातीय उपयोजना
सं.अ.	संशोधित अनुमान
एनसीटीई	राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद
सीआईआईएल	केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान
ए एवं एन	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह

पृष्ठ	खाना/पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िये
2	1/24	भारत कोष	भारत शिक्षा कोष
14	1/अंतिम	ईजनरल सहायतासंघ	ईजनरल कन्सोर्टियम
23	1/5	203	2003
40	1/13	6,700	6,780
47	2/1	सभ्यताओं के बीच संवाद	डायलाग एमंग सिविलाइजेशन
49	1/5	ओलविल्ले	आरोविल्ले
52	1/9	85.15	85:15
52	1/10	75.25	75:25
52	1/11	50.50	50:50
56, 58 59	तालिका 7.3, 2/7 1/28	छत्तीगढ़	छत्तीसगढ़
56	तालिका 7.3	महाराष्ट	महाराष्ट्र
59	2/4	सीवर	शिविर
59	1/2	परियोजना	प्रयोजन
70	1/2	शिखाकर्मी	शिक्षाकर्मी
75	1/27 एवं 2/2	प्रत्यापन	प्रत्यायन
81	1/2 एव 2/5	विपोषित	वित्तपोषित

92	2/15	शिषकों	शिक्षकों
95	1/2	मुकाबना	मुकाबला
108	2/6	1990-2000	1990-2002
113	1/15	सेचना	सूचना
113	2/6	29.6	29.06
122	2/30	परीरक्षण	परिरक्षण
123	2/1	परीरक्षण	परिरक्षण
132	1/8	7.1	9.1
134	2/2	1.8	1.58
137	1/13	67.9	67.91
149	2/12	समविश्वविद्यालयों सहित जिन्हें विभिन्न योजनागत और योजना भिन्न कार्यक्रमों/स्कीमों के अंतर्गत अनुदान दिए गए हैं।	(समविश्वविद्यालयों सहित जिन्हें विभिन्न योजनागत और योजना भिन्न कार्यक्रमों/स्कीमों के अंतर्गत अनुदान दिए गए हैं) 25.68 करोड़ रुपए का योजनागत अनुदान दिया गया।
151	2/21	2.48	2.42
166	1/7	भारतीय विज्ञान, दर्शन और विज्ञान की परियोजना	भारतीय विज्ञान, दर्शन और संस्कृति के इतिहास की योजना
167	2/13	955	95:5
170	2/नीचे से चौथी	खंड 19	खंड 29
171	-	ऊपर से 11वीं लाइन के बाद यह वाक्य जोड़ें।	संगोष्ठी में 30 से अधिक अनुसंधान कागजात प्रस्तुत किए गए।
173	1/9	6	8
175	2/1	पाठ्यचर्या	पुनश्चर्या
176	2/5	18,500	18,580
179	2/1	पाण्डिचेरी विश्वविद्यालय	पाण्डिचेरी विश्वविद्यालय, पाण्डिचेरी
179	2/21	18	15
180	1/9	4479	4499
182	1/15	स्टाफ में एसटी के 9 सदस्य शामिल हैं	स्टाफ में 23 एससी के और एसटी के 9 सदस्य शामिल हैं
183	1/13	2385	2388
183	2/18	2002-03 में छात्रों ने पीएच.डी.	2003 में 34 छात्रों ने पीएच.डी.
186	1/6	पूर्ति।	पूर्ति
197	1/18	बी.आई	बी.आर्क
199	1/9, 1/अंतिम	महामहित, 72,000	महामहिम, 74,000
201	2/19	आधुनिकरण	आधुनिकीकरण
204	1/अंतिम	सितम्बर	सिम्बल
206	1/6	असंभावित	असमन्वित
211	2/8 एवं 14	स्नातक-पूर्व	अवर स्नातक
211	2/16	पांख	पांच
213	2/20	अन्त में जोड़ें	वेबसाइट का पता: www.svnit.ac.in
225	1/6	1/2	$5^{1/2}$
233	2/17 एवं 22	प्रज्ञ्या	प्राज्ञ
234	2/27	निषांत	निश्नात

"मैं यह नहीं चाहता कि मेरा घर सभी दिशाओं में दीवारों से घिरा हुआ हो और खिड़कियां बंद हों। इसके बदले मैं चाहता हूं कि सभी देशों की संस्कृतियां मेरे घर में उन्मुक्त होकर प्रसारित हों। लेकिन मैं यह कभी नहीं चाहूंगा कि किसी भी संस्कृति के कारण मेरे पांव उखड़ जाएं"

महात्मा गांधी